इकाई-1 संविधान, संवैधानिक सरकार, संविधानवाद

इकाई की रुपरेखा

1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देश्य

1.2 संविधान की आवश्यकता

1.3 संविधान का अर्थ और परिभाषा

1.4 संविधान का विकास

1.5 संविधानों का वर्गीकरण

1.5.1 उत्पत्ति के आधार पर

1.5.2 संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर

1.5.3 संविधान में संशोधन के आधार पर

1.6 संवैधानिक सरकार

1.7 संविधानवाद

1.8 संविधानवाद की अवधारणाएं

1.8.1 संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा

1.8.2 संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा

1.8.3 संविधानवाद की विकासशील लोकतांत्रिक अवधारणा

1.9 संविधानवाद के प्रमुख तत्व

1.10 संविधानवाद की विशेषताएं

1.11 सारांश

1.12 शब्दावली

1.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.16 निबंधात्मक प्रश्न

1.0 प्रस्तावना

इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जब राज्य का उद्भव हुआ या यह कहा जाये कि जब मनुष्य ने संगठित रुप से रहना प्रारम्भ किया अर्थात राज्य रुपी संस्था, अपने अनगढ़ रुप में ही सही, अस्तित्व में आयी उसी के साथ ही राज्य व जनता के आपसी रिश्तों को संचालित करने के लिए कुछ नियमों को लिखित अथवा अलिखित रुप में स्वीकार किया गया। जिसे संविधान का प्राचीनतम रुप माना जा सकता है। इस बात की पुष्टि इस ऐतिहासिक तथ्य से की जा सकती है कि आज से लगभग ढ़ाई हजार वर्ष पूर्व यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु ने 158 राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर संविधानों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पठने के उपरान्त आप-

1. संविधान, उसकी परिभाषा उसकी आवश्यकता और संविधानों के वर्गीकरण के विषय में जान पायेंगे।

2. संविधानिक सरकार के बारे में जान पायेंगे।

3. संविधानवाद, संविधानवाद की अवधारणा, उसके तत्व और विशेषताओं के विषय में जान पायेंगे।

1.2 संविधान की आवश्यकता

किसी भी देश में निम्न कारणों से संविधान की आवश्यकता होती हैः-

1. शासन की शक्तियों को संविधान द्वारा ही सीमित किया जा सकता है।

2. राजतंत्र और कुलीन तंत्रीय शासनों में अत्याचारों के अनुभवों ने संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है।

3. व्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी संविधान आवश्यक है।

4. वर्तमान और भावी पीढ़ी की स्वेच्छा पर नियंत्रण के लिए संविधान आवश्यक है।

1.3 संविधान का अर्थ और परिभाषाएँ

संविधान अंग्रेजी शब्द 'कान्स्टीट्यूशन' का हिन्दी रूपान्तर है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कान्स्टीट्यूशन का अर्थ शरीर के ढॉचे व गठन से होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में 'कान्स्टीट्यूशन' का तात्पर्य राज्य के ढॉचे तथा संगठन से होता है। अतः राज्य के संविधान में राज्य की सरकार के विभिन्न अंगो, उनके संगठन व शक्तियों, जनता के अधिकारों आदि का उल्लेख रहता है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका एक संविधान होता है। आवश्यक नहीं है कि संविधान लिखित ही हो। आवश्यक यह है कि कुछ ऐसे नियमों का अस्तित्व हो, जिनके द्वारा देश की शासन-व्यवस्था के ढॉचे को निर्धारित किया जा सके और सरकार की कार्यप्रणाली के विषय में जाना जा सके।

राज्य के लिए संविधान की अनिवार्यता बतलाते हुए जैलीनेक ने कहा कि ''संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान के अभाव में राज्य, राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी''। इसी प्रकार शुल्टज कहते हैं कि ''राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, अर्थात ऐसे सिद्धान्तों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और प्रजा के संबंध निश्चित करें और जिनके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करें।'' यह एक वैधानिक उपकरण है जिसे भिन्न नामों जैसे-राज्य के नियम, शासन का उपकरण, देश का मौलिक कानून,

राज्य व्यवस्था का आधारभूत-विधान, राष्ट्र-राज्य की आधारशिला आदि से भी जाना जाता है। किन्तु इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्दावली 'संविधान' ही है।

परिभाषाएँ

गिलक्राइस्ट के अनुसार ''संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं।''

डायसी के अनुसार ''संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है।''

वूल्जे के अनुसार ''संविधान नियमों के उस समूह को कहते हैं जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकारों और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में सामंजस्य स्थापित किया जाता हैं।''

फाइनर के अनुसार ''संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है।''

गैटिल के अनुसार ''वे मौलिक सिद्धान्त, जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है, संविधान कहलाता है।''

ब्राइस के अनुसार ''संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है, जिनमें सरकार की कार्य-विधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है।''

चार्ल्स बर्गेन्ड के अनुसार ''संविधान एक आधारभूत कानून होता है, जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है और जिसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक नियमों का पालन करने वाले मनुष्य तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किये जाते है।''

1.4 संविधान का विकास

'संविधान' के निर्माण के संदर्भ में पूर्णतः यह नहीं कहा जा सकता कि इसका निर्माण एक निश्चित समय में विचार-विमर्श करके किया गया है। संविधान को चाहे कितना ही विचार-विमर्श करके

बनाया जाए, लेकिन यह अपनी प्रकृति से विकास का परिणाम है। इसके विकास में कई महत्वपूर्ण तत्व सहायक होते हैं।

1. प्रथाएँ और परम्पराएँ प्रथाओं और परम्पराओं ने संविधान के विकास को दिशा दी है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान तो अधिकांशतः प्रथाओं और परम्पराओं के द्वारा ही निर्मित है, परन्तु अन्य देशों के संविधानों जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैण्ड आदि को भी प्रथाओं और परम्पराओं से प्रभावित देखा जा सकता है। प्रथाएँ और परम्पराएँ मानव सभ्यता के विकास से हैं, जिनके साथ व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा है। संविधान के निर्माण/विकास के बाद भी व्यक्ति ने अपनी प्रथाओं और परम्पराओं के साथ जीना नहीं छोड़ा, जिस कारण संविधान के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2. न्यायाधीशों के निर्णय न्यायाधीशों के द्वारा संविधान के विभिन्न उपबन्धों के संबंध में दिए गये निर्णयों और व्याख्याओं से भी संविधान के विकास को गति मिलती है। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में इसे देखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ''संविधान वही है, जो न्यायाधीश कहते हैं।''

3. संशोधन प्रक्रिया संविधान में संशोधन के लिए जो संशोधन विधि वर्णित होती है उसके आधार पर संविधान में बहुत से संशोधन समय-समय पर होते रहते हैं। संविधान में संशोधनों के माध्यम से कई देशों ने मौलिक अधिकारों को संविधान का महत्वपूर्ण अंग बना दिया है। अतः संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी संविधान के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

संविधान का विकास इस आधार पर होना चाहिए कि उसमें समय-समय पर आने वाली परिस्थितियों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए।

1.5 संविधानों का वर्गीकरण

संविधानों का तीन आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है-

1.5.1 उत्पत्ति के आधार पर

उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते है-विकसित और निर्मित संविधान

विकसित संविधान विकसित संविधान वे हैं, जिनका निर्माण संविधान-सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता वरन् ये संविधान विभिन्न परम्पराओं, रीति-रिवाजों, प्रथाओं और न्यायालयों के निर्णय पर आधारित होता हैं। इग्लैण्ड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। वहॉ राजा, मंत्रिपरिषद, संसद अथवा अन्य राजनैतिक संस्थाओं की शक्ति और उनके अधिकार क्षेत्र आदि लेखबद्ध नहीं है तथा न उनसे संबंधित नियमों का एक समय निर्माण किया गया है। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का वर्तमान स्वरूप उसके पन्द्रह सौ वर्षो के संवैधानिक विकास का परिणाम है। इसी कारण प्रो0 मुनरो ने लिखा है कि ‘ब्रिटिश-संविधान कोई पूर्णतया प्राप्त वस्तु न होकर एक विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमता और संयोग की सन्तान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्चकोटि की योजनाओं ने किया है।

निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित-संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं और साधारणतया कठोर भी। ‘अमरीका‘ का संविधान विश्व का प्रथम निर्मित संविधान है, जिसे सन् 1787 ई0 के फिलोडेलफिया सम्मेलन में निर्मित किया गया था। स्विट्जरलैण्ड का संविधान भी निर्मित है, जिसका प्रारूप 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग द्वारा तैयार किया गया था और इस प्रारूप में 1874 में व्यापक परिवर्तन किये गये। भारत के संविधान को संविधान-सभा ने लगभग तीन वर्षों (9 दिसम्बर 1946 से 26 नवम्बर 1949) के परिश्रम के बाद तैयार किया किन्तु यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। 1982 का नया चीनी संविधान भी निर्मित संविधानों की श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गयी एक समिति तथा जनवादी-कांग्रेस ने किया। उपयुक्त विकसित तथा निर्मित संविधानों के अपने-अपने गुण-दोष भी देखने को मिलते हैं- जैसे विकसित संविधान में गतिशीलता होने की विशेषता है। यह लोगों की आवश्यकताओं तथा आंकाक्षाओं के अनुकूल सदा परिवर्तन की प्रक्रिया में रहता है, परन्तु दोष इसका यह है कि ये असंख्य अलग-अलग व बिखरे हुए प्रपत्रों तथा राजनीतिक रीति-रिवाजों के रूप में रहता है। अतः इसमें निश्चितता नहीं होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर टामसपैन जैसे एक अमरीकी विचारक तथा डी0टाकविले जैसे एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने यह मत प्रकट किया कि ‘इंगलैण्ड में कोई संविधान नही हैं।‘‘

इसके विपरीत निर्मित संविधान सर्वथा सुनिश्चित होता है। संहिताबद्ध रूप में होने के कारण यह सदा लोगों के लिए महान सुविधा का स्रोत होता है, परन्तु इग्लैण्ड के लोग इस तथ्य के बावजूद अपने संविधान पर गर्व करते हैं।

1.5.2 प्रथाओं और कानूनों के आधार पर

इस आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं - लिखित संविधान व अलिखित संविधान

लिखित संविधान वे संविधान होते हैं, जिनके प्रावधान विस्तारपूर्वक लिखे होते है। अमरीका, स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत आदि देशों के संविधान लिखित-संविधानों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

अमरीका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जिसमें केवल 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं और जिन्हें आधे घण्टे में पढ़ा जा सकता है। यह विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत हैं। इसमें कोई 90,000 शब्द हैं। भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियॉ हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियॉ थी। स्विस संविधान में 123 अनुच्छेद है, जो 3 अध्यायों में बॅटा है। चीन के नये संविधान में एक प्रस्तावना तथा 138 अनुच्छेद हैं जो 4 अध्यायों में बॅटा है।

अलिखित संविधान वे संविधान होते हैं, जिसके लिखित प्रावधान बहुत संक्षिप्त होते हैं तथा संविधान के अधिकांश नियमों का अस्तित्व व्यवहारों व प्रथाओं के रूप में होता है। ब्रिटेन का संविधान, अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है और अलिखित संविधान की व्यवस्था से ब्रिटेन को कोई हानि न होकर लाभ ही हुआ है।

1.5.3 संविधान में संशोधन के आधार पर

इस आधार पर संविधान के दो भेद हैं - लचीला संविधान और कठोर संविधान।

लचीला संविधान यदि सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के बीच कोई अन्तर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन-परिवर्तन किया जा सके, तो संविधान को लचीला या परिवर्तनशील कहा जायेगा। गार्नर के शब्दों में लचीला संविधान वह है जिसको साधारण कानून से अधिक शक्ति एवं सत्ता प्राप्त नहीं है और जो साधारण-कानून की भॉति ही बदला जा सकता है, चाहे वह एक प्रलेख या अधिकांशत परम्पराओं के रूप में हो।‘‘

लचीले संविधान के उदाहरण स्वरूप हम इंग्लैण्ड के संविधान को ले सकते हैं। इग्लैण्ड में संसद, जिस प्रक्रिया द्वारा सड़क पर चलने के नियमों या मद्य-निषेध के नियमों में परिवर्तन करती है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। दूसरे शब्दों में ये दोनों काम संसद के साधारण बहुमत द्वारा सम्पन्न किये जा सकते हैं।

चीन का संविधान भी इसी श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया से ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 64 में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि चीन की राष्ट्रीय-जनवादी कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा एकसदनात्मक विधायी सदन है क्योंकि इसके सदस्यों की उपस्थिति नये संविधान (1982) को स्वीकृत करते समय 3,037 थी।

कठोर संविधान से अभिप्राय उस संविधान से है जिसमें संशोधन के लिये किसी विशेष प्रक्रिया को प्रयुक्त किया जाता है। कठोर-संविधान में संवैधानिक एवं साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है तथा इसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन-परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया, जो साधारण कानून के निर्माण की पद्धति से कठिन होती है, अपनाना आवश्यक होता है। सरल शब्दों में व्यवस्थापिका जिस विधि अथवा प्रक्रिया से साधारण कानूनों को पारित करती है, उसी विधि से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। कठोर संविधान के उदाहरण स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, रूस, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, जापान तथा भारत के संविधान हैं। किन्तु इसका सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। वहॉं पर संविधान में संशोधन के लिए कांग्रेस (प्रतिनिधि सभा 435, सीनेट 100) के 2/3 बहुमत तथा 3/4 राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक हैं। इसी का परिणाम यह हुआ है कि 211 वर्षो में केवल 26 संशोधन किये जा सके हैं। यहॉं यह सूच्य है कि अमेरिका में संविधान के अनुच्छेद 5 में संशोधन प्रक्रिया वर्णित है।

स्विट्जरलैण्ड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत से जटिल है किन्तु अमरीका की तुलना में कम कठोर है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव स्विस व्यवस्थापिका (संघीय सभा) के दोनों सदनो

(राष्ट्रीय परिषद 200 एवं राज्य परिषद 44) के बहुमत द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैन्टनों (राज्य) के बहुमत से होना चाहिए।

1.6 संवैधानिक सरकार

संविधानिक सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार गठित, नियंत्रित व सीमित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर विधि के अनुरुप ही संचालित होती हो। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि जिस राज्य में संविधान हो वहॉ संवैधानिक सरकार भी होती है। हर राज्य में किसी न किसी प्रकार का संविधान तो होता ही है पर संविधानिक सरकार भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हिटलर व स्तालिन के समय जर्मनी व रुस में संविधान तो थे पर संवैधानिक सरकारें भी थी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन देशों का राजनीतिक आचरण संविधान पर आधारित न होकर व्यक्ति या राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं पर आधारित थी। संवैधानिक सरकारें विधि के अनुरुप व लोक कल्याण पर आधारित होती हैं। अतः राज्य में केवल संविधान का हेना मात्र सरकार को संवैधानिक नहीं बनाता है। केवल वही सरकार संवैधानिक सरकार कही जायेगी जो संविधान पर आधारित हो। संविधान द्वारा सीमित व नियंत्रित हो व निरंकुशता के स्थान पर विधि के अनुरुप ही संचालित हो।

अभ्यास प्रश्न- 1

1. ‘‘संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान के अभाव में राज्य, राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी‘‘। यह कथन किसका है?

क. जैलीनेक ख. शुल्टज ग. डायसी घ. गिलक्राइस्ट

2. संविधान की यह परिभाषा किसने दी ‘‘संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिसमें सरकार की कार्य-विधि प्रतिपादित होती है और जिसके द्वारा उसका संचालन होता है।‘‘

क. फाइनर ख. बूल्जे ग. ब्राइस घ. डायसी

3. विश्व का प्रथम लिखित संविधान है?

क. भारत का संविधान ख. ब्रिटेन का संविधान ग. फ्रॉस का संविधान घ.अमेरीका का संविधान

4. डायसी का यह कथन कि ‘‘संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिसका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से प्रभाव पड़ता है‘‘।

सत्य/असत्य

5. डी0 टाकविले का कथन कि ‘इंलैण्ड में संविधान जैसी कोई चीज नहीं है।‘ सत्य/असत्य

6. अमेरीकी संविधान विश्व का प्रथम.............................संविधान है।

7. लिखित संविधानों में विश्व का सबसे विस्तृत संविधान.......................का संविधान है।

1.7 संविधानवाद

संविधानवाद एक आधुनिक विचारधारा है जो विधि द्वारा नियन्त्रित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना पर बल देती है।

संविधानवाद पर विद्वानों ने अपने- अपने विचार व्यक्त किये हैं -

पिनॉक व स्मिथ ‘‘संविधानवाद उन विचारों की ओर संकेत करता है जो संविधान का विवेचन व समर्थन करते हैं तथा जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना सम्भव होता है।‘‘

(2) पीटर एच0 मार्क ‘‘संविधानवाद का तात्पर्य सुव्यवस्थित और संगठित राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में रखना है।‘‘

(3) कार्ल जे0 फ्रैडरिक ‘‘शक्तियों का विभाजन सभ्य सरकार का आधार है, यही संविधानवाद है।‘‘

(4) कॉरी और अब्रॉहम ‘‘स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरुप शासन को संविधानवाद कहते हैं।‘‘

(5) जे0 एस0 राउसेक ''धारणा के रुप में संविधानवाद का अर्थ है कि यह अनिवार्य रुप से सीमित सरकार तथा शासित तथा शासन के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है।''

(6) के0सी0 व्हीयर ''संवैधानिक शासन का अर्थ किसी शासन के नियमों के अनुसार शासन चलाने से अधिक कुछ नहीं है। इसका अर्थ है कि निंरकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। केवल अधिकार का उपयोग करने वालों की इच्छा और क्षमता के अनुसार चलने वाला शासन नहीं बल्कि संविधान के नियमों के अनुसार चलने वाला शासन होता है।''

उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर स्पस्ट होता है कि संविधानवाद सीमित शासन का प्रतीक है।

1.8 संविधानवाद की अवधारणाएँ

वर्तमान में संविधानवाद की तीन प्रचलित अवधारणाएँ है-

1. पाश्चात्य अवधारणा, जो लोकतांत्रिक पूँजीवादी राज्यों में विशेष रुप से प्रचलित है।
2. साम्यवादी अवधारणा, यह प्रायः साम्यवादी विचारधारा पर आधारित राज्यों में प्रचलित है।
3. विकासशील लोकतांत्रिक अवधारणा, यह उन राज्यों में अस्तित्व ग्रहण कर रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए है और प्रायः 'तृतीय विश्व' के नाम से जाने जाते है।

1.8.1 संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा

संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा को उदारवादी लोकतांत्रिक अवधारणा भी कहा जाता है। यहॉ साध्य 'व्यक्ति स्वतंत्रता' व साधन 'सीमित सरकार ' को माना गया है। एक प्रकार से यह 'राज्य व व्यक्ति' के बीच समन्वयात्मक व सहजीवी दृष्टिकाण को स्वीकार करता है। यहॉ व्यक्तिगत स्वच्छन्दता व राज्य-निंरकुशता दोनों को अस्वीकार किया गया है। किन्तु समन्वयवादी दृष्टिकोण के बावजूद राज्य शक्ति को संस्थात्मक व प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों के आधार पर नियंत्रित करने पर अधिक बल दिया गया है। चूकि उदारवादी लोकतंत्र का साध्य व्यक्ति है और साधन राज्य शक्ति, अतः यहॉ इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि साध्य पर साधन हावी न होने पाये। पाश्चात्य् अवधारणा इस साध्य की प्राप्ति हेतु निम्नांकित साधनों का प्रयोग करती है।

1. सीमित व उत्तरदायी सरकार- संविधानवाद का लक्ष्य चूकि व्यक्ति स्वतंत्रता की राज्य की निरकुंशता से रक्षा करना है। अतः संविधानवाद विविध माध्यमों से सरकार पर अंकुश आरोपित करता है। सरकार को सीमित क्षेत्र में ही अपने क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने की इजाजत दी जाती है। साथ ही सरकार को उत्तरदायी बनाने पर जोर दिया जाता है। इन दो साधनों के द्वारा संविधानवाद के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

2. विधि का शासन - सीमित सरकार के लक्ष्य प्राप्ति के लिए 'विधि का शासन' होना नितांत आवश्यक है। विधि के शासन से तात्पर्य है कि राज्य में व्यक्ति का शासन नही अपितु नियम कानून के द्वारा शासन होना चाहिए। विधि के शासन का विचार यद्यपि काफी प्राचीन है, प्लेटो के ग्रंथ 'लॉज' व अरस्तु के 'पॉलिटिक्स ' में इसका प्रारम्भिक स्वरुप मिलता है, लेकिन आधुनिक युग में विधिवत रुप में इसकी स्थापना का श्रेय ब्रिटिश राजनीतिक विद्वान डायसी को जाता है। विधि के शासन में प्रायः दो बातों का समावेश किया जाता है- 1) विधि के समक्ष समानता 2) विधि का समान संरक्षण। पहली स्थिति का तात्पर्य है कि विधि की दृष्टि में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति समान माना जायेगा, चाहे उसकी पद प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों न हो। विधि का उल्लेख करने पर समान दण्ड की व्यवस्था होगी। डायसी ने बड़े गर्व से इस बात को रखा था कि ब्रिटेन में विधि का शासन है वहॉ प्रधानमंत्री से लेकर कृषक तक सभी विधि के समक्ष समान है। संविधानवाद व्यक्ति के कल्याण की बात करता है और समानता के बिना यह सम्भव नही है अतः विधि के समक्ष समानता संविधानवाद का अनिवार्य लक्षण बन जाता है। जहॉ तक दूसरी स्थिति, 'विधि का समान संरक्षण' का सम्बन्ध है, यहॉ यह व्यवस्था है कि 'समानो के मध्य समानता'। अर्थात यदि किसी विशेष परिस्थिति में 'तर्कपूर्ण विभेद' किया जाता है तो वह स्वीकार्य होगा। किन्तु उल्लेखनीय है कि विभेद मनमाना या गैरतार्किक नहीं होना चाहिए।

3. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था- संविधानवाद की पाश्चात्य् धारणा मौलिक अधिकारों की मांग करती है। प्रत्येक उदारवादी लोकंतात्रिक देश के संविधान में इनकी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। इसके तहत् कई प्रकार के अधिकारों को लिया जाता है- स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, अन्तःकरण, धर्म स्वीकारने की स्वतंत्रता, राजनीति में सहभागिता की स्वतंत्रता, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, आदि को प्रमुख रुप से लिया जाता है। इसी प्रकार समानता के अधिकार को स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम सन् 1791 ई0 में प्रथम दस संशोधनों के द्वारा अमेरिकी संविधान में जगह

दी गयी। उसके बाद जितने भी उदारवादी देशों में संविधान बने, लगभग सभी में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है।

4. स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका- न्याय की उचित व्यवस्था न होने पर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संविधानवाद मौलिक अधिकारों के साथ स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की माँग करता है। सरकार की निंरकुशता पर अंकुश लगाने व नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायपालिका के महत्व को समझाते हुए पीटर एच0 मार्क ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका आधुनिक संवैधानिक सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। न्यायपालिका की निष्पक्षता व स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए विभिन्न देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यावधि, वेतन आदि के सम्बन्ध में ऐसे विशेष प्रावधान किये हैं। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया जाता है। वस्तुतः जैसा कि कार्टर और हर्ज ने भी उल्लेख किया है, ''मूल अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधानवाद की अनिवार्य विशेषता है।''

5. शक्ति पृथ्थककरण और शक्ति विभाजन- संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा का शक्ति पृथ्थककरण व शक्ति विभाजन में अटूट विश्वास है। शक्ति पृथ्थककरण से तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंगों -व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक-पृथक हाथों में दिया जाना चाहिए। चूँकि यदि ये तीनों शक्तियाँ किसी एक के हाथ में पड़ जायेंगी तो सत्ताधारी की मनमानी होगी और उसकी स्वार्थपरता को बढावा मिलेगा और निश्चित रुप से ऐसे में व्यक्ति स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। अतः शक्तियों के एक हाथ में जाने से रोकना संविधानवाद की मुख्य माँग है। दूसरी बात, संविधानवाद शक्तियों के विभाजन की माँग भी करता है। अर्थात, शक्तियों को केन्द्र व राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर वितरण किया जाता ताकि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शक्तियों का व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण में प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार शक्तियों का पृथ्थककरण, विभाजन व विकेन्द्रीकरण पाश्चात्य संविधानवाद की परम्परा का मुख्य अंग है।

6.नियत-कालिक व नियमित निर्वाचन व्यवस्था- राजनीतिक उत्तरदायित्व पाश्चात्य संविधानवाद का अनिवार्य तत्व है और उत्तरदायित्व निर्धारण का तरीका नियत कालिक व नियमित निर्वाचन व्यवस्था में ढूढा गया है। पाश्चात्य संविधानवाद 'लोकतंत्र' के आदर्श मे विश्वास करता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक इच्छा को

अभिव्यक्त करता है चूँकि वर्तमान में राज्यों का आकार बड़ा होने के कारण प्रधिनिधियात्मक लोकतंत्र को ही राज्यों ने अपनाया है। अतः प्रतिनिधि जिन वायदों के साथ संसद में प्रवेश करते हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें। इसके लिए केवल एकमात्र तरीका यही बचता है कि निश्चित समयावधि के बाद चुनाव हो। चुनाव नागरिकों के हाथ में वह हथियार है जिससे भय खाकर प्रत्येक सरकार नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के प्रति सजग और सचेत बनी रहती है। इस हथियार को प्रभावी तभी रखा जा सकता है जबकि चुनाव नियमित रुप से निश्चित अन्तराल के बाद होते रहें।

7.राजनीतिक दलों की उपस्थिति- संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा का विश्वास लोकतांत्रिक शासन पद्यति में है और लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल शरीर में रक्त के समान कार्य करते हैं। दो या दो से अधिक दल होना स्वयं में लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक होते है यदि अन्य परिस्थितियॉ सामान्य हों। एकदलीय व्यवस्था में लोकतंत्र का औचित्य नहीं रह जाता है। वहॉ लोकतंत्र की आड़ में अधिनायकतंत्र का फैलता है। कई साम्यवादी देशों में ऐसा देखने में मिलता है। राजनीतिक दल सरकार को दिन-प्रतिदिन नियंत्रित रखकर सरकार की अहितकारी नीतिओं का विरोध करते है। प्रतिपक्ष सदैव सत्तापक्ष पर नियत्रंण बनाये रखता है, जो कि संविधानवाद की अनिवार्य मॉग है।

8. प्रेस की स्वतंत्रता- लोकतंत्र में प्रेस को शासन का चौथा स्तम्भ माना जाता है। प्रेस जनता को अपने विचार अभिव्यक्त करने का शक्तिशाली माध्यम प्रदान करती है। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद, प्रेस को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का पक्षधर है। प्रेस की स्वतंत्रता से मात्र इतना तात्पर्य नहीं है कि किसी विषय पर हम अपने विचार सार्वजनिक कर पायें बल्कि प्रेस की वास्तविक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि 'सूचना प्राप्त करने' की स्वतंत्रता व सूचना तक पहुॅचने की स्वतंत्रता। इसे आज कई देशों ने 'सूचना का अधिकार' के रुप में स्वीकार कर लिया है। सूचना के अधिकार से व्यक्ति सरकार की नीतियों पर प्रत्यक्ष नजर रख सकता है और सरकार को उत्तरदायी बनने पर मजबूर कर सकता है।

9.सत्ता परिवर्तन हेतु संवैधानिक उपायों को स्वीकृति- संविधानवाद सत्ता परिवर्तन हेतु संवैधानिक उपायों को स्वीकृति प्रदान करता है। जनता के समक्ष विविध राजनीतिक दल होते हैं, उसे यह स्वतंत्रता है कि वह उस दल के पक्ष में मतदान करे जो उसके आदर्श कल्याण में सहायक हो,

जिसकी नीतियों व कार्यविधियों से वह सहमत हो। संविधानवाद ने चुनावों को सत्ता परिवर्तन का संवैधानिक माध्यम घोषित किया है अतः सैनिक विद्रोह या अधिनायकी तांडव से सत्ता पर कब्जा करने के लिए यहॉ कोई स्थान नहीं है। कार्ल जे0 फ्रेडरिक लिखते है ‘‘व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है।‘‘ सत्ता में शांतिपूर्वक परिवर्तन तभी सम्भव है जबकि नियतकालिक निर्वाचन होगा, एक से अधिक राजनीतिक दलों की उपस्थिति होगी और लोकमत निर्माण व प्रेस की स्वंतत्रता होगी। बदलते परिदृश्य में मूल्यों में भी परिवर्तन होता है अतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था स्वतः इन मूल्य परिवर्तनों को आत्मसात कर अनुकूल करने में सक्षम हो।

10.आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय पर बल- पाश्चात्य संविधानवाद आर्थिक व सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में अवसर की समानता पर बल देता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्रथम लक्ष्य है तथापि संविधानवाद ऐसी स्वंतत्रता को स्वीकार नहीं करता जो केवल एक व्यक्ति को प्राप्त हो। यहॉ लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति है और जब प्रत्येक व्यक्ति की बात होती है तो वहॉ समानता व न्याय का स्वतः समावेश हो जाता है।

1.8.2 संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा

संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा को मार्क्सवादी अवधारणा भी कहा जाता है। मार्क्सवाद जिस पर पूरा साम्यवादी भवन खड़ा है उसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं है। मार्क्सवाद इस बात को लेकर चलता है कि सम्पूर्ण व्यवस्था के मूल में आर्थिक घटक कार्य करता है। आर्थिक घटक से तात्पर्य उत्पादन प्रणाली से है जिसमें दो बातें हैं एक उत्पादन के साधन, दूसरे, उत्पादन सम्बन्ध। जिस वर्ग के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वही शासन करता है। सामाजिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाएँ उसी के अनुरुप चलती हैं। राज्य को शासक वर्ग ने शासित वर्ग के शोषण के यंत्र के रुप में इजाद किया है। अतः राज्य कृत्रिम संगठन है, शोषण का यंत्र है। प्रत्येक समाज दो वर्गो में बॅटा होता है सर्वहारा वर्ग व वुर्जआ वर्ग और इन वर्गों के मध्य संघर्ष होता है कभी धीमा तो कभी तेज। तेज संघर्ष क्रांति का प्रतीक होता है। संक्षेप में यह मार्क्सवाद का सार है। यहॉ ध्यान देने योग्य बातें हैं- मार्क्सवाद ने राज्य को शोषण का यंत्र बताया है, समाज वर्गों में बॅटा है, तथा आर्थिक शक्ति व्यवस्था की धुरी है। इसमें जिस वर्ग के पास साधन नहीं हैं उसका शोषण होता है। अब ऐसी समाज व्यवस्था

में ‘व्यक्ति की स्वतंत्रता‘ को कैसे बचाया जाये? उसे आर्थिक व सामाजिक न्याय कैसे दिलाया जाये? यह साम्यवादी संविधानवाद इस ध्येय की पूर्ति के लिए निम्नांकित बातों पर बल देता है-

1. वर्ग-विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना- जब तक वर्गों का अस्तित्व रहेगा तब तक राज्य भी रहेगा क्योंकि राज्य, शासक वर्ग के हाथ में शासितों के शोषण का यंत्र है। समाज चाहे कोई भी रहें जहॉ-जहॉ वर्ग रहे, वहॉ राज्य भी रहा। क्योंकि राज्य की प्रकृति शोषण की है। अतः आम जनता की स्वतंत्रता को यदि बचाना है तो समाज में वर्गों का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, राज्य स्वतः विलुप्त हो जायेगा। वर्ग-विहीन राज्य विहीन समाज में व्यक्ति शोषण से मुक्त स्वंतत्र जीवन जीयेगा।

2. उत्पादन के साधनों पर समाज पर नियंत्रण- समाज में वर्गों की उत्पत्ति का कारण उत्पादन के साधनों पर किसी वर्ग विशेष का आधिपत्य होना है और वही अन्ततः शोषण का कारण बनता है। अतः संविधानवाद की साम्यवादी धारणा उत्पादन के साधनों को पूरे समाज के नियत्रंण में कर देना चाहती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति कार्य भी करेगा और प्रतिफल भी पायेगा। समाज का सारी सम्पत्ति पर आधिपत्य होगा। मार्क्स कहता है वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज का यह नारा होगा कि ‘‘प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाये और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पारितोषित दिया जाये।‘‘

3. सम्पत्ति के वितरण में समानता- संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा आर्थिक तत्व पर अधिक बल देती है। अतः उसका मत है कि साम्यवादी नारे के अनुरुप व्यवस्था कायम कर दी जाये तो इसमें सम्पत्ति के वितरण में समानता स्वतः आ जायेगी। सम्पत्ति के वितरण में समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मात्रा में सम्पत्ति दे दी जाये, बल्कि इसका अर्थ है कि योग्यता व आवश्यकता के अनुरुप सम्पत्ति का वितरण होगा। जैसा कि लास्की ने भी स्पष्ट किया कि साम्यवादी व्यवस्था यह नही कहती कि एक मजदूर व एक वैज्ञानिक को समान वेतन दिया जाये।

4.व्यक्ति को ‘अलगाव‘ से बचाने की व्यवस्था- कार्ल मार्क्स ने ‘इकॉनामिक एंड फिलॉसॉफिकल मैनुस्क्रिप्टस ऑफ 1844‘ में लिखा कि ‘‘साम्यवाद का अर्थ निजी सम्पत्ति और मानवीय परायेपन का नितांत उन्मूलन और मानवीय प्रकृति का मानव के लिए यथार्थ विनियोजन है। यह स्वयं खोए हुए मनुष्य की वापसी है, अतः साम्यवाद पूर्ण विकसित प्रकृतिवाद के रुप में मानववाद और पूर्ण विकसित मानववाद के रुप में प्रकृतिवाद है।‘‘ मनुष्य को यंत्र न मानकर उसे मानव माना जाना

चाहिए। इसमें मानवीय पराधीनता के प्रत्येक रुप को समाप्त किया जाना लक्ष्य है। अतः प्रत्येक सभ्य समाज को तभी संविधानवादी माना जायेगा जबकि वहॉ उपरोक्त व्यवस्थाएँ विद्यमान हों।

1.8.3 संविधानवाद की विकासशील लोकतांत्रिक अवधारणा

वस्तुतः संविधानवाद की दो ही मौलिक अवधारणाएँ हैं- एक पाश्चात्य व दूसरी साम्यवादी। जिन विद्वानों ने तीसरी अवधारणा को प्रस्तुत किया है वास्तव में वे संविधानवाद को न समझकर विकासशील राज्यों की सम्स्याओं पर अपना ध्यान केंन्द्रित किए हुए है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 'एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका' के नवोदित राज्यों को इस श्रेणी में रखा गया है, इसे प्रायः तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों की अपनी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समस्याएँ हैं। इन राज्यों में से कुछ ने पाश्चात्य् लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया और उसी के अनुरुप संविधानवाद के मौलिक तत्वों को अंगीकार करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर कुछ राज्यों ने साम्यवाद अपना लिया व साम्यवादी अवधारणा के अनुरुप संविधानवाद को अपना लिया। कुछ ऐसे देश भी है जो मिश्रित प्रकार का ढॉचा तैयार किये हुए हैं। अतः यह कहना उचित प्रतीत होता है कि संविधानवाद की तीसरी अवधारणा नहीं है। तीसरी दुनियॉ के देश अपने मूल्यों के अनुरुप उपरोक्त दो मौलिक अवधारणाओं में से एक के प्रति अथवा दोनांे के मिश्रित रुप के प्रति अग्रसर है।

1.9 संविधानवाद के प्रमुख तत्व

1. **संविधानवाद व्यक्ति स्वतंत्रता की गांरटी देता है**- संविधान के अस्तित्व में आने के कारण ही व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यहॉ व्यक्ति की स्वतंत्रता को दोहरे खतरे से बचाया जाता है। व्यक्तियों व समाज की ओर से होने वाले खतरे से तथा राज्य की ओर से होने वाले खतरे से बचाया जाता है। यही कारण है कि संविधानवाद की दोनों अवधारणाओं (पाश्चात्य व मार्क्सवादी) मे यद्यपि कई मूलभूत अन्तर है तथापि दोनों व्यक्ति की स्वंतत्रता को उद्देश्य मानते है। पाश्चात्य अवधारणा व्यक्ति को राज्य की निंरकुशता के साथ ही साथ व्यक्ति व समाज वर्गों द्वारा किये जाने वाले शोषण से भी मुक्ति दिलाना चाहते है। यही कारण है कि मार्क्स के दर्शन को 'स्वतंत्रता का दर्शन' कहा जाता है।

2.राजनीतिक सत्ता पर अंकुश की स्थापना- संविधानवाद सीमित सरकार की धारणा में विश्वास करता है। उसकी मान्यता है कि राजनीतिक सत्ता का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति स्वतंत्रता को क्षति नहीं पहुंचने पाये। 1215 ई0 का मेग्नाकार्टा व 1688 ई0 की रक्तविहीन क्रांति इसी दिशा में प्रयत्न थे। जॉन लॉक सीमित सरकार को 'ट्रस्टी' के रुप में स्वीकार किया जिसके पास केवल तीन अधिकार (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, तथा न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार) थे। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार सरकार पर अंकुश स्थापित करते थे। संविधानवाद वस्तुतः सीमित सरकार की अवधारणा का ही पर्यायवाची माना जा सकता है लेकिन एक शर्त के साथ जब सीमित सरकार का उद्देश्य जनकल्याण हो।

3.शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध व संतुलन- संविधानवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व शक्ति पृथक्करण है। इसके पीछे मूलतः मान्टेस्क्यू का दिमागा काम करता है। जिसकी मान्यता थी कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी हो तो सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग-अलग हाथों में होने चाहिए और प्रत्येक को अपनी सीमा में काम करना चाहिए । मान्टेस्क्यू का यह विचार 'इंग्लैड के शासन का अनुभवात्मक अध्ययन' पर आधारित था। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि शक्ति विभाजन से सरकार के कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित हो जाता है और इसी स्थिति में संविधानवाद सम्भव है। किन्तु मात्र शक्ति पृथक्करण कर देने से संविधानवाद स्थापित होना सम्भव नही है चूँकि ऐसी स्थिति में शासन में गतिरोध उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना रहती है और इससे जनकल्याण की नीतियॉ प्रभावित होती है। अतः इस कमी को सुधारने के लिए अवरोध व सन्तुलन के सिद्धान्त को शक्ति पृथक्करण के पूरक के रुप में स्वीकार किया गया है। अमेरिकी संविधान में इन व्यवस्थाओं को बड़ी स्पष्टता के साथ अपनाया गया है।

4.संवैधानिक साधनों के प्रयोग से परिवर्तन- संविधानवाद परिवर्तन व विकास में विश्वास करता है। लेकिन ये प्रक्रियाए संवैधानिक माध्यमों से होनी चाहिए। यदि सत्ता परिवर्तन हो तो वह प्रजातात्रिक माध्यम अर्थात चुनाव के माध्यम से होना चाहिए। किसी प्रकार के सैनिक अपदस्थ या अधिमानकवादिता या साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लिए संविधानवाद में कोई स्थान नहीं है। कुछ विचारकों ने संविधानवाद को दिवालिया घोषित करते हुए हिंसात्मक साधनों द्वारा परिवर्तन को स्वीकृति दी है। किन्तु ऐसी स्थिति संविधानवाद की सीमा से बाहर है।

5. संविधान सम्मत शासन में विश्वास- कुछ विचारकों ने संविधान व संविधानवाद में व्याप्त विभेद को अनदेखा करते हुए संविधान के अनुरुप चलने वाली शासन व्यवस्था को ही संविधानवाद मान लिया है। जैसे कोरी और अब्राहम ने लिखा, ''स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरुप शासन को संविधानवाद माना जाता है।'' ऐसा ही मत के0 सी0 व्हीयर का भी है उनका मानना है कि संवैधानिक शासन का अर्थ किसी शासन के नियम के अनुसार शासन चलाने से अधिक कुछ नहीं है। उसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन केवल अधिकार उपयोग करने वालों की इच्छा के अनुसार चलने वाला शासन नहीं, बल्कि संविधान के नियमों के अनुसार चलने वाला शासन होता है।

6.संविधानवाद का उत्तरदायी सरकार में विश्वास- संविधानवाद का विश्वास उत्तरदायी सरकार में होता है। क्योंकि उत्तरदायी सरकार में व्यक्ति को शोषण से मुक्ति मिलती है, उसके अधिकार प्राप्त करवाये जाते हैं, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा सम्भव होती है। विधायक व सांसद जनता के प्रति जवाबदेय होते हैं।

1.10 संविधानवाद की विशेषताएँ

1. मूल्य सम्बद्ध अवधारणा- संविधानवाद एक मूल्य सम्बद्ध अवधारणा है। इसका सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन दर्शन से होता है। इसमें उन सभी अथवा अधिकांश तत्वों का समावेश होता है जो राष्ट्र के जीवन दर्शन में पहले से ही उपस्थित है। जैसे एक उदारवादी समाज में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, जनकल्याण आदि मूल्य प्रायः समाहित होते हैं। भारतीय समाज विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील व गुटनिरपेक्षता जैसे मूल्यों से संबद्ध है। यह संविधानवाद का व्यापक स्वरुप है चूँकि यहॉ राष्ट्र की स्वतंत्रता व सम्प्रभुता को बचाने का प्रयास किया गया है। इसे संविधानवाद का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर संविधानवाद उन मूल्यों की रक्षा करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते है।

2. संस्कृतिबद्ध अवधारणा- संविधानवाद का विकास एवं समाज के मूल्यों का निर्माण देश में स्थापित संस्कृति से सम्बद्ध होता है। प्रायः हर देश में राजनीतिक संस्कृति मूल्यों को जन्म देती है। परन्तु व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार मूल्य एंव विचारधाराएँ संस्कृति में उचित परिवर्तन लाने के लिए साधन के रुप में भी प्रयोग किये जाते हैं।

3.गतिशील अवधारणा- परिवर्तन प्रकृति का नियम है, संविधानवाद इसे स्वीकार करता है। यही कारण है कि संविधानवाद की अवधारणा जड़ न होकर गतिशील है। इसमें समयानुकूल परिवर्तन व विकास की क्षमता होती है। समाज में मूल्य सदैव एक से रहे यह सम्भव नहीं है। ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता है समाज के मूल्यों में विकासात्मक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन संस्कृति के विकास व संवर्द्धन में सहायक होता है। चूँकि संविधानवाद संस्कृतिबद्ध अवधारणा है अतः यह गत्यात्मकता को सहज स्वीकार करती है। संविधानवाद वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक भी होता है।

4.साध्य मूलक अवधारणा- यद्यपि संविधानवाद में साधनों व साध्यों को प्रायः समान दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी साध्य -प्रधानता इसका मूल लक्षण है। चूँकि इस अवधारणा का जन्म ही, एक साध्य की प्राप्ति के लिए हुआ है और वह साध्य है- 'व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य निंरकुशता से बचाना'। इसी अभीष्ट की प्राप्ति के लिए संविधानवाद में कई साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे- विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, 'समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व' को साकार करना आदि। ये सभी साधन संविधानवाद की पाश्चात्य् अवधारणा के उपकरण हैं जबकि मार्क्सवादी अवधारणा में व्यक्ति की स्वंतत्रता व समानता तथा शोषण मुक्ति के लिए 'राज्य को अस्वीकार' किया गया है तथा पूँजीवादी व्यवस्था की समाप्ति व समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है। इस प्रकार संविधानवाद की दोनों अवधारणाओं- पाश्चात्य व मार्क्सवादी, में साध्य 'व्यक्ति स्वतंत्रता' को माना गया है और उसी साध्य की प्राप्ति के लिए भिन्न-भिन्न साधन इजाद किये गये हैं।

5.सहभागी अवधारणा- संविधानवाद को सम्भागी अवधारणा करार देने के पीछे मूल कारण कुछ मूल्यों को प्राप्त सार्वभौमिक स्वीकृति है। आज प्रायः सभी लोकतांत्रिक देश स्वतंत्रता ,समानता, न्याय, भ्रातृत्व, विधि के शासन, जन सहभागिता, आदि मूल्यों में अपनी आस्था प्रकट करते हैं, इसी प्रकार साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों की लगभग एक जैसी आस्थाएँ जैसे- समानता, शोषण का अंत आदि है। अतः वर्तमान में एक श्रेणी पाश्चात्य् संविधानवादी अवधारणा के रुप में जानी जाती है। दूसरी साम्यवादी धारणा के रुप में। सम्भागी कहने का तात्पर्य है संविधानवाद के मूल्यों के प्रति दो या अधिक राज्यों के विचारों में समानता पाया जाना। वस्तुतः संविधानवाद के उपरोक्त दो मॉडलों के अपनाने वाले राज्यों में अपने -अपने मॉडलों के प्रति कई समानताएँ पायी जाती हैं। अतः

पाश्चात्य् मॉडल अपनाने वालों में मूल्यों के सम्बन्ध में प्र्रकार का भेद न होकर मात्रा का भेद है। यही स्थिति मार्क्सवादी या साम्यवादी राज्यों के सम्बन्ध में भी लागू होती है।

6.संविधान-सम्मत अवधारणा- चूँकि प्रत्येक देश के संविधान में जहॉ एक ओर शासन व्यवस्था के स्वरुप, कार्यप्रणाली, शासन-अंगों के मध्य अन्तः सम्बन्धों, अन्तः क्रियाओं, जनता शासन के रिश्तों आदि का वर्णन होता हैं उस देश की संस्कृति के अनुरुप मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों का भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वर्णन होता है। अतः संविधानवाद का संविधान में स्वतः समावेश होता है। यह स्थिति तो सैद्धान्तिक है। अब यदि संविधान में वर्णित आदर्शों के अनुरुप व्यवहार में उसका पालन भी हो रहा है तो कहा जा सकता है संविधान सम्मत कार्य ही वही संविधानवाद है और यदि ऐसा नही हो रहा है तो दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं। दूसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह कि क्या संविधान मानव स्वतंत्रता का पोषक है या केवल राज्य का अस्तित्व कायम रखने के लिए बनाया गया है? यदि यह मानव स्वतंत्रता व कल्याण की गांरटी देता है तब तो संविधानवाद संविधान सम्मतता को स्वीकार करेगा अन्यथा नहीं। अतः संविधानवाद केवल वहीं संविधान सम्मत अवधारणा कहलायेगी जहॉ संविधान का उद्देश्य व्यक्ति स्वतंत्रता व कल्याण की सिद्धि करना हो।

‘‘संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है, जिनमें सरकार की कार्य-विधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है।‘‘

अभ्यास प्रश्न- 2

1. संविधानवाद की यह परिभाषा किसने दी कि ‘‘संविधानवाद का आशय सुव्यवस्थित और संगठित राजनीतिक शक्ति को नियंत्रण में रखता है‘‘।

क. पिनॉक एवं स्मिथ ख. फ्रैडरिक ग. पीटर एच0 मार्क घ.केसी व्हीयर

2. ‘‘शक्तियों का विभाजन सभ्य सरकार का आधार है, यही संविधानवाद है।‘‘ संविधानवाद की यह परिभाषा किसने दी?

क. कार्ल जे फ्रेडरिक ख. जेएस राऊसेक ग. कॉरी एंव अब्राहम घ. पिनाक एवं स्मिथ

3. कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार ‘‘व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। सत्य/असत्य

4. मार्क्स के दर्शन को स्वतंत्रता का दर्शन कहा है। सत्य/असत्य

1.11 सारांश

विश्व के किसी भी देश में चाहे शासन का जो भी स्वरुप उस देश का एक संविधान अवश्य होता है। शासन के लोकतंत्रात्मक स्वरुप शासन संविधान के अनुरुप व उसके नियंत्रण में चलता है। किन्तु शासन के अन्य रुपों में चाहे वह सैनिक शासन हो या तानाशाही शासन, इन व्यवस्थाओं में शासन, संविधान को दर किनार करते हुए एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समुह के निर्देशन में चलता है। संविधान लिखित रूप में भी हो सकता है और अलिखित रुप में भी। आवश्यक यह है कि कुछ एसे नियम-कानून हों जिनके अनुरुप राज्य की शासन-प्रणाली चल सके। जिस पर विद्वानों ने इसकी अलग-अलग परिभाषा दी है। संविधान के विभिन्न स्वरुपों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। संवैधानिक सरकार से आशय एसी सरकार से है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरुप गठित, नियंत्रित व संचालित होती है। परन्तु एसा भी नहीं है कि जिस राज्य में संविधान हो वहां संवैधानिक सरकार भी हो। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक सरकार तो हो सकती है। किन्तु शासन के अन्य रुपों में इसकी कोई गारंटी नहीं कि वहां संविधान के साथ-साथ संवैधानिक सरकार हो, क्यों कि संवैधानिक सरकारें विधि के अनुरुप व लोक कल्याण पर आधारित होती हैं।

संविधानवाद एक आधुनिक विचारधारा है, जो नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना पर जोर देती है। कहा जा सकता है कि संविधानवाद सीमित शासन का प्रतीक है। एक आधुनिक विचारधारा होने के कारण संविधानवाद की तीन प्रचलित अवधारणाएं हैं। पहला- पाश्चात्य् अवधारणा, दुसरी- साम्यवादी अवधारणा व तीसरी- विकासशील लोकतांत्रिक अवधारणा। संविधानवाद के तत्व व विशेषताएं संविधानवाद की प्रकृति व महत्व को स्पष्ट करती है।

1.12 शब्दावली

1. संक्षिप्त- छोटा/आकार में कम

2. अवधारणा- विचार/विचारधारा

3. अंगीकार- ग्रहण करना/ अपनाना

4. गत्यात्मकता- परिवर्तनशीलता/परिवर्तन/बदलाव

1.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न- 1

1. क. जैलीनेक 2. ग. ब्राइस 3. घ. अमेरीकी संविधान 4. सत्य 5. सत्य 6. निर्मित 7. भारत

अभ्यास प्रश्न- 2

1. पीटर एच मार्क 2. कार्ल जे0 फ्रैडरिक 3. सत्य4. सत्य

1.14 संदर्भ ग्रन्थ सूची

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति- पीटर एच0 मार्कल

राजनीति विज्ञान एक परिचय- पिनांक एवं स्मिथ

संवैधानिक सरकारें और लोकतंत्र- कार्ल जे0 फ्रैडरिक

तुलनात्मक राजनीति एंव राजनीतिक संस्थाएं- सी0बी0 गैना

1.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तुलनात्मक राजनीति एंव राजनीतिक संस्थाएं- सी0बी0 गैना

2. आधुनिक सरकारें- सिद्धान्त एंव व्यवहार- डॉ0 पुष्पेश पाण्डे, डॉ0 विजय प्रकाश पंत एंव घनश्याम जोशी

1.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. संविधानवाद का अर्थ एंवम परिभाषा बतलाते हुए संविधानों के वर्गीकरण को स्पष्ट करें।

2. संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए संविधान के विकास की व्याख्या करें।

3. संवैधानिक सरकार व संविधानवाद की व्याख्या करें।

4. संविधानवाद की अवधारणाएं बतलाइये।

5. संविधानवाद की परिभाषा देते हुए संविधानवाद के तत्वों को स्पष्ट करें।

6. संविधानवाद की परिभाषा दीजिए, एंवम संविधानवाद की विशेषताएं बताइये।

इकाई- 2 संसदात्मक एवमं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

इकाई की संरचना

2.0 प्रस्तावना

2.1 उद्देश्य

2.2 संसदात्मक शासन प्रणाली- अर्थ एवं परिभाषा

2.2.1 संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं

2.2.2 संसदीय शासन प्रणाली के गुण

2.2.3 संसदीय शासन प्रणालीके दोष

2.3 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली- अर्थ एवं परिभाषा

2.3.1 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं

2.3.2 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण

2.3.3 अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीके दोष

2.4 संसदात्मक व अध्यक्षात्मक सरकारों में अंतर

2.5 सारांश

2.6 शब्दावली

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.0 प्रस्तावना

सभी मानवीय समुदायों ने सामाजिक संबंधो के संयोजन, संघर्षों की रोकथाम और समाधान तथा समाज के समान उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए, कोई न कोई नियंत्रण व्यवस्था अपना रखी है। सत्ता और नियंत्रण की इस व्यवस्था को सरकार (शासन) कहा जाता है। मूलतः सरकार (शासन) के तीन कार्य होते हैं। पहला- कानून बनाना, दुसरा- कानून लागू करना और तीसरा-विवादों को सुलझाना। इन कार्यो को पूरा करने वाले सरकार के तीन अंग होते है- विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। विधानमण्डल व कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण करते हुए दो प्रकार की सरकारें होती हैं- 1- संसदीय सरकार और 2- अध्यक्षीय सरकार।

जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका, विधानमण्डल के नियंत्रण में कार्य करती है एवं पूर्णरूप से उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है तो ऐसी सरकार (शासन व्यवस्था) को संसदीय सरकार या मंत्रीमण्डलीय शासन या उत्तरदायी शासन कहते हैं। इसके विपरीत यदि विधानमण्डल और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, दोनों समकक्ष दर्जे के होते हैं, दूसरे शब्दों में ये दोनों शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के आधार पर काम करते है, तो ऐसी सरकार को अध्यक्षात्मक सरकार कहते है।

बेजहॉट ने संसदीय व अध्यक्षीय सरकारों का अन्तर इस प्रकार स्पष्ट किया है- ‘‘व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों की एक दूसरे से स्वतंत्रता, अध्यक्षीय शासन का विशेष लक्षण है और इन दोनों का एक दूसरे से संयोग तथा घनिष्ठता संसदीय शासन का लक्षण है।‘‘

ब्रिटेन संसदीय शासन का सर्वोत्तम व आदर्श उदाहरण है, वह इस शासन व्यवस्था की जननी भी है। भारत में भी ब्रिटिश संसदीय पद्धति क® ग्रहण किया गया है। अमरीका अध्यक्षीय शासन का सर्वोत्तम व आदर्श उदाहरण है और इसका जनक भी है।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पठने के उपरान्त आप-

1. संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अर्थ एवं परिभाषा को जान पायेंगे।

2. संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के विशेषताओं के विषय में जान पायेंगे।

3. संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण एवं दोषों के विषय में विस्तार से जान पायेंगे।

4. संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर को समझ पायेंगे।

2.2 संसदात्मक शासन प्रणाली- अर्थ एवं परिभाषा

संसदात्मक/संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तियॉ मंत्रीपरिषद् के हाथों मे रहती है और यह कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद् या मंत्रीमण्डल), व्यवस्थापिका या उसके निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्याध्यक्ष नाममात्र का शासक या प्रधान होता है।

प्रो0 गार्नर ने संसदात्मक या मंत्रीमंडलीय सरकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ‘‘संसदीय सरकार वह प्रणाली है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद्) अपने विधायी और प्रशासनिक कार्यो के लिए प्रत्यक्ष और कानूनी तौर पर, विधानमण्डल अथवा उसके एक सदन (प्रायः लोकप्रिय सदन) के प्रति और राजनीतिक तौर पर निर्वाचक गणों के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि नाममात्र की कार्यपालिका (राज्य का प्रधान) अनुत्तरदायी स्थिति में होता है।‘‘

गैटिल का, संसदात्मक शासन से अभिप्राय, शासन के उस प्रकार से है जिसमें कि प्रधानमंत्री और मंत्रीमण्डल से मिलकर बनने वाली वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यो के लिए व्यवस्थापिका के प्रति वैधानिक रूप से उत्तरदायी होती है।

यहॉ पर मंत्रीमण्डल और मंत्रीपरिषद शब्दों का प्रयोग हुआ है। दरअसल कार्यपालिका जो वास्तविक शासक या प्रधान और उसके मंत्रियों से मिलकर बनती है में दो स्तर के मंत्री होते हैं। पहला- केन्द्रीय मंत्री और दुसरा- राज्य मंत्री। राज्य स्तर के मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं- स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्यमंत्री। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री उन मंत्रियों को कहा जाता है, जिस विभाग में केन्द्र स्तर का मंत्री न

हो और वह अपने विभाग के निणर्य स्वयं ले सकते है। जबकि राज्यमंत्री केन्द्रीय मंत्री के सलाह से ही कार्य करते है और निर्णय लेते है। मंत्रीमण्डल में वास्तविक शासक या प्रधान और केन्द्रीय मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रीपरिषद में वास्तविक शासक या प्रधान और केन्द्र व राज्य स्तरीय सभी मंत्री होते हैं।

2.2.1 संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं

संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

1. वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका का भेद- संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं- पहला नाममात्र की कार्यपालिका, और दुसरा वास्तविक कार्यपालिका। राज्य का प्रधान, नाममात्र की कार्यपालिका और प्रधानमंत्री सहित मंत्रीपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में वर्तमान समय में रानी और भारत में राष्ट्रपति नाममात्र के प्रधान ही हैं। ये मंत्रीपरिषद् के निर्णयों के अनुसार ही अपने कार्य करते है। शासन के अच्छे या बुरे कार्यों का श्रेय मंत्रीपरिषद् को ही मिलता है।

2. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध- संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध होता है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका में से चयन होता है। मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य होते है, वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका वाद-विवाद, प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि द्वारा मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है और हटा भी सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका के सदस्य अर्थात् मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। व्यवस्थापिका का नेतृत्व करते हैं, अधिकांश कानून उन्हीं की इच्छानुसार बनते हैं। आवश्यकतानुसार मंत्रीपरिषद् निचले अर्थात् लोकप्रिय सदन को भंग भी करा सकती है।

3. राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति- राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति लोकसदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता की होती है, लेकिन जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल के नेता को, एक से अधिक दलों में गठित दल के नेता को अथवा सर्वाधिक संख्या का समर्थन

प्राप्त करने वाले नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। पिछले अनेक वर्षों से यह परम्परा सी बन गई है।

4. कार्यपालिका की अवधि की अनिश्चितता- जैसा कि स्पष्ट है, इस शासन में मंत्रीपरिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, मंत्रीपरिषद् उसी समय तक रह सकती है जब तक कि उसे निचले सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

5. सामूहिक उत्तरदायित्व- इसका अर्थ यह है कि किसी एक मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही उत्तरदायी नहीं, वरन् समस्त मंत्रीपरिषद उत्तरदायी होती है। कारण यह है कि मंत्रिपरिषद में निर्णय सामूहिक रूप से ही होते है। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण एक अच्छे शिक्षा मंत्री को बड़े व असफल रहे अन्य मंत्री के कारण त्यागपत्र देना पड़ सकता है। संक्षेप में मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, वे सब एक के लिए है, और एक सब के लिए।

6 राजनीतिक सजातीयता- इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री एक ही राजनीतिक विचार और सिद्धान्त के हों , इसके लिए आवश्यक है कि साधारणतः वे एक ही राजनीतिक दल के हों, यद्यपि असाधारण स्थिति में मिली-जुली मंत्रीपरिषद् भी बनती है। गंभीर संकट के समय अन्य दल के लोगों को लेकर राष्ट्रीय सरकार बनायी जा सकती है। जब संसद में कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो दो या दो से अधिक दल मिलकर मिली जुली सरकार का गठन कर सकते हैं। मंत्रीपरिषद् की सजातीयता, उसकी एकता व सामूहिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से आवश्यक है।

7. मंत्रीमण्डल की एकता- मंत्रीमण्डल एक इकाई है, इसलिए मंत्रीमण्डल में जो निर्णय बहुमत से हो जाते है, उन्हें प्रत्येक मंत्री को स्वीकार करना पड़ता है या उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रीमण्डल में रहते हुए कोई मंत्री किसी मतभेद को संसद में या सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता है। सभी मंत्री एक ही स्वर में बोलते हैं।

8. प्रधानमंत्री का नेतृत्व- संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री का विशिष्ट स्थान होता है। वह मंत्रीपरिषद् का नेता होता है, उसका कप्तान होता है, मंत्रीमण्डल का आधार स्तम्भ होता है, लोकसदन का नेता होता है, राष्ट्रीय प्रशासन का संचालक होता है। मंत्रियों की नियुक्ति व निष्कासन करता है, विभागों में परिवर्तन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद् का न केवल निर्माण करता है, वरन् वह उसके जीवन तथा

मृत्यु का केन्द्र-बिन्दु भी है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट होने पर उससे त्यागपत्र मॉग सकता है। लार्ड मॉर्ले ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ''मंत्रीमण्डल रूपी भवन की आधारशिला कहा है''।

9. गोपनीयता- मंत्रीमण्डल की कार्यवाही गुप्त रहती है। सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्रिगण मंत्रिमंडल के निर्णयों को या मतभेदों को संसद में या सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते। मंत्री उचित समय पर ही कैबिनेट के निर्णयों को जनता तक पहुँचाते हैं।

2.2.2 संसदीय शासन प्रणाली के गुण

संसदात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं।

1. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संघर्ष नहीं - संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण यह है कि व्यवस्थापिका (संसद) और कार्यपालिका में मतैक्य रहता है संघर्ष नहीं। दोनों अंग एक दूसरे की आवश्यकता और उपादेयता को समझते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका में बैठते हैं, इच्छानुसार विधेयक व बजट आदि पारित कराते हैं, और संसद के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हैं। ब्रिटेन में संसद व कैबिनेट के बीच संघर्ष देखने को नहीं मिलता है, जबकि अमरीका में, जहॉं कि अध्यक्षीय शासन है, कॉग्रेस (व्यवस्थापिका) ओर राष्ट्रपति में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है।

प्रो0 डायसी ने लिखा है कि ''मंत्रीमण्डलात्मक सरकार की स्थापना कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों के संयोजन पर आधारित है, साथ ही वह इन दोनों के बीच समरूप संबंधों को बनाये रखती हैं।''

2. शीघ्र निर्णय- शक्तियॉं मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जिसका संसद में बहुमत होता है। अतः वह शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम हैं, दल का बहुमत होने के कारण वह आवश्यक कानून बनवा सकती है।

3. कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती- संसदीय सरकार का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में यह सरकार उत्तरदायी सरकार है, जिसमें संसद मंत्रीपरिषद् से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे नियंत्रित करती है। किसी मंत्री के कार्यो के लिए वह जॉच समिति भी नियुक्त कर सकती है। निःसंदेह यह शासन प्रजातंत्र शासन के अधिक निकट है।

4. उत्तरदायित्व का निर्धारण सरलता से- संसदीय शासन में उत्तरदायित्व का निर्धारण भी सरलता से हो जाता है, क्योंकि विधि निर्माण व प्रशासन का कार्य एक ही दल के हाथों में रहता है।

5. उच्चकोटि का शासक वर्ग- संसदीय सरकार की बागडोर प्रतिष्ठित व योग्य व्यक्तियों के हाथों में रहती है। लास्की ने ब्रिटेन के संदर्भ में लिखा है कि ''मंत्री लोग माने हुए संसदीय नेता होते हैं, मंत्री बनने से पूर्व वे संसद सदस्यों के रूप में राजनीतिक जीवन का अच्छा अनुभव कर चुके होते हैं।'' मंत्रियों को अपनी योग्यता दिखाने का भी अवसर मिलता है और वे स्वंय भी लोकप्रिय होने के लिए जनहित में कार्य करते हैं। अध्यक्षीय शासन में मंत्री, राष्ट्रपति के केवल सहालकार मात्र होते हैं।

6. लचीली व्यवस्था- प्रो0डायसी के अनुसार लचीलापन, संसदीय शासन का महत्वपूर्ण गुण है। यह शासन नयी परिस्थितियों व संकटकाल का सामना आसानी व कुशलता से कर सकता है। बेजहॉट के शब्दों में '' इस प्रणाली के अन्तर्गत लोग, अवसर के योग्य ऐसा शासक निर्वाचित कर सकते हैं जो राष्ट्रीय संकट में से राज्य के जहाज को सफलतापूर्वक ले जाने में विशिष्ट रूप में दक्ष हो।'' यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में चेम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ऐसा परिवर्तन अध्यक्षीय शासन में सम्भव नहीं है। इसमें गम्भीर संकट के समय राष्ट्रीय सरकार बनाने की व्यवस्था होती है।

7. राजनीतिक चेतना और शिक्षा- इस शासन से जनता में राजनीतिक चेतना पैदा होती है, लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिलता है, न केवल चुनावों के अवसर पर, वरन् राजनीतिक दल समय-समय पर विभिन्न विचारधाराओं व समस्याओं को जनता के समक्ष रखते हैं और अपना मत प्रकट करते हैं, जो समाचार पत्रों, सभा-सम्मेलनों, दलीय प्रत्रिकाओं आदि के माध्यम से जनता तक पहुँचते हैं और उन्हें जागरूक रखते हैं।

8. राज्याध्यक्ष, दलबन्दी से दूर- संसदीय प्रणाली में राज्य के प्रधान का पद बहुत हितकारक होता है, क्योंकि वह राजनीतिक दलबन्दी से परे रहता है। वह राष्ट्र की एकता का प्रतीक रहता है, वह सरकार के आलोचनात्मक मित्र के रूप में कार्य करता हैं।

9. वैकल्पिक शासन की व्यवस्था- संसदीय शासन का एक गुण यह भी है कि यदि किसी कारणवश सत्तारूढ़ दल अपना त्यागपत्र दे दे तो तुरन्त ही विरोधी दल को सरकार बनाने के लिए

आमंत्रित करके वैकल्पिक सरकार बन सकती है। शासन के कार्यों में रूकावट पैदा नहीं होती है। सरकार का परिवर्तन बहुत ही स्वाभाविक ढंग से हो जाता है। सन् 1979 में देसाई सरकार का पतन व विरोधी दल के नेता चरणसिंह को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया गया।

10. जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व - डायसी के शब्दों में ‘‘संसदीय प्रणाली के मंत्रीमण्डल को जनमत के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है।‘‘ मंत्रीमण्डल जनता की इच्छा व उसकी आलोचनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है या शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।

2.2.3 संसदीय शासन प्रणालीके दोष

संसदीय शासन प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं।

1. अस्थिर शासन- संसदीय शासन का पहला दोष यह है कि यह अस्थिर शासन है, क्योंकि मंत्रीपरिषद् का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बार-बार मंत्रीपरिषद् के बदलने से प्रशासनिक नीतियों में भी स्थिरता नहीं रहती और इस प्रकार जनता के हितों को हानि पहुँचती है। यदि किसी देश में बहुदलीय प्रणाली है तो वहॉ के लिए तो यह स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। फ्रॉस के तीसरे और चौथे गणतंत्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। ब्रिटेन में सरकार की स्थिरता के पीछे वहॉ की द्विदलीय प्रणाली है।

2. दुर्बल कार्यपालिका- अध्यक्षीय शासन की अपेक्षा संसदीय शासन में कार्यपालिका दुर्बल रहती है, क्योंकि पदच्युत् होने के डर से वह संसद को प्रसन्न करने में लगी रहती है। मंत्रीपरिषद् नयी नीतियों का प्रयोग साहसपूर्वक नहीं कर पाती है।

3. विधानमण्डल में समय और शक्ति का दुरूपयोग- संसदीय शासन में विभिन्न राजनीतिक दलों का पारस्परिक विरोध उग्र रूप धारण कर लेता है। विरोधी दल की आलोचना भी सदैव रचनात्मक नहीं होती हैं। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता ही रहता है। इसके कई बडें परिणाम निकलते हैं। जैसे विधानमण्डल में समय नष्ट होता है, कानून बनाने में विलम्ब होता है ओर जनता में उदासीनता आती है।

4. उग्र राजनीतिक दलबन्दी- संसदीय शासन राजनीतिक दलबन्दी को प्रोत्साहन देता है। लार्ड ब्राइस के शब्दों में ‘‘यह प्रथा दलबन्दी की भावना में वृद्धि करती है और इसे सदैव उबलती रखती

है। यदि राष्ट्र के सामने महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषय न हो तो भी इसमें पद प्राप्त करने की लड़ाई बनी रहती है। एक दल के पास पद होता है, दूसरा इसे लेने की इच्छा रखता है और यह झगड़ा चलता रहता है क्योंकि पराजित होने के शीघ्र बाद ही हारा हुआ दल जीते हुए दल को हटाने के लिए अभियान आरम्भ कर देता है।''

5. बहुमत दल की निरंकुशता का भय- संसदीय शासन में बहुमत दल संसद और देश में निरंकुशता का व्यवहार करता है। ब्रिटेन और भारत में प्रायः कैबिनेट के अधिनायकतंत्र की बात कही जाती है। प्रो0लास्की ने ब्रिटिश कैबिनेट के संदर्भ में कहा है कि ''यह निश्चय ही कार्यपालिका को अत्याचारी बनने का अवसर देती है। यदि कार्यपालिका चाहे तो छोटे से छोटे विषय को विश्वास का प्रश्न बनाकर संसद को अपनी बात को मानने वाले केवल एक अंग मात्रा बनने के लिए बाध्य कर सकती है।'' रैम्जैम्योर तो संसदीय शासन को कैबिनेट की नहीं केवल एक व्यक्ति-प्रधानमंत्री की तानाशाही मानता हैं।

6. शक्ति पृथक्करण, सिद्धान्त की उपेक्षा- क्योंकि संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय रहता है। अतः शक्ति पृथक्करण के अभाव में न केवल व्यवस्थापिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है वरन् नागरिकों की स्वतंत्रता के अपहरण का डर भी बना रहता है।

7. संकट के समय दुर्बल शासन- डायसी जैसे विचारकों का मत है कि युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय संसदीय शासन अनुपयुक्त रहता है। कारण यह है कि निर्णय लेने से पूर्व मंत्रीमण्डल में पर्याप्त वाद-विवाद करना पड़ता है। मतभेद होने की स्थिति में प्रधानमंत्री को निर्णय लेने में कठिनाइओं का सामना करना पड़ता है। अधिकांश समय विचार-विमर्श व वाद-विवाद में नष्ट हो जाता है। मंत्रीपरिषद् का अधिकांश समय संसद में अपनी नीतियों को स्पष्ट करने, संसद सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने तथा वाद-विवाद में व्यतीत हो जाता है। प्रो0गिलक्राइस्ट के शब्दों में ''शान्ति के समय में वाद-विवाद करना संसदीय शासन का गुण है, परन्तु युद्धकाल में यह इसके सबसे बड़े दोषों में से एक है।''

8**. नौकरशाही का शासन पर अनुचित प्रभाव**- संसदीय शासन में मंत्री पद उनको दिया जाता है जो दल में अपना प्रभाव रखते हैं, जिन्हें राजनीतिक हथकंडे आते हैं। योग्यता के आधार पर तो कम लोगों को ही मंत्री पद मिलता है। फिर मंत्रियों का अधिकांश समय संसदीय वाद-विवादों में, दल की

बैठकों में, उद्धाटन समारोह आदि में व्यतीत होता है। फलस्वरूप मंत्री नौसिखिए बने रहते हैं और विशेषज्ञों अर्थात् सिविल सेवकों के हाथों में वे कठपुतली बने रहते हैं। रैम्जेम्यूर ने ब्रिटेन के संदर्भ में लिखा है कि ‘‘मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है।‘‘

9. निजी कार्यक्षेत्र में विमुखता- सिजविक के अनुसार संसदीय प्रणाली का एक दोष यह है कि कई बार कार्यपालिका अपने प्रशासनिक कार्यों से विमुख होकर विधायनी कार्यों में जुट जाती है, इसी प्रकार संसद कानून बनाने से विमुख होकर शासन कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करने लगती है।

10. देश-हित का उल्लंघन- आलोचकों का यह भी कहना है कि संसदीय शासन सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपने दलीय स्वार्थ में ही होता है। इस शासन में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा का भय सदैव बना रहता है। अपने दल के हितों को ध्यान में रखकर ही मामलों का निपटारा होता है। फलस्वरूप प्रजातंत्र का ह्रास होता है।

11. बहुदलीय प्रणाली में सरकार बनाने में कठिनाई- संसदीय शासन उन देशों के लिए उपयुक्त नहीं है जहॉं कि बहुदलीय प्रणाली है। कारण यह है कि एक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो मिली-जुली सरकार बनती है जो कि असफल सिद्ध होती है। फ्रॉस ने बहुदलीय प्रणाली के कारण संसदीय प्रणाली को छोड़ दिया क्योंकि इसके कारण यहॉं सरकार में अस्थिरता बनी रहती थी। पिछले कुछ वर्षो से भारत में केन्द्र में यह स्थिति बनी हुई है।

2.3 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली- अर्थ एवं परिभाषा

जहां संसदीय सरकार सत्ता के संयोजन के सिद्धान्त पर आधारित होती है, वहीं अध्यक्षयात्मक/अध्यक्षीय शासन प्रणाली शक्ति विभाजन सिद्धान्त पर आधारित है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी एक दूसरे से पृथक व स्वतन्त्र रहकर अपने कार्य करते हैं। कार्यपालिका शक्तियॉं राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं जिनका प्रयोग वह स्वतन्त्रतापूर्वक करता है। राष्ट्रपति या उसके मंत्री व्यवस्थापिका के न तो सदस्य होते हैं और न उसकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी निश्चित होता है। व्यवस्थापिका उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती हैं। इसी प्रकार व्यवस्थापिका भी अपने गठन, कार्य तथा कार्यकाल की दृष्टि से कार्यपालिका से पृथक व स्वतंत्र होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुकरण करते हुए कई क्षेत्रों

में, खासकर, लेटिन अमेरिकी देशों ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप इस शासन प्रणाली को अपनाया है। इनमें ब्राजील, अर्जनटाईना, चिली मैक्सिको तथा एशियाई देश, फिलीपिन्स, दक्षिण कोरिया आदि प्रमुख हैं।

प्रो0गार्नर ने अध्यक्षीय सरकार की परिभाषा इस प्रकार की है- ''यह वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका (मंत्रियों सहित राज्य का प्रधान) संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के संबंध में और राजनीतिक नीतियों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार की प्रणाली में राज्य का प्रधान नाममात्र की कार्यपालिका नही होता, वरन् वास्तविक कार्यपालिका होती है और उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करता है, जो संविधान व कानून के अनुसार उसको प्राप्त होती है।''

2.3.1 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं

अध्यक्षीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।

1. राज्य के अध्यक्ष की स्थिति- राष्ट्रपति सरकार व राज्य दोनों का प्रधान- अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। वह राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता है। सेनाओं के संचालन का ओदश देता है। आपातस्थिति की घोषणा कर सकता है तथा देश में व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानूनों के प्रवर्तन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। इस प्रकार ऐसे शासन में ससंदीय शासन की तरह दो कार्यपालिकाएं (नाममात्र की व वास्तविक) नहीं होती हैं। संविधान द्वारा कार्यपालिका शक्तियॉ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, साथ ही उसकी यह शक्तियॉ वास्तविक भी होती हैं।

2. राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल- अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अमरीका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष के लिए निश्चित है, इस अवधि से पहले व्यवस्थापिका उसे महाभियोग के अलावा अन्य किसी तरह से नहीं हटा सकती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महाभियोग का कार्य ''हाऊस आफ रिप्रेजंटेटिव'' (प्रतिनिधि सदन) से आरम्भ होता है तथा राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण देता है। विवाद का निर्णय सीनेट में पूरे सदन के 2/3 बहुमत से होता है। अब तक केवल एक बार अमेरिका में सन् 1867 में राष्ट्रपति जानसन के विरूद्ध महाभियोग लगाया गया लेकिन सीनेट में यह प्रस्ताव एक मत से पास होने से रह गया और राष्ट्रपति को पद से नही हटाया जा सका।

3. राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं- अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है तथा राष्ट्रपति(कार्यपालिका), व्यवस्थापिका को भंग नही कर सकता है। राष्ट्रपति तथा उसके मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में कोई महत्वपूर्ण भाषण देने हेतु जा सकता है अथवा वह अपना संदेश भेज सकता है जिसे व्यवस्थापिका स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मंत्रीगण भी व्यवस्थापिका के सत्र में उपस्थित हो सकते है परन्तु मतदान का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति या उसके मंत्री न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और न उन्हें अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है, यानि व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका को भंग नही कर सकती।

4. मंत्रीमण्डल का अभाव- अध्यक्षीय शासन में वैसा मंत्रीमण्डल नहीं होता, जैसा संसदीय शासन में होता है। राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए कुछ सचिव होते हैं। इन सचिवों को सामूहिक नाम से 'राष्ट्रपति की कैबिनेट' कह दिया जाता है। परन्तु सच्चे अर्थो में यह कैबिनेट नहीं है, न तों यह कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं, न वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, न उसकी तानाशाही है। व्यवस्थापिका से मंत्रियों को कुछ लेना-देना नहीं है, राष्ट्रपति ही उनका 'स्वामी' है।

5. शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त पर आधारित- अध्यक्षीय सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है। सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र होते है। कार्यपालिका के सदस्य न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते है और न वे कानून निर्माण में भाग लेते हैं, इसी प्रकार व्यवस्थापिका केवल कानून बनाती है। वह राष्ट्रपति या उसके मंत्रियों से न तो प्रश्न पूछ सकती है और न अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत कर सकती है।

6. संसदीय शासन में जिस प्रकार प्रधानमंत्री की महत्ता है वैसे ही अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति की महत्ता होती है।

2.3.2 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

1. स्थायी एवं दृढ़ शासन- अध्यक्षीय शासन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है-शासन में स्थायित्व। निश्चित कार्यकाल के कारण राष्ट्रपति अधिक आत्म-विश्वास के साथ नीतियों का निर्माण व उन पर अमल

कर सकता है। इसका कार्यकाल चार वर्ष, दो बार से अधिक नही हो सकता है, यानि कार्यपालिका का भाग्य व्यवस्थापिका के परिवर्तनशील मत पर निर्भर नही होता है। अतः सरकार स्थिर नीति का पालन कर सकती है। उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्थापिका की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं होती है। अमरीका में कॉग्रेस राष्ट्रपति के कार्यो में बहुत कम हस्तक्षेप कर सकती है।

2. अधिक कुशल शासन- शक्ति पृथक्करण पर आधारित होने के कारण यह शासन संसदीय शासन की तुलना में अधिक कुशल होता है। इसका कारण बताते हुए मैरियट ने लिखा है कि ''शासन की इस व्यवस्था में प्रशासन में वास्तविक रूप से कुशलता आती है क्योंकि मंत्रियों को हर समय व्यवस्थापिका में उपस्थित रहने में समय लगाना नहीं होता और व्यवस्थापन कार्य भी कुशलता से होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों के मस्तिष्क अपने विशिष्ट कार्य में ही लगे रहते हैं।''

3. दलबन्दी का अभाव- अध्यक्षीय शासन में दलबन्दी का उग्र व दूषित वातावरण वैसा नहीं रहता, जैसा संसदीय शासन में देखा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका (राष्ट्रपति) व व्यवस्थापिका के निर्वाचनों के समय ही राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं, हर समय नहीं क्योंकि बीच में राष्ट्रपति को हटाया नही जा सकता है। अनावश्यक विरोध भी नही होता है और न राष्ट्रपति का दल उसका अन्धानुकरण करता है। निर्वाचन की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपने राजनीतिक दल से मुक्त होकर स्वतंत्र नीति पर चल सकता है। राजनीतिक दल प्रशासन पर अनुचित प्रभाव डालने में सक्षम नही हो पाते क्योंकि विरोधी दल के सामने ऐसा कोई लालच नहीं होता कि सदन के ज्यादा सदस्य यदि उसकी तरफ आ जाएँ तो वर्तमान सरकार टूट जायेगी और उसके स्थान पर दूसरी सरकार कायम हो सकेगी। यही कारण है कि दलबंदी की भावना जितनी संसदात्मक प्रणाली मे है, उतनी अध्यक्षीय प्रणाली में नही।

4. संकटकाल के लिए उपयुक्त- यह शासन संकटकाल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासन है। कारण यह है कि कार्यपालिका शक्तियॉ सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों दृष्टियों में राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अतः किसी संकट के समय में वह अकेला निर्णय लेने में समर्थ है।

5. राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता- अध्यक्षीय शासन का एक गुण यह भी है कि राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ रहती है। राष्ट्रपति पूरे देश का नेता है, एक दल का नही। इसलिए भी उससे बुद्धिपूर्ण न्यायोचित और राष्ट्रहित की अपेक्षा लोगों को रहती है।

6. निरंकुशता का अभाव- इस शासन प्रणाली में शक्ति-पृथक्करण होता है। अतः शक्तियॉं एक स्थान पर केन्द्रित न होने के कारण जनता के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को संसदीय शासन की अपेक्षा कम खतरा रहता है। अध्यक्षीय शासन में जैसा कि अमरीका में है अवरोध और सन्तुलन की प्रणाली'' के द्वारा, एक सरकार का अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता रहता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियॉं व विदेशों के साथ संधियॉं, सीनेट द्वारा पुष्ट की जाती हैं। कांग्रेस द्वारा निमित कानून तथा कार्यपालिका के आदेश न्यायालय द्वारा इस आधार पर रदद् किए जा सकते हैं कि वे संविधान के विरूद्ध हैं। साथ ही राष्ट्रपति को भी इतनी व्यापक शक्तियॉं प्राप्त हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी तानाशाह बनने का स्वप्न नहीं देख सकते।

7. योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है- अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति मंत्रियों को योग्यता व अनुभव के आधार पर नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रपति निकसन तथा जेराल्ड फोर्ड के शासनकाल में हेनरी कीसिंगर विदेश मंत्री बनाये गये जो पहले हारवर्ड विश्व विद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर थे। परन्तु संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री के ऊपर कई प्रकार के बन्धन होते हैं और वह मंत्रियों की नियुक्ति केवल योग्यता व अनुभव के आधार पर ही नही करता है।

8. बहुदलीय प्रणाली वाले देशों के लिए उपयुक्त- उन देशों के लिए जहॉं बहुदलीय प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन अधिक लाभकारी हो सकता है, कारण स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए हो जायेगा, संसदीय सरकार की तरह मिले-जुले मंत्रीमण्डलों के बदलने का भय समाप्त हो जायेगा।

(9) विशाल राष्ट्रों के लिए उपयुक्त- विशाल और विभिन्नतापूर्ण राष्ट्रों के लिए अध्यक्षीय शासन अच्छा है। जिस देश में भाषा, जाति व संस्कृति की विभिन्नता हैं, उसमें संसदीय शासन की तुलना में अध्यक्षीय शासन अधिक सफल हो सकता है।

2.3.3 अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीके दोष

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं।

1. अनुत्तरदायी एवं निरंकुश शासन- अध्यक्षीय शासन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होने के कारण उसके निरंकुश होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए

आलोचक इस प्रणाली को ''निरंकुश, गैर जिम्मेदार एवं खतरनाक'' कहते हैं। उसे महाभियोग की अत्यधिक कठिन प्रक्रिया होने के कारण आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अतः वह एक अधिनायक की तरह शासन कर सकता है। बेजहॉट ने कहा है कि ''आपने अपनी सरकार (अध्यक्षीय) के संबंध में अग्रिम निर्णय कर दिया है, भले ही वह आपको पसन्द है अथवा नहीं, वह आपकी इच्छा की है या नहीं, आपको कानूनन उसे रखना ही होगा।''

2. सहयोग का अभाव- अध्यक्षीय शासन में शक्ति पृथक्करण के कारण सरकार के विभिन्न अंगो में सहयोग नहीं रह पाता है, प्रत्येक अंग एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है व संघर्ष के लिए तैयार रहता है। राष्ट्रपति न तो व्यवस्थापिका की समस्या को समझ पाता है और न व्यवस्थापिका राष्ट्रपति की समस्या को। कभी-कभी इन कारणों से शासन में मतभेद व गतिरोध पैदा हो जाता है। विशेष रूप से उस समय जबकि राष्ट्रपति के दल का व्यवस्थापिका में बहुमत न हो। वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियॉ चाहे जितनी व्यापक हो, परन्तु कांग्रेस यदि वित्तीय मॉगों का अनुमोदन न करें तो कार्यपालिका विषम हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है।

3. कठोर शासन प्रणाली- अध्यक्षीय शासन में लचीलेपन का गुण नहीं होता है जोकि संसदीय शासन में होता है। इसके तीन कारण हैं, प्रथम, शासन संबंधी सभी बाते संविधान में निश्चित होती हैं। दूसरे, जब कोई संवैधानिक विवाद पैदा होता है तो न्यायालय की शरण ली जाती है, जिसका रवैया कठोर ही रहता है। तीसरे, संविधान कठोर होता है, अतः आवश्यकतानुसार संशोधन नही किये जा सकते हैं। यह सब बातें अमेरिका में पायी जाती हैं।

4. उत्तरदायित्व के निर्धारण की समस्या- अध्यक्षीय शासन में जब कोई गलत कार्य होता है, तो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका इसका उत्तरदायित्व एक दूसरे पर थोपने का प्रयास करते है। संसदीय शासन की तरह यह उत्तरदायित्व कार्यपालिका के पास निश्चित नहीं होता है। चूँकि राजसत्ता बॅट जाती है। अतः यह पता नही चलता कि शासन की बुराई के लिए कार्यपालिका दोषी है अथवा विधानमंडल। राष्ट्रपति को शिकायत रहती है कि जिन कानूनों को वह जरूरी समझता है, उन्हे कांग्रेस या विधानमंडल पारित नहीं कर रहा है। दूसरी ओर विधानमंडल के नेता, यह कहते है कि कानूनों को ईमानदारी के साथ लागू नहीं किया जा रहा है।

5. वैदेशिक नीति की दुर्बलता- अमरीकन अध्यक्षीय शासन के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र व सुदृढ़ वैदेशिक नीति पर नहीं चल सकता, क्योंकि व्यवस्थापिका उसके कार्यो में

बांधा डालती है। 1919 में राष्ट्रपति विलसन द्वारा की गई 'वार्साय की संधि' को अमरीकन सीनेट ने ठुकरा दिया था।

6. शक्ति-पृथक्करण की अव्यावहारिकता- अध्यक्षीय शासन शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है, परन्तु यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है। शासन के कार्यों का पूर्ण पृथक्करण न तो सम्भव है और न वॉछनीय ही समस्त शासन मनुष्य के शरीर के समान है जिसके कई अंग कर देने से वह बेकार हो जाता है। शक्ति पृथक्करण के कारण कभी-कभी सरकार के अंगों में अनावश्यक मतभेद व गतिरोध होता है, जिससे प्रशासन निष्क्रिय हो जाता है।

7. एक व्यक्ति पर उत्तरदायित्व- अध्यक्षीय शासन का एक दोष यह भी है कि शासन का पूरा भार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पर होता है। अतः शासन की सफलता या विफलता उसी के गुणों व अवगुणों पर निर्भर रहती है।

8. अत्यधिक खर्चीली- इस व्यवस्था में चुनाव बहुत खर्चीला होता है तथा आम-चुनावों के समय राजनीतिक दल पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। वहीं सामान्य काल में महत्वहीन रहते हैं और राजनीतिक चेतना को प्रदीप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य नही कर पाते।

2.4 संसदात्मक व अध्यक्षात्मक सरकारों में अंतर

1. संसदीय सरकार का आधार शक्तियों का संयोजन है, जबकि अध्यक्षीय सरकार का आधार है- शक्ति पृथक्करण।

2. संसदीय सरकार में राज्य का प्रधान (राजा या राष्ट्रपति) नाममात्र का होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रीपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका होती है , अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति ही राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। अतः एक ही कार्यपालिका होती है।

3. संसदीय सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र नही रहती, अध्यक्षीय शासन में वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है। अध्यक्षीय शासन में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका दोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग रहते हैं।

4. संसदीय शासन में कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर है जब तक कि उसे संसद (प्रायः निचले) मे बहुमत का समर्थन प्राप्त है, परन्तु अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका (राष्ट्रपति) का

कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है। इससे पहले केवल महाभियोग की कार्यवाही से ही उसे पदच्चुत किया जा सकता है।

5. संसदीय शासन में मंत्रिगण व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, परन्तु अध्यक्षीय शासन में केवल राष्ट्रपति के प्रति।

6. संसदीय शासन में मंत्रिगण आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। इतना ही नही वे व्यवस्थापिका का मार्ग-निर्देशन व नेतृत्व भी करते हैं। अध्यक्षीय शासन में मंत्री राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं।

7. संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करता है।

अभ्यास प्रश्न-

1. संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है?

क. भारत ख. अमेरिका ग. ब्रिटेन घ. जापान

2. अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है?

क. अमेरिका ख. भारत ग. ब्रिटेन घ. फ्रान्स

3. डायसी के अनुसार लचीलापन, संसदीय शासन का महत्वपूर्ण गुण है। सही/गलत

4. लार्ड मॉर्ले ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ''मंत्रिमण्डल रूपी भवन की........................ कहा है''।

2.5 सारांश

संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाएं अपनी विशेषताओं के साथ-साथ अपने सबल तथा दुर्बल पक्षों को भी रखती हैं। इनमें से किसी शासन की सफलता किसी देश की जनता के स्वभाव व उसकी राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अमेरिका में जहॉं अध्यक्षीय शासन प्रणाली सफल है, वहीं ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली बहुत सफल है।

आज भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली स्वीकार कर लेनी चाहिए। वस्तुतः तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो संसदीय शासन अधिक ठीक है। इसके कई कारण है- यह उत्तरदायी शासन है, सरकार के विभिन्न अंगो के बीच संघर्ष की सम्भावना नहीं रहती है। संसदीय शासन प्रणाली प्रजातंत्र के भी अधिक निकट है।

2.6 शब्दावली

संयोजन- व्यवस्थित करना, ईष्या- जलन, विशिष्ट- प्रमुख/मुख्य या महत्वपूर्ण, सजातीयता- एक जाति विशेया का होना/समान्ता, सामूहिक उत्तरदायित्व- सब की जिम्मेदारी, शक्ति पृथक्करण- शक्ति का बटा होना, बहुदलीय- एक से अधिक दल, आपात स्थिति- संकट का समय

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ग 2. क 3. सत्य 4. आधारशिला

2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

आधुनिक तुलनात्मक राजनीति- पीटर एच0 मार्कल

राजनीति विज्ञान एक परिचय- पिनांक एवं स्मिथ

संवैधानिक सरकारें और लोकतंत्र- कार्ल जे0 फ्रैडरिक

तुलनात्मक राजनीति एंव राजनीतिक संस्थाएं- सी0बी0 गैना

2.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तुलनात्मक राजनीति एंव राजनीतिक संस्थाएं- सी0बी0 गैना

2. आधुनिक सरकारें- सिद्धान्त एंव व्यवहार- डॉ0 पुष्पेश पाण्डे, डॉ0 विजय प्रकाश पंत एंव घनश्याम जोशी

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. संसदात्मक शासन प्रणाली को स्पष्ट करते हुए इसके गुण-दोषों को स्पष्ट कीजिए।

2. संसदात्मक शासन प्रणाली की अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं की विस्तार से चर्चा काजिए।

3. अध्यक्षीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसके गुण-दोष बताइये।

4. संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों को स्पष्ट करते हुए, दोनों शासन प्रणालियों में अंतर को स्पष्ट करें।

इकाई 3 एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली

इकाई की संरचना

3.0 प्रस्तावना
3.1 उद्देश्य
3.2 एकात्मक शासन- अर्थ एवं परिभाषा
3.3 एकात्मक शासन की विशेषताएँ
3.4 एकात्मक शासन के गुण-दोष
    3.4.1 एकात्मक शासन के गुण
    3.4.1 एकात्मक शासन के दोष
3.5 संघात्मक शासन - अर्थ एवं परिभाषा
3.6 संघात्मक शासन की विशेषताएँ
3.7 संघात्मक शासन के गुण-दोष
3.7.1 संघात्मक शासन के गुण
3.7.2 संघात्मक शासन के दोष
3.8 संघ के लिए अपेक्षित शर्तें
3.9 एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर
3.10 सारांश
3.11 पारिभाषिक शब्दावली
3.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची
3.14 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
3.15 निबंधात्मक प्रश्न

3.0 प्रस्तावना

वर्तमान में छोटे राज्यों के साथ बड़े राज्य भी अस्तित्व में हैं। इन बड़े और विस्तृत राज्यों का शासन एक केन्द्रीय आधार पर या एक स्थान से कुशलता के साथ नहीं किया जा सकता। इसीलिए शासन की सुविधा की दृष्टि से समस्त राज्य को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात केन्द्र एवं इकाइयों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो केन्द्रीकरण या वितरण किया जाता है और देश के शासन में केन्द्रीय और स्थानीय इकाइयों के बीच जों सम्बन्ध होता है,उसके आधार पर शासन व्यवस्थाओं को एकात्मक और संघात्मक दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढने के उपरान्त आप आप-

1. एकात्मक शासन प्रणाली की परिभाषा, उसकी विशेषताएं व गुण-दोष के विषय में जान पायेंगे।

2. संघात्मक शासन प्रणाली की परिभाषा, उसकी विशेषताएं व गुण-दोष के विषय में जान पायेंगे।

3. संघ के लिए अपेक्षित शर्तों के विषय में जानकारी ले पायेंगे।

4. एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर को जान पायेंगे।

3.2 एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा

एकात्मक शासन व्यवस्था में, शक्तियों का केन्द्रीकरण होता है। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियॉ केवल केन्द्रीय सरकार को ही सौंपी जाती हैं तथा इकाइयों को शासन की शक्तियॉ केन्द्र से प्राप्त होती हैं। स्थानीय अथवा इकाइयों की सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियॉ केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के प्रमुख उदाहरण हैं- ब्रिटेन, फ्रांस,चीन और बेल्जियम।

विभिन्न विद्वानों ने एकात्मक शासन की परिभाषाएँ दी हैं-

सी0एफ0स्ट्रांग के अनुसार ''एकात्मक शासन में केन्द्रीय सरकार सर्वोच्च होती है तथा सम्पूर्ण शासन एक केन्द्रीय सरकार के अधीन संगठित होता है और उसके अधीन जो भी क्षेत्रीय प्रशासन कार्य करता है, उसकी शक्तियॉ उसे केन्द्र सरकार से प्राप्त होती हैं।''

फाइनर के शब्दों में ''एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें सम्पूर्ण सत्ता, शक्ति, केन्द्र में निहित होती है और जिसकी इच्छा एवं अभिकरण पूर्ण क्षेत्र पर वैद्य रूप से मान्य होते हैं।''

प्रो0गार्नर के अनुसार ''एकात्मक शासन, शासन का वह रूप है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति संविधान के माध्यम से एक केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती है तथा केन्द्र एवं स्थानीय सरकार के बीच संवैधानिक शक्ति का विभाजन नही होता और केन्द्र सरकार से ही स्थानीय सरकारों को शक्ति एवं स्वतंत्रता प्राप्त होती है।''

डायसी के शब्दों में ''एकात्मक राज्य में कानून बनाने की समस्त शक्तियॉ केन्द्रीय सत्ता के हाथों में निवास करती हैं।''

विलोबी के शब्दों में ''एकात्मक शासन में शासन के सम्पूर्ण अधिकार मौलिक रूप से एक केन्द्रीय सरकार में निहित रहते हैं तथा केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार शक्तियों का वितरण इकाइयों में करती है।''

3.3 एकात्मक शासन प्रणाली के विशेषताएं

एकात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

1. शासन की पूर्ण शक्ति केन्द्र में निहित- एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता यह है कि शासन कार्य की समस्त शक्तियॉ केन्द्रीय सरकार में निहित रहती हैं। शासन की सुविधा के लिए राज्य को प्रदेशों एवं प्रान्तों में बॉटा जा सकता है किन्तु इन प्रदेशों व प्रान्त सरकारों को शासन कार्य के लिए स्वतंत्र शक्तियॉ प्राप्त नहीं होती। केन्द्र ही उन्हें आवश्यकतानुसार शक्तियॉ देता है। उन्हें केन्द्र के अधीन रहकर ही कार्य करना होता है और इनका अस्तित्व पूर्णतः केन्द्र सरकार की इच्छा पर निर्भर रहता है।

2. इकहरी नागरिकता- एकात्मक शासन में नागरिकों को इकहरी नागरिकता(केन्द्र की) प्राप्त होती है। जबकि संघात्मक शासन में केन्द्र व राज्यों की पृथक-पृथक यानि दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है।

3. एक संविधान- एकात्मक शासन में सम्पूर्ण राष्ट्र का एक संविधान होता है। इकाइयों के लिए कोई अलग संविधान नहीं होता। संघात्मक शासन में कहीं-कहीं पर इकाइयों के अलग-अलग संविधान भी होते हैं। जैसे भारत में जम्मू-कश्मीर राज्य का अलग संविधान हैं। एकात्मक शासन वाले राज्यों में ऐसा नहीं होता।

3.4 एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण-दोष

3.4.1 एकात्मक शासन प्रणाली के गुण

1. शासन में एकरूपता व शक्ति सम्पन्नता- एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन में एकरूपता पाई जाती है। सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक सा कानून होता है और केन्द्र के निर्देशन में उसे समान रूप से सर्वत्र लागू किया जाता है। फलतः पूरे राष्ट्र के शासन कार्यों में एकरूपता बनी रहती है। शासन की इस एकरूपता के कारण शासन-शक्ति संगठित रहती है, शासन कार्यों में दृढ़ता एवं मजबूती आ जाती है और संकट के समय यह शीघ्र निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है।

2. राष्ट्रीय एकता में वृद्धि- एकात्मक शासन व्यवस्था में सम्पूर्ण राज्य में एक सा कानून, एक सी शासन व्यवस्था होने तथा सभी को एक समान न्याय मिलने के कारण, आपसी मतभेद पैदा नहीं हो पाते। सभी के साथ एक सा व्यवहार होने के कारण नागरिकों में राष्ट्र के प्रति सम्मान पैदा होता है और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती हैं।

3. संकटकाल के लिए उपयुक्त- एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति एक ही स्थान पर केन्द्रीत होने के कारण संकट के समय यह शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। इन निर्णयों को गुप्त भी रखना होता है और शीघ्र ही कार्यान्वित भी करना पड़ता है, इस हेतु एकात्मक शासन ही सक्षम होता है।

4. मितव्ययता- एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्थान से शासन का संचालन होने और राज्य इकाइयों में अलग से कोई मंत्रिमण्डल व व्यवस्थापिका का गठन न करने से काफी खर्च बच जाता है। इस दृष्टि से यह मितव्ययी शासन व्यवस्था है।

5. छोटे राज्यों के लिए उपयोगी- एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे राज्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें सम्पूर्ण शासन का संचालन एक ही स्थान से किया जाता है।

6. नीति संबंधी निर्णय में एकरूपता-एकात्मक शासन प्रणाली में नीति संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें एकरूपता बनी रहती है क्योंकि ये निर्णय एक स्थान से अर्थात् केन्द्र से लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नीति-संबंधी निर्णयों के लिए केन्द्र को राज्य सरकारों से कोई भी राय व सहमति नहीं लेनी होती है, जिस कारण नीति संबंधी निर्णयों में एकरूपता आ जाती हैं।

7. आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त- एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्थान से निर्णय लिये जाने के कारण पूरे राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जा सकते हैं, जिस कारण यह व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए उपयोगी होती हैं।

8. सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति- एकात्मक शासन की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी सुदृढ़ रहती है, क्योंकि इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है, समान रूप की नीति का अनुसरण किया जा सकता है और अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को अधिक कुशलता के साथ निभाया जा सकता है।

9. संघर्ष की सम्भावना नही- एकात्मक शासन में शासन की समस्त शक्तियॉं केन्द्र के हाथों में रहती हैं तथा इकाइयॉं केन्द्र के पूर्णतः अधीन होकर कार्य करती हैं, जिस कारण केन्द्र तथा इकाइयों के बीच संघर्ष की सम्भावना नहीं रहती है। प्रशासनिक निर्णय लेने में आसानी होती है।

3.4.2 एकात्मक शासन प्रणाली के दोष

1. शासन कार्य में कुशलता की कमी- एकात्मक शासन में शासन कार्यों का सम्पूर्ण संचालन एक ही स्थान अर्थात् केन्द्र से संचालित होता है, जिसे शासन कार्य की कुशलता के लिए उपर्युक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही स्थान से केन्द्रीय सरकार पूरे देश में कुशल शासन संचालन कर ले यह सम्भव नहीं है। अतः देश के सभी भागों के हितों व आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्र द्वारा नहीं हो सकती।

2. लोकतंत्र की भावना के विरूद्व- एकात्मक शासन व्यवस्था लोकतंत्र की भावना के विरूद्ध हैं क्योंकि इसमें प्रान्तीय अथवा स्थानीय स्वशासन को वो महत्ता नहीं मिलती जो लोकतंत्र में मिलती है।

3. शासन की निरंकुशता की सम्भावना- एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की निरंकुशता का भय बना रहता है क्योंकि शासन की समस्त शक्तियॉं केन्द्र में ही निहित होती हैं। केन्द्र अपनी शक्तियों को बढ़ा कर निरंकुश न हो जाए और शासन के सभी क्षेत्रों में अपनी मनमानी न करने लगे, इस बात की सम्भावना बनी रहती हैं।

4. विविधताओं वाले राष्ट्रों में असफल- एकात्मक शासन व्यवस्था विविधताओं वाले राष्ट्रों में असफल रहती हैं, छोटे-छोटे राज्यों के लिए यह शासन व्यवस्था सफल हो सकती है, बड़े व विविधताओं वाले राष्ट्रों में नहीं, क्योंकि एक ही स्थान से शासन चलाने पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषाओं व नस्लों के लोगों के हितों की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकती।

5. स्थानीय संस्थाओं के क्रिया-कलापों पर प्रतिबन्ध- एकात्मक शासन व्यवस्था में, शासन में इतनी कठोरता और अंकुश रहता है कि इससे स्थानीय संस्थाओं के क्रिया-कलापों पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं उनकी स्वायत्तता लगभग समाप्त ही हो जाती है।

6. शासन कार्यो के प्रति उदासीन जनता- एकात्मक शासन-व्यवस्था में जनता को सार्वजनिक कार्यो में भागीदारी का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं होता, जिस कारण जनता सार्वजनिक कार्यों के प्रति उदासीन रहती हैं। जनता को प्रशासनिक कार्यो में भाग लेने का अवसर प्राप्त न होने के कारण उन्हें राजनीतिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है।

7. क्रान्ति का भय- एकात्मक शासन पर अनुदार होने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का अपरिवर्तनशील श्रंखलाबद्ध शासन स्थापित हो जाता है। अपनी उदारता के कारण यह प्रगति विरोधी हो जाता है तथा नई योजनाओं को जल्दी क्रियान्वित नहीं करता। फलस्वरूप इस शासन व्यवस्था में क्रान्ति का भय उत्पन्न हो जाता है।

अभ्यास प्रश्न- 1

1. एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होता है। सही/गलत

2. एकात्मक शासन प्रणाली की यह परिभाषा किसने दी ''एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें सम्पूर्ण सत्ता, शक्ति, केन्द्र में निहित होती है और जिसकी इच्छा एवं अभिकरण पूर्ण क्षेत्र पर वैद्य रूप से मान्य होते हैं।''

क. फाइनर ख. गार्नर ग. डायसी घ. लास्की

3. इकहरी नागरिकता.. पायी जाती है।

क. एकात्मक शासन प्रणाली में ख. संघात्मक शासन प्रणाली में

ग. मिश्रित शासन प्रणाली में घ. इनमें से कोई नहीं

3.5 संघात्मक शासन प्रणाली अर्थ एवं परिभाषा

संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा केन्द्र व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इस शासन में संघीय (केन्द्रीय) सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर शासन कार्य करती हैं। दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। 'संघ' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोएड्स शब्द से हुई हैं, जिसका अर्थ है, 'समझौता' या 'संधि'। इस अर्थ के आधार पर समझौता या सन्धि द्वारा निर्मित राज्य को 'संघ' कहा जाता है। वर्तमान विश्व में संघीय राज्यों की संख्या दो दर्जन से ज्यादा नहीं है

किन्तु ये राज्य-विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर फैले हैं। विश्व के 06 बड़े राज्यों में 05 संघीय राज्य हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ,कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस। भारत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, व स्विट्जरलैण्ड आदि अन्य प्रमुख देश हैं। ज्ञातव्य है कि संघीय व्यवस्था ऐसा बना बनाया ढॉचा नहीं है जिसे भिन्न-भिन्न देशों में ज्यों का त्यों लागू किया जा सके। भिन्न-भिन्न देशों में अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार संघीय व्यवस्था अपने-अपने ढंग से विकसित हुई है।

परिभाषाएँ

फाइनर के अनुसार ''संघात्मक राज्य वह है, जिसमें सत्ता शक्ति का एक भाग इकाइयों में निहित रहता है, दूसरा भाग केन्द्र में, जो क्षेत्रीय इकाइयों के लोगों द्वारा जान-बूझकर संगठित की जाती है।''

गार्नर के अनुसार, ''संघ एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति (संविधान) के अधीन होती हैं तथा ये सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर ही कार्य करती हैं।''

स्ट्रांग के शब्दों में, ''एक संघात्मक राज्य कई राज्यों के मेल से बना एक प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य है जिसकी अपनी सत्ता ,मेल करने वाले राज्यों से प्राप्त होती है और जिसमें वे राज्य इस प्रकार बॅधे होते हैं कि एक राजनीतिक इकाई का निर्माण होता है।''

3.6 संघात्मक शासन की विशेषताएँ

संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. लिखित एवं कठोर संविधान- संघीय शासन का संविधान लिखित एवं कठोर होता है,ऐसा इसलिए कि इकाइयों के अहित में संविधान में कोई संशोधन न हो सके।

2. संविधान की सर्वोच्चता- संघात्मक शसन में संविधान सर्वोच्च होता है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के आधार पर ही कार्य करती हैं, वे संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं कर सकती हैं।

3. सम्प्रभु शक्ति का दोहरा प्रयोग- संघीय शासन में सम्प्रभुता अविभाजित होती है किन्तु एक संघीय राज्य में सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों के आधार पर होती है तथा दोनों ही अपनी शक्तियॉं संविधान से प्राप्त करती हैं।

4. कार्यों एवं शक्ति का विभाजन- संघीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। शक्तियों के वितरण के साथ ही दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने को भी स्वतंत्र होती हैं।

5. स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका- संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होता है। उस पर सरकार के किसी भी अंग (व्यवस्थापिका व कार्यपालिका) का न तो कोई प्रभाव होता है न ही कोई दबाव। संविधान के संरक्षक के रूप में होने के कारण यह सर्वोच्च होता है।

6. दोहरी नागरिकता- संघीय शासन-व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक तो केन्द्र की व दूसरी राज्यों (इकाइयों) की किन्तु भारतीय संघ इसका एक अपवाद है। यहॉं नागरिकों को संघ की ही नागरिकता प्राप्त हैं।

7. संबंध विच्छेद की स्वीकृति नहीं- संघीय शासन व्यवस्था में संघ एक स्थाई राज्य होता है। इसलिए किसी भी संघात्मक राज्यों में इकाइयों केा केन्द्र से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है।

8. द्विसदनीय विधानमण्डल- संघीय शासन में द्विसदनीय विधानमण्डल (संसद) की व्यवस्था होती है। एक सदन-जिसमें राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है और दूसरा सदन-जिसमें संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमरीकी 'प्रतिनिधि सभा' व भारत की 'लोकसभा' समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि 'सीनेट' व 'राज्य सभा' इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

3.7 संघात्मक शासन के गुण-दोष

वर्तमान में शासन व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलित रूप संघात्मक शासन है। इसीलिए 'सिजविक' का कथन है कि ''जब हम शासन व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में भूत से भविष्य की ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें संघात्मक शासन-व्यवस्था के विकास की सबसे अधिक सम्भावना प्रतीत होती है।

लास्की भी इसके समर्थन में कहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व समाज संघात्मक शासन-व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

3.7.1 संघात्मक शासन के गुण

1. विविधता वाले राष्ट्रों के लिए उपयोगी- संघात्मक शासन व्यवस्था विविधता वाले राष्ट्रों के लिए उपयोगी है। जिस राष्ट्र में धर्म, जाति, वर्ग व भाषा के आधार पर विविधता पायी जाती है, उस राष्ट्र में यह शासन व्यवस्था इन विविधताओं की रक्षा करते हुए उपयोगी सिद्ध होती है। इस शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय शासन दोनों के ही हित सम्भव है। भारत जैसे देश में जहॉं इतनी विविधता पायी जाती है संघीय शासन पद्धति श्रेष्ठता के साथ कार्य कर रही हैं।

2. छोटे व कमजोर राज्यों के लिए उपयुक्त- संघीय शासन व्यवस्था में छोटे व कमजोर राज्य संगठित होकर शक्तिशाली राज्य बन सकते हैं क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में छोटे व कमजोर राज्यों की स्वतंत्रता और उनका पृथक अस्तित्व बना रहता है और उन्हें आर्थिक विकास व सुरक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं।

3. सार्वजनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण- संघीय शासन व्यवस्था सार्वजनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं तथा संघ व राज्य इकाइयों को सार्वजनिक जीवन को उपयोगी बनाने हेतु सभी तरह के प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है।

4. बड़े राष्ट्रों के लिए उपयोगी- संघीय शासन प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से बड़े राष्ट्रों के लिए उपयोगी है। संघीय शासन में केन्द्र व राज्य इकाइयों के बीच शासन कार्यो की शक्तियों का बंटवारा होने के कारण यह शासन विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त है।

5. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा- संघीय शासन में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा बनी रहती है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाये जाते हैं, जिससे नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

6. आर्थिक रूप से लाभकारी- संघात्मक शासन आर्थिक रूप से लाभकारी है। इस शासन व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्य इकाइयों को अपने-अपने आर्थिक संसाधनों को विकसित करने का अवसर

मिलता है। संघात्मक शासन मितव्ययी भी है। सेना, रेल, डाक एवं तार तथा अन्य व्यवस्थाओं के एक हो जाने से व्यय में बहुत कमी आ जाती है।

7. सार्वजनिक कार्यों के प्रति उत्साह- संघात्मक शासन में नागरिकों की राजनीतिक चेतना के कारण सार्वजनिक कार्यों के प्रति उनमें उत्साह रहता है। संघात्मक शासन में नागरिकों को शासन-कार्यों में भागीदारी प्राप्त होती है, जिस कारण नागरिक समस्याओं के समाधान में अधिक रूचि लेते हैं, और उनमें आत्म-सम्मान व अभिरूचि की भावना का विकास होता है।

8. प्रजातंत्र के लिए उपयोगी- संघात्मक शासन-व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण के कारण स्थानीय स्वशासन की भावनाओं का विकास होता है, जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन के विकास के कारण नागरिकों को राजनीतिक ज्ञान मिलता है, उनमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है।

9. निरंकुशता की सम्भावना नहीं- संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के निरंकुश होने की सम्भावना नहीं रहती। इस शासन व्यवस्था में केन्द्र व राज्य इकाइयों के बीच शासन-सत्ता का स्पष्ट विभाजन रहने के कारण केन्द्रीय सरकार निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं बन सकती है। संविधान तथा न्यायपालिका का उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रहता है। केन्द्र तथा स्थानीय सरकारें कोई भी एक-दूसरे के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्थानीय स्वशासन के संबंध में राज्य इकाइयों को बहुत स्वतंत्रता रहती है, जिस कारण तानाशाही की सम्भावना नहीं रहती।

3.7.2 संघात्मक शासन के दोष

उपरोक्त गुणों के बावजूद संघात्मक शासन में अनेक दोष पाए जाते हैं-

1. संगठन व कार्य-पद्धति में भिन्नता- संघीय शासन प्रणाली में प्रशासनिक संगठन व कार्य-पद्धति में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि केन्द्र एवं राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्रता और शक्तियॉ प्राप्त होती हैं। कई बार ऐसे विषय होते हैं जो सामान्य महत्व के होते है लेकिन राज्यों को शक्ति प्राप्त होने के कारण अलग-अलग राज्यों द्वारा उस विषय पर अलग-अलग नियम बनाए जाते हैं, जो कठिनाई पैदा करते हैं।

2. जटिल और खर्चीली शासन प्रणाली- संघीय शासन व्यवस्था में संविधान कठोर होने के कारण इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, जिस कारण कई बार शासन कार्यो में परेशानी आ जाती है और शासन कार्य जटिल हो जाता है। केन्द्र व राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली होने के कारण यह व्यवस्था बहुत ही खर्चीली हो जाती है।

3. केन्द्र व राज्य सरकारों में विवाद- इस शासन व्यवस्था में कई बार संघ व राज्य सरकारों में शासन कार्यो के विषय में विवाद उत्पन्न हो जाता है। कुछ विषय ऐसे होते है जिन पर कानून बनाने व कार्य करने की शक्ति दोनों सरकारों को प्राप्त होती है। ऐसे विषयों पर केन्द्र व राज्य सरकारों में विवाद उत्पन्न हो जाता है।

4. संकट-काल में अनुपयुक्त- संघीय शासन प्रणाली में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होती है जिस कारण यह शासन-प्रणाली संकटकाल के लिए उपयोगी नहीं होती।

5. प्रशासन कार्यों में एकरूपता का अभाव- संघीय शासन में केन्द्र व राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्रता व शक्तियॉ प्राप्त होती हैं और वे अपने-अपने राजनीतिक हितों और सुविधाओं के अनुसार कार्य करती हैं, कभी-कभी एक राज्य की नीति दूसरे राज्य पर गलत प्रभाव डालती है। अतः प्रशासनिक कार्यो के संबंध में इनमें (केन्द्र व राज्यों में) एकरूपता नहीं पायी जाती है।

6. विद्रोह की सम्भावना- संघात्मक शासन में यह आशंका बनी रहती है कि इकाई राज्यों की सरकारें विद्रोह कर सकती हैं और विरोधी हितों की रक्षा के लिए राज्य इकाइयों में फूट और कलह हो सकता है। गृह-युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

3.8 संघ के लिए अपेक्षित शर्ते

संघ निर्माण के लिए कुछ अपेक्षित शर्तों या तत्वों का होना आवश्यक है। इन शर्तो की पूर्ति होने पर ही संघ का निर्माण सम्भव है। संघ की सफलता या असफलता इन शर्तों पर ही निर्भर करती है। संघ निर्माण के लिए केन्द्र तथा इकाइयों के बीच शासन-शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। साथ ही केन्द्र और इकाइयों की सरकारें एक-दूसरे से स्वतंत्र और एक-दूसरे के समकक्ष होनी चाहिए।

संघ निर्माण तथा उसकी सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य है

1. भौगोलिक सामीप्य- संघीय राज्य का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सम्पर्कयुक्त होना चाहिए, यदि संघीय राज्य के भाग या इकाइयॉं जल अथवा भूमि द्वारा बड़ी दूरी से एक-दूसरे से कटे होंगे, तो संघीय-व्यवस्था को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकेगा। भौगोलिक दृष्टि से निकटता होने पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय प्रगति तेजी से हो सकती है। सैनिक दृष्टि से भी भौगोलिक समीपता का विशेष महत्व है। भारत व अमेरिका के संघीय शासन की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि भौगोलिक दृष्टि से इकाइयॉं एक दूसरे के निकट हैं। स्विट्जरलैण्ड व आस्ट्रेलिया के संघों में भी यह गुण मौजूद है।

2. संघ की इकाइयों में समानता- संघीय राज्य के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि संघ की इकाइयों को शक्तियों के स्तर में समानता प्राप्त होनी चाहिए, चाहे उनका प्रादेशिक और जनसंख्या संबंधी आकार कुछ भी हो ।सभी इकाइयों को शक्तियों का वितरण समानता के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। शक्तियों के असमान वितरण से इकाइयों में असंतोष पनप सकता है और यह संघ निर्माण के लिए उचित नहीं हो सकता। इस संबंध में मिल का कथन है कि ‘‘संघ का सार यह है कि, कोई एक इकाई राज्य अन्य की अपेक्षा इतना अधिक शक्तिशाली और सम्पन्न न हो कि वह उन्हें दबाए और केन्द्रीय शासन को भी प्रभावित करने का प्रयास करे।

3. राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं में समानता- संघ के निर्माण की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की शैली समान हो, भारत तथा आस्ट्रेलिया में केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर शासन का संघीय रूप है। यदि सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से संस्थाओं में समानता नहीं होगी तो संघ का संगठित रहना कठिन हो जायेगा।

4. सामाजिक एवं आर्थिक विकास- संघीय शासन व्यवस्था सफलता पूर्वक कार्य करे इसके लिये यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण संघ का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो। यदि संघ का कोई भी क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा एवं अविकसित होगा तो यह संघीय व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा कर देगा और यह स्थिति संघ की सफलता के लिए उचित नहीं है।

5. राजनीतिक योग्यता आवश्यक- संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक नेतृत्व कुशल होना चाहिए और जन-जागरूकता होनी चाहिए। असफल नेतृत्व संघीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।

6. केन्द्र-राज्य समन्वय- संघ निर्माण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र तथा राज्य इकाइयों के बीच सुखद समन्वय होना चाहिए तथा संघ का चरित्र प्रतियोगी नहीं सहयोगी होना चाहिए ,उसे अपनी नीतियों के प्रति कठोर नहीं नरम होना चाहिए। संघ की क्रिया दमनकारी नहीं बल्कि सहयोग पूर्ण होनी चाहिए।

7. धर्म, संस्कृति, भाषा आदि में समानता- संघ की सफलता में समान संस्कृति, भाषा, धर्म का बड़ा योगदान होता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से नजदीक राज्य अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म की एकता व सुरक्षा के लिए एकत्र होकर संघ बना लेते हैं और यही एकता व समानता संघ की सफलता है।

8. संसाधनों की उपलब्धता- संघीय व्यवस्था में प्रत्येक इकाई की सरकार को मिलने वाले संसाधन एवं विषय पर्याप्त होने चाहिए। जिन राज्य इकाइयों में इन संसाधनों की कमी होती है उन्हें केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे संघ की व्यवस्था डगमगा जाती है। अतः संघीय व्यवस्था में संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए।

9. राजनीतिक एवं राष्ट्रीय एकता- संघ की सफलता या निर्माण के लिए संघीय राज्य के नागरिकों को राष्ट्रीय रूप में व राजनीतिक दृष्टि से एकताबद्ध होना चाहिए तथा राष्ट्र का राजनीतिक स्वरूप इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि पूर्ण राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और राज्य इकाइयों से संबंधित लोंगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अतः जब तक लोगों में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठाएँ व वचनबद्धताएँ नहीं होगीं, तब तक कोई राजनीतिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। संघीय राज्य के लिए यह अति आवश्यक है ताकि लोग दोहरे शासनों के प्रति अपनी निष्ठा को कायम रख सकें।

10. राजनीतिक जागृति- संघ के निर्माण एवं सफलता के लिए उसके नागरिकों में सक्षम राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। संघ के नागरिकों को, संघ और इकाई राज्यों के प्रति अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान आवश्यक है। संघ की सफलता उसके नागरिकों की राजनीतिक जागृति पर बहुत निर्भर करती है।

3.9 एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर

एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणालियों में निम्नलिखित आधारों पर अन्तर पाया जाता है-

1. कार्यों और शक्तियों के विभाजन के आधार पर- एकात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का स्रोत केन्द्र ही होता है। स्थानीय सरकारों को जो भी शक्ति प्राप्त होती हैं वह केन्द्र के द्वारा ही होती है और शासन कार्यों में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। किन्तु संघात्मक शासन में शासन शक्तियॉ केन्द्र में निहित न होकर क्षेत्रीय सरकारों में भी वितरित होती है ओर इन शक्तियों का स्रोत संविधान होता है।

2. सरकारों की स्थिति के आधार पर अन्तर- एकात्मक शासन व्यवस्था मे केन्द्र सरकार के पास शासन की समस्त शक्तियॉ होती हैं तथा स्थानीय सरकारें केन्द्र के अधीन रह कर कार्य करती हैं। अतः इस शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसके विपरीत संघात्मक शासन में केन्द्र के साथ-साथ स्थानीय सरकारों को भी शासन शक्तियॉ प्राप्त होती हैं तथा वे केन्द्र से स्वतंत्र होकर संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करती हैं।

3. नागरिकता के आधार पर अन्तर- एकात्मक शासन वाले राज्यों में नागरिकों की एक ही नागरिकता होती हैं अर्थात् राष्ट्रीय नागरिकता होती है, जबकि संघात्मक राज्यों में नागरिकों को राष्ट्रीय नागरिकता के साथ-साथ इकाइयों की नागरिकता भी प्राप्त होती है अर्थात् संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है।

4. संविधान की स्थिति के आधार पर अन्तर- एकात्मक शासन वाले राज्यों मे संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकारों का हो सकता है, जबकि संघात्मक शासन वाले राज्यों में शासन की शक्ति केन्द्र व राज्य सरकारों में विभाजित होती है ओर उस विभाजन को स्पष्ट करने की दृष्टि से संविधान का लिखित होना अनिवार्य है।

5. न्यायपालिका के कार्य संबंधी अंतर- संघात्मक शासन में न्यायपालिका को केन्द्र व इकाइयों, इकाई व इकाई के पारस्परिक अधिकारों संबंधी विवादों का निर्णय करना होता है, जबकि एकात्मक शासन में न्यायपालिका का कार्य मात्र यह देखना होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून कितनी ईमानदारी से लागू हो रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न- 2

1. संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा केन्द्र व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। सही/गलत

2. ‘संघ‘ शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ‘‘फोएड्स‘‘ शब्द से हुई हैं। सही/गलत

3. संघात्मक शासन प्रणाली की यह परिभाषा किसने दी कि ‘‘संघ एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें

केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति (संविधान) के अधीन होती हैं तथा ये सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर ही कार्य करती हैं।''

क. लास्की ख. फाइनर ग. गार्नर घ. ब्राइस

4. किस शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पायी जाती है?

क. एकात्मक शासन प्रणाली में ख. संघात्मक शासन प्रणाली में

ग. मिश्रित शासन प्रणाली में घ. इनमें से कोई नहीं

3.10 सारांश

मानव सभ्यता के विकास क्रम में किसी न किसी रुप में शासन का संचालन होता आया है। शासन संचालन के ये रुप समय व आवश्यकता के अनुसार बदलते रहे हैं। वर्तमान समय में शासन के दो रुपों एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली की विशेष चर्चा है। एकात्मक शासन प्रणाली शासन के सभी अधिकार केन्द्र के हाथों में रहते है और वहीं से शासन का संचालन होता है। तथा केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छा अनुसार शक्तियों का वितरण करती है। प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में एकात्मक शासन प्रणाली अधिक प्रभावी नहीं है। लेकिन संघीय शासन प्रणाली में केन्द्र व स्थानीय सरकारों में शक्ति का विभाजन होता है। विश्व के बड़े राज्यों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ,कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है।

3.11 शब्दावली

केन्द्रीकरण- एक स्थान पर एकत्र होना

अपरिवर्तनशील- जो परिवर्तित (बदल) ना हो सके

प्रभुत्व शक्ति- सर्वोच्च शक्ति, प्रभावी शक्ति

सामीप्य- सुलभता, संगमता

समन्वय- सहयोग, सामंजस्य

3.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न- 1

1. गलत 2. क. 3. क.

अभ्यास प्रश्न- 2

1. सही 2. सही 3. ग. 4. ख.

3.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. इंटर-गवर्मेन्ट रिलेशन इन इंडिया ए स्टडी ऑफ फैडरलिज्म- अमल राय

2. फैडरल गवर्मेन्ट- के0 सी0 व्हीयर

3. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं- सी0बी गैना

3.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं- सी0बी गैना

2. आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त- डॉ0 पुष्पेश पाण्डे, डॉ विजय पंत एवं घनश्याम जोशी

3.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. एकात्मक शासन प्रणाली के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इसके गुण-दोष बतलाइये।

2. संघात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसके गुण-दोष बतलाइये।

3. एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली को स्पष्ट करते हुए एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर को स्पष्ट करें।

इकाई 4 ब्रिटिश संविधान का विकास ,विशेषतायें

इकाई संरचना

4.0 प्रस्तावना

4.1 उद्देश्य

4.2 ब्रिटिश संविधान का उदय एवं विकास

4.3 ब्रिटिश संविधान की विशेषतायें

4.4 ब्रिटिश संविधान के स्त्रोत

4.5 आधुनिक विश्व व्यवस्था को ब्रिटेन की देन

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 अभ्यास के उत्तर

4.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

4.10 सहायक पाठ्य सामग्री

4.11 निबंधात्मक प्रश्न

4.0 प्रस्तावना

आज जिस देश को इंग्लैण्ड के नाम से जाना जाता है। उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन है जिसमें वेल्स, आयरलैण्ड,स्काटलैण्ड भी समाहित है। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। इसका जन्म एक समिति के द्वारा कुछ समय में नहीं हुआ है वरन यह लगभग चौदह सौ वर्षों के विकास के बाद वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। बुडरो विल्सन का यह कथन यहां प्रासगिंक हो जाता है जिसमें वह कहते है- ‘‘ इंग्लैण्ड के संवैधानिक इतिहास की यह विशेषता है कि राजनीतिक संगठनों का निरन्तर विकास होता रहा है और उसकी यह निरन्तरता प्राचीन काल से आज तक जारी है।’’

इंग्लैण्ड के संविधान का विकास क्रमशः हुआ है जिसमें तत्कालीन हालात, जन जागरूकता, की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकास की दृष्टि से इस यात्रा को छः भागों में बांटा जा सकता है। जिसमें लगभग चौहद सौ वर्षों से अधिक का समय लगा है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में तत्कालीन हालात ऐसे हो गये की राजसत्ता कमजोर होती गई और जनता एवं उनका समूह मजबूत होता गया। धीरे-2 यही समूह मन्त्रिमण्डल एवं पार्लियामेंट के वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हो गया। इंग्लैण्ड को संसदीय शासन की जननी कहा जाता है। दुनिया के अन्य देशों में संसदीय शासन का प्रसार यहीं से हुआ है। यहाँ पर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है तथा अपनी कैबिनेट का निर्माण करता है। जब तक सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत होता है वह सत्ता में रहता है। बहुमत समाप्त होते ही प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ता है। यह दुनिया का सबसे जबावदेह शासन है। इसमें सरकार के ऊपर दोहरा नियन्त्रण रहता है। ब्रिटेन के सम्पूर्ण शासन व्यवस्था को चलाने में वहां के नागरिकों की जागरूकता है। वे परपरांवादी है। अतः अलिखित संविधान होते हुए भी रूढ़ियों,परम्पराओं के आधार सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आगे बढ़ रही है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था एवं वहां का संविधान अतुलनीय है। ऐसा कोई अन्य उदाहरण हमें कहीं और नहीं मिलता है।

4.1 उद्देश्य

1. इस इकाई में हम ब्रिटिश संविधान का उदय एवं विकास का अध्ययन करेंगें।
2. ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगें।
3. ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्त्रोत की जानकारी प्राप्त करेंगें।
4. आधुनिक शासन व्यवस्थाओं को ब्रिटेन की देन का पता लगायेंगें
5. ब्रिटेन के संविधान का मूल्यांकन कर सकेंगे।

4.2 ब्रिटिश संविधान का उदय एवं विकास

ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। इसका निर्माण किसी सभा या समिति के द्वारा किसी निश्चित समय में नहीं किया गया है। इसके प्रारम्भ में वर्तमान स्थिति में पहुंचने में इसे चौदह सौ वर्षों से अधिक समय लगा है। ब्रिटिश संविधान के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया धीरे-2 आगे बढ़ी है। इसमें तत्कालीन हालात परिस्थितियां तथा राजा का कमजोर होना आदि तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। इस सम्पूर्ण विकास यात्रा को हम सुविधा की दृष्टि से छः भागों में बांटा जा सकता है-

1. एंग्लो-सैक्सन कालः- सीमित राजतन्त्र की स्थापना- ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं का विकास निश्चित रूप से ''एंग्लो-सैक्सन काल '' से होता है। इस समय में ब्रिटेन में रोमन आधिपत्य स्थापित हो गया थ अतः रोमन साम्राज्य का व्यापक प्रभाव हुआ। इस विदेशी शासन के दौरान अन्य संवैधानिक विकास का अभाव दिखा परन्तु कुछ नये तत्वों का वहां विकास हुआ जो आगे जाकर मील के पत्थर साबित हुए। इस समय दो नई संस्थाओं का विकास हुआ-

1. नियन्त्रित राजपद
2. स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था

यह ब्रिटेन के इतिहास का वह समय था जब राजा की शाक्तियां असीमित नहीं थी उसके ऊपर '' विटेनजमोट'' या ''विटन'' (एक प्रकार की सभा) का नियन्त्रण था। विटेनजमोट की अध्यक्षता राजा

करता था तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति वह प्रभावी सांमत सरदारों से करता था। यह संस्था कानून निर्माण, संधि, समझौतों, प्रशासनिक मामलों में राजा को परामर्श देती थी। राजा सामान्यतः उनके परामर्श से कार्य करते थे।

इसी काल की दूसरी महत्वपूर्ण देन स्थानीय स्वशासन का विकास है। उस स्थानीय स्वशासन की तीन इकाईयां टाउनशिप, हण्ड्रेड और शायर थी। उसी समय से ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन अस्तित्व में है। यहाँ पर ब्लेकस्टोन का कथन प्रंसगिक हो जाता है- ''इंग्लैण्ड की स्वतन्त्रता उसकी स्वतन्त्र स्वायत्त संस्थाओं की देन है। अपने पूर्वज सैक्सनों के समय से अंग्रेजों ने नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों को अपने द्वार पर सीखा''।

2. नार्मन-ऐन्जिवन काल(1066 ई0 से 1153 तक)- 1066 ई0 में नार्मन देश के राजा विलियम आफ नरमण्डी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर अपनी सत्ता स्थापित की। नार्मन राजा ने मजबूत, केन्द्रीयकृत शासन स्थापित किया। मुनरों के शब्दों में -प्राचीन सैक्सन शासन स्थानीय क्षेत्रों में अशक्त, राष्ट्रीय स्तर पर निर्बल था, इंग्लैण्ड का नार्मन शासन दोनों जगह सशक्त हो गया।'' इसी समय नार्मन शासक ने ''विटेनजमोट'' को समाप्त कर दिया। राजा के कार्य बढ़ने से सभी समय उसकी सहायता के लिये उसी समय ''मैग्नम कांसीलियम'' और ''क्यूरिया रेजिस'' (राज्यपरिषद) का उदय हुआ। ''मैग्नम कांसीलियम'' ''विटेनजमोट'' के स्थान पर आयी। ''क्यूरिया रेजिस'' छोटी परन्तु अधिक प्रभावशाली संस्था थी। आगे जाकर ''क्यूरिया रेजिस'' से प्रिवी कौसिंल, प्रिवी कौसिंल सें कैबिनेट का विकास हुआ। कयूरिया रेजिस के सदस्य मैग्नम कांसीलियम के भी सदस्य होते थे। मैग्नम कासंलियम तथा क्यूरिया रेजिस नार्मन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। यही से ब्रिटेन ही नहीं वरन दुनिया को संसद एवं कैबिनेट के अस्तित्व के पहले संकेत मिले। मनुरो के शब्दों में -'' मैग्नम कांसीलियम में हमें आधुनिक पार्लियामेंट का और कयूरिया रेजिस में हमें आधुनिक कैबिनेट का स्वरूप दिखायी पड़ता है।''

3. प्लैब्टेगैनट(1153 ई0 से 1399 ई0 तक), लंकास्ट्रियन(1399-1445) कालः- वैधानिक संस्थाओं का उदयः- नार्मन काल की संस्थाओं में हेनरी के द्वारा व्यापक सुधार किये गये। नार्मन काल में स्थापित क्यूरिया रेजिस के समक्ष कार्य की अधिकता हो गई। वह प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के कार्यों का संपादन कर रही थी। हेनरी प्रथम ने कार्यों का विभाजन किया। उसने प्रशासनिक कार्यो के लिये क्यूरिया रेजिस की तरह एक नई संस्था को जन्म दिया। जो प्रिवी

कौसिल'' कहलायी। शेष न्यायिक कार्यों के लिये '' एक्सचेकर'' के रूप में नई संस्था को जन्म दिया जो न्याय के उच्च न्यायालय का जनक बन गया।

प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का उदयः- इसी काल में प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का उदय हुआ। प्लैण्टेगैनेट काल में मैग्नम कांसिलयम विधि निर्माण तक ही सीमित नहीं रह गई थी। इसकी सदस्य संस्था का विस्तार हुआ। इसी समय तत्कालीन ब्रिटिश शासन को नये कर लगाने की आवश्यकता थी। उसने प्रत्येक काउण्टी से चार नाइटों को मैग्नम कांसीलियम में आमत्रित किया। यहीं से एक नये सिद्धान्त का सूत्रपात हुआ जो ''प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं''के रूप में जाना गया। अनजाने में ही सही यह सिद्वान्त आधुनिक शासन व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण देन था। यही से यह स्थापित हो गया कि बिना व्यापक जन स्वीकृति के नये कर नहीं लगाये जा सकते।

मैग्नाकार्टा या वृहद अधिकार पत्रः- 1199 में इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर जान बैठा। वह अयोग्य, अदूरदर्शी शासक था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर जनता ने विद्रोह कर दिया 15 जून 1215 को ''रनीमेड'' नामक स्थान पर उसने अधिकार पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह मानव इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। इस अधिकार पत्र के द्वारा सांमतो, सरदारों के पुराने परम्परा गत अधिकारों को बदल कर दिया गया। धीरे-2 यह अधिकार आम जनता को हस्तान्तिरित हो गये। विलियम स्टब्स के शब्दों में-''इंग्लैण्ड के संविधान का इतिहास महान अधिकारपत्र की व्याख्या है।''

इस अधिकार पत्र से राजा के अधिकारों पर नियन्त्रण लगा तथा आम लोंगों को व्यापार, दोष सिद्धि के बिना दण्ड नहीं, नये करारोपड़ पर प्रिवी कौसिंल की सहमति, चर्च के कार्यों में दखल नहीं, प्रभावशाली सरदारों सामंतों को प्रिवी कौसिंल में स्थान दिया गया। थामसन एवं जानसन ने लिखा है- '' मैग्नाकार्टा ब्रिटिश संविधान का आधार स्तम्भ है क्योंकि इसने यह प्रतिपादित किया है कि राजा विधि के ऊपर नहीं है वरन विधि के अधीन है।'' कतपय यही कारण है कि यही से राजा की निरंकुशता का अन्त एवं मर्यादित प्रजातन्त्र का उदय का प्रारम्भ होता है।

पार्लियामेंट का उदयः- 1254 में तत्कालीन सम्राट हेनरी तृतीय ने प्रत्येक काउण्टी से दो नाइटों के विचार विमर्श के लिये आमन्त्रित किया। प्रस्तावित नये करों को लेकर राजा एवं प्रतिनिधियों में संघर्ष हो गया। इस संघर्ष सांमतों के मुखिया ''साइमन माण्टफोर्ड'' विजयी हुए और उन्होंने 1262 में सम्पूर्ण देश से लोगों को आमन्त्रित कर नये युग का सूत्रपात किया। 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सामन्तों,पादरियों के अतिरिक्त प्रत्येक

नगर से प्रतिनिधियों को भी बुलाया। इसी बैठक को ही ‘‘मार्डन पार्लियामेंट’’ कहा गया। इसी काल में 1407 में निम्न सदन ने स्वयं वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार ले लिया आगे चलकर यह अधिकार परम्परा बन गई। आज दुनिया के सभी देशों में वित्त विधेयक निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है।

4. ट्यूडर कालः- पुनः कठोर राजतन्त्र की स्थापना(1485-1603)ः- 1485 में हेनरी टयूडर ने सप्तम हेनरी के नाम से सत्ता ग्रहण की। इस समय सांमतों एवं संसद की शक्ति क्षीण हो गई और निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया। उस समय जनता भी युद्ध के बाद शांति और व्यवस्था चाहती थी अतः उनको व्यापक समर्थन मिला। इस काल में महत्वपूर्ण उपलब्धि मजबूत राजसत्ता पोपशाही से मुक्त हो गई।

5. स्टुअर्ट कालः- निरंकुश राजतंत्र एवं सीमित राजतन्त्र में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला (1603-1704)- रानी का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण 1603 में ब्रिटेन की गद्दी पर स्काटलैण्ड का राजा जेम्स प्रथम बैठा। उसी समय संसद एवं सम्राट के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसके बाद यह संघर्ष निरन्तर बढ़ता गया। 1628 में संसद समर्थक चार्ल्स से ‘‘पीटिशन आफ राइटस’’ मनवाने में सफल रहे। जिससे राजा की शक्तियों पर निम्न प्रतिबंध लगे-

1. राजा संसद की स्वीकृति के नये कर नहीं लगा सकती।

2. बिना किसी निश्चित कारण के राजा किसी को जेल में नहीं डाल सकता।

3. शन्तिकाल में राजा मार्शल ला नहीं लगा सकता।

दबाव में चार्ल्स ने‘‘ पीटिशन आफ राइटस’’ स्वीकार तो किया परन्तु लागू नहीं किया। आगे जाकर संसद को भंग कर दिया। 11 वर्ष तक बिना संसद के उसने शासन इस बीच संसद समर्थकों एवं सम्राट के बीच लम्बा संघर्ष चला अतः संसद समर्थकों की जीत हुई और राजा को मुकदमा चलाकर 1649 में मृत्युदण्ड दे दिया गया।

गणतन्त्र की स्थापनाः- 1649 में ब्रिटेन में राजतन्त्र एवं लार्ड सभा को भंगकर ''क्रामवेल-- की अध्यक्षता में गणतन्त्र की स्थापना की गई। इसी समय ब्रिटेन में एक लिखित संविधान अपनाया गया जो ''क्रामवेल'' की मृत्यु तक (1658) चलता रहा।

पुनः राजतन्त्र की स्थापनाः- क्रामवेल की मृत्यु के बाद गणतन्त्र को समाप्त कर दिया। चार्ल्स द्वितीय ने गद्दी पर बैठते ही प्रिवी कौसिंल जो बड़ी संस्था हो गई थी में से कुछ खास सदस्यों से परामर्श करना प्रारम्भ कर दिया। यह परामर्श की नई परम्परा एवं नई समिति आगे जाकर ''कबाल'' ''ब्।ठास्'' कहा जाने लगा। इसी से बाद में ''कैबिनेट'' का उदय हुआ। इसी समय 1679 में ''हैवियस कार्पस एक्ट'' पारित किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई की बिला अभियोग चलाये किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं किया जा सकता।

गौरवपूर्ण क्रान्ति- चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स प्प् गद्दी पर बैठा उसने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पर रोक लगाकर दैवीय सिद्वान्त विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारम्भ कर दिया। इस समय फिर से टकराव उत्पन्न हो गया। ब्रिटेन से लोगों ने आरेंज के राजकुमार विलियम को ब्रिटेन पर आक्रमण के लिये आमन्त्रित किया। जेम्स प्प् फ्रांस भाग गया और बिना रक्तपात के सत्ता में परिवर्तन हो गया। इसे ही ''गौरवपूर्ण क्रान्ति'' कहते हैं। 1689 में संसद बिल आफ राईट्स मनवाने में सफल हो गई, इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-

1. बिना स्वीकृति के नये कर नहीं।
2. वर्ष में एक बार संसद की बैठक बुलाई जानी अनिवार्य।
3. संसद की पूर्व स्वीकृति के राजा सेना नहीं रख सकता।
4. राजा व्यक्तिगत हित में नये न्यायालय स्थापित नहीं कर सकता।
5. संसद में जनता के प्रतिनिधियों को विचार अभिव्यक्ति की आजादी होगी।

प्रो0 एडम्स ने ठीक ही कहा है- ''यह ब्रिटिश इतिहास में लिखित संविधान के निकट की वस्तु थी''।

1701 का उत्तराधिकार अधिनियम- 1701 के अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया कि रानी की मृत्यृ के बाद शासन राजकुमारी सोफिया को प्रदान कर दिया जायेगा। इसी अधिनियम के

द्वारा न्यायाधीशों को सदाचार पर्यंत पद पर बने रहने की सुविधा दी गई। इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना न तो विदेश जा सकता है और न ही युद्व की घोषण कर सकता है।

(6) हैनोवर काल- संसदीय जनतंत्र का विकास- 1689 के अधिकारपत्र से ब्रिटेन द्वारा 1714 में हैनोवर का जार्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। यही से संसदीय लोकतन्त्र का वास्तविक शुभारम्भ हुआ। संसदी जनतन्त्र के विकास को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं-

1. राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन हो गया। इससे पहले मन्त्रियों की मन्त्रियों की नियुक्ति एवं पदच्यूति में राजा का महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सभी शक्तियों का केन्द्र बिन्दु संसद बन गई। महानी विक्टोरिया के आते-2 सम्राट एक संवैधानिक शासक एक संवैधानिक शासक मात्र बनकर रह गया।

2. मन्त्रिमण्डल प्रणाली का विकास-हैनोवर काल से पूर्व मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता सम्राट करता था। हैनोवर राजा जार्ज अंग्रेजी जानता नहीं था साथ ही उसकी राजनीतिक व्यवस्था में रूचि नहीं थी अतः उसने कैबिनेट की अध्यक्षता में जाना छोड़ दिया। 1721 में राबर्ट वालपोल ने पहली बार कैबिनेट की अध्यक्षता की और वह पहले प्रधानमंत्री कहलाये। इसी समय कुछ परम्पराओं का विकास हुआ जो संसदीय शासन की आज भी जान बनी हुई है जैसे वालपोल ने हाउस आफ लार्ड्स में पराजित होने पर पद से त्याग पत्र दे दिया। कालान्तर में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्वान्त भी यहीं से विकसित हुआ।

3. लोक सदन की तुलना में हाउस आफ लार्ड्स की शक्तियों का पतन- प्रारम्भ से ही हाउस आफ लार्ड्स बहुत प्रभावी थी। हाउस आफ कामन्स उसकी परछाईं मात्र थी। वास्तविक लोकतन्त्र के लिये यह आवश्यक था कि आमजन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था को शक्तिशाली बनाया जाये। 1832 में लार्ड सभा की इच्छा के विरूद्व ''सुधार अधिनियम'' पारित हुआ। यही से लार्ड सभा की शक्तियाँ कम होना प्रारम्भ हो गईं 1910 में लार्ड जार्ज ने जब बजट को पास होने से रोका तब 1911 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लार्ड सभा की शक्तियाँ सीमित कर दी गईं 1949 के अधिनियम से लार्ड सभा की रही सही शक्तियाँ समाप्त हो गईं वास्तविक लोकतन्त्र के अनुरूप जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था '' हाउस आफ कामन्स'' के पास वास्तविक शक्तियाँ आ गईं

4. निम्न सदन का लोकतान्त्रिकरणः- ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी तक संसद ने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी परन्तु वह अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो पाई थी। इसी दौरान संसद के अन्दर एवं बाहर मताधिकार को व्यापक करने का आन्दोलन चला। इसके परिणाम स्वरूप 1832 के सुधार अधिनियम के द्वारा मध्यम वर्ग को मताधिकार दिया गया। 1876 में कारीगरों, नगर मजदूरों को मताधिकार प्रदान किया गया। 1884 में ग्रामीण मजदूरों को मताधिकार दिया गया। 1918 में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। अंततः 1928 में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया। 1970 में पारित विधेयक के अनुसार ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो गया।

5. लार्ड सभा की शक्तियों का पतनः- प्रारिम्भिक वर्षों में लार्ड सभा अत्याधिक शक्तिशाली थी। वे अपने मनोनीत सदस्यों को ही निम्न सदन में भेजते थे। 1832 का अधिनियम लार्ड सभा की इच्छा के विरूद्ध पास हुआ था। धीरे-2 लार्ड सभा की शक्तियों का क्षय प्रारम्भ हो गया और वित्त विधेयक निम्न सदन में प्रस्तावित होगा कि परम्परा स्थापित हो गई। 1910 में लार्ड जार्ज ने बजट को अस्वीकार कर इसे भंग किया। अंततः 1911 एवं 1949 के अधिनियम के द्वारा लार्ड सभा की शक्तियों को अत्यन्त सीमित कर दिया गया।

4.3 ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषतायें

प्रथम ब्रिटेन का अतीत गौरवपूर्ण रहा है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विश्व राजनीति की प्रथम शक्ति के रूप में उभरा। राजनीति शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। यह ऐसा देश है जिसने विश्व राजनैतिक व्यवस्था को बहुत कुछ दिया है। इसे संसदीय शासन की जननी कहा जाता है। यहां से ही दुनिया के अन्य देशों में संसदीय व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। नागरिक अधिकार ,स्वतंत्रता, विशेषाधिकारों का अंत का सूत्रपात यही से होता दिखाई पड़ता है। ब्रिटेन के संविधान में कुछ तत्व है जिसके कारण इसका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है-

1. प्राचीनतम संविधानः- यह विश्व का प्राचीनतम संविधान है। विश्व के किसी भी संविधान का इतना लम्बा इतिहास नहीं रहा है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला संविधान था जो 1400 वर्षों से अधिक समय में अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका। इस संविधान का महत्व इस बात से और

बढ़ जाता है कि इसने न केवल प्रजातन्त्र का सूत्रपात किया वरन सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था को भी प्रभावित किया।

2. वास्तविक लोकतंत्र का जनकः- ब्रिटेन के संविधान के द्वारा सर्वप्रथम लोकतन्त्र का अंकुरण हुआ। इसे आधुनिक विश्व को प्रथम लोकतान्त्रिक संविधान कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। निरंकुश राजतन्त्र से सक्षम लोकतन्त्र की यात्रा उतार-चढ़ाव भरी रही। यह सत्य है कि ब्रिटेन से पहले यूनान में लोकतन्त्र प्रचलित था परन्तु उस व्यवस्था और ब्रिटेन से पहले यूनान में लोकतन्त्र प्रचलित था परन्तु उस व्यवस्था और ब्रिटेन एवं आज के विशाल राज्यों के लोकतन्त्र में बड़ा अन्तर है। विशाल राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र को अपनाने का पहला सफल प्रयास ब्रिटेन में ही हुआ। विश्व के अन्य देशों ने लोकतन्त्र को यही से ग्रहण किया। मुनरो के शब्दों में -‘‘ अठारवी एवं उन्नीसवीं शताब्दियों में सभ्य संसार के एक बहुत बडे भाग का लोकतान्त्रिक अधिकाशतः अंग्रेज भाषा-भाषी जातियों के नेतृत्व में हुआ।’’

3. एकमात्र अलिखित संविधानः- यह आधुनिक समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के मौलिक सिद्धान्त लिपिक न होने के बावजूद यहां न तो अराजकता है और न ही निरकुशता। यहां पर पूर्णतः नागरिक स्वतन्त्रता की बहाली है। इसका मुख्य कारण यहा के नागरिकों की जागरूकता,परम्परावादी होना हैं। वे कर्तव्यपरायण नागरिक है और स्वनुशासन पर भरोसा रखते हैं। कतिपय यही कारण है सभी सिद्धान्तों का लिखित उल्लेख न होने के बावजूद वहां पर सम्पूर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ रही है।

4. विकसित संविधानः- ब्रिटिश संविधान लम्बे विकास यात्रा का परिणाम है। इसे किसी संविधान सभा ने तैयार नहीं किया है। यहां लम्बे विकास यात्रा का फल है। इसके विकास में सैकड़ों वर्षो का समय लगा। समय,हालात, निरंकुश राजतन्त्र की चुनौतियों से होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है। यहां पर किसी प्रकार की क्रान्ति,रक्तपात हुए बिना ही शांति पूर्ण परिवर्तन से राजतन्त्र का स्थान लोकतन्त्र ने लिया।

5. स्वतन्त्रता का प्रतीकः-ब्रिटिश संविधान की यह विशेषता है कि इसमें मानव स्वतन्त्रता पर अत्याधिक बल है। यद्यपि उनके संविधान में किसी प्रकार अधिकारों की घोषणा नहीं है वरन आधुनिक विश्व में किसी भी देश के नागरिक से कम स्वतन्त्रता का उपयोग वे नहीं करते है। वे प्रारम्भ से ही निरकुंश राजतन्त्र के विरूद्ध मानव स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष कर रहे थें और उसमें उन्हें

सफलता मिली कतिपय यही कारण है कि वह अपने सामान्य जीवन प्रशासन एवं अन्य कार्यों में नागरिक स्वतन्त्रता को सबसे ऊपर रखते है।

6. आधुनिक शासन व्यवस्था पर प्रभावः- यह संविधान सबसे प्राचीन एवं प्रभावशाली है। इसने इंग्लैण्ड ही नहीं सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया। संसदीय शासन का जो सूत्रपात यहां से हुआ वह दुनिया के कोने-2 तक फैला। आज शासन प्रणाली के रूप में संसदीय शासन प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय हैं दुनिया में सौ से अधिक देशों ने शासन प्रणाली के रूप में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। आज दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो कहीं न कहीं से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था ,नागरिकों के अनुशासन, नागरिक स्वतन्त्रता से प्रभावित न हो। मुनरो के शब्दों में-''ब्रिटिश संविधान संविधान का जनक है, ब्रिटिश संसद संसदों की जननी हैं। अन्य देशों के विधानमण्डल को कोई भी संज्ञा दी जाय उसका उद्गम स्थ्ल एक ही है।''

7. लचीला संविधानः- ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है। यहाँ पर संसद सामान्य बहुमत से यहां के संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। एन्सन के शब्दों में-'' हमारी पार्लियामेण्ट जंगली चिड़ियों एवं मछली की रक्षा के लिये कानून बना सकती हैं या लाखों लोगों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है।''

सैद्धान्तिक दृष्टि से कानून लचीला है परन्तु व्यवहार में नागरिकों की रूढ़िवादिता,परम्पराओं ने संविधान ने परिवर्तन का कार्य जटिल बना दिया है। अब वहां यह परम्परा बन गई है कि संविधान में बड़ा परिवर्तन तब तक न किया जाय जब तक आम चुनाव में उस पर जनमत न ले लिया जाय। 1911 में लार्ड सभा की शक्तियों में कटौती 1910 के चुनाव में जनता की राय जानने के बाद की गई थी।

8. सिद्धान्त एवं व्यवहार का अन्तर:-ब्रिटेन के संविधान की यह विशेषता है कि वहां सिद्धान्त एवं व्यवहार में व्यापक अन्तर पाया जाता है। उसके सिद्धान्त एवं व्यवहार के अन्तर को हाम इस प्रकार देख सकते है-

1. सैद्धान्ति रूप से वहां आज भी राजतन्त्र है परन्तु व्यवहार में वास्तविक लोकतन्त्र है।

2. सिद्धान्त में संसद कैबिनेट पर नियन्त्रण रखती है परन्तु व्यवहार में कैबिनट ही संसद को नियन्त्रित करती है।

3. सिद्धान्त में व्यवस्थापिका,कार्यपालिका अलग उद्देश्य के लिये है परन्तु व्यवहार में कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थपिका से हुआ है और वे घनिष्टता से जुड़ी हुई है।

9. संसद की सर्वोच्चता:- ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। वहां संसद का स्थान सबसे ऊपर है। वह एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। वह साधारण बहुमत से ही किसी कानून को परिवर्तित कर सकती है। उसके द्वारा निर्मित कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वहां पर भारत एवं अमेरिका की तरह न्यायिक पुर्नवलोकन की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि डी लोम्ब लिखते हैः- ‘‘ संसद स्त्री को पुरूष और पुरूष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है।’’

संसद की सर्वोच्च स्थिति को व्यवहार में लोकमत, परम्पराओं से मर्यादित होना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी उसे मर्यादित करता है।

10. एकात्मक शासनः-ब्रिटेन में विशालता एवं विविधता का अभाव है यही कारण है कि वहां पर एकात्मक शासन को अपनाया गया है। शासन की समस्त शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है। प्रशासन की सुविधा के लिये प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया गया है परन्तु उन्हें शक्तियां केन्द्रीय सरकार से ही प्राप्त है। प्रशासनिक इकाईयां संविधान से शक्तियां नहीं प्राप्त करती है।

11. विधि का शासनः- यह इंग्लैण्ड के संविधान की प्रमुख विशेषता है कि जिसका आशय है कि शासन व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन कानून से चलता है। ब्रिटेन में सभी लोग एक ही कानून, न्यायालय के अधीन है। उनके पद,प्रमाण से वह कानून से मुक्त नहीं है। यह व्यवस्था फ्रांस से अलग है जहां सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रशासकीय कानूनों का उल्लेख मिलता है।

12. नागरिक स्वतन्त्रता पर बलः- ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता पर अतयाधिक बल है। यद्यपि वहां पर अधिकारों के पत्र का अभाव है परन्तु नागरिक किसी भी देश की तुलना में अधिक स्वतन्त्र है। उन्हें संसदीय अधिनियमों से कुछ बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्रधारण करने का अधिकार, अमानुषिक दण्ड से बचने का अधिकार प्रदान किये गये है।

13. प्रजातंत्र एवं राजतंत्र का समन्वयः- ब्रिटेन में संविधान का विकास हुआ। निरंकुश राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। इनके बावजूद भी वहाँ पर राजतंत्र का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। आज भी राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा है जो वंशानुगत रूप से पद धारण करता

है। इसके साथ ही लार्ड सभा में आज भी वंशानुगत पियरो की एवं कुलीन वर्ग के प्रतिनिधित्व की वंशानुगत व्यवस्था है।

इसके पीछे मूल में वहां के लोगों का परम्परागत होना ही है। वे प्राचीन व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है वरन वे उसको सीमित कर वास्तविक लोकतन्त्र के पक्ष में है।

14. द्वि दलीय व्यवस्थाः- ब्रिटेन में व्यवहार में द्विदलीय व्यवस्था है।यद्यपि संविधान के द्वारा दलों के अस्तित्व पर रोक नहीं है परन्तु वहां पर दो दलों की व्यवस्था लम्बे समय से चली आ रही है। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति तक वहां पर उदार दल एवं अनुदार दल प्रमुख थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनुदार दल एवं मजदूर दल राजनीतिक परिदृश्य पर छा गये। व्यवहार में द्वि दलीय व्यवस्था के कारण वहां संसदीय लोकतन्त्र सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहा है। वहां पर भारत,फ्रांस की तरह मत विभाजन के कारण स्पष्ठ बहुमत के आभाव में अस्थिर सरकारों का अस्तित्व नहीं हो पा रहा है।

4.4 ब्रिटिश संविधान के स्रोत

यद्यपि ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। परन्तु इसके विकास में अनेक तत्वों का योगदान था। लम्बे विकास के क्रम में ऐतिहासिक प्रलेख, न्यायिक निर्णय, संसदीय अधिनियम, परम्पराओं, संविधान की टीकायें प्रमुख रूप से थी जिसने संविधान का वर्तमान स्वरूप पाने में मदद की। यही कारण है लम्बे विकास यात्रा में ब्रिटेन का संविधान इस स्वरूप को प्राप्त कर सका है। ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है-

1.महान अधिकार पत्रः- यद्यपि ब्रिटेन का संविधान लम्बे विकास का परिणाम है परन्तु इतिहास में कुछ घटनाओं ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को प्रभावित किया। इसमें समय-समय पर आये अधिकार-पत्रों ने अग्रणी भूमिका अदा की। इसमें सम्राट जॉन द्वारा सामंतों के समक्ष झुकते हुये 1215 का अधिकर पत्र ‘‘ मैग्नाकार्टा’’,1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति के द्वारा शासन पर जनप्रभुता स्थापित हुई, 1689 के अधिकार पत्र से पार्लियामेण्ट की वैधानिकता को स्वीकार किया। विलियम पिट के शब्दों में-‘‘ मैग्नाकार्टा,पिटीशन आफ राइटस,बिल आफ राइट्स ब्रिटिश संविधान की बाइबिल है।’’

2. संसदीय अधिनियमः- यद्यपि ब्रिटिश संविधान अलिखित है परन्तु इसके वर्तमान अस्तित्व में आने में समय-समय आगे अधिनियमों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। संसदीय अधिनियम वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिये बनाये गये कानून है। ब्रिटेन के अनेक संसदीय अधिनियमों जैसे- बंदी प्रत्यक्षीकरण 1679,व्यवस्था अधिनियम 1701,स्काटलैण्ड मिलन अधिनियम 1737,1832,1867,1884 के सुधार अधिनियम, 1911,1949 के संसदीय सुधार अधिनियम,1918 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, वेस्ट मिनिस्टर अधिनियम 1931 आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

3. न्यायिक निर्णयः- न्यायिक निर्णयों का संविधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रिटेन में यद्यपि भारत एवं अमेरिका की तरह ''न्यायिक पुर्नवलोकन''की शक्ति नहीं है परन्तु समय-समय पर वहां के न्यायालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उदाहरण के लिये सामरसैट के अभियोग में ब्रिटेन में दासता का अंत किया गया, हांवल मामले में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा की गारण्टी दी गई, वुशेल मामले से ज्यूरियो को और अधिक स्वतन्त्रता एवं अधिकार दिये गये। डायसी के शब्दों में- ''ब्रिटिश संविधान कानून का परिणाम नहीं वरन व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिये लाये गये अभियोगों का परिणाम है।''

4. सामान्य विधिः- सामान्य विधि के अन्तर्गत वे विधियां आती है जिनका विकास रीति-रिवाज एवं परम्परा से हुआ है न कि सम्राट एवं अधिनियमों से हुआ है। ये वे विधियां है जो परम्परा से स्थापित हुई है और न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों एवं स्वतंन्त्रतायें इन सामान्य विधियों की देन है। मुनरो के शब्दों में- '' सामान्य विधि संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ निरन्तर प्रगति करता है। समा्रट के विशेषाधिकार,संसद की सर्वोच्चता,फौजदारी अभियोगों में जूरी, ब्रिटिश जनता की अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतन्त्रता संबंधी अधिकार सामान्य कानूनों पर ही आधारित है।''

5.प्रथायें एवं परम्परायें- ब्रिटेन में परम्परायें एवं प्रथायें संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। वहां की सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था परम्पराओं एवं प्रथाओं पर आधारित है। उदाहरण के लिये अंग्रेजी न जानने के कारण सम्राट जार्ज ने मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता से इंकार कर दिया तभी से वहां पर यह परम्परा स्थपित हो गयी कि राजा मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसी प्रकार बहुमत होने

तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेगा, निम्न सदन ने विश्वास खोने के साथ उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अनेक परम्परायें स्थापित हो गई है जो संसदीय व्यवस्था को गति दे रही है।

6. संविधान की टीकायें- संविधान पर लिखी गई टीकायें भी संविधान का महत्वपूर्ण स्त्रोत समझी जाती है। यह देखा गया है कि संविधान संबंधी प्रश्न उठता है तब संसद,न्यायालय इन टीकाओं का ही सहारा लेते है। इस संबंध में डायसी का ग्रन्थ ‘‘ ला आफ कान्स्टीटयूशन 1885, वेजहाट का ‘‘इंग्लिश कान्स्टीटयूशन’’ सर अर्किन की पुस्तक ‘‘संसदीय कार्यपद्धति एवं चलन’’ एलसन की पुस्तक ‘‘ला एण्ड कस्टम आफ दी कान्स्टीटयूशन’’ मारीशन की ‘‘सरकार और संसद’’ आदि प्रमुख है। इस संबंध में पूर्व समा्रट, प्रधानमन्त्रियों के लेख, टिप्पणी, पत्राचार भी महत्वपूर्ण हो जाते है। एटली की पुस्तक ,जार्ज के संस्मरण आदि प्रमुख है।

7. ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विवेक एवं संयोग तत्वः- ब्रिटिश संविधान का निर्माण विश्व के आधुनिक संविधानों की तरह निश्चित समय में किसी सभा या समिति की तरह नहीं किया गया है। इसका स्वतः क्रमिक विकास हुआ है जिसमें सैकड़ों वर्ष का समय लगा है। ब्रिटिश संविधान के संबंध में लिटेन स्टे्जी कहता है-‘‘ यह संयोग एवं विवेक का शिशु है’’

ब्रिटेन में संसदीय शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, कैबिनेट व्यवस्था पूर्णतः संयोग का ही ही परिणाम है। 1295 में तत्कालीन सम्राट के द्वारा तीन अलग-अलग वर्ग सामन्त, पादरी, नगर के प्रतिनिधियों को उनकी राय जानने के लिये आमन्त्रित किया। इससे समाज के तीन वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा था परन्तु आगे जाकर संयोग से सामन्त एवं धर्माधिकारी जिनके हित एक से थे, वे एक साथ हो गये ओर नगर प्रतिनिधि एक साथ आगे जाकर यही पार्लियामेण्ट के दो सदन लार्ड सभा एवं कामन सभा कहलाये। ठीक इसी प्रकार ब्रिटेन में कैबिनेट व्यवस्था का प्रारम्भ भी संयोग से हुआ है। 1714 में हैनोवर शासकों के अंग्रेजी न जानने एवं ब्रिटिश शासन में रूचि न होने के कारण उन्होंने मन्त्रिमण्डल की बैठकों में आना बंद कर दिया अतः कैबिनेट की अध्यक्षता की एक नई परम्परा विकसित हो गई और कैबिनेअ के वरिष्ठ सदस्य ने अध्यक्षता की जो परंपरा प्रारम्भ की वह आजतक कायम है। तत्कालीन समय में राबर्ट वालपोल जो पहले प्रधानमंत्री थे ने उच्च सदन के अविश्वास प्रस्ताव पर पद नहीं छोड़ा परन्तु निम्न सदन में बहुमत खोने पर उन्होंने स्वयं सहित मन्त्रिमण्डल का त्याग पत्र दे दिया था। यही से संसदीय शासन में मन्त्रिमण्डल उत्तरदायित्व (सामूहिक उत्तरदायित्व) के सिद्धान्त का जन्म हुआ।

इसी के साथ ब्रिटेन के संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई जो सोच समझकर विवेक का परिणाम थी। लोक सदन का लोकतान्त्रिणकरण ,लोक सदन (कामन सभा) की तुलना में उच्च सदन (लार्ड सभा) की शक्तियों को सीमित करना इसी का परिणाम है। 1832, 1867,1884 के सुधार अधिनियमों के द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया और निम्न सदन का लोकतान्त्रिककरण किया गया। इसी प्रकार 1911 एवं 1949 के अधिनियमों के द्वारा गतिरोध उत्पन्न होने पर लार्ड सभा की शक्तियों को सीमित किया गया और वित्त विधेयक को निम्न सदन में पहले प्रस्तुत करने एवं निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्वान्त स्थापित किया गया। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान का निर्माण विवेक एवं संयोग दोनों का परिणाम है।

4.5 आधुनिक विश्व व्यवस्था को ब्रिटेन की देन

ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है। इसका सैकड़ों वर्षों में विकास हुआ। इसके विकास में जन चेतना, तत्कालीन हालात जिम्मेदार थे। ब्रिटेन ने प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था से न केवल आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया वरन दुनिया के समक्ष एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को माडल प्रस्तुत किया। ब्रिटेन की आधुनिक व्यवस्था को देन को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते है।

1. संसदीय शासनः- ब्रिटेन को संसदीय शासन की जननी कहा जाता है। वही पर न केवल संसदीय शासन का जन्म हुआ वरन दुनिया के अनेक देशों तक इसका फैलाव हुआ। आज दुनिया में सर्वाधिक प्रसारित शासन प्रणाली के रूप में संसदीय शासन प्रणाली है। यह दुनिया की सर्वाधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली है। यह ब्रिटेन की दुनिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है।

2. उत्तरदायी शासनः- संसदीय शासन दुनिया की सबसे उत्तरदायी (जवाबदेह) शासन होता है। इसमें सरकारों पर कठोर नियंत्रण होता है । उन्हें दो स्तरों पर जबाव देना पड़ता है पहला नियन्त्रण जनता का होता है जब उन्हें मतदाताओं को जबाव देना पड़ता है तथा दूसरा नियन्त्रण संसद के अन्दर जबाव देना पड़ता है। निम्न सदन के विश्वासपर्यन्त ही सरकार का जीवन रहता है। इस प्रकार उत्तरदायी शासन का सूत्रपात ब्रिटेन की महत्वपूर्ण देन है।

3. विधि का शासनः- आधुनिक शासन व्यवस्था का यह प्रमुख लक्षण है। आधुनिक समय में यह स्वीकार किया जाता है कि शासन कानून के अनुसार चलना चाहिए न कि व्यक्ति के अनुसार।

सभी लोग समान रूप से कानून के अधीन है सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है। यह आधुनिक सिद्धान्त पहले ब्रिटेन में देखा गया और वही से दुनिया में आया।

4. प्रतिनिधिआत्मक शासनः- आज दुनिया नगर राज्यों का दौर समाप्त हो चुका है। अब विशाल राज्यों का अस्तित्व है। अतः आज के प्रजातन्त्र में यूनान नगर राज्यों के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। ब्रिटेन में संसद के लिये नगर प्रतिनिधियों का चयन ही प्रतिनिधिआत्मक शासन का सूत्रपात था। वही से आमजन के प्रतिनिधित्व के लिये प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई और पूरी दुनिया में आज प्रतिनिधिआत्मक लोकतन्त्र आगे बढ रहा है।

5. द्विसदनात्मक व्यवस्थपिकाः- ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थपिका जन्म एक संयोग था। वास्तविक रूप से वहां पर तीन वर्ग सामंत, पादरी एवं नगरप्रतिनिधि आये थे। समय के साथ पहले दो वर्ग (सामंत,पादरी) जिनके हित एक से थे वे एक साथ बैठने लगे और दूसरा वर्ग (नगर प्रतिनिधि) एक साथ बैठने लगे यही से पार्लियामेण्ट के दो सदन बन गये। एक हाउस आफ लार्डस जो पादरी, सामंतो का प्रतिनिधित्व एवं हाउस आफ कामन सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन अस्तित्व में आया। दुनिया के लगभग सभी लोकतान्त्रिक देशों में आज द्विसदनात्मक व्यवस्थपिका दिखाई पड़ रही है, यह ब्रिटेन की बहुमूल्य देन है।

अभ्यास प्रश्न

1. मैग्नाकार्टा इंग्लैण्ड की जनता के हित में था। सत्य/असत्य
2. ब्रिटेन का संविधान......................................हैं। लिखित / अलिखित
3. ब्रिटेन के संविधान को संसदीय शासन की जननी कहा जाता है। सत्य/असत्य
4. संसदात्मक शासन दुनिया का सबसे ....शासन है। जबावदेह/गैर जबावदेह
5. रार्बट वाल्पोल को ब्रिटेन का पहला ....कहा जाता है। स्पीकर/प्रधानमंत्री

4.6 सारांश

ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। जिसका विकास सैकड़ों वर्षों में हुआ है। यही कारण है कि ब्रिटेन के संविधान को दुनिया का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन

का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से अलग है क्योकि इसका निर्माण किसी सभा या समिति ने नहीं किया है। यह क्रमिक विकास का परिणाम है जिसमें सैकड़ों वर्षों का समय लगा।

यह ऐसा संविधान है जिसके अस्तित्व में आने के मूल में तत्कालीन हालात, परिस्थितियां एवं जनचेतना थी। लोगों की स्वतन्त्रता की भावना, समता की इच्छा, परम्पराओं रीतियों से प्रेम ने एक नये स्वरूप में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें विधि का शासन, समानता, उत्तरदायित्व जन सम्प्रभुता जैसी आधुनिक प्रवृतियां वही वंशानुगत राजतन्त्र, लार्ड सभा के रूप में परपरांगत प्रवृतियां भी मौजूद है। ब्रिटेन के संविधान के विकास में एंग्लो सैक्सन काल ,नार्मन ऐन्जिन काल, प्लैण्टैगैनेट काल, ट्यूडर काल, स्टूअर्ट काल, हैनोवर काल का अपना-अपना योगदान है। जहां एग्लो सेक्सन काल में नियन्त्रित राजतन्त्र ओर स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। इसी समय ''विटेनजमोट'' की उदय हुआ जो राजा पर नियन्त्रण का प्रतीक था। नार्मन एन्जिबन काल में ''मैग्नम कासीलियम'' और ''क्यूरिया रेजिस'' का उदय हुआ जो इस समय की महत्वपूर्ण देन थी। मैग्नम कासीलियम एक बड़ी सभा थी जो अल्पकाल के लिये राजा को परामर्श के लिये वर्ष में दो तीन बार बुलायी जाती थी वही '' क्यूरिया रेजिस'' या ''राजपरिषद'' एक छोटा समूह था जो सदैव राजा को परामर्श के लिये अस्तित्व में रहती थी। यही मैग्नम कासीलियम आगे जाकर संसद एवं ''क्यूरिया रेजिस'' कैबिनेट के रूप में अस्तित्व में आयी। प्लैण्टैगैनेट काल में अनेक वैधानिक सत्ताओं का उदय हुआ इसी समय क्यूरिया रेजिस का विभाजन कर प्रशासनिक कार्य हेतु '' प्रिवी कौसिल एवं न्यायिक हेतु ''एक्सचेकर'' अस्तित्व में आयी। इसी समय ''प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं'' मैगनाकार्टा,पार्लियामेण्ट का उदय हुआ। स्टुअर्ट काल में लोकतन्त्र की आधार शिला रखी गई। इस काल में अधिकार याचना पत्र को मंजूरी दी गई, इसी समय गणतन्त्र की स्थापना, प्रिवी कौसिल के स्थान पर छोटी ''कवाल'' का उदय हुआ। इसी समय हैवियस कार्पस एक्ट, बिल आफ राइटस, उत्तराधिकार अधिनियम अस्तित्व में आए। हैनोवर काल आते-आते राजा की शक्तियों का पतन, मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का विकास, निम्न सदन का लोकतान्त्रिकरण एवं लार्ड सभा की शक्तियों का पतन हुआ। इसी समय एक्सक्लूजन बिल पर संसद ह्विग्स एवं टोरी दो दलों में विभक्त हो गई।

इन चौदह सौ वर्षों में ब्रिटेन में संविधान का विकास हुआ। इसमें ऐतिहासिक प्रलेख, रीतिरिवाजों, परम्पराओं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक,टीकाओं संसदीय अधिनियमों आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज ब्रिटेन का संविधान आधुनिकता एवं परम्परा का मिश्रण है। यह

संविधान विकसित है। यह दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान है। यह संसद की सर्वोच्चता एवं विधि के शासन को स्वीकार करता है। दुनिया की आधुनिक शासन व्यवस्थाओं को विधि का शासन, संसदीय शासन,प्रतिनिधिआत्मक लोकतन्त्र ,द्विसदनात्मक व्यवस्थपिका तथा उत्तरदायी शासन आदि ब्रिटेन की अनमोल देन है।

4.7 शब्दावली

निर्वाचक मण्डलः- प्रत्येक निर्वाचन के लिए कुछ सदस्य निश्चित होते है जो निर्वाचन का कार्य करते है, इन्हें निर्वाचक मण्डल कहते है।

प्रतिनिधि शासनः- बड़े राज्यों के उदय के साथ यह अस्तित्व में आया। ब्रिटेन में निर्वाचक क्षेत्रों से प्रतिनिधि संसद के लिये चुने जाते है। आज वास्तव में प्रतिनिधियो के माध्यम से लोकतन्त्र को क्रियान्वित किया जा रहा है।

सामूहिक उत्तरदायित्वः- प्रधानमंत्री सहित सभी मन्त्रिमण्डल के सदस्य निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होते है। निम्न सदन के विश्वास पर्यन्त ही सरकार अस्तित्व मे रहती है।

मन्त्रिमण्डलः- संसदीय शासन में मुख्य कार्यपालक को परामर्श के लिये एक मंत्रीमण्डल होता है जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है।

मैग्नम कासीलियमः- नार्मन काल में इसका उदय हुआ। यह एक बड़ी सभा थी जिसमें अनेक लोगों का प्रतिनिधित्व था। यही आगे जाकर संसद के रूप में सामने आयी।

क्यूरिया रेजिसः- यह एक छोटा समूह था जो सदैव राजा को दैनिक कार्यो में परामर्श देता था। यही आगे जाकर मंत्री मण्डल के रूप में विकसित हुई।

कवालः- स्टूअर्ट काल में क्यूरिया रेजिस के विभाजन से बनी ‘‘प्रिवी कौसिल’’ को छोटा करते हुए ‘‘कवाल’’ (छोटी सभा) बनाया गया। यह मुख्यतः परामर्श का कार्य करती थी।

4.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. अलिखित 3. सत्य 4. जवाबदेह5. प्रधानमंत्री

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्मिथ डेविड, चेज एण्ड काटीन्यूटी इन सेवनटीथ सेन्चुरी इग्लिश पार्लियामेण्ट हिस्टी[a] रिव्यू 2002।

2. सिंहल एस0सी0 ,आधुनिक सरकारों के सिद्धान्त और व्यवहार, लक्ष्मी नारायण पब्लिकिशन आगरा।

3. जेनिग्स आइबर,ब्रिटिश संविधान हिन्दी कार्यन्वयन निदेशालय नई दिल्ली ।

4. पार्थ सारथी जी0, आधुनिक संविधान 1991,मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ।

5. खन्ना वी0एन0, आधुनिक सरकारें, साहित्य भवन ,आगरा, 2002।

4.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. जेनकिंस डेविड, फ्राम अन रिटन टू रिटन, ट्रासफार्मसन टू ब्रिटिश कामन ला कान्स्टीटयूसन 2003।

2. वार्डले ए0 डब्लू0, इर्विक के0डी0,कान्स्टीटयूसनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ला पीयर्सन ,2003।

4.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. ब्रिटेन के संवैधानिक विकास पर एक निबंध लिखिए।
2. ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
3. ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए।
4. ब्रिटेन का संविधान ''विवेक एवं संयोग का शिशु है।'' स्पष्ट कीजिए।
5. ब्रिटेन के संविधान में परम्परावादी, एवं आधुनिक तत्वों का मिश्रण है, ब्रिटेन के संविधान के प्रगतिशील तत्वों पर निबंध लिखिए।

इकाई 5 : ब्रिटिश संसद

इकाई संरचना

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 ब्रिटिश पार्लियामेण्ट का उद्भव विकास

5.2.1 हाउस आफ लार्डस का गठन, शक्तियां, आलोचना, उपयोगिता

5.2.2 कामन सभा

5.2.2.1 कामन सभा की स्थिति

5.2.2.2 कामन सभा का स्पीकर

5.2.2.2.1 स्पीकर की शक्तियां

5.3 सारांश

5.4 शब्दावली

5.4 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

5.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

5.8 निबन्धात्मक प्रश्न

5.0 प्रस्तावना

ब्रिटिश पार्लियामेण्ट को संसद की जननी कहा जाता है। यह दुनियाँ का सबसे प्राचीन विधायिका है। ब्रिटिश पार्लियामेण्ट का विकास होने में सैकडों वर्ष का समय लगा। संसदीय शासन ब्रिटेन में ही नहीं रूका वरन इसका विस्तार दुनिया के अन्य देशों में भी हुआ। आज दुनिया में सर्वाधिक प्रसारित शासन प्रणाली के रूप में स्थापित है। पूरे दुनिया में इसका फैलाव का मुख्य कारण यह दुनिया की सर्वाधिक जबावदेह शासन प्रणाली है।

ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट के दो सदन है पहला हाउस आफ लार्डस है तथा दूसरा हाउस आफ कामन। हाउस आफ लार्डस उच्च सदन है जो समाज के प्रभावशाली वर्ग, सामंत, सरदारों, पादरीयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बहुत से स्थान वंशानुगत रूप से भरे जाते है। दूसरा सदन हाउस आफ कामन्स है जो निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें आमजन का प्रतिनिधित्व होता है। यह लोकप्रिय सदन है। यह वास्तविक रूप से जनआकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि समय गुजरने के साथ यह सदन निरन्तर प्रभावशाली होता गया जबकि हाउस आफ लार्डस कमजोर होता गया। पार्लियामेण्ट प्रारम्भ में अनुनय-विनय करने वाली संस्था थी परन्तु आगे जाकर यह सम्प्रभुता सम्पन्न संस्था के रूप में स्थापित हुई। यहां आंग का कथन सही लगता है-‘‘धीरे-धीरे एक समय की विनीत, आवेदक,सदा के लिए विधायक बन गई।’’न्यूमैन के शब्दों में-‘‘ यदि मन्त्रिमण्डल राजनीतिक शरीर का सिर है तो संसद इसका ह्रदय।’’

ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट अत्याधिक शक्तिशाली है। कतिपय यही कारण है कि इसे संसदीय शासन भी कहा जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट पर सर एडवर्ड कोक ने ठीक ही लिखा है कि -‘‘ संसद की व्यक्ति एवं अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि एवं पूर्ण है कि इसकी कोई सीमायें नहीं बांधी जा सकती है।’’

डायसी ने इसे सम्प्रभु मानते हुए लिखा-‘‘ वह वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है वह शिशु को पौढ़ करार दे सकती है। वह मृत्यु के बाद किसी को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गौरकानूनी सन्तान को कानूनी तथा यदि उचित समझे तो व्यक्ति को अपने मामले में न्यायधीश बना सकती है।’’

5.1 उद्देश्य

1. ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट का उद्भव एवं विकास जानना।
2. हाउस आफ लार्डस का गठन एवं शक्तियों को जानेंगें।
3. हाउस आफ कामन्स के गठन एवं शक्तियों को समझेंगे।
4. ब्रिटेन में कामनसभा की स्थिति को स्पष्ट करेगें।
5. पार्लियामेण्ट में स्पीकर की भूमिका एवं शक्तियों का अध्ययन करेगें।

5.2 ब्रिटिश पार्लियामेण्ट का उ्द्भव विकास

पार्लियामेण्ट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द ''पार्ली'' से हुआ है जिसका शब्दिक अर्थ होता है- ''विचार विमर्श करना'' इस प्रकार से पार्लियामेण्ट एक विचार विमर्श करने वाली संस्था है जहां पर विभिन्न प्रतिनिधि देश समाज के हित में विचार विमर्श करते है। नार्मन काल में सम्राट विलियम ने ''विटनेजमोट'' को समाप्त कर दिया। इसी समय राजा को परामर्श के लिये दो संस्थाओं का उदय हुआ उसमें से एक ''मैग्नम कासीलियम'' थी। यह एक वृहत संस्था थी इसके सत्र अल्पकालीक होते थे ये वर्ष में तीन से चार बार संगठित होती थी। इसमें पहले सामन्त, सरदार और पादरी बुलाये जाते थे परन्तु बाद में सामान्य लोगों की आवश्यकता महसूस की गई। प्लैण्टैगैनेट काल में 1203 में राजा जान ने आंतरिक एवं बाह्यय कठिनाईयों का सामना करने के लिए अधिक कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की। राजा ने मैग्नम कासीलियम के प्रत्येक काउन्टी में चार-चार प्रतिनिधि बुलाये जिससे जनता को विश्वास में लिया जा सके। बाद में यह वहां परम्परा के रूप में स्थापित हो गई । 1254 में हेनरी तृतीय ने भी ऐसी सभा बुलायी और आम लोगों को भी प्रत्येक काउन्टी से आमन्त्रित किया। प्रस्तावित करों को लेकर राजा एवं मैग्नम कासीलियम के बीच सहमति नहीं बन पाई और राजा एवं सांमतों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इस संघर्ष में सामंतों की विजय हुई और साइमन माटफोर्ड उनके नेता के रूप में सामने आया। उसने 1262 में पार्लियामेण्ट की बैठक बुलाई उसमें सांमतों,सरदारों के अतिरिक्त 61 नगरों के दो प्रतिनिधि जन सामान्य को भी आमन्त्रित किया। यह सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का सूत्रपात था। यही कारण है कि माण्टफोर्ड को कामन सभा का

जनक कहा गया। 1295 में एडवर्ड प्रथम ने पार्लियामेण्ट का अधिवेशन बुलाया जिसमें उच्चवर्ग के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के 172 प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया। इसे ''मार्डन पार्लियामेण्ट'' भी कहा गया। यह पहली बार था कि सामान्य वर्ग को इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व मिला। अधिवेशनों में तीन वर्ग के लोग भाग लेते थे। सामन्त वर्ग,पादरी वर्ग, सामान्य वर्ग। ये तीनों अलग-अलग भाग लेते थे। कुछ वर्षों तक ब्रिटेन की पार्लियामेण्ट त्रिसदनात्मक थी। बाद में सांमत एवं पादरी जिनके वर्गीय हित एक से थे, वे एक साथ बैठकों में भाग लेने लगे जबकि सामान्य वर्ग अलग बैठकों में भाग लेता था। इस प्रकार से संसद की एक साथ दो बैठकों होने लगी। बड़े पादरियों और सामन्तों का सदन (लार्ड सभा) तथा छोटे पादरियों ,सरदारों,सामन्तों और सामान्य व्यक्तियों का सदन कामन सभा कहलायी। प्रारम्भ में पार्लियामेण्ट अशक्त,प्रभावहीन एवं वाचक की भूमिका में थी परन्तु धीरे-धीरे यह प्रभावी हुई। 1688 में रक्तहीन क्रान्ति के पश्चात संसद की शक्तियां बढ़ती चली गई और शासक की शक्तियां घटती चली गईं प्रारम्भ में दोनों सदनों में लार्ड सभा अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी थी परन्तु 1911 और 1949 के अधिनियमों के द्वारा स्थिति बदल गई । अब कामन सभा सशक्त एवं लार्ड सभा निर्बल सदन हो गई है।

5.2.1 हाउस आफ लार्डस का गठन, शक्तियां, आलोचना, उपयोगिता

ब्रिटेन को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उद्गम स्थल कहा जाता है। ब्रिटेन में सबसे पहले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गयी हैं। लार्ड सभा विश्व की सबसे प्राचीन एवं विशाल सभा है। अपने प्रारम्भिक वर्षों में लार्ड सभा अत्याधिक प्रभावी सदन थी। बाद के वर्षों में लोकतान्त्रिक मूल्यों के कारण लार्ड सभा की शक्तियों का ह्रास हुआ। आज लार्ड सभा अपने अतीत की छाया मात्र बन कर रह गई है। इसे लोकतन्त्रीय व्यवस्था में कुलीन तंत्र का धब्बा भी माना जाता है क्योंकि इसमें आज भी प्रतिनिधित्व के लिये वंशानुगत व्यवस्था को अपनाया जाता है। आधुनिक समय में लार्ड सभा वंशानुगत रूप से संगठित एक मात्र सदन है। आज लार्ड सभा न केवल द्वितीय वरन द्वितीय मतव्य के सदन के रूप में स्थपित हो चुका है।

गठनः- लार्ड सभा के सदस्य संख्या सदैव समान न रहकर सदैव बदलती रहती है। 1848 में इसके सदस्यों की संख्या 844,1952 में 842 ,1956 में 820 थी। 1968 में इसकी सदस्य संख्या 1062 के

ऊपर हो गई थी। वर्तमान समय में सदस्य संख्या 1200 से ऊपर है। 1994 में सदस्य संख्या 1206 हो गई थी। यह स्थाई सदन है इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लार्ड सभा में पीयर्स ही बैठ सकते है। ब्रिटेन में इसका आशय धनिक,कुलीन वर्ग। ब्रिटेन में राजा ही सदस्यता प्रदान करता है परन्तु वास्तव में आज राजा प्रधानमंत्री के नियन्त्रण में कार्य करता है। अतः यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही होता है। सामान्यतः साहित्य,कला,युद्ध,कानून,राजनीति के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री उन लोगों को भी सदस्यता दिलवाने में मदद करते है जो पार्टी के आर्थिक मदद दे रहे हो या उनसे राजनैतिक हित साध रहे थे। पियरेज भी पाँच स्तर की होती है-डयूक्स,मार्कुइस,अलर्ज,वाईकांउट तथा बेरेज आदि । कानूनी लार्ड और धार्मिक लार्ड को छोड़कर सभी वंशानुगत होते है। पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र पियर कहा बन जाता और शेष साधारण नागरिक ही रहते। लार्ड सभा के सदस्य छःप्रकार के होते है यह है-1- राजवंश के राजकुमार 2- यूनाइटेड किंगडम के पीयर 3- स्काटलैण्ड के पियर 4- अध्यात्मिक पियर 5- विधि लार्ड 6- आजीवन पीयर। राजा के ज्येष्ठ पुत्र को प्रिंस आफ वेल्स या डयूक आफ कारनावाल कहते है। दूसरे पुत्र को डयूक आफ यार्क कहते है। इस तरह सदन की इनकी सदस्यता राजवंश के सदस्य के नाते नहीं वरन डयूक होने के नाते मिलती है। सन् 1994 तक वंशानुगत पीयर की संख्या 777 थी जिनमें से 758 वे थे जिनके पूर्वज पियर थें। केवल 19 लार्ड पहली बार आनुवंशिक पीयर बने। इनके अतिरिक्त 382 आजीवन पीयर जिनमें 61 महिलाएं थी। विधि लार्डस की संख्या 21 तथा धार्मिक पीयर की संख्या 26 थी।

यूनाइटेड किंगडम के पीयरः- यह पीयर में सबसे बड़ा वर्ग है। 1707 में इंग्लैण्ड स्काटलैण्ड के यूनियन से पहले इंग्लैण्ड के पीयर लार्ड सभा में तथा स्काटलैण्ड के पीयर स्काटलैण्ड के ऊपरी सदन में बैठते थे। यूनियन के बाद यह तय किया गया कि इंग्लैण्ड के सदस्य तो यथावत तथा स्काटलैण्ड 16 पीयर भेजते रहेंगे। 1800 में आयरलैण्ड के ग्रेट ब्रिटेन में शमिल हो जाने के बाद इन्हें ग्रेट ब्रिटेन के पीयर कहलाते है। 1958 में महिलाओं को भी लार्ड सभा में आजीवन पीयर के रूप में सम्मिलित किया गया। 1963 से आनुवंशिक पीयर के लिये महिलाओं को छूट दे दी गई यदि उनका कोई भाई न हो। ये पीयर लोकसेवक है सदन के राजनीतिक कार्यकलापों में हिस्सा नहीं ले सकते। न्यायिक सदस्य तभी भाग लेते है जब सदन न्यायालय के रूप में बैठता है। क्राउन किसी भी व्यक्ति को लार्ड बनाने के लिये स्वतंत्र है। 1963 में पीयरेज एक्ट में संशोधन के बाद व्यक्ति की पूर्वानुमति से ही सदस्यता दी जाती है। व्यक्ति सदस्यता लेने से इंकार भी कर सकता है। 1963 में लार्ड हूम ने

प्रधानमंत्री का पद धारण करने की लालसा में पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। सदस्यता छोड़ने के बाद उसे पीयरेज संबंधी कोई लाभ उठाने का अधिकार नहीं है।

स्काटिश पीयर:- 1707 के विलय अधिनियम के अनुसार स्काटलैण्ड के पीयर एडिनवरा नामक स्थान पर लार्ड सभा के लिये 16 प्रतिनिधि चुनते है। इन्हें ग्रेट ब्रिटेन के पीयर कहा जाता है। ये लार्ड सभा के वंशानुगत पीयर है।

आध्यात्मिक पीयर:- लार्ड सभा में 26 आध्यात्मिक पीयर है। इसमें से कैष्टवरी एवं मार्क के आर्च विशप तथा लन्दन,डरहम विन्चेस्टर के आर्क विशप तथा शेष 21 अन्य आर्क विशप होते है। 1953 में स्काटलैण्ड,आयरलैण्ड,वेल्स चर्च ने भी अपने प्रतिनिधित्व की मांग की।

विधि लार्डः- लार्ड सभा में 21 विधि लार्ड है। ब्रिटेन में लार्ड सभा अपील का अंतिम न्यायालय है। ब्रिटेन में विधि लार्ड के रूप में बड़े विधि विशेषज्ञों को नियुक्ति किया जाता है। ये आजीवन पीयर्स होते है। न्यायिक पद पर यह तब तक रहते है जब तक न्यायिक अवधि होती है । जब सदन न्यायिक कार्य के लिये बैठता है तो 21 विधि लार्ड के अतिरिक्त लार्ड चासंलर अध्यक्षता करता है। सिद्धान्तों में तो अपीलों की सुनवाई के काम में अन्य सब पीयर भी भाग ले सकते है। परन्तु व्यवहार में वह ऐसा नहीं करते।

आजीवन पीयरः- आजीवन पायर्स अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी सदस्य को (स्त्री या पुरूष) लार्ड सभा का सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे सदस्य आजीवन लार्ड कहलाते है। 1 नवम्बर 1975 को इनकी संख्या 273 थी। लार्ड सभा मूलतः पुरूष प्रधान सदन था। 1958 में लाइफ पीयरेज एक्ट के अनुसार सम्राट स्त्रियों को आजीवन सदस्य नियुक्त कर सकता है। उत्तराधिकार में सदस्यता प्राप्त हो सकती है परन्तु कार्यवाही में वह भाग नहीं ले सकती।

आयरलैण्ड के पीयरः- ये पीयर वंशानुगत पीयर के श्रेणी में आते है। 1800 में इनकी संख्या 234 थी। 1800 के यूनियन एक्ट के द्वारा आयरलैण्ड के पीयर अपने में से 28 पीयर लार्ड सभा के लिये चुनते थे। 1932 में आयरलैण्ड की स्वतंत्रता के बाद से आयरिश पीयरों का मनोनयन समाप्त हो गया। इनकी संख्या 1959 में 1, 1961 में शून्य हो गई।

लार्ड सभा की शक्तियां- अपने प्रारम्भिक काल में लार्ड सभा एक शक्तिशाली सदन था। 1911 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लार्ड सभा की शक्तियों में भारी कटौती की गई। रेम्जोम्योर के शब्दों में-

‘‘ लार्ड सभा पर अंकुश लगाकर उसे शक्तिहीन कर दिया गया उसके सदस्य अपने दुर्भाग्य को रो रहे है।’’ 1949 के अधिनियम के द्वारा इसकी शक्तियों को और भी सीमित कर दिया गया। 1911 के संशोधन से पहले यह कामन सभा की तरह ही नहीं वरन उससे अधिक शक्तिशाली सदन थी। लार्ड सभा की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है-

विधायी शक्तियाँ- 1911 से पहले विधि निर्माण के क्षेत्र में दोनों की शक्तियां समान थी। 1832 में कामन सभा से पारित विधेयक तीन बार अस्वीकार किया अंततः 1832 में सुधार अधिनियम पास हो गया। इसके अतिरिक्त 1869 तथा 1884 के सुधार अधिनियम भी लार्ड सभा के विरोध के बावजूद पारित हो गये। 1909 में लार्ड सभा ने लायड जार्ज मन्त्रिमण्डल का बजट ही अस्वीकार कर दिया। इससे कामन सभा एवं सरकार अत्याधिक अपमानित महसूस करने लगी अंततः 1911 के सुधार अधिनियम पास कराकर लार्ड सभा की वित्तीय शक्तियां छीन ली गई । 1945 के सुधार अधिनियम के पहले तक सामान्य विधेयक के संबंध में यह व्यवस्था है कि वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कामन सभा से पारित होने के बाद विधेयक लार्ड सभा में आता है यदि लार्ड सभा उसे अस्वीकृत कर दे तो विधेयक पास नहीं माना जाता। यदि कामन सभा पुनः उसे पास कर दे और लार्ड सभा पुनः अस्वीकार कर दे तब भी वह पूर्ण नहीं होता है। तीसरी बार भी यदि कामन सभा उसे पास कर दे तो यह विधेयक सीधे राजा के पास स्वीकृति के लिये जायेगा। यदि पहली स्वीकृति एवं तीसरी स्वीकृति के बीच दो वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है तो यह बिना लार्ड सभा की अनुमति के पूर्ण मान लिया जायेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो लार्ड सभा किसी विधेयक को दो वर्ष तक रोक सकती है। 1945 में मजदूर दल की सरकार को लार्ड सभा की दो वर्ष तक विधेयक को रोके रहने की शक्ति दलीय हित के विरूद्ध लगी। उन्होंने 1949 का सुधार अधिनियम पारित करके इस अवधि को 1 वर्ष कर दिया।

वित्तीय विधेयकः- वित्त विधेयक के संबंध में लार्ड सभा की स्थिति कामन सभा की तुलना में कमजोर है। वित्त विधेयक केवल कामन सभा में प्रस्तुत किये जा सकते है। यह न तो लार्ड सभा में पहले प्रस्तावित किये जा सकते है न ही लार्ड सभा लम्बे समय तक अपने पास रोके रह सकती है। वित्त विधेयक लार्ड सभा केवल एक माह तक रोक सकती है। वह केवल सुझाव दे सकती है परन्तु मानने के लिये कामन सभा बाध्य नहीं है।

कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ- ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में कुछ सदस्य लार्ड सभा से लिये जाते है तथा लार्ड सभा का अध्यक्ष लार्ड चासंलर भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता है। कामन सभा की भांति लार्ड सभा मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से प्रश्न पूछ कर प्रशासनिक मामलों की सूचनायें प्राप्त कर सकती है। लार्ड सभा के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ, अनुभवी लोग होते है, वे विधेयकों पर व्यापक चर्चा करते है। वे सरकार के विरूद्ध अवश्विास प्रस्ताव लाकर सरकार को पदच्युत नहीं कर सकते।

न्यायिक शक्तियाँ- लार्ड सभा को विधायी के साथ महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। लार्ड सभा ब्रिटेन की अपील की उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। लार्ड सभा जब न्यायिक कार्य करती है तब उसके सभा सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते वरन 9 कानूनी लार्ड तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लार्ड चासंलर की अध्यक्षता में कार्य करते है। लार्ड सभा का निर्णय अंतिम होता है। संसद विधि बना कर ही उसे बदल सकती है।

1787 में लार्ड सभा ने वारेन हेस्टिग्ज तथा 1805 में लार्ड मेवाइल के विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की थी। 1805 के बाद यहां पर अब यह प्रथा जीवित नहीं दिखती।

लार्ड सभा की आलोचनाः- दुनिया में उच्च सदन के रूप में लार्ड सभा की उपयोगिता पर सदैव प्रश्न उठाये जाते रहे है। इसके 90 प्रतिशत सदस्य वंशानुगत होते है। मजदूर दल सदैव इसकी शक्तियों को कम करना चाहते थे यही कारण है कि 1948 में संशोधन अधिनियम के द्वारा इसकी शक्तियों को कम कर दिया। ब्रिटेन की लार्ड सभा की आलोचना निम्न आधार पर की जाती हैः-

अप्रजातान्त्रिक सदनः- लार्ड सभा की आलोचना का सबसे बड़ा आधार इसकी वंशानुगत व्यवस्था है। इसकी सदस्यता का आधार योग्यता न होकर वंश व्यवस्था है। लोकतंत्र के वर्तमान युग में यह व्यवस्था के दाग की तरह दिखायी पड़ती हैं।

पूंजीपतियों का गढ़ः- रम्जेम्योर के शब्दों में- ‘‘ यह धनी व्यक्तियों का सामान्य दुर्ग है।’’ इसकी सदस्यता सामान्यतः उच्च वर्ग को प्रदान की जाती है। इसमें मुख्य रूप से उद्योगपति, कल -कारखाने के मालिक ,व्यापारी होते है जो अपने वर्गीय हितों की पूर्ति करते है। कार्टर के शब्दों में- ‘‘लार्ड सभा सम्पति एवं विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती वरन वह तो स्वयं सम्पति एवं अधिकार का गढ़ है।’’

सदस्यों की उदासीनताः- इसके सदस्य न तो कार्य में रूचि लेते है और न ही इसकी बैठकों में बैठते हैं। सदस्य संख्या एक हजार से ज्यादा होने के बावजूद बैठकों में 50 सदस्य तक उपस्थित होते हैं। लास्की ने 1933 में एक अध्ययन के बाद बताया कि 1931 में 729 सदस्यों में से 358 ऐसे थे जिन्होंने सदन में एक बार कुछ बोला। 371 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कभी वाद-विवाद में हिस्सा नहीं लिया। कतिपय यही कारण है कि लार्ड सभा की गणपूर्ति 3 रखी गई है।

विधायी रूप से निर्बल सदनः- 1911 एवं 1949 के अधिनियम से विधि निर्माण में इसकी स्थिति निर्बल कर दी गई है वह गैर वित्तीय विधेयक को एक वर्ष एवं वित्तीय विधेयक को 1 माह तक रोक सकता है। यह विधेयक को समाप्त नहीं कर सकता।

प्रगति विरोधी सदनः- लार्ड सभा प्रगतिशील विचारों का स्वागत नहीं करती। यह सदैव विशेषाधिकारी,परम्पराओं को बनाये रखने का प्रयास करती है। यह सामान्तों ,पूंजीपतियों के हितों का साधने वाली संस्था बन कर रह गई है।

लार्ड सभा की उपयोगिताः- लार्ड सभा की उपयोगिता के लिये निम्न आधार बताये जाते है जो इस प्रकार हैः-

कामन सभा की निरंकुशता पर प्रतिबंधः- कामन सभा के सदस्यों को विधि, ज्ञान सीमित होता है। वे जनता के हितों के प्रतिनिधि होते है अतः कई बार वे कार्यो को करने में जल्दबाजी का प्रयोग करते है। इस प्रकार के व्यवस्थापन दोषों को दूर करने के लिये उस पर दूसरे सदन का नियन्त्रण आवश्यक है। लार्ड सभा जल्दबाजी में बने विधेयकों पर नियन्त्रण लगाती है।

सभी वर्गों का प्रतिनिधित्वः- कामन सभा के सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते है। यह देश के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।चूंकि इसमें बहुमत प्रतिनिधित्व का आधार होता है अतः अल्पमत का प्रतिनिधित्व मुश्किल होता है। यही कमी लार्ड सभा के माध्यम से पूरी होती है।

योग्य,अनुभवी व्यक्तियों का सदनः- यद्यपि इसमें कम लोग बैठकों में आते है। परन्तु इसके सदस्य योग्य एवं अनुभवी होते है। वे राजनैतिक उद्देश्य से नहीं वरन राष्ट्रहित समाज हित को ध्यान में रखकर काम करते है।

विधि निर्माण में सहायकः- कामन सभा में कार्य अधिकता के कारण विधेयकों पर चर्चा का समय नहीं बच पाता है। वह कामन सभा के विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर उसके दोषों को दूर करती है।

ब्रिटिश स्वभाव के अनुकूलः- लार्ड सभा ब्रिटिश स्वभाव के अनुरूप परम्पराओं,आदर्शों को प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटिश जनता परम्पराओं से स्नेह करती है। अतः उन्ही की इच्छा के अनुरूप लार्ड सभा में परम्पराओं,रूढ़ियों को स्थान देते हुए वंशानुगत व्यवस्था को स्वीकार किया गया है।

इस प्रकार से कहा जा है कि लार्ड सभा यद्यपि लोकतान्त्रिक सदन नहीं है। परन्तु इसका अपना महत्व है। यह अपने अनुभव, विशेषज्ञता से विधि निर्माण में सहायता करती है। साथ ही वर्गीय हितों, दलीय हितों को ध्यान में रखकर जल्दी में बनाये जा रहे कानून में देरी कर संशोधन कर जनता का ध्यान आकृष्ट करती है।

5.2.2 कामन सभा

ब्रिटेन में कामन सभा एक निम्न सदन है जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते है। यह विश्व का सबसे प्राचीन प्रतिनिधि सदन है। प्रारम्भ में इसे शक्तियां प्राप्त नहीं थी परन्तु समय गुजरने के साथ इसकी शक्तियां बढ़ती गई न्यूमैन के विचार है- '' संसद की प्रभुता कामन सभा में निवास करती है।''

गठनः- कामन सभा की सदस्य संख्या 1955 में 630 थीं 1983 में किये गये संशोधन के परिणाम स्वरूप सदस्य संख्या बढ़कर 650 हो गई। इसमें इंग्लैण्ड से 531, वेल्स से 36,स्काटलैण्ड से 71, उत्तरी आयरलैण्ड से 12 सदस्य थे। सभी सदस्य पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते है। इंग्लैण्ड में मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। 21 वर्ष से अधिक को नागरिक चुनाव लड़ सकता है। नामाकंन पत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के 10 मतदाताओं को प्रस्तावक होना होता है तथा 150 पौण्ड बतौर जमानत जमा करने होते है।

योग्यताः- कामन सभा के सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताओं की आवश्यकता है-

1. वह ब्रिटेन का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।
3. उसका नाम किसी देश की निर्वाचन सूची में हो।

कामन सभा के सदस्य होने की अयोग्यताएं- निम्न व्यक्ति कामन सभा के सदस्य नहीं बन सकते-

1. इंग्लैण्ड एवं स्काटलैण्ड के पीयर तथा आयरलैण्ड के पीयर, कामन सभा के सदस्य नहीं हो सकते।

2. विदेशी,पागल, दिवालिया न हो।

3. एग्लीकन,स्काटिश,रोगन कैथोलिक चर्च के पादरी।

4. सरकारी ठेका प्राप्त व्यक्ति।

5. राज्य के उच्च अधिकारी, न्यायाधीश तथा असैनिक सेवाओं के सदस्य।

6. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति।

कामन सभा की अवधि:- 1715 के अधिनियम के द्वारा कामन सभा की अवधि 7 वर्ष थी परन्तु 1911 के अधिनियम से अवधि घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। विशेष परिस्थिति में इसका कार्यकाल प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। 1910 में प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कामन सभा 1910 से 1918 तक काम करती रही। 1935 में निर्वाचित सदन विश्वयुद्ध के कारण 10 वर्ष तक कार्य करता रहा।

निर्वाचन प्रणाली:- ब्रिटेन में समस्त देश को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः 50 से 70 हजार पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन स्थाई आयोग करते है।

गणपूर्ति:- सदन की कार्यवाही आरम्भ करने के लिये कम से कम 40 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। सामान्यतः यह संख्या पूरी रहती है।

कामन सभा के पदाधिकारी:- कामन सभा का मुख्य पदाधिकारी स्पीकर होता है। स्पीकर का निर्वाचन कामन सभा अपने सदस्यों में से करती है। स्पीकर का निर्वाचन निर्विरोध होता हैं।

कामन सभा की शक्तियाँ- कामन सभा ब्रिटेन का लोकप्रिय सदन है जो जनता के द्वारा व्यस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है। यह दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली निम्न सदन है। इसकी प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैः-

विधायी शक्तियाँ - संसदीय प्रभुता होने के कारण ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती हैं,रद्द कर सकती हैं,संशोधित भी कर सकती है। 1911 के पूर्व दोनों सदनों को समान विधायी शक्तियां प्राप्त थी परन्तु 1911 एवं 1949 के संशोधनों के बाद कामन सभा की शक्तियों में विस्तार हुआ है। अब कामन सभा से पास विधेयक को लार्ड सभा अधिकतम एक वर्ष तक रोक सकती है। अतः कानून बनाने के मामले में उसकी शक्ति महत्वपूर्ण है।

वित्तीय शक्तिः- वित्तीय मामलों में कामन सभा को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। विधेयक की प्रकृति पर विवाद होने की दशा में अंतिम फैसला स्पीकर करता है। वित्त विधेयक कामन सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कामन सभा से पास होने के बाद वह लार्ड सभा में आता है। लार्ड सभा उस पर एक माह तक विचार कर सकती है। एक माह बाद वह उस रूप में पास मान लिया जायेगा जिस रूप में कामन सभा ने पास किया है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में लार्ड सभा की स्थिति निर्बल एवं कामन सभा की स्थिति सबल है।

कार्यपालिका शक्तियां- इंग्लैण्ड में संसदीय शासन होने के कारण कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां कामन सभा के पास है। कामन सभा से ही सरकार का गठन होता है और सरकार कामन सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। कामन सभा सरकार के मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। जबाव से सन्तुष्ट न होने पर काम रोको प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव पारित कर सकती है। कामन सभा के पास सबसे बड़े अस्त्र के रूप में अविश्वास प्रस्ताव होता हैं वह उसके माध्यम से सरकार को पदच्युत भी कर सकती है।

नीति निर्धारण करनाः- प्रशासन की घरेलू एवं विदेश नीति का निर्धारण कामन सभा के द्वारा किया जाता है। वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का संचालन करती है। वह समय-समय पर उसकी सूचना संसद को भी देती है।

कामन सभा विश्व का सर्वाधिक प्राचीन निम्न सदन है। वित्तीय मामलों में इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। यह बहुत शक्तिशाली सदन है। बेजहाट के शब्दों में- '' यह सदैव अपनी इच्छानुसार निर्वाचन या निर्णय करने की स्थिति में है। यह किसी भी समय मन्त्रिमण्डल को सत्तारूढ़ एवं पदच्युत कर सकती है।''

वास्तव में आज सभी संसदीय व्यवस्था में विधायिका की शक्तियों का ह्रास हुआ है और कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार हुआ है। कामन सभा पर भी मन्त्रिमण्डल का प्रभाव स्थापित होते दिखायी पड़ रहा है। मन्त्रिमण्डल दलीय अनुशासन के माध्यम से कामन सभा पर नियन्त्रण रखता है। नीति निर्माण, विधि निर्माण प्रक्रिया में नेतृत्व ,बजट की प्रस्तुति (वित्तमंत्री के द्वारा) आदि मन्त्रिमण्डल के प्रभाव, को स्थापित करते है। 20 वीं शताब्दी में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों के विस्तार ने वरन ''मन्त्रिमण्डल'' शासन प्रणाली का नाम दे दिया।

इसके बावजूद कामन सभा दुनिया का सर्वाधिक सशक्त निम्न सदन है। जेनियस के शब्दों में-'' यह लोकतन्त्र का केन्द्र है। यह राजनीतिक शिक्षा का केन्द्र भी है।''

5.2.2.2 कामन सभा का स्पीकर

कामन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते है। वह सम्पूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है। एस0 गार्डन के शब्दों में -'' सदन के अध्यक्ष के रूप में स्पीकर का पद विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सम्मानपूर्ण,शानदार है।''

सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहते है। वह संसद का प्रथम सदस्य है। सदन के अध्यक्ष के स्पीकर इसलिये कहा जाता है क्योंकि प्रारम्भ में कामन सभा प्रार्थना एवं निवेदन करने वाली संस्था थी जिसके ओर से वह राजा से मिलता था। वह सभा एवं राजा के मध्य की एक कड़ी था।

स्पीकर पद का विकासः-ट्यूटर काल में स्पीकर क्राउन द्वारा मनोनीत किये जाते थे। इस प्रकार अध्यक्ष राजा का व्यक्ति था। राजा की इच्छा को कामन सभा तक पहुंचाना एवं कामन सभा की इच्छा को राजा तक पहुंचाना उसका कर्तव्य था। बाद के वर्षो में कामन सभा ने अपने अध्यक्ष का निर्वाचन प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि अब भी राजा की स्वीकृति उसके निर्वाचन में ली जाती है परन्तु यह औपचारिकता मात्र रह गई है। 1687 में एडवर्ड सेमनर को राजा ने अस्वीकृत कर दिया था। अब

प्रधानमंत्री कैबिनेट के परामर्श से विरोधी दल के नेता की सहमति से ऐसे मान्य व्यक्ति को छांटा जाता है जिसका सदन सम्मान एवं विरोध न हो। इस प्रकार सर्वसम्मति से अपने में से किसी भी व्यक्ति को स्पीकर चुन लिया जाता है। स्पीकर के संबंध में यह भी प्रचलित है कि एक बार स्पीकर चुने जाने के बाद उसका विरोध नहीं होता था वह निर्विरोध कामन सभा में आता रहता था। इसीलिये कहा जाता था कि ‘‘एक बार स्पीकर सदा के लिये स्पीकर’’। 1935 एवं 1945 में मजदूर दल ने इस परम्परा को तोड़ा और अनुदार दल के प्रत्याशी के विरूद्ध अपने प्रत्याशी खड़ा किया। 1950 एवं 1964 में भी ऐसा हुआ। स्पीकर से यह आशा की जाती है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेगां अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वह दल का सदस्य नहीं रहता। वह निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाहन करता है। नयी सरकार आने के बाद भी स्पीकर उसी तरह से कार्य करता रहता है।

5.2.2.2.1 स्पीकर की शक्तियां

स्पीकर का ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुत महत्व है। उसका पद सम्मान एवं शक्ति का प्रतीक है। स्पीकर के अधिकार में कुछ का आधार प्रथायें है और कुछ का संविध आज्ञायें और स्थायी आदेश है। स्पीकर की कुछ प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है-

कामन सभा की अध्यक्षता करनाः- स्पीकर कामन सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक वह सदन में स्थान ग्रहण नहीं कर लेता उसकी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होती। बिना स्पीकर के सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। स्पीकर की अनुपस्थिति मे डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करता है।

वाद-विवाद का संचालन करना- सदन के वाद-विवाद का संचालन स्पीकर करता है। वह प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। संबंधित मंत्री के बोलने के बाद वह विरोधी दल के मुख्य वक्ता को बोलने की अनुमति देता है।

अनुशासन बनाये रखनाः- सदन में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाये रखने का दायित्व स्पीकर का है। सदन में भाषा व्यवहार में संयमित रखने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। वह सदस्यों से नियमानुसार कार्यवाही चलाने में सहयोग लेता है। अनुशासन भंग होने की दशा में वह अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह अनुशासन भंग करने वाले व्यक्ति को सदन से निष्कासित भी कर सकता है।

नियमों की व्याख्या:- ब्रिटिश संविधान अलिखित होने के कारण वह सदन की कार्यवाही संबंधी नियम भी अलिखित है। समय-समय पर उनकी व्याख्या तथा स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है। यह कार्य स्पीकर करता है। उसका निर्णय अंतिम होता है।

धन विधेयकों का निर्धारणः-कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला स्पीकर करता है। एक बार उसका फैसला आ जाय तो वह अंतिम होता है।

निर्णायक मत देने का अधिकारः- किसी विषय पर मतदान में समान मत पड़ जाये तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार है।

सदन के विशेषाधिकारों का रक्षकः- वह सदन के विशेषाधिकारों का रक्षक होता है यदि किसी मामले में सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन होता है तो वह उसकी रक्षा के लिये कार्यवाही करता है।

इस प्रकार से हम कह सकते है कि स्पीकर का पद संसदीय लोकतन्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। वह सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था को चलाने अनुशासन बनाये रखने का कार्य करता है। वह न केवल सदन की बैठकों का निर्बाध संचालन कराता है वरन वह सदस्यों के विशेषाधिकारों को भी सुनिश्चित करवाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. ब्रिटेन की संसद पार्लियामेण्ट सभी पार्लियामेण्ट की जननी हैं। सत्य/असत्य

2. ब्रिटेन में संसदीय शासन का विकास हुआ है। सत्य/असत्य

3. ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी वास्तविक रूप से द्विदलीय व्यवस्था है। सत्य /असत्य

4. लार्ड सभा एक ....सदन है।

5. कामन सभा का चुनाव प्रत्येक ....वर्ष के बाद है।

6. ब्रिटेन के शासन में ....का बड़ा योगदान है।

5.3 सारांश

इस प्रकार से हम पाते है कि ब्रिटेन में संसदीय शसान का विकास लम्बी अवधि में हुआ। इसके विकास में 1400 वर्षों से अधिक का समय लगा। ब्रिटेन में संसदीय शासन के विकास मे तत्कालीन हालात एवं परिस्थितियां जिम्मेदार थी। समय गुजरने के साथ राजा कमजोर हुए और जन चेतना,स्वतन्त्रता की भावना, समानता की भावना बलवती होती गई। यही कारण है कि जन आकांक्षा के अनुरूप एक नई शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई जिसमें जनसहभागिता,जवाबदेही,समानता मुख्य रूप से थे। इसके ब्रिटेन के लोगों के परम्परावादी एवं रूढ़िवादी होने के परिणाम स्वरूप वहां परम्परा के प्रतीक के रूप में वंशानुगत राजतंत्र, लार्ड सभा के गठन की व्यवस्था आदि की गई। दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रिटेन का शासन परम्परा एवं आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। ब्रिटेन का संसदीय शासन दुनिया के लिये अनूठी सौगात हैं ब्रिटेन में हुआ संसदीय शासन विकास वहां नहीं रूका वरन आज दुनिया में 100 से अधिक देशों में इसका फैलाव हो चुका है।

ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट के दो सदन है। पहला जन आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाला हाउस कामन तथा दूसरा परम्पराओं का प्रतीक हाउस आफ लार्डस। दोनों ही सदनों का गठन अलग-अलग तरीके से होता है। हाउस आफ लार्डस जहाँ परम्पराओं को आज भी संजोये हुए है और आज भी वहां वंशानुगत पीयर, आजीवन पीयर के रूप में गैर लोकतान्त्रिक तत्व दिखायी पड़ रहे है। यही कारण है कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली की कुछ विद्वान कठोर आलोचना करते है। अपने प्रारम्भिक अवस्था में हाउस आफ लार्डस अत्याधिक मजबूत थी। परन्तु लोकतान्त्रिक मूल्यों की वृद्धि के साथ हाउस आफ लार्डस की शक्तियों में क्षय होता गया। 1911 एवं 1948 के अधिनियमों ने हाउस आफ लार्डस को कमजोर बना दिया। इसके विपरीत हाउस आफ कामन समय के साथ जन आकांक्षाओं के साथ निरन्तर मजबूत होती गई। आज ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था कामन सभा बहुत मजबूत होकर उभरी है। सरकार के गठन से लेकर सरकार के अस्तित्व तक के सभी पहुलओं का निर्धारण हाउस आफ कामन से होता है। सरकार का निर्माण,अस्तित्व एवं सरकार को पतन के केन्द्र बिन्दु में हाउस आफ कामन है। सरकार हाउस आफ कामन के प्रति जबावदेह होती है। सरकार की

जबावदेही दिन-प्रतिदिन की होती है। दोनों सदनों में आज महत्व, शक्ति,प्रभाव और आधुनिक समय में कामन सभा की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह दुनिया का सर्वाधिक सशक्त निम्न सदन है।

5.4 शब्दावली

विशेषाधिकारः- किसी पद को धारण करने की साथ प्राप्त होने वाले अधिकार विशेषाधिकार कहलाते है।

धन विधेयकः- जिन विधेयकों में कर, व्यय,आय संबंधी प्रस्ताव होते है। धन विधेयक कहलाते है।

आम चुनावः- प्रत्येक देश में एक निश्चित समय बाद होने वाले पूरे देश के चुनाव को जिससे विधायिका का गठन होता है, आमचुनाव कहलाते है।

अधिवेशनः- विधायिका की बैठक एक निश्चित समय बाद होती है जिसमें सभी सदस्य प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा एवं उसको पास करने का कार्य करते है, अधिवेशन कहलाता है। सामान्यतः यह वर्ष में दो बार होता है।

5.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. स्थाई 5. पाँच 6.परम्पराओं,रूढ़ियों

5.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डायसी ए0बी0,इन्ट्रोडक्शन टू स्टडी आफ ला आफ कास्टीटयूशन,मैकमिलन लंदन 1915
2. खन्ना वी0एन0,आधुनिक सरकारें,साहित्य भवन,आगरा 2002
3. नारायण इकबाल,विश्व के प्रमुख संविधान,1969 ,आर0के0प्रिंटर्स नई दिल्ली
4. जेनिगंस आईवर ,ब्रिटिश कास्टीटयूशन ,हिन्दी कार्ययन्वयन निदेशालय नई दिल्ली।
5. पार्थ सारथी जी0, आधुनिक संविधान 1991,मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ

5.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. बेटसन जेक्स, कास्टीटयूसनल रिफार्म इन यूनाइटेड किंगडम प्रेक्टिस एण्ड प्रिसंपल,हार्ट पब्लिकेशन लंदन 1998

2. कोलिन्स टर्नीव,ब्रिटिश गर्वनमेण्ट एण्ड कान्स्टीटयूसन,केब्रिज यूनीवसर्टी प्रेस,लंदन।

3. जेनकिंस डेविड, फ्राम अन रिटन टू रिटन, ट्रासफार्मशन टू ब्रिटिश कामन ला कान्स्टीटयूसन,2003।

5.8 निबन्धात्मक प्रश्न

1. ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट के विकास पर एक निबंध लिखियें।

2. लार्ड सभा के गठन एवं शक्तियों पर प्रकाश डालिये।

3. कामन सभा के गठन एवं शक्तियों पर प्रकाश डालिये

4. स्पीकर की शक्तियों एवं कार्यों को स्पष्ठ कीजिये।

इकाई 6 :ब्रिटिश कार्यपालिका एवं न्यायपालिका

6.0प्रस्तावना

6.1उद्देश्य

6.2ब्रिटेन में क्राउन की शक्तियाँएवं महत्व

6.2.1 ब्रिटेन के शासन में भूमिका

6.3ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल का उदय ,शक्तियां

6.3.1 ब्रिटेन में प्रधानमंत्री

6.4 ब्रिटेन में न्यायपालिका का उद्भव विकास

6.4.1 न्यायपालिका की विशेषतायें

6.4.2 न्यायपालिका का संगठन

6.5 सारांश

6.6 शब्दावली

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.9 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

6.10 निबधात्मक प्रश्न

6.0 प्रस्तावना

कार्यपालिका को सामान्यतः सरकार समझा जाता है। कार्यपालिका सरकार के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। आधुनिक समय में कार्यपालिका निरन्तर मजबूत हुई है। उसके प्रभाव, शक्तियों का निरन्तर विस्तार हुआ है। आज के समय में ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में कार्यपालिका प्रभावी हुई है। इसके पीछे मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आधुनिक जटिल शासन व्यवस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कार्यपालिका ही जनता के सम्पर्क में रहती है। वह न केवल प्रशासन का संचालन करती है वरन सामान्य विधायन में भी उसकी भूमिका रहती है। आज के समय में तो न्यायपालिका के क्षेत्र में भी उसका दखल देखा जा सकता है। आधुनिक समय में सत्ता के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्यपालिका का उदय हुआ है। कार्यपालिका में वे व्यक्ति शामिल होते है जो प्रशासन का संचालन करते है। आधुनिक कार्यपालिका का वर्गीकरण संसदात्मक, अध्यक्षात्मक या बहुल कार्यपालिका के रूप में किया जाता है। यदि बहुदलीय ससंदीय व्यवस्था एवं द्विदलीय ससंदीय व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए। ब्रिटेन में ससंदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते है, एक नाममात्र के प्रधान के रूप में क्राउन तथा दूसरा वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री एवं उसका मन्त्रिमण्डल होता है। क्राउन की शक्तियों,उसके प्रभाव में धीरे-2 कमी हुई और प्रधानमंत्री अपने मन्त्रिमण्डल सहित निरन्तर प्रभावी होता गया। आज ब्रिटेन में कार्यपालिका की सम्पूर्ण शक्तियाँप्रधानमंत्री और उसके मन्त्रिमण्डल में निहित है। वह शासन का केन्द्र बिन्दु है।

आधुनिक समय सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका हैं यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य दायित्व संविधान के अनुसार शासन का संचालन सुनिश्चित करवाना है। यह सरकार का ऐसा अंग है जो आधुनिक समय में विधायिका एवं कार्यपालिका पर प्रभावी नियन्त्रण लगाती है और संविधान के अनुसार शासन का संचालन सुनिश्चित करवाती है। लार्ड ब्राइस का यह कथन प्रासंगिक लगता है-‘‘किसी शासन की उत्तमता की जांच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी उनकी न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता है।’’

नागरिक की स्वतन्त्रता एवं अधिकारों की सुरक्षा का प्रमुख दायित्व न्यायपालिका पर ही है। प्राचीन व्यवस्था के विरूद्ध आज के समय में सरकार के आवश्यक अंग के रूप मे न्यायपालिका का विकास हुआ है साथ भारत,अमेरिका जैसे देशों में न्यायपालिका ने विधायिका एवं कार्यपालिका के

ऊपर ''न्यायिक पुर्नवलोकन''के द्वारा प्रभावी अंकुश लगाया है। ब्रिटेन में ''विधि के शासन'' स्वीकार किया गया है जिसका अर्थ है कानून से ऊपर कोई नहीं , सभी कानून के सामने समान है और सामान्य न्यायालय में न्याय पाने के लिये बाध्य है।'' ब्रिटेन में न्यायपालिका प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति विधि से मर्यादित है।

6.1 उद्देश्य

1. इस इकाई में हम ब्रिटेन में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के उदय एवं विकास का अध्ययन करेगें।

2. ब्रिटेन की न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगें।

3. ब्रिटेन के कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान (प्रधानमंत्री) के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करेंगें।

4. ब्रिटेन में न्यायपालिका के संगठन का अध्ययन करेगें ।

5. प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगें।

6. ब्रिटेन में कार्यपालिका की शक्ति विस्तार के कारणों का पता लगायेंगे।

6.2 ब्रिटेन में क्राउन की शक्तियाँएवं महत्व

ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है संसदीय शासन व्यवस्था की यह विशेषता है कि इसमें कार्यपालिका के दो सदन होते है, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। देश के शासन की वास्तविक बागडोर वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष नाममात्र की शक्तियों का स्वामी होता है। प्राचीन कालीन शक्तिशाली राजा अपनी वास्तविक शक्तियों को खो चुका है। आज राजतंत्र का लोकतान्त्रिककरण हो चुका है। ब्रिटेन में राजा एवं क्राउन को लेकर संशय की स्थिति रहती है। राजा वह व्यक्ति होता है जो एक समय विशेष में राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। क्राउन राज्य शक्ति का प्रतीक है जिसे राजा अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल में क्राउन एवं राजा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था परन्तु वर्तमान समय में लोकतान्त्रिककरण के बाद राजा एवं क्राउन में भेद दिखायी पड़ता है। राजा एवं क्राउन को अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते है-

1. राजा एक व्यक्ति तथा क्राउन एक संस्था हैः- राजा एक प्राणी है जो जन्म लेता है और मर जाता है परन्तु क्राउन संस्था के रूप में स्थाई है। आंग के शब्दों में -‘‘ यह वह संस्था है जिसको वह सब विशेषाधिकार एवं शक्तियाँसार रूप में दी गई है जिनका कभी राजा व्यक्तिगत रूप में उपभोग करता था।’’ क्राउन एक संस्था के यप में विधायी, प्रशासनिक,न्यायिक शक्तियों का उपभोग करती है। राजा इस संस्था को एक हिस्सा मात्र है।

2. राजा अस्थाई एवं क्राउन स्थाई है- ब्रिटेन में राजा की मृत्यु हो सकती है परन्तु क्राउन एक संस्था के रूप में सदैव बना रहता है। राजा की मृत्यु के बाद नया राजा अस्तित्व में आता हैं परन्तु क्राउन का नाश नहीं होता । यह सदैव से चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। कतिपय यही कारण है कि ब्रिटेन में यह कहा जाता है -‘‘राजा मर गया राजा (क्राउन) चिरंजीव हो।’’ ब्लैक स्टोन के शब्दों में -‘‘हेनरी,एडवर्डस,जार्ज मर सकते है लेकिन क्राउन कभी नहीं मर सकता ।’’

3. राजा व्यैक्तिक है तथा राजमुकुट सामूहिक है- राजा एक व्यक्ति विशेष होता है जबकि क्राउन का भाव सामूहिक होता है जिसमें अनेक व्यक्ति आते है जो इस शक्ति का प्रयोग करते है। इसमें संसद,लोक सेवक,मंत्री आदि आते है।

4. वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है लेकिन राजमुकुट शक्ति सम्पन्नः- प्राचीन काल में राजतंत्र के युग में राजा ही वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता था धीरे-2 शक्तियाँराजा के हाथ से निकलकर क्राउन के पास आ गई। लोकतान्त्रिक संस्थाओं के उदय के साथ राजा की शक्तियों में ह्रास प्रारम्भ हो गया। वर्तमान समय में राजा के पास वास्तविक शक्तियों का अभाव है। क्राउन शक्ति सम्पन्न संस्था हैं वह जन इच्छा का प्रतीक है जबकि राजा गोल्डेन जीरो,रबर स्टैम्प कहलाता है।

क्राउन की शक्तियों के स्रोत

सैद्धान्तिक रूप से क्राउन को अत्यन्त व्यापक शक्तियाँप्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अंग है। प्रशासन का अध्यक्ष, इंग्लैण्ड,वेल्स,स्काटलैण्ड में न्यायपालिका का प्रधान है। वह समस्त सैन्य शक्तियों का स्वामी एवं चर्च का प्रधान है। उसकी शक्तियों का प्रमुख स्त्रोत इस प्रकार है-

1. राजकीय विशेषाधिकारः- संसद के उदय से पूर्व सम्पूर्ण शक्तियाँउसके हाथ में थी। धीरे-2 संसद का उदय हुआ और सम्राट की शक्तियों को अपने हाथ में लेती चली गई। इनमें से कुछ शक्तियाँबची रह गई जो लुप्त नहीं हुई है इन बची शक्तियों को ही विशेषाधिकार कहते है। डायसी के शब्दों में -''विशेषाधिकार का अभिप्राय स्वविवेक पर आधारित अधिकारों के उस अवशिष्ट भाग से है जो किसी समय कानून के अनुसार समा्रट के हाथ में बचा रहा है।''

2. संसदीय अधिनियमः- संसद के उन अधिनियमों से जिससे सरकार के कार्यों दायित्वों की वृद्धि होती है उसी से सम्राट की शक्तियों में वृद्धि होती है क्योंकि वह सरकार का प्रधान है । अतः नये अधिनियम सम्राट के नए शक्ति स्त्रोत बन जाते है। लावेल का कथन है -'' सम्राट विशाल शक्तियों का उपभोग करता है।''

क्राउन की शक्तियां

वर्तमान समय में क्राउन अनेक शक्तियों का उपभोग करता है। उनका विवरण इस प्रकार है-

1.कार्यपालिका शक्तियाँ- क्राउन का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है वह कार्यपालिका का प्रधान है। इस रूप में उसके कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं शक्तियाँव्यापक है। उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँइस प्रकार हैः-

1. क्राउन प्रधानमंत्री एवं अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।

2. राज्य के सभी सर्वोच्च पदाधिकारी क्राउन के द्वारा नियुक्ति किये जाते है।

3. ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध संचालन उसी के नाम पर किये जाते है।

4. वह राजदूतों एवं अन्य दूतों की नियुक्ति करता है।

5. युद्ध एवं संधि (समझौते) की घोषणा उसी के नाम से की जाती है।

6. क्राउन क्षमादान या दण्ड को कम करने की शक्तियाँभी रखता है।

7. क्राउन राष्ट्रीय कोष, का नियन्त्रण एवं संचालन करता है। बजट उसी के नाम से प्रस्तुत किया जाता है।

8. मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से जो कार्य करते है वे सभी क्राउन के नाम से किये जाते है।

इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि क्राउन के पास महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँहै।

2.व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ

व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँका उपभोग भी क्राउन करता है। ब्रिटेन में कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ‘‘राजा सहित संसद’’ में निवास करती है। क्राउन की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँइस प्रकार है-

1. संसद के उच्च सदन (लार्ड सभा) में पीयर बनाने का अधिकार क्राउन को है। निम्न सदन (कामन सभा) के चुनाव की तिथि की घोषणा भी उसी के द्वारा की जाती है।

2. क्राउन दोनों सदनों का अधिवेशन बुलवाता है, स्थागित करता है। लार्ड सभा एक स्थाई सदन है परन्तु वह निम्न सदन को विघटित कर सकता है।

3. कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक क्राउन उस पर हस्ताक्षर न कर दे।

4. क्राउन को अध्यादेश जारी करने का अधिकार हैं।

3.न्याय संबंधी शक्तियाँ

सम्राट को न्याय का स्त्रोत कहा जाता है। ब्रिटेन में सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते है। सम्राट की न्यायधीशों की नियुक्ति करता है। संसद के निर्देश पर वह न्यायाधीशों को पद से भी हटा सकता है। वह किसी मामले में क्षमादान या दण्ड को कम कर सकता है। उपनिवेशों की अंतिम अपील भी वह सुनता है।

4. धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ

सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ अधिकार प्राप्त है। इंग्लैण्ड के एंग्लिकन चर्च का वह प्रमुख है। वह चर्च के समस्त पदाधिकारियों आर्कविशप, विशप, डीन,कैनन आदि की नियुक्ति करता है। वह केण्टबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है। वहां से पारित नियमों के लिये नेशनल असेबली नामक संस्था अस्तित्व में आयी। इस सभा के पारित नियमों पर अंतिम स्वीकृति सम्राट देता है। धार्मिक क्षेत्र में उसके कार्यों के कारण उसे धर्म रक्षक भी कहा जाता है।

सम्मान का स्त्रोतः- ब्रिटेन में सम्राट अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान करता है। इन उपाधियों में प्रमुख रूप से ड्यूक, वैरन,अर्ल,नाइट,लार्ड आदि प्रमुख है।

सम्राट के विशेषाधिकार

सम्राट को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जो इस प्रकार हैः-

1. सम्राट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
2. सम्राट की कोई सम्पत्ति नीलाम या कुर्क नहीं की जा सकती।
3. उसके विरूद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।
4. व्यक्तिगत आचरण के आधार पर उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
5. ऋण के भुगतान न होने की दशा में भी उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
6. मन्त्रियों को पदच्युत करने का अधिकार।

7. पीयर बनाने का अधिकार।

सम्राट को प्राप्त उपरोक्त विशेषाधिकार एवं उनमुक्तियां निर्वाध रूप से प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वह बहुमत प्राप्त दल के नेता को इसके लिये नियुक्त करता है। कामन सभा का विघटन करने की शक्ति का प्रयोग वह कैबिनेट की सलाह पर करता है। मन्त्रियों को पदच्युत करने की शक्ति का प्रयोग भी वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। बीटो की शक्ति आज भी उसके पास है परन्तु लम्बे समय से उसने इसका प्रयोग नहीं किया।

सम्राट की स्थिति

वास्तव में आज क्राउन की स्थिति संसदीय शासन के अनुरूप औपचारिक प्रधान मात्र की रह गई है। उसका पद गरिमा एवं सम्मान का है। उसकी स्थिति की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैः-

1. राजा कोई गलती नहीं कर सकता:- सामान्यतः इसका अर्थ यह लिया जाता है कि राजा से कोई गलती नहीं हो सकती। उसे किसी कार्य के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श पर कार्य करता है।

2. सम्राट कानून से ऊपर हैः- राजा इंग्लैण्ड में कानून से ऊपर है उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । कानूनी दृष्टि से राजा कभी अपराधी नहीं हो सकता।

3. राजा दूसरों से भी गलत कार्य नहीं करा सकताः-राजा स्वयं भूल नहीं करता और न ही दूसरों को ऐसा करने के लिये अवसर नहीं दे सकता। कोई मंत्री अपने किसी गलत कार्य के लिये राजा की आड़ नहीं ले सकता।

4. राजा की त्रुटि के लिए मंत्री उत्तरदायीः- राजा के प्रत्येक कार्य के लिये मंत्री उत्तरदायी होता है। राजा का कोई कार्य गलत हो गया है तो संबंधित मंत्री उसके लिये जिम्मेदार होगा।

आज राजा की शक्तियों का ह्रास इस हद तक हो गया है कि कुछ आलोचक कहने लगे है कि वह राज करता है शासन नहीं करता है। राजा की समस्त शक्तियों का प्रयोग ‘‘कैबिनेट’’ उसके नाम से करती है। सिद्धान्त में आज राजपद महत्वहीन हो गया हैं ‘‘बेजहाट’’ ने राजा के तीन कार्य बताये हैः-

1. परामर्श देने का अधिकार

2. प्रोत्साहन देने का अधिकार

3. चेतावनी देने का अधिकार

इसके अतिरिक्त वह समय-समय पर कैबिनेट से जानकारी प्राप्त करता है। आज वह राज्य करता है परन्तु शासन नहीं करता है।

6.3 ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल का उदय ,शक्तियां

आज के समय में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को कुछ विद्वान मन्त्रिमण्डल शासन व्यवस्था भी कहते है। आज ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल अत्यन्त शक्तिशाली एवं प्रभावी है। इस मन्त्रिमण्डल के अंकुर नार्मन एंजिवेन काल में राजा को परामर्श देने के लिये बनी संस्था ''कयूरिया रेजिस'' में पाये जाते है। इसी से आकार बढ़ने पर '' प्रिवी परिषद'' और आकार कम करने पर ''कवाल'' अस्तित्व में आयी। प्रारम्भ में यह संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर राजा के प्रति उत्तरदायी थी। सम्राट विलियम तृतीय ने 1695 में ह्विग पार्टी से मन्त्रिमण्डल बनाया। उसी समय से यह परम्परा बन गई कि बहुमत प्राप्त दल से मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जाए। 1742 में राबर्ट वालपोल ने कामन सभा में विश्वास खाने के बाद त्यागपत्र दे दिया। उसी समय से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उदय हुआ।

मन्त्रिपरिषद एवं मन्त्रि मण्डल में अन्तरः- मन्त्रि परिषद एक वृहत संस्था है जबकि मन्त्रि मण्डल एक छोटी संस्था है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य मन्त्रि परिषद के सदस्य होते है परन्तु मन्त्रि परिषद के सभी मन्त्रि मण्डल के सदस्य नहीं हो सकते। दोनों में अन्तर इस प्रकार हैः-

1. आकार में अन्तरः-मन्त्रिमण्डल एक छोटी संस्था है जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं जबकि मन्त्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें राज्यस्तरीय, उपमंत्री भी शमिल होते है।

2. पद संबंधी अंतरः- मन्त्रि मण्डल के कुछ सदस्य विशेष विभागों के अध्यक्ष भी होते है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभावशाली लोग जैसे - लार्ड, प्रिवी, सील, लार्ड चांसलर आदि।

3. वेतन में अंतरः- विभिन्न स्तर के मन्त्रियों में अंतर होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का वेतन अन्य मन्त्रिपरिषद में शमिल मंत्रियों की तुलना में जयादा होता है।

4. कार्य एवं शक्तियों में अन्तरः- मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते है और मन्त्रिपरिषद के सदस्य उनके आधीन सहायक के रूप में काम करते है।

मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था की विशेषतायें

दुनिया को मन्त्रिमण्डलात्मक शासन ब्रिटेन की देन है। अन्य देशों में इस व्यवस्था को इंग्लैण्ड से ही ग्रहण किया गया है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलात्मक शासन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैः-

1. **व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध**ः-इस व्यवस्था में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सभी मन्त्रि सामान्यतः संसद से लिये जाते है। यह व्यवस्था अमेरिका की शक्ति पृथक्ककरण के सिद्धान्त के विपरीत दिखायी पड़ती है। लास्की के शब्दों में -‘‘ ब्रिटिश कैबिनेट पार्लियामेण्ट से पृथक नहीं वरन उसका एक भाग है। यह वास्तव में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से जोड़ने वाला साधन है।’’

इस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। जहां व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारितकर कार्यपालिका (सरकार) का अस्तित्व समाप्त कर सकती हैं वही कैबिनेट की सिफारिश पर निम्न सदन का विघटन भी किया जा सकता है।

2. **मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व**ः- सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त आधुनिक समय में ब्रिटेन की प्रमुख देन है। इसका अर्थ है कि मंत्री अपने विभाग के लिये व्यक्तिगत रूप से तथा अन्य विभागों के लिये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते है। इसमें यदि किसी एक मंत्री के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल में लिया गया निर्णय होने के बाद वह सबका निर्णय होता है। उसके प्रति सभी सदस्य जबावदेह होते है।

लार्ड मार्ले के शब्दों में -‘‘ सब एक साथ तैरते है और एक साथ डूबते है।’’ सामूहिक उत्तरदायित्व का बचाव केवल त्यागपत्र के द्वारा हो सकता है। 1914 में लार्ड मार्ले एवं वर्न्स ने एस्क्विथ

मन्त्रिमण्डल से अपना त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे मन्त्रिमण्डल की युद्ध की घोषणा के निर्णय से खुश नहीं थे।

3. **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व**:- सामूहिक के साथ मन्त्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। मन्त्रियों के कार्य,आचरण का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत भी होता है। यदि किसी मंत्री के कार्य एवं आचरण से प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं है तो वह उसका त्यागपत्र मांग सकता है। 1936 में बजट लीक हो जाने पर जे0एच0टामस को, एटली मंत्रिमण्डल में डाल्टन को त्यागपत्र देना पड़ा।।

4. गोपनीयता:-मंत्रिमण्डल शासन की एक प्रमुख विशेषता गोपनीयता है। मन्त्रिगण मन्त्रिमण्डल की बैठकों के निग्रयों, को गोपनीय रखने के लिये बाध्य होते है। 1917 में लायड जार्ज ने इसी उद्देश्य से मन्त्रिमण्डल सचिवालय की स्थापना की। 1920 के राजकीय गुप्तता अधिनियम से वे गोपनीयता के लिये बाध्य है।

5. **राजनीतिक सजातीयता**:- सामूहिक उत्तरदायित्व एवं गोपनीयता का सिद्धान्त केवल इस आधार पर क्रियान्वित हो पाता है कि मन्त्रिमण्डल एक दलीय होता है। मिलेजुले मन्त्रिमण्डल सामान्यतः वहां नहीं दिखायी पड़ते है। वह युद्ध काल में ही संभव है। यह राजनीतिक सजातीतयता या दलीय लक्षण मन्त्रिमण्डल को सिद्धान्तों और कार्यों की एकता प्रदान करता है।

6. **प्रधानमंत्री का नेतृत्व**:- इस शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है। वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वह मन्त्रियों की नियुक्ति करता, विभागों का बंटवारा करता, कार्यों का निरीक्षण करता और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पदच्युत भी करता है।

मन्त्रिमण्डल के कार्य

मन्त्रिमण्डल के कार्य परम्परा पर आधारित है। वैधानिक रूप से मन्त्रिमण्डल सम्राट की परामर्शदायी समिति है परन्तु व्यवहार में यह ही समस्म शक्तियों का उपभोग करती है। मैरियट के शब्दों में -‘‘ यह ऐसा केन्द्र बिन्दु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यन्त्र घूमता है।’’ हाल्डेन समिति की रिपोर्ट में मन्त्रिमण्डल को ‘‘सम्पूर्ण शासन तन्त्र का मुख्य आधार बताया गया है।’’ मन्त्रिमण्डल के प्रमुख कार्य इस प्रकार है-

कार्यपालिका संबंधी कार्यः- मन्त्रिमण्डल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। उसके कार्यपालिका संबंधी प्रमुख कार्य इस प्रकार है-

राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनाः- इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। यह देश के अन्दर एवं देश के बाहर ,सभी के लिए नीतियों को संचालित करता है।

कार्यपालिका पर नियन्त्रणः- मन्त्रिमण्डल कार्यपालिका संबंधी सर्वोच्च संस्था है। वह सम्पूर्ण प्रशासन पर नियन्त्रण रखती है। सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष होते है। वे अपने विभागों पर नियन्त्रण रखते हुए नीतियों को क्रियान्वित करते है।

समन्वयकारी कार्यः- कई विभागों में बंटे होने के कारण उसमें समन्वय की आवश्यकता होती है। मंत्रिमण्डल सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है। इस कार्य हेतु कई समितियों का निर्माण भी किया जाता है।

व्यवस्थापिका संबंधी कार्यः- मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों को करता हैं। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका परस्पर जुड़े रहते हैं अतः कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का सत्र बुलाने, सत्रावसन करना, सत्र स्थापित करना,संसद को भंग करने संबंधी सभी कार्य क्राउन मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पर करती है। संसद में वही कानून बनते है जिसे मन्त्रिमण्डल चाहता हैं। संसद के सत्र के प्रारम्भ में पढ़ा जाने वाला भाषण मन्त्रिमण्डल के द्वारा तैयार सरकार के लक्ष्यों की रूप रेखा होता है। यही कारण है कि कार्टर, रैनी हर्ज ने इसे ''छोटी व्यवस्थापिका'' कहा है।''

वित्तीय कार्यः- देश की सम्पूर्ण आय-व्यय का लेखा-जोखा मन्त्रिमण्डल के द्वारा तैयार किया जाता है। वह बजट तैयार करता है, सदन में रखता है उसे पारित करता है। मन्त्रिमण्डल की सहमति के बिना किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती नहीं की जा सकती है।

न्यायिक कार्यः- मन्त्रिमण्डल को न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँप्राप्त है। मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिन व्यक्तियों को क्षमादान मिलता है उसकी सिफारिश मन्त्रिमण्डल ही करती हैं ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति ''प्रिवी परिषद'' में निहित है और उसका अध्यक्ष मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता है।

विदेश नीति का संचालनः-विदेश नीति का निर्धारण एवं संचालन मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है। वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्त करता हैं। वह ही अन्य देशों के साथ संधि समझौते को आगे बढ़ाते है।

सैनिक कार्यः- वास्तविक रूप से सैनिक शक्तियाँभी मन्त्रिमण्डल के पास है। क्राउन सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी तो अवश्य है परन्तु वह समस्त निर्णय मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर लेता है। युद्ध एवं शान्ती की घोषणा क्राउन मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर करता है। युद्ध का संचालन एवं सेना का नवीनीकरण का कार्य मन्त्रिमण्डलीय परामर्श से होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मन्त्रिमण्डल की शक्तियों का अत्याधिक विस्तार हुआ है। शासन का सम्पूर्ण व्यवस्था उसी के चारों ओर घूमती है। वह कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को ही नहीं वरन विधायी ,न्यायिक वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। मन्त्रिमण्डल की उनपरोक्त शक्तियों को देखते हुए कुछ आलोचक कहते है कि इस व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल तानाशाही स्थापित हो सकती है। मन्त्रिमण्डल अपनी मनमानी करती है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है। यह बात पूर्णतः सही नहीं लगती। यद्यपि संसदीय शासन में मंत्रीमण्डल शक्तिशाली होता है परन्तु वह निरंकुश नहीं हो सकता। उसके ऊपर अनेक तरह के नियन्त्रण होते है उसमें से प्रमुख इस प्रकार हैः-

1. विरोधी दल
2. जनमत
3. संसदीय सहनशीलता
4. संसदीय परम्परायें

संसदीय शासन में विरोधी दल की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण होती है। वह सत्तारूढ़ दल पर कड़ा अंकुश रखता है और जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। सत्तारूढ़ दल कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता कि जनमत उसके विरूद्ध जाए। अतः जनमत संसदीय परम्परायें स्वतः मन्त्रिमण्डल पर प्रभावी अंकुश रखती है।

6.3.1 ब्रिटेन में प्रधानमंत्री

ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता हैं यही कारण है कि प्रधानमंत्री को संसदीय शासन का केन्द्रबिन्दु माना जाता है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था भी कहते है। प्रधानमंत्री का पद 1721 में अस्तित्व में आया। जब ''राबर्ट वालपोल'' ने सत्ता संभाली। ब्रिटेन के इतिहास में प्रधानमंत्री का लिखित उल्लेख 1878 में आया जब लार्ड वीकन्सफील्ड ने वर्लिन संधि पर हस्ताक्षर के साथ अपने आपको '' हर मैजेस्टी'' का प्रथम लार्ड तथा इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री लिखा। 1937 में ''मिनिस्टर आफ क्राउन'' एक्ट के द्वारा प्रधानमंत्री को 10000 पौण्ड वार्षिक वेतन एवं 2000 पौण्ड पेंशन निर्धारित किया गया। 1964 में यह वेतन 14000 पौण्ड वार्षिक कर दिया गया।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

ब्रिटेन की परम्परा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्राउन करता है। कामन सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ब्रिटेन में व्यवहारिक रूप से द्विदलीय व्यवस्था होने के कारण वहां स्थिति स्पष्ट रहती है।बहुमत प्राप्त दल एवं उसके नेता की स्थिति अपने आप स्पष्ट रहती है। अतः उन्हें सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करने में कठिनाई होती हैं। भारत तथा अन्य देश जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है प्रायः स्पष्ट बहुमत का अभाव देखा जाता है अतः ऐसे में राष्ट्रपति को स्वविवेक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। ब्रिटेन में तीन अवस्थाओं में स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता हैः-

1. जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
2. प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु या त्यागपत्र से पद रिक्त हो गया हो।
3. जब मिश्रित सरकार बनाना आवश्यक हो जाए।

उसके साथ ब्रिटेन में अब यह परम्परा बन गई है कि प्रधानमंत्री निम्न सदन (कामन सभा) से चुना जाता है। 1902 में लार्ड सेलिसबरी के बाद सभी प्रधानमंत्री कामन सभा से चुने जाते है।

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां

ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। जैनिग्स ने ठीक लिखा है कि -'' वह ब्रिटिश संविधान की आधार शिला है'' उसके पास व्यापक शक्तियाँहै। वह सरकार के निर्माण, विभागों के बंटवारें और संचालन के केन्द्र बिन्दु में है। उसकी प्रमुख शक्तियाँइस प्रकार है-

मन्त्रिमण्डल का निर्माणः- प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजा के द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति की जाती है। वास्तव में एक बार प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री स्वंय अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है। वह अपने मन्त्रिमण्डल में सभी वर्गों,क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करवाता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दल के बाहर के व्यक्ति को भी स्थान दे सकता है। 1903 में लार्ड मिलन्नर को ,1924 में लार्ड चेम्सफोर्ड को उनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिये मंत्री बनाया गया। 1966 में चुनाव में पराजित होने के बाद गार्डन वाकर को विदेश मंत्रालय में लिया गया। उपरोक्त घटनायें प्रधानमंत्री की मन्त्रिमण्डल बनाने में स्वविवेक की शक्ति का प्रमाण हैं।

मन्त्रिमण्डल का कार्य संचालनः- प्रधानमंत्री न केवल मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है वरन उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है और बैठक का एजेण्डा भी तय करता है। बैठकों में स्वतन्त्र रूप से विचार विमर्श होता है परन्तु विवाद की स्थिति में बहुमत से फैसला होता है।

मन्त्रिमण्डल का अन्तः- मन्त्रियों की पदच्युति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का ही होता है। वह जब चाहता है अपनी कैबिनेट से किसी भी मंत्री को हटाने की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। उसकी सिफारिश पर संबंधित मंत्री को पद से हटना ही होता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं ही पद छोड़ दे तो उसके साथ सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को जाना होता हैं लास्की के शब्दों में -'' वह अपने मन्त्रिमण्डल में जब चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है।'' वह मन्त्रिमण्डल का केन्द्र बिन्दु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और अन्त में केन्द्रीय स्थिति रखता है।''

शासन पर नियन्त्रणः- देश का सम्पूर्ण शासन सम्राट के नाम से होता है परन्तु व्यवहार में सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। वह शासन पर नियन्त्रण रखते हुये समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। समस्त राजकीय पदों पर नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट द्वारा की जाती है। समस्त विशप,राजदूत, न्यायधीश, विभागीय प्रमुख, गर्वनर, आयोगों के अध्यक्षों आदि की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।

परराष्ट्र संबंधों का संचालनः- यह प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है। वह दूसरे देशों के साथ संबंध संचालन के केन्द्र बिन्दु में रहता है। दूसरे देशों के साथ किये गये संधि, समझौतों पर विदेश मंत्री के नहीं वरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होते है। अन्य देशों उच्चायुक्तों, राजदूतों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। वह स्वयं राष्ट्रहित के सवंर्धन के लिये दूसरें देशों की यात्रा करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरे देशों में विशेष दूतों को भी भेजता है।

लोकसदन का नेतृत्वः- लोकसदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य संचालन करता है। वह संसद का पथ प्रदर्शन करता है। देश के बजट निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दलीय सचेतकों के माध्यम से वह दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। सदन के नेता के रूप में उसकी महत्वपूर्ण शक्ति लोकसदन को विघटित करने की है।

मन्त्रिमण्डल एवं सम्राट के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्श कर्ता होता हैं वह मन्त्रिमण्डल एवं सम्राट के बीच की कड़ी होता है। मन्त्रिमण्डल के सभी महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी वह स्वयं सम्राट को देता है। सम्राट के परामर्श को वह मन्त्रिमण्डल को पहुंचाता है।

प्रधानमंत्री की स्थितिः- ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद प्रतिष्ठा एवं महत्व से पूर्ण है। इसके साथ ही पद को धारण करने वाले व्यक्तित्व का प्रभाव भी पद पर पड़ता है। उसकी विशेष स्थिति के कारण लोवेल ने कहा-‘‘वह मन्त्रिमण्डल रूपी मेहराब की आधारशिला है।’’ मैरियट के शब्दों में - ‘‘ वह देश का राजनीतिक शासक है।’’ परम्परागत रूप से प्रधानमंत्री को ‘‘ समकक्षों में प्रथम ’’ माना जाता है। मार्ले का यह कथन आधुनिक समय में परिवर्तित हो चुका हैं अब वह ‘‘मन्त्रिमण्डल का अधिपति’’ है। रम्जेम्योर ने लिखा है- प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना भ्रम मूलक है। वह मन्त्रिमण्डल का अधिपति है , वह उसे जीवन देता है, उसका संहार करता है, वह बहुमत दल का नेतृत्व करता है, वह पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, लोकसदन का नेतृत्व करता है।’’

आज आम निर्वाचन में मतदान संभावित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को देखते हुए होता है। वह आज के समय में और मजबूत हुआ है। आज उसकी स्थिति नक्षत्रों के बीच सूर्य की तरह होती है। रेम्जेम्योर एवं कुछ विद्वान यह मानते है कि प्रधानमंत्री अधिनायक बन सकता है। वह निरकुंश हो शासन संचालन कर सकता है। वास्तव में तानाशाह के रूप में कल्पना करना निराधार है। कई बार

वह अपनी इच्छा का मन्त्रिमण्डल की बैठकों में समर्थन प्राप्त नहीं कर पाता।उसके द्वारा मनमानी किये जाने पर उसे पदच्युत किया जा सकता है। बहुमत प्राप्त दल अपना नया नेता चुन सकता है। प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ नियन्त्रण रहते है जो इस प्रकार हैः-

1. जनमत का अंकुश

2. दलीय अनुशासन का अंकुश

3. विपक्ष का अंकुश

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँही नहीं वरन व्यापक प्रभाव है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में उसकी केन्द्रीय भूमिका है। उसी के चारों शासन चलता है। वह धुरी के समान है। वह मन्त्रिमण्डल का गठन,विभागों के बंटवारें, विभागों के मध्य तालमेल, मन्त्रियों की पदच्युत , मन्त्रिमण्डल के विघटन तथा निम्न सदन के विघटन की सिफारिश करने आदि में केन्द्रीय भूमिका में रहता है। इन सबके बावजूद वह निरंकुश नहीं है। उसको निम्न सदन में जबाव देना पड़ता है। यदि निम्न सदन उसके जबाव से सन्तुष्ट न हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरकार का जीवन ही समाप्त कर सकती है। इसके आलाव प्रधानमंत्री एवं उसका मन्त्रिमण्डल जनमत को सदैव बनाये रखना चाहते है अतः वह कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो जनमत को उनके विरूद्ध कर दे। प्रधानमंत्री का पद संसदीय शासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परन्तु वह जनमत एवं निम्न सदन के विश्वास से मर्यादित है।

अभ्यास प्रश्नः-

1. ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन प्रणाली पायी जाती हैं। संसदीय /अध्यक्षात्मक

2. ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राजा रानी/संसद

3. ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री ....था।

4. ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से ....के प्रति उत्तरदायी होता है

5. मन्त्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ....................दिलाता है।

6. मन्त्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के लिए त्यागपत्र राजा को संबोधित करके दिया जाता है। सत्य /असत्य

6.4 ब्रिटेन में न्यायपालिका का उद्भव विकास

आधुनिक समय में सरकार के तीन अंगों को स्वीकार किया जाता है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के अतिरिक्त न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है। कानून भंग करने वालों को दण्ड देती हैं लार्ड व्राइस के शब्दों में -‘‘ किसी भी शासन की उत्तमता जांचने के लिये सर्वश्रेष्ठ कसौटी उसकी न्याय व्यवस्था है।’’ गार्नर के शब्दों में -‘‘ बिना विधायी अंगों के समाज की कल्पना की जा सकती है किन्तु बिना न्यायिक अंगों के एक सम्भ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।’’

6.4.1 न्यायपालिका की विशेषतायें

ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं-

1. न्यायिक स्वतन्त्रताः- ब्रिटेन में न्यायपालिका स्वतन्त्र है। 1701 के ‘‘ सेटेलमेण्ट एक्ट’’ में यह व्यवस्था की गई है कि ब्रिटेन में न्यायधीश अपने पद पर सदाचार पर्यन्त रहेगें। वहां पर न्यायधीशों को नौकरी की सुरक्षा प्राप्त है। वे निष्पक्ष होकर निर्णय देते है। उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती है । उनको संसद के प्रस्ताव पर ही सम्राट द्वारा हटाया जा सकता है।

2. विधि का शासनः- इंग्लैण्ड में विधि का शासन पाया जाता है जिसका अर्थ है कि इंग्लैण्ड में कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। सभी व्यक्तियां के लिये समान दण्ड व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति को तब तक दण्ड नहीं दिया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने विधि का उल्लघंन किया है।

3. जूरी प्रणालीः- ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता वहां की जूरी व्यवस्था है। यह व्यवस्था सर्वप्रथम ब्रिटिश व्यवस्था में 12 वीं सदी में दिखायी पड़ी। इसमें 12 सदस्य होते है। वे सुनवाई के बाद न्यायधीशों के समक्ष अपने विचार रखते है। न्यायधीश सामान्यतः जूरी के परामर्श

का बहुत अधिक सम्मान करते है। जूरी यदि अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देती है तो पुलिस निगरानी की अपील नहीं कर सकती। जूरी प्रणाली के कारण न्याय में दया का सम्मिश्रण हो जाता हैं ब्रिटेन में जूरी के सदस्य निष्पक्षता, निर्भीकता, अनुभव के लिये जाने जाते है।

4. निःशुल्क कानूनी सहायताः- ब्रिटिश न्यायव्यवस्था की एक अन्य विशेषता निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। कानूनी सहायता एवं परामर्श अधिनियम 1949 कानूनी सहायता अधिनियम 1949 में यह व्यवस्था है कि आर्थिक रूप से निर्बल व्यक्तियों को वेल्स तथा इंग्लैण्ड के उच्च न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों तथा स्काटलैण्ड के सेंशन न्यायालयों तथा शेरिफ न्यायालयों के समक्ष आने वाले दीवानी मामलों में सरकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है।

5. न्यायिक पुर्नवलोकन का अभावः- इंग्लैण्ड में संसदीय सम्प्रभुता का सिद्धान्त काम करता है। वहां संसद सर्वोच्च है अतः संसद के कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार किसी को नहीं है। अमेरिका तथा भारत में न्यायिक पुर्नवलोकन का अधिकार है। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनायी गई विधि की संवैधानिकता की जांच कर सकती है।

6. नागरिक स्वंतन्त्रता की रक्षकः- ब्रिटिश न्यायालय नागरिक स्वतन्त्रता और अधिकारों का रक्षक है। ब्रिटेन में लिखित संविधान ने होने तथा मौलिक अधिकारों के अभाव के बावजूद नागरिकों को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त है। वहाँ पर न्यायालय बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, रिट जारी करके नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा करते है।

7. विकेन्द्रित न्याय व्यवस्थाः- ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता वहां की सर्किट न्यायव्यवस्था है। ये न्यायालय मुकदमों की सुनवाई एक स्थान पर करने के बजाय दूसरे स्थान पर जाकर करते है। काउण्टी न्यायलयों को दीवानी मामलों में व्यापक अधिकार प्राप्त है, लगभग 60 सर्किटों में विभक्त है। फौजदारी मामलों की सुनवाई ‘‘ एसाइज न्यायालयों’’ द्वारा की जाती है। ये न्यायालय तीन चार अपने क्षेत्र में अलग-अलग मुकदमें सुनते है।

8. सम्पूर्ण कानूनी संहिता का अभावः- इंग्लैण्ड में अधिकांश कानून अलिखित है। जो सामान्य कानूनों पर आधारित है। इस संबंध में न्यायाधीशों के निर्णय महत्वपूर्ण है। इस समय ब्रिटेन

की न्याय व्यवस्था का आधार 3000 संसद अधिनियम, हजारों अधीनस्थ अधिनियम, तीन लाख मुकदमों के निर्णय हैं।

10. दीवानी व फौजदारी न्यायालयों में भेदः- ब्रिटेन में दोनों मामलों में भेद है। दीवानी, फौजदारी कानूनों में तथा उनकी प्रक्रिया में भेद किया जाता है। दीवानी कानूनों का संबंध समाज के सदस्यों उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों के विवाद से होता है। फौजदारी कानूनों का संबंध सम्पूर्ण समाज एवं राजय के विरूद्ध किये गये अपराधों से होता है। इसके अन्तर्गत अभियोग का संचालन राज्य की ओर से किया जाता है। जूरी का प्रयोग सामान्यतः फौजदारी मामलों में किया जाता है।

6.4.2 न्यायपालिका का संगठन

ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था का संगठन सन् 1873 के न्यायालय अधिनियम के द्वारा किया गया। 1925 में इसे संशोधित कर दिया गया। इंग्लैण्ड में मुख्यतः तीन प्रकार के न्यायालय पाये जाते है। उनका विवरण इस प्रकार हैः-

1. फौजदारी न्यायालयः- फौजदारी न्यायालयों के द्वारा चोरी, डकैती, मारपीट आदि के मुकदमों को देखा जाता है। इंग्लैण्ड में फौजदारी न्यायालयों का संगठन इस प्रकार हैः-

पैटी सैशन्स या कोर्ट आफ समरी ज्यूरिडिक्सनः- यह सबसे निचले स्तर का न्यायालय है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस न्यायालय की अध्यक्षता ‘‘ जस्टिस आफ पीस’’ करता है। इनकी नियुक्ति 7 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं में से किया जाता है। जस्टिस आफ पीस की नियुक्ति लार्ड चान्सलर काउंटी के लार्ड लेफ्टिनेंट की सिफारिश पर की जाती है। दण्डाधिकारियों को भी जस्टिस आफ पीस के भाँति अधिकार प्राप्त है। जस्टिस आफ पीस एवं दण्डाधिकारी अकेले छोटे-छोटे विवादों का निर्णय करने का अधिकार होता है। वे 20 शिलिंग का जुर्माना एवं 14 दिन तक का कारावास दे सकते है। गम्भीर अपराधों में दो न्यायधीश एक साथ बैठते है तो उसे लघु न्यायालय भी कहते है। वे विशिष्ट विवादों में 500 पौण्ड तक जुर्माना एवं 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास देने का अधिकार रखते है।

काउण्टी न्यायालय के ऊपर क्वार्टर सैशेन्स न्यायालय होता है। इसमें काउण्टी के दो जूरी या जस्टिस आफ पीस होते है। बड़े शहरों में इसकी अध्यक्षता वेतनभोगी दण्डाधिकारी करते है। यहां निम्न न्यायालयों के विरूद्ध अपील सुनी जाती है। इसके प्रत्येक वर्ष 4 सत्र होते है।

भ्रमणशील न्यायालयः- ये उच्च न्यायालय की शाखायें है जो वर्ष में तीन बार काउण्टी, नगर,बड़े नगरों में चक्कर लगाते है। पूरे देश को इस कार्य के लिये 8 सर्किटों में विभक्त किया जाता है। इन न्यायाधीशों की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की राजा की पीठ शाखा के न्यायधीश करते हैं। लंदन में केन्द्रीय अपराधिक न्यायालय की बैठक वर्ष में 10 बार होती है। इसके क्षेत्राधिकार इस प्रकार है-

1. अपराधिक मामलों में क्वार्टर सेशेन्स के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनना।

2. बदनामी,भ्रष्टाचार आदि दीवानी विवादों की सुनवाई।

अपराधिक या फौजदारी मामले में न्यायधीश की स्थिति एक निर्णायक की होती है। ब्रिटिश विधि व्यवस्था में सत्य का पता लगाना न्यायधीश का कार्य नहीं हैं यह कार्य जूरी के द्वारा किया जाता है। जूरी पूरे विवाद को समझने के बाद अपनी सलाह न्यायधीश को दे देती है और न्यायधीश उस पर निर्णय सुना देता है। यदि जूरी के सदस्य किसी को निर्दोष समझते है तो विवाद वही समाप्त हो जाता है। यदि वे दोषी समझते है तो न्यायधीश आगे अपना निर्णय सुनाते है। यदि निर्णय से जूरी के सदस्य सममत नहीं होते तो वह नये जूरी के सदस्यों के सहयोग से पुनः विवाद की सुनवाई कर सकते है।

आपराधिक अपीलीय न्यायलयः- क्वार्टर सैशेन्स न्यायालय एवं भ्रमणशील न्यायालय के विरूद्ध अपील फौजदारी या आपराधिक अपील न्यायालय में की जाती है। इनकी स्थापना आपराधिक अपील अधिनियम के अधीन की गई हैं इस न्यायालय में लार्ड प्रधान न्यायधीश होता है। प्रशासकीय न्याय अधिनियम 1960, के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित विवाद में सार्वजानिक महत्व का प्रश्न निहित है और लार्ड सभा भी ऐसा समझती है तो उस मामलों की अपील लार्ड सभा में की जा सकती है।

लार्ड सभा दीवानी एवं आपराधिक मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। 1948 से लार्ड सभा ने अपने सदस्यों पर देश द्रोह एवं ऐसे ही अन्य अपराधों के लिये दण्ड देने के अधिकार त्याग दिये है। अपीलीय न्यायालय के लिये अध्यक्षता लार्ड चांसलर करता है।

दीवानी न्यायालयः- दीवानी मामलों में ब्रिटेन का न्यायिक ढ़ाचा इस प्रकार हैः-

काउण्टी न्यायालयः- दीवानी मामलों के लिए सबसे निचले स्तर पर ये न्यायालय है। इनकी स्थापना 1848 में शीघ्र न्याय पाने के लिये की गई। ये न्यायालय भी भ्रमणशील है । ये काउण्टी में भ्रमण करते हैं समस्त काउण्टी 70 सर्किटों में विभाजित है प्रत्येक सर्किट में एक न्यायधीश रहता है।

उच्च न्यायालयः- काउण्टी न्यायालय के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में सुने जाते है। यह न्यायालय तीन डिवीजनों में बैठता हैः-

किंग्स बैन्च डिवीजनः- यह प्रायः दीवानी मामलों को सुनता है परन्तु फौजदारी मामलों को भी सुन सकता है। इसका प्रधान लार्ड चीफ आफ जस्टिस होता है। इसमें 19 अन्य न्यायधीश भी होते है। इनमें से ही एसाइज,न्यायालयों, न्यायधीश नियुक्त होते है। किंग्स बैंच डिवीजन जहां अपना कार्य करती हैं वह वहां का उच्च न्यायालय माना जाता है।

चान्सरी विभागः- इस न्यायालय का प्रधान लार्ड चान्सलर होता है इसमें 5 अन्य न्यायधीश होते है। यह न्याय भावना से संबंधित मामलों को सुनता है।

प्रावेट, तलाक,जल सेना विभागः- यह मृत व्यक्तियों के जायदाद संबंधी मामलों में विवाह संबंधी मामलों तथा जहाजरानी मामलों की सुनवाई करता है।

अपीलीय न्यायालय:- काउण्टी न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपील के लिये यह अपील न्यायालय है। इस न्यायालय में 5 न्यायधीश होते हैं इसकी अध्यक्षता लार्ड चांसलर करता है। इस न्यायालय की अनुमति से अंतिम अपील लार्ड सभा में हो सकती हैं

लार्ड सभाः- यह दीवानी ,फौजदारी दोनों मामलों का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। विधि लार्ड ही न्यायिक कार्य करते है। यह वर्ष में 50 से अधिक मामलों की सुनवाई नहीं करता। यह दीवानी फौजदारी मामलों में अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनता है यदि महान्यायवादी यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है।

विशेष न्यायालयः-

प्रिवी परिषद की न्यायिक समितिः- यह 1833 में स्थापित हुई। इसका प्रधान लार्ड चांसलर होता है। इसमें कानूनी लार्डस, अन्य वशिष्ठ लोग जो न्यायिक कार्य कर चुके हो, एक न्यायधीश संबंधित उपनिवेश, आदि होते है। यह उपनिवेशों का अंतिम अपीलीय न्यायालय था।

अभ्यास प्रश्नः-

1. ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। सत्य/असत्य

2. ब्रिटेन में कानून अधिकांशतः संहितावद्ध है। सत्य /असत्य

3. ब्रिटेन में दीवानी फौजदारी कानूनों में अन्तर नहीं है। सत्य/असत्य

4. ब्रिटेन में दीवानी स्तर का सबसे निचला न्यायालय ....है।

5. ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय......................है।

6.5 सारांश

ब्रिटेन संसदीय शासन की जननी है। वहां न केवल संसदीय शासन का विकास हुआ वरन दुनिया के अन्य देशों में उसका फैलाव हुआ । संसदीय शासन की परम्परा के अनुसार कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँमन्त्रिमण्डल में निहित है। मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालकीय शक्तियों का उपयोग करता है। संसदीय शासन के विकास के दौर में मन्त्रिमण्डल राजा की अनुगामिनी थी वह राजा को परामर्श देती थी। मन्त्रिमण्डल प्ररिम्भक समय में याचक की भूमिका में थी। समय गुजरने के साथ वालपोल परिस्थितिवश पहले प्रधानमंत्री के रूप में सामने आये जिनका मुख्य कार्य मन्त्रिमण्डल की बैठकों का संचालन करना और मन्त्रिमण्डल और राजा के बीच कड़ी के रूप में करना था। धीरे राजा की शक्तियों का ह्रास हुआ और प्रधानमंत्री और उसका मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियों का स्वामी हुआ।

आज ब्रिटेन में कैबिनेट के पास वास्तविक शक्तियाँहै। प्रधानमंत्री की स्थिति धुरी के समान है। वह शासन के केन्द्र में है। वह स्वयं अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है, विभागों का बंटवारा करता है,उनमें सामान्जस्य बना कर रखता है। वह सरकार का मुखिया ही नहीं वरन देश के बाहर सरकार की आवाज होता है। वह निम्न सदन में सरकार का नेतृत्व करता हैं वह राष्ट्रीय हितों की

पूर्ति के लिये वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। देश के अन्दर सभी महत्वपूर्ण पदों पर वह स्वयं पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राजा को सलाह देकर नियुक्ति करवाता है। वह सरकार एवं निम्न सदन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह अपनी कैबिनेट के साथ निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार का अस्तित्व ही समाप्त करा सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से परामर्श कर निम्न सदन को भंग करने की सिफारिश राजा से कर सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँहै। मन्त्रिमण्डल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का पद भी अत्यंत शक्तिशाली है। कुछ आलोचक इसी वजह से इसे ''मंत्री मण्डलीय शासन प्रणाली'' भी कहते है। कुछ आलोचक प्रधानमंत्री की शक्तियों पर प्रश्न उठाते है और उसके निंरकुश होने की सम्भावना व्यक्त करते है। वास्तव में संसदीय शासन में यह संभव नहीं दिखता क्योंकि कोई भी सरकार जनमत को पक्ष में करके सरकार के रूप में अस्तित्व में आती है। अतः कोई सरकार अत्याचार,मनमानी कर जनमत को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसके साथ मन्त्रिमण्डल को अपने कार्यों के लिये निम्न सदन के प्रति जबावदेह होती है। उसे वहां पर जबाव देना पड़ता है। यदि निम्न सदन उसके जबाब से संतुष्ट न हो तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार का जीवन ही समाप्त किया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री एवं उसका मन्त्रिमण्डल वास्तविक शक्तियों का स्वामी है। वह समस्त कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग करता है।

ब्रिटेन में स्वतन्त्र एंव निष्पक्ष न्यायव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। वहंा पर न्यायपालिका का ढ़ाचा केन्द्रीकृत हैं जहां पर दीवानी, फौजदारी एवं विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है। दीवानी मामलों में सबसे निचले स्तर पर काउण्टी न्यायालय है वहां सर्वोच्च अपीलीय दीवानी, न्यायालय के रूप में लार्ड सभा है। फौजदारी मामलों में निचले स्तर पर पैटी सेशन्स है तथा शिखर पर लार्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। विशेष न्यायालय के रूप में प्रिवी परिषद है जो उपनिवेशों के मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। ब्रिटेन का सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था विधि के शासन पर आधारित है। इसमें सामान्यतः यह सिद्धान्त निहित है कि सभी विधि के सामने समान है। यह दुनिया को ब्रिटेन की देन है। आधुनिक समय में सम्पूर्ण विश्व में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। ब्रिटेन में जूरी प्रणाली,विधि का शासन,न्यायिक स्वतन्त्रता,शीघ्र निर्णय आदि दुनिया को उसकी देन है। ब्रिटेन के इतिहास में झांके तो नार्मन विजय से पूर्व कोई कानूनी एकरूपता नहीं थी। सम्पूर्ण समाज रीतिरिवाजों, परम्पराओं से गतिमान था परन्तु नार्मन एक्वेयिन काल के बाद सम्पूर्ण

देश में विधि की एकरूपता का सूत्रपात हुआ। आज ब्रिटेन आधुनिक विधि व्यवस्था वाला राज्य है। वह विधि का शासन,विधि की एकरूपता,जूरी प्रणाली आदि को आगे बढ़ा रहा है।

6.6 शब्दावली

संसदीय सम्प्रभुताः- ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर संसद के पास वास्तविक शक्तियाँहोती है तथा संसद का स्थान सर्वोच्च होता है।

1. वास्तविक कार्यपालिकाः-संसदीय शासन में राजा के पास नाममात्र की शक्तियाँहोती है जबकि मन्त्रिमण्डल के पास वास्तविक शक्तियाँहोती है। अतः मन्त्रिमण्डल को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है।

2. विधि का शासनः- जहां शासन कानून के अनुसार चले उसे विधि का शासन कहते है। इसमें विधि के समक्ष सभी समान है तथा विधि सभी पर समान रूप से लागू होगी का सिद्धान्त भी निहित है।

3. विधि की सर्वोच्चताः-विधि या कानून सभी के ऊपर है। देश के सभी व्यक्ति ,संस्था,संगठन विधि से मर्यादित है।

4. संहिताकरणः- लिपिबद्ध करना अथवा लिखकर सुरक्षित करना।

5. सामूहिक उत्तरदायित्वः- सभी का एक साथ जबावदेह होना। ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल निम्न सदन (कामन सभा) के प्रति सामूहिक रूप से जबावदेह होता है।

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

भाग क	भाग ख
1-संसदीय	1- सत्य
2-राजा अथव रानी	2- असत्य

3-रार्बट वालपोल 3- असत्य

4-निम्न सदन 4- काउण्टी न्यायालय

5- राजा अथव रानी 5- लार्ड सभा

6- सत्य

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.जेनिग्स आइबर, ब्रिटिश संविधान, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

2. ब्राउन आर0जी0एस0एण्ड स्टील डी0आर0,दि एडमिनिस्ट्रेटीव प्रासेस इन ब्रिटेन ,लंदन 1979।

3. किंग ए0, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर , लंदन ,1969।

4. मैकिन्तोरा जे0पी0,दि ब्रिटिश कैबिनेट, प्प्प् संस्करण,लंदन ,1977।

5. कॉक्स वी0,सिविल लिबर्टी इन ब्रिटेन,लंदन 1975।

6. ग्रिफिथ जे0ए0 जी0 ,दि पालीटिक्स आफ ज्यूडीशीयरी,लंदन 1981।

7. नारायण इकबाल, विश्व के प्रमुख संविधान आर0डे0 प्रिटर्स,नई दिल्ली,1969

8. पार्थ सारथी जी0 , आधुनिक संविधान,मिनाक्षी प्रकाशन मेरठ।

6.9 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. गोल्ड स्मिथ, जेफ्री, दि सावरेटी आफ पार्लियामेण्ट ,1999, लंदन।

2. डेविड स्मिथ,चेंज एण्ड काटीन्यूटी इन 17 संेचुरी इंग्लिश पार्लियामेण्ट,हिस्ट्री रिव्यू 2002।

3. डायसी ए0बी0, इन्ट्रोडक्शन टू दि स्टडी आफ कास्टीटयूशन 1915

4. टर्निप कोलिस, टायकिंस एडम्स, ब्रिटिश गर्वनमेंट एण्ड दि कास्टीटयूसन 2007 लंदन

6.10 निबधात्मक प्रश्न

1. ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के गठन तथा उसकी शक्तियों पर प्रकाश डालिये।
2. ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों,कार्यों और स्थिति का वर्णन कीजिये।
3. क्या ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही है। स्पष्ट कीजिये।
4. ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रीमण्डल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है।,व्याख्या कीजिये।
5. ब्रिटिश न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता बताइये।
6. ब्रिटिश न्यायपालिका के संगठन एवं कार्यो की व्याख्या कीजिये।
7. विधि के शासन से आप कया समझते है। विधि के शासन की विशेषताओं को बताइये।

ईकाई 7 ब्रिटिश दल प्रणाली

ईकाई की संरचना

7.0 प्रस्तावना

7.1 उद्देश्य

7.2 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का उदय

7.2.1 ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषतायें

7.2.2 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के कार्य

7.2.3 ब्रिटिश प्रमुख राजनीतिक दल,

7.3 सारांश

7.4 शब्दावली

7.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

7.7 सहायक/ उपयोगी पाठ्य समाग्री

7.8 निबधात्मक प्रश्न

7.0 प्रस्तावना

लोकतन्त्र में राजनीतिक दल अपरिहार्य है। राजनीतिक दलों के अभाव में हम लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते है। लोकतन्त्र केा आगे बढ़ाने का वास्तविक कार्य राजनीतिक दल ही करते है। वह लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने से लेकर मतदान कराने तक के सभी गतिविधियों को करने के लिए तैयार करते है। एक बार सरकार बन जाय तो वह सरकार एवं जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते है। ब्रिटेन संसदीय शासन की जननी ही नहीं रहा वरन वह राजनीतिक दलों की जन्म भूमि भी रहा है। ब्रिटेन के इतिहास में राजनीतिक समूह के संकेत 14,15 वीं शताब्दी में मिलते है। परन्तु वास्तविक राजनीतिक दल उदय 1688 की क्रान्ति के बाद ही माना जा सकता है जब दो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी जिन्हें ह्विग एवं टोरी के नाम से जाना गयां राजनीतिक दल लोकतन्त्र में प्राण वायु के समान है। जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के निर्वाचन तथा प्रतिनिधियों के द्वारा जन आकांक्षा के अनुरूप शासन को संचालन कराने के लिऐ राजनीतिक दलों का अस्तित्व आवश्यक है। राजनीतिक दल ही लोकमत का निर्माण कराते है जो आगे चलकर सरकार निर्माण में सहायक होता है। कतिपय यह कारण है कि जैनिग्स ने कहा है-''ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से प्रारम्भ होता है और राजनीतिक दलों से समाप्त होता है।''

मैकिन्तोश ने ब्रिटेन में राजनीतिक दलों महत्व को दर्शाते हुए कहा था कि ''दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है।''

7.1 उद्देश्य-

1. इस इकाई में हम ब्रिटेन मे राजनीतिक दलों के उदय एवं विकास का अध्ययन करेंगें।
2. ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगें।
3. ब्रिटेन के दलीय संगठन की जानकारी प्राप्त करेंगें।
4. ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकेंगें।

7.2 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का उदय

- ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का इतिहास स्टुअर्ट काल से आरम्भ होता है। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में संसद की सर्वोच्चता के लिये संघर्ष हुआ। जनता दो भागों में विभक्त हो गई। एक वर्ग राजा के साथ हो गया जिसे 'कैवेलिर्यस' कहा गया। यह वर्ग राजा समर्थक तथा वह राजा की शक्तियों में किसी प्रकार की कमी किये जाने का विरोधी था। दूसरा वर्ग जो संसद को ज्यादा शक्तियां दिये जानें का समर्थक था वह 'राउण्डहेडेड' कहलाया क्योंकि इस वर्ग ने अपने पहचान को स्थापित करने के लिये अपने सिर से बालों को साफ करा लिया था। आधुनिक रूप से ब्रिटेन में 18 वीं शताब्दी तक कोई दल प्रणाली नहीं थी। यह एक गुट प्रणाली थी। इनमें एक गुट सत्ताधारी वर्ग के समर्थन में था तथा दूसरा उसका विरोधी था। 1679 में बहिष्कार बिल के द्वारा जेम्स द्वितीय को गद्दी पर बैठने से रोकने का प्रयास किया गया। जो इस बिल के पक्ष में थे वे 'पीटिशनर्स' कहलाये जिन्होंने इससे घृणा की वे 'एवोवरर्सस' कहलाये। विलियम द्वितीय के समय में यह क्रमशः ह्विग एवं टोरी कहलाये। ह्विग राजा के अधिकारों के नियन्त्रण के पक्ष में थे अतः उन्होंने 'राउण्डहेडेड' परम्पराओं का समर्थन किया। टोरी इसके उलट 'कैविलियर्स' की तरह टोरी राजा की शक्तियों, सुविधाओं को बनाये रखना चाहते थे।

1832 में सुधारों के प्रारम्भ के साथ ह्विग एवं टोरी दल के नामों में भी परिवर्तन हो गया। अब ये नये नामों से क्रमशः उदार दल एवं अनुदार दल के नाम से जाने जाने लगें उदार दल के समर्थक ब्रिटेन के समाज में हो रहे परिवर्तन एवं उनके अनुरूप नये कानून की मँाग ,नये स्वतन्त्रताआंे,मताधिकार की माँग का समर्थन कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहे तो ये उदार अल राउन्डहेडेड एवं ह्विग की परम्परा के थें ये समय के साथ नये नागरिक अधिकारों के प्रति सजग थे और उनकी माँग कर रहे थे। इसके ठीक विपरीत ब्रिटेन में एक दूसरा वर्ग था जो परिवर्तन सुधारों, नये अधिकारों, का विरोध कर रहा था। यह वर्ग पुरानी व्यवस्था को बनाये रखना चाहता था। ये राजा के विशेषधिकारों,भत्तों,चर्च के अधिकारों, लार्ड सभा की शक्तियों,साम्राज्यवाद का समर्थन किया। ये पुरानी परम्पराओं,रूढ़ियों,आदर्शों को बनाकर रखना चाहते थे। यही कारण था कि इन्हें अनुदार दल(कंजरेटिव) कहा गया।

1886 में ब्रिटेन में एक बड़ा परिवर्तन आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री'ग्लेडस्टोन' ने आयरलैण्ड के लिये एक अलग संसद की स्थापना के उद्देश्य के लिये विधेयक प्रस्तुत किया तो उदार दल में फूट

पड़ गई। इस दल के 100 से अधिक सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया। इन अलग हुए समूह ने अपना अलग दल बनाया जिन्हें 'यूनियनिस्ट' कहा गया। यह दल कभी उदार दल तो कभी अनुदार दल को समर्थन देता रहा। 1886 से 1905 तक ब्रिटेन की राजनीति में अनुदार दल का प्रभुत्व रहा। 1868 में शहरी मजदूरों एवं 1885 में ग्रामीण मजदूरों को मताधिकार प्राप्त हो जाने से ब्रिटेन राजनीतिक व्यवस्था पर दूरगामी परिणाम हुए। इसी समय श्रमिक संघों का विकास भी तेजी से हो रहा था। इसी समय समाजवादी आंदोलन भी चला जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक लोकतन्त्रीय संघ, 1883 में 'फेबियन समाज' की स्थापना हुई। 1899 में श्रमिक संघों ने मजदूर सदस्यों को संसद का चुनाव जितवाने के उद्देश्य से एक विशेष सम्मेलन बुलाया। उदारदल ने मजदूरों के हित में ठोस कार्य नहीं किया था। वे मजूदरों का समर्थन देने को भी तैयार नहीं थे अतः उदार दल में फूट पड़ गई। एक नये श्रमिक दल का विकास हुआ। लाउड जार्ज ने ऐस्विक्थ को निकाल कर बाहर कर दिया। 1924 आते-2 श्रमिक दल ने उदार दल से सत्ता हथिया ली। ब्रिटेन की जनता अब यह महसूस करने लगी थी कि नीतियों को प्रभावित करने के लिये यह आवश्यक है कि या तो अनुदार दल को वोट दिया जाय या मजदूर दल को। 1929-31 में यह दल पुनः सत्ता में आ गया।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का विकास हुआ है। इसमें सैकड़ों वर्ष का समय लगा है इसके पीछे तत्कालीन हालात, परिस्थितियां जिम्मेदार थी। कतिपय यही कारण है राउण्डहेडेड, कैविलियर्स समूह से होता हुआ आगे जाकर यह ह्विग एवं टोरी और आगे जाकर लिबरल एवं कंजरेटिव तथा बीसवीं सदी में लेबर एवं कंजरेटिव में परिवर्तित हो गया।

7.2.1 ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषतायें

लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये राजनीतिक दल अनिवार्य है। यह जनमत का निर्माण कराने में सहायक होते है। यह राजनीतिक व्यवस्था में जन सहभागिता बढ़ाने, राजनीतिक चेतना वृद्धि करने में सहायक होते है। यह चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने, चुनाव उपरांत विपक्ष में रहते हुए सरकार पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते है। ब्रिटेन में संसदीय शासन है जिसमें सिद्धान्तः,व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे से ऐसी जुड़ी होती है दोनों का जीवन परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उपरोक्त सभी गतिविधियों में ब्रिटिश राजनीतिक दलों की महती भूमिका है।

ब्रिटेन के संविधान में द्विदलीय पद्धति का उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के इतिहास को देखने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वहां दो दलों का प्रभुत्व सदैव से रहा है। वर्तमान समय में वहां पर लेबर पार्टी एवं अनुदार दल प्रभावी है। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैः-

1.द्वि दलीय पद्धतिः-ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की यह विशेषता है कि इसमें समान रूप से शक्तिशाली दो दलों का अस्तित्व सदैव से रहा है। जहां तक ब्रिटिश संविधान का प्रश्न है वहां पर कठोर रूप से दो दलीय व्यवस्था स्थापित नहीं है। वहाँ के लम्बे सवैंधानिक इतिहास में समान रूप से मजबूत दो दलों को अस्तित्व मिलता है। वहां पर अन्य दलों का अस्तित्व भी है परन्तु जन चेतना के कारण दो ही दल मजबूत स्थिति को प्राप्त कर पाते है। यही कारण है कि यहाँ पर द्वि दलीय प्रणाली कहा जाता है।

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजा एवं राजसत्ता के समर्थक ‘कैवेलियर्स’ तथा संसद एवं धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक ‘राउण्डहेडेड’ कहलाये। आगे जाकर यह समूह ह्विग एवं टोरी के रूप में सामने आये। 1832 में सुधार अधिनियम पारित होने के बाद में उदार दल एवं अनुदार दल कहलाये। बींसवी सदी में मजदूर दल के उदय के साथ लगा मानो ब्रिटेन में द्वि दलीय व्यवस्था के स्थान पर त्रि दलीय व्यवस्था स्थापित हो जायेगी। ब्रिटेन की जनता की जागरूकता, परम्परावादी रूख होने के कारण यह आंशका निर्मूल साबित हुई और मजदूर दल की शक्ति बढ़ने के साथ उदार दल की शक्ति सीमित होती चली गई और फिर दो ही दलों का प्रभुत्व बना रहा। आज भी वहां पर मजदूर दल एवं अनुदार दल सक्रिय एवं प्रभावी दिखायी पड़ रहे है।

ब्रिटेन में द्वि दलीय पद्धति होने का प्रमुख कारण ब्रिटेन के लोग व्यवहारिक एवं परम्परावादी है, वे राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं वे दो दलीय व्यवस्था में यकीन रखते है। इसके साथ वहां भाषा, राष्ट्रीयता एवं धर्म के प्रश्न वैसे नहीं दिखाई पड़ते जैसे फ्रांस एवं इटली में है। यही कारण है कि वहां पर बहुदलीय व्यवस्था स्थापित है। इसके अलावा कामन सभा का आकार,बैठने की व्यवस्था इस प्रकार है कि वहां दो समूह ही आमने सामने बैठ सकते है। लोकसदन की कार्यवाही इस प्रकार की है कि बहुमत प्राप्त दल नीतियों को क्रियान्वित करवाता है और अल्पमत वाला दल सजग विपक्ष की भूमिका अदा करता है।

ब्रिटिश द्वि दलीय व्यवस्था ने वहां के संसदीय शासन को अत्याधिक मजबूत बनाया है। दुनिया के अनेक देशों में स्पष्ट बहुमत के अभाव के कारण स्थाई सरकारों का अभाव देखा गया और संसदीय शासन पर ही प्रश्न चिहन लग गया था। फ्रांस में तो संविधान का परिवर्तन कर संसदीय शासन के स्वरूप को बदला गया ओर स्थाई सरकारों के लिये मार्ग प्रशस्त किया गया। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था होने के कारण स्पष्ट बहुमत से स्थाई सरकारें आयी। द्वि दलीय प्रणाली के लाभों का वर्णन करते हुए लास्की लिखते है-'' एकमात्र प्रणाली है जिसके द्वारा जनता का शासन प्रत्यक्ष चुनाव कर सकती है। यह उस शासन को अपनी नीति के अनुसार कानून बनाने की क्षमता प्रदान कर सकती है। यह उसकी असफलता के परिणामों को समझ में आने वाले रूप में सामने लाती है। यह दूसरे दल के शासन की अविलम्ब स्थापना भी कर सकती है।''

ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के कारण:- ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति विकसित होने के प्रमुख कारण निम्न है:-

1. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होता है, ज्यादा मत पाने वाला व्यक्ति विजयी होता है, चुनाव में दो प्रमुख दलों में संघर्ष होता है।

2. कामन सभा की बैठने की व्यवस्था भी इसके लिए उत्तरदायी है। वहां पर सत्तापक्ष एवं विरोधी दल के सदस्य आमने-सामने बैठते है। अतः अपना दल त्याग कर नया समूह बनाने की संभावना कम हो जाती है।

3. व्यवहार में संसदीय प्रजातन्त्र की सफलता दो दलों पर हो निर्भर करती है। इसी के माध्यम से स्थाई सरकारें अस्तित्व में आती है।

2.केन्द्रीकरण:- ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था में केन्द्रीकरण पाया जाता हैं दल का संगठन पिरामिड की तरह होता है। नीचे स्थापित लोग अपने ऊपर स्थापित लोगों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे उनके प्रति उत्तरदायी होते है। आदेश सदैव ऊपर से नीचे की ओर आते है। दलीय संगठन के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सम्पूर्ण दल को अनुशसित एवं जबावदेह बनाये रखता है। ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक समस्त एकता के सूत्र में बंधे होते है।

3.सक्रियता:- इग्लैण्ड में राजनीतिक दल चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं रहते। वे चुनाव के बाद भी रणनीति बनाने, योजना बनाने तथा जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए सक्रिय रहते है। वे जनता

से सम्पर्क बनाये रखने के लिए सभायें करने, शोधकार्य करने, में सदैव लगे रहते है। फाइनर ने ठीक लिखा है- ''अग्रेंज राजनीतिक दल आम निर्वाचनों के बीच सो नहीं जाते, वे जनता को शिक्षा देने का काम निरन्तर करते है।''

4.अनुशासन:- ब्रिटेन में कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है। सम्पूर्ण दल अनुशासन एवं एकता के सूत्र में बंधा होता है। इसके ठीक विपरीत अमेरिकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सरकार निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अतः कई बार दल के सदस्य पार्टी के विरूद्ध मतदान कर देते है। उनके इस कृत्य से सरकार के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि संसदीय शासन में सरकार का भविष्य निम्न सदन में होने वाले मतदान से तय होता है अतः सभी दलों के '' सचेतकों'' के माध्यम से कठोर अनुशासन बना कर रखा जाता है जिससे दलीय लाइन के विरूद्ध कोई सदस्य मतदान न कर सके। यदि कोई सदस्य ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध निलम्बन,निष्कासन जैसी गंभीर कार्यवाही की जाती है।

5.मध्य मार्ग एवं समझौता:- इंग्लैण्ड की परम्परा में राजनीतिक दल मध्यमार्गीय एवं समझौतावादी है । अनुदार दल जहां पूर्णतः अनुदार नहीं है वहीं मजदूर दल पूर्णतः कट्टर समाजवादी नहीं है। ब्रिटेन में कई अवसर आये है जब राष्ट्रीय हित में राजनीतिक दलों ने अपने समर्थकों के हितों का त्याग किया है। दोनों ही दल मध्यमार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते है। दोनों ही दल मध्यम वर्ग को आकर्षित करते है। न्यूमैन की यह टिप्पणी सही लगती है- '' अनुदार दल को भी श्रमिक के हितों का ध्यान रखना पड़ता हैं तथा श्रमिक दल भी उद्योगपतियों को नहीं भूल सकता है।''

6.नेता की सर्वोच्च स्थिति:-सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था में दलीय नेता का अपना महत्व होता है। ब्रिटेन में इनका महत्व और भी ज्यादा है। 19 वीं शताब्दी के बाद से ब्रिटेन में चुनाव नेतृत्व को आधार बना कर लड़े गये। यही कारण है कि चुनाव के बाद चुना हुआ दल एवं दल में भी उसके नेता का कद,महत्व बहुत बढ़ जाता है। सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले नेता की घोषणा कर देते है साथ ही यदि उन्हें लगता है किसी नेता की घोषणा से चुनाव में विजय मुश्किल हो सकती है तो वह नेतृत्व को भी बदल सकते है। नवम्बर 1990 में अनुदार दल ने ऐसा ही किया थां इस प्रकर से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल की स्थिति अत्याधिक मजबूत होती है और चुनाव में विजयी होने के बाद से वह और भी मजबूत हो जाता है।

7.संसद सदस्यों पर नियन्त्रण:- ब्रिटेन में राजनीतिक दल अत्याधिक शक्तिशाली होते है। वे चुनाव उपरान्त अपने दल के विजयी सदस्यों पर कठोर नियन्त्रण रखते है। सभी संसद सदस्यों को दलीय अनुशासन मानना होता है साथ दलीय लाइन के आधार पर बोलना होता है। संसदीय शासन में संसद सदस्यों पर दलीय अनुशासन कड़ा होता है।

8.वर्ग प्रकृति का अंत एवं सामंजस्य:- ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में वर्ग के आधार पर अन्तर पाया जाता है। अनुदार दल के हित उच्चवर्ग से तथा मजदूर दल के हित श्रमिक वर्ग से जुड़े है। परन्तु किसी एक वर्ग के सहयोग से यह सरकार नहीं बना सकते। अतः यह जनमत बनाने के लिये मध्यम मार्ग निकालते हुये अपने सिद्धान्तों में समझौता करते है। ये परस्पर विरोधी हित समूहों को अपने पक्ष में करने का उपक्रम निरन्तर करते रहते है। ब्रिटेन में अनुदार दल ने प्रगतिशील नीतियां अपनाई। इसी प्रकार 1992 से 97 के मध्य मजदूर दल ने भी अपनी नीतियों में बड़े परिवर्तन किये। इन वर्षों में मजदूर दल ने समाजवाद समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की घोषणा को छोड़कर उदारीकरण के दौर में मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन सैद्वान्तिक रूप से मजदूर दल एवं अनुदार दल का अंतर लगभग समाप्त हो जाता है।

9.लूट प्रथा का अभाव:- अमेरिकी शासन व्यवस्था का यह दोष है कि नये राष्ट्रपति के आते ही पुराने कर्मचारी अधिकारियों को हटाकर नये कर्मचारी एवं अधिकारी नियुक्त किये जाते है। इस व्यवस्था ''लूट व्यवस्था'' कहते है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में यह व्यवस्था नहीं है। सरकार के परिवर्तन के साथ अधिकारियों का परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वे स्थाई रूप से नियुक्त होते है। ब्रिटेन की यह व्यवस्था अमेरिकी परम्परा से बेहतर है।

7.2.2 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के कार्य

- लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों का अत्याधिक महत्व है। उनके अभाव में हम लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते है। वे लोकतंत्र में प्राणवायु के समान है। जिनके अभाव में लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं कायम रह सकता है। सरकार बनाने से लेकर सरकार पर नियन्त्रण रखने तक सभी कार्य राजनीतिक दल करते है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्न है-

1.लोकमत का निर्माण करना:-लोकतन्त्र में सरकार निर्माण के लिये सभी दल सक्रिय होते है परन्तु सत्ता उसे मिलती है जो जनमत को अपने पक्ष में करता है। ब्रिटेन में सभी दल जनमत को

अपने पक्ष में करने के लिए सक्रिय रहते है। वे सार्वजानिक समस्याओं को उठाते है। वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते है। ब्राइस के शब्दों में '' लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण, अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है।''

2.चुनाव का संचालन:- सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार आने के बाद से मताधिकार का दायरा अत्याधिक व्यापक हो गया है। ब्रिटेन सहित सभी लोकतान्त्रिक देशों में चुनाव के संचालन में दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं ब्रिटेन में भी सभी दल अपनी क्षमता के अनुरूप चुनाव में प्रत्याशी उतारते है। चुनावी सभायें, रैलियां आयोजित कर जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते है। कई बार ये दल चुनावी खर्चों को भी अपने पास से करते है। निर्वाचकों तक सही सूचना पहुंचाने से लेकर मतदाता को मतदान केंन्द्र तक पहुंचाने का सभी कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है।

3.सरकार का निर्माण:- ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी मुख्यतः दो दल ही प्रभावी रहे है। वह चाहे उदार दल या अनुदार दल हो या अनुदार दल या लेबर पार्टी हो। ब्रिटेन में मतदाता इतने जागरूक है कि वह अनेक दल होते हुये भी किन्हीं दो दलों को प्रभावी बना कर रखते है। निर्वाचन के उपरांत बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री की शपथ लेता है और अपनी सरकार बनाता है। बिना राजनीतिक दलों के संसदीय शासन में सरकार का निर्माण नहीं हो सकता है।

4.सरकार पर नियन्त्रण करनाः- सभी लोकतान्त्रिक देशों में सरकार पर नियन्त्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य विपक्षी दल करता है। ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था में विपक्ष प्रभावी भूमिका में रहता है। वह सरकार के कार्यों पर पैनी नजर रखता है और उनकी खामियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में विपक्षी दल वैकल्पिक सरकार के रूप में तैयार रहता है। ऐसे कई अवसर आये है जब सत्तारूढ़ दल को पद छोड़ना पड़ा है और विपक्ष ने वैकल्पिक सरकार के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हुए सफलतापूर्वक सरकार बनाई है।

5.राजनीतिक चेतना का प्रसार:- राजनीतिक दल नागारिक चेतना एवं राजनीतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते है। परस्पर रैलियों, प्रचार अभियानों के माध्यम से वे जनता का ध्यान सार्वजनिक मुद्दों की ओर खींचते है। वे सरकार के कार्यों,उपलब्धियों खामियों से अवगत होते है। कुल मिलाकर सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष सदैव जनता के बीच अपना पक्ष रखते है। इस पूरी प्रक्रिया से जनता सही तथ्य से अवगत होती है और अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर सरकार

निर्माण में महत्ती भूतिका अदा करती है। यहां पर लावेल का कथन प्रासंगिक लगता है- ‘‘ राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते है।’’

6.जनता एवं सरकार के बीच कड़ी:- लोकतन्त्र में यह आवश्यक है कि सरकार एवं जनता के बीच तालमेल बना रहे जिससे सत्तारूढ़ दल जनता की इच्छा के अनुरूप शासन कार्य कर सके। ब्रिटेन में इस महत्वपूर्ण कार्य को राजनीतिक दल करते है। वे जनआकांक्षाओं को सरकार तक तथा सरकार के कार्यो एवं उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य करते है। वे उस माध्यम की तरह है जो सभी के हितों की पूर्ति के लिये सजग रहता है।

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल प्रजातन्त्रात्मक शासन में धुरी के समान है जिसके चारों ओर शासन कार्य चलता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन होने के कारण वहां राजनीतिक दलों का कार्य एवं उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।

7.2.3 ब्रिटिश प्रमुख राजनीतिक दल

- ब्रिटेन में पिछले कुछ दशकों से दो राजनीतिक दल प्रमुखता पाये हुए है। इनमें से एक अनुदार दल और दूसरा मजदूर दल है। इनके अतिरिक्त एक नई शक्ति उभरी हुई है जिसे भी लगभग 20 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है। यह नया दल है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दलों के अतिरिक्त अन्य दल भी वहां पर सक्रिय है इनमें से प्रमुख है साम्यवादी दल, फासिस्ट दल, स्काटिश नेशनल आदि।

अनुदार दल:-अनुदार दल परम्पराओं में विश्वास रखने वाला दल है। यह दल परम्पराओं, रीतियों और संस्थाओं को बनाये रखने का पक्षधर है। इस दल का मानना है कि परिवर्तन तभी किया जाय जब यह आवश्यक हो साथ ही यह परिवर्तन धीमा भी होना चाहिए। अनुदार दल राजा, राजा के अधिकार,चर्च के प्रभाव का समर्थक है। यह दल सैद्धान्तिक रूप से इन सभी प्राचीन व्यवस्थाओं को बनाये रखने का समर्थक है। वैदेशिक क्षेत्र में अनुदार दल ब्रिटेन के पुराने गौरव के अनुरूप नीतियां बनाने का हिमायती रहा है। यह दल आयरलैण्ड एवं भारत की स्वतत्रता का विरोधी रहा है। अनुदार दल प्रबल नौकरशाही का समर्थक रहा है। यह दल लार्ड सभा के गैर प्रजातान्त्रिक ढ़ाचे को बनाये रखने का पक्षधर है और उसे शक्तिशाली बनाने का पक्षधर है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से मजदूर दल की चुनौती आने के बाद से अनुदार दल ने अपनी नीतियों में प्रगतिशील को अपनाया। 1947 के अनुदार दल के घोषणा पत्र में औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रीय नियोजन का स्वागत किया। इसी प्रकार 1949 में तपहीज तवंक वित ठतपजंपद में राज्य की ओर से आवश्यक समाज सेवाओं एवं सभी को रोजगार दिये जाने पर बल दिया गया। 1951 में गृह निर्माण योजना पर बल दिया गयां 1972 में अनुदार दल में अधिनियम पारित कर 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पेंशन सुनिश्चत की।

1974 में आम चुनाव के नतीजों ने दल को हिलाकर रख दिया। नेतृत्व परिवर्तन हुआ साथ ही नया नेतृव्य नये विचार लेकर आया। श्रीमती थैचर का नेतृत्व मिला और मुख्य रूप से उन्होंने आयकर में कमी की, मजदूर संघों के अधिकारों में कमी की, नये औद्योगिक विकास पर बल दिया। उन्होंने सम्पत्ति कर के स्थान पर 'टोल टैक्स' लगाने पर बल दिया जिसका दबाव सभी अमीर गरीब पर समान रूप से होगा। इसी समय जल विद्युत योजनाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1990 आते आते आर्थिक मंदी, बेरोजगारी ने थैचर प्रशासन के विरूद्ध माहौल बना दिया और जान मेजर के रूप में नया नेतृत्व सामने आया। 1997 के चुनाव में दल को भारी पराजय का सामना करना पड़ा।

अनुदार दल ने परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है सन् 1867 का सुधार अधिनियम, 1888 का काउण्टी सुधार अधिनियम,इसी दल के सहयोग से पारित हुआ।

1832 में इस दल को अपने केन्द्रिय कार्यालय की आवश्यकता महसूस हुई अतः 1867 में कंजरेटिवों का तथा यूनियनिस्टों का राष्ट्रीय संघ स्थापित हुआ। 1870 में डिजरायली ने केन्द्रीय कार्यालय खोला। यह एक अखिल देशीय संगठन है जिसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। इनके सम्मेलन मजदूर दल की तुलना में कम शाक्तिशाली होते है। इसकी अपनी एक केन्द्रीय परिषद तथा एक कार्यकारिणी समिति होती है। केन्द्रिय परिषद एक प्रशासनिक संस्था है। दल की वास्तुविक शक्ति नेता के पास होती है। दल का अध्यक्ष अनुशासन एवं नियन्त्रण बनाने का कार्य करता है।

मजूदर दलः- मजदूर दल की स्थापना 1899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के द्वारा फरवरी 1900 में हुई। उस समय इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति रखा गया जो आगे जाकर 1906 में मजदूर दल के रूप में सामने आया।

मजदूर दल की स्थापना मूलतः मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये की गई। यह मूलतः मार्क्सवादी समाजवाद में पूर्ण विश्वास नहीं करते है। ये इसके स्थान पर लोकतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास रखते है। वे परिवर्तन के लिये मार्क्सवादी हिंसा एवं आमूलचूल परिवर्तन में भरोसा नहीं करते वरन वे क्रमशः परिवर्तन पर बल देते है। मजदूर दल का जोर सुधार पर रहता है। फाइनर ने ठीक लिखा है -'' मजदूर दल दास कैपिटल के स्थान पर बाइबिल से अधिक प्रभावित है।''

मजदूर दल क्रान्ति के द्वारा वर्ग विहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य नहीं अपनाता। ये संविधान,राज्य एवं उसके सभी उपकरणों को स्वीकार करता है। इनका मानना है कि संविधान के दायरे में रहकर श्रमिक सुधारों के द्वारा निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा नये कानूनों, अधिनियमों के द्वारा करने के हिमायती है। मजदूरों दल संशोधनों, परिवर्तनों के दौरान नागारिक स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार की रोक नहीं चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण सैद्धान्तिक कम यर्थाथवादी ज्यादा है। उन्होंने राष्ट्रीयकरण उस सीमा तक स्वीकार किया जो आवश्यक था। 1951 के बाद से इन्होंने राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण पर जोर दिया वे उद्योगों का संचालन समाज हित में करने के प्रबल समर्थक थे। 1980 के दशक में मजदूर दल ने अपने आधार को व्यापक बनाने का अभियान चलाया और कट्टर नीतियों का त्यागकर मध्यमवर्ग को आकर्षित करने का कार्य किया। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाकर 1997 में सत्ता पर कब्जा कर लिया।

1992 में टोनी ब्लेयर के पास मजदूर दल का नेतृत्व आने के साथ इसका आधुनिकीकरण प्रारम्भ हो गया। नये मजदूर दल ने पंरपरागत नीतियों का त्यागकर उदारीकरण के दौर में बाजारोन्मुख नीतियों को स्वीकार किया। टोनी ब्लेयर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि - '' हम बाजार एवं उद्योगों के लिये मित्रता का भाव अपनायेंगें।''

1918 से पहले दल की सदस्यता किसी अन्य समूह के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी लेकिन अब सीधे सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। मजदूर दल से संबद्ध संगठनों में प्रमुख रूप से मजदूर संघ है जिनकी संख्या 70 से अधिक है। सहकारी समितियां है जो निर्वाचन क्षेत्रों में सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त फेवियन सोसाइटी, समाजवादी चिकित्सा एवं शिक्षक संघ बुद्धिजीवियों का समर्थन पाने के लिये गाठित की गई हैं।

मजदूर दल का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन वार्षिक सम्मेलन है जिसके माध्यम से दल की भविष्य की योजनायें, नीतियां, नये नेता का चयन होता है। दल की अनुशासन एवं नियन्त्रणाकारी

शक्तियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में होती है। इसमें 25 सदस्य होते है और इनका चुनाव वार्षिक सम्मेलनों के द्वारा होता है। यह समिति आम चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

जनवरी 1981 से नेता के चयन की एक नई व्यवस्था स्थापित की गई है। अब नेता के चयन के लिये एक निर्वाचक मण्डल का गठन किया गया है जिसमें मजदूर दल को 30 प्रतिशत मत, क्षेत्रीय मजदूर दल को 30 प्रतिशत तथा मजदूरों संघों को 40 प्रतिशत मत दिये गये।

लिवरल डेमोक्रेटिक दल:- यह ब्रिटिश राजनीति की तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है। 20 वीं सदी के उदार दल के पतन के साथ एक अन्य दल का उदय हुआ जिसे ''सोशल डेमोक्रेट'' के रूप में स्थापना मिली। 1981 में विधिवत ''सोशल डेमोक्रेट'' की स्थापना हुई। 1983,87 के चुनाव मे इस दल को अपेक्षित सफलता नहीं मिली अतः 1987 के अधिवेशन के द्वारा इस दल ने ''उदार दल'' में विलय कर लिया। यही नया विलय ''सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी'' के रूप में सामने आया।

मुख्य रूप से इस दल की नीतियां उदार दल की नीतियों की तरह हैं । यह स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीतियों का प्रबल समर्थक है। यह दल मजदूरों के हितों का समर्थक है। यह मजदूर हित में राष्ट्रीयकरण एवं समाजवाद का विरोधी है। यह दल उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का समर्थक है।

साम्यवादी दल:- ब्रिटेन में साम्यवादी दल का अस्तित्व भी मिलता है। यह वहां की राजनीति में प्रभावी नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेण्ट में इसे भी कम प्रतिनिधित्व मिला। इसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त कर साम्यवादी सिद्धान्तों को लागू करना है। 1945 के चुनाव में इसके दो प्रतिनिधि लोक सदन में चुने गये ,1970 के चुनाव में भी इसका एक प्रतिनिधि चुना गया। इनका उद्देश्य मजदूर दल में प्रवेश कर अपनी शक्ति बढ़ाना हैं परन्तु आज तक इसे वहां की राजनीति में प्रभावी भूमिका नहीं मिल पाई है।

फासिस्ट दल:- फासिस्ट दल की स्थिति ब्रिटेन में बेहद कमजोर है। इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के बाद ब्रिटेन के कुछ लोग इसकी ओर आकर्षित हुए।'' ओस्टवाल्ड मोस्ले'' ने फासिस्ट संघ बनाया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कुछ समय के लिये ‘‘ कामनवेल्थ दल’’ का उदय हुआ। इसी प्रकार स्वतन्त्र मजदूर दल आज भी अस्तित्व में रहते हुए चुनाव में भाग लेता है।

इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था है परन्तु व्यवहार में द्विदलीय व्यवस्था ही स्थापित है। ब्रिटेन में दलों के अस्तित्व में आने से आजतक सदैव अन्य दलों के होते हुए भी दो दल ही प्रभावी रहें। वे दल चाहे ह्विग या टोरी हो, उदार या अनुदार हो, अनुदार या लेबर पार्टी हो। समय एवं जरूरत के साथ दलों का स्वरूप बदलता रहा। यहां पर एक बात और उल्लेखनीय है कि बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद ब्रिटेन में मतदाताओं की जागरूकता, सजगता से सदैव दो ही दलों को महत्व मिला ओर स्पष्ट बहुमत से चुनाव हुआ। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों भारत, फ्रांस जहां पर संसदीय शासन अपनाया गया वहां स्पष्ट रूप से राजनीतिक जागरूकता का वह स्तर नहीं दिखता है। मत विभाजन होने के कारण किसी भी दल को बहुमत का अभाव दिखाई दिया । फ्रांस में तो पंचम गणतन्त्र का संविधान बनाना पड़ा और संसदीय शासन में बदलाव करना पड़ा। भारत में भी विगत दो दशकों से स्पष्ट बहुमत न मिलने से स्थिर सरकारों का अभाव हो गया। कई बार मध्यावधि चुनाव हुए। ऐसे हालात में यहां पर भी संसदीय शासन में आवश्यक फेरबदल की मांग की गई। हाल के वर्षों में भारत में संसदीय शासन में फेरबदल तो नहीं किया गया परन्तु गठबंधन के द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर रहीं है।

अभ्यास प्रश्नः-

1. ब्रिटेन में व्यवहारिक रूप से द्विदलीय व्यवस्था है। सत्य/असत्य

2. ब्रिटेन में उदार दल का बदला रूप ही मजदूर दल के रूप में सामने आया। सत्य/असत्य

3. ब्रिटेन में बहुमत प्राप्त दल का नेता ....नियुक्त होता है।

4. ब्रिटेन में विधायिका एवं कार्यपालिका में ....संबंध पाया जाता है।

5. हाल के वर्षो में ब्रिटेन मजदूर दल एवं...दल मुख्य राजनीतिक दल है।

7.3 सारांश

ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था का उदय सैकड़ों वर्षों में हुआ है। ब्रिटेन तत्कालीन राजनैतिक हालात, इसके लिये जिम्मेदार थे। राजसत्ता का कमजोर होना और आम जन की सक्रियता,जागरूकता ही समूह निर्माण का कारण बनी। राजसत्ता से मोहभंग होना, नागरिक अधिकारों, स्वतन्त्रता का सपना ही लोगों को एक जुट कर तत्कालीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था के विरूद्ध संसद को मजबूत कर रहा था। यही कारण है तत्कालीन हालात में राजतन्त्र के विरूद्ध जो समूह अस्तित्व में आया वह ''राउन्डहेडेड'' कहलाया और राजसत्ता के समर्थक '' कैवैलियर्स'' कहलाये। आगे जाकर विशेषधाधिकारों का विरोध, नागरिक स्वतन्त्रता,समता के समर्थक समूह को ह्विग दल कहा गया और पुरानी व्यवस्था के समर्थक टोरी कहलाये। समय के साथ ''ह्विग'' दल के लोग उदारदल एवं टोरी दल के सदस्य अनुदार दल के रूप में अस्तित्व में आये। बीसवीं सदी की ओद्योगिक क्रान्ति ने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था पर भी असर डाला और बढ़ा मजदूर वर्ग अपने हितों को लेकर सजग हुआ। उनके अपने वर्गीय हित थे, उनका बड़ा वोट बैंक था अतः उदार दल में फूट पड़ गई और मजदूर हितों की पूर्ति के लिये मजदूर दल अस्तित्व में आया। आज ब्रिटेन में अनेक दल होते हुए भी मुख्य रूप से मजदूर दल और अनुदार दल प्रभावी है।

दुनिया के सभी लोकतान्त्रिक देशों की ही तरह ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे उस धुरी के समान है जिसके चारों ओर शासन का गठन, संचालन जन आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना, जनमत का निर्माण तथा चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता हेतु आदर्श वातावरण पैदा करते है। ब्रिटेन की संसदीय शासन में विपक्षी दल की भी अत्याधिक महत्वपूर्ण होती है, वह विपक्ष में रहते हुए सरकार पर प्रभावी नियन्त्रण रखता है और विपक्ष ही वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल आम जनता को मुद्दों, हालात, राष्ट्रीय,अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से अवगत करा कर जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते है। ब्रिटेन में यह भी देखा गया है कि वहां राजनीतिक दल ने केवल चुनाव वरन चुनाव के बाद सदैव जनता के बीच सक्रिय रहते है। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था सदैव से रही है परन्तु वहां पर आज भी अनेक दलों का अस्तित्व है। दो दलों के अतिरिक्त अन्य दल प्रभाव-हीन है। लम्बे समय तक सक्रिय रहे उदार दल और अनुदार दल का गठन अलग-अलग हितों की पूर्ति, अलग सिद्धान्तों एवं आदर्शों पर हुआ था परन्तु समय गुजरने के साथ ही समय

की मांग, नई विश्व व्यवस्था, में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु इन दलों के बीच खाई कम हुई है। कई बार ये दल अपने सिद्धान्तों से इतर दिखाई पड़ते है। यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि मजदूर दल जो बदले आर्थिक हालात में उदार दल की फूट के कारण अस्तित्व में आया उसने भी समय के साथ अपनी मांगों, नीतियों में बदलाव किया है। आज ब्रिटिश मजदूर दल मार्क्सवादी मजदूर दल के तरह दिखायी नहीं पड़ रहा है। न ही वह राष्ट्रीयकरण, बाजार पर राज्य के नियन्त्रण की मांग कर रहा है। वरन राष्ट्र हित में मजदूर दल ने उदारीकरण को स्वीकार करते हुए क्रमिक सुधार,प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद को स्वीकार किया है। विगत वर्षों में ‘‘टोनी व्लेयर’’ की मजदूर दल की सरकार ने अपने नीतियों में बड़ा परिवर्तन करते हुए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एवं उदारीकरण का पूर्ण समर्थन किया। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यद्यापि ब्रिटेन के राजनीतिक दल अलग हालात,परिस्थितियों में जन्मे है तथा अलग-2 वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले है परन्तु अनका रूख बेहद लचीला है और दूर से उनकी नीतियां कार्यक्रम राष्ट्रहित में एक से दिखाई पड़ते है।

7.4 शब्दावली

1. राउण्डहेडेड- ऐसा समूह जो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था के विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे थे तथा नये संवैधानिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की मंाग कर रहे थें, राउण्डहेडेड कहलाये।

2. कैविलियर्सः- ऐसा समूह जो राजतन्त्रतात्मक व्यवस्था केा बनाये रखने के पक्षधर थे कैविलियर्स कहलाये जिसका शब्दिक अर्थ घुड़सवार सेना होता है।

3. उदारीकरणः- 20 वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया यह शब्द इस बात का प्रतीक है कि बाजार पर राज्य का नियन्त्रण नहीं होगा। बाजार मुक्त एवं नागरिक स्वतन्त्रता पूर्ण होगी।

4. जनमतः- लोगों के मतो का योग अर्थात् जनता की एक राय लोकमत कहलाती है। लोकतन्त्र में जनमत से ही सरकारें बनती हैं।

5. विधायिकाः- विधि बनाने वाली सरकार की इकाई विधायिका कहलाती है। यह सरकार के तीन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण होती है।

6. कार्यपालिकाः- विधि बनने के बाद उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यपालिका के रूप में भारत में राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन में राजमुकुट (राजा अथवा रानी) होता है। वास्तविक रूप से संसदीय शासन में कार्यपालिका की सम्पूर्ण शाक्तियां प्रधानमंत्री सहित उसके मन्त्रिमण्डल में होती है।

7.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2.सत्य 3.प्रधानमंत्री 4. घनिष्ठ संबंध 5. अनुदार दल

7.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. जेनिग्स आइवर, ब्रिटिश संविधान, 1987,हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

2. नारायण इकबाल, विश्व के प्रमुख संविधान, 1969, आर0 के0 प्रिंटर्स,दिल्ली

3. पार्थसारथी जी0, आद्युनिक संविधान,1991 , मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ

4. जैन पुखराज, विश्व के प्रमुख संविधान,2000 साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

5. गेना सी0बी0, तुलात्मक राजनीतिक एवं राजनीतिक संस्थायें, विकास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।

6. सिंहाल एस0बी0, आधुनिक सरकारों के सिद्धान्त एवं व्यवहार, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा।

7. प्रसाद मनी शंकर, तुलनात्मक राजनीति, भारती भवन 1998

7.7 सहायक/ उपयोगी पाठ्य समाग्री

बाल आर0 एलन, मार्डन पालिटिक्स एण्ड गर्वनमें ट, मैकमिलन पब्लिकेशन 1985 कपूर ए0सी0

7.8 निबन्धात्मक प्रश्न

1. ब्रिटिश दल पद्धति की उद्भव को स्पष्ट कीजिये।

2. ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में दल की भूमिका की व्यवस्था कीजिये।

3. ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों पर एक निबन्ध लिखिये।

4. ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।

5. ब्रिटेन में समय के साथ दलों स्वरूप बदलने का प्रमुख कारण क्या है। आज के बदले हालात में दलों की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।

ईकाई 8 :संविधान की मूलभूत विशेषताऐं (अमेरिका का संविधान)

ईकाई की संरचना

8.0 प्रस्तावना

8.1 उद्देश्य

8.2 अमेरिका का संविधान

8.3 अमरीकी संविधान के स्रोत

8.4 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषतायें

8.5 सारांश

8.6 शब्दावली

8.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

8.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

8.10 निबंधात्मक प्रश्न

8.0 प्रस्तावना:

अमेरिका का संविधान सन 1887 की फिलेडेल्फिया कान्फ्रेंस द्वारा निर्मित संविधान है। यह संविधान अपने पीछे 150 वर्षो का अतीत अपने साथ रखता है तथा कई चरणों में इसका विकास हुआ है। अमेरिका की खोज के पश्चात बड़ी संख्या में यहाँ यूरोप से लोगों का पलायन हुआ। प्रारंभ में अधिकांश लोग इंग्लैण्ड से आकर बसे, पर बाद में जर्मनी, आयरलैण्ड, स्काटलैंड स्विटजरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि से भी विविध कारणों से असंख्य लोग अमेरिका गए और उसके विविध प्रदेशों में बस गए। जो लोग इंगलैण्ड से आये, वे स्वभावतः अपनी भाषा के साथ-साथ अपनी संस्कृति, अपनी परम्परा तथा स्वतन्त्रता, स्वशासन तथा जीवन सम्बन्धी विविध प्रकार के विचार लाए। यूरोप के देशों से आये हुए लोग भी उनके साथ घुले मिले तथा सब प्रकार के लोगों से घुलने मिलने से एक नये प्रकार की संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें इंगलैण्ड व यूरोप दोनों की संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ था। एक सुव्यवस्थित देश से आये हुए लोग होने के कारण अधिकांश लोग व्यवस्थाप्रिय थे, अतः सभी ने यह आवश्यक समझा कि उपनिवेशों की स्थापना के लिए इंगलैण्ड की मातृ सरकार से विधिवत आज्ञा प्राप्त किया जाय। इंग्लैण्ड के राजा ने तत्सम्बन्धी आज्ञा को प्रपत्रों के रूप में विविध प्रकार के व्यक्तियों को व संस्थाओं को प्रदान किया। ये प्रपत्र कभी व्यापारिक कम्पनियों को, विशेष व्यक्तियों को तथा कभी अन्य उपनिवेश स्थापना करने वालों को दिए गए। परिणामस्वरूप अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना का दौर चला और 1776 तक अमेरिका में अलग-अलग 13 ऐसे उपनिवेशों की स्थापना हो गई, जो अपने आन्तरिक मामलों में स्वशासित होते हुए भी इंगलैण्ड के आधिपत्य में थे। इंगलैंड व फ्रांस के सात वर्षीय युद्ध के पश्चात इंगलैंण्ड सरकार का यह प्रयत्न की अधीनस्थ उपनिवेश लड़ाई का खर्चा वहन करें, इंग्लैंड व उपनिवेशों के बीच झगड़े की वजह बनी। इसका परिणाम यह हुआ की जितनी अधिक कठोरता इंग्लैंड की ओर से बरती गई, उतनी ही अधिक इंग्लैंड के उपनिवेश उन से दूर होते गए। प्रान्तों ने जार्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और इंग्लैंड को पराजित कर दिया। स्वतंत्रता के घोषणापत्र में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने सुख एवं साधन को हासिल करने का अधिकार है एवं इसे किसी भी कृत्रिम व्यवस्था द्वारा लिया नहीं जा सकता है।

8.1 उद्देश्य:-

1. इस ईकाई में हम अमेरिका के संविधान की मूलभूत विशेषताएं जान सकेंगे।

2. हम अमेरिका की अध्यक्षीय एवं संघीय व्यवस्था का स्वरूप जान सकेंगे।

3. अमेरिकी संविधान के विकास के मुख्य आधारों का आकलन कर सकेंगे।

4. अमेरिकी संविधान के स्रोतों का अध्ययन कर सकेंगे।

8.2 अमेरिका का संविधान

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ही उपनिवेशों के मध्य पारस्परिक मतभेद तथा तनाव उत्पन्न हुए। इसके पश्चात आपसी मतभेदों के निवारण के लिए 17 नवम्बर, 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के आधार पर मार्च 1781 में परिसंघ की स्थापना हो गई। परिसंघ प्रारम्भ से ही बहुत निर्बल था और परिसंघ के स्थान पर नवीन संविधान के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। परिसंघ के आधार पर इंगलैण्ड के विरूद्ध युद्ध जीत लिया गया, किन्तु प्रारम्भ से ही परिसंघ की व्यवस्था और उसके विधान की त्रुटियाँ नितान्त स्पष्ट हो गई थीं। अतः विधान पर दुबारा विचार करने के लिए 25 मई, 1787 को फिलाडल्फिया में एक सभा प्रारम्भ हुई। इस सभा में 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में जेम्स मेडीसन, बैंजामिन फ्रेंकलिन, हैमिल्टन, डाडी मेसन, जेम्स विल्सन, जॉन डिकिन्सन एवं रार्बट मॉरिस थे। इस सभा की अध्यक्षता जार्ज वाशिंगटन ने की। अधिवेशन के दौरान प्रमुखतः दो प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। प्रथम संघवाद के समर्थक और दूसरे संघवाद के विरोधी। अन्त में संघवादी पक्ष की विजय हुई और परिसंघ के स्थान पर नवीन संघ राज्य की स्थापना के प्रारूप तैयार किए जाने लगे। दस दिन की बहस के बाद ''महान समझौता'' सम्पन्न हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत केन्द्र में व्यवस्थापिका के दो संदनों की व्यवस्था की गई। आपस में आमसहमति बनी कि निम्न सदन (प्रतिनिधि सभा) में जनसंख्या के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। लेकिन दूसरे सदन (सीनेट) में छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा। सम्मेलन में मान्टेस्क्यू का शक्ति विभाजन का सिद्धान्त काफी लोकप्रिय साबित हुआ। 26 जुलाई 1787 तक संविधान के प्रमुख सिद्धान्तों पर सहमति हो गई और 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन में

स्वीकृत प्रस्तावों को विधान का रूप देने के लिये 8 सितम्बर 1787 को मौरिस की अध्यक्षता में एक समिति बैठाई गई जिसने 15 सितम्बर तक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया।

फिलेडेल्फिया सम्मेलन एक सम्प्रभु संविधान सभा नहीं थी और इसके निर्णय तभी प्रभावशाली होते, जबकि दो तिहाई राज्यों, अर्थात 13 में से 9 राज्यों द्वारा उसे स्वीकार किया जाता। लेकिन आपसी मतभेद उभर कर आने लगे। कुछ लोगों का मत था की प्रारूप में अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। बहस के पश्चात यह स्वीकार कर लिया गया की नवीन सरकार की स्थापना के पश्चात अधिकार पत्र की व्यवस्था कर दी जायेगी। यह निश्चित किया गया कि संविधान के अनुसार निर्वाचन होकर नई सरकार 3 मार्च 1789 से कार्य प्रारम्भ कर देगी। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित और लिखित संविधान का उदय हुआ। अमेरिका की वर्तमान शासन व्यवस्था का संचालन 1787 में निर्मित और 1789 में लागू इस संविधान के आधार पर ही किया जा रहा है। यद्यपि अंततः इसमें 27 संसोधन किए जा चुके है।

8.3 अमरीकी संविधान के स्रोत -

(1) फिलाडल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान का मूल ढाँचा वही है जिसे 1787 में फिलेडल्फिया सम्मेलन में तैयार किया गया था।

(2) न्यायिक व्याख्याऐं - न्यायिक व्याख्याओं ने अमरीकी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायलय ने संविधान को महत्वपूर्ण दिशाएँ प्रदान करने का कार्य किया है। ''निहित शक्तियों का सिद्धान्त'' जिसने संघीय कांग्रेस को इतना शक्तिशाली बनाया, सर्वोच्च न्यायलय की ही देन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के आधार पर ही ''संविदा की पवित्रता के सिद्धान्त'' का प्रतिपादन किया। सर्वोच्च न्यायलय ने ही लगभग 100 निर्णयों में वाणिज्य से सम्बन्धित धारा की व्याख्या की और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा की गई जलीय यातायात और एक से अधिक राज्यों में काम करने वाले सामान्य औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कांग्रेस के विधायी क्षेत्राधिकार में आ गये हैं।

(3) परम्पराएँ- परम्पराओं के अन्तर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने केवल अलग-अलग राज्यों से वरन देश के अलग अलग क्षेत्रों से होगा। यद्यपि अमेरिका में परम्पराओं की की भूमिका इंगलैण्ड की अपेक्षा काफी कम है।

8.4 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषतायें

संघात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण- तथा निरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त व न्यायिक सर्वोच्चता के आदर्शों से ओत-प्रोत संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। सभी अमरीकावासी इस संविधान को अपने राष्ट्र की गौरव-गरिमा का प्रतीक मानते है। हॉगवुड के शब्दों में ''यह संविधान हमारी समकालीन संस्कृति का प्रथम आश्चर्य है।'' यथार्थ में यह शासन के एक लिखित सूत्र की अपेक्षा कुछ अधिक है। जेम्स बेक के अनुसार, ''यह एक महान भावना है, एक उत्कृष्ट एवं उदार घोषणा है तथा वास्तव में, शासन की नैतिकता की विजय है। यह राज्य के समुचित कार्यक्षेत्र को राज्य को समर्पित करती है, किन्तु जनता के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखकर यह ईश्वर के विषयों को ईश्वर के पास ही रहने देती है।'' अमरीकी साविधान में कुछ अन्तर्भूत विशेषताएँ हैं-

(1) जनता का अपना संविधान - इस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसने लोकप्रिय सम्प्रभुता ;च्वचनसंत ेवअमतमपहदजलद्ध के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। संघठन की धाराओं में इस सिद्धान्त का अभाव था क्योंकि सम्प्रभुता राज्यों में निहित भी और कांग्रेस की शक्तियाँ बहुत सीमित थी। इस त्रुटि को समाप्त करने के उद्देश्य से नवीन संविधान की प्रस्तावना में यह उद्घोषणा की गयी कि 'हम संयुक्त राज्य अमरीका के लोग, एक पूर्ण संघ के निर्माण के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, आन्तरिक शान्ति की व्यवस्था के लिए, आत्मरक्षा के लिए, सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि के लिए तथा अपने को और अपनी सन्तान को स्वतन्त्रता के लाभ प्राप्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के इस संविधान का निर्माण करते है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के समान ही अमरीकी संविधान का निर्माण भी अमरीकी जनता ने किया है और संविधान देश का सर्वेच्च विधान है। यह संविधान जनता की प्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित है इसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिनिधि गणतन्त्र की स्थापना हुई है। अमरीका का संविधान स्वतन्त्रता का, आत्मनिर्णय का प्रतीक है। डी टॉकविले के शब्दों में ''अमरीका के राजनीतिक जगत में लोग इस प्रकार राज्य करते है जैसे कि विधाता सृष्टि में''। जेम्स मैडिसन के अनुसार ''अमरीकी शासन व्यवस्था उस श्रेष्ठ दृढ़ इच्छा पर आधारित है जो स्वतन्त्रता के प्रत्येक आराधक को उत्तेजित करती है कि वे सब हमारे राजनीतिक प्रयोगों को मानव-मात्र के स्वशासन की योग्यता पर आधारित करें।''

(2) लिखित एवं निर्मित संविधान - 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित अमरीका का वर्तमान संविधान विश्व का सर्वाधिक पुरातन लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की भाँति यह अलिखित एवं विकसित न होकर भारतीय संविधान की भाँति एक निश्चित समय की कृति है। अमरीकी संविधान का उस ढंग से क्रमिक विकास नहीं हुआ जिस ढंग से ब्रिटिश संविधान का हुआ है। इसकी अधिकांश धाराएं लिपिबद्ध है, यद्यपि कुछ ऐसी परम्पराएं भी विकसित हो गयी है जो लिखित नहीं है और राज्य जीवन को विनियमित करती है। ब्राइस का कथन है कि अमरीका का संविधान ''विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है''।

(3) संविधान की सर्वोपरिता - संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान देश का सर्वोपरि और शासन पद्धति का आधारभूत कानून है। धारा 6 में स्पष्ट लिखा है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाये गये संयुक्त राज्य के समस्त कानून तथा संयुक्त राज्य की और से की गयी या की जाने वाली समस्त सन्धियाँ इस देश के सर्वोपरि कानून होगें। जबकि ब्रिटेन के संसद की सर्वोपरिता है और वह कैसा भी कानून बना सकती है, संयुक्त राज्य अमरीका में संविधान सर्वोपरि है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ संघ और राज्यों की कार्यपालिकाएँ तथा विधायिकाएँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो संविधान का अतक्रिमण करे। संविधान की सर्वोपरिता न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा सुरक्षित की गयी है। वास्तव में अमरीकी संविधान को राष्ट्रीय, राज्य तथ स्थानीय सरकारों के सभी अंगों पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसकी धाराएँ सभी के लिए मान्य है चाहें वह देश की सर्वोच्च कार्यपालिका हो या साधारण नागरिक और यदि कोई संस्था अथवा सरकार संविधान का उल्लंघन करती है। तो सर्वोच्च न्यायलय उसके कार्य को अवैघ घोषित कर सकती है।

(4) संक्षिप्तता का मूर्त रूप - अमरीकी संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे संक्षिप्त है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद है जबकि आस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद, कनाडा में 147 अनुच्छेद, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद तथा भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ है। मुनरों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में केवल 4000 शब्द है, जो 10 या 12 पृष्ठों में है और जिन्हें केवल आधा घंटे में पढ़ा जा सकता है। संविधान के अत्यधिक संक्षिप्त रूप का कारण अमरीका वासियों के स्वभाव में परिलक्षित होता है। वे भविष्य को भूतकालीन बन्धनों से बांधने के आकांक्षी नहीं है, अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान में केवल कतिपय सिद्धान्तों का उल्लेख मात्र किया है और विस्तार की बातों को भावी पीढ़ियों द्वार समय पर परिस्थितयों के अनुरूप स्वयं विकसित करने के लिए मुक्त छोड़ दिया।

संविधान की संक्षिप्तता का एक मुख्य परिणाम यह है कि उसमें बहुत सी आवश्यक बातों के सन्दर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया है। जैसे- बैंको के विनियमन, बजट निर्माण, श्रम, कृषि, शिक्षा, उद्योग संचालन आदि के विषय में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसी प्रकार संविधान इस विषय पर भी बिल्कुल मौन है कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या होगी अथवा दोनों सदनों के मध्य विवाद होने पर उसका निर्णय किस प्रकार किया जायेगा। अतः संविधान में बहुत से आवश्यक विषयों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य संविधान को एक स्ट्रेट जैकेट के रूप में तैयार करना नहीं था, बल्कि वे केवल एक प्रस्थान बिन्दु की खोज में थे और इसलिए उन्होंने मात्र संविधान की रूपरेखा तैयार की इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका के संघ में सम्मिलित इकाई राज्यों के अपने अलग संविधान है, इसलिए भी संघीय संविधान को अधिक विस्तृत बनाने की आवश्यकता न थी।

(5) कठोर संविधान - संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान कठोर संवैधानिक प्रक्रिया का उदाहरण है तथा इसमें संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जो सामान्य विधि-निर्माण की प्रक्रिया से अलग है। जबकि ब्रिटेन में संसद एक ही प्रक्रिया से सामान्य एवं सांविधानक कानूनों का निर्माण करती है, जिसके कारण ब्रिटिश संविधान लचीला या परिवर्तनीय है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल है। संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव - (1) काग्रेस के दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा या (2) दो तिहाई राज्यों के विधान मण्डलों की मांग पर आयोजित विशेष सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तत्पश्चात उसके अनुसमर्थन के लिए या तीन चौथाई राज्यों के विधानमण्डलों अथवा तीन-चौथाई राज्यों के विशेष सम्मेलन की स्वीकृति आवश्यक है। संशोधन की यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसीलिए, संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन हुए है जिनमें 10 के लिए संविधान लागू होने के पूर्व ही समझौता हो चुका था।

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान-निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाना चाहा जो युगों की आंधी और तूफानों को सह सके। लेकिन निश्चेतन संविधान बनाना नहीं चाहा। संविधान में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है कि कांग्रेस राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायलय उसकी व्याख्या करते हुए संविधान को समय के अनुरूप कर सके। मुनरों के शब्दों में, यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह सत्य है कि अमरीकी संविधान में अधिकांश संशोधन संवैधानिक उपबन्धों में कोई संशोधन किये बिना हुए है।

(6) संघात्मक संविधान - राजनीतिक प्रणाली के रूप में अमरीका के संविधान की सर्वप्रमुख विशेषता उसका संघात्मक स्वरूप है, संविधान-निर्माताओं का उद्देश्य एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था, जिसमें केन्द्र शक्तिशाली हो और इकाई राज्यों की भी स्वतन्त्रता बनी रहे। इसी उद्देश्य से संवर्गीय व्यवस्था को त्यागकर संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसमें संघात्मक शासन के तीनों ही आवश्यक लक्षणों संविधान की सर्वोपरिता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन तथा संघीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का अत्यधिक मात्रा में समावेश किया गया है। इस संविधान में संघ व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है और दोनों ही प्रकार की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र है।

(7) अध्यक्षात्मक अथवा राष्ट्रपतीय कार्यपालिका - इंग्लैण्ड भारत और फ्रांस में संसदात्मक कार्यपालिका की स्थापना की गयी है जबकि अमरीका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है। इस प्रणाली में राज्याध्यक्ष नाममात्र का प्रधान न होकर वास्तविक शक्ति का उपभोक्ता होता है। अमरीका में भी राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। संसद प्रणाली राष्ट्रपति में मन्त्रिमण्डल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है परन्तु अमरीका में राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल उसी के द्वारा बनाया जाता है और राष्ट्रपति के प्रति ही अपना उत्तरदायित्व रखता है। इसी प्रकार, संसदीय प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध पर आधारित होती है परन्तु अमरीका की अध्यक्षात्मक प्रणाली के अन्तर्गत कार्यपालिका विधायिका से स्वतन्त्र रहकर कार्य करती है। राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यवाहियों में प्रत्यक्ष रूप से कोई भाग नहीं लेता और न ही उसके प्रति उत्तर दायी होता है।

(8) गणतन्त्रात्मक सरकार - अमरीकी सरकार गणतन्त्रात्मक है अर्थात वहाँ कोई पैतृक राजतन्त्र नहीं है। जबकि ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष राजा कहलाता है और उसकी पदवी वंशानुगत होती है। संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संघ के साथ साथ राज्यों में भी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि संघ राज्यों में गणतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था की पूरी रक्षा करे। संयुक्त राज्य अमरीका की इसी गणतन्त्रीय परम्परा का अनुसरण भारत, फ्रांस, इण्डोनेशिया, ईजिप्त ने भी किया है और वहाँ राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होता है।

(9) शक्ति पृथक्करण और निरोध व संन्तुलन का सिद्धान्त - अमरीकी संविधान का आधारभूत सिद्धान्त शक्ति-पृथक्करण है। मानव स्वतन्त्रता में अगाध आस्था रखने वाले अमरीकी संविधान निर्माता माँन्टेस्क्यू के इस विचार से बहुत प्रभावित हुए कि सरकार के तीन अंगों की शक्तियाँ का एकीकरण अत्यन्ट घातक है अतः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रहना चाहिए। संविधान की प्रथम तीन धाराओं द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गायी है। इन धाराओं में स्पष्ट उल्लेख है कि यहाँ प्रदत्त सभी विधायिनी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होगी, कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में और न्यायिक शक्तियाँ एक सर्वोच्च न्यायलय तथा कांग्रेस द्वार स्थापित निम्न न्यायलयों में होगी। इस प्रकार सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे से यथासम्भव पृथक एवं स्वतन्त्र रहकर अपना कार्य करते है, परन्तु सरकार एक शारीरिक इकाई के समान है जिसके विभिन्न विभाग एक दूसरे पर निर्भर करते है, अतः व्यवहार में पूर्ण पृथक्करण सम्भव नहीं। इसी कारण निरोध व सन्तुलन के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया।

निरोध और संन्तुलन के सिद्धान्त के द्वारा शासन के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए, न्यायधीशों, उच्च पदाधिकारियों तथा राजदूतों आदि की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का है परन्तु वह इस शक्ति का प्रयोग सीनेट की सहमति से करता है। विधियों का निर्माण करना विधायिका का कार्य है परन्तु कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए। इसी प्रकार एक ओर तो न्यायपालिका को स्वतन्त्र बनाया गया है और दूसरी ओर राष्ट्रपति को न्यायधीशों की नियुक्ति करने, कांग्रेस को न्यायलयों के संगठन क्षेत्राधिकार इत्यादि के सम्बन्ध में विनिश्चित करने की शक्ति देकर न्यायिक शक्ति के दुरूपयोग को रोकने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार अमरीका में पारस्परिक अवरोधों की एक सुगठित योजना के कारण तीनों विभागों की शक्ति एक-दूसरे के द्वारा नियन्त्रित रहती है।

(10) सीमित शासन का सिद्धान्त - व्यक्तिवाद में आस्था रखने वाले अमरीकी संविधान के आदि संस्थापक लॉक के इस सिद्धान्त में विश्वास रखते थे कि सरकार एक न्यास है और उसे समिति शक्याँ प्रदान की जानी चाहिए। मुनरों के शब्दों में संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान 'संवैधानिक सीमाओं के सिद्धान्त' पर आधारित है। जेम्स बेक के अनुसार 'संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यन्त सशंक थे। उनका विश्वास था कि यह शक्ति जितनी अधिक होगी, उसके दुरूपयोग का उतना ही अधिक खतरा होगा।' उनका आर्दश था- मानव आत्मा का गौरव तथा मूल्य, मनुष्य-मनुष्य में

स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, श्रम का माहात्मय कर्म का अधिकार, राज्य अथवा वर्ग के अत्याचार से स्वतन्त्र शासन व्यवस्था-इसी लक्ष्य की परिपूर्ति हेतु शासन की सभी शाखाओं की शक्तियाँ सीमित रखी गयी है। इन सीमाओं का उद्देश्य व्यक्तियों की सम्पत्ति और नागरिक स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा करना है, कुछ विषयों में व्यक्तियों की रक्षा संघीय शासन के विरूद्ध और कुछ में राज्य सरकारों के विरूद्ध तथा कुछ बातों में सभी प्रकार की सरकारों के विरूद्ध की गयी है। संयुक्त राज्य अमरीका में शासन के किसी भी अंग की शक्तियाँ अप्रतिबन्धिरत नहीं है। अमरीकी शासन एक सीमित शासन है, इस पर जनता के अधिकारों की औचित्यपूर्ण सीमाएं है। सीमित शासन का सिद्धान्त अमरीकी संविधान की एक सर्वथा नूतन विशिष्टता है और इसमें मानव मूल्यों को नयी प्रतिष्ठा प्रदान की गयी है।

(11) न्यायिक सर्वोपरिता - संविधान के निर्माणकर्त्ता, जनता के मूल अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के संरक्षक के रूप में अमरीका का सर्वोच्च न्यायलय वहाँ के संविधान की अनुपम विशेषता है। चार्ल्स बीयर्ड भी इसे संघात्मक शासन-प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता मानता है। वस्तुतः जहाँ इग्लैण्ड में संसद की सर्वोपरिता है, वहाँ संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायपालिका की सर्वोपरिता स्थापित की गयी है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायलय संविधान का अतिक्रमण करने वाले कांग्रेस के कानूनों को अथवा राष्ट्रपति के निर्देशों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं और इस शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायलय संघ सरकार एवं राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों तक परिसीमित रखता है तथा संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखता है। 1803 में चीफ जस्टिस मार्शल ने 'मारबारी बनाम मैडसिन' नामक मुकदमें में न्यायिक सर्वोपरिता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए स्पष्टतः कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायलय को प्राप्त है। इसी कारण जेम्स बेक ने सर्वोच्च न्यायलय को संविधान का 'सन्तुलन चक्र' कहकर पुकारा है।

(12) नागरिकों के मूल अधिकार - अमरीकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है व्यक्ति की स्वतन्त्रता की सुरक्षा, व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अभिरक्षित रखने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किये गये है। जो कि सरकार की शक्तियों पर पर्याप्त अंकुश लगाते है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के मौलिक आलेख में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था। इस महत्वपूर्ण अभाव की पूर्ति प्रथम दस संशोधनों के द्वारा करने का प्रयास किया गया जिन्हें सामूहिक रूप में नागरिकों के अधिकारों का अधिकार पत्र कहा जाता है। नागरिक अधिकारों

को लिपि बद्ध रूप में प्रस्तुत करना संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की शासन-कला को एक मुख्य देने हैं और इसी का अनुकरण भारत, जापान, सोवियत संघ आदि अनेक राज्यों ने किया है।

जस्टिस स्टोन के अनुसार, 'जनता के दृढ़ विश्वास की अपेक्षा संविधान अधिकार रूप से व्यक्त करता है कि जनतन्त्रीय पद्धति की किसी भी मूल्य पर रक्षा होनी चाहिए। यह विश्वास एवं अधिकार की एक अभिव्यक्ति है क्योंकि आध्यात्मिक एवं मानसिक स्वतन्त्रता की रक्षा होनी चाहिए जिसे शासन को स्वीकार करना होगा। धर्म के स्थापन तथा आचरण की स्वतंत्रता स्वेच्छानुसार किसी भी कारोबार को करने की स्वतंन्त्रता, कानून की दृष्टि में समकक्षता, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता, शन्तिपूर्वक एकत्र होने तथा शिकायतों के निवारणार्थ सरकार से आवेदन करने की स्वतंत्रता, उचित कानूनी-प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना किसी के जीवन अथवा सम्पत्ति का अपहरण न करना, बिना मुआवजा दिये राज्य द्वारा किसी की भी सम्पत्ति को हस्तगत न करना, बिना मुकदमा चलाये और न्यायालय द्वार दण्डित हुए हिरासत और जेल में न रखना इत्यादि ऐसे आधारभूत अधिकार है जिनका उल्लंधन सरकार नहीं कर सकती। आन्तरिक विद्रोह या बाह्य आक्रमण के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लेख को स्थगित नहीं किया जा सकता और न ही कोई सरकार बिल ऑफ अटेण्डर पास कर सकती है जिससे किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये फाँसी की सजा दी जा सके। इस प्रकार अमरीकी संविधान ने नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान किये है।

(13) दोहरी नागरिकता - भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमरीका के संघात्मक सविधान में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर एक ओर तो वह संयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक होता है और दूसरी ओर अपने राज्य का, जिसमें में वह निवास करता है। उदाहरण के लिए न्यूयार्क में रहने वाला व्यक्ति न्यूयार्क का नागरिक होता है और संयुक्त राज्य अमरीका का भी। 1857 में डेट स्कॉट नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रत्येक अमरीकी को दोहरी नागरिकता प्राप्त है क्योंकि संघ बनाने से पूर्व सभी राज्यों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार था और उन्होंने संघ को यह अधिकार नहीं दिया।

(14) आर्थिक व्यक्तिवाद - संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान की एक अन्यतम विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को एक पवित्र अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया है। व्यक्तिवाद के प्रभाव के अन्तर्गत अमरीकी संविधान के निर्माताओं ने स्वतन्त्र आर्थिक नीति का

प्रतिपादन किया। उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता बनाये रखने की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सार्वजनिक हित के लिए सम्पत्ति को हस्तगत किया जाये तो उचित मुआवजा दिया जायेगा।

ब्रोगन का कथन है 'अमरीकी संविधान अमीरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तथा दरिद्रों की आवश्यकता पूर्ति में बाधा उपस्थित करता है।'

(15) कुछ महत्वपूर्ण बातों का अभाव - मुनरों का मत है कि सुंयक्त राज्य अमरीका के संविधान की विशिष्टता इसमें दर्ज बातों के कारण ही नहीं वरन् इसलिए भी है कि इसमें कई महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गयी है। कुछ अत्यन्त साधारण बातों का तो इसमें उल्लेख है जैसे कि राष्ट्रपति नये पद की शपथ लेते समय किन-किन विशेष शब्दों का वर्णन करेगा परन्तु संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, राजनीतिक दल, बजट, कृषि, श्रम तथा उद्योग आदि के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि प्रतिनिधि सदन अपने अध्यक्ष का स्वयं चुनाव करेगा, परन्तु उसकी शक्तियाँ क्या होगी, इसका कहीं वर्णन नहीं है।

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान अनेक विशेषताओं का आगार है परन्तु यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि इन विशेषताओं में से एक भी बिल्कुल नयी नहीं है। लोकप्रिय सम्प्रभुता लॉक और पेन की देन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का उल्लेख मॉन्टेस्क्यू तथा बलैकस्टोन ही नहीं वरन पोलिवियस और अरस्तू के लेखों में भी पाया जाता है, न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त का विकास इग्लैण्ड और अमरीका के अनुभवों से संविधान निर्माण के पूर्व ही हो चुका था; सीमित सरकार का सिद्धान्त मैग्ना कार्टा के साथ आरम्भ हो चुका था। ब्राइस के शब्दों में ''संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान सब कुछ काँट-छाँट के बाद भी संसार के सभी संविधानों में श्रेष्ठ है। इसकी योजना अत्यन्त सुन्दर है। यह जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप है, यह सरल और संक्षिप्त है, इसकी भाषा सुस्पष्ट है और इसमें सिद्धान्तों की निश्चितता के साथ-साथ विस्तृत व्याख्या के लिए सुपरिवर्तनीयता है।' इसके अन्तर्गत कार्य करके अमरीकी राष्ट्र महान् और गौरवशाली बना है और इसलिए सभी अमरीकावासी इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं।

अभ्यास प्रश्न: -

1. 1787 में फिलेडेल्फिया सम्मेलन में अमरीकी संविधान को निर्मित किया गया। सत्य/असत्य

2. अमेरिकी संविधान का राजनैतिक स्वरूप संघात्मक है। सत्य/असत्य
3. संविधान की सर्वोच्चता की अवधारण छठे अनुच्छेद में की गई है।
4. नियन्त्रण एवं संतुलन के सिद्धान्त को अमेरिकी संविधान में अपनाया गया है। सत्य/असत्य
5. अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं।

8.5 सारांश

संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। संविधान में केवल 400 शब्द है। जो दस या बारह पृष्ठों में मुद्रित है और जिन्हें आधे घन्टे में पढ़ा जा सकता है। इसमें केवल सात अनुच्छेद हैं। संविधान के निर्माण कर्ताओं ने केवल मूल ढाँचे को तैयार किया, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य की आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से इंगित करना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि अमेरिका में संविधान के विभिन्न विषयों को लेकर काफी वाद विवाद होता रहा है। इन विवादों की वजह से न्यायपालिका वहाँ काफी शक्तिशाली भूमिका निभाती आई है। प्रमुख रूप से न्यायपालिका संविधान की धाराओं को परिभाषित करती है। एवं लोगों के अधिकारों की रक्षक भी रही है। अगर हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर नजर डालें तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हमारे सामने दिखाई देती है। प्रथम, यह लोकप्रिय सम्प्रभुता पर आधारित संविधान है, संविधान की सम्पूर्ण शक्ति का आधार अमेरिका के लोग है। अमरीका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। दूसरी विशेषता संविधान की सर्वोच्चता है, संयुक्त राज्य अमरीका की सभी ईकाईयों चाहें वह राष्ट्र हो, या कांग्रेस, या सर्वोच्च न्यायलय, सभी संविधान के अधीन है। इस बात को संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता दी गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है। जिससे अमेरिकी संविधान काफी कठोर दिखता है। मान्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धान्त को बखूबी अपनाया गया है, इससे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या कांग्रेस के निरंकुश होने की सम्भावना नितान्त नगण्य हो जाती है। संविधान के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्र के मध्य बँटवारा स्पष्ट है जिसकी वजह से राजनीतिक प्रणाली संधीय है।

8.6 शब्दावली

1. मौलिक अधिकार: वे अधिकार जिसे किसी व्यक्ति से लिया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए जीवन का अधिकार, बोलने का अधिकार, एवं अपनी मर्जी से व्यवसाय करने का अधिकार,

2. परिसंघ: वह राजनीतिक संरचना जहाँ राज्य केन्द्र को सत्ता के अंश सौंपते हैं।

8.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(1) सत्य (2) सत्य (3) छठवें (4) सत्य (5) सात

8.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नारायण, इकबाल; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1969), आर0 के प्रिंटर्स, दिल्ली

2. जैन, पुखराज; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1993), साहित्य भवन, आगरा

3. क्लूज, डेविड; 'दी पीपुल्स गाइड टू द यूनाइटेड स्टेटस, कन्सटीटयूशन (2007) एक्शन पब्लीशर्स, यू0 एस0 ए0

4. पार्थसारथी, जी0; 'आधुनिक संविधान', (1991), मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

8.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अखिल, रीड अमर; 'दी बिल आफ राइटस् क्रीयेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन' (2000), येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन

2. जस्टिस, लर्मिनगार्ग; 'दी यूनाइटेड स्टेट्स कान्सटीट्यूशन; 'वाट इट सेज, वाट इट मीन्स' (2005), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

8.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।

2. अमरिकी संविधान के उदय एवं विकास पर टिप्पणी कीजिए?

3. अमेरिका के संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।

4. अमरिका के संविधान में नियन्त्रण एवं संतुलन के सिद्धान्त को किस प्रकार से अपनाया गया है। टिप्पणी कीजिए।

ईकाई 9 : संघीय कार्यपालिका

ईकाई की संरचना

9.0 प्रस्तावना

9.1 ईकाई के उद्देश्य

9.2 राष्ट्रपति

9.2.1राष्ट्रपति पद की योग्यतायें

9.2.2 राष्ट्रपति का निर्वाचन

9.2.3 राष्ट्रपति की पदच्युति

9.2.4 राष्ट्रपति की शक्तियाँ

9.3 उपराष्ट्रपति

9.4 राष्ट्रपति का मन्त्रीमण्डल

9.4.1 मन्त्रीमण्डल की रचना

9.4.2 मन्त्रीमण्डल की स्थिति और राष्ट्रपति तथा मन्त्रीमण्डल के संबंध

9.5 सारांश

9.6 शब्दावली

9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

9.10 निबंधात्मक प्रश्न

9.0 प्रस्तावना: -

अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ''अमरीकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान में इंगित इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं रहती, जैसा कानून उसे बनाता है। यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतन्त्रता और राज्यों की सत्ता को बनाये रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे, और राष्ट्रपति के पद को बहुत शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती रही है। यह कहना गलत नहीं होगा की अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि अब तक लोकतन्त्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया, जितना की अमरीकी राष्ट्रपति करता है। उसका संकेत मात्र ही दुनियाँ की संचार व्यवस्था, एवं अखबारों की महत्वपूर्ण खबर बन जाती है।

9.1 उद्देश्य: -

1. इस ईकाई में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्ति, सेवाशर्ते एवं अधिकारों का अध्ययन करेंगे।

2. अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे।

3. अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बारे में जान सकेंगे।

4. इस इकाई में हम राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल के बारे में अध्ययन करेंगे।

9.2 राष्ट्रपति

9.2.1राष्ट्रपति पद की योग्यतायें

राष्ट्रपति पद की योग्यतायें संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो

(1) संयुक्त राज्य अमरीका का जन्मजात नागरिक हो

(2) उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो

(3) वह संयुक्त राज्य अमरीका में कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो

कार्यकाल - अमेरिका का राष्ट्रपति चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त होता है। वह चार साल का दो कार्यकाल निर्वाह कर सकता है। अगर वह उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति बनता है, तो अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल उसे प्राप्त होगा। 22 वें संशोधन के तहत यह तय कर दिया गया है कि एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, लेकिन इसमें एक अपवाद युद्ध के समय का है, जिसमें कांग्रेस विशेष परिस्थितियों में मौका दे सकती है।

9.2.2 राष्ट्रपति का निर्वाचन

: राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया प्रमुख रूप से पाँच चरणों में की जाती है।

(1) उम्मीदवारों का मनोनयन- प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारम्भिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ प्रारम्भिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केन्द्रीय समितियों द्वारा। इनकी संख्या 1500 के मध्य रहती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हाल में यह सम्मेलन होता है। सम्मेलन में नियमित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक प्रतिनिधि भी होते हैं जो नियमित प्रतिनिधियों की अनुस्पस्थिति में मतदान में भाग लेते हैं। पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति दल का उम्मीदवार बनता है।

(2) चुनाव अभियान: सम्मेलन समाप्त होने के बाद चुनाव अभियान की प्रक्रिया का आरम्भ होता है। इसमें मुख्यतः टेलीविजन, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन शामिल है।

(3) निर्वाचक मण्डल का चुनाव: दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मण्डल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मण्डल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। राज्य में निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। यह संविधान में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमरीका में लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचक मण्डल का सदस्य नहीं बन सकता है। इस निर्वाचक मण्डल का कार्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियों तथा टेलीविजन पर अन्तिम अपील करते हैं। निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, इसका अभिप्राय है कि जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के सदस्य चुने जाते है।

उदाहरण के लिए, यदि न्यूयार्क राज्य में रिपब्लिकन निर्वाचन सूची को 30,00,000 मत मिलते है और डेमोक्रेटिक निर्वाचन सूची को 30,00,010 मत तो न्यूयार्क राज्य से निर्वाचन मण्डल के सभी 43 सदस्य डेमोक्रेटिक दल से चुन, लिये जायेंगे। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 538 निर्वाचको में से 270 स्थान प्राप्त कर लेता है, उसे राष्ट्रपति बनने का विश्वास हो जाता है।

(4) निर्वाचक मण्डल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव: दिसम्बर माह के दूसरे बुधवार को निर्वाचक मण्डल के सदस्य अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते है। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मे मतों की गणना करता है। और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है।

(5) राष्ट्रपति का पद ग्रहण: बीसवें संशोधन (1933) के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है।

9.2.3 राष्ट्रपति की पदच्युति

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है और यह केवल, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध के आधार पर चलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरूद्ध उपर्युक्त आधार पर आरोप लगा सकते है। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जाँच समिति को दे दिये जाते है। जाँच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे, तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है, जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भेजी जाती है।

इस प्रक्रिया के उपरांत प्रस्ताव को सीनेट को भेज दिया जाता है। सीनेट इन आरोपों की जाँच हेतु एक न्यायालय के रूप में कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति अपने बचाव के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है या फिर वकील की सहायता ले सकता है। छानबीन के बाद यदि सीनेट 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जायेगा।

9.2.4 राष्ट्रपति की शक्तियाँ टुर्रीलोट के मतानुसार राष्ट्रपति पद उस शासन यन्त्र, जिसे कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने अमरीकी संघ के लिए बनाया था, सर्वाधिक मौलिक एवं महत्वपूर्ण अंग है। वस्तुतः अमरीकी राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है क्योंकि राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ प्राप्त है । स्ट्रांग के मतानुसार 'संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को विश्व के संवैधानिक राज्यों के पदाधिकरियों में सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न कहा जा सकता है।' संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को विशाल शक्तियों से विभूषित करना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य तो राष्ट्रपति को केवल एक वैधानिक शासक के रूप में प्रतिष्ठित करना था, किन्तु समय परिवर्तन के साथ साथ राष्ट्रपति की शक्तियों में अपूर्व वृद्धि हुई और आँग के शब्दों में वह संसार का महानतम शासक बन गया। राष्ट्रपति की सांविधानिक शक्तियों को दो भागों में बाँटा जा

सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को राष्ट्र के सर्वमान्य नेता और दल के प्रतिष्ठित नेता के रूप में भी विपुल शक्तियाँ प्राप्त है।

(1) राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक के रूप में - संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति में राज्य के प्रमुख प्रशासक के सभी उत्तरदायित्व निहित है और संविधान ने उसे कार्यपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ प्राप्त है-

(प) कानूनों को कार्यान्वित करना - संविधान की धारा-2, खण्ड 3 के अनुसार राष्ट्रपति देश के सभी कानूनों को समुचित रीति से क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। अपने पद-ग्रहण के शपथ में भी वह संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और इस प्रकार उसका यह मुख्य दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी सन्धियों का निष्ठापूर्वक पालन कराये। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसे अटॉर्नी जनरल, लाखों कर्मचारियों तथा न्याय विभाग, सेना और राष्ट्रीय रक्षक दलों से भी सहायता मिलती है।

(पप) प्रशासन का संचालन और शान्ति-व्यवस्था बनाये रखना- संघीय सरकार के समस्त प्रशासन सम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबन्धों, अन्य राज्यों से की गयी सन्धियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे है या नहीं, राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है। शासन-संचालन के लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम उपनियम या आदेश जारी करने का अधिकार है। कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च होने के कारण राष्ट्रपति के आदेशों का पालन सभी विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को अनिवार्यतः करना पड़ता है।

प्रशासन के सुचारू संचालन के साथ-साथ देश में व्यवस्था स्थापित करना भी राष्ट्रपति का मुख्य कर्त्तव्य है। यदि किसी राज्य में गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली को खतरा हो या उस पर आक्रमण की सम्भावना हो, तो राष्ट्रपति राज्याधिकारियों की प्रार्थना की प्रतीक्षा किये बिना ही स्वयं अपनी पहल पर कार्य कर सकता है। आन्तरिक हिंसा तथा उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह राज्य के विधानमण्डल या गवर्नर के अनुरोध पर सैनिक सहायता प्रदान करे। लेकिन ऐसी स्थिति में संघीय कनूनों के परिपालन में बाधा उपस्थित हो, या संघीय सम्पत्ति अथवा अन्तरराज्य वाणिज्य को खतरा हो, तो राष्ट्रपति अपनी पहल पर भी कार्य कर सकता है। 1922 में राष्ट्रपति हार्डिंग ने एक

हड़ताल को दबाने के लिए सशस्त्र सैनिकों को तैनात रहने का आदेश दिया था। इस प्रकार देश की विधियों को निष्ठापूर्वक लागू करने की अन्तिम जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है।

(पपप) नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति - राष्ट्रपति को पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से अनेक संघीय कर्मचारियों की निष्ठा उसे प्राप्त होती है तथा कांग्रेस के सदस्यों की सक्रिय सहायता भी मिलती है। संविधान राष्ट्रपति को मन्त्रियों, राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी कानून द्वारा छोटे-छोटे अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दे सकती है। सामान्यतः सभी उच्च अधिकारियों जैसे न्यायाधीश, कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष, अपर सचिव तथा सहायक सचिव, राजदूत, प्रशासनिक आयोगों के अध्यक्षों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की मदद से करता है। बहुत से संघीय पदों पर विशेषतः स्थानीय पदों पर राष्ट्रपति एक विशेष प्रथा के अनुसार नियुक्ति करता है, जिसे सीनेट का शिष्टाचार कहते है। इस प्रथा के अनुसार यह आवश्यक है कि जब राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य में संघीय पदों पर नियुक्ति कर रहा हो, तब ऐसा करने से पूर्व उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने दल के सीनेटरों की सहमति प्राप्त कर ले। 1951 में राष्ट्रपति ट्रूमेन ने इलिनोइस राज्य में एक जिले के न्यायधीशों को नियुक्त करते समय उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के सदस्यों के परामर्श को ठुकरा दिया था जिससे सीनेट ने उसकी नामजदगी को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ तक स्थानीय नियुक्तियों का सम्बन्ध है सीनेट के शिष्टाचार की प्रथा के कारण राष्ट्रपति की नियुक्त शक्ति उसके दल के वैयक्तिक सीनटरों के हाथों में आ गयी है। फिर भी लगभग 95 प्रतिशत नियुक्तियाँ कांग्रेस की विधियों के अन्तर्गत होती है। जिनके लिए सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

पदच्युत करने की शक्ति के विषय में संविधान राष्ट्रपति को कोई स्पष्ट अधिकार नहीं देता परन्तु ‘मेयर्स बनाम संयुक्त राज्य’ मुकदमें में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय से यह तथ्य अब निश्चित हो गया है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त हुए किसी भी कर्मचारी को अपदस्थ कर सकता है; और कांग्रेस कानून बनाकर राष्ट्रपति की इस शक्ति को परिसीमित नहीं कर सकती। किन्तु कुछ अधिकारियों को राष्ट्रपति पदच्चुत नहीं कर सकता, जैसे- (1) संघीय न्यायलय के न्यायाधीश, जिन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। (2) यदि कांग्रेस कोई स्वतंत्र बोर्ड, संस्था या आयोग का निर्माण करे, तो उसके सदस्यों की पदच्चुति की प्रक्रिया सीनेट ही निश्चित करती है। (3) जिन

अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा नियमों के द्वारा होती है, उन्हें राष्ट्रपति कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही अपदस्थ कर सकता है।

हम कह सकते है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अत्यन्त सुदूरव्यापी है तथा एक योग्य और महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति जो लोकमत को प्रभावित करना जानता हो ऐसी स्थिति बना सकता है कि कानूनों की क्रियन्विति उसकी नीति के अनुसार होती रहे। विनियम एवं आदेश निकालने की शक्ति के कारण राष्ट्रपति सम्पूर्ण प्रशासन पर छा जाता है।

(पअ) राष्ट्रपति की क्षमाशक्ति - प्रमुख कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति को संघीय कानूनों से सम्बन्धित अपराधियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को सर्वक्षमा प्रदान करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति जैफरसन 1798 के सेडीशन एक्ट के अधीन सिद्ध सभी दोषी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया था। 1868 में राष्ट्रपति ने उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया था जो गृह-युद्ध में दक्षिणी राज्यों की ओर से लड़े थे । इस प्रकार दूसरे राज्याध्यक्षों की भांति अमरीकी राष्ट्रपति को भी न्यायिक क्षेत्र में अधिकार प्रदान किये गये हैं, किन्तु राष्ट्रपति को राज्य सरकारों के कानून से सम्बन्धित अपराधियों तथा महाभियोग के मामलों में क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

(2) विदेश नीति के संचालक के रूप में संवैधानिक व्याख्याओं तथा व्यवहारों के फलस्वरूप राष्ट्रपति वैदेशिक सम्बन्धों का एकमात्र संचालक है। सर्वोच्च न्यायलय ने 1936 के करटिस राइट नामक मुकदमें में कहा था कि राष्ट्रपति ही पूर्ण रूप से संघीय शासन के वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन में अधिकृत प्रवक्ता तथा साधन है। इस अधिकार के उपयोग के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस के अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। इसको शासन के अन्य अधिकारों की भांति ही प्रयुक्त किया जा सकता है बशर्ते संविधान के उपबन्धों के अनुसार इस अधिकार का प्रयोग हो। सिडनी हेमन के शब्दों में, 'राष्ट्रपति न केवल विदेश नीति का निर्धारण ही करता है, वह उसका निर्माण भी करता है।' वैदेशिक कार्यों के क्षेत्र में राष्ट्रपति के निर्णायक प्रभाव के सम्बन्ध में लास्की का कथन है, 'राष्ट्रपति इस क्षेत्र का प्रधान निर्माता है........ वास्तव में राष्ट्रपति का अमरीका की विदेश नीति का स्वरूप स्थिर करने तथा उसका प्रचार करने में जितना हाथ होता है उतना और किसी प्रतिद्वन्दी का नहीं होता।'

वैदेशिक नीति से सम्बन्धित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य विदेशी राज्यों से सन्धियों या समझौते करना है लेकिन सन्धियों के लिए सीनेट का अनुमोदन आवश्यक है। यदि सीनेट राष्ट्रपति का विरोधी

हो तो राष्ट्रपति स्वयं सन्धियां कभी नहीं कर सकता। सन्धियों की स्वीकृति या अस्वीकृति में सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है। अतः प्रायः सभी राष्ट्रपति प्रभावशाली सीनटरों का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते है, संन्धियों की बातों में उन्हें शामिल कर लेते है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले शिष्टमण्डलों में भी उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देते हैं।

सन्धियों की क्रियान्विति के लिए सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करना पड़ता है। अतः बहुत से कार्य प्रशासकीय समझौता के रूप में पूर्ण किये जाते हैं। इन समझौतों के माध्यम से राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। इन पर सीनेट के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती । राष्ट्रपति थियाडोर रूजवेल्ट ने डोमीनिकन रिपब्लिक तथा जापान के सम्राट के साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते किये।

पर-राष्ट्र नीति के संचालन में राजदूतों एवं राजनयिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति द्वारा राष्ट्रपति सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है, अतः अधिकांश राष्ट्रपति विदेशों में अपने प्रतिनिधित्व के लिए विशेष अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति करते है और इनके लिए सीनेट के सर्मथन की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को एक अन्य उल्लेखनीय शक्ति प्राप्त है और वह है विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना। राष्ट्रपति किसी नये राज्य को या वर्तमान राज्य में किसी नयी सरकार को केवल राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान द्वारा ही स्वीकार कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है और कभी-कभी वह इसे विदेश नीति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेश सम्बन्धों का नियन्त्रण अन्तिम रूप से राष्ट्रपति के हाथों में है और एक महत्वकांक्षी राष्ट्रपति विदेश नीति को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता है।

(3) सशस्त्र नेताओं के प्रधान सेनापति के रूप में -

संविधान ने समस्त सैनिक कार्यवाहियों का सर्वोच्च संचालक राष्ट्रपति को नियुक्त किया है और जल-थल तथा वायु सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते वह संशस्त्र बलों का जिस तरह चाहे प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर है। युद्ध की घोषणा करना कांग्रेस का कार्य है, फिर भी युद्ध का संचालन राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग कुछ इस

भांति कर सकता है जिससे कि कांग्रेस के लिए युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा न रहे। सिडनी हेमन के अनुसार, 'शीत युद्धों, अर्द्ध-युद्धों तथा अघोषित युद्धों के इस युग में अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की युद्ध करने की शक्ति ने कांग्रेस के युद्ध घोषित करने के अधिकार को हड़प लिया है। सर्वोच्च सेनापति होने के नाते राष्ट्रपति ही यह निश्चित करता है कि सेनायें कहाँ एकत्र की जायें और जहाजी बेड़े कहां स्थापित किये जाये। यथार्थ में युद्धकाल के समय राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है और उसकी स्थिति बहुत कुछ अधिनायक की भांति हो जाती है।

(4) मुख्य विधायक के रूप में - अमरीका की शक्ति-पृथक्करण योजना के अन्तर्गत विधि-निर्माण का कार्य कांग्रेस को सौंपा गया है और राष्ट्रपति को कानून निर्माण की कोई सीधी शक्ति प्राप्त नहीं है, तथापि राष्ट्रपति को ऐसे कई सकारात्मक तथा नकारात्मक साधन प्राप्त हैं जिनके द्वारा यदि वह कानून-निर्माण पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं रख सकता, तो कम से कम उसे प्रभावित अवश्य कर सकता है। यह सत्य है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और इस कारण वह कांग्रेस में न तो कोई विधेयक प्रस्तावित कर सकता है और न उनकी स्वीकृति के लिए प्रयास ही कर सकता है। फिर भी उसकी विधायी शक्तियाँ इतनी सारगर्भित हैं कि उसे प्रधान विधायक की संज्ञा दी जाती है।

(प) कांग्रेस के विशेष सत्र बुलाने की शक्ति - इंग्लैण्ड तथा भारत में क्रमशः सम्राट और राष्ट्रपति को संसद का सत्र करने की शक्ति प्राप्त है, परन्तु अमरीकी राष्ट्रपति को कांग्रेस के नियमित सत्र बुलाने, स्थगित करने तथा प्रतिनिधि सदन को विघटित करने का अधिकार नहीं है।

(पप) सन्देश भेजने की शक्ति -संविधान में यह उपबन्धित कि राष्ट्रपति समय-समय पर कांग्रेस को संयुक्त राज्य की स्थिति के बारे में सूचित करता रहे और उसके विचारार्थ ऐसे विधायी प्रस्तावों की सिफारिश करता रहे जिन्हें वे आवश्यक और उपयोगी समझे। इसी आधार पर राष्ट्रपति सत्र आरम्भ होने पर कांग्रेस को वार्षिक सन्देश भेजते हैं। इन सन्देशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है और विशिष्ट समस्याओं की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(पपप) राष्ट्रपति का निषेधाधिकार - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेध की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। जब कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ कोई विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख आता है तो राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है, या उस पर दो प्रकार के

निषेधाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह उसके दस दिन के भीतर अपने आक्षेपों सहित उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो यह नियमित निषेधाधिकार कहलाता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक प्रस्तुत करे और दस दिन की समाप्ति से पूर्व ही विघटित हो जाये, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई कार्यवाही न कर उसको बिल्कुल समाप्त कर सकता है। इसे पॉकेट निषेधाधिकार कहते है।

(पअ) संरक्षण शक्ति - सन्देशों और निषेधाधिकार के अतिरिक्त ऐसे अनेक साधन है जिनके माध्यम से राष्ट्रपति विधायन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष के नाते विशाल सरंक्षण शक्ति के बल पर अपने तथा विरोधी दलों के अनेक सदस्यों को अनुग्रहित कर सकता है। यदि कांग्रेस के कुछ सदस्य राष्ट्रपति की नीतियों का समर्थन नहीं करते तो राष्ट्रपति उन्हें धमकी दे सकता है कि वह उनके साथियों को नौकरी नहीं देगा।

(5) राष्ट्र एवं दलीय नेता के रूप में - राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का अध्यक्ष, प्रशासन का संचालन तथा मुख्य विधायक ही नहीं बल्कि वह सम्पूर्ण राष्ट्र तथा अपने दल का वरिष्ट नेता भी होता है। राष्ट्र का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते वह राष्ट्रीय हितों का प्रतीक होता है और समस्त राष्ट्र उसके द्वारा पथ-प्रदर्शन की आशा करता है।

9.3 उपराष्ट्रपति

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में राष्ट्रपति पद के साथ-साथ उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गयी है। जब अमरीकी संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उनके व्यक्तियों ने उपराष्ट्रपति पद के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया और बैंजामिन फ्रेंकलिन जैसे व्यक्तियों ने उपराष्ट्रपति को 'व्यर्थ का महिमावान व्यक्ति' भी कहा था। परन्तु अन्य सदस्यों ने इस पद की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया। एक विशेष कारण से उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करना आवश्यक था।

योग्यताएं, निर्वाचन आदि - संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए भी वे ही योग्यताएं है, जो राष्ट्रपति पद के लिए है। वर्तमान समय में अमरीका में प्रमुख राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन इस दृष्टि से करते है कि राष्ट्रपति पद पर उनके उम्मीदवार की विजय के अवसर बढ़ जाए। जैसे- यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से ही लिया जाता है। कभी-कभी उपराष्ट्रपति पद को दल के असन्तुष्ट वर्ग

को सन्तुष्ट करने का आधार भी बना लिया जाता है। दोनों का चुनाव एक ही निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। मूल संविधान में इन दोनों के अलग अलग निर्वाचक की व्यवस्था की थी जिसे दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक मत प्राप्त होते है, उसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता था।

लेकिन यह 1804 ई0 के 12 वे संशोधन द्वारा बदल दी गयी। नयी प्रणाली में उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद दोनों के लिए अलग-अलग उम्मीदवार खड़े किए जाने व दोनों के लिए अलग-अलग मत डालने की पद्धति अपनायी गई। उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्मीदवार को सभी निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है, और यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त न हो, तो सीनेट के द्वारा प्रथम दो उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति का चयन किया जाता है।

कार्य:- संयुक्त राज्य अमरीका का उपराष्ट्रपति अपने कार्यों की कमी के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इनका अनेक प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है। संयुक्त राज्य के महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ इस पद को प्राप्त करने की कामना नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति का प्रथम कार्य राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग की स्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार सम्भालना होता है। उपराष्ट्रपति का दूसरा कार्य सीनेट का सभापतित्व करना है। सीनेट कांग्रेस का दूसरा सदन है । इसे अपने सभापित को अपने आप चुनाव का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति ही इसका ‘पदेन सभापित होता है। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सीनेट का सदस्य न होने के कारण उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यदि किसी विषय पर बराबर मत आये तो निर्णायक मत का अधिकार अवश्य ही प्राप्त है। सीनेट के कार्य-संचालन की सुनिश्चित परम्पराएँ होने के कारण इस रूप में उसकी स्थिति औपचारिक है।

9.4 राष्ट्रपति का मन्त्रीमण्डल

अमरीकी सांविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गयी है और संविधान के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में संविधान में यह उल्लेख है कि ‘‘राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभागों से सम्बन्धित विषयों पर लिखित राय ले सकता है।’’ वतर्मान समय में मंत्रिमण्डल का जिस रूप में विकास हुआ है, वह संवैधानिक परम्परा पर आधारित है।

मन्त्रिमण्डल का उदय - संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि राष्ट्रपति को अपने कार्य-संचालन में मंत्रणा की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रपति सीनेट से विचार विर्मश कर सकेगा। इसी विश्वास से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अमरीका के मूल निवासियों से सम्बन्धित विषयों पर सीनेट से परार्मश मांगा लेकिन सीनेट सदस्यों का रूख कुछ ऐसा था जैसे सलाह देने का काम उनके लिए गौरवपूर्ण न हो। बाद में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायलय से किन्ही विषयों पर परार्मश लेने का प्रयत्न किया किन्तु यहाँ भी उसे निराश होना पड़ा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायलय ने किसी भी ऐसे कानूनी मामले पर अपने विचार प्रकट करने से इंकार कर दिया, जो कि उसके सामने मुकदमे के रूप में नहीं आता। अतः राष्ट्रपति ने अपने नीचे के विभागीय अध्यक्षों से सलाह लेना शुरू किया। राष्ट्रपति उनके विचारों को लिखित रूप में मागता था, बाद में वह इनकी बैठके बुलाने लग गया और इस प्रकार अमेरीका में 'मन्त्रिमण्डल' नामक संस्था का उदय हुआ।

9.4.1 मन्त्रीमण्डल की रचना

मंन्त्रिमण्डल की रचना में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। राष्ट्रपति वाशिंगटन के प्रथम मन्त्रिमण्डल में तत्कालीन चार विभागों के प्रधान ही थे। लेकिन तब से आवश्यकतानुसार कांग्रेस के द्वारा नवीन विभागों की स्थापना की गयी और आज मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या 12 की गयी है। प्रत्येक सचिव या मन्त्री को 34 हजार डॉलर वार्षिक वेतन प्राप्त होता है।

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता लेकिन इसे सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। सीनेट इनके मनोनयन पर स्वीकृति देने बहुत कम इंकार करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायक होते है। और इसलिए ऐसा मान जाता है कि उनका चुनाव राष्ट्रपति की पसन्द से ही होना चाहिए। सीनेट अब तक कवेल 7 बार मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नामजदगी को अस्वीकार किया जिन्हें अपवाद ही कहा जा सकता है।

राष्ट्रपति को अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के चयन में बहुत अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, किन्तु व्यवहार में मन्त्रिमण्डल के साथियों का चयन करने से उसके द्वारा अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। सर्वप्रथम वह अपने दल के समर्थकों और मित्रों को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कुछ को सचिवों के रूप में नियुक्ति दे देता है। द्वितीय, उसे कुछ बड़े राज्यों जैसे न्यूर्याक, पैन्सिलवेनिया और मैसाचुसेट्स में से अवश्य ही एक मन्त्री चुनना होता है। राष्ट्रपति के द्वारा विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके कुछ सदस्य भी मन्त्रिमण्डल के लिए जा सकते है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों

ने अपने युद्ध मन्त्रियों की नियुक्तियाँ रिपब्लिकन दल में से की थी और रिपब्लिकन राष्ट्रपति हूवर ने एटार्नी जनरल के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य को नियुक्त किया था। इसी प्रकार एफ०डी० रूजवेल्ट ने 1940 में दो प्रसिद्ध रिपब्लिकन नेताओं को युद्ध मन्त्री तथा नौ सेना मन्त्री नियुक्त किया गया। लेकिन महायुद्ध के बाद का चलन मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेने का है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मन्त्री नियुक्त करता है जिनका कांग्रेस में प्रभाव हो। प्रशासनिक अनुभव या विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी मन्त्रियों का चुनाव किया जाता है। वाणिज्य व्यापार उद्योग-धन्धे व मजूदर आन्दोलन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का चुनाव आमतौर पर होता ही है।

9.4.2 मन्त्रीमण्डल की स्थिति और राष्ट्रपति तथा मन्त्रीमण्डल के संबंध

मन्त्रिमण्डल की स्थिति के सम्बन्ध में विलियम हार्वट टाफ्ट ने लिखा है कि ''मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है। इसका कोई विधिक, या संवैधानिक आधार नहीं है। इसके अस्तित्व का आधार केवल परम्परा है। यदि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का अन्त करना चाहे, तो वह ऐसा भी करता है।'' इस प्रकार मंत्रिमण्डल की स्थिति राष्ट्रपति के साथ बदलती रहती है। अनेक राष्ट्रपति ने मन्त्रिमण्डल को कोई महत्व नहीं दिया दिया और वे इसे गौण स्थिति में रखते रहे। जैक्सन, ग्राण्ट, विल्सन व रूजवेल्ट ऐसे ही राष्ट्रपति थे। जैक्सन मन्त्रिमण्डल की बैठक को अनावश्यक समझता था और इसी प्रकार उसने दो वर्ष तक मन्त्रिमण्डल की बैठक ही नहीं की (राष्ट्रपति, ग्राण्ट मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को सेना के सेकेण्ड लैफ्टिनेण्ट समझता था, जिनका काम राष्ट्रपति की आज्ञाओं का पालन मात्र है। विल्सन मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को साधारण कर्मचारियों से अधिक नहीं मानता था और राष्ट्रपति एफ डी रूजवेल्ट पहले खुद निर्णय ले लिया करते थे औरउनकी सूचना मंत्रिमण्डल को दिया करते थे। इसके विपरीत कुछ राष्ट्रपतियों द्वारा मन्त्रिमण्डल को पर्याप्त महत्व दिया गया। राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को प्रसन्न रखते थे और बुचानन, हार्डिग और कूलिज मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को पर्याप्त महत्व देते है।

वर्तमान समय में सप्ताह में कम से कम एक बार मंत्रिमण्डल को बैठक अवश्य होती है। इन बैठकों में राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के सदस्यों से विचार विनिमय करते है और इनकी कार्यवाही गुप्त ही रखी जाती है। राष्ट्रपति प्रशासनिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमण्डल से परामर्श लेने को बाध्य नही

है। वह जिन विषयों पर परार्मश चाहे, उन विषयों को ही प्रस्तुत करता है। निर्णय करने में मत लेने का नियम कम है और यदि मत लिये जायें तो राष्ट्रपति के लिए बहुमत की बात मानना जरूरी नहीं है। यदि मत्रिमण्डल के सभी सदस्य राष्ट्रपति को एक ही तरह का परामर्श दे तो भी राष्ट्रपति इसे ठुकरा सकता है। राष्ट्रपति लिंकन ने ऐसा ही किया था जब सभी सात सदस्यों ने राष्ट्रपति के प्ररस्ताव का विरोध किया, तो राष्ट्रपति ने कहा कि 'सात मत विपक्ष में है और एक पक्ष में, इसलिए प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय हुआ।'

इस सम्बन्ध में निर्णायक बात यही है कि प्रशासन का अन्तिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है और मंत्रिमण्डल के सदस्यों का काम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना मात्र है। यदि मन्त्रिमण्डल में कोई सदस्य ऐसा नहीं करता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति अपने आदेशों का पालन न करने वाले मंत्रियों को हटा भी सकता है, जैसे राष्ट्रपति विल्सन ने अपने शक्तिशाली मंत्री ब्रायन को पद से हटा दिया था। ब्रोंगन इसी पर प्रक्रिया व्यक्त करते हुए लिखते है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति की तनिक सी इच्छा मन्त्रिमण्डल को बनाती है, उसी प्रकार तनिक सी इच्छा इसे हटा भी सकती है।''

राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के पारस्परिक सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनेक बार राष्ट्रपति अनेक विभागों के प्रमुखों के बजाय अपने निजी मित्रों और अनौपचारिक परामर्शदाताओं पर अधिक निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति जैक्सन के अपने कुछ विश्वस्त परार्मदाता थे, जिन्हें सामूहिक रूप से 'किचन केबीनेट' था 'प्रासाद रक्षक' कहा जाता था।

राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के सम्बन्धों में आधारभूत तथ्य राष्ट्रपति की सर्वश्रेष्ठता है। इस सम्बन्ध में लास्की ने कहा- ''राष्ट्रपति कुछ सीमा तक सारे राष्ट्र का प्रतीक होता है और यही कारण है कि जब तक वह अपने पद पर रहता है, तब तक उसका कोई प्रतिद्विन्दी नहीं हो सकता। उसके सामने कैबीनेट के सदस्यों की आवाज मात्र फुसफुसाहट है, जिसे सुना भी जा सकता है और नहीं भी।''

अभ्यास प्रश्न

1. अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान की धारा दो में किया गया है। सत्य/असत्य

2. अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल............वर्षों के लिए होता है।

3. राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार देशद्रोह, भ्रष्टाचार, घोर अपराध या कदाचार ही हो सकता है। सत्य/असत्य

4. राष्ट्रपति को उच्च पद की नियुक्तियों के लिए सीनेट से परामर्श करना पड़ता है। सत्य/असत्य

5. सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति ....है।

9.5 सारांश

अमरीकी संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति पद को धारण करने के लिए उसकी उम्र कम से कम 35 साल, एव अमरीका में कम से कम 14 साल का निवासी रहा हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। उसे अपने पद से केवल महाभियोग की जटिल प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। संविधान सभा द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाय। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है एवं निर्वाचक मण्डल का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।

कार्यपालिका की समस्त शक्तियों राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिये उत्तरदायी है।

कानून लागू करने के साथ ही उसकी जिम्मेदारी है कि सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमरीका में व्यवस्था बनाए रखे। राष्ट्रपति प्रशासन का संचालन करता है, एवं वह प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। राष्ट्रपति की एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी पदाधिकारियों की नियुक्ति से भी जुड़ा है। इसके अन्तर्गत न्यायलयों के न्यायाधीशों, राजदूतों, वाणिज्य दूतों, आयोगों के अध्यक्षों एवं सेना, नौसेना के उच्चाधिकारी शामिल है। सामान्य रूप से न्यायलय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट अनुमोदित करती है। अंमरीकी राष्ट्रपति विदेश नीति को दिशा देता है। एवं देश का मुख्य प्रवक्ता है। राष्ट्रपति अपने कैबिनेट का चुनाव करता है, एवं किसी भी मन्त्रिमण्डल के सदस्य को वह अपने विवेक के आधार पर पदच्युत कर सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है।

9.6 शब्दावली

(1) उत्तरदायी सरकार- वह सरकार जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करती है।

(2) अनुमोदन- किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना

9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. 4 3. सत्य 4. सत्य 5. राष्ट्रपति

9.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्टीबार्ट ओ0 डेविड; 'द समर आफ 1787 दी मैन टू इन्वेन्टड दी कान्सटीट्यूशन' (2008), साइमन एण्ड स्कस्टर, न्यूयार्क

2. क्लूज, डेविड; 'दी पीपुल्स गाइड टू दी युनाइटेड स्टेट्स कन्सटीट्यूशन' (2007) एक्शन पब

3. जैन, पुखराज; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1993) साहित्य भवन, आगरा

4. नारायण, इकबाल; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1969) आर0 के0 प्रिंटर्स, दिल्ली

9.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अखिल रीड अमर; 'अमेरिकास कन्सटीट्यूशन: अ बायोग्राफी' (2005) यू0 एस0 ए0

2. बीर्ब्रन, कोरल; 'अ ब्रीलियन्ट सलूशन: इन्वेन्टींग दी अमेरिकन कन्सटीट्यूशन' (2007) बल क्लाउड बुक्स, एजेड, यू एस ए

9.10 निबंधात्मक प्रश्न -

1. अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया पर निबन्ध लिखिए।

2. अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए

3. अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के संगठन एवं कार्यों पर टिप्पणी कीजिए

4. ''अमेरिकी राष्ट्रपति का पद बेहद शक्तिशाली है'', विवेचना कीजिए।

ईकाई 10 विधायिका (कांग्रेस)

ईकाई की संरचना

10.0 प्रस्तावना
10.1 उद्देश्य
10.2 कांग्रेस
    10.2.1 सीनेट
    10.2.2 सीनेट की शक्तियाँ
    10.2.3 प्रतिनिधि सभा
    10.2.4 शक्तियाँ और कार्य
    10.2.5 अमेरिकी कांग्रेस की समिति व्यवस्था
10.3 सारांश
10.4 शब्दावली
10.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
10.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
10.7 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
10.8 निबंधात्मक प्रश्न

10.0 प्रस्तावना

अमेरिका की विधायिका अपने आप में एक विश्व में अनूठा सदन माना जाता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य अमरीका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर लगभग एकमत थे। अमेरिका की उपनिवेशिक पृष्ठभूमि में अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया था। संविधान निर्माण के समय जब यह तय हो गया था की संघात्मक व्यवस्था निर्मित की जायेगी तब यह स्पष्ट हो गया कि द्विसदनात्मक सदन एकमात्र सफल विकल्प सावित होगा। सम्मेलन के सदस्यों में दोनों सदनों के आधार पर सहमति बनाने में अवश्य गतिरोध उत्पन्न हुआ। अमरीकी संघ की बड़ी इकाइयों का मत जनसंख्या को आधार बनाने का था, छोटी इकाइयों का मत सदन के प्रतिनिधियों को समानता के आधार पर बनाने का था। अन्त में बड़ी एवं छोटी इकाइयों में समझौता हुआ। जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका (कांग्रेस) के निम्न सदन (प्रतिनिधि सभा) का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो लेकिन उच्च सदन (सीनेट) के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धान्त को अपनाया जाय, अर्थात छोटी बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

10.1 उद्देश्य

1. इस अध्याय में हम विधायिका के स्वरूप और संगठन का अध्ययन करेंगें

2. इस में हम विधायिका के दोनों सदनों सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा के अधिकार क्षेत्र का अध्ययन कर सकेगें।

3. सीनेट (उच्च सदन) एवं अन्य देशों के उच्च सदन की तुलना कर सकेंगे।

.4. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र जान सकेंगे।

5. अमेरिकी कांग्रेस में समिति व्यवस्था की प्रक्रिया समझ सकेगें।

10.2 कांग्रेस

संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि ‘‘इसके अन्तर्गत प्रदान की गयी व्यवस्थापना सम्बन्धी समस्त शक्तियों संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी।’’ व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाय तो कांग्रेस को न केवल विधायी वरन प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। कांग्रेस मुख्यतः कानून का निर्माण करती है। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के आठवें उपभाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन चौथे अध्याय में दिया गया है। कांग्रेस की शक्तियों तीन प्रकार की होती है प्रदत ;क्मसमहंजमद्धए निहित तथा समवर्ती ( ) प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कांग्रेस को कर लगाने तथा एकत्रित करने ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, की शक्ति दी गई है। कांग्रेस की अन्तर्निहित शक्तियों में बैंक तथा कार्पोरेशन स्थापित करना कृषि की सहायता और नियन्त्रण बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली का बेचना, स्कूल, स्वास्थ्य, बीमा आदि पर खर्च करना शामिल है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस दोनों ही कानून बना सकते हैं। कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना इत्यादि आता है।

इनके अलावा कांग्रेस चुनाव मतगणना के अन्तर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की भी देखरेख करता है। कांग्रेस विदेश नीति तय करती है एवं युद्ध की घोषणा करना भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कांग्रेस प्रशासन का निर्देशन, नियन्त्रण जाँच पड़ताल करना, एवं न्यायिक उत्तरदायित्व की भूमिका को भी निभाती है।

10.2.1 सीनेट

-सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है। इसमें सभी इकाईयों को बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। हर ईकाई अपने दो प्रतिनिधि भेजती है। कुल पचास ईकाइयाँ हैं। इसलिए सीनेट की कुल संख्या 100 है।

सीनेट के सदस्यो की निम्न योग्यताएँ निर्धारित की गई है।

(1) 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(2) वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह करना चाहता है।

(3) वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमरीका में निवास करता है।

सदस्यों का चुनाव: - प्रारम्भ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन 1912 में संविधान 17 वॉ संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाये। 1913 में संशोधन के पारित होने के बाद से अब प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन होता है।

सीनेट को सदस्यों का कार्यकाल छः वर्षों का होता है, प्रति दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराये जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निवाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारम्भ होता है, और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है, जब तक दोनों सदन अधिवेशन समाप्ति का प्रस्ताव पारित न करें। राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अधिवेशन भी आमन्त्रित किए जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। वह सदन की कार्यवाही को पूरी निष्पक्षता से चलाता है। पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। सीनेट की कार्यवाही के स्थापित नियम होते है। कम अवसरों पर सभापति को अपनी शक्ति को इस्तेमाल व्यवस्था बनाने में लगाना पड़ता है। सीनेट एक ''सामयिक अध्यक्ष'' भी चुनती है। वह बहुमत दल का मनोनीति सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यदाता करता है।

सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात यह है कि सीनेट के सदस्यों को यह छूट रहती है कि वे जब तक चाहें बोल सकते हैं । यह खास कर संशोधनों के सन्दर्भ में लागू होती है। कई बार सदस्य इसका दुरूपयोग करते हैं। वे विषय पर घंटों बोलने लगते हैं जिससे की सदन की कार्रवाई अवरूद्ध हो जाती है। इसे फिलिबस्टर कहते हैं।

10.2.2 सीनेट की शक्तियाँ

1. **कानून निर्माण सम्बन्धी शक्तियों** साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियाँ प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते है और वे तब तक पारित नहीं किए जा सकते जब तक दोनों को स्वीकार न हो।

संवैधानिक विधेयकों के सम्बन्ध में भी दोनों की स्थिति पूर्णतया समान है। वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य ही कुछ उच्च स्थिति प्रदान करता है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं लेकिन संविधान में यह भी इंगित है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भाँति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है, और वित्त विधेयक तभी पारित समझा जायेगा जब दोनों सदनों की स्वीकृति होगी।

2. **कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ**: सीनेट को प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टीकरण, से सम्बन्धित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ तभी वैध होती है, जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाये। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियाँ कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियाँ होती हैं जो सारे राष्ट्र से सम्बन्धित होती है जैसे, राजदूत, मन्त्रिमण्डल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च सैनिक अधिकारी। दूसरे प्रकार की नियुक्तियाँ उन संघीय अधिकारी की होती है। जो किसी राज्य में की जाती हैं जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्टमास्टरों के कुछ वर्ग, मार्शल इत्यादि। पहली प्रकार की नियुक्तियाँ सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा में स्वीकार कर ली जाती है कि राष्ट्रपति दूसरे श्रेणी की नियुक्तियों में उससे परामर्श करें। वर्तमान समय में अमरीका में ‘‘सीनेटीय शिष्टता’’ का नियम प्रचलित है, जिसका अभिप्राय, यह है कि राष्ट्रपति जिस प्रांत में नियुक्तियाँ करे, वह उस प्रांत के सीनेटरों से जरूर परामर्श करे। व्यवहारिक तौर पर यह देखा गया है कि राष्ट्रपति इस शिष्टता का ध्यान जरूर रखता है। जब राष्ट्रपति ने सीनेटीय शिष्टता की परिपाटी को तोड़ने की कोशिश की है, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार कर दिया है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें सीनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के सम्बन्ध में है। सन्धियों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ ही गई सन्धियों उस समय तक लागू नहीं समझी जायेगी, जब तक की सीनेट उन्हें दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार न कर ले। यह एक सीनेट की अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति है, जिससे कि सीनेट अमरीका की विदेशनीति को प्रभावी तौर पर नियन्त्रित करती है। एसे कई उदाहरण है जब सीनेट ने कार्यपालिका के द्वारा की गई कई सन्धियों को अस्वीकार कर दिया गया।

सीनेट का एक महत्वपूर्ण अधिकार युद्ध की घोषणा से सम्बन्धित है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है।

3. **अन्वेषण की शक्ति**: सीनेट का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, व्यवस्थापन से सम्बन्धित कार्यों की जाँच पड़ताल करना। 1929-30 में अर्थिक मंदी के समय वाल स्ट्रीट द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट तरीके सीनेट की पड़ताल से ही सामने लाए गए। इसी प्रकार रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में वाटरगेट कांड सीनेटर जेम्स इर्विन की अध्यक्षता वाली न्यायिका समिति द्वारा उजागर किया गया, जिसने पूरे अमरीका को लगभग हिला कर रख दिया।

4. **न्यायिक शक्तियाँ:** - सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिनमें प्रमुख महाभियोग की जाँच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीश पर देशद्रोह, भष्टाचार तथा अन्य गम्भीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वहीं उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य (जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और उन्हें शपथ दिलाना) करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायलय का मुख्य न्यायधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

5. **अन्य शक्तियाँ** - सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गये मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम दो उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों के निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है।

सीनेट की शक्तियों के उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वितीय सदनों से इसकी तुलना की जाय, इसे विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है।

सीनेट की लार्ड सभा तथा विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से तुलनात्मक अध्ययन

शक्तियों की दृष्टि से सीनेट लार्ड सभा की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। इन शक्तियों को तुलना विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक इन तीनों क्षेत्रों की जा सकती है।

सन 1911 और 1949 का ससंदीय अधिनियम पारित होने के पूर्व लार्ड सभा लोकसदन के समकक्ष थी, लेकिन वर्तमान समय में यह केवल द्वितीय बटन गौंण सदन बन कर रह गयी है। लार्ड सभा अवित्तीय विधेयकों को 1 वर्ष तक और वित्तीय विधेयकों 1 माह तक रोके रखने का कार्य ही कर सकती है। लेकिन सीनेट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में आज भी वहीं स्थिति प्राप्त है, जो लार्ड सभा को 1911 का संसदीय अधिनियम पारित होने से पूर्व प्राप्त थी। वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की स्थिति में जो थेाड़ा सा अन्तर है, वह भी व्यवस्था में महत्वहीन हो गया है।

कार्यपालिका क्षेत्र में लार्ड सभा के द्वारा मंत्रिमण्डल से प्रश्न पूछने और उसकी आलोचना करने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन लार्ड सभा द्वारा की गयी मन्त्रिमण्डल की आलोचना का कोई वैधानिक महत्व नहीं है। मन्त्रिमण्डल लोकसदन के ही प्रति उत्तरदायी होता है न कि लार्ड सभा के प्रति। अमरीकी सीनेट की कार्यपालिका अथवा राष्ट्रपति पर नियन्त्रण रखने की कुछ वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त है। नियुक्तियाँ और सन्धियाँ सीनेट की स्वीकृति के बिना वैध नहीं होती, युद्ध की घोषणा कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा की जा सकती है और सीनेट के द्वारा अन्वेषण समितियों के आधार पर प्रशासन की जाँच करने का कार्य किया जा सकता है। नियुक्तियों और सन्धियों को स्वीकृति प्रदान करने और जाँच समितियाँ समापित करने से सम्बन्धित शक्ति अकेले सीनेट को ही प्राप्त है और प्रतिनिधि सभा सीनेट की इन शक्तियों में भागीदार नहीं है।

न्यायिक जाँच में लार्ड सभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है। सीनेट तथा लार्ड सभा दोनों को ही निम्न सदन द्वारा लगाये गए महाभियोग को सुनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन लार्ड सभा ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायलय भी हैं और उसे पीयर लोगों के देशद्रोह से सम्बन्ध रखने वाले महाभियोग को सुनने का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। ये अधिकार सीनेट के पास नहीं है। भारत की राज्य सभा की तुलना में भी सीनेट बहुत अधिक शक्तिशाली है। भारत में राज्य सभा को साधारण विधेयकों के बारे में लोकसभा के समान ही शक्तियां प्रदान की गयी हैं परन्तु दोनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर सदन के दोनों सदनों की बैठक बुलायी जाती है। जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या राज्य सभा की दुगुनी से अधिक होने के कारण उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ रहती है। राज्य सभा वित्तीय विधेयकों को केवल 14 दिन तक रोके रख सकती है और उसकी अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं है,

जबकि सीनेट की स्वीकृति के बिना वित्तीय विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। राज्य सभा कार्यपालिका को प्रभावित तो कर सकती है लेकिन उस पर अन्तिम नियन्त्रण रखने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं हैं, सीनेट के द्वारा कार्यपालिका पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में दोनों की स्थिति समान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लार्ड सभा सीनेट जैसा शक्तिशाली द्वितीय सदन नहीं है।

अमरीकी सदन की कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के द्वितीय सदन से तुलना इसी प्रकार अमरीकी सीनेट कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के द्वितीय संदनों से भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अतः इन देशों में द्वितीय सदन प्रथम सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, जबकि अमरीका में स्थिति विपरीत ही है। अमरीकी सीनेट की नियुक्तियों और सन्धियों पर स्वीकृति प्रदान करने और प्रशासन के विषयों की जाँच करने की जो अनन्य शक्ति प्राप्त है, उसके कारण सीनेट इन देशों के द्वितीय सदनों से अधिक शक्तिशाली हो गयी है।

10.2.3 प्रतिनिधि सभा

अमरीकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होने से इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वे उसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूयार्क राज्य से 43 प्रतिनिधि चुने जाते हैं लेकिन अलास्का डैलावेयर, नेवादा और व्योमिंग राज्यों से एक प्रतिनिधि चुना जाता है।

प्रतिनिधि सभा की रचना - अमरीका के मूल संविधान में लिखा है कि ''प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बाँटे जायेंगे। जो इण्डियन टैक्स नहीं देते हैं, उनको उनमें शामिल नहीं किया जायेगा। 30 हजार व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। परन्तु प्रत्येक राज्य से कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जायेगा। मूल संविधान में 30 हजार मतदाताओं लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होते जाने के कारण 1963

में 4 लाख 45 हजार जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। मूल संविधान में की गयी यह व्यवस्था अब तक बनी हुई है कि अमरीकी संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जायेगा। चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम क्यों न हो।

सदस्यों के लिए योग्यताएँ - प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए-

(1) वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(2) वह कम से कम 7 वर्ष से सयुंक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। इस सम्बन्ध में उसके लिए अमेरीका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है।

(3) वह संयुक्त राज्य अमरीका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो।

(4) वह उस राज्य का निवासी हो, जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता हो।

प्रतिनिधि सभा का चुनाव - प्रतिनिधि- सभा के सदस्य भारतीय लोक सभा की भाँति ही व्यस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। पहले संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 1920 में किए गए संविधान के 19 वें संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। 1964-65 से नागरिक मताधिकार अधिनियम पारित कर दिये गये हैं। मतदाता बनने के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है। पागलों और दिवालियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है।

कार्यकाल - प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है, प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वे ही है जो सीनेट सदस्यों की है प्रतिनिधि सभा की बैठकें तभी वैध समझी जाती हैं जबकि सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत उपस्थित हो।

जैरीमैण्डरिग - प्रतिनिधि सभा के गठन से सम्बन्धित एक प्रथा जैरीमैण्डरिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते है और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमरीका में राज्य विधानमण्डलों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से

करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार से फैला दिया जाय कि थोड़े-थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो जायें। 1824 में एलब्रिज जैरी मैसाचुसेट्स के गर्वनर थे और उसके द्वारा ही सबसे पहले इस प्रथा को अपनाया गया। अतः उनके नाम पर ही इसे जैरीमैण्डरिंग कहा जाता है।

प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष - प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। यह पद अमरीकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। इस सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाये तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है।

स्पीकर का चुनाव - संविधान के अनुच्छेद 1, खण्ड 2 में कहा गया है कि ''प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सभा के सभापति व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक दो वर्ष के बाद अर्थात सभा के निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती हैं। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने 'काकस' अर्थात 'अंन्तरंग सम्मेलन' में कर लेता है फिर भी सदन में उसके चुनाव की औपचारिक कार्यवाही की जाती है। स्पीकर साधारण तथा कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है, किन्तु व्यक्तिगत लोकप्रियता भी उसके निर्वाचन में सहायक सिद्ध होती है।

10.2.4 प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और कार्य

अमरीका के संविधान निर्माण करते समय यह सोचा गया था कि विधि-निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा स्वंय ही अपना नेतृत्व कर लेगी। प्रारम्भ में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 65 थी किन्तु अमरीकी संघ में नवीन इकाइयों के प्रवेश करने और प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या बढ़ने के साथ यह बात सम्मत नहीं रही तथा यह स्पष्ट हो गया कि विधि निर्माण का कार्य भलि-भाँति सम्पन्न करने के लिए सभा में नेतृत्व की आवश्यकता है। शक्ति विभाजन पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमण्डल के द्वारा तो यह नेतृत्व किया जा सकता था, अतः सभा में बहुमत दल के नेता का भार 'स्पीकर' पर पड़ा और इस पद ने स्पीकर पद को अमरीकी राजनीति में बहुत शक्तिशाली बना दिया।

स्पीकर द्वारा अपनी शक्तियाँ के प्रयोग में मनमानी की जाने लगी जिसके विरूद्ध 1910 में विरोधी दल (रिपब्लिकन दल) ने विद्रोह खड़ा कर दिया और स्पीकर के दल के ही कुछ सदस्यों ने भी इस विद्रोह में साथ दिया। उसे नियम समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और स्थायी समितियाँ तथा प्रवर समितियों की नियुक्ति की शक्ति सदन के द्वारा अपने द्वारा में ले ली गयी।

स्पीकर की शक्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग छीने जाने के बाद भी उसके पास पर्याप्त शक्तियाँ है जो निम्न है-

(1) वह प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

(2) सदन में शान्ति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व होता है।

(3) वह सदस्यों को सदन में बोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है। स्पीकर की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग इस प्रकार दिया जाता है कि उसके दल के सदस्यों को बोलने के अधिक अवसर प्राप्त हों।

(4) वह प्रश्नों का मत लेता है और निर्णयों की घोषणा करता है।

(5) वह सदन के नियमों की व्याख्या करता और उन्हें लागू करता है।

(6) स्पीकर सदन के विचार-विमर्श में भाग ले सकता है। आमतौर पर उसे मत देने का अधिकार नहीं है लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में उसके द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है।

(7) वह सब प्रस्तावों लेखों, अधिपत्रों और विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है।

(8) वह दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में सम्मेलन समिति और अन्य विशेष समितियों की नियुक्ति करता है तथा विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है।

यह एक तथ्य है कि अमरीका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष दलीय आधार पर कार्य करता है। और व्यवहार में अध्यक्ष पद कभी अधिक शक्तिशाली रहा है तो कभी कम शक्तिशाली, फरग्यूसन और मैक्हेनरी ने लिखा है कि स्पीकर पद कभी बहुत अधिक महत्व का और कभी साधारण महत्व का हो जाता है। इसकी स्थिति पदधारी व्यक्ति के व्यक्तित्व और अपने दल (कांग्रेस) तथा देश की परिस्थितियो पर निर्भर करती है। शक्तिशाली स्पीकरों (रीड, कैनन और लॉगवर्श) ने इस पद की सत्ता

और सम्मान को उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया था, लेकिन कुछ स्पीकर पदाधिकारियों ने औपचारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए ही संतोष कर लिया।''

संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका की तमाम विधायी शक्तियों कांग्रेस में निहित है, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून निर्माण से सम्बन्धित है किन्तु इसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा कुछ अन्य कार्य किए जाते हैं।

(1) कानून निर्माण में प्रतिनिधि सभा को सीनेट के समानान्तर अधिकार दिए गए है। वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

(2) अमरीकी कांग्रेस में दोनों सदनों द्वारा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है।

(3) राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मण्डल के द्वार किया जाता है, लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मण्डल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा प्रथम दो प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है।

(4) शक्तियों के अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तावित करती है।

(5) प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है।

10.2.5 अमेरिकी कांग्रेस की समिति व्यवस्था

आज हम जानते हैं कि कानून निर्माण का कार्य बहुत जटिल हो गया है। सदन के साधारण बुद्धि वाले सदस्यों से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते की वे अपने सीमित समय में प्रांसगिक कानूनों का निर्माण करने मे सफल हो पायेगें।

इस समस्या के हल के लिए समिति व्यवस्था को अपनाया गया है। अमरीका में समितियों विधेयक के प्रारूप पर ही नहीं वरन उनके सिद्धान्तों पर भी विचार करके उन्हें रूप दे सकती है। अमेरिका में विभिन्न प्रकार की समितियाँ हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं।

1. स्थायी समितियाँ- इस समितियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है दोनों सदनों की विधायी प्रक्रिया का अधिकांश कार्य स्थाई समितियाँ करती हैं। ये समितियाँ, वैदेशिक, सशस्त्र सेनाएँ, बैंकिंग, अन्तरिक्ष विज्ञान, कृषि तथा वन आदि से सम्बन्धित होती है।

2. नियम निर्माण समिति- यह समिति प्रतिनिधि सभा के नियम निर्माण से सम्बन्धित है।

3. विशेष समितियाँ - ये समितियाँ अस्थाई होती हैं। जिनका गठन विशेष प्रकार के कार्य को सम्पन्न करने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक, प्रशासकीय व कानून निर्माण सम्बन्धी मामलों पर जाँच की जाती है।

4. सम्मेलन समिति - इस प्रकार की समिति का गठन दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें तीन तीन सदस्य दोनों सदनों से लिए जाते है।

5. सम्पूर्ण सदन समिति: द्वितीय वाचन के समय सभी विधेयकों पर विचार करने के लिये सम्पूर्ण सदन समिति बनाई गई है, इसमें सभी सदस्यों को बोलने का एवं विचार का मौका प्राप्त होता है।

अभ्यास प्रश्न:-

1. अमेरिका की कांग्रेस द्विसदनीय है। सत्य/असत्य
2. सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। सत्य/असत्य
3. सीनेट का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सत्य/असत्य
4. कांग्रेस राष्ट्रपति के चुनाव में कभी कभी भाग ले सकती है। सत्य/असत्य
5. राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त नहीं है। सत्य/असत्य

10.3 सारांश

कांग्रेस की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुच्छेद में इंगित है। शुरू से ही संविधान निर्माताओं में एकमत था कि व्यवस्थापिका द्वीसदनीय होगी। इसके अंतर्गत प्रतिनिधि सभा, (निम्न सदन) एवं सीनेट (उच्च सदन) का निर्माण किया गया। अमरीकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता

द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का गठन होता है, सीनेट का गठन संधीय आधार पर किया जाता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक एवं छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिल जाता है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, जो कि अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति होता है। सीनेट एवं स्थायी सदन है, जिसके सदस्य छः वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते है। प्रत्येक राज्य को दो सदस्य भेजने का अधिकार है।

कांग्रेस का प्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद एक के आठवें उपभाग में वर्णन किया गया है। कांग्रेस की शक्तियों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रदत्त, निहित एवं समवर्ती। प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कांग्रेस कर लगाना, ऋण चुकाना, डाकतार, एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धित शक्ति प्राप्त है। निहित शक्तियों के अन्तर्गत बैंक, कार्पोरेशन स्थापित करना, कृषि बिजली आदि आता है। समवर्ती सूची के अन्तर्गत वे विषय हैं जिनके अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र दोनों कानून बना सकते है। जैसे सार्वजनिक कल्याण, न्यायालय की स्थापना इत्यादि कांग्रेस चुनाव संबंधी कार्य भी करती है। यह कार्यपालिका का नियन्त्रण एवं निर्देशन करती है। न्यायपालिका से संबंधित अधिकार कांग्रेस को दिए गए हैं। विदेश नीति को कांग्रेस प्रभावित करती है, एवं युद्ध की घोषणा की जिम्मेदारी इस पर है।

10.4 शब्दावली

1. **सीनेट**- अमेरिका का उच्च सदन है। जिसमें 100 सदस्य हैं।

2. **प्रतिनिधि सभा**- अमेरिका के निचले सदन को कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

10.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(1) सत्य (2) सत्य (3) सत्य (4) सत्य (5) असत्य

10.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नारायण, इकबाल; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1969) आर0के0 प्रिंटर्स, दिल्ली

2. जैन, पुखराज; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1993) साहित्य भवन, आगरा

3. पार्थसारथी, जी.; 'आधुनिक संविधान' (1991) मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

4. अखिल रीड अमर; 'अमेरिकाज़ कन्सटीट्यूशन: अ बायोग्राफी' (2005) यू०एस०ए०

5. स्टीवर्ट ओ०, डेविड; 'द समर आफ 1787 दी मेन हू इन्वेन्टड द कन्सटीट्यूशन' (2008), साइमन एण्ड स्कस्टर, न्यूयार्क

10.7 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. क्लूज, डेविड; 'दी पीपुल्स गाइड टू द यूनाइटेड स्टेटस् कन्सटीट्यूशन' (2007), एक्शन पब्लिशर्स

2. बीर्कन, केरोल; 'अ ब्रिलियन्ट सॅल्यूशन: इन्वेनटिंग द अमेरिका कन्सटीट्यूशन', ब्लू क्लाउड बुक्स, यू0 एस0 ए0

10.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों की विवेचना कीजिए।

2. ''अमेरिकी सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है।'', व्याख्या कीजिए।

3. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पर एक निबन्ध लिखिए।

4. कांग्रेस की शक्तियाँ, शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को बखूबी प्रदर्शित करती है। टिप्पणी कीजिए।

5. अमेरिकी राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के सम्बन्धों पर लेख लिखिए।

ईकाई 11 न्यायपालिका (अमरीका)

ईकाई की संरचना

11.0 प्रस्तावना

11.1 उद्देश्य

11.2 न्यायपालिका

11.2.1 न्यायपालिका की संरचना

11.2 .2 सर्वोच्च न्यायालय

11.2 .3 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

11.2 .4 न्यायिक पुनरावलोकन

11.2 .5 न्यायालय का मूल्यांकन

11.3 सारांश

11.4 शब्दावली

11.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

11.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

11.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

11.8 निबंधात्मक प्रश्न

11.0 प्रस्तावना

संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु, केन्द्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रखने के लिए तथा उनके बीच उठने वाले विवादों का निष्पक्ष निर्णय देने के लिए संघीय न्यायालय की आवश्यकता महसूस की गई। संघीय व्यवस्था की रक्षा करने के लिए और सरकार के तीनों अंगों को अपने अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए संविधान के संस्थापकों ने एक स्वतन्त्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की है। संविधान की धारा 3 में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायलय तथा उन अधीनस्थ न्यायलयों में निहित होगी जिनकी कांग्रेस विधि द्वारा समय पर स्थापना करेगी।

अमरीका में संघीय न्यायपालिका को दो विशेष कारणों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। प्रथम, अमरीका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो केन्द्र और इकाइयों में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल कर सके। इसके अलावा, अमरीकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांन्त पर आधारित है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक है और स्वतन्त्र है और इन दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो सकते है। इन विवादों के निपटाने के लिए संघीय न्यायपालिका जैसी सत्ता का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

11.1 उद्देश्य

(1) इस ईकाई में हम न्यायपालिका के विकास एवं संगठनात्मक ढाँचे को समझ सकेंगे।

(2) न्यायपालिका की शक्तियों का अध्ययन कर सकेंगे।

(3) सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायधीशों एवं अधिकार क्षेत्र का अध्यनन कर सकंगे।

(4) सर्वोच्च न्यायालय का मूल्यांकन कर सकेंगे।

11.2 न्यायपालिका

अमेरिका की न्यायपालिका दुनियाँ की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है .जिसके सम्बन्ध में हम ,इसइकाई में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

11.2.1 न्यायपालिका की संरचना

संघीय न्यायपालिका के कार्यों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके संगठनात्मक ढाँचे की व्यवस्था को समझें।

संघीय न्यायपालिका के अन्तर्गत दो प्रकार के न्यायालय की स्थापना की गई है।

(1) व्यवस्थापक न्यायालय ;

(2) संवैधानिक न्यायालय ;

व्यवस्थापक न्यायालय: - यह वह न्यायालय है जिसकी स्थापना कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायनी शक्ति के अन्तर्गत की गई है। इस प्रकार के न्यायालयों का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक धन के व्यय और कर इत्यादि की वसूली से जुड़ा है। ये न्यायालय कांग्रेस की पहली धारा की आठवीं उपधारा, कांग्रेस को विविध प्रकार के कर लगाने व उन्हें वसूल करने का अधिकार प्रदान करती है। व्यवस्थापक न्यायालयों एवं संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्तर में भी अन्तर होता है, व्यवस्थापक न्यायलयों के न्यायाधीशों को प्रशासन द्वारा बिना महाभियोग के ही पदच्युत किया जा सकता है।

संवैधानिक न्यायालय: - जब हम संघीय न्यायापालिका की बात करते हैं तो इसका मूल आशय संविधान की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित संवैधानिक न्यायालयों से ही है। संघीय न्यायपालिका का ढाँचा तीन स्तरों पर है जिसमें सबसे नीचे जिला न्यायलय/उसके ऊपर संघीय अपील न्यायालय, तथा सबसे ऊपर अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय है।

जिला न्यायालय: संघीय न्यायपालिका का सबसे निचला न्यायालय जिला न्यायालय है। पूरे अमरीका में इस तरह के न्यायालयों की संख्या लगभग 88 है। अमरीकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम

से कम जिला न्यायालय अवश्य होता है। क्षेत्र और आबादी के हिसाब से कुछ प्रान्तों में एक से अधिक जिला न्यायालय हो सकते हैं। जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यायिक कार्यों की मात्रा पर निर्भर करती है, तथा अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 16 से अधिक नहीं होती है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र ही प्राप्त होता है, इसके अन्तर्गत उन्हें दीवानी व फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमें सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। मामलों की गंभीरता के आधार पर कुछ मामलों में अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

संघीय अपील न्यायालय अपना कार्य अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपना कार्य किया जाता है। इसी वजह से इन न्यायालयों को दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। ये न्यायालय जिला न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के मध्य में स्थित हैं। इन न्यायालयों की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय का बोझ कम करने के लिए बनाया गया था। संघीय अपील न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि इन्हें केवल जिला न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के सन्दर्भ में केवल अपीलीय अधिकार प्राप्त है। इन न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 3 से लेकर 9 तक होती है। अपीलीय न्यायालय में सुनवाई, किसी भी विवाद के मध्य कम से कम दो न्यायाधीशों की बेन्च द्वारा की जाती है। इन न्यायालयों को अन्तरराज्य व्यापार कमीशन, संघीय सुधार परिषद व संघीय व्यापार परिषदों के आदेशों व निर्णयों का पुनरावलोकन करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार होता है।

11.2 .2 सर्वोच्च न्यायालय

संयुक्त राज्य अमरीका की न्यायिक प्रणाली में शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायलय है, जिसकी स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के आधार पर की गई थी। यह न्यायालय संविधान का व्याख्याता, नागरिक अधिकारों का अभिरक्षक और देश का सर्वोच्च न्यायालय है। इस न्यायालय का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि हर समय एवं प्रत्येक परिस्थिति में देश के सर्वोच्च कानून के रूप में यह संविधान को कायम रखें। संविधान में यह इंगित नहीं किया गया है कि उसमें न्यायाधीशों की क्या संख्या हो, लेकिन समय-समय पर कांग्रेस ने आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में जरूरी बदलाव हेतू अपने निर्देश दिए है। आरम्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायधीश और पाँच अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं नौ न्यायाधीश हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के अनुमोदन के उपरांत किया जाता है। न्यायाधीश पद पर नियुक्त

करने के पहले न्यायाधीशों की अच्छी तरह से जाँच पड़ताल की जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि सीनेट कभी कभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को रद्द कर देती है। न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों की पदावधि आजीवन है और वे सदाचार पर्यन्त अपने पदों पर बने रहते हैं। न्यायाधीश अपने पद से स्वेच्छापूर्ण पद त्याग सकता है।

महाभियोग: - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। किसी भी महाभियोग के प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है, और प्रतिनिधि सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जाँच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है। तत्पश्चात उक्त न्यायाधीश को पद से हटना पड़ता है। अब तक के संवैधानिक इतिहास में नौ न्यायाधीशों के विरूद्ध प्रस्ताव लाया गया जिसमें चार के विरूद्ध यह प्रस्ताव पारित हो सका।

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि: - सर्वाेच्च न्यायालय का नियमित अधिवेशन वशिंगटन स्थित उसके भव्य भवन में अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ होकर प्रायः जून के मध्य तक चलता है। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्याययाधिपति सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिवेशन को बुला सकता है। मंगल, बुध, बृस्पतिवार तथा शुक्रवार को नियमित मुकदमों की सुनवाई की जाती है। सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं। अधिवेशन के लिए न्यूनतम छः न्यायाधीशों की गणपूर्ति की जाती है।

11.2 .3 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय को आरम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र का अधिकार अत्यन्त सीमित है। इस सन्दर्भ में संविधान में बिलकुल स्पष्ट है कि ‘‘उन सब मामलों में जिनका सम्बन्ध राजदूतों से, राज्य के मन्त्रियों से, अथवा अन्य राजनयिक अधिकारियों से हो और उन सब मामलों में जिनमें संयुक्त राज्य का कोई राज्य एक पक्ष हो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रारम्भिक होगा। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र केवल दो प्रकार के विवादों पर लागू होता है। (1) ऐसे विवाद जिनमें राजदूतों, वाणिज्यदूतों, अन्य मंन्त्रियों तथा राज-प्रतिनिधियों के ऊपर किसी प्रकार के दावे हों, और (2) ऐसे विवाद जिनमें संयुक्त

राज्य की कोई इकाई एक पक्ष हो। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार स्वयं में महत्त्वपूर्ण है किन्तु इस श्रेणी में बहुत कम मामले इस न्यायालय के सम्मुख विचारार्थ लाये जाते हैं।

अपीलीय क्षेत्राधिकार: - अपीलीय क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय को उन सभी मामलों की अपील सुनने का अधिकार है जिसमें राज्यनीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हों। 1935 के क्षेत्राधिकार अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार उन संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है, जिनमें

1. किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अमेरिका के किसी कानून या सन्धि के विरूद्ध निर्णय दिया हो या किसी राज्य के ऐसे कानून को वैध घोषित किया हो, जो अमेरिकी संविधान या कानून या सन्धि के प्रतिकूल हो, अथवा

2. जिसमें अमेरिका के किसी सर्किट कोर्ट ने किसी राज्य को विधि को, संघीय संविधान, सन्धि या कानून के विरूद्ध घोषित कर दिया हो। यह भी प्रावधान है कि जिला न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कुछ विशेष प्रकार के मामलों में भी अपील की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण के लेख द्वारा राज्यों के न्यायालयों से ऐसे सभी मामलों को अपने सम्मुख विचारार्थ मंगवा सकता है, जिनमें संविधान की किसी व्यवस्था या सन्धि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हो।

3. अपील सम्बन्धी न्यायक्षेत्र:- सर्वोच्च न्यायालय का दूसरे प्रकार का न्यायक्षेत्र अपील सम्बन्धी है। एक अपीलीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे उन सभी मामलों की अपील सुनने का अधिकार है जिसमें नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। 1935 के क्षेत्राधिकार अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन संविधानिक मामले तक ही सीमित है, जिनमें (1) किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अमरीका के किसी कानून या सन्धि के विरूद्ध निर्णय दिया हो या किसी राज्य के ऐसे कानून को वैध घोषित किया हो जो अमरीकी संविधान या कानून या सन्धि के प्रतिकूल हो, अथवा (2) जिनमें अमरीका के किसी सर्किट कोर्ट ने किसी राज्य के विधि को, संघीय संविधान सन्धि या कानून के विरूद्ध घोषित कर दिया हो।

सर्वोच्च न्यायालय में जिला न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कुछ विशेष प्रकार के मामलों में भी अपील की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण के लेख द्वारा राज्यों के न्यायालयों से ऐसे

सभी मामलों को अपने सम्मुख विचारार्थ मंगवा सकता है जिनमें संविधान की किसी व्यवस्था या सन्धि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न विहित हो। सर्वोच्च न्यायालय के सामने आने वाले अधिकांश मामले संघ तथा राज्यों के कानूनों की संवैधानिकता तथा आर्थिक विषयों के विनिमयन से संबंधित होते हैं। वर्तमान काल में न्यासों, रेलों, श्रम तथा अन्य आर्थिक विषयों पर संघ व राज्यों की सरकारों के नियन्त्रण से सम्बद्ध मामलों की संख्या में अतिशय वृद्धि हुई है।

11.2 .4 न्यायिक पुनरावलोकन

अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र राज्यों की विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधियों की सांविधानिकता का परीक्षण करने की शक्ति है। यहीं वह शक्ति है जो की सर्वोच्च न्यायालय की अमरीकी शासन-व्यवस्था में उससे कहीं अधिक आधारभूत तथा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है जैसा की अन्य देशों में इसके समकक्ष न्यायालय को प्राप्त होता है और इसी के कारण वह सम्पूर्ण व्यवस्था का सन्तुलन चक्र बन जाता है।

इसी न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिभावक, राष्ट्रीय कानूनों की सर्वोच्चता का अभिरक्षक तथा राज्यों के सुरक्षित अधिकारों का संरक्षक बन गया है। कांरविन के अनुसार, 'न्यायिक पुनरीक्षण का तात्पर्य न्यायलयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लागू होने वाले व्यस्थापिका के कानूनों को वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के सम्बन्ध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझते है।' मुनरों के मत में, 'यह वह शक्ति है जिसके अन्तर्गत कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून या किसी राज्य के संविधान की किसी व्यवस्था अथवा कानून जैसे प्रभाव वाले और किसी सार्वजनिक नियम के विषय में यह निर्णय किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य के संविधान के अनुकूल है या नहीं'।

यद्यपि संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से सर्वोच्चत न्यायलय को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, फिर भी उसने इस शक्ति को हथिया कर उसका व्यापक प्रयोग किया है। 1803 में मारबरी बनाम मैडीसन' नामक मुकदमें का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए जस्टिस मार्शल ने न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का प्रथम बार प्रयोग किया था। मारबरी बनाम मैडीसन का प्रसिद्ध मुकदमा न्यायिक पुनरक्षिण के अधिकार को मान्यता दी, इस प्रकार उत्पन्न हुआ कि 3 मार्च 1801 को राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी नामक व्यक्ति को कोलम्बिया राज्य का न्यायाधिकारी नियुक्त किया। पर राष्ट्रपति

एडम्स की मारबारी की नियुक्ति सम्बन्धी यह आज्ञा मारबरी को भेजे जाने से पूर्व ही राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया। नये राष्ट्रपति जैफरसन व उनके मन्त्री मैडीसन ने नियुक्ति सम्बन्धी इस आदेश को मारबरी को भेजने से इन्कार कर दिया। फलतः मारबरी ने 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विरूद्ध परमादेश ; जिसके अनुसार आदेश दिये जाने वाले अधिकारी को वह कार्य करना होता है जो उसे कानून की दृष्टि में करना चाहिए था, परन्तु जिसे उसने नहीं किया, जारी करने की प्रार्थना की। निर्णय में सर्वोच्च न्यायलय की ओर से जस्टिस मार्शल ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि मारबरी अपनी नियुक्ति सम्बन्धी आज्ञा पाने का अधिकारी है, पर सर्वोच्च न्यायलय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस आज्ञा को मारबरी को दिये जाने का परमादेश दे सके, क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायलय को परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, वह स्वयं संविधान के तीसरे अनुच्छेद के विरूद्ध है क्योंकि उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायलय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार उस क्षेत्राधिकार से अधिक कर दिया गया है जो संविधान के तीसरे अनुच्छेद में दिया गया है। इस प्रकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने कांग्रेस द्वारा पारित 1789 के न्यायालिका अधिनियम को संविधान विरूद्ध अथवा अवैध घोषित किया।

उनका कहना था कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और न्यायधिशों का यह प्रमुख कर्त्तव्य है कि वे उसी के अनुरूप निर्णय दें। जब कभी कांग्रेस द्वारा पारित कोई विधि संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो सर्वोच्च न्यायलय का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह संविधान को प्राथमिकता दे और उक्त कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे। अपनी इस शक्ति के आधार पर ही उसने राज्यों की विधायिकाओं द्वार निर्मित 300 कानूनों और कांग्रेस द्वारा पारित 80 से भी अधिक कानूनों को अवैध घोषित कर न्यायिक सर्वोपरिता के सिद्धान्त की प्रतिस्थापना की है। 'मैक्कुलोच बनाम मेरीलैण्ड' मुकदमें में निहित शक्ति के सिद्धान्त के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मैरीलैण्ड राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित एक विधि को अवैध घोषित कर कांग्रेस को बैंकों की व्यवस्था करने का महत्वपूर्ण अधिकार, प्रदान किया। 'गिब्बन्स बनाम ओगडेन' मुकदमें में सर्वोच्च न्यायलय ने 'वाणिज्य' की व्याख्या की और कांग्रेस को उसके विनियमन की शक्ति दी। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने राज्यों के अधिकारों की भी रक्षा की। ड्रैड स्कॉट मुकदमें में उसने कांग्रेस के कानून को असंवैधानिक बताकर मिसोरी राज्य के अधिकारों की रक्षा की। 1905 में

'लोकनर बनाम न्यूयार्क' के प्रसिद्ध मुकदमें में सर्वाेच्च न्यायलय ने न्यूयार्क राज्य के उस कानून को रद्द कर दिया जिसके द्वारा काम करने के समय पर 10 घण्टा प्रतिदिन की सीमा लगायी गयी थी।

11.2 .5 न्यायालय का मूल्यांकन

संयुक्त राज्य अमरीका की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायलय का विशिष्ट स्थान है, वस्तुतः उसके बिना संधीय व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लास्की के अनुसार, 'अमरीकी शासन-व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय अत्यन्त सफल और लाभदायक निकाय है जिसने संयुक्त राज्य के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है।' हस्किन ने लिखा है, 'यह अनेक बातों में अमरीकी राजनीतिक पद्धति में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तथा विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन है।' अमेरिकावासी इसके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और इसे अपने मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायलय और इसके व्यापक अधिकार वस्तुतः संयुक्त राज्य के संविधान की राज्य विधान के लिए एक निराली देन है। यह अमरीका के शासन विभाग में एक केन्द्रीय तथा सामंजस्य लाने वाली संस्था है। इसके महत्व के विषय में पैटरसन ने लिखा है- 'संघ शासन के अन्तर्गत एक ही राज्य में दो समानान्तर सरकार कार्य करती हैं, वे एक दूसरे से स्वतन्त्र होती हैं और उनको संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच होने वाले संघर्षों को निबटाने के लिए सर्वोच्च न्यायलय नितान्त आवश्यक है। दूसरे, संविधान तथा कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों और सन्धियों को सारे देश में एक ही प्रकार से व्याख्या करने के लिए एक अधिकारपूर्ण राष्ट्रीय न्यायालय वांछनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय तथा सामूहिक कानूनों सम्बन्धी मुकदमों के लिए भी राष्ट्रीय न्यायालय आवश्यक है। अन्ततः क्योंकि संविधान तो रूपरेखा मात्र है अतः उसके विस्तार करने और सरकार की कार्य-प्रणाली को व्यावहारिक बनाने के लिए तथा आवश्यक लचीलापन प्रदान करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक है। यह सत्य है कि संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायलय ने उक्त सभी कृत्यों को सफल पूर्वक पूरा किया और फाइनर के शब्दों में, 'यह वह सीनेट है जिसने समस्त संघीय व्यवस्था को मजबूती से जमाये रखा है।'

सर्वोच्च न्यायलय संविधान का अन्तिम व्याख्याता है। संविधान के उपबन्धों की अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायलय ही कर सकता है और उसके द्वारा की गयी व्याख्या को चुनौती नहीं दी जा सकती। लार्ड ब्राइस के अनुसार, 'संयुक्त राज्य सरकार की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जागृत नहीं की इतनी अधिक चर्चा पैदा नहीं की, इतनी अधिक प्रसंशा प्राप्त नहीं

की और इतनी अधिक गलतफहमी उत्पन्न नहीं की जितनी की सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्त्तव्यों और कार्यों ने की जो वह संविधान की रक्षा करते हुए करता है।' संविधान क्या है, तथा उसकी धाराओं का क्या अर्थ है, इन बातों का निर्णय करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायलय को प्राप्त है और इसी कारण यह कहा जाता है कि अमरीका में न्यायिक सर्वोच्चता है। जस्टिस ह्यूज का कहना है, 'हम एक एक संविधान के अधीन है किन्तु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं।' जस्टिस फ्रैंकफर्टर के अनुसार, 'सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है।'

संविधान की विविध धाराओं की व्याख्या करने में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुदा उदार अथवा विस्तृत अर्थ लगाया है, परिणामतः निहित शक्तियों का सिद्धान्त अस्तित्व में आया जिसने संविधान का विकास किया है और संघ सरकार की शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि है। न्यायिक पुनःसमीक्षा के अधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल संविधान की व्याख्या तथा रक्षा की है वरन उसे एक द्रुत गति से विकसित होते हुए देश की निरन्तर बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। इसी कारण वेक जैसे लेखकों ने इसे एक 'अनवरत संवैधानिक सम्मेलन कहा है जो व्याख्याओं द्वारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन का कार्य जारी रखे हुए है। 9 वर्ष इसने संविधान की कठोरता को कम करते हुए उसके सतत् विकास में बिना औपचारिक संशोधनों के सहायता पहुँचाई है।'

यह सत्य है कि न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार ने सर्वोच्च न्यायालय को एक नीति-निर्माता निकाय बना दिया। 'कानून की समुचित प्रक्रिया, संविदा' व्यापार का विनियमन' आवश्यक तथा समुचित जैसे शब्दों की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने जो निर्णय दिये है, उनका स्वरूप न्यायिक कम व राजनीतिक अधिक है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायलय के अधिकार क्षेत्र में विधि-निर्माण का उपक्रम नहीं है, फिर भी यह अपनी निषेध शक्ति के द्वारा ऐसा यान्त्रिक वातावरण उत्पन्न कर देता है जिसके घेरे में कार्य करना विधानमण्डलों के लिए आवश्यक हो जाता है। जब किसी न्यायिक निर्णय के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी कानून का क्या अर्थ होगा, तो वह निर्णय न्यायिक निर्णय मात्र नहीं रहता वरन वह तो एक प्रकार से विधि-निर्माण की प्रक्रिया ही हो जाती है। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था हमारे देश में मुख्य विधि-निर्माता न्यायधीश हो सकते हैं और प्रायः वे है क्योंकि उनके पास अन्तिम सत्ता है। प्रत्येक समय जबकि वे संविदा, सम्पत्ति, विशिष्ट अधिकारों, समुचित प्रक्रिया, स्वतन्त्रता आदि शब्दों की व्याख्या करते हैं, वे अवश्य ही एक सामाजिक दर्शन के कुछ अंशों को कानून का रूप दे देते हैं। ब्रोगन ने लिखा है, 'सर्वोच्च न्यायलय

की शक्तियों को समझने के लिए हमें उस कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों को नियमित करने वाले तृतीय सदन या एक राजनीतिक निकाय के रूप में देखना होगा।'

कुछ आलोचक सर्वोच्च न्यायलय को एक रूढ़िवादी संस्था बताते हैं, जो अमरीकी राजनीति में अनुदारवाद का प्रतीक है तथा जिसने प्रगतिशील कानूनों के क्षेत्र में हमेशा रोड़े अटकाये हैं। सर्वोच्च न्यायलय ने अपने कुछ निर्णयों में ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिनका उद्देश्य श्रमिकों के लिए न्यूनतम काम के घण्टे तथा न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना था। ऐसे कई कानूनों को भी सर्वोच्च न्यायलय ने रद्द कर दिया जिनके द्वारा कुछ उद्योगों में स्त्रियों अथवा बच्चों को निश्चित घण्टों से अधिक देर तक कार्य करने का निषेध किया गया था। लोकनर बनाम न्यूर्याक का मामला इसका उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायलय ने जैसे लोकहितकारी कानूनों को अवैध घोषित करके लोकतन्त्र का मार्ग अवरूद्ध किया है और निहित स्वार्थों को प्रश्रय दिया है।

सर्वोच्च न्यायलय की कार्यप्रणाली का एक दोष है कि सभी बहुमत से होते है। मुनरों के अनुसार, यह 'एक व्यक्ति का अत्याचार' है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक है। आलोचकों का मानना है कि न्यायाधीश सभी प्रश्नों को केवल कानूनी दृष्टि से ही देखते है, जो साधारण तौर पर अपरिवर्तनशील होती है और बदली हुई सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चल पाती। अन्ततः यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त पर कुठाराघात करता है। क्योंकि इसके अनुसार न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका के ऊपर सर्वोपारिता मिली है। ब्रोगन ने लिखा है, न्यायिक पुनरीक्षण के दो राजनीतिक परिणाम है जो इसके द्वारा होने वाली भलाई को समाप्त कर देते है। (1) यह अनुत्तरदायी विधि-निर्माण को प्रोत्साहन देता है, तथा (2) इसके कारण राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति बड़ी दूर और अनिश्चित हो गयी है। इन आलोचनाओं के बावजूद यह सत्य है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायलय ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। संविधान की सर्वोच्चता का संरक्षण इसी के हाथों में है। उसकी अनुदार रूढ़िवादिता ने अमरीका के निरन्तर गतिशील सामाजिक जीवन को स्थायित्व प्रदान किया है। संविधान की रक्षा करते हुए उसने लोकतन्त्र के आवेश व जन उद्वेगों तथा प्रशासन की स्वेच्छाचारिता से देश की रक्षा की है। अनेक अवसरों पर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायलय ने राज्यों की प्रान्तीयता की संकुचित मनोवृत्ति को रोकने का भी कार्य किया है और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाने में अपूर्व सहयोग प्रदान किया हे। सर्वोच्च न्यायलय का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है

कि विश्व के अनेक देशों ने उसका अनुकरण किया है। संविधान के संरक्षक मूल अधिकारों के अभिरक्षक तथा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोक्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने जो गरिमा प्राप्त की है वह संसार के किसी भी न्यायलय को उपलब्ध नहीं है।

अभ्यास प्रश्न: -

1. संविधान की धारा....... में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायलय में निहित होगी।

2. संविधान द्वारा यह निश्चित नहीं किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। सत्य/असत्य

3. न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। सत्य/असत्य

4. सर्वोच्च न्यायालय का नियमित अधिवेशन वाशिंगटन में होता है। सत्य/असत्य

5. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से करता है सत्य/असत्य

11.3 सारांश

संविधान की धारा 3 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायलय में निहित होगी। हैमिल्टन का सुझाव इस सम्बन्ध में एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का था जो संघ की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए संघ के राज्यों के अन्य न्यायालयों निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करे और सम्पूर्ण देश के कानूनों की व्याख्या की एकरूपता बनाए रखे। संघीय न्यायपालिका के अन्तर्गत दो प्रकार के न्यायालय है- व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय वे न्यायालय हैं जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी धारा के अधीन नहीं वरन कांग्रेस के द्वारा किया गया है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते वरन इसका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में कांग्रेस की सहायता करते हैं। संवैधानिक न्यायालय संविधान की धारा 3 के अन्तर्गत किए गए है। संघीय

न्यायपालिका का ढाँचा त्रिस्तरीय है। इसमें सबसे नीचे जिला न्यायालय, उसके ऊपर संघीय अपील न्यायालय, और सर्वोच्च स्तर पर अमेरिका का सर्वोच्च न्यायलय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के अनुमोदन से किया जाता है। न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए उनके अनुकूल सेवाशर्तें तय की गई हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है, और वे केवल महाभियोग के द्वारा हटाये जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसके अंतर्गत किसी भी कानून को जो कि संविधान की भावना के विरूद्ध हो उसे वह असंवैधानिक करार दे सकता है।

11.4 शब्दावली

संघवाद: राज्य निर्माण की वह धारणा जिनमें केन्द्र और राज्य में विषय का बँटवारा होता है।

न्यायिक पुनरवलोकन - न्यायात्मक की वह शक्ति जिसके अन्तर्गत अगर कानून संविधान की भावना के विरूद्ध हो तो उसे न्यायपालिका निरस्त कर दे।

कांग्रेस- सीनेट (उच्च सदन) एवं प्रतिनिधि सभा को कहा जाता है।

11.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(1) धारा तीन (2) सत्य (3) सत्य (4) सत्य (5) सत्य

11.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पार्थसारथी, जी; ‘आधुनिक संविधान’, (1991), मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

2. नारायण, इकबाल; ‘विश्व के प्रमुख संविधान’, (1967) आर0 के0 प्रिंटर्स, दिल्ली

3. जैन, पुखराज; ‘विश्व के प्रमुख संविधान’, (1993) साहित्य भवन, आगरा

11.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

क्लूज, डेविड; 'दी पीपुल्स गाइड टू द यूनाइटेड स्टेटस् कन्सटीट्यूशन', (2007) एक्शन पब्लीशर्स, यू0 एस0 ए0

अखिल, रीड अमर; 'दी बिल आफ राइट्स क्रीएशन्स एन्ड रीकन्सट्रकशन' (2000), येल यूनीवर्सिटी प्रेस, लन्दन

11.8 निबंधात्मक प्रश्न

1.अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, एवं शक्तियों पर प्रकाश डालिये।

2.''सर्वोच्च न्यायालय संविधान और नागरिक अधिकारों का रक्षक है। इस कथन के मध्य सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का आकलन कीजिये।

3.अमेरिका की संघीय न्यायपालिका पर एक निबन्ध लिखिए।

4.न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

5.''अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं।'' प्रकाश डालिए।

इकाई 12 अमेरिकी दल प्रणाली

इकाई की संरचना

12.0 प्रस्तावना

12.1 इकाई के उद्देश्य

12.2 अमरीका में राजनीतिक दल का उदय

12.2.1 अमरीकी दल प्रणाली की विशेषताएं

12.2.2 दलों का संगठन

12.2.3 मुख्य राजनीतिक दल: एक मूल्यांकन

12.3 सारांश

12.4 शब्दावली

12.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

12.6 सन्दर्भ में ग्रन्थ सूची

12.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

12.8 निबंधात्मक प्रश्न

12.0 प्रस्तावना

लोकतंत्र के लिए राजनैतिक दलों का महत्व अपरिहार्य है। सरकार और जनता के मध्य राजनैतिक दल एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना कार्य करते है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने राजनैतिक दलों के विषय में कुछ नहीं कहा है। वस्तुतः ये दलगत शासन में विश्वास नहीं करते थे। अधिकांश राज्यों के संविधानों में भी राजनैतिक दलों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। जिन नेताओं ने फिलेडेल्फिया सम्मेलन में भाग लिया था, उनमें से कुछ लोग यह समझते थे कि जिस प्रकार के लोकतन्त्र की वे स्थापना करने जा रहे थे, उनमें राजनैतिक दलों का विकास होना अनिवार्य था। जेम्स मैडिसन ने सन 1787 में कहा था कि ‘‘सभ्य राष्ट्रों में भूमि सम्बन्धी हित, कलाकौशल सम्बन्धी हित, व्यापार सम्बन्धी हित तथा अन्य अनेक कम महत्व के हितों के सहित धन सम्बन्धी हित, व्यापार सम्बन्धी हित तथा अन्य अनेक कम महत्व के हितों जैसे हित आवश्यक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं तथा विभिन्न विचारों व मतों के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं। इन विविध व परस्पर विरोधी हितों का नियमन करना ही आधुनिक व्यवस्थापन का प्रमुख कार्य है, इस प्रक्रिया में मतभेद व समूहों की उत्पत्ति अपरिहार्य हो जाता है। राष्ट्रपति वाशिंगटन के शासनकाल के अंत में ही राजनैतिक दल राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हो गए, तथा तभी से वे बराबर अपना कार्य करते आ रहे हैं। इस समय अमेरिका में दो शक्तिशाली राजनैतिक दल है। रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट। सन 1841 में दासप्रथा की समाप्ति के प्रश्न को लेकर दो विचारधाराओं का उदय हुआ। जिसका प्रतिनिधित्व क्रमशः रिपब्लिकन्स तथा डेमोक्रेट्स नामक दलों द्वारा हुआ। ये ही दल तब से अपने मूल नामों के साथ तब से चले आ रहे हैं। अमेरिका में ये दोनों लगभग समान रूप से शक्तिशाली हैं, और सत्ता का प्रश्न इन दोनों के बीच ही निर्धारित होता है। विचारधाराओं में डेमोक्रेट्स मूलतः राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लचीला व्यवहार अपनाते हैं वहीं रिपब्लिक्स राष्ट्रवादी एवं कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद यह काफी हद तक दल के नेता के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है।

12.1 उद्देश्य

1. इस ईकाई में हम अमरीका के राजनीतिक दलों के उदय एवं विकास का अध्ययन करेंगे।
2. अमरीकी दल प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।
3. अमरिका में दलीय संगठन की जानकारी प्राप्त करेंगे।
4. अमरीकी दल व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकेंगें।

12.2 अमरीका में राजनीतिक दल का उदय और विकास:

वर्तमान समय में सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन सम्भव नहीं है किन्तु राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में अमरीकी संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण यह नहीं था। उनका डर था कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों में द्वेष और बैर की भावना उत्पन्न करेगें और इसके परिणाम स्वरूप नवजात अमरीकी राष्ट्र तथा उसके प्रजातन्त्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संविधान सभा में मेडिसन ने राजनीतिक दलों की तीव्र आलोचना और प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन ने अपने अन्तिम भाषण में अमरीकी जनता को राजनीतिक दलों के विरूद्ध चेतावनी देते हुए कहा था कि ''दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह सहज कर्त्तव्य है कि वह ऐसी भावनाओं का दमन करें व उनसे बचें।''

लेकिन वाशिंगटन की यह चेतावनी अमरीकी राजनीति के स्वाभाविक विकास को नहीं रोक सकी। वास्तव में अमरीकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलोडेल्फिया सम्मेलन में ही राजनीतिक दल बीज रूप में विद्यमान थे। एक गुट, जिसका नेता एलेक्जेण्डर हेमिल्टन था, शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के पक्ष में था दूसरा गुट जिसका नेता जैफरसन था, राज्यों की स्वायत्तता और नागरिक स्वतन्त्रता का प्रबल समर्थक था। इन दोनों गुटों के फेडरलिस्ट ;थ्मकमतंसपेजद्ध और एण्टी फेडरलिस्ट ;।दजप.थ्मकमतंसपेजद्ध नाम मिले। हैमिल्टन और जैफरसन दोनों ही शक्तिशाली अमरीकी देश का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन दोनों के रास्ते अलग-अलग थे। इस गुटबन्दी के

बावजूद जार्ज वाशिंगटन को सभी पक्षों का सम्मान प्राप्त था और सबकी आम सहमति से अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

वाशिंगटन शासन को दलीय भावना से ऊपर रखना चाहते थे। इस कारण एलेक्जेण्डर हेमिल्टन और टॉमस जैफरसन, दोनों को ही मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया। 1776 में जैफरसन ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देकर अपनी सारी शक्ति 'एण्टी-फेडरलिस्ट' जिन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन' कहा जाता है, को संगठित करने में लगा दी। 1796 के राष्ट्रपति चुनाव के समय दलबन्दी स्पष्ट रूप से उभर उठी, तब यह लगने लगा कि केवल नेता ही नहीं वरन नागरिक भी दलों में विभक्त है। 1796 के राष्ट्रपति चुनाव में फेडरलिस्ट विजयी हुए, परन्तु 1800 के चुनाव में फेडरलिस्टों को कड़ा आघात पहुँचा और सत्ता डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल के हाथों में आ गयी। अनेक कारणों से फेडरलिस्ट का प्रभाव कम होता गया। और 1815 के पश्चात यह दल राजनीति से लुप्त हो गया।

फेडरलिस्ट दल के पतन से राजनीतिक रंगमंच पर एक मात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया। परन्तु इस दल के नेताओं में भी आपसी मतभेद और सत्ता के लिए संघर्ष था। ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले और डेनियल वेब्सटर के नेतृत्व में एक नया दल बना, जिसे अनुदार दल या राष्ट्रीय गणतन्त्रवादी दल का नाम मिला इस समय डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन था और नेशनल रिपब्लिकन दल का नेता जॉन क्विंस्सी एडम्स। 1828 में जैक्सन राष्ट्रपति बने और तब से लेकर 1841 तक यह दल सत्तारूढ़ रहा। 1850 के बाद इस दल की प्रतिष्ठा में तेजी से गिरावट आई और 1856 में यह दल पूरी तरह विघटित हो गया।

19 वीं शताब्दी के मध्य में क्रमशः रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नामक दल के अलग अन्य छोटे-छोटे राजनीतिक दल थे और उनकी शक्ति न के बराबर थी। इन दोनों दलों की नीति और कार्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। अमरीका में दोनों दल लगभग समान रूप से शक्तिशाली है। इस प्रकार अमरीकी राजनीति में दोनों दल एक दूसरे को सन्तुलित करते हैं।

12.2.1 अमरीकी दल प्रणाली की विशेषताएं

लोकतन्त्र को सफल क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक दल नितान्त अनिवार्य हैं। यह उस तेल के समान है जो लोकतान्त्रिक मशीनरी को सुचारू रूप से संचालित करता है। राजनीतिक दल जनमत को संगठित करते है, जनता का मार्ग दर्शन करते है, और निर्वाचनों में भाग लेकर प्रशासन का

संचालन करने में अपना योगदान देते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में शासन पद्धति का मूल आधार शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त है। साथ ही वहाँ पर संधात्मक शासन होने के कारण संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्ति-पृथक्करण की कठोरता को कम करके प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने में राजनीतिक दलों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक दल नीतियों का एकबद्ध प्रकाशन कर सरकारी कार्यक्रमों को स्थिरता प्रदान करते है। तथा सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधते हैं।

अमरीका की दलीय पद्धति के कुछ विशिष्ट तत्व:-

1. दलों का संविधानोत्तर विकास: - अमरीका में दो राजनीतिक दलों के विकास से यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन की भाँति अमरीका की दलीय प्रणाली भी किसी वैधानिक मान्यता से विकसित नहीं है। अमेरिकी संविधान-निर्माता राजनीतिक दलो को शंका की दृष्टि से देखते थे और इनके विरोधी थे। यह संविधान राजनीतिक दलों के विषय में मौन रहा है, किन्तु जनतन्त्रात्मक व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अमरीका में वाशिंगटन के शासन काल के अन्त में ही राजनीतिक दल राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हो गये और तभी से वे बराबर अमरीकी राजनीतिक का संचालन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल संविधानोत्तर विकास का परिणाम है। दलबन्दी की निन्दा करते हुए मेडीसन ने बताया है कि एक 'संगठित संघ में दलवाद को तोड़ने और उसे नियान्त्रित करने की अपने आप एक प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति का अधिकाधिक विकास होना चाहिए।

2. द्वि-दलीय पद्धति - ब्रिटेन की ही भांति अमरीका में भी दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इन दलों के नाम बदलते रहे। लेकिन द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व बना रहा। अमरीका में द्वि-दलीय पद्धति शत-प्रतिशत रूप में विद्यमान है क्योंकि प्रतिनिधि सभा, सीनेट, राज्यों के गर्वनर पद इन में से किसी में भी इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी दल का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। समय-समय पर और भी दल पैदा हुए, लेकिन इनमें से कोई भी दल राष्ट्रीय निर्वाचनों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका, और शीघ्र ही उसका पतन हो गया। शैरश्नीडर का कथन है, ''जब हम कहते हैं कि अमरीका में दो राजनीतिक दलों की प्रणाली है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ केवल दो दल है वरन यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए एक दर्जन दल अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं पर वास्तव में केवल यहाँ दो बड़े दल हैं और छोटे-छोटे दल इतने छोटे है कि लोग उन्हें भूल जाते हैं।'' कृषक वर्ग का असंन्तोष व्यक्त करने के लिए 'ग्रीन बैंक' दल और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए 'लेबर रिफॉर्म' दल की

स्थापना हुई। इसी प्रकार डेमोक्रेटिक पार्टी के वाम पक्ष के रूप में पापुलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के वाम पक्ष के रूप में प्रोगेसिव पार्टी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार अमरीका में 'सोशलिस्ट दल' और साम्यवादी दल' भी है लेकिन इनमें से किसी भी दल का राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव नहीं है।

द्विदलीय प्रणाली के उदय के कारणों में सर्वप्रथम पूर्व परपरा और अनुभव है। अमरीका-वासियों ने अपना राजनीतिक जीवन ब्रिटिश परम्पराओं से आरम्भ किया था और ब्रिटेन द्विदलीय पद्धति का आदि स्थान रहा है। इस प्रकार पूर्व परम्परा और अनुभव ने अमरीका में द्वि-दलीय पद्धति को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अमरीका में राष्ट्रपति और राज्यों के गर्वनर की निर्वाचन पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति को विकसित करने में ही योग दिया है। राष्ट्रपति अथवा राज्यों में गर्वनर पद पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उत्सुक दल के लिए निर्वाचक मण्डल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसी स्थिति में दो से अधिक राजनीतिक दलों का प्रभावशाली होना कठिन हो जाता है। मैकमोहन के शब्दों में ''राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली तीसरे दल को हतोत्साहित कर देती है। जिसके फलस्वरूप द्विदलीय पद्धति सुदृढ़ हो गयी है।''

एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र- यह पद्धति द्वि-दलीय पद्धति के विकस का कारण है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हमेशा द्विदलीय पद्धति को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि इस पद्धति के अन्तर्गत छोटे-छोटे राजनीतिक दलों के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। अमरीका के सभी निर्वाचको के लिए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति को ही अपनाया गया है।

अमरीका में किसी भी तीसरे दल का प्रभाव न बढ़ने का कारण है कि छोटे राजनीतिक दल जिन प्रश्नों को अपनाते है, उन प्रश्नों को शीघ्र ही बड़े दल अपना लेते हैं इसलिए छोटे दल आधारहीन हो जाते हैं। फरग्युसन और मैकहेनरी ने इस स्थिति की विवेचना इस प्रकार से की है, ''आज से दो-तीन शतब्दियों पूर्व वामपंथी दल जिन सिद्धान्तों का सर्मथन करते हैं, उनका अधिकांश अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलों में शामिल कर लिया गया है। तीसरे दल की गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति शासन पदों का लाभ भले ही प्राप्त न कर सके किन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित नीतियाँ जन स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर देश की भूमि के कानून बन जाती है।

देश की राजनीति में दो ही राजनीतिक दलों का प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण दोनों दलों में स्वस्थ्य राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है और दोनों दल अधिकाधिक लोककल्याण का कार्य करने की ओर प्रेरित होते है।

3.नपे-तुले सिद्धान्तों का अभाव - ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और अनेक देशों में विभिन्न दल अपने अलग राजनीतिक विचार और स्पष्ट कार्यक्रम लेकर चलते हैं, अमरीका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में कोई स्पष्ट सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है। अनुदार दल साम्राज्य, राजतन्त्र, इंग्लैण्ड के चर्च, निजी व्यवसाय आदि में आस्था रखता है, जबकि श्रमिक दल नियोजित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्तों को लेकर चलती है तो स्वतन्त्र दल मुक्त आर्थिक व्यवस्था के सिद्धान्त में आस्था रखता है और साम्यवादी दल सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में। अमरीका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल- डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में इस प्रकार के कोई निश्चित तथा स्पष्ट विचारधारा सम्बन्धी भेद नहीं है। डेमोक्रेटिक दल के ऐसे कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं है जिनमें कि वे सभी लोग विश्वास करते हो जो स्वयं को डेमोक्रेटिक मानते हो। सम्पूर्ण डेमोक्रेटिक पार्टी यातायात कर की निम्न दरों तथा राज्यों की अधिक स्वायत्तता में आस्था रखती है क्योंकि पेन्सिलवेनिया के डेमोक्रेटिक यातायात की ऊँची दरों में विश्वास रखते हैं और दक्षिण राज्यों के डेमोक्रेटस मादक द्रव्यों निषेध के लिए संघ सरकार की शक्ति के प्रयोग का सर्मथन करते है। जबकि रिपब्लिकन संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि, यातायात कर को उच्च दरों तथा बड़े-बड़े पूँजीपतियों को छूट देने की नीति में विश्वास करते हैं। वहीं पूर्वी तथा पश्चिमी राज्यों के रिपब्लिकन्स ऐसे कोई विचार नहीं रखते।

दोनों दलों में कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है यह उनके 1940 के चुनाव घोषणा पत्रों से स्पष्ट हो जाता है। डेमोक्रेटिक दल के घोषणा पत्र में कहा गया था, 'इस विश्व संकटकाल में डेमोक्रेटिक दल का उद्देश्य बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है तथा आन्तरिक प्रगति के द्वारा उस शासन प्रणाली तथा जीवन पद्धति को उचित सिद्ध करना है, जिससे की डेमोक्रेटिक दल अपना नाम ग्रहण करता है।' रिपब्लिकन घोषणा पत्र में कहा गया था, 'हमारा विश्व की जिस भावना से हमारी प्रतिरक्षा नीति उत्प्रेरित होनी चाहिए वह न केवल अपने मौलिक हितों की रक्षा बल्कि उन स्वतन्त्रताओं की रक्षा का संकल्प है जो कि अमरीका की अमूल्य थाती होती है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों दलों में भेद भाषागत था, ध्येय या लक्ष्य का नहीं। बर्क का यह कथन कि, राजनीतिक दल एक ऐसे मनुष्यों का निकाय है जो किसी विशिष्ट सिद्धान्त पर, जिस पर उनमें सहमति हो, राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन देने के लिए संगठित होता है' अमरीकी दलों पर पूर्णतया लागू नहीं होता। कांग्रेस में दोनों

दलों के मतों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो दोनों दलों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींच सके। यदि किसी प्रश्न पर विवाद हो तो रिपब्लिकन दल के कुछ सदस्य डेमोक्रेटिक दल की ओर और डेमोक्रेटिक दल के कुछ सदस्य रिपब्लिकन दल की ओर अवश्य रहते है।' एमरसन का यह कथन सत्य है, 'साधारणतया हमारे दल परिस्थितियों के दल है सिद्धान्तों के नहीं।

4. दलों का शिथिल संगठन- अमरीकी राजनीतिक दल सदस्यता तथा दलीय अनुशासन की दृष्टि से शिथिल संगठन है। इस दल में सदस्यों की भर्ती की न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दल के सदस्य अनुशासन में बंधकर कार्य करते है। अनेक बार एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गये प्रतिनिधि अपने दलीय नेता के आदेश पर मतदान करने के बजाय विभिन्न हितों या अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए मतदान करते हैं। इस प्रकार अमरीकी राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के ढीले-ढाले संगठन हैं। जिनमें विचारधारा सम्बन्धी एकसमता तथा कठोर दलीय अनुशासन का सर्वथा अभाव रहता है। लास्की के शब्दों में ''केवल निर्वाचन के समय वे राष्ट्रीय दल हैं अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं।

5. दबाव गुटों का प्रभाव - अमरीका में प्रमुख राजनीतिक दल दो ही है, लेकिन छोटे-छोटे दबाव गुटों का काफी प्रभाव पाया जाता है। ये गुट दो प्रमुख दलो पर दबाव डाल कर अपने हितों को सिद्ध करते रहते है।

6.लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली- अमरीका में दलीय पद्धति से सम्बन्धित ही एक परम्परा लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली है जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पदच्युत कर इन पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दे। छोटे पैमाने पर तो लाभ प्रदान करने की प्रणाली प्रारम्भ से ही प्रचलित थी, लेकिन 1828 में एण्ड्रयू जेक्सन ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया और यह अमरीकी राष्ट्रीय सरकार का एक आधार बन गयी। राष्ट्रपति जैक्सन ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया और उनके स्थान पर अपने सर्मथक व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया। दलीय आधार पर लाभ प्रदान करने की यह प्रणाली बढ़ती ही गयी और राष्ट्रपति ग्राण्ट के समय तक उसने सभी सीमाएँ पार कर ली। कुछ

व्यक्तियों द्वारा इस प्रणाली का समर्थन करते हुए यह कहा जाता है, कि इसने प्रजातन्त्र को सरलता प्रदान की है और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया है, किन्तु वास्तव में ऐसा कहना सही नहीं है। व्यवहार में लूट की प्रणाली ने नागरिक सेवाओं को भ्रष्ट करने का कार्य किया और इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता को तीव्र आघात पहुँचता है।

लूट की प्रणाली पर प्रतिक्रिया उत्पन्न होना स्वाभाविक थी और अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। 1883 में 'पेण्डलटन अधिनियम' के आधार पर 'लूट प्रणाली' को सीमित कर दिया गया लेकिन अब भी यह संयुक्त राज्य अमरीका में विद्यमान है। वर्तमान समय में न्यायिक सेवाओं, पोस्ट आफिस, विशेष एजेन्सियों और स्वतन्त्र आयोगों में राष्ट्रपति के अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

12.2.2 दलों का संगठन

संयुक्त राज्य अमरीका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन एक जैसा है। दलों के संगठन को आघात पहुँचेगा किन्तु यह एक तथ्य है कि दल प्रणाली के बिना प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता और जैसा की मुनरों ने कहा है कि ''सांविधान-निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत किया था वह आज अमरीकी प्रजातन्त्र की आधारभूत शिला बन गयी है।'' संयुक्त राज्य की शासन पद्धति पर दलों के अत्यधिक प्रभाव का उल्लेख करते हुए ब्राइस ने लिखा है कि ''दल संविधान द्वारा स्थापित वैधानिक सरकार के साथ-साथ एक दूसरी ही सरकार बन गयी है, जिसका कानून में उल्लेख नहीं है।'' इसे वह डाइनेमी इन्जन कहा जा सकता है जिससे वैधानिक सरकार अपनी शक्ति प्राप्त करती है। वैधानिक और दल की सरकारें अपने ढाँचों में बहुत भिन्न है, परन्तु वैधानिक सरकार को अपनी चालक शक्ति इस दलीय सरकार से ही प्राप्त होती है। जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

अमरीकी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है-

1. कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य - अमरीकी संविधान शक्तिविभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है तथा इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और

न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक तथा स्वतन्त्र रखा गया है। लेकिन यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतन्त्र रहे, तो शासन व्यवस्था का संचालन सम्भव ही नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच अनौपचारिक रूप से सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा राष्ट्रपति विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति भी दलीय आधार पर करता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित होते है। इस प्रकार दलीय सम्बन्ध कांग्रेस और कार्यपालिका को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते है। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है, कांग्रेस में अपने दल के सदस्यों के सामने, दलीय बैठक में विधायी प्रस्ताव रखता है और साधारणतया अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर लेता है।

2. राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति - संयुक्त राज्य अमरीका एक विशाल देश है, जिसमें विभिन्न जातियों, भाषाओं के लोग निवास करते है। विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में आज जो प्रबल राष्ट्रीय एकता मिलती है, उसे विकसित करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑग और रे का कहना है कि ''विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों एवं व्यवसायों के लोगों में एकता स्थापित करने में राजनीतिक दल सीमेण्ट सा कार्य करते है।''

.3 विभिन्न पदाधिकारियों और संस्थाओं के चुनाव को सम्भव बनाना - अमरीकी संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और सीनेट सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गयी है, व्यवहार के अन्तर्गत वह राजनीतिक दलों के आधार पर ही कार्य कर रही है। राजनीतिक दलों के अभाव में राष्ट्रपति को निर्वाचक मण्डल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना बहुत अधिक कठिन होता है और बार-बार प्रतिनिधि सभा द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किये जाने पर राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में न्यूयार्क और ओहियो जैसे कुछ राज्यों में सीनेट के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े है और राजनीतिक दलों के बिना उसमें चुनाव को कल्पना नहीं की जा सकती।

4. जनता की राजनीतिक शिक्षा - प्रजातन्त्रीय व्यवस्था की सफलता जनता की राजनीतिक शिक्षा पर निर्भर करती है और अन्य देशों के समान ही अमरीका में भी राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के सर्वप्रमुख साधन के रूप में कार्य करते हैं।

(5) राजनीतिक दल भावी राजनीतिज्ञों के चयन का कार्य करते हैं- अमरीका में राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य राष्ट्रीय राजनीति के लिए भावी राजनीतिज्ञों का चयन है। प्रो0 लास्की ने अमरीकी राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की है। उनके द्वारा की गयी आलोचना के दो प्रमुख आधार है। (1) अमरीकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है। विचारधारा सम्बन्धी भेद के अभाव में से दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह गये है। (2) अमरीकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते है और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। आलोचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि इन राजनीतिक दलों ने ही अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था की लूट की प्रणाली को जन्म दिया है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनावों में बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार की भ्रष्टताओं को बढ़ाता मिलता है।

अमरीकी राजनीतिक दलों के प्रति की गयी इन आलोचनाओं में पर्याप्त सच्चाई है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि अमरीकी प्रजातन्त्र राजनीतिक दलों पर ही आधारित है। राजनीतिक दलों के कारण ही संयुक्त राज्य अमरीका अधिनायकवाद और राजनीतिक अस्थिरता तथा अराजकता की स्थितियों से अपने आप की रक्षा कर सका है। राजनीतिक दलों ने अमरीकी लोकतन्त्र की सजीवता और गतिशीलता प्रदान कर उसके सफल संचालन में योगदान दिया है।

12.2.3 मुख्य राजनीतिक दल: एक मूल्यांकन

अमरीकी संविधान के निर्माताओं ने दलबन्दी के दोषों को ध्यान में रखते हुए राज्यस्थिति दलों की स्थापना का प्रारम्भ से विरोध किया किन्तु आज तो राजनीतिक दल सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के आधार-भूत स्तम्भ बन गये हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के प्रतिनिधि दो गुटों में विभक्त थे- फेडरलिस्ट तथा एन्टीफेडरलिस्ट। हैमिल्टन के नेतृत्व में फेडरलिस्टों ने सशक्त केन्द्र का समर्थन किया और मध्यवर्त्ती राज्यों के व्यापारिक, आर्थिक तथा औद्योगिक हितों की रक्षा करने का प्रयास किया, जबकि जैफरसन के नेतृत्व में एन्टी फेडरलिस्टों ने इकाई राज्यों की स्वतन्त्रता तथा नागरिकों की स्वतन्त्रताओं का भरपूर समर्थन किया। वाशिंगटन के शासन काल के दलगत मतभेद स्पष्ट रूप से नहीं उभर सके क्योंकि उसने अपने मन्त्रिमण्डल में हैमिल्टन और जैफरसन दोनों को ही सम्मिलित किया था। 1800 तक फेडारलिस्ट ही शासन संगठन पर छाये रहे परन्तु 1800 में जैफरसन की विजय से फेडरलिस्टों को गहरा आघात लगा और सत्ता डेमोक्रेटिक रिपाब्लकन दल के हाथ में आ गयी।

फेडरलिस्ट दल के प्रभाव में निरन्तर ह्रास होता गया और अन्त में 1815 के पश्चात उनका आस्तित्व ही समाप्त हो गया।

डेमोक्रेटस और व्हिग्स: - यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दल न तो सदा के लिए सतारूढ़ ही रह सकता है और न उसकी एकता ही सदैव कायम रह सकती है। फलतः डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल भी दो गुटों में विभक्त हो गया- नेशनल रिपब्लिकन, जिसे व्हिग कहते हैं और जिसका नेता एडम्स था। दूसरा डेमोक्रेटिक दल जिसमें 1828 में जैक्सन की छत्रछाया में सत्ता पर अपना अधिकार जमाया। व्हिग पार्टी अनुदारवादी थी और इसने अधिकांशत फेडरलिस्टों के सिद्धान्तों को ही अंगीकार किया। 1840 तक डेमोक्रेटिक दल सत्तारूढ़ रहा परन्तु 1841 के उपरान्त दासता का प्रश्न अमरीकी राजनीति में मुख्य रहा जिसने दोनों दलों की जड़ को हिला दिया। व्हिग दल पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसके स्थान पर 1856 में रिपब्लिकन दल का जन्म हुआ।

रिपब्लिक दल- वर्तमान रिपब्लिक जिसका उदभव 1856 में हुआ, शुरू के फेडरलिस्ट और व्हिग दलों का उत्तराधिकार है। 1860 में अब्राहम लिंकन और तत्पश्चात थियोडोर रूजवेल्ट टाफ्ट, कूलिज तथा आइजनहावर जैसे प्रतिष्ठित और दूरदर्शी नेताओं ने रिपब्लिक दल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया। सामान्य रूप से रिपब्लिकन दल को केन्द्रीयकरण, उच्च प्रशुल्क तथा रूढ़िवाद का समर्थक और व्यापारी वर्ग के हितों का रक्षक माना जाता है। 1936 में इस दल के कार्यक्रम में निम्न बातों को अपनाया गया। राष्ट्र संघ और विश्व न्यायलय की सदस्यता ग्रहण न करना किन्तु मानवता की रक्षार्थ राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेना रखना, व्यापारिक क्षेत्र में आन्तरिक उद्योगों की रक्षा इत्यादि, कुछ समय से रिपब्लिकन दल की आस्था इन सिद्धान्तों में रही है- संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय समर्थन, सोवियत सेना, संयुक्त राज्य के सभी राज्यों के बीच सुदृढ़ संगठन स्थापित करना, सैनिक तैयारी, श्रमिकों के लिए बीमा तथा सामाजिक बीमें की योजनाएं उत्पादकों व श्रमिकों के हित में, आयात निर्यात व कर नीति का निर्धारण, सहकारी उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण का प्रतिरोध। 1968 व 1972 के चुनावों में विजयश्री प्राप्त करने के उपरान्त रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की थी कि उनका सर्वप्रमुख कार्य वर्गगत तथा जातिगत भेदों को दूर कर सभी अमरीकावासियों के बीच समैक्य की स्थापना करना और यूरोपीय देशों के साथ निकटतर सर्म्पक स्थापित करना है।

डेमोक्रेटिक दल: - एण्टी-फैडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल का उत्तराधिकारी डेमोक्रेटिक दल प्रारम्भ से ही सशक्त केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कृषक और श्रमिक वर्गों के हितों की संरक्षा का समर्थन करता रहा है। राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन जैसे प्रख्यात व्यक्तियों के नेतृत्व में इस दल ने अमरीकी राजनीति को नये आयाम दिये है। रूजवेल्ट ने नवीन नीति को अपनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि दल जनसाधारण की स्थिति सुधारने के लिए बड़े-बड़े उद्योगों और व्यापार का राज्य द्वारा विनियमन करना चाहता है। वर्तमान काल में इस दल के कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित रही है- संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन साम्यवाद का विरोध सोवियत संघ को संतुष्ट करने की नीति का विरोध, उत्तरी एटलांटिक सन्धि का समर्थन, अविकसित प्रजातान्त्रिक देशों को वित्तीय व सैनिक सहायता प्रदान करना, राज्यों में जाति भेद का अन्त करना आदि।

उपर्युक्त दोनों दलों के कार्यक्रम पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नीतियों तथा घोषणाओं में कोई आधारभूत वैचारिक मतभेद नहीं है। बीयर्ड के शब्दों में, दोनों ‘‘दल भावनाओं, विचारों तथा अकांक्षाओं में बिल्कुल एक है। अत वहाँ के मतदाताओं की दशा उन निर्जीव प्राणियों जैसी होती है, जो खाली शब्दों के लिए मतदान करते है। परराष्ट्र-नीति के क्षेत्र में दोनों ही दल संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थक साम्यवाद के विरोधी और वित्तीय सहयता व सैनिक समझौतों द्वार अमरीकी प्रभाव को विस्तृत करने के अकांक्षी है। आन्तरिक क्षेत्र में भी दोनों की नीति प्रायः समान है। सिद्धान्ततः वे पूजीवादी एवं स्वतन्त्र उद्योग के सामर्थक है। पर किन्ही क्षेत्रों में सरकार का नियन्त्रण भी चाहते हैं। प्रतिरक्षा हेतु सुदृढ़ सेना रखने, जनजीवन के स्तर को उन्नत करने के लिए विकासवादी कार्यक्रमों और सुधार योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा शिक्षा, चिकित्सा, आवास तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कृतसंकल्प है। आधारभूत समानता होते हुए भी दोनों दलों में कुछ अन्तर की बातें ढूँती जा सकती। यह कहना काफी सत्य है कि रिपब्लिकन दल रूढिवाद और पूँजीपतियों के हितों का समर्थक है, जबकि डेमोक्रेटिक दल प्रगतिशीलता का हामी है और कृषक तथा अल्प विकसित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखता है। अतः यह कहना असंगत है कि दोनों दल नामों के अतिरिक्त अन्य बातों में बिल्कुल समान है। यह ठीक है कि उनके बीच कोई स्वष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, फिर भी उनका अपना विशिष्ट अस्तित्व है, दो पृथक राजनीतिक दलों के रूप में वे अमरीकी राजनीतिक पर छाये हुए है।

संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रव्यापी दलों का संगठन एक पिरामिड के आकार का है जिसके शीर्ष पर राष्ट्रीय समिति है, मध्य में राज्य, नगर, काउन्टियों तथा वार्ड समितियों के संगठन है और सम्बंध

नीचे स्थानीय संगठन है। दलीय संगठन का मात्र उद्देश्य मतदाताओं को राजनीतिक समस्याओं के प्रति दल के दृष्टिकोण से अवगत कराना तथा निर्वाचनों के अपने पक्ष की जीत कराना है। यह उल्लेखनीय है कि अमरीका के राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल है किन्तु उनकी गतिविधि का केन्द्र राज्यों नगरों तथा काउन्तियों में रहता है। राष्ट्रीय संगठनों की स्थानीय समितियाँ सदैव सक्रिय रहते हैं परन्तु राष्ट्रीय संगठन केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय ही क्रियाशील रहते है। अमरीकी राजनीतिक दलों का उद्देश्य सार्वजनिक नीति के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना कभी नहीं रहा। आरम्भ से ही उनका ध्येय राष्ट्रपति पद पर अधिकार करना रहा है।

अमरीका के राजनीतिक दलों में केन्द्रीकरण तथा उत्तरदायित्व के अभाव, स्थानीय तत्वों के प्रधान संगठनबद्धता और अनुशासन की कमी व सैद्धान्तिक मतभेदों की शून्यता जैसे चाहे कितना दोष हों, यह सत्य है कि अमरीकी लोकतन्त्र को सफलतापूर्वक चलाने में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कांग्रेस और कार्यपालिका को जोड़ने वाली कड़ी के रूप से कार्य करके राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रथक्करण की कठोरता को कम किया है, प्रजातन्त्र को गतिशीलता और सजीवता प्रदान की है तथा विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करके संयुकत राज्य के विविध वर्गों को एक सूत्र में आबद्ध किया है। यदि वैधानिक सरकार की तुलना हम एक ऐसी बड़ी मशीन से करे जो एक कारखाने में विद्युत शक्ति से चलायी जाती है तो दल-पद्धति की तुलना उस डायनेमी इंजिन से करना ठीक होगा जो उस मशीन को चलाने वाली बिजली पैदा करता है। वैधानिक और दल वाली सरकारे अपने ढाँचों में बहुत भिन्न हैं परन्तु वैधानिक सरकार की अपनी चालक शक्ति इस गैर-कानूनी दल को सरकार से ही प्राप्त होती है।

अभ्यास प्रश्न:

1. अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। सत्य/असत्य
2. अमरीका में दलीय संगठन बहुत लचीला है। सत्य/असत्य
3. प्रत्येक राष्ट्रपति नियुक्ति के पश्चात अपने दल के सदस्यों को राजकीय पदों पर नियुक्त करता है। इसे हम--- कहते हैं।
4. वर्तमान में अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा -------दल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
5. दासप्रथा पर मतभेद ही डेमोक्रेटस एवं निपब्लिकन के बनने-का आधार बना। सत्य असत्य

12.3 सारांश

अमरीका में दल व्यवस्था, द्विदलीय है। दल व्यवस्था का स्वरूप वाशिंगटन के काल से ही देखने को मिलता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य अधिक शक्तिशाली होने चाहिए या केन्द्र, दो दलों के उत्पन्न होने का आधार बना। इस राजनैतिक प्रश्न को लेकर डेमोक्रेटस, रिपब्लिकन्स, तथा फेडरलिस्ट दलों का निर्माण हुआ। बाद में दासप्रथा के सवाल पर रिपब्लिकन्स एवं डेमोक्रेटस उत्पन्न हुए जो वर्तमान में भी विद्यमान है। अमेरिका में राजनैतिक दलों की विशेषता यह है कि यहाँ के दलों में विचार सम्बन्धी आधारभूत भिन्नता नहीं है। यहाँ के दलों की एक विशेषता यह भी है कि दलों में भेद निर्माण नीति की भिन्नता न होकर वर्ग हित है। अमेरिका की दलीय प्रणाली का आधार दिशा एवं दशा मुख्यतः दल द्वारा चुने गए नेता के व्यक्तित्व एवं उसकी सोच पर निर्भर करता है। दलीय व्यवस्था का एक अवगुण **लूट पद्धति (स्पायल सिस्टम)** के रूप में जाना जाता है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति अपने दल से करता है। उसके हटने के पश्चात ये सारे पदाधिकारी अपने पदों से हट जाते हैं।

डेमोक्रेटस एवं रिपब्लिकन की विचारधाराओं में विशेष अंतर नहीं है, फिर भी यह देखा गया है कि रिपब्लिकन्स की अपेक्षा डेमोक्रेटस का झुकाव राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उदारवादी रहा है।

12.4 शब्दावली

1. **फेडरलिस्ट**- यह एक दल था जो कमजोर केन्द्र की वकालत कर रहा था, बाद में यह दल लुप्त हो गया।

2. **दासप्रथा**- 1850-65 के दशक में काले अमेरिकीयों को कोई अधिकार नहीं था। इसका उन्मूलन लिंकन ने 1865 में किया।

12.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. लूट पद्धति (स्पायल सिस्टम)3. डेमोक्रेटस 4. सत्य

12.6 सर्न्भ में ग्रन्थ सूची

1. बर्किन, कोरल; 'अ ब्रीलियन्ट सलूशन इन्वेन्टींग द अमेरिकन कन्सटीट्यूशन', (2002) ब्लू क्लाउड बुक्स, यू0 एस0 ए0

2. नारायण, इकबाल; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1969), आर0 के प्रिंटर्स, दिल्ली

3. जैन, पुखराज; 'विश्व के प्रमुख संविधान' (1993), साहित्य भवन, आगरा

4. पार्थसारथी, जी०; 'आधुनिक संविधान' (1991) मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

12.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. क्लोंज, डेविड; 'दी पीपूल्स गाइड टू द यूनाइटेड स्टेटस कन्सटीट्यूशन' (2007) एक्शन पब्लीशर्स, यू एस ए

2. अखिल, रीड अमर; 'अमेरिकास कन्सटीट्यूशन अ बायोग्राफी' (एम0 ए0 यू0 एस0 ए0)

12.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

2. अमरीकी संविधान में राजनीतिक दलों के संचालन व उनके कार्यों का लेखा जोखा तैयार कीजिए।

3. अमेरिका की द्विदलीय व्यवस्था पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।

ईकाई-13 स्विटजरलैण्ड के संविधान की मूलभूत विशेषताएँ

ईकाई की संरचना

13.0 प्रस्तावना

13.1 उद्देश्य

13.2 स्विस संविधान की मूलभूत विशेषताएँ

13.3 सारांश

13.4 शब्दावली

13.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

13.6 संदर्भ ग्रन्थ

13.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

13.8 निबंधात्मक प्रश्न

13.0 प्रस्तावना

स्विट्जरलैण्ड का प्रारम्भिक इतिहास जातियों के आवागमन का इतिहास रहा है। अगस्त 1291 को तीन स्वतंत्र तथा सम्प्रभु राज्यों ने स्थायी संघ की स्थापना की। आप समझ गये होगें कि यहीं से स्विट्जरलैण्ड का जन्म हुआ। स्विट्जरलैण्ड की स्थापना के कई सौ वर्ष इसके विस्तार तथा दृढ़ता के वर्ष थे। इस समय क्रमषः अनेक केन्टनों ने इसमें प्रवेष लिया। 1648 ई0 में वेस्टफालिया की संधि ने इसे एक स्वतंत्र एवं सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य के रुप में मान्यता प्रदान की। फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्विस राज्य मण्डल को ओर अधिक दुर्बल कर दिया। नेपोलियन के पतन के पश्चात् वियना क्रांग्रेस (1815ई0) ने तीन नये केण्टनों को मिलाकर स्विट्जरलैण्ड को पुराना राज्य मण्डल दे दिया। इसी के फलस्वरुप 1848ई0 को उदारवादी आंदोलन से प्रभावित होकर स्विस डाइट ने एक नये संविधान को स्वीकार किया। आप जानते है 1848ई0 का संविधान उपयुक्त होते हुये भी अधिक दिनों तक कार्यषील नहीं रहा क्योंकि रेडिकल लोग इस संविधान के विरुद्ध थे। वे केन्द्र को षक्तिषाली बनाना चाहते थे और इसमें उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हुआ इसके परिणामस्वरुप 1874ई0 में संघीय संसद ने नया संविधान लागू किया। इस संविधान निर्माण से लेकर अब तक इसमें अनेक संषोधन हुये लेकिन संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। स्विट्जरलैण्ड यूरोपीय महाद्वीप के मध्य स्थित सबसे छोटा देश है जिसकी सीमा तीन बड़े पड़ौसी देशों इटली, जर्मनी और फ्रांस से मिलती है। वर्तमान में स्विट्जरलैण्ड 26 केन्टनों में विभक्त है व इसकी जनसंख्या लगभग 7.8 मिलियन है।

इसका क्षेत्रफल मात्र 15,940 वर्ग मील है। अब आप समझ गये होंगे कि यह शरत की तुलना में अत्यन्त छोटा देष है। यहाँ चार आधिकारिक शषाएँ हैं-जर्मन, फ्रेंच, इटेलियन और रोमनाश । इस देश का नारा है ”एक सबके लिए और सब एक के लिए”। यह देष अपनी सुन्दरता, पर्यटन, घड़ियों, बैंकों तथा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसे ही सबसे अधिक लोकतंत्रीय देश समझा जाता है। यहाँ कभी भी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था नहीं रही। स्विट्जरलैण्ड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोगों की राजनीतिक प्रयोगषाला होने का गौरव प्राप्त है।

13.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप यह समझ सकेंगे कि --

1. स्विट्जरलैण्ड एक संघ है .

2.मूल अधिकार के सम्बन्ध में .

3.प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सम्बन्ध में.

4.संविधान का स्वरूप गणतंत्रात्मक यह भी जान सकेंगे.

13.2 स्विस संविधान की मूलभूत विशेषताएँ

स्विट्जरलैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था उसके संविधान द्वारा संचालित होती है अतः वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ के संविधान का अध्ययन आवष्यक है। स्विस संविधान का अध्ययन इसलिए आवश्कय है कि हमारे देश की तरह यह एक विविधतापूर्ण देष है परन्तु यहाँ का प्रशासन व राजनीतिक व्यवस्था अत्यन्त सुसंचालित है। अतः इसका अध्ययन कर हम अपनी व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ सीख सकते हैं।

स्विस संविधान की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं ----

1. प्राचीन पर समयानुकूल संविधान:

वर्तमान स्विस संविधान 18 अप्रैल 1999 को जनता द्वारा स्वीकारा गया था तथा ये स्विट्जरलैण्ड का तीसरा संविधान है। इसने 1874 के संविधान की जगह ली है, परन्तु इसकी भावना वही है जो पुराने संविधान की थी बस इसने चीजों को अधिक समयानुकूल बना दिया है।

स्विस संविधान का इतिहास 1884 तक जाता है जब 12 सितम्बर को एक संविधान लागू हुआ जो फ्रांसिसी क्रांति के विचारों से प्रेरित था। यह एक 27 दिन चले गृह युद्ध का परिणाम था। इस संविधान को 1866 में थोड़ा संशोधित किया गया परन्तु 1874 में पूर्ण रूप से संशोधित किया गया तथा 'जनमत संग्रह' की शुरूआत की गई। 1891 से आरंभन को भी अपना लिया गया। संघीय

संविधान को पूर्ण रूप से दूसरी बार 1999 में संशोधित किया गया तथा जनता व केन्टनों द्वारा 18 अप्रैल को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधित द्वारा मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। यह नवीन संविधान 1 जनवरी 2000 को लागू हो गया। आप समझ गये होंगे कि हालांकि स्विस संविधान की शुरूआत डेढ़ सौ साल से पहले हुई थी परन्तु संशोधनों द्वारा इसे समयानुकूल बनाया गया।

2. लिखित व निर्मित संविधान:

शरत की तरह स्विट्जरलैण्ड का संविधान लिखित व निर्मित हैं। इसके संविधान में 197 अनुच्छेद हैं। यह अमेरिका के संविधान से काफी बड़ा परन्तु शरत के संविधान से काफी छोटा है। स्विट्जरलैण्ड के लोगों व केन्टनों ने स्वयं को यह संविधान प्रदान किया है।आप समझ गये होंगे कि कारण कुछ रहा हो, पर यह निष्चित है कि स्विट्जरलैण्ड का संविधान एक विस्तृत संविधान है।

3. संघवाद:

सृंविधान के अनुसार स्विट्जरलैण्ड एक संघ है। जो 26 केन्टनों से मिलकर बना है। ये केन्टन उन विषयों में संप्रभु हैं जिन्हें संघीय संविधान केन्द्र को नहीं देता है। संविधान का प्रथम व तीसरा अनुच्छेद इन बातों को स्पष्ट करता है। अतः भारत की तरह स्विट्जरलैण्ड एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है।

4. राष्ट्रीय भाषायें:

स्विट्जरलैण्ड एक बहुभाषा-भाषी देष है। इसमें विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। संविधान ने चार भाषाओं को राष्ट्र-भाषा घोषित किया है, ये भाषाएँ हैं-जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमनाश। इसके विपरीत शरत में सिर्फ एक भाषा हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा की श्रैणी में रखा गया है, लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।

5. कानून का शासन:

अनुच्छेद पाँच के अनुसार राज्य की क्रियाओं का आधार कानून होगा तथा राज्य की सभी क्रियायें जनहित में होंगी । स्विट्जरलैण्ड व सभी केन्टन अंतराष्ट्रीय कानून का भी पालन करेंगे।

6. मूल अधिकार:

संविधान का प्रथम व द्वितीय शग अर्थात अनुच्छेद सात से 39 तक नागरिकों को कुछ नागरिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं यथा मानवीय गरिमा, समानता, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बालकों व युवाओं की सुरक्षा, मुसीबत में मदद, विवाह व परिवार, आस्था व अतःकरण, राय व जानकारी, मीडिया, भाषा, विज्ञान, प्राथमिक शिक्षा, कला, सम्मेलन, संगठन बनाने, संपत्ति, आर्थिक, संघ, राजनीतिक, नागरिक व विदेश में रहने की स्वतंत्रता।

7. केन्टनों की स्थिति:

संविधान का अनुच्छेद 44 संघ व केन्टनों के बीच सहयोग पर बल देता है व दोनों के बीच विवादों को मध्यस्तता व बातचीत द्वारा सुलझाने की बात करता है। अनुच्छेद 45 केन्टनों को संघ के निर्णय निर्माण में जिम्मेदारी देता है तथा अनुच्छेद 46 संघीय कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी केन्टनों को देता है। अनुच्छेद 47 केन्टनों की स्वायत्ता उनके अपने दायरे में सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48 केन्टनों को आपस में संधियाँ करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 49 स्पष्ट करता है कि केन्टनों के कानूनों पर संघ के कानून को प्राथमिकता मिलेगी। सभी केन्टनों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। परन्तु वे संघीय संविधान के अनुकूल होने चाहिए। अपने दायरे में केन्टन विदेशों से संधि कर सकते हैं परन्तु वैदेशिक संबंध संघीय विषय है।

8. सेना:संविधान के अनुच्छेद 57 से 61 देश की सेना व सुरक्षा के बारे में है। सभी स्विस पुरुषों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य है परन्तु महिलाओं के लिए ऐच्छिक है। जो सैनिक सेवा ना करता चाहे वे वैकल्पिक सेवा कर सकते हैं या कर चुका सकते हैं। सुरक्षा हेतु संघ व केन्टन सहयोग करते हैं।

9. शिक्षा व अनुसंधान:

प्राथमिक शिक्षा केन्टनों का विषय है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व मुफ्त है। उच्च शिक्षा संघ व केन्टन दोनों का विषय है। अनुसंधान, तकनीकी व खेल-कूद की शिक्षा संघ के विषय हैं।

10. पर्यावरण सुरक्षा:

संघ वन, जानवरों, प्रकृति व पानी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है जिससे टिकाऊ विकास संभव हो सके।

11. सामाजिक सुरक्षा:

गृह निर्माण, मजदूर सुरक्षा, वृद्ध, विकलांग, बेरोजगार, जरूरतमंदों की सहायता सरकार की जिम्मेदारी है। मातृत्व बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, आदि संघ की जिम्मेदारी है।

12. प्रत्यक्ष लोकतंत्र:

स्विट्जरलैण्ड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण है तथा यह वहाँ की राजनीति का मूल सिद्धान्त है। शासन के प्रत्येक कार्य में जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से अवष्य शग लेती है। जनता का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर हुआ है। केन्टनों से अधिक महत्व कम्यूनों का है और संघ से अधिक महत्व केन्टनों का है। संविधान जनता द्वारा संशोधन किया जाता है। स्विट्जरलैण्ड के संविधान के अनुच्छेद 138 व 139 में “आरंभन“ तथा 140 से 142 तक ‘जनमत संग्रह’ जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का वर्णन है। संविधान के अनुसार यदि 100,000 नागरिक चाहें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं जिसे आरंभन कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा उपकरण जो स्विट्जरलैण्ड में प्रचलित है वह जनमत संग्रह है। इसके अंतर्गत संविधान के हर संशोधन व अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अनिवार्यतः जनमत संग्रह के लिए भेजना होता है। परन्तु यदि 50,000 नागरिक या आठ केंटन माँग करें तो संघीय कानूनों को जनमत संग्रह के लिए भेजना होता है। जनमत संग्रह में भाग लेने वालो में से आधे का समर्थन मिलना आवश्यक है। आरंभन, लोकनिर्णय आदि द्वारा सर्व-साधारण की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। स्विस नागरिकों को संघीय सभा के तृतीय सदन की संज्ञा दी जाती है।

इस सम्बन्ध में ब्राइस का कथन है कि वर्तमान लोकतंत्रीय राष्ट्रो में स्विट्जरलैण्ड का उदाहरण उल्लेखनीय है। इसने लोकतंत्रीय सिद्धान्तों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ निष्चय से अनुप्रयुक्त किया है।

स्विस लोकतंत्र अनेक दृष्टियों से अनुपम है। यहाँ वयस्क मताधिकार का प्रयोग मतदाताओं की मर्जी पर ही नहीं छोड़ दिया जाता है बल्कि कुछ केन्टनों में उसे अनिवार्य बना दिया गया है और यदि कोई मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करता तो उसे जुर्माना देना होता है। स्विट्जरलैण्ड में 1971 से महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

13. द्विसदनात्मक संसद:

स्विस संसद भारतीय संसद की तरह द्विसदनात्मक है। ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं। जिसमें 46 सीनेटर होते है जो केन्टनों के द्वारा भेजे जाते है। निचले सदन को प्रतिनिधि सदन कहते हैं। इसमें 200 सदस्य होते हैं, जो लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। साधारणतः दोनों सदन अलग-अलग बैठक करते हैं तथा कानून निर्माण के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है परन्तु कुछ परिस्थितियों में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। दोनों सदनों के सदस्य 4 साल के लिए निर्वाचित होते हैं।

14. बहुल कार्यपालिका व सामूहिक सत्ता:

स्विस संविधान की संघीय परिषद् उसकी एक अनूठी विषेषता है। यह एक बहुल कार्यपालिका है स्विट्जरलैण्ड में कार्यपालिका षक्ति न तो अमेरिका की शँति राष्ट्रपति में निहित है और न ही ब्रिटेन की शँति प्रधानमंत्री में निहित है। संघीय कार्यपालिका में सात मंत्री होते है जिनका चुनाव संघीय संसद करती है। ये सभी प्रतिनिधि सभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हैं। इनके निर्वाचन में सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इनका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इनमें से ही संसद द्वारा एक वर्ष के लिए चुना जाता है। एक ही व्यक्ति लगातार दो वर्ष अध्यक्ष नहीं हो सकता। संघीय कार्यपालिका सभी निर्णय मिलकर करती है। इसके सदस्य अलग-अलग दलों के होते है। 1959 से चार राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं। संघीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य हर दृष्टि से समान होता है। किसी को कोई विषेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है।

15. गणतंत्रीय परंपरा:

स्विस संविधान का स्वरूप गणतंत्रात्मक है अर्थात् इस देश का प्रधान निर्वाचित होता है जन्मजात या वंशानुगत नहीं। स्विट्रलैण्ड में ऐसा कोई पद नहीं जिस पर साधारण नागरिक नियुक्त ना हो सके। यहाँ गणतंत्रीय परंपरा 600 साल से चली आ रही है।

16. प्रस्तावना में भगवान:

स्विट्रलैण्ड का नवीन संविधान अपने प्रस्तावना में ईश्वर की प्रार्थना लिए हुए है तथा लोकतंत्र व स्वतंत्रता के मूल्यों की बात करता है।

17. विपक्ष का अभाव:

स्विस राजनीतिक व्यवस्था में सरकार में मंत्रीपद दल की संसद में स्थिति के आधार पर प्राप्त होते है अतः सभी प्रमुख दल सरकार में सम्मिलित होते हैं। किसी दल को एक तो किसी दल को दो मंत्रीपद प्राप्त होते हैं। अतः अन्य देशों की तरह वहाँ विपक्ष का अभाव होता है।

18. कठोर संविधान:

स्विट्जरलैण्ड का संविधान एक कठोर संविधान है। यह अमेरिका के संविधान से कम परन्तु शरत के संविधान से अधिक कठोर है। स्विट्जरलैण्ड के संविधान में संषोधन के प्रस्ताव को तभी लागू किया जा सकता है जब संघीय सभा के दोनों सदन उसे पारित कर दें और केन्टनों तथा मतदाताओं द्वारा उसको समर्थन मिले। स्विट्जरलैण्ड के संविधान संषोधन की विषेषता यह है कि इसमें स्विट्जरलैण्ड के सभी पूर्ण शगों-संघीय परिषद्, केन्टन, तथा नागरिकों को षामिल किया गया है। आप समझ गये होंगे कि स्विट्जरलैण्ड के संविधान में जो कठोरता है वह संविधान के संघीय रुप की रक्षा के लिए आवष्यक है और इसी उद्देष्य से संविधान में संषोधन प्रक्रिया की व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे संविधान का संषोधन अत्यधिक सरलता से तथा संघ की इकाइयों व उनकी जनता की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। संविधान की संषोधन प्रक्रिया में नागरिकों की साझीदारी संशोधन के प्रस्ताव से लेकर उसकी पुष्टि तक है।

19. देश का सर्वोच्च कानून:

आप जानते होंगे कि शरत तथा अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्यता का सिद्धान्त लागू किया गया है और वहां के सर्वोच्य न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने तथा कानून की वैद्यता की जाँच करने का अधिकार है। वे किसी ऐसे कानून को जो संविधान का उल्लंघन करता हो, अवैध घोषित कर सकते हैं। परन्तु स्विट्जरलैण्ड में न्यायपालिका को संघ द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। वहाँ का संविधान लिखित है तथा किसी प्रकार के विवाद का निर्णय संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत ही होता है। संविधान कठोर है, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है।

20. शक्तियों का विभाजन:केन्द्र और अवयवी एककों के बीच शक्तियों का विभाजन एक महत्वपूर्ण संघीय सिद्धान्त है। स्विट्जरलैण्ड में संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण किया है। इस दृष्टिकोण से इन्हें चार भागों में बाँटा जा सकता है-

(१) संघीय अधिकार क्षेत्र:

संविधान कुछ विषयों को अनन्य रुप से संघ के अधिकार क्षेत्र में रखता है। इन पर संघीय शासन ही विधि बना सकता है या उनकी व्यवस्था कर सकता है। इन विषयों में प्रमुख हैं-वैदेषिक सम्बन्ध, युद्ध की घोषणा करना, देष की सुरक्षा, यातायात एवं संदेष वाहन साधन, उच्च षिक्षा, करेंसी, दीवानी, फौजदारी तथा वाणिज्य सम्बन्धी विधियाँ वन, छूतवाली बीमारियाँ तथा मछली पकड़ना आदि छोटे-छोटे विषय इसमें षामिल किये गये हैं।

(२) समवर्ती अधिकार क्षेत्र:

कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कैण्टनों तथा संघीय सरकार दोनों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है परन्तु यदि किसी विषय पर दोनों के बताये गये नियमों में परस्पर विरोध हो जाये तो संघीय नियम ही मान्य होंगे।

(३) विभक्त अधिकार क्षेत्र:

स्विट्जरलैण्ड की शासन प्रणाली की एक विषेषता यह है कि यहाँ कुछ विषयों पर व्यवस्था करने का अधिकार संध तथा राज्यों में बँटा हुआ है। उदाहरणस्वरुप विदेषों से संधियाँ करना संघीय अधिकार क्षेत्र में है। परन्तु कैन्टन अपने निकटवर्ती देशों से संविधान द्वारा निष्चित सीमाओं के अन्तर्गत कुछ विषयों पर सन्धियाँ कर सकते हैं। सेना की व्यवस्था तथा संचालन के कार्य संघ केन्टनों में बँटे हुये हैं, अनिवार्य तथा नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना केन्टनों का कर्तव्य हैं, परन्तु संघ को यह निरीक्षण करने का अधिकार है कि केन्टन अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं।

(४) अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र:

उपर्युक्त अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकार केन्टनों को सौंपे गये हैं। उनका स्पष्ट कहीं उल्लेख नहीं हैं।

इस प्रकार स्विस संविधान में अधिकारों की तीन सूचियाँ संघीय, समवर्ती तथा विभक्त विषय स्पष्ट हैं लेकिन अवशिष्ट अधिकार केन्टनों को सौंपे गये हैं।

21. तिहरी नागरिकता:

संघीय संविधानों में नागरिकों को प्रायः दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है-एक संघ की दूसरी उस राज्य की जिसमें नागरिक निवास करता है। आप जानते है स्विट्ज़रलैण्ड में नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्राप्त है-एक स्विस राज्यमण्डल या परिसंघ की, दूसरी केन्टन की व तीसरी कम्यून की। दूसरी ओर शरत जैसी संघीय व्यवस्था वाले देषों में, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए नागरिकों को एकहरी नागरिकता ही प्रदान की गई है।

22. धर्म निरपेक्षता:

स्विट्ज़रलैण्ड में धर्म के नाम पर जो प्राचीन काल में झगड़े थे, उनको समाप्त करने के लिए संविधान में कुछ उपबंध प्रस्तुत किये गये है। संविधान में सभी नागरिकों को धर्म व पूजा सम्बन्धी स्वतंत्रता दी गई। किसी नागरिक को किसी धर्म विषेष के अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, न उसको किसी विषेष प्रकार की धार्मिक पूजा के लिए बाध्य किया जा सकता है न उसको किसी धार्मिक षिक्षा पर चलने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के नागरिक अथवा राजनीतिक अधिकारों को किसी धार्मिक पादरी अथवा धार्मिक आज्ञा के आधार पर कम नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को ऐसे किसी कर को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी ऐसी धार्मिक संस्था को चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हो जिसका वह अनुयायी नहीं हो।

23. शक्ति पृथक्करण:

स्विट्ज़रलैण्ड में षक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का कठोरता से पालन नहीं किया गया। स्विस संविधान में अमेरिका की शँति षक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है। वहाँ सारी शक्ति के अन्तिम उपभोक्ता वहाँ के केन्टन और नागरिक हैं। उदाहरणतः स्विस संघीय परिषद् और संघीय न्यायाधिकरण संघीय सभा के अधीन है। संघीय सभा संघीय परिषद् के सदस्यों और संघीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीषों का निर्वाचन करती है। संघीय परिषद् संधीय सभा के आदेश और निर्देश में कार्य करती हैं। संघीय परिषद् और संघीय न्यायाधिकरण दोनों अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संघीय सभा को प्रस्तुत करते हैं। संघीय सभा द्वारा पारित कानूनों पर कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका के द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं होता। दूसरी ओर, संघीय परिषद् केवल

कार्यपालिका शक्तियों का ही प्रयोग नहीं करती अपितु विधायी, वित्तीय और न्यायिक षक्तियों का प्रयोग करती है।

24. न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित शक्ति:

स्विस संविधान न्यायापालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार केवल आंषिक रुप में ही देता है। यहाँ अन्य संविधानों की शँति एक संघीय न्यायाधिकरण है। परन्तु स्विस संधीय सभा और स्विस संघीय परिषद् की शँति एक संघीय न्यायाधिकरण एक अद्वितीय न्यायालय है। प्रथम, स्विस संघीय न्यायाधिकरण शासन का एक समान स्तरीय एवं स्वतंत्र अंग नहीं है। यह एक अधीनस्थ अंग है। उदाहरणतः संधीय सभा संघीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। दूसरे, स्विस संघीय न्यायाधिकरण का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न तो अमेरिका सर्वोच्य न्यायालय की शँति ‘‘कानून की उचित प्रक्रिया‘‘ पर आधारित है और न शरतीय सर्वोच्च न्यायालय की शँति ‘‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया‘‘ पर आधारित है। स्विस संघीय न्यायाधिकरण की न्यायिक पुनरावलोकन की षक्ति सीमित है।

25. उदारवादी दर्शन पर आधारित:

उदारवाद स्विस राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। उदारवाद से अभिप्राय उस विचारधारा से है जो व्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता तथा अधिकारों का समर्थन करे और राज्य को उनके रक्षार्थ एक साधन के रुप में स्वीकार करें। स्विस संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर बल देता है। स्विस नागरिक शषण, प्रेस, समुदाय, धर्म, निवास, भ्रमण, षिक्षा, सम्पति, उद्यम आदि की स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हैं। वहाँ सभी कानून के समक्ष समान हैं। यद्यपि उदारवाद का आर्थिक रुप पूँजीवाद है, लेकिन स्विस संविधान ने जन कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के उपबंधों द्वारा संषोधित कर उसे लोककल्याणकारी राज्य का रुप दे दिया है।

26. विभिन्नता में एकता:

स्विट्जरलैण्ड विविध धर्मो, शषाओं और संस्कृतियों का देष है।फिर वहाँ जाति वैमनस्य, धार्मिक मतान्धता और भाषायी कटुता नहीं है। सभी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाते हैं और अपने आपको स्विस समझते हैं।

27. स्थायी तटस्थता:

स्विट्जरलैण्ड की विदेष नीति तटस्थता पर आधारित है। इसके कारण वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की उथल-पुथल, संघर्ष और युद्ध आदि से अछूता रहा है। जॉन ब्राउन मैसन ने लिखा है कि स्विट्जरलैण्ड अषांति के सागर में एक सुखी द्वीप के समान है।

28. विकेन्द्रीकरण:

स्विस संविधान षक्तियों का केन्द्रीकरण किसी एक स्थान पर नहीं करता। उदाहरणतः स्विस संघीय परिषद् के अध्यक्ष के रुप में एक स्विस राष्ट्रपति है पर वह षक्तिषाली नहीं होता है। उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता तथा हर वर्ष मंत्रीमंडल का एक नया सदस्य इस पद को ग्रहण करता है। अतः वास्तविकता में सभी समान होते हैं। स्विस जनता जनमत संग्रह के माध्यम से अन्तिम और आरम्भन के माध्यम से आरम्भिक विधायी शक्ति का प्रयोग करती हैं।

29. गतिशील संविधान:

स्विस संविधान एक जीवित गतिषील प्रलेख है। मौलिक उपबंधों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत यह अपने को समय के अनुकूल बदलता रहा है। संविधान की आत्मा को छुए बिना संषोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है। फलतः समय की गति के साथ यह विकासशील होता रहा है। संषोधन तथा विधेयकों द्वारा व्यक्ति की सामाजिक रक्षा की गई है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य के बढ़ते हुये कार्य ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात किया है। स्विस जनता ने अपनी स्वतंत्रता पर आघात करने वाले विधेयकों का सदा से विरोध किया हैं।

अभ्यास प्रश्न १.वर्तमान स्विस संविधान 18 अप्रैल 1999 को जनता द्वारा स्वीकारा गया था.सत्य /असत्य

२.स्विट्जरलैण्ड में धर्म निरपेक्षता की नीति अपनाई गयी है. सत्य /असत्य

३.स्विट्जरलैण्ड में शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का कठोरता से पालन किया गया. सत्य /असत्य

४.अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र केन्टनों को सौंपे गये हैं. सत्य /असत्य

५.स्विट्जरलैण्ड अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण है. सत्य /असत्य

13.3 सारांश

स्विटजरलैण्ड का संविधान प्राचीन होने के साथ-साथ समयानुकूल भी है। यह लिखित व निर्मित संविधान है। जो संघवाद व लोकतंत्र की स्थापना करता है। संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के साथ-साथ उद्देश्यों, भाषाओं , सेना, शिक्षा, पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी विस्तार से वर्णन है। संविधान कानून का शासन, मूल अधिकार, केन्टनों की स्थिति, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, द्विसदनात्मक संसद, बहुल कार्यपालिका, सामूहिक सत्ता व गणतंत्र परंपरा की स्थापना करता है परिणाम स्वरूप सुसंचालित व्यवस्था की स्थापना होती है।

13.4 शब्दावलीः

द्विसदनात्मक : दो सदन वाली

गणतंत्र : निर्वाचित प्रधान

आरंभक : आरंभ करने वाला

केन्टन ; राज्य

13.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

१. सत्य २. सत्य ३.असत्य ४.सत्य ५.अ सत्य

13.6 संदर्भ ग्रन्थ

Websites :

1. ILL-switzerand constitution

2. http://www.servat.unibe.in/ial/5200000=html, accessed on 4-6-11

3. सिंह, वीरकेश्वर प्रसाद (1993): स्विट्जरलैण्ड का संविधान, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली

4. चड्डा, पी. के. (2001), प्रमुख राजनीति व्यवस्थायें, युनिवर्सिटी बुक प्रकाशन, जयपुर

5. शर्मा, प्रभुदत्त तथा शीलकांत असोपा (1982) आधुनिक प्रमुख संविधान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

6. कटारिया, सुरेन्द्र (2008), तुलनात्मक लोक प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स, जयपुर

7. पार्थसारथी, जी.: आधुनिक संविधान, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

8. शर्मा, प्रभुदत्तः संविधानों की दुनिया, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर-2

13.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अखिल, रीड अमर; 'दी बिल आफ राइटस् क्रीयेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन' (2000), येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन

2. जस्टिस, लर्मिनगार्ग; 'दी यूनाइटेड स्टेट्स कान्सटीट्यूशन; 'वाट इट सेज, वाट इट मीन्स' (2005), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

13.8 निबंधात्मक प्रश्नः

1.स्विट्जरलैण्ड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए?

2.प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? स्विट्जरलैण्ड में इसके स्वरुप की व्याख्या कीजिए।

3.स्विस संविधान प्राचीन होने के साथ-साथ समयानुकूल कैसे हैं?

ईकाई-14 स्विस संघीय व्यवस्था

इकाई की संरचना

14.0 प्रस्तावना

14.1 उद्देश्य

14.2 संघवाद का अर्थ

14.3 स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ

14.3.1 संविधान की सर्वोच्चता

14.3.2 लिखित व कठोर संविधान

14.3.3 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन

14.3.4 द्वैध शासन

14.3.5 केन्टनों की समानता

14.3.6 न्यायापालिका की सर्वोच्चता

14.3.7 संविधान संशोधन में केन्टनों का महत्वपूर्ण स्थान

14.3.8 संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन

14.3.8.1 केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति

14.3.8.2 केन्टनों में असमानता

14.3.8.3 केन्टनों पर नियंत्रण

14.3.8.4 निष्कर्ष

14.4 सारांश

14.5 शब्दावली

14.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

14.7 संदर्भ ग्रन्थ

14.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

14.9 निबंधात्मक प्रश्न

14.0 प्रस्तावना

स्विटजरलैण्ड में संघवाद धीरे-धीरे विकसित हुआ। प्रारंभ में यहाँ कुछ स्वतंत्र राज्य थे तथा कोई केन्द्रीय शक्ति नहीं थी। इन राज्यों में रहने वाले लोगों में विभिन्नताएँ थी। 13वीं शताब्दी के अंत में तीन छोटी ट्यूटानिक जातियों ने संधि की ताकि जागीरदारों के अत्याचारों से बच सकें। बाद में पाँच अन्य केन्टन इसमें सम्मिलित हुए। इन्होंने आस्ट्रिया को हराया तथा 250 वर्ष तक परिसंघ कायम रखा। हालांकि आपसी मतभेद थे पर इन्हें जोड़ने वाला सूत्र सामूहिक सुरक्षा थी। 1648 में इन्हें स्वतंत्र मान लिया गया तब 13 केन्टन थे। 1815 के महत्वपूर्ण वर्ष में आधुनिक स्विट्जरलैण्ड संघ को वर्तमान आकृति प्राप्त हुई। 1848 में संघ गृहयुद्ध से गुजर कर और मजबूत हुआ तथा नया संविधान बना जो एक समझौते का फल था। बाद के वर्षो में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी तथा 1874 में नया संविधान प्रभावी हुआ। बाद में 1999 में एक और नया संविधान आया जो अभी प्रभावी है परन्तु इन सभी में संघीय व्यवस्था को कायम रखा गया है।

स्विट्रलैण्ड के संविधान का प्रथम अनुच्छेद स्विस संघ का वर्णन करता है तथा अनुच्छेद बताता है कि स्विस संघ 26 केन्टनों से मिलकर बना है। स्विस संविधान का अनुच्छेद दो स्विस संघ के उद्देश्य बताता है जो चार हैं: प्रथम उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता व अधिकारों तथा देश की रक्षा है। द्वितीय उद्देश्य सामूहिक कल्याण, टिकाऊ विकास तथा आंतरिक सामंजस्य है। तृतीय उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है तथा चतुर्थ उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है।

स्विट्जरलैण्ड संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है अतः भारत जैसे देश उससे सफल संघवाद चलाने की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही देश विविधतापूर्ण भी हैं।

14.1 उद्देश्य:

इस इकाई के अध्ययन से हम --

1.संघवाद के अर्थ को जान सकेंगे .

2.द्वैध शासन के अर्थ को जान सकेंगे**.**

3.संघीय व्यवस्था के साथ केन्द्रीयकरण के कारण को जान **सकेंगे.**

4.केन्टनों के सम्बन्ध में जान सकेंगे .

14.2 संघवाद का अर्थ

संघवाद या संघीय व्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताएँ होती हैं:

प्रथम केन्द्र(संघ) व अवयवों का होना जिन्हें भारत में राज्य व स्विट्ज़रलैण्ड में केन्टन कहते हैं।

द्वितीय संघ व अवयवों में शक्ति का विभाजन जिसे आसानी से बदला ना जा सके अर्थात् एक लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन।

तृतीय विवादों को सुलझाने का उपाय जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका जो केन्द्र(संघ) व राज्यों में शक्ति विभाजन को लेकर उपजे विवादों को सुलझा सके।

यदि ये तत्व किसी व्यवस्था में नहीं मिलते तथा सारी शक्तियाँ एक केन्द्र में ही केन्द्रित होती हैं तो ऐसी व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था कहते हैं।

14.3 स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ

14.3.1 संविधान की सर्वोच्चता

जैसा कि हमने पहले पढ़ा संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संघ में संविधान सर्वोच्च होता है जिसके द्वारा संघ व अवयवों में शक्ति का विभाजन होता है तथा दोनों ही अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। ना तो संघ और न ही इकाई(अवयव) संविधान की धाराओं का उल्लंघन

कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैण्ड में भी संविधान को देश का सबसे ऊँचा और आधारभूत कानून माना जाता है और शासन के सभी अंगों को उसी से शक्ति प्राप्त होती है।

14.3.2 लिखित व कठोर संविधान

सभी संघात्मक संविधान लिखित व कठोर होते हैं जिससे शक्तियों का विभाजन सभी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो और संविधान को कोई भी आसानी से बदल कर शक्ति संबंधों को ना बदल सके। स्विट्ज़रलैण्ड का संविधान भी लिखित और कठोर है अर्थात् इसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया है तथा इसके लिए जनता व अवयवों(इकाइयों या केन्टनों) का भी समर्थन आवश्यक है। जब तक आधे से अधिक केन्टन संविधान संशोधन को ना स्वीकारें वह संविधान संशोधन नहीं हो सकता। अतः स्विट्ज़रलैण्ड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून की अपेक्षा अधिक कठोर है।

14.3.3 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन

स्विस संघ में 26 केन्टन हैं तथा एक केन्द्र(संघ) भी है। संविधान द्वारा केन्द्र व केन्टनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन्हें संघ सरकार को सौंपा गया है और शेष को केन्टनों को दिया गया है। संविधान द्वारा संघ(केन्द्र) को विदेश संबंध, युद्ध व संधि, रेल मार्ग, संचार, मुद्रा, वित्त, वाणिज्य आदि विषय प्रदान किए गए हैं। संघ सरकार को कुछ समवर्ती शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह केन्टनों के साथ-साथ करती हैं। परन्तु मतभेद की स्थिति में संघीय कानून को मान्यता प्राप्त होती है। परन्तु अवशिष्ट शक्तियाँ केन्टनों के पास है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि स्विस व्यवस्था अमरीकी व्यवस्था के जैसी ही है।

14.3.4 द्वैध शासन

संघात्मक व्यवस्था में संघ व अवयवों की अपनी-अपनी सरकार होती है। वही व्यवस्था स्विट्ज़रलैण्ड में भी है। यहाँ संघ (केन्द्र) की अपनी सरकार है तथा अवयवों (केन्टनों) की अपनी सरकार। दोनों ही अपने-अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। कार्य क्षेत्र तथा शक्तियाँ

दोनों को ही संविधान से प्राप्त होती है। अतः न तो केन्द्र ही अवयवों (केन्टनों) पर निर्भर है और ना केन्टन ही संघ पर। परन्तु संघ व सभी 26 केन्टन एक दूसरे से सहयोग करते हैं।

14.3.5 केन्टनों की समानता

अमरीकी संघ की भांति स्विस संघ में भी सभी इकाइयाँ(केन्टन) समान स्थिति में हैं। प्रत्येक केन्टन का अपना संविधान, नागरिकता के नियम, कानून, प्रथाएँ व परम्पराएँ हैं। संघात्मक सिद्धांत के अनुरूप दोहरी नागरिकता, दोहरे अधिकार और दोहरी न्यायपालिका की भी व्यवस्था है। अमरीका की ही भांति व्यवस्थापिका के उच्च सदन अर्थात् सीनेट में सभी इकाइयाँ(केन्टन) बराबर प्रतिनिधि भेजते हैं अर्थात् सभी पूर्ण केन्टन दो प्रतिनिधि और सभी अर्द्ध केन्टन एक प्रतिनिधि भेजते हैं। समान प्रतिनिधित्व का यह सिद्धांत सभी केन्टनों को परस्पर समानता प्रदान करता है।

14.3.6 न्यायापालिका की सर्वोच्चता

संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र व इकाइयों(राज्यों) के बीच शक्ति विभाजन को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनके बीच विवादों का अंतिम निर्णय करने के लिए तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका को आवश्यक माना गया है। परन्तु स्विट्जरलैण्ड में अमरीका की तरह न्यायापालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः संघीय न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संघीय विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की वैधानिकता की जाँच करने का भी उसे अधिकार नहीं है। स्विट्जरलैण्ड में केवल आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। क्योंकि स्विट्जरलैण्ड का संघीय न्यायालय केवल केन्टनों के कानूनों का पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन्हें अवैध घोषित कर सकता है।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि स्विट्जरलैण्ड संघ नहीं है क्योंकि एक प्रकार से यह कार्य वहाँ जनता करती है। जनता संविधान संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करती है अतः बिना जनता की अनुमति के संघीय व्यवस्थापिका शक्ति संतुलन को परिवर्तित नहीं कर सकती। अतः जो कार्य अन्य संघीय व्यवस्थाओं में संघीय न्यायपालिका करती है वह कार्य स्विट्जरलैण्ड में जनता 'जनमत संग्रह' व आरंभन द्वारा करती है।

14.3.7 संविधान संशोधन में केन्टनों का महत्वपूर्ण स्थान:

स्विट्जरलैण्ड एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि वहाँ प्रत्येक संविधान संशोधन में आधे से अधिक केन्टनों का समर्थन आवश्यक है। अतः संघीय व्यवस्थापिका मनमाने तरीके से संविधान संशोधन करके अपनी शक्तियों में वृद्धि नहीं कर सकती तथा संघ व केन्टनों में शक्ति संतुलन को बदल नहीं सकती।

उपरोक्त विशेषताओं के अध्ययन से आप समझ ही गए होंगे कि स्विट्रलैण्ड में संघात्मक व्यवस्था है जिसमें केन्टनों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है।

14.3.8 संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन

14.3.8.1 केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति

आधुनिक युग में सभी संघात्मक देशों में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारत, कनाड़ा, अमरीका, आस्ट्रेलिया आदि सभी संघीय देशों में केन्द्र की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्विट्जरलैण्ड भी इससे बचा नही है। इसका मुख्य कारण यातायात व संचार के साधनों का तीव्र विकास, वाजिज्य व उद्योगों की आवश्यकताएँ व अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। स्विट्जरलैण्ड शक्तिशाली पड़ोसियों से घिरा है यथा जर्मनी, इटली व फ्रांस अतः सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ केन्द्र अत्यन्त आवश्यक समझे गए। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने स्विट्जरलैण्ड में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। दूसरा प्रमुख कारण जिसने केन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया वह है परिवहन व संचार के साधनों में सुधार। इसके कारण ना केवल स्विट्जरलैण्ड में आंतरिक संपर्क बढ़ा बल्कि स्विट्जरलैण्ड का अन्य देशों से भी संपर्क बढ़ा। साथ ही नये-नये आर्थिक अवसर भी उपलब्ध हुए। जिनका उचित इस्तेमाल सशक्त केन्द्र द्वारा ही संभव था अतः केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। कुछ विद्वानों जैसे व्हीलर के अनुसार समाजवादी विचारधारा ने भी केन्द्र के अधिकारों में वृद्धि की क्योंकि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण व लोककल्याण के कार्यों दोनों की मांग हुई।

केन्द्रीकरण में वृद्धि का एक अन्य कारण यह भी है कि केन्द्र को प्रदत्त विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है यथा सुरष्क्षा, बैंकिंग, मुद्रा, विदेश संबंध, सेना आदि। अतः इन महत्वपूर्ण विषयों को संभालने के कारण भी केन्द्र महत्वपूर्ण होता चला गया। संकटकाल में संघीय सरकार स्थानीय

स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर सकती है। ऐसी स्थिति में पहल करने का अधिकार संघीय सरकार को है। दूसरे शब्दों में यदि किसी केन्टन में उपद्रव होता है तो केन्टन की तरफ से मांग किए जाने के पूर्व ही संघीय सरकार उपद्रव समाप्ति के उपाय कर सकती है। ऐसी व्यवस्था से केन्टनों के महत्व में कमी आती है तथा संघ के महत्व में वृद्धि होती है।

कुछ आलोचकों ने इस प्रक्रिया को अच्छा ना मानते हुए इसे रोकने के उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

14.3.8.2 केन्टनों में असमानता

कुछ आलोचक मानते हैं कि स्विट्जरलैण्ड संघ नहीं है क्योंकि यहाँ सभी केन्टन समान नहीं हैं उनका कहना है कि स्विट्जरलैण्ड में दो प्रकार के केन्टन हैं: पूर्ण केन्टन तथा अर्द्ध केन्टन। पूर्ण केन्टन संघीय व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन अर्थात् सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजते हैं जबकि अर्द्ध केन्टन संघीय व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन अर्थात् सीनेट में मात्र एक प्रतिनिधि भेजते हैं। अतः सभी केन्टन समान नहीं हैं। सभी केन्टनों में एक समान राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं है। कहीं प्रारंभिक सभाएँ हैं तो कहीं नहीं हैं। अतः वे सभी समान नहीं हैं।

14.3.8.3 केन्टनों पर नियंत्रण

आलोचक यह भी कहते हैं कि केन्टनों पर संघ का पूर्ण नियंत्रण है क्योंकि:

१. कोई केन्टन देश से अलग नहीं हो सकता है।

२. कोई केन्टन ऐसा संविधान नहीं बना सकता जो संघीय संविधान के अनुरूप ना हो।

३. केन्टनों के संविधान गणतंत्रीय व लोकतांत्रिक होने आवश्यक हैं।

४. केन्टन मिलकर किसी और गठबंधन की शुरूआत नही कर सकते।

५. संघीय न्यायपालिका का केन्टनों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार।

६. कोई केन्टन सेना के आवागमन पर रोक नहीं लगा सकता।

७. संघ केन्टनों के संविधानों की गारंटी देता है।

८. कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए संघ केन्टनों में हस्तक्षेप कर सकता है।

९. संघीय कानूनों को लागू करना केन्टनों के लिए अनिवार्य है।

14.3.8.4 निष्कर्ष

आप समझ गए होंगे कि उपरोक्त कारकों से कुछ विद्वान मानते हैं कि स्ट्जिरलैण्ड संघ नहीं है। बल्कि कुछ विद्वान तो इसके बिल्कुल विपरीत यह भी कहते हैं कि यह संघ से अधिक एक परिसंघ है क्योंकि केन्टनों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। ऐसे विद्वान मानते हैं कि केन्टन ही वह धुरी है जिनके इर्द-गिर्द स्विट्जरलैण्ड की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था घूमती है। वास्तव में केन्टन ही संघ के आधार हैं। ब्रुक्स के अनुसार प्रत्येक केन्टन सक्रिय राजनीतिक जीवन का केन्द्र है। वास्तविकता में केन्टन संघ व्यवस्था के आधारभूत स्तम्भ हैं। कई महत्वपूर्ण विषय उनके पास हैं यथा: कानून और व्यवस्था, न्यायालय, स्वास्थ्य, निर्वाचन व स्थानीय शासन। प्रत्येक केन्टन एक छोटी सेना रखता है जबकि संघ की स्थायी सेना नहीं है। केन्टनों से ही प्रारंभ में सभी शक्तियाँ निकली थीं। हालांकि वे सम्प्रभु नहीं हैं परन्तु वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और स्विट्जरलैण्ड वास्तविकता में एक संघीय व्यवस्था वाला देश है।

अभ्यास प्रश्न

१.यह संघ वर्तमान में 26 केन्टनों से मिलकर बना है। **सत्य /असत्य**

२.स्विट्जरलैण्ड संघ नहीं है. **सत्य /असत्य**

३.संविधान द्वारा केन्द्र व केन्टनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। **सत्य /असत्य**

४.संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र व इकाइयों(राज्यों) के बीच शक्ति विभाजन को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनके बीच विवादों का अंतिम निर्णय करने के लिए तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका को आवश्यक नहीं माना गया है। **सत्य /असत्य**

14.4 सारांश

आप समझ ही गए होंगे कि स्विट्जरलैण्ड एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिनका आरंभ कुछ स्वतंत्र केन्टनों ने सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया था। यह संघ वर्तमान में 26 केन्टनों से मिलकर बना है। वर्तमान संविधान के अनुसार इस संघ का उद्देश्य लोगों व देश की रक्षा तथा नागरिकों को समान अवसर व टिकाऊ विकास देना व उनका कल्याण करना है। साथ ही प्रकृति की रक्षा व अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना भी उद्देश्य है।

स्विस संघ लिखित व कठोर संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों के विभाजन, द्वैध शासन, केन्टनों की समानता व महत्वपूर्ण स्थिति में विश्वास रखता है। हालांकि आधुनिक समय में यहाँ केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति स्पष्टतः दिखलाई पड़ती है परन्तु वास्तविकता में यह एक संघ ही है।

14.5 शब्दावली

कठोर संविधान - विधि निर्माण के सामान्य तरीके से न परिवर्तित होने वाला संविधान

द्वैध शासन - दोहरा शासन- केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शासन

केन्द्रीकरण - केन्द्र का मजबूत होना

14.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. **सत्य** 2. **असत्य** 3. **सत्य** 4. **असत्य**

14.7 संदर्भ ग्रन्थ

1. घई, के.के., मेजर गर्वनमेंट, कल्याणी, नई दिल्ली।

2. पार्थसारथी, जी., आधुनिक संविधान, मीनाक्षी, मेरठ।

14.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अखिल, रीड अमर; 'दी बिल आफ राइटस् क्रीयेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन' (2000), येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन।

2. जस्टिस, लर्मिनगार्ग; 'दी यूनाइटेड स्टेट्स कान्सटीट्यूशन; 'वाट इट सेज, वाट इट मीन्स' (2005), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

14.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्विट्ज़रलैण्ड के संघात्मक शासन की विशेषताओं का अलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

2. स्विट्ज़रलैण्ड में न्यायापालिका की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है?

ईकाई-15 संघीय शासन-संघीय सभा, संघीय परिषद्(स्विट्जरलैण्ड)

इकाई की संरचना

15.0 प्रस्तावना

15.1 उद्देश्य

15.2 संघीय सभा

15.2.1 संघीय सभा की विशेषताएँ

15.2.2 संघीय सभा का संगठन

15.2.3 संघीय सभा की शक्तियाँ

15.2.3.1 व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ

15.2.3.2 संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ

15.2.3.3 वित्तीय शक्तियाँ

15.2.3.4 कार्यपालिका शक्तियाँ

15.2.3.5 न्यायिक शक्तियाँ

15.3 संघीय परिषद

15.3.1संघीय परिषद की विशेषताएँ

15.3.2संघीय परिषद की शक्तियाँ

15.4 सारांश

15.5 शब्दावली

15.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

15.7 संदर्भ ग्रन्थ

15.8 सहायकध्उपयोगी पाठ्य सामग्री

15.9 निबंधात्मक प्रश्न

15.0 प्रस्तावना

स्विट्ज़रलैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था अनूठी है तथा इसे विश्व के श्रेष्ठतम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में गिना जाता है। स्विस संघीय सरकार जिस प्रकार कार्य करती है वह शासन का प्रकार विश्व में कहीं और दिखाई नहीं देता है। संघीय कार्यपालिका में कई दलों के सदस्य साथ-साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा अलग-अलग दलों के होने के बावजूद वे एक सफल और बेहतरीन शासन व्यवस्था प्रदान करते हैं। इसी प्रकार संघीय व्यवस्थापिका में भी सभी दलों के सदस्य सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हैं और अनुशासनात्मक तरीके से कार्यों को पूर्ण करते हैं। उनका रवैया व्यावहारिक व पेशेवर होता है।

स्विस संघीय व्यवस्था को पढ़ना राजनीति शास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक व्यवस्था है तथा इसके जैसी दूसरी कोई व्यवस्था विश्व में नहीं है। भारतीयों के लिए इस व्यवस्था का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में दलीय द्वेष, अनुशासनहीनता व भ्रष्टाचार का बोलबाला है जबकि स्विस व्यवस्था इसके बिल्कुल विपरीत है। वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व सहवर्तनमूलक राजनीति को अपनाये हुए एक श्रेष्ठ राजनीति व्यवस्था को प्रस्तुत करती है।

15.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से हम --

1. संघीय शासन के अर्थ को जान सकेंगे .

2. संघीय सभा के अर्थ को जान सकेंगे.

3.संघीय सभा की शक्तियों को जान सकेंगे

4. संघीय परिषद् के अर्थ को जान सकेंगे.

5.संघीय परिषद की शक्तियों को जान सकेंगे**.**

15.2 संघीय सभा

वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 143 से 173 तक संघीय सभा का वर्णन है। जिसमें उसका संगठन तथा शक्तियाँ सम्मिलित हैं।

15.2.1 संघीय सभा की विशेषताएँ

1.**द्विसदनीय:**

विश्व के अन्य संघीय लोकतांत्रिक देशों की ही तरह स्विटरजरलैण्ड की संघीय व्यवस्थापिका के दो सदन हैं। एक है नेशनल काउन्सिल तो दूसरा है काउन्सिल ऑफ स्टेट्स। नेशनल काउन्सिल में 200 सदस्य होते हैं तथा काउन्सिल ऑफ स्टेट्स में 46 सदस्य होते हैं। नेशनल काउन्सिल को प्रतिनिधि सदन तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिवस् भी कहते हैं तथा काउन्सिल ऑफ स्टेट्स का सीनेट भी कहते हैं। सीनेट में हर पूर्ण केन्टन के दो तथा हर अर्द्ध केन्टन का एक प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि सभा में केन्टनों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। दोनों के लिए कार्यकाल चार वर्ष का है।

2.समानपदीय सदन:

दोनों ही सदनों के अधिकार व शक्तियाँ बराबर हैं। प्रायः दूसरे लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका का एक सदन ज्यादा शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए भारत में निचला सदन जिसे लोक सभा कहते हैं राज्य सभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संयुक्त राज्य अमरीका में सीनेट, प्रतिनिधि सभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। परन्तु स्विट्जरलैण्ड में दोनों सदन समान हैं। नवीन संविधान का अनुच्छेद 148 दोनों समानता की घोषणा करता है। साधारणतया दोनों सदन अलग-अलग बैठक कर विचार विमर्श करते हैं तथा किसी भी कानून के लिए दोनों की सहमति आवश्यक है। परन्तु किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में सामूहिक बैठक का भी प्रावधान है।

3.महत्वपूर्ण स्थिति:

स्विट्जरलैण्ड की संसद की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ अमरीकी राष्ट्रपति की तरह कार्यपालिका अध्यक्ष के पास निषेधाधिकार नहीं है। ना ही अमरीका की तरह स्विस

न्यायपालिका के पास संघीय कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। बल्कि संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा ही कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आप समझ ही गये होंगे कि व्यवस्थापिका की स्थिति कार्यपालिका व न्यायपालिका की तुलना में उच्च है। उस पर यदि कोई प्रतिबंध है तो वह जनता व केन्टनों का है। दूसरे शब्दों में स्विस व्यवस्थापिका संघ सरकार का सर्वोच्च अंग है परन्तु यह ब्रिटिश लोक सदन की तरह सर्व प्रभुत्व संपन्न नहीं है।

4.स्पष्ट शक्तियाँ: नवीन संविधान में संघीय व्यवस्थापिका की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन है। वह विदेश संबंध व संधियों; संघीय वित्त; संघीय सरकार व न्यायपालिका के सदस्यों के चुनाव व पर्यवेक्षण; संघ केन्टन संबंधों; देश की बाह्य व आंतरिक सुरक्षा आदि के लिए जिम्मेदार है।

5.पेशेवर एवं व्यावहारिक रवैया:

स्विट्जरलैण्ड की व्यवस्थापिका बेहतरीन ढंग से संचालित की जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य दलीय दृष्टिकोण नहीं रखते। वे दलीय आधार पर बैठते भी नहीं बल्कि केन्टनों के आधार पर बैठते हैं। उनका व्यवहार पेशेवर, संतुलित, व्यावहारिक व अनुशासित होता है तथा आक्रामकता का नितान्त अभाव होता है। जैसे विरोध प्रदर्शन हम भारत की संसद में देखते हैं वैसे स्विस संसद में कभी नहीं दिखाई देते। लॉर्ड ब्राइस ने इसे विश्व की सबसे पेशेवर व्यवस्थापिका कहा है। यहाँ निर्णय करते हुए सभी से विचार विमर्श किया जाता है।

6.विविध भाषाओं का प्रयोग:

जैसा कि आप जानते हैं कि स्विट्जरलैण्ड में कई भाषायें बोली जाती हैं अतः वहाँ चार भाषाओं को राजकीय मान्यता प्राप्त है; जर्मन, फ्रेंच, इटेलियन तथा रोमनाश और इनमें से किसी भी भाषा का प्रयोग सांसद कर सकते हैं। संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन भी सभी भाषाओं में किया जाता है।

7.कोई विपक्ष नहीं:

भारत व अमरीका जैसे संघात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में व्यवस्थापिका में विपक्षी दल होते हैं। सत्ता पक्ष तथा विपक्ष को पहचानना अत्यन्त सुगम होता है। परन्तु स्विस

व्यवस्था में सहवर्तनमूलक राजनीति है जिसमें हर मुद्दे पर सभी की सहमति प्राप्त करने का प्रयास होता है तथा कोई स्पष्ट विपक्ष नहीं होता है। सभी दल व सदस्य गुटों में कार्य करते हैं जिससे छोटे दलों को भी महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होती है।

उपरोक्त से आप समझ गये होंगे कि स्विस व्यवस्थापिका अन्य देशों की व्यवस्थापिका से बेहतर है।

15.2.2 संघीय सभा का संगठन

संघीय सभा के दो सदन हैं राष्ट्रीय हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव (प्रतिनिध सदन) तथा सीनेट।

प्रतिनिधि सदन:

प्रतिनिधि सदन जिसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव कहते हैं को राष्ट्रीय परिषद या नेशनल काउन्सिल भी कहते हैं। यह भारत की लोक सभा की तरह ही है।

प्रतिनिधि सदन की रचना:

प्रतिनिधि सदन में वर्तमान में 200 सदस्य होते हैं जो चार वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुनाव जनता द्वारा सीधे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले केन्टनों से अधिक प्रतिनिधि तथा कम जनसंख्या वाले केन्टनों से कम प्रतिनिधि आते हैं परन्तु हर केन्टन से कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होता है। सदन की गणपूर्ति 101 सदस्यों से होती है तथा निर्णय बहुमत से। सदस्यों को वेतन नहीं मिलता परन्तु भत्ते और मार्ग व्यय मिलते हैं। सदस्य आजीविका के लिए अन्य रोजगार करते हैं। कोई भी वयस्क नागरिक चुनाव में खड़ा हो सकता है तथा सभी वयस्क नागरिक मतदान में भाग लेते हैं। सामान्यतः सदन को समय से पहले विघटित नहीं किया जा सकता परन्तु पूरे संविधान का यदि पुर्ननिर्माण हो रहा हो तो ऐसा संभव है।

सत्र व अधिकारी:

सदन का सत्र साल में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। वास्तविकता में साल में चार सत्र होते हैं। यदि 25 प्रतिशत सदस्य मांग करें तो विशेष सत्र बुलाया जाता है। सदन अपने बीच से अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है। यह सम्मान का पद है

तथा अवैतनिक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष करता है। इस सदन की बैठकें सभी के लिए खुली होती हैं।

सीनेट:

सीनेट विश्व के अन्य ऊपरी सदनों की तुलना में शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतिनिधि सदन से समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसे सीनेट के अतिरिक्त राज्यों का सदन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी पूर्ण केन्टन (राज्य) 2 तथा सभी अर्द्ध केन्टन एक सदस्य भेजते हैं।

सीनेट की रचना:

सीनेट में कुल 46 सदस्य होते हैं जिनके चुनाव की पद्धति सभी केन्टन स्वयं ही तय करते हैं। अतः कहीं सीधा निर्वाचन होता है तो कहीं अप्रत्यक्ष। सदस्य कितने साल के लिए चुने जायेंगे यह भी केन्टन ही तय करते हैं। कुछ केन्टनों में पुर्नवापसी (री कॉल) की भी व्यवस्था है अतः वे अपने सांसद को वापस बुला सकते हैं।

सत्र व अधिकारी:

साल में कम से कम एक सत्र बुलाना अनिवार्य है परन्तु सामान्यतः चार सत्र होते हैं। यदि 25 प्रतिशत सांसद चाहे तो विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। गणपूर्ति 24 है तथा निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। सदन अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव एक साल के लिए करता है। किसी को भी लगातार दो बार नहीं चुना जा सकता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एक ही केन्टन से नहीं हो सकते हैं।

15.2.3 संघीय सभा की शक्तियाँ:

संघीय सभा संघीय कार्यपालिका व संघीय न्यायपालिका की तुलना में सशक्त है तथा उसके पास अनेक शक्तियाँ व कार्य हैं।

15.2.3.1 व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ

जैसा कि आप जानते हैं संघीय सभा स्विस संघीय व्यवस्थापिका को कहते हैं। हर लोकतांत्रिक देश में व्यवस्थापिका का मूल कार्य व्यवस्थापन का ही होता है। स्विस संघीय

व्यवस्थापिका अर्थात संघीय सभा का भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन ही है। वह सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। उसके द्वारा बनाये गये कानूनों पर कार्यपालिका के पास निषेधाधिकार नहीं है और ना ही उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परन्तु यदि पचास हजार नागरिक मॉग करें तो कानूनों को जनमत संग्रह के लिए भेजा जाना आवश्यक है। जनता को कानून निर्माण की शुरूआत करने का भी अधिकार है। इसे आरंभन कहते हैं तथा इसके द्वारा जनता व्यवस्थापिका को कोई कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकती है। आरंभन के लिए एक लाख नागरिकों के द्वारा माँग करना आवश्यक है। आलोचकों का मानना है कि जनमत संग्रह व आरंभन की इन प्रक्रियाओं के द्वारा व्यवस्थापिका की स्थिति कमजोर होती है परन्तु वस्तुतः इन प्रक्रियाओं द्वारा स्विस लोकतंत्र बेहतर बनता है तथा लोगों को राजनीतिक भागीदारिता के अधिक अवसर मिलते हैं। वास्तविकता मे अधिकतर कानून वही बनते हैं जिन्हें व्यवस्थापिका प्रारम्भ करती है।

15.2.3.2 संविधान संशोधन संबंधी शक्तिया

संघीय सभा के पास संविधान संशोधन प्रारम्भ करने की शक्ति है। इस हेतु दोनों सदन प्रस्ताव पारित करते हैं फिर उस पर जनमत संग्रह करवाया जाता है तथा जनता के बहुमत की सहमति मिलने पर संविधान संशोधन होता है। यदि संशोधन का प्रारम्भ जनता द्वारा किया गया हो तो व्यवस्थापिका उसका अच्छा स्वरूप बनाकर प्रस्तुत करती है।

15.2.3.3 वित्तीय शक्तियाँ:

संघीय सभा संघ के वार्षिक बजट पर भी विचार करती है और उसे पारित करती है। वह संघीय सरकार द्वारा लिये गये सार्वजनिक ऋणों की परिपुष्टि करती है। वह केन्टनों के लेखों की स्वीकृति करती है और उनको ऋण लेने की अनुमति देती है।

15.2.3.4 कार्यपालिका शक्तियाँ:

संघीय सभा को महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं

(1) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में वह संघीय कार्यपालिका के सातों सदस्यों का निर्वाचन तथा उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों, संघीय बीमा निकाय के सदस्यों, सर्वोच्च सेनापति, असाधारण जन अभियोजक व चांसलर का भी निर्वाचन करती है।

(2) संघीय सभा संघ की सशस्त्र सेनाओं पर भी नियंत्रण रखती है।

(3) वह युद्ध व शान्ति की घोषणा करती है।

(4) वह विदेशों से की गई संधियों पर भी अपनी स्वीकृति देती है और केन्टनों की परस्पर अथवा पड़ौसी राज्यों के साथ की गई संधियों की भी परिपुष्टि करती है।

(5) वह केन्टनों के क्षेत्र तथा उनके संविधानों की गारण्टी करती है।

(6) यदि कोई केन्टन संघीय कानूनों के क्रियान्वयन में रूकावट डालता है तो वह निश्चित करती है कि क्या कार्यवाही की जाए।

(7) वह लोकसेवकों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करती है तथा वेतन-भत्तों का निर्धारण करती है।

(8) वह विदेश सम्बन्धों का निर्धारण करती है।

(9) वह आन्तरिक सुरक्षा स्थापित करती है।

(10) वह कार्यपालिका को आदेश दे सकती है तथा प्रश्न पूछकर सूचना प्राप्त कर सकती है। वह कार्यपालिका के कार्यों का समर्थन या विरोध कर उस पर नियंत्रण रखती है।

15.2.3.5 न्यायिक शक्तियाँ

संघीय सभा के पास इस सम्बन्ध में निम्न शक्तियाँ हैं

(1) वह संघीय न्यायाधीशों का चुनाव करती है।

(2) वह संघीय न्यायालय का निरीक्षण तथा निर्देशन करती है।

(3) वह न्यायिक संगठन संबंधी कानून बनाती है।

(4) संघीय न्यायालय इसके समक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(5) विभिन्न संघीय अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न संबंधी मतभेदों पर निर्णय संघीय सभा करती है।

(6) वह कुछ मामलों में संघीय कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर सकती है।

(7) संघीय न्यायालय द्वारा दण्डित तथा सैनिक शासन के अन्तर्गत मृत्युदण्ड प्राप्त अभियुक्त को क्षमा प्रदान करने का अधिकार भी संघीय सभा को है।

15.3 संघीय परिषद

स्विस कार्यपालिका को संघीय परिषद कहते हैं। नवीन संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक में इसके संगठन व शक्तियों आदि का वर्णन है। यह अपने आप में विश्व में अनूठी है।

15.3.1 संघीय परिषद की विशेषताएँ

संघीय परिषद एक अद्वितीय कार्यपालिका है जो अत्यन्त सफल है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं-

1 बहुल:

स्विस कार्यपालिका विश्व की अन्य कार्यपालिकाओं से अलग है क्योंकि इसमें सात सदस्य होते हैं जिनका चुनाव संघीय सभा के दोनों सदन करते हैं। इन सातों सदस्यों की शक्तियाँ एक समान होती हैं अतः इसे बहुल या सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। एकल कार्यपालिका ना अपनाने का मूल कारण किसी व्यक्ति को अत्यधिक शक्तिशाली ना बनने देना है। प्रत्येक सदस्य एक प्रशासनिक विभाग का प्रमुख होता है साथ ही उसके पास एक अन्य विभाग का भी दायित्व होता है जिसका वहन वह उस विभाग के मंत्री की अनुपस्थिति में करता है। बहुल कार्यपालिका को अपनाने का एक अन्य कारण यह था कि स्विस परम्परा में परिषदों की पद्धति बैठी हुई है और उनकी जनतांत्रिक भावना व्यक्तिगत प्रधानता की विरोधी है।

2. अदलीय प्रकृति:

जैसा कि आप समझ ही गये हैं कि संघीय परिषद के सात सदस्य संघीय सभा द्वारा चुने जाते हैं। विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक देशों में एक ही राजनीतिक दल के सदस्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। यदि वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं होते तो अन्य दलों के सहयोग से सरकार का गठन करते हैं परन्तु सामान्यतः विपक्ष (या विरोधियों) को सरकार में सम्मिलित नहीं किया जाता। परन्तु स्विट्ज़रलैण्ड में कोई विपक्ष होता ही नहीं है तथा चार राजनीतिक दलों के सदस्य मिलकर सरकार बनाते हैं तो तीन राजनीतिक दलों को दो-दो पद तथा एक राजनीतिक दल को एक पद प्राप्त होता है। वे मिलजुलकर सरकार चलाते हैं उनके चुनाव में उनका दल महत्वपूर्ण ना होकर योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।

3. लंबा व पक्का कार्यकाल:

सभी सात कार्यपालिका सदस्यों को चार वर्ष के लिए चुना जाता है तथा उन्हें पहले पदमुक्त नहीं किया जा सकता। अगर वे अच्छा कार्य करें तो उन्हें कई बार चुना जा सकता है। कुछ ने तो 32 वर्ष तक कार्य किया। अच्छा कार्य ना करने पर दुबारा निर्वाचन नहीं होता है। इन्हें काउन्सिलर कहते हैं।

4. संसदीय व अध्यक्षीय का मिश्रण भी तथा अलग भी:

स्विस कार्यपालिका में कुछ तत्व अध्यक्षीय व्यवस्था के दिखते हैं जैसे कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते तथा कार्यपालिका के सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है। साथ ही इस व्यवस्था में कुछ तत्व संसदीय व्यवस्था के भी दिखते हैं यथा कार्यपालिका का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा तथा कार्यपालिका के सदस्यों की व्यवस्थापिका में उपस्थिति व विधेयक प्रस्तुति। परन्तु कुछ तत्व इस व्यवस्था में ऐसे भी हैं जो इसे अद्वितीय बना देते हैं जैसे बहुल कार्यपालिका जो कई दलों के सदस्यों से मिलकर बनती है तथा जिसमें सभी सदस्य समान होते हैं।

5. विशेषज्ञों की कार्यपालिका:

कार्यपालिका के सदस्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व उनकी योग्यता व कार्य होता है। विद्वानों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे किसी कंपनी के निदेशकों की तरह होते हैं अतः यदि वे अच्छा काम नहीं करते तो पुनः निर्वाचित नहीं होते परन्तु यदि अच्छा कार्य करते हैं तो लंबे समय तक पद संभालते हैं।

6. सामूहिकता व सहवर्तनमूलक:

सभी सात सदस्य एक ही दल के नहीं होते परन्तु मिलजुलकर निर्णय लेते हैं तथा सभी को साथ लेकर चलते हैं। जो भी निर्णय होता उसके लिए सभी समान रूप से उत्तरदाई होते हैं। यदि किसी एक का मत अलग है तो वह कह सकता है व अपना मत दर्ज करा सकता है परन्तु लागू करने में सभी सम्मिलित होते हैं।

7. प्रतिबंध:

कार्यपालिका की सदस्यता के संबंध में कुछ प्रतिबंध भी हैं जैसे दो निकट संबंधी एक ही समय में इसके सदस्य नहीं हो सकते जैसे पति-पत्नि या भाई-बहिन। एक ही केन्टन से एक से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। संघीय परिषद के सदस्य संघ अथवा केन्टन में कोई पद धारण नहीं कर सकते ना ही व्यवसाय कर सकते हैं। यह परंपरा है कि बर्न, ज्यूरिख व वॉड से एक-एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सामान्यतः चार सदस्य जर्मन भाषी, दो फ्रेंच भाषी व एक इटेलियन भाषी होता है। इस प्रकार प्रादेशिकता व भाषा का ध्यान रखा जाता है। 2011 में इसकी चार सदस्य महिलायें हैं तथा अध्यक्ष **व उपाध्यक्ष पद भी उन्हीं के पास हैं।**

8. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष:

संघीय सभा के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद के सदस्यों में से एक वर्ष के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष ही देश का राष्ट्रपति कहलाता है। परंपरा के अनुसार यह पद संघीय परिषद के सदस्यों को बारी-बारी से वास्तविकता के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा कोई अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं रहता। अन्य सदस्यों की तुलना में उनके पास अधिक शक्तियाँ नहीं होती। यह मात्र एक अलंकारिक उपाधि है। वह कार्यपालिका प्रधान नहीं होता है। उसे वीटो जैसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं। परन्तु वह बैठकों की अध्यक्षता करता है व संचालन करता है। वह औपचारिक अवसरों पर देश का प्रतिनिधित्व करता है।

अतः कहा जा सकता है कि स्विस कार्यपालिका एक अनूठी संस्था है जो अप्रत्यक्ष रूप में संसद द्वारा निर्वाचित की जाती है परन्तु इसके सदस्य संसद सदस्य नहीं रह सकते तथा इसने देश को उत्तम शासन व्यवस्था प्रदान की है।

15.3.2 संघीय परिषद की शक्तियाँ:

संघीय परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं

1. कार्यपालिका शक्तियाँ

सर्वोच्च कार्यपालिका होने के कारण यह संघीय कानूनों व संविधान के अनुसार देश के प्रशासन का संचालन करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, अध्यादेशों व संधियों आदि को क्रियान्वित करने का दायित्व संघीय परिषद पर है। यह विदेश संबंधों का भी संचालन करती है तथा यदि किसी केन्टन में शांति भंग हो तो स्थिति को संभालती है। यह संघ सरकार के उन कर्मचारियों की नियुक्ति करती है जो निर्वाचित नहीं होते। यह सेना पर नियंत्रण रखती है व बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करती है।

2. व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ

संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते परन्तु विधि निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे मतदान में भाग नहीं लेते परन्तु सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा विचाराधीन विषयों पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। वे सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। वे संसदीय समितियों की बैठकों में सम्मिलित होते हैं। वे अधिनियमों के मसौदे तैयार करवाते हैं व उन्हें संघीय सभा में प्रस्तुत करके पास करवाते हैं। संघीय सभा अपने कानूनों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण हेतु संघीय परिषद को विनियम बनाने की शक्ति देती है। जिसे विधि निर्माण का अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ:

संघीय परिषद राजस्व का भी प्रबन्ध करती है। वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे संघीय सभा से पारित कराना इसी का कार्य है।

4. न्यायिक शक्तियाँ:

यह कुछ न्यायिक कार्य भी करती है यथा प्रशासनिक अभियोग, जो संघीय पदाधिकारियों के सार्वजनिक कार्यों से उत्पन्न होते हैं, के संबंध में निर्णय देना। वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों,

रेलवे प्रशासन या केन्टनों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के संबंध में भी अपील सुनती है। अतः कहा जा सकता है कि संघीय परिषद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व अनूठी संस्था है।

अभ्यास प्रश्न

१.संघीय परिषद के सदस्यों में से दो वर्ष के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं।सत्य /असत्य

२.स्विस कार्यपालिका ,एकल कार्यपालिका है . सत्य /असत्य

३.सीनेट में 46 सदस्य हैं . सत्य /असत्य

४.वार्षिक बजट पर विचार और उसे पारित करने का कार्य संघीय परिषद करती है. सत्य /असत्य

५.संघीय परिषद में सदस्य की संख्या कितनी होती है.

६.संघीय परिषद के सदस्य एक ही दल से होते हैं. सत्य /असत्य

15.4 सारांश

स्विस संघीय सभा स्विट्जरलैण्ड की व्यवस्थापिका है जो द्विसदनीय है परन्तु दोनों सदन समानपदीय हैं। उसे स्विस व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। वह अत्यन्त पेशेवर एवं व्यावहारिक ढंग से अपने कार्य संपादित करती है। स्विस व्यवस्था में कोई विपक्ष नहीं होता। संघीय सभा के दो सदन हैं-प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट। सीनेट केन्टनों का प्रतिनिधित्व करता है व उसके 46 सदस्य हैं। प्रतिनिधि सभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है व उसमें 200 सदस्य हैं। दोनों सदन मिलकर व्यवस्थापन, कार्यपालिका एवं न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

संघीय परिषद स्विस कार्यपालिका है जिसमें सात सदस्य होते हैं। यह बहुल, अदलीय प्रवृत्ति की है तथा इसका कार्यकाल निश्चित होता है। यहाँ चुने जाने में योग्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है तथा यह सामूहिकता व सहवर्तनमूलकता के आधार पर कार्य करती है। संघीय परिषद व्यवस्थापन, प्रशासन, एवं न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

15.5 शब्दावली

द्विसदनीय-दो सदन वाली

समानपदीय-जहाँ दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हों

गणपूर्ति-कार्य करने के लिए न्यूनतम संख्या

सीनेट-उच्च सदन

प्रतिनिधि सभा-निम्न सदन

संघीय सभा-स्विस संसद

संघीय परिषद-स्विस कार्यपालिका

15.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

१.असत्य २.असत्य ३.सत्य ४.असत्य ५. ७ ६.असत्य

15.7 संदर्भ ग्रन्थ

(1) स्विस फेडरल कॉन्सटिट्यूशन-विकीपीडिया

(2) पोलिटिक्स ऑफ स्विट्जरलैण्ड-विकीपीडिया

(3) सिंह, वीरकेश्वर प्रसाद, स्विट्जरलैण्ड का संविधान, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।

(4) चढ्ढा, पी.के, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थायें, यूनिवर्सिटी बुक, जयपुर।

(5) घई, के.के. मेजर गवर्नमेन्ट, कल्याणी, नई दिल्ली।

15.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अखिल, रीड अमर; 'दी बिल आफ राइटस् क्रीयेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन' (2000), येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन

2. जस्टिस, लर्मिनगार्ग; 'दी यूनाइटेड स्टेट्स कान्सटीट्यूशन; 'वाट इट सेज, वाट इट मीन्स' (2005), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

15.9 निबंधात्मक प्रश्न

1.स्विट्जरलैण्ड की संघीय सभा की विशेषताओं व शक्तियों पर प्रकाश डालिए ?

2.स्विट्जरलैण्ड की संघीय परिषद की विशेषताओं व शक्तियों को बताइये ?

3.स्विस कार्यपालिका को विशेषज्ञों की कार्यपालिका क्यों कहते हैं ?

ईकाई-16 प्रयत्क्ष प्रजातंत्र (स्विट्जरलैण्ड का संविधान)

ईकाई की संरचना

16.0 प्रस्तावना

16.1 उद्देश्य

16.2 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ

16.3 स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताएँ

16.3.1 प्राचीन परम्परा

16.3.2 विश्व का एकमात्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र

16.3.3 स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विधियाँ

16.3.3.1 जनमत संग्रह

16.3.3.2 आरंभन

16.3.3.3 लैण्डसजिमिण्ड या प्रारंभिक सभा

16.4 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण

16.5 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दोष

16.6 सफलता के कारण

16.7 सारांश

16.8 शब्दावली

16.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

16.10 संदर्भ ग्रन्थ

16.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

16.12 निबंधात्मक प्रश्न

16.0 प्रस्तावना

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैण्ड के संविधान की ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य सभी देशों से विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। विश्व के अन्य देशों में लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली स्विस लोगों को अन्य देशों की तुलना में कानून निर्माण के क्षेत्र में अत्यधिक भागीदारिता प्रदान करती है व लोगों में संप्रभुता को अवस्थित करती है।

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्राचीन ग्रीस में उपलब्ध था। आधुनिक काल में माना जाता है कि बड़े-बड़े देशों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलाना संभव नहीं है परन्तु स्विट्जरलैण्ड में इसे सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अतः प्रस्तुत अध्याय में हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्विट्जरलैण्ड में क्रियान्वयन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रकार, गुण तथा दोषों का अध्ययन करने के साथ-साथ उन कारकों को भी समझेंगे जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को वहाँ सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

16.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से हम –

1.प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ को जान सकेंगे.
2.स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताओं को जान सकेंगे.
3.स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विधियों को जान सकेंगे.
4.प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण को जान सकेंगे .
5.प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दोष को जान सकेंगे .

16.2 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता कानून निर्माण में भाग लेती है जिससे उन्हें राजनीतिक स्वनिर्धारण के सर्वाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। जबकि प्रतिनिधि प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर व्यवस्थापिका में भेजती है जो उसके लिए कानून का निर्माण करते हैं। स्विट्ज़रलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व प्रतिनिधि प्रजातंत्र दोनों को अपनाया गया है।

16.3 स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताएँ

स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं---

16.3.1 प्राचीन परम्परा

स्विट्ज़रलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रारंभ मध्यकाल में हुआ परन्तु जनता द्वारा कानून निर्माण में सीधे भागीदारी को 1921 से देखा जा सकता है। यह वह समय था जब स्विट्ज़रलैण्ड के पड़ोसी राष्ट्र राजतंत्रात्मक थे।

16.3.2 विश्व का एकमात्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र

विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विद्यमान है यथा भारत, इग्लैण्ड, जापान, फ्रांस, अमरीका। परन्तु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आधुनिक काल में मात्र स्विट्ज़रलैण्ड में ही है।

16.3.3 स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विधियाँ

स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सञ्चालन निम्नलिखित विधियों से किया जाता है ----

16.3.3.1 जनमत संग्रह

जनमत संग्रह का अर्थ है, लोगों के पास भेजना या 'लोगों से परामर्श लेना' इसके द्वारा लोग व्यवस्थापिकाओं के कार्यों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। आधुनिक समय में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिकाएँ ही कानून निर्माण व संविधान संशोधन का कार्य करती हैं, परन्तु स्विट्ज़रलैण्ड में जनमत संग्रह लोगों के हाथ में एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसके प्रयोग द्वारा वे किसी अवांछित विधि को अस्वीकार कर सकते हैं।

जनमत संग्रह दो प्रकार का होता है-(1) अनिवार्य जनमत संग्रह और (2) ऐच्छिक जनमत संग्रह।

वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 140 में अनिवार्य जनमत संग्रह का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 141 में ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान है। अनुच्छेद 140 के अनुसार अनिवार्य जनमत संग्रह करवाया जाएगा यदि-

(१) संविधान संशोधन करना है।

(२) सामूहिक सुरक्षा हेतु किसी संस्था की सदस्यता ग्रहण करनी है।

(३) किसी जल्दबाजी में पारित कानून के लिए।

(४) अंतर्राष्ट्रीय संधियों का।

अनुच्छेद 141 के अनुसार ऐच्छिक जनमत संग्रह करवाया जाएगा यदि 50,000 मतदाता या आठ केन्टन किसी संघीय कानून के प्रकाशन के सौ दिन के भीतर ऐसी मांग करें। वर्तमान में संघीय स्तर पर 50,000 मतदाता का अर्थ 1.2 प्रतिशत मतदाता होता है।

जनमत संग्रह में कोई प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा यदि मतदान करनेवालों का बहुमत उसका समर्थन करे।

केन्टनों में भी जनमत संग्रह की व्यवस्था है। केन्टनों में बजट पर भी जनमत संग्रह हो सकता है। केन्टनों में यदि एक प्रतिशत मतदाता मांग करे तो जनमत संग्रह कराना होता है।

जनमत संग्रह एक प्रकार की ढाल है। जिससे विधान मंडल की 'क्रिया संबंधी भूल' का निराकरण होता है व अवांछित विधि निर्माण को रोका जा सकता हैं।

16.3.3.2 आरंभन

आरंभन का अर्थ है 'पहल करना' अर्थात् नागरिकों को विधि निर्माण का प्रारंभ करने का अधिकार है। वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 138 संविधान के पूर्ण संशोधन हेतु आरंभन का

उल्लेख करता है। एक लाख नागरिक ऐसी मांग कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 139 संविधान के आंशिक संशोधन में आरंभन का प्रावधान करता है। एक लाख नागरिक ऐसी मांग रख सकते हैं।

आरंभन दो प्रकार का होता है-

(प) निर्मित आरंभन और (पप) अनिर्मित आरंभन। निर्मित आरंभन में मतदाता स्वयं विधेयक के प्रारूप को तैयार करते हैं। संघीय सभा को उस पर लोक मतदान कराना पड़ता है। यदि संघीय सभा निर्मित आरंभन से सहमत ना हो तो वह उस पर लोक मतदान कराते समय अपना वैकल्पिक विधेयक या संशोधन प्रस्तुत कर सकती है अथवा जनता को रद्द करने की सलाह दे सकती है। अनिर्मित आरंभन में मतदाता स्वयं विधेयक के प्रारूप को तैयार नहीं करते। वे केवल अमुक विषय पर संघीय सभा से विधेयक की मांग करते हैं। यह संघीय सभा को एक प्रकार का सुझाव अथवा सिफारिश होती है कि वह अमुक विषय पर विधेयक का निर्माण करे। यदि संघीय सभा प्रार्थियों की इस मांग से सहमत नहीं होती तो पहले इस बात पर मतदान कराया जाता है कि क्या नागरिक प्रार्थियों से सहमत हैं अथवा नहीं। यदि नागरिकों का बहुमत इसे स्वीकार कर ले तो संघीय सभा को उनकी इच्छा का आदर करना पड़ता है और संशोधन विधेयक के प्रारूप को तैयार करना पड़ता है। अनिर्मित आरंभन में संशोधन विधेयक के प्रारूप को संघीय सभा तैयार करती है और उस पर पुनः मतदान कराना पड़ता है।

केन्टनों में भी आरंभन की व्यवस्था है।

आरंभन का महत्व इस बात में है कि ये विधान मंडल की ‘उपेक्षा’ संबंधी भूलों का निराकरण करती है।

16.3.3.3 लैण्डसजिमिण्ड या प्रारंभिक सभा

ये सभाएँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शुद्धतम रूप है। स्विट्जरलैण्ड के कुछ केन्टनों में यह प्रावधान है। इसमें निर्धारित समय पर केन्टन के सभी वयस्क नागरिक एक स्थान पर एकत्र होकर कानूनों का निर्माण व नीतियों का निर्धारण करते हैं। यह एक मुश्किल प्रक्रिया है पर इनका अत्यधिक महत्व है।

ये बैठकें अनुशासित होती हैं। बैठकों का संचालन लैण्डमेन(सं्दकउंद) करता है जो केन्टन का अध्यक्ष होता है। बैठक में प्रत्येक नागरिक को बोलने व मतदान का अधिकार होता है। यह व्यवस्था नागरिकों को अधिकतम राजनीतिक भागीदारी का अवसर प्रदान करती है।

16.4 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्न लाभ है:

1. जन इच्छा जानने का साधन:

जनमत संग्रह और आरंभन जन इच्छा जानने के सर्वोत्तम साधन है। लार्ड ब्राइस के अनुसार ये जनता की आत्मा में प्रवेश करने के लिए खिड़की खोल देते हैं।

2. विधायी त्रुटियों के उपचार:

जनमत संग्रह व आरंभन के माध्यम से विधायी त्रुटियों का उपचार संभव है। जहाँ जनमत संग्रह के माध्यम से मतदाता गैर आवश्यक विधियों को अस्वीकार करते हैं वहीं आरंभन के माध्यम से वे आवश्यक विधियों को बनवा सकते हैं।

3. राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण:

जनमत संग्रह व आरंभन का एक गुण उनकी संभावित शक्ति में है। यह आवश्यक नहीं कि मतदाता इनका वास्तविक प्रयोग करके ही लाभ प्राप्त करें वरन् इनके प्रयोग की संभावना भी राजनीतिज्ञों को सतर्क रखती है व जनता की उपेक्षा करने से रोकती है।

4 जनता की भागीदारी:

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के द्वारा जनता को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारिता करने का अधिकतम अवसर प्राप्त होता है तथा उनकी राजनीतिज्ञों पर निर्भरता कम होती है। भारत जैसे देशों की भांति जनता को ऐसा नहीं लगता कि उनका राजनीतिज्ञों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

5 जनमत का सम्मान:

आप समझ ही गए होंगे कि राजनीतिज्ञों को इस व्यवस्था में पता है कि यदि उन्होंने जनता की इच्छा का सम्मान ना किया तो जनता स्वयं अपने लिए विधि निर्माण का प्रारंभ कर सकती है अतः राजनीतिज्ञ जनमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

6 जनता द्वारा कानूनों का पालन:

इस व्यवस्था में क्योंकि जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है अतः वह उन कानूनों का पालन अधिक उत्साहपूर्वक करती है।

7 राजनीतिज्ञों व जनता में निरंतर सम्पर्क:

अन्य प्रजांतत्रों में जनता की यह शिकायत होती है कि राजनीतिज्ञ चार या पाँच साल में केवल एक बार अपना मुँह दिखाते हैं वह भी केवल चुनाव के समय तथा बाद में वे जनता की परवाह नहीं करते परन्तु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कारण स्विट्ज़रलैण्ड में जनता व राजनीतिज्ञों का संपर्क हमेशा बना रहता है।

8 जनता की राजनीतिक शिक्षा:

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र द्वारा जनता विधि निर्माण में भागीदारी करती है व विधि निर्माण कैसे होता है इसकी जानकारी भी प्राप्त करती है। इससे लोगों की जागरूकता बढ़ती है व ज्ञान में भी वृद्धि होती है।

9 जागरूक जनता:

इस व्यवस्था में सभी वयस्क नागरिक भागीदारिता करते हैं अतः हर विषय पर अत्यधिक विचार विमर्श होता है जो जनता को जागरूक बनाता है व ऐसी जनता को भावनाओं में बहलाना मुश्किल होता है।

10 राजनीतिक स्थिरता:

इस व्यवस्था में क्योंकि विधि निर्माण जनमत के अनुसार होता है अतः जनता को इच्छित परिवर्तन के लिए अन्य देशों की भांति सड़कों पर उतर का आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

11 दलीय खींचतान से मुक्ति:

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र द्वारा जनता की विधि निर्माण में सीधी भागीदारिता के कारण अन्य देशों में देखी जाने वाली दलीय खींचतान स्विट्जरलैण्ड में नहीं मिलती है।

12 अच्छा राजनीतिक वातावरण:

जनता का राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण राजनीतिक वातावरण को बेहतर बनाता है तथा अन्य देशों की तरह कोई दल या राजनीतिज्ञ मनमानी नहीं कर पाते।

13 वैद्यता:

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्योंकि जनता स्वयं ही विधि निर्माण व संविधान संशोधनों में भागीदारिता रखती है अतः उनकी अनुपालना बढ़ती है व वैद्यता प्राप्त होती है।

14 गतिरोध की कम संभावना:

इस व्यवस्था में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होने के कारण दोनों सदनों में गतिरोध की संभावना न्यूनतम होती है।

15 स्वावलंबन की भावना का विकास:

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस नागरिकों में स्वावलंबन की भावना जागृत करता है। वे अपने आपको शासन करने योग्य समझते हैं।

16 प्रतिनिधियों की दासता से मुक्ति:

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जनता को प्रतिनिधियों की दासता से छुटकारा दिलाते हैं क्योंकि अपनी शक्ति को स्विस नागरिक कभी त्यागते नहीं हैं।

17 बेहतर विकल्प नहीं:

इससे अधिक जनभागीदारिता वाली कोई राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान विश्व में मौजूद नहीं है। इंग्लैण्ड की संसदात्मक व्यवस्था व अमरीका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था नागरिकों को इतने अधिकार प्रदान नहीं करती।

अतः आप समझ ही गए होंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अनेक गुण विद्यमान हैं और यही कारण है कि स्विट्जरलैण्ड में इसे अपनाया गया है।

16.5 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दोष

: विद्वान स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में निम्न दोष पाते हैं:

1 उत्तरदायित्वहीन सत्ता:

कुछ विद्वानों का मत है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक बुराई है क्योंकि यह उत्तरदायित्वहीन सत्ता प्रदान करता है। एमोस के अनुसार यह शक्ति और दायित्व में संबंध विच्छेद कर देता है। लोग समझदारी से इस शक्ति का उपयोग ना करके बदले की भावना और विरोध में उपयोग करते हैं।

2 विधानमंडल की प्रतिष्ठा में कमी:

कुछ विद्वानों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विधानमंडल की प्रतिष्ठा, सर्वोच्चता एवं उत्तरदायित्व पर प्रहार करता है। इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका मात्र परामर्शदात्री समिति बनाकर रह जाती है।

3 विधि निर्माण में बाधा:

कुछ आलोचकों का मानना हे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में विधि निर्माण का कार्य सही से नहीं हो पाता। फाइनर का मत है कि अज्ञानी, अबोध, प्रतिशोधी जनता प्रगतिशील विधान को नष्ट कर देती है। राजनीतिज्ञों को भी हमेशा जनता की इच्छा का भय रहता है। जिसके कारण वे वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए बल्कि वो करते हैं जो जनता चाहती है।

4 प्रगतिशील विधियों के निर्माण में बाधक:

आलोचकों का मानना है कि लोग प्रायः रूढ़िवादी होते हैं तथा यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। वे प्रगतिशील विधियों को पसंद नहीं करते व प्रगतिशील विधियों का विरोध करते हैं। लार्ड ब्राइस के अनुसार लोक निर्णय से राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रगति में बाधा पहुँचती है।

5 योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना:

आलोचक कहते हैं कि जब विधान मंडल की शक्तियाँ अंतिम नहीं होती तो योग्य, अनुभवी एवं लोक सेवक लोग विधानसभा में जाना पसंद नहीं करते। आलोचकों के अनुसार ऐसी स्थिति में केवल मध्यम दर्जे के व्यक्ति एवं व्यवसायी राजनीतिज्ञ ही विधानमंडल में जाते हैं। इससे राष्ट्र व समाज की हानि होती है।

6 अनावश्यक देरी:

इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना आवश्यक है जो देरी का कारण बनता है। इससे उन उद्देश्यों को हानि पहुँचती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें निर्मित किया जाता है।

7 अत्यधिक खर्चीली:

इस पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक धन खर्च किया जाता है। धन का प्रयोग जनकल्याण में करना संभव नहीं होता।

8 चुनाव थकान:

बार-बार जनमत संग्रह आदि प्रक्रियाओं में भाग लेना चुनाव थकान पैदा कर सकता हे जो उदासीनता व लापरवाही का कारण बनता है।

9 बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त:

ये प्रणाली छोटे या कम जनसंख्या वाले देशों में ही संभव है परन्तु भारत व अमरीका जैसे बड़े व अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में इसे लागू करना संभव नहीं है।

10 सही जनमत का अचूक सूचक नहीं:

आलोचक पूछते हैं कि यदि कोई जनमत संग्रह दो या चार प्रतिशत अंतर से जीता गया हो तो क्या वह जनमत का अचूक सूचक होगा। कई बार लोग भावनाओं में वह कर भी मतदान करते हैं सोच-समझकर नहीं तो कई बार हाँ या ना में चुनाव करना मुश्किल हो सकता है।

11 नकारात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक:

आलोचकों का मानना है कि जनमत संग्रह में लोगों को विधेयक पर वाद-विवाद व संशोधन का अवसर नहीं मिलता अतः ये नकारात्मक अभिव्यक्ति मात्र ही है।

12 विशेषता का अभाव:

आलोचकों का यह भी मानना है कि जनता के पास विधेयकों को समझने की विशेषता नहीं है। अतः उनसे सही निर्णय लेने की आशा कैसे की जा सकती है।

13 जटिलता में वृद्धि:

आलोचकों का मानना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों के उपयोग के कारण हर कार्य अत्यन्त जटिल हो जाता है।

आप समझ ही गए होंगे कि आलोचक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कई प्रकार से आलोचना करते हैं व उसमें कई दोष ढूंढते हैं परन्तु स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है। अतः आवश्यक है कि उन कारणों पर भी दृष्टिपात कर लिया जाए जो वहाँ इसे सफल बनाने में सहायक हैर।

16.6 सफलता के कारण

स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के निम्नलिखितकारक हैं

1. जनप्रभुता बनाये रखने की आकांक्षा:

स्विस लोग जनप्रभुता के साथ किसी भी तरह का परितर्वन नहीं करना चाहते। यही कारण है कि वे उत्साहपूर्वक जनमत संग्रह तथा आरंभन में भाग लेते हैं।

2. निरंतर प्रयोग:

जनमत संग्रह व आरंभन आदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीकों का स्विस लोग लगातार प्रयोग करते आते हैं ये उनके लिए वास्तविक उपाय हैं। वे इनका प्रयोग लगभग 150 साल से निरंतर कर रहे हैं।

3. स्विस सहिष्णुता:

राजनीतिक संस्थाएँ अंततः लोगों से ही चलती हैं। स्विस लोग अत्यन्त सहिष्णु व उदार होते हैं साथ ही व्यावहारिक भी होते हैं अतः वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ठीक प्रकार से चल सका।

4. छोटा देश व कम जनसंख्या:

स्विट्ज़रलैण्ड एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 15, 940 वर्ग मील है तथा जनसंख्या मात्र 7.8 मिलियन है। अतः यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलाना संभव है।

5. प्रत्यक्ष एवं प्रतिनिधि तत्वों का मिश्रण:

स्विट्ज़रलैण्ड में प्रजातंत्र के दोनों तत्वों को मिलाया गया है। जहाँ केन्टनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शुद्धतम रूप लैण्डसजिमिण्ड मौजूद है वहाँ संघीय स्तर पर प्रतिनिधि तत्वों के साथ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जनमत संग्रह व आरंभन जैसे तत्वों को अपनाया गया है।

6. विषमताओं का कम होना:

स्विट्ज़रलैण्ड एक सम्पन्न देश है जहाँ आर्थिक विषमताएँ नहीं पाई जाती। अधिकतर नागरिक मध्यवर्गीय है और उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक तथा व्यावसायिक है।

7. प्रजातांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक परम्पराएँ:

इस देश में गणतंत्रात्मक एवं प्रजातांत्रिक परम्पराएँ अत्यन्त प्राचीन हैं। उस समय भी जब योरोप के अन्य देश राजतंत्रात्मक थे यहाँ गणतंत्र था।

8. व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल:

स्विस लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं वहाँ विरोधी विचारों का दमन नहीं किया जाता बल्कि उसे सहन किया जाता है।

9. जागरूक जनता:

यह पूर्णतः शिक्षित व संपन्न लोगों का देश है जो निष्ठावान, उदार, शांत व मध्यममार्गी होने के साथ-साथ अत्यंत जागरूक भी हैं अतः अपने अधिकारों का प्रयोग सर्तकतापूर्वक करते हैं।

10. शक्तियों का विकेन्द्रीकरण:

स्विस मानते हैं पहले कम्यून, फिर केन्टन और फिर राज्यमंडल । अतः वहाँ सत्ता का केन्द्रीकरण नहीं हुआ। अतः तानाशाही प्रवृत्तियों का बिल्कुल अभाव है।

11. सहवर्तनमूलक राजनीति:

स्विस राजनीति ऐसी है जहाँ सारे निर्णय केवल बहुमत के आधार पर नहीं लिए जाते बल्कि मिलकर सत्ता का प्रयोग किया जाता है अतः वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलना संभव हुआ।

12. स्वतंत्र प्रेस:

प्रजातंत्र की रक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता व निष्पक्षता आवश्यक है ताकि जानकारियाँ सभी को प्राप्त हो सकें। स्विस प्रेस नागरिकों को सही सूचना देने का कार्य अत्यन्त स्वतंत्रतापूर्वक व निर्भीकता के साथ करती है।

13. सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन:

स्विट्जरलैण्ड की स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ अत्यन्त सुदृढ़ हैं तथा बढ़िया शासन प्रदान करती है।

14. अच्छा राजनीतिक वातावरण:

हालांकि स्विट्जरलैण्ड एक विविधतापूर्ण देश है परन्तु वहाँ के नागरिक व नेता वैमनस्य के स्थान पर सहिष्णुता को महत्व देते हैं तथा राजनीति अत्यन्त प्रतिस्पर्धी ना होकर सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है तथा भ्रष्टाचार रहित है।

15. तटस्थता की नीति:

स्विट्ज़रलैण्ड ने विदेश नीति में स्थाई तटस्थता को अपनाया, जिससे उस देश में ना तो किसी अन्य देश ने दखल दिया ना उसने किसी अन्य देश के मामलों में दखल दिया और अपनी राजनीतिक व्यवस्था को स्वयं विकसित किया।

आप समझ ही गए होंगे कि उपरोक्त कारणों से स्विट्ज़रलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है।

अभ्यास प्रश्न

१.प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बड़े देशो के लिए उपयुक्त होता है .सत्य /असत्य

२.स्विट्ज़रलैण्ड में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है. सत्य /असत्य

३.विदेश नीति में स्थाई तटस्थता को अपनाने वाला देश स्विट्ज़रलैण्ड नहीं है. सत्य /असत्य

४.स्विट्ज़रलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दो विधियाँ है. सत्य /असत्य

५.स्विट्ज़रलैण्ड में सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है. सत्य /असत्य

16.7 सारांश

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्ज़रलैण्ड की एक ऐसी विशेषता है जो उसे विश्व की सभी राजनीतिक प्रणालियों में विशिष्ट स्थान दिलाती है तथा वहाँ के नागरिकों को अन्य देशों की तुलना में अधिक राजनीतिक भागीदारिता के अवसर प्रदान करती है तथा वहाँ कानून निर्माण प्रक्रिया में स्वयं भागीदारी का अवसर प्रदान करती है।

स्विट्ज़रलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तीन विधियाँ प्रचलित हैं: जनमत संग्रह, आरंभन तथा प्रारंभिक सभा। जनमत संग्रह में जनता व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जा रहे किसी भी कानून को रद्द कर सकती है या उसका अनुमोदन कर सकती है। आरंभन में जनता किसी से कानून को बनाने की

प्रक्रिया की शुरूआत कर सकती है। प्राथमिक सभाएँ केवल कुछ केन्टनों में ही हैं जिनमें सभी नागरिक एक जगह एकत्र होकर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मुख्य गुण हैं कि इससे जनता के अधिकतम राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलता है व राजनीतिज्ञों पर जनता का नियंत्रण रहता है। यह जन इच्छा जानने का साधन है तथा इससे विधायी त्रुटियों का उपचार होता है। इससे जनमत का सम्मान होता है तथा राजनीतिज्ञों व जनता में निरंतर सम्पर्क बना रहता है। इससे कानूनों को वैधता मिलती है तथा जनता कानूनों का सहर्ष पालन करती है। इससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है व वह जागरूक होती है और राजनीतिक स्थिरता आती है। इसमें अच्छा राजनीतिक वातावरण बनता है व दलीय खींचतान से मुक्ति मिलती है और गतिरोध की संभावना कम होती है। इससे जनता में स्वावलंबन की भावना जागृत होती है व प्रतिनिधियों की दासता से मुक्ति मिलती है। अतः इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है।

हालांकि आलोचकों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की आलोचना भी की है तथा इसमें कई दोष भी निकाले हैं जैसे कि इससे उत्तरदायित्वहीन जनता के पास सत्ता आती है; विधानमंडल की प्रतिष्ठा में कमी आती है व विधि निर्माण में बाधा आती है। समय व धन का अपव्यय होता है। आलोचकों के अनुसार इससे योग्य व्यक्ति हतोत्साहित होते हैं व अनावश्यक देरी तथा चुनाव थकान होती है। यह सही जनमत का अचूक सूचक नही है तथा वह नकारात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है तथा जनता में विशेषज्ञता का अभाव होता है।

इन सभी आलोचनाओं से परे स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अत्यन्त सफल रहा है। इसका कारण शिक्षित, जागरूक, सहिष्णु जनता तथा छोटा देश व कम जनसंख्या का होना तथा प्रजातांत्रिक व गणतांत्रिक परम्पराएँ हैं। साथ ही स्वतंत्र प्रेस, सहवर्तनमूलक राजनीति, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन व तटस्थता की नीति इत्यादि ने भी इसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

16.8 शब्दावली

आरंभक	आरंभ करने वाला

प्रत्यक्ष	सीधा
तटस्थता	किसी भी गुट से अलग
सहवर्तनमूलक	मिलजुल कर सामंजस्य से

16.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

१.असत्य २.असत्य ३.असत्य ४.असत्य ५.असत्य

16.10 संदर्भ ग्रन्थ

1. गुप्ता, एस.एन., प्रमुख देशों का संविधान, कमला प्रकाशन, सहारनपुर।
2. शर्मा एवं असोपा, आधुनिक प्रमुख संविधान, राजनीति विज्ञान विभाग, जयपुर।
3. पार्थसारथी, जी., आधुनिक संविधान, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।

16.11 सहायकध्उपयोगी पाठ्य सामग्री

१. चढ्ढा, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएँ, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर।

२. नारायण, इकवाल, विश्व के प्रमुख संविधान, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा।

16.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्विट्जरलैण्ड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण व दोषों पर प्रकाश डालिए।
2. स्विट्जरलैण्ड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण बताइये।

इकाई-17 संविधान की मूलभूत विशेषताएँ (चीन का संविधान)

इकाई की संरचना

17.0 प्रस्तावना
17.1 उद्देश्य
17.2 ऐतिहासिक पृष्टभूमि
17.3 1954 का संविधान
17.4 1975 का संविधान
17.5 1978 का संविधान
17.6 1982 का संविधान
17.7 सारांश
17.8 शव्दावली
17.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
17.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
17.11 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
17.12 निबंधात्मक प्रश्न

17.0 प्रस्तावना

चीन के संविधान से सम्बन्धित यह प्रथम इकाई है। सामाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीवीजन इत्यादि जनसंचार माध्यमों से आप इतना तो जानते ही होगे कि भारत के उत्तर में स्थित चीनविश्व का सवसे अधिक जनसंख्या वाला एक विशाल देश है। यह न केवल एशिया का सवसे शक्तिशाली राज्य है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक उभरती हुई महाशक्ति माना जा रहा है। भूतपूर्व सोवियत संघ तथा कई अन्य देशों में साम्यवाद के पतन के वावजूद चीन में आज भी एक साम्यवादी व्यवस्था कायम है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1949 में जनक्रांति द्वारा हुई जिसका नेतृत्व माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने किया था। इस शासन व्यवस्था को चीन के जनवादी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है।

किसी भी देश की वर्तमान संवैघानिक व्यवस्था को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्टभूमि को जानना आवश्यक होता है। इस इकाई के प्रथम भाग में जनवादी चीन के स्थापना की ऐतिहासिक पृष्टभूमि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। जनवादी चीन का प्रथम संविधान 1954 में क्रियान्वित हुआ तथा वर्तमान संविधान का निर्माण 1982 में हुआ। इस वीच 1975 एवं 1978 में दो अन्य संविधान निर्मित एवं क्रियान्वित हुए। इस इकाई में जनवादी चीन के 1954, 1975, 1978 एवं 1982 क संविधानों की मूलभूत विशेषताओं को रेखाकिंतकिया गया है। इस इकाई के अध्ययन से आप जनवादी चीन के संविधान की विशिष्टताओं को भलीभॉतिसमझा सेकेंगे।

17.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढने के वाद आप -

1. चीनी जनवादी गणतंत्र के संविधान की ऐतिहासिक पृष्टभूमि को समझ सकेंगे।
2. 1954, 1975, 1978 एवं 1982 के संविघानों की प्र्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. इनके बीच अन्तर कर सकेंगे।
4. अन्य देशों के संविधानों से चीन के संविघान की तुलना कर सकेंगे।

17.2 ऐतिहासिक पृष्टभूमि

भारत की तरह ही चीन एक प्राचीन देश है जिसका इतिहास लगभग 7000 वर्ष पुराना है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर बीसवी सदी के प्रथम दशक तक विभिन्न वंशो द्वारा राज्य किया गया जिनमें से चिन, सुई, तांग, उत्तरी सुंग, दक्षिणी सुंग, मंगोल तथा मांचू वंश प्रमुख है। मांचू वंश के शासन के दौरान साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन को कई प्रभाव क्षेत्रों में बॉटकर व्यापारिक उद्देश्य से इसका शोषण किया जाने लगा जिसे रोकने में कमजोर एवं भ्रष्ट मांचू शासक असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में जन असंतोष भड़क उठा जिसने क्रांति का रूप धारण कर लिया। क्रान्तिकारियों ने सन-यत-सेन के नेतृत्व में 10 अक्टूवर 1911 को वंशानुगत शासन का अन्त कर चीन को एक गणतंत्र वनाने की घोषणा की। सन्-यत-सेन एक दृढ राष्ट्रवादी एवं प्रजातंत्र के पक्षघर थे। उन्होने चीन को आर्थिक समृद्धि एवं प्रजातंत्र के मार्ग पर ले जाने के लिए एक राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया। लेकिन इससे पहले कि ये कार्यक्रम क्रियान्वित हो पाते, युआन-शि-काई के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादियों ने सत्ता पर कव्जा कर लिया। सन 1913 में सन्-यत-सेन की पार्टी कुओमिनतांग को गैर कानूनी घेाषित कर दिया गया तथा निरंकुश शासन की स्थापना की गई। लेकिन 1916 में युआन-शि-काई की मृत्यु के साथ ही उसका निरंकुश शासन समाप्त हो गया। देश में अशान्ति और अवयवस्था फैल गई। सन-यत-सेन की कुओमिनतांग पार्टी ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। इसी वीच 1917 की रूस की वोल्शेविक क्रान्ति ने चीन की राजनीति को व्यापक रूप से प्रभवित किया। चीन के कई वुद्विजीवी साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए। सन-यत-सेन के साम्यवादियों से समझौता कर लिया तथा रूस की साम्यवादी सरकार से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम किये। इस प्रकार चीन साम्यवादी विचारधारा के बहुत नजदीक आ गया। 1925 में सन-यत-सेन की मृत्यु क वाद चीन का राजनीतिक नेतृत्व च्यॉग-काई-शेक के हाथों में आ गया जो साम्यवाद का कट्टर और उग्र विरोधी था। उसने चीन में व्याप्त साम्यवादी विचारधारा को दवाने का भरसक प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप 1929 में साम्यवादी विचारधारा के सदस्य कुओमिनतांग दल से अलग हो गये और उन्होने साम्यवादी दल की स्थापना की।

1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया तथा उसके मंचूरिया नामक प्रदेश पर कब्जा कर लिया। न तो राष्ट्रसंघ और न ही किसी वड़ी शक्ति ने जापान को ऐसा करने से रोका। परिणामस्वरूप जापान ने 1937 में चीन के साथ पूर्ण युद्व की शुरूआत की। इस राष्ट्रीय संकट के काल में चीन के

साम्यवादियों ने च्यॉग काई शेक की सरकार के साथ जापानी आक्रमण का सामना करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया। माओ के नेतृत्व में साम्यवादियों ने जापानियों का डटकर मुकावला किया जिससे आम जनता में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्व की सामाप्ति के साथ ही संयुक्त मोर्चा भी सामाप्त हो गया तथा साम्यवादियों एवं कुओमिनतांग समर्थकों के वीच गृहयुद्व प्रारम्भ हुआ। 1949 में साम्यवादियों की विजय के साथ ही गृहयुद्व की सामाप्ति हुई। च्यांग काई-शेक तथा उसके समर्थकों को चीन की मुख्य भूमि से खदेड़ दिया गया। वे फॉर्मोसा (ताइवान) चले गए जहॉ उन्होंने अमेरिका की मदद से एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादियों की सत्ता स्थापित हो गई तथा 1 अक्टूवर 1949 को चीन में जनवादी गणराज्य के स्थापना की घोषणा कर दी गई। स्थापना के पॉच वर्षो तक चीन के जनवादी गणतंत्र की न तो कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापिका थी, नही एक औपचारिक संविधान। इस दौरान वहॉ की जनवादी राजनीतिक परामर्शदात्री समिति ने शासन किया। समिति ने 60 अनुच्छेदों वाले एक सामान्य कार्यक्रम तथा 31 अनुच्छेदों वाले ऑरगेनिक ला को ग्रहण किया जिसे चीन के सामयिक संविधान की संज्ञा दी गई। सामान्य कार्यक्रम में उन सिद्वान्तों का उल्लेख था जिसके आधार पर चीन के नये समाजवादी राज्य की स्थापना की जानी थी। यह माओ की पुस्तक आन दी पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप' तथा ऑन न्यू डेमोक्रेसी' में प्रतिपादित विचारधारा पर आधारित था। ऑरगेनिक लॉ में चीन के शासन व्यवस्था की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें कहा गया था कि अखिल चीनी जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस (जिसे वाद में राष्ट्रीय जनवादी कांगेस कहा गया) के निर्वाचन होने तक सम्पूर्ण सत्ता का प्रयोग चीनी राजनीति परामर्शदात्री समिति द्वारा किया जाये। किन्तु वास्तविकता यह थी कि वास्वतिक सत्ता चीन के सामयवादी दल के नेताओं के हाथ में थी क्योंकि 662 प्रतिनिधियों बाली राजनीतिक परामर्शदात्री समिति में साम्यवादी दल का वर्चस्व

था।

अभ्यास प्रश्न -1

1. रिक्त स्थान भरिए-

(क) .... वंश के शासन के दौरान साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन को कई प्रभाव क्षेत्रों

में बॉट दिया गया।

(ख) कुओमिनतांग दल के संस्थापक .... थे।

(ग) .... को चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई।

(घ) .... जनवादी चीन के संस्थापक थे।

2. ऑन दी पीपुल्स डेमोकेटिक डिक्टेटरशिप नामक पुस्तक के रचियता कौन है।

17.3 1954 का संविधान

जनवादी चीन के प्रथम संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1952 में प्रारम्भ हुई जव जनवादीराजनैतिक परामर्शदात्री समिति द्वारा स्थापित 56 सदस्यों वाली केन्द्रीय जनशासन समिति ने 33 सदस्यों की एक प्रारूप समिति नियुक्त की। प्रारूप समिति में साम्यवादी दल के सदस्यों का वर्चस्व था यद्यपि इसमें गैरदलीय संस्थाओं के प्रतिनिधियो को भी सम्मिलित किया गया था। 20 दिसम्वर 1954 को प्रथम राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस ने चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान की रूपरेखा को अन्तिम रूप से स्वीकार कर इसे लागू कर दिया। इस संविधान का मुख्य उद्देश्य चीन में धीरे धीरे समाजवाद की स्थापना करना था। यह संविधान चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना के पश्चात चीनी जनक्रान्ति की राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों की ओर संकेत करता था। इस संविधान के अन्तर्गत सोवितय वाद का अन्धाधुन्ध अनुकरण न करके साम्यवाद को नये रूप में अपनाया गया, जिसे चीन में माओवाद के नाम से जाना जाता है। 1954 के संविधान की मूलभूत विशेषताये निम्नवत थी-

१. यह एक लिखित प्रलेख था जिसमें 4 अध्याय तथा 106 अनुच्छेद थे। इसमें विस्तार पूर्वक जनवादी शासन के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उददेश्यों पर प्रकाश डाला गया था।

२. इस संविधान को संक्रमणकालीन संविधान की संज्ञा दी गयी थी। इसकी प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस प्रलेख का उददेश्य चीन के जनवादी गणतंत्र की स्थापना से लेकर समाजवादी समाज की प्रगति पर्यन्त संक्रमण काल में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

३. इस संविधान द्वारा चीन को एक जनवादी लोकतान्त्रिक राज्य घोषित किया गया। जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में था और जो श्रमिकों व कृषिकों के गठवन्धन पर आधारित था।

संविधान द्वारा जनवादी लोकतान्त्रिक तानाशाही की स्थापना की गई।

४. सोवियत सघ की भाति चीन का यह संविधान भी लोकतान्त्रिक केन्द्र वाद के सिद्वान्त पर आधारित था । इसका अर्थ यह है कि शासन के सभी स्तरों पर सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है, लेकिन शासन की निम्न इकाईयों को उच्च इकाईयों के नियन्त्रण एवं निर्देशन में कार्य करना पडता है। अन्य साम्यवादी देशों के सविधानों की तरह इसमें लोकतन्त्र पर कम और केन्द्रवाद पर अधिक वल दिया गया था।

५. इस संविधान के अन्तर्गत चीन को एक एकात्मक वहुराष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया। सभी राष्ट्रीयताओं को समान मानते हुये किसी के भी विरुद्ध शेाषण को प्रतिबंधित कर दिया गया । उन क्षेत्रो केा स्वायतता दी गई जहॉ लोग या राष्ट्रीय अल्पसॅख्यक समुदायेां में रहते थे । इन प्रान्तो एवं स्वायत क्षेत्रो को जनवादी चीन का अभिन्न अंग माना गया । उन्हें किसी भी परिस्थिति में अलग होने का अधिकार नहीं था । यह प्रावधान सोवियत संघ के सविधान से भिन्न था जो कि एक संघीय राज्य था और जहॉ कम से कम सैद्धान्तिक रूप से प्रान्तों को अलग होने का अधिकार था ।

६. संविधान द्वारा एक सदनीय व्यवस्थापिका-राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस- की स्थापना की गई जिसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया। इसमें प्रान्तों, स्वायत्र क्षेत्रों एवं केन्द्र के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया तथा इसे कानून वनाने , दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन करने तथा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति एवं स्थायी समिति के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया।

७. संविधान द्वारा एक स्थायी समिति ; का भी प्रावधान किया गया। चूँकि राष्ट्रीय जनवादी काग्रेंस एक विशाल सदन था जिसकी वैठक वर्ष में कुछ समय के लिए होनी थी, इसलिए यह व्यवस्था की गई की उसकी अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यो का संपादन एक स्थायी समिति करेगी। इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाना था तथा यह उसी के प्रति उत्तरदायी थी। यह व्यवस्था सोवियत संघ के प्रेजीडियम की तरह थी।

८. संविधान द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 4 वर्षों की अवधि के लिए एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी जोकि राज्य का प्रधान होगा। इस प्रकार चीन में एक

गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। यह प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से भिन्न था जहॉ प्रेजीडियम का अध्यक्ष ही राज्य का प्रधान कहलाता था।

९. कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्थायी समिति एंव गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा मिल कर किया जाना था। इस प्रकार एक सामूहिक कार्यवालिका का प्रावघान किया गया।

१०. संविधान के अनुच्छेद 85 से 103 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया था। प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार, कार्य का अधिकार, अवकाश एवं विश्राम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, मत देने एवं चुनाव लडने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इत्यादि प्रदान किये गये। नागरिकों के कर्त्तव्यों के अन्तर्गत संविधान एवं कानून का पालन करना, कार्यस्थल पर अनुशासन वनाये रखना सामाजिक नैतिकता का सम्मान करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना, निर्धारित करों की अदायगी करना, मातृभूमि की रक्षा करना, सैनिक सेवा का निष्पादन करना इत्यादि का उल्लेख किया गया। वास्तव में संविधान द्वारा नागरिक अधिकारों से ज्यादा उनके कर्त्तव्यों पर बल दिय गया।

११ संविधान में तीन प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी- सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष जन न्यायालय। मुख्य प्रोक्यूरेटर संपूर्ण देश में राज्य परिषद के सभी विभागों, राज्य के सभी स्थानीय अंगों, व्यक्तियों एवं नागरिकों पर दण्ड सम्बन्धी प्राधिकार का प्रयोग करता था। प्रशासनिक इकाई के विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रोक्यूरेटर मुख्य प्रोक्यूरेटर के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते थे।

१२. संविधान द्वारा साम्यवादी दल की प्रभावात्मक भूमिका को मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान की प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि चीन के गणराज्य पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व रहेगा। इस प्रकार, जनवादी चीनी गणराज्य का प्रथम संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान था। यद्यपि कुछ विद्वान इसे संविधान कम और कार्यक्रम अधिक मानते है लेकिन इससे इसका महत्व कम नही हो जाता। इसके द्वारा आधुनिक चीन के स्थापना क नींव रखी गई।

अभ्यास प्रश्नः 2

1. इनमें से कौन सी विशेषता जनवादी चीन के 1954 के संविधान की नहीं है-

(क) संक्रमण कालीन संविधान (ख) एक सदनीय व्यवस्थापिका

(ग) लोकतांत्रिक केन्द्रवाद (घ) संघात्मक राज्य की स्थापना

2. रिक्त स्थान भरिए-

(क) 1954 के चीनी गणराज्य के संविधान मे .... अध्याय तथा.............. अनुच्छेद थे।

(ख) 1954 के संविधान का उद्वेश्य चीन में एक राज्य की स्थापना करना था।

17.4 1975 का संविधान

1954 में स्वीकृत संविधान के 20 वर्षो तक कार्य करने के उपरान्त चीन मे एक नये संविधान के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। चीन-सोवियत संघ संघर्ष, 1966 की संस्कृतिक क्रान्ति तथा चीन में चलने वाले सत्ता संधर्ष को इस संविधान की पृष्टभूमि में देखा जा सकता है। चीन के साम्यवादी दल की वैठक् (8-10 जनवरी, 1975) में नये सवंधिान का प्रारूप तैयार किया गया। 17 जनवरी 1975 को चतुर्थ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने इस नवीन संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 1975 के संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-

१. यह संविधान 1954 के संविधान की तुलना में अत्यधिक संक्षिप्त एवं लचीला था। इस संविधान में 30 अनुच्छेद थे जवकि अध्यायों की संख्या अव भी 4 थी। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अपने सामान्य वहुमत से संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती थी।

२. इस संविधान में साम्यवादी दल की सर्वोच्ता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया। यद्यपि 1954 के संविधान में भी साम्यवादी दल की प्रभावदायक भूमिका का उल्लेख किया गया था, किन्तु यह दल के प्रभुत्व को स्थापित करने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास था। 1975 के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि शासन का सर्वोच्च अंग-राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस- साम्यवादी दल के नेतृत्व में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त देश की सेनाओं को भी साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी वनाया गया। साम्यवादी दल का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमाण्डर बनाया गया।

३. इस संविधान द्वारा गणतंत्र के चेयरमैन यानि राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया गया तथा उसकी शक्तियों को शासन के विभिन्न अंगो में बॉट दिया गया। कुछ शक्तियॉ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को और कुछ शक्तियॉ साम्यवादी दल के अध्यक्ष को सौंप दी गई।

४. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया।

५. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन किये गये। साहित्यिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति का अधिकार तथा आवास की स्वतंत्रता के अधिकारों का छोड़कर अधिंकाश मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा गया। इसके अतिरिक्त चार नये अधिकार शामिल किये गये, यथा- हड़ताल करने का अधिकार, जनसेना संगठित करने का अधिकार, नास्तिकता का प्रचार करने का अधिकार तथा सार्वजनिक विषयों पर खुले तौर पर वाद-विवाद करने और चित्र पोस्टर लगाने का अधिकार। इन चारों अधिकारों पर चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति का प्रभाव स्वष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

६. यह संविधान देश में समाजवादी क्रान्ति को पूरा कर सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता था जो मजदूरों एवं किसानों के गठवंधन पर आधारित थी।

७. इस संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्वान्त को अस्वीकार कर दिया गया। न्यायपालिका को शासन की एक अधीनस्थ शाखा के रूप में ही रखा गया।

८. पूर्व के संविधान की तरह इस संविधान में भी चीन को एक एकात्मक वहुराष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया। शासन का अधिकांश ढॉचा पहले जैसा ही था इस प्रकार, 1975 के संविधान द्वारा जनवादी चीन के राजनीतिक ढॉचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। यह संविधान चीन की राजनीतिक संरचना के वदलते सामाजिक आर्थिक आधार तथा आधारभूत नीतियों के संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व के अन्तविरोधों को प्रतिविम्वित करता है।

अभ्यास प्रश्न - 3

1. जनवादी चीन के 1975 के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य

है-

(क) इस संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 30 थी।

(ख) संविधान में संशोधन सामान्य बहुमत से किया जा सकता था।

(ग) संविधान में राष्ट्रपति के पद को कायम रखा गया।

(घ) राष्ट्रीय जनवादी कांगेस का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया।

2. 1975 के संविधान द्वारा प्रदत्त चार नये मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए।

17.5 1978 का संविधान

1975 के संविधान के क्रियान्वयन के तीन वर्षो के अन्दर ही चीन के साम्यवादी दल तथा राजनीतिक नेताओं द्वारा इसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामस्वरूप एक नये संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसे 5 मार्च, 1978 को पॉचवी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया गया।1978 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को निम्नवत समझा जा सकता है।

१. 1954 एवं 1975 के संविधानों की तरह यह एक लिखित संविधान था जिसमें 60 अनुच्छेद थे जिन्हे 4 अध्यायों में विभक्त किया गया था। इस प्रकार आकार की दृष्टि से यह 1954 के संविधान से छोटा किन्तु 1975 के संविधान से वड़ा था।

२. परिवर्तनशीलता की दृष्टि से यह ग्रेट बिटेन तथा 1975 के चीनी संविधान की तरह एक अत्यन्त लचीला संविधान था। राष्ट्रीय जनवादी कांगेस अपने सामान्य वहुमत से संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती थी।

३. इस संविधान में पहली वार सेना की भूमिका को उजागर किया गया। संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया कि चीन की जनवादी मुक्ति सेना, साम्यवादी दल के नेतृत्व में श्रमिकों एवं कृषकों की अपनी सेना है। इसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का आधार स्तम्भ माना गया जिसका मुख्य कार्य

समाजवादी क्रान्ति तथा समाजवादी संरचना को सुरक्षित रखना तथा साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी तथा विध्वंसकारी तत्वों से देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना था।

४. संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों की सूची काफी व्यापक थी क्योंकि इसमें नागरिक जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक एवं आर्थिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया था। मतदान का अधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार प्रमुख राजनीतिक अधिकार थे। इसके अतिरिक्त नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, पत्राचार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ वनाने, हड़ताल एवं प्रदर्शन करने इत्यादि की नागरिक स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई। इनके अतिरिक्त काम करने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, वृद्वावस्था एवं वीमारी की अवस्था में सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण अधिकार थे। लेकिन इनमें से अधिकांश अधिकार सैद्वान्तिक अधिक और व्यावहारिक कम थे। इनका प्रयोग मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवाद की विचारधारा पर आधारित राज्य के विरूद्व नही किया जा सकता था।

५. अधिकारो के साथ-साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया था। साम्यवादी दल के नेतृत्व तथा समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करना, कानून एवं संविधान का पालन करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना, देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, सैनिक सेवाओं का सम्पादन करना इत्यादि प्रमुख कर्त्तव्य थे।

६. पूर्व संविधानों की तरह इस संविधान में भी समस्त विघायी शक्तियॉ एकल सदनीय व्यवस्थापिका- राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को सौपी गई जो राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग था। 1975 के संविधान की तहर इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया।

७. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का सम्पादन करने हे 1954 तथा 1975 के संविधानों की तरह एक स्थायी समिति का प्रावधान किया गया। स्थायी समिति का अध्यक्ष उन सभी कार्यो का सम्पादन करता था जोकि 1975 से पूर्व गणतंत्र के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति द्वारा सम्पादित किया जाता था।

८. इस संविधान द्वारा देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की सर्वोच्चता को कायम रखा गया। इसे चीन की सम्पूर्ण जनता का नेतृत्व सौंपा गया।

१० . इस संविधान में भी जन-सम्प्रभुता के सिद्वान्त को मान्यता दी गई। जनता द्वारा राज्य शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जनवादी कांगेसों के माध्यम से किया जाना था। जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को सम्वन्धित निर्वाचकों द्वारा वापस वुलाने की भी व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त शासन के सभी अंगों द्वारा प्रजातान्त्रिक केन्द्रवाद के सिद्वान्त को अपनाया गया।

११. 1975 के संविधान की तरह इस संविधान में भी चीन के जनवादी गणराज्य को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया तथा मजदूरों एवं किसानों के गठवंधन पर आधारित सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को मान्यता दी गई।

१२. पूर्व के संविधानों की तरह इस संविधान में भी चीन को एक एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार जनवादी चीन का 1978 का संविधान कुछ नई विशेषताओं के होते हुए भी पहले के संविधानों से मौलिक रूप से भिन्न नहीं था। यह संविधान भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद एवं माओवाद की विचारधारा पर आधारित था जिन्हे चीन की विशेष परिस्थिति के अनुकूल वनाने की कोशिश की गई थी। इस संविधान का उद्देश्य चीन में समाजवादी राज्य की उपलब्धियों को मजवूती प्रदान करना तथा शासन में साम्यवादी दल तथा सेना की भूमिका को सुदृढता प्रदान करना था।

अभ्यास प्रश्न - 4

1. रिक्त स्थान भरिए:-

(अ) जनवादी चीन के 1978 के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या........................... थी।

(व) 1978 के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया .... के संविधान की तरह थी।

2. चीन के 1978 के संविधान के सन्दर्भ में निम्न लिखित में से कौन सा कथन असत्य है-

(अ) यह एक लचीला संविधान था।

(व) इस संविधान द्वारा चीन को एक संघात्मक राज्य घोषित किया गया।

(स) इस संविधान में सेना की भूमिका को उजागर किया गया।

(द) इस संविधान में जनसंप्रभुता के सिद्वान्त को मान्यता प्रदान की गई।

17.6 1982 का संविधान

4 दिसम्वर 1982 को चीन की राष्ट्रीय जनवादी कॉग्रेस ने अपने पंचम अधिवेशन में देश के लिए एक नया संविधान स्वीकार किया जो वर्तमान समय तक कार्यरत है। चीन के सर्वकालिक शक्तिशाली नेता माओ-त्से-तुंग के देहावसान के उपरान्त उत्पन्न नवीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस संविधान को अंगीकार किये जाने का विशेष महत्व है। 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-

१. सैद्वान्तिक दृष्टि से यह एक कठोर संविधान है क्योकि इसमें संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस की स्थायी समिति अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा किया जा सकता है जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के दो तिहाई सदस्यों द्वारा किये जाने पर संशोधन मान्य होता है। व्यवहार में जनवादी चीन जैसे एक दलीय व्यवस्था में जनवादी कांग्रेस के दो-तिहाई वहुमत को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है।

२. पूर्ववर्त्ती संविधानों की तरह इस संविधान द्वारा भी चीन को एक एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया है, अर्थात देश की शासन व्यवस्था एक ही केन्द्र अथवा इकाई द्वारा संचालित होती है। यद्यपि शासन का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु देश को कई प्रशासनिक इकाईयों में विभक्त किया गया है, लेकिन ये प्रशासनिक इकाईयॉ केवल केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। इनकी पृथक से कोई शक्ति नही है। संविधान द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयताओं को समानता का दर्जा प्रदान किया गया है।

३. इस संविधान के अन्तर्गत चीन के जनवादी गणतंत्र को जनता की लोकतांत्रिक तानाशाही के अधीन एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है जोकि श्रमिकों तथा कृषकों के गठवन्धन पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि प्रथम संविधान (1954) में चीन को एक जनवादी लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था, वही 1975 एवं 1978 के संविधानों में इसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वताया गया था। अतः चीनी राज्य की परिभाषा पहले के संविधानों से अलग है।

४. पूर्व के संविधानों की तरह यह संविधान भी 'लोकतात्रिक केन्द्रवाद' के सिद्धान्त पर आधारित है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लोकतंत्रीय होने का दावा किया जाता है क्योकि शासन के प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। दूसरी तरफ शासन के उच्चस्तरीय अंगो के समक्ष निम्नस्तरीय अंगो की अधीनता केन्द्रवाद के तत्व को प्रदर्शित करती है।

५. संविधान द्वारा एक सदनीय व्यवस्थापिका-राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस का प्रावधान भी पूर्ववत ही है। इसे राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है तथा वर्ष में इसकी कम से कम एक वैठक अवश्य वुलाई जाती है।

६. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की अनुपस्थिति में इसके कार्यों के सम्पादन हेतु एक स्थायी समिति का प्रावधान भी पहले की तरह है। यह भूतपूर्व सोवियत संघ के प्रेजीडियम की तरह है। इसका कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस के समकक्ष है तथा इसका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है।

७. इस संविधान द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों की पुनर्स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि 1975 के संविधान द्वारा इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति को जनवादी चीन के राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया गया है। उसका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है।

८. संविधान द्वारा सरकार के प्रत्येक अंग में कार्य करने वाले निर्वाचित व्यक्तियों को एक ही पद पर अधिक से अधिक दो वार निर्वाचित होने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रत्येक का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अतः कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि 10 वर्षो से अधिक समय तक अपने पद पर नही रह सकता।

९. चीन के साम्यवादी दल की भूमिका के संदर्भ में भी वर्तमान संविधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। जहॉ 1975 एवं 1978 के संविधानों में विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत साम्यवादी दल की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया गया था, वहॉ 1982 के संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त कहीं भी साम्यवादी दल का उल्लेख नही किया गया है। प्रस्तावना में साम्वादी दल को अन्य लोकतांत्रिक दलों के संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व प्रदान किया गया है। इस प्रकार चीन की

राजनीतिक व्यवस्था में सामयवादी दल की प्रभावात्मक भूमिका को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

१०. इस संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है। काम करने का अधिकार, विश्राम करने का अधिकार, वृद्धावस्था एवं शारीरिक अक्षमता की स्थिति में भौतिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार इत्यादि प्रमुख आर्थिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार वैज्ञानिक अनुसंधान करने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक कार्य करने की स्वतंत्रता इत्यादि प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हैं। राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्गत वोट देने का अधिकार, चुनाव लडने का अधिकार, राज्य सत्ता के किसी भी अंग या अधिकारी की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार सम्मिलित है। नागरिक अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रतओं के अन्तर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वंत्रता तथा सभा करने, संघों को वनाने और उनमें सदस्यता प्राप्त करने, जुलूस निकालने तथा प्रदर्शन की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि सम्मिलित हैं। सैद्वान्तिक तौर पर ये सभी अधिकार अत्यन्त प्रभावी प्रतीत होते है, लेकिन व्यवहार में इनका प्रयोग साम्यवादी दल की इच्छा के अनुसार ही किया जा सकता है।

११. अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्त्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। मूल कर्त्तव्यों में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को वनाये रखना, संविधान तथा देश की विधि का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना तथा उसकी प्रतिष्ठा को वनाये रखना, सैनिक सेवा प्रदान करना, करों का भुगतान करना इत्यादि सम्मिलित है। संविधान द्वारा अधिकारों की तुलना में कर्त्तव्यों को अधिक महत्व दिया गया है।

१२. संविधान को एक विशिष्टता केन्द्रीय सैनिक आयेग की स्थापना है जिसे राष्ट्र की सेनाओं के निर्देशन का कार्य सौंपा गया है। इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 5 वर्षो के लिए किया जाता है तथा यह अपने कार्यो के लिए काग्रेंस के प्रति उत्तरदायी होती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व के संविधानो में इस तरह की कोई व्यवस्था नही थी।

१३. संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था भी अनूठी है। एकीकृत न्याय व्यवस्था के शिखर पर स्थित सर्वोच्च जन न्यायालय का मुख्य दायित्व समाजवादी व्यवस्था का संरक्षण करना है। संविधान द्वारा न्यायपालिका के सुंवतत्र अस्तित्व को स्वीकार नही किया गया है तथा इसे अपने निर्वाचन व कार्यकाल के लिए देश की संसद अर्थात् राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पर आश्रित रहना

पडता है। इस प्रकार न्यायपालिका सरकार का एक अभिन्न अंग है तथा इसे प्रतिवद्ध होकर कार्य करना पड़ता है।

१४. संविधान में देश की विदेश नीति के मूल सिद्वान्तों का उल्लेख किया गया है। मूल सिद्वान्तों में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, शान्तिपूर्ण सह- अस्तित्व, राष्ट्रीय हितो का संरक्षण, पंचशील के सिद्वान्त, तथा विश्वशान्ति जैसे सिद्वान्तों का समावेश किया गया है। पूर्ववर्त्ती संविधानों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नही किया गया था।

१५. यह संविधान मार्क्स, लेनिन एवं माओं के विचारो को कुछ संशोधित रूप में प्रतिविम्वित करता है। सांस्कृतिक क्रान्ति (1966-1976) के दौरान हुई गलतियों को स्वीकार करते हुये इसे ठीक करने का प्रयत्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान बडे पैमाने पर नागरिक अधिकारों का हनन हुआ था, अर्थव्यवस्था डावांडोल हो गई थी और उत्पादन घटा था। इसलिए नये संविधान में चीन की समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा नागरिक अधिकारों पर बल दिया गय है। विकेन्द्रीकरण, आर्थिक उदारीकरण तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अंगीकार किये जाने की नीतियों का समर्थन किया गया है। इस प्रकार जनवादी चीन के 1982 का संविधान उत्तर माओ युग की परिस्थितियों के अनुरूप चीन की साम्यवादी व्यवस्था को एक नया स्वरूप प्रदान करने तथा जन आकांक्षाओं को संतुष्ट करने का एक प्रयत्न है। यह अपने आप में एक अनूठा संविधान है।

अभ्यास प्रश्न- 5

1. चीन के 1982 के संविधान के संदभ्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नही है-

(अ) इस संविधान को सामान्य वहुमत से संशोधित किया जा सकता है।

(ब) किसी भी निर्वाचित व्यक्ति को एक ही पद पर अधिक से अधिक दो वार निर्वाचित होने का

अधिकार हे।

(स) इस संविधान द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों की पुनर्स्थापना की गई है।

(द) इस संविधान द्वारा एक केन्द्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है।

2. रिक्त स्थान भरिए-

(अ) 1982 के संविधान में .... अनुच्छेह है।

(ब) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अपने .... वहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है।

(स) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल .... वर्ष का होता है।

17.7 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जनवादी चीन का संविधान विश्व का एक अनूठा संविधान है जो न केवल प्रजातान्त्रिक देशों के संविधानों से मौलिक रूप से भिन्न है, बल्कि भूतपूर्व सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों के संविधानों से भी कई दृष्टियों में भिन्नता रखता है। यह संविघान मूलतः मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवाद की विचारधारा पर आधारित है जिसे चीन की विशेष परिस्थितियों, बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिवेश तथा भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के युग की चुनौतियों के अनुरूप संशोधित एवं परिवर्द्धित किया गया है। यही कारण है कि 1949 में जनवादी गणतंत्र की स्थापना को लेकर अवतक चीन में चार संविधानों (1954, 1975, 1978 एवं 1982) का निर्माण हो चुका है। 1982 का संविधान ही वर्तमान में कार्यरत है। इस संविधान द्वारा चीन में लोकतांत्रिक तानाशाही के अधीन एक समाजवादी राज्य की स्थापना की गई है। वैधानिक रूप से राष्ट्रीय

जनवादी कांग्रेस राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग है, किन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण शासन व्यवस्था पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। इस इकाई के अध्ययन से आप जनवादी चीन के संविधान मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित कर सकेंगे तथा अन्य देशों के संविधानों से जनवादी चीन के संविधान की तुलना कर सकेंगे।

17.8 शव्दावली

साम्यवादी शासन:- वह शासन जो पूँजीवाद विरोधी है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के अन्तर्गत एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के लक्ष्य पर आधारित है। इस शासन व्यवस्था में

उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था होती है और सत्ता पर एक दल- साम्यवादी दल- का प्रभुत्व होता है जो मूलतः मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद की विचारधारा से प्रेरित होती है।

जनवादी लोकतंत्र:- इस शव्द का प्रयोग सामान्यतया चीन तथा भूतपूर्व सोवयित संघ जैसे साम्यवादी व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता रहा है। इस व्यवस्था के समर्थकों का मानना है किजहॅा पाश्चात्य लोकतंत्र में पूँजीपतियों का वर्चस्व एवं नियंत्रण होता है वहीं जनवादी लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र है जिसमें वहुसंख्यक मजदूरों एवं किसानों का वर्चस्व एवं नियंत्रण होता है। इसे समाजवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है।

गणतंत्र:- वह शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता है।

सांस्कृतिक क्रान्ति:- एक वैचारिक क्रांन्ति जो साठ के दशक में चीन में माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्वेश्य चीन के लोगों, विशेकर विशिष्ट वर्गों की मनोवृत्ति को समाजवादी क्रान्ति के अनुरूप वनाया था।

17.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. (क) मांचू वंश (ख) सन्-यत-सेन (ग) 1 अक्टूवर 1949 (घ) माओ-त्से-तुंग 2. माओ-त्से-तुंग

अभ्यास प्रश्न 2

1. (द) 2. (क) 4, 106 3. (ख) जनवादी लोकतांत्रिक

अभ्यास प्रश्न 3

1. (स)

2. हडताल करने का अधिकार, जनसेना संगठित करने का अधिकार नास्तिकता का प्रचार करने का अधिकार तथा सार्वजनिक विषयों पर वाद-विवाद करने एवं चित्र-पोस्टर लगाने का अधिकार

अभ्यास प्रश्न 4

1. (अ) 60 (ब) 1975 2. (ब)

अभ्यास प्रश्न 5

1. (अ) 2. (अ) 138 (ब) दो-तिहाई (स) 5

17.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भगवान, विश्नू एवं भूषण, विद्या, (2009): वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूसन्स, स्टर्लिग प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 524-550

2. खन्ना, वी0एन0 एवं आनन्द, उमा (2009): शासन एवं राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, आर. चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, पृ.सं. 491-518

3. तायल, वी0वी0 (1983): शासन और राजनीतिः तुलनात्मक अध्ययन, नेशनल पव्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ.स. 525-540

4. पालेकर, एस0ए0 (2009): कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स एण्ड गवर्मेन्ट, प्रेंटिस हॅाल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, पृ.सं. 229-237

17.11 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. पार्थसारथी, जी0, (1987): आधुलिक संविधान, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृ.सं. 12-27
2. शर्मा, प्रभुदत्त, (1998): प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाए, कालेज वुक डिपों, जयपुर, पृ.सं. 437-447

17.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान की ऐतिहासिक पृष्टभूमि का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

2. चीन के 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

3. ''चीन का संविधान अपने आप में अनूठा एवं विश्व के अन्य संविधानों से अलग है।'' टिप्पणी कीजिए।

4. पिछले संविधानों की तुलना 1982 के संविधान से करते हुए इनमें अन्तर स्पष्ट कीजिए।

इकाई-18 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (चीन का संविधान)

इकाई की संरचना

18.0 प्रस्तावना

18.1 उद्देश्य

18.2 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस: रचना एवं संगठन

18.2.1 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस: शक्तियाँ,कार्य एवं स्थिति

18.2.2 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति

18. 2.3 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की विशिष्ट समितियाँ

18.3 विधायन प्रक्रिया

18.4 सारांश

18.5 शब्दावली

18.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

18.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

18.8 सहायक/उपयोगी पाठय सामग्री

18.9 निबंधात्मक प्रश्न

18.0 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपको चीन के संविधान की मूलभूत विशेषताओं से अवगत कराया गया। आप इतना तो जान चुके हैं कि जनवादी चीन में एकल सदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान है जिसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन की राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग है। इसे चीन का एकमात्र विघायी निकाय घोषित किया गया है,लेकिन यह व्यवस्थापिका से कुछ और अधिक है। इसका कार्यक्षेत्र बहुमुखी है तथा यह राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं में हस्तक्षेप करती है। इस ईकाई में विस्तारपूर्वक राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति की संरचना, शक्तियों एवं कार्यो पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की विभिन्न समितियों एवं विघायी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप चीन की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका - राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सभी पहलुओं को समझ सकेंगें तथा इनका विश्लेषण कर सकेंगे।

18.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

1. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना एवं संगठन को समझ सकेंगें।

2. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियों एवं कार्यो का विश्लेषण कर सकेंगे।

3. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति तथा अन्य समितियों के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाल सकेंगे।

4. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की विधायी प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे।

5. जनवादी चीन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका की तुलना अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं से कर सकेंगें।

18.2 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस: रचना एवं संगठन

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन की एकल सदनीय व्यवस्थापिका है जो प्रान्तों,स्वायत्त क्षेत्रों,केन्द्रीय सत्ता की प्रत्यक्ष अधीनता वाली नगरपालिकाओं तथा सशत्र सेना द्वारा

निर्वाचित प्रतिनिधियों (क्मचनजपमे)से मिलकर गठित होती है। चीन के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है,मत देने तथा निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। मतदान तथा चुनाव लड़ने के बारे में संविधान द्वारा राष्ट्रीयता जाति,लिंग,व्यवसाय,धार्मिक विश्वास,शिक्षा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। संविधान में कांग्रेस की सदस्य संख्या का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यह कानून द्वारा निर्धारित होती है। ग्यारहवें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधिवेशन (2008) में लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है। चुनाव का आयोजन एव संचालन स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। नई राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का चुनाव पिछली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व सम्पन्न कराये जाने का प्रावधान है। किन्ही असाधारण परिस्थियों के कारण समय पर चुनाव कराना संभव न हो सके तो स्थाई समिति के कुल सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा चुनाव में विलम्ब का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है तथा सदन के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियाँ समाप्त होते ही एक वर्ष के अन्दर नये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का चुनाव कराये जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होता है जो कि स्थायी समिति द्वारा बुलाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो स्थायी समिति कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी वुला सकती है।

जनवादी कांग्रेस अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष सामान्यतया विधायिका के सभापति के कार्यो का सम्पादन करता है। उसका प्रभाव बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।

कांग्रेस के सदस्यों को कतिपय विशेषाधिकार भी प्राप्त है। इसके सदस्य राज्य परिषद अथवा राज्य परिषद के मन्त्रालय एवं आयोगों से प्रश्न पूछ सकते है, जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की अनुमति के बिना न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उन

पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बैठक के भीतर भी किसी भी सदस्य के विरूद्ध तब तक कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती जब तक स्थायी समिति उसके लिए आज्ञा प्रदान न करे। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों के ये विशेषाधिकार या उन्मुक्तियाँ लोकतान्त्रिक देशों की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के अनुरूप ही है।

18.2.1 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस: शक्तियाँ,कार्य एवं स्थिति

1982 के संविधान में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की व्यापक शक्तियाँ तथा कार्य सौंपे गये हैं जोकि निम्न प्रकार हैं -

1. यह चीन की एक मात्र विधि निर्मात्री सत्ता है जिसे सम्पूर्ण चीन के लिए कानून वनाने तथा उसे संशोधित करने का अधिकार है। इसकी अनुपस्थिति में इसकी स्थायी समिति इस कार्य का सम्पादन करती है। साधारण कानून कांग्रेस के सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं।

2.इसे संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। संशोधन का प्रस्ताव स्थायी समिति अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों के पांचवें भाग द्वारा किया जा सकता है तथा सदन के दो -तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थन किये जाने पर यह प्रस्ताव पारित माना जाता है।

3.यह संविधान के कार्यान्वयन की देखरेख भी करती है तथा ऐसे निर्णयों को रद्द करती है जो संविधान का उल्लंघन करता हो।

4.इसे निर्वाचन एवं पदच्युत करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी प्राप्त है। यह चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति,सर्वोच्च जन न्यायालय के अध्यक्ष तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरेट के मुख्य प्रोक्यूरेटर का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री के चयन तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्य परिषद के अन्य सह सदस्यों के चयन के संबंध में भी इसे निर्णय लेने का अधिकार है। यह राष्ट्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का भी निर्वाचन करती है। इसे उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदच्युत करने की भी शक्ति प्राप्त है।

5.यह वित्तीय शक्तियों का भी प्रयोग करती है। इसके द्वारा बजट सम्बन्धी प्रस्तावों को पारित करने तथा उसमें संशोधन करने का कार्य किया जाता है। वित्तीय प्रस्तावों की जॉच करना,आर्थिक योजनायें वनाना तथा बजट समिति का निर्माण करना राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का ही कार्य है। जनता पर कर लगाना और उन्हें वसूल करने के लिए नियम बनाना भी इसके क्षेत्राधिकार में आते है।

6. यह प्रान्तों,स्वायत्त क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष अधीनता बाली नगरपालिकाओं की स्थापना का अनुमोदन करती है। इसे इनकी सीमाओं में भी परिवर्तन करने का अधिकार है।

7.इसे विभिन्न प्रकार की समितियाँ गठित करने का भी अधिकार है। विशेष कार्यो के लिए विशेष समितियों की स्थापना की जाती है। सरकार के विभिन्न विभागों का कर्तव्य है कि वे समितियों को वे सभी सूचनाएँ प्रदान करें जो उनके कार्यो के लिए आवश्यक और वांछनीय हो।

9.यह दूसरे देशों में कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने और उन्हें वापस बुलाने जैसे प्रश्नों पर भी निर्णय करती है।

10.इसके द्वारा स्थाई समिति एवं राज्य परिषद के कार्यों की देख-रेख भी की जाती है तथा उनके उन निर्णयों एवं आदेशों को रद्द करने का अधिकार है जो संविधान,विधियों तथा आज्ञप्तियों का उल्लंघन करते हो।

11. यह प्रान्तों,स्वायत्त प्रदेशों एवं केन्द्र-शासित नगरपालिकाओं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किए असंगत निर्णयों को रद्द या संशोधित कर सकती है।

12. यह युद्ध एवं शान्ति के प्रश्नों पर भी निर्णय लेती है। युद्ध एवं शान्ति की घोषणा का औपचारिक अनुमोदन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

13. इसे सामान्य राज्य क्षमा प्रदान करने की भी शक्ति प्रदान की गई है।

14. इसके द्वारा अन्य ऐसे कार्यो एवं शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है जो कि राज्य सत्ता के सर्वोच्च अंग के रूप में किया जाना चाहिए।

15.राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की उपर्युक्त शक्तियों एवं कार्यों का अवलोकन करने से

आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यह वास्तव में चीन की राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग है जो बहुमुखी शक्तियों का प्रयोग करती है तथा शासन के अन्य अंग इसके नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करते है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि एक साम्यवादी देश में जो वैधानिक सत्य है वह राजनीतिक असत्य है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की बैठक वर्ष में केवल एक बार और वह भी अल्प काल के लिए होती है। यहीं कारण है कि इसके अधिकांश कार्यो का संम्पादन इसकी स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। यह भी वास्तविकता है कि यह स्थायी समिति चीन के साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो के अनुरूप ही कार्य करती है क्योंकि साम्यवादी दल देश की सर्वोच्च नियामक शक्ति है। अतः राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की भूमिका पूरी तरह औपचारिक एवं दिखावा मात्र है। सैद्धान्तिक स्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह विश्व की सबसे कमजोर व्यवस्थापिकाओं में से एक है।

हैरोल्ड एस0 किग्ले ने उक्त सन्दर्भ में ठीक ही लिखा है कि,''कानून में इसकी सर्वोच्चता व्यवहार में एक आडम्बर मात्र है। वास्तव में यह कार्यपालिका के निर्णयों के लिए सामूहिक रबड़ की मोहर का काम देती है। इसका महत्व केवल इस बात से है कि यह अपने सदस्यों को किसी सीमा तक प्रतिनिधि सरकार के रूप तथा कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ अवसर अवश्य प्रदान करती है।''

अभ्यास प्रश्न -1

1. रिक्त स्थान भरिए -

(अ) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की बैठक वर्ष में कम से कम ....बार अवश्य होती है।

(व) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन ....द्वारा बुलाया जाता है।

(स) चीन के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु ....वर्ष हो मत देने का अधिकार है।

(द) नई राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का चुनाव पिछली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल समाप्त होने के ....माह पूर्व कराये जाने का प्रावधान है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है-

(अ) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एकल सदनीय व्यवस्थापिका है।

(ब) संविधान में संशोधन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सामान्य बहुमत से किया जा सकता है।

(स) चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है।

(द) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को राज्य परिषद् अथवा मन्त्रालयों से प्रश्न पूछने का अधिकार है।

18.2.2 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति

जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि चीन की एकल सदनीय व्यवस्थापिका - राष्ट्रीय जनबादी कांग्रेस की बैठक वर्ष में एक बार और वह भी अल्पकाल के लिए होती है। ऐसी स्थिति में यह सर्वथा असम्भव है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों को यह प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित कर सके। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए चीनी संविधान निर्माताओं ने एक स्थायी समिति की व्यवस्था की है। जब जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा होता तो उसके सभी कार्यों का सम्पादन इसकी स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। इसे लघु विधायिका अथवा स्थायी कार्यकारिणी का अंग भी कहा जाता है।भूतपर्व सोवियत संघ के प्रेसीडियम की भॉति चीन की स्थायी समिति भी शासन प्रणाली का एक अनोखा अंग है। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थावना से लेकर अबतक के सभी संविधानों-1954, 1975, 1978, एवं 1982 में स्थायी समिति की व्यवस्था की जाती रही है। वर्तमान संविधान (1982) के अनुच्छेद 65 में इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

१.राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की रचना एवं संगठन

स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, एक महासचिव तथा कुछ सदस्य होते हैं। संविधान या कानून द्वारा इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। इसका निर्धारण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। लेकिन संविधान द्वारा अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के लिए

अनुकूल प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। यह भी कहा गया है कि स्थायी समिति का कोई भी सदस्य किसी शासकीय,न्यायिक व प्रोक्यूरेटरीय अंग का सदस्य नहीं बनेगा।

स्थायी समिति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है और वैधानिक दृष्टि से यह उसके प्रति उत्तरदायी है। 1975 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने अपनी जिस स्थायी समिति का चुनाव किया था उसमें एक अध्यक्ष, 22 उपाध्यक्ष एक महासचिव तथा 144 सदस्य थे। पॉचवें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (फरवरी 1978) में इसकी सदस्य संख्या 175 निश्चित कर दी गई थी। 1982 के संविधान के लागू होने के बाद से इसकी सदस्य संख्या घटती -बढ़ती रही है। मार्च 1998 में इसकी सदस्य संख्या 134 थी।

स्थायी समिति का कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की भॉति 5 वर्ष रखा गया है,परन्तु अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अधिक से अधिक दो कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकते हैं।

स्थायी समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा वुलाई जाती है और वहीं बैठकों की अध्यक्षता करता है। यदि कभी अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो स्थायी समिति के सदस्य उपाध्यक्षों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेते हैं। किन्तु यदि अध्यक्ष त्यागपत्र दे या उसका स्वर्गवास हो जाए तो नये अध्यक्ष का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष न केवल स्थायी समिति की सभाओं का सभापतित्त्व करता है अपतु स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कानून तथा आज्ञप्तियाँ भी जारी करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्थायी समिति का पूर्ण अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। यदि आवश्यकता हो तो इसकी कार्यकारी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण तथा महासचिव भाग लेते है। अन्य सदस्यों से परामर्श करना आवश्यक नहीं होता।कार्यकारी वैठकों में दिनानुदिन के कार्यो का सम्पादन किया जाता है। स्थायी समिति के अध्यक्ष को जो औपचारिक शक्तियॉ 1975 एवं 1978 के संविधानों में दी गई थी, वे 1982 के संविधान द्वारा समाप्त कर दी गई हैं। अध्यक्ष यह औपचारिक कार्य राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सम्पादित करता था, क्योंकि 1975 एवं 1978 के संविधानों में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं थी। परन्तु अब,जब चीन का एक राष्ट्रपति है, वह स्वयं ही औपचारिक शक्तियों का प्रयोग करता है।

२. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति शक्तियाँ एवं कार्य

स्थायी समिति विभिन्न प्रकार के- विधायी, कार्यकारी,न्यायिक एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन करती है। इसकी कुछ प्रमुख शक्तियॉ एवं कार्य निम्नवत हैं-

1.यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों के चुनाव करवाती है।

2.यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाती है।

3.यह संविधान की व्याख्या तथा क्रियान्वयन करती है।

4.जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सत्र में न हो तो यह उसके बदले कानून बनाती है तथा कानूनों में संशोधन करती है।

5.यह जनवादी कांग्रेस के विश्राम काल में राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा आय -व्यय के ब्यौरे में थोड़े बहुत परिवर्तन की समीक्षा कर सकती है।

6.यह राज्य परिषद,केन्द्रीय सैनिक आयोग,सर्वोच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च जनवादी महान्यायवादी के कार्यो की जॉच पड़ताल करती है।

7.यह उन सभी प्रशासकीय कानूनों,नियमों तथा आदेशों को जो संविधान विरोधी हों,को समाप्त कर सकती है।

8.प्रान्तों,स्वायत्त क्षेत्रों तथा केन्द्र के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा यदि कोई सही निर्णय नहीं लिए जाते या संविधान विरोधी निर्णय लिए जाऐ तो उन्हें स्थायी समिति समाप्त कर सकती है।

9.जब कभी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्य परिषद के सदस्यों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर स्थाई समिति नियुक्त एवं पदमुक्त कर सकती है। इसी प्रकार केन्द्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय सैनिक आयोग के सदस्यों के बारे में भी निर्णय ले सकती है। सवौच्च जनवादी न्यायालय के उपाध्यक्षों तथा सर्वोच्च जनवादी न्यायवादी के उप-मुख्य न्यायवादियों की नियुक्ति तथा पदमुक्त करने का अधिकार भी स्थायी समिति के हाथों में है।

10.विभिन्न देशों में राजदूत तथा अन्य प्रतिनिधि भेजने तथा वापस बुलाने की शक्ति भी स्थायी समिति के हाथों में सौंपी गई है। परन्तु यह केवल राजदूतों इत्यादि के नामों का निर्णय करती है। उनकी औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

11.विभिन्न देशों के साथ चीनी सरकार द्वारा की गई सन्धियों या समझौतों को स्थायी समिति स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।

12.समय-समय पर स्थाई समिति द्वारा सेना व कूटनीतिज्ञों के लिए सम्मानीय पद स्तर व उपाधियाँ तथा नागरिकों के लिए राजकीय पदकों तथा सम्मानसूचक पदों व उपाधियों की संस्थापना भी की जाती है।

13.चीन में अपराधियों को क्षमा-दान प्रदान करने का अधिकार भी स्थायी समिति को दिया गया है।

14.समस्त देश अथवा किसी प्रदेश स्वायत्त क्षेत्र अथवा केन्द्र के प्रत्यक्ष अधीन नगरपालिकाओं में मार्शल लॉ लागू करना भी स्थायी समिति का ही कार्य है।

15.राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के विश्राम काल में यदि चीन पर कोई अन्य राष्ट्र सशस्त्र आक्रमण कर दे तो ऐसे अवसर पर उपयुक्त निर्णय लेने का अधिकार भी स्थायी समिति को दिया गया है।

उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक समय-समय पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो अन्य शक्तियॉ सौंपती है,उनका उपभोग भी स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है।

३ . राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति शक्तियाँ एवं कार्य

राष्टी॰य जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के शक्तियों एवं कार्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि चीन को संवैधानिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बैधानिक तौर पर भले ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया हो लेकिन वास्तविक सत्ता तो स्थायी समिति के पास ही है। जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में केवल एक बार होता है और वह भी केवल 8 या 10 दिन के लिए। यही नहीं जनवादी कांग्रेस का आकार भी इतना बड़ा है कि इसके लिए किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार -विमर्श करना सम्भव नहीं हो सकता। अतः यह स्वाभाविक है कि इसकी समस्त शक्तियाँ धीरे-धीरे संविधान के द्वारा तथा परंपराओं के आधार पर स्थायी समिति के हाथों में चली जाएॅ। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए

कि चीन जैसे साम्यवादी देश में स्थायी समिति या शासन का कोई भी अंग साम्यवादी दल की प्रभुत्वपूर्ण भूमिका के समक्ष महत्वहीन है। दूसरे शब्दों में,शासन के अन्य अंगों की तरह स्थायी समिति भी साम्यवादी दल के निर्देशन तथा नियन्त्रण में कार्य करती है। चीनी जनवादी गणराज्य के सभी निर्णय दल की पोलिट ब्यूरो द्वारा लिए जाते हैं, प्रशासनिक अंग तो उन निर्णयों को केवल कार्यान्वित करते हैं।राजनीतिक विचारक पीटर टैंग के शब्दों में,‘‘प्रेसिडियम की भाँति स्थायी समिति भी राज्य के उन अधिनियमों को जिनका दल की उच्च परिषदों द्वारा अनिवार्यतः निर्णय किया जाता है,आवश्यक वैधानिक रूप तथा सत्ता प्रदान करने के लिए एक लघु एवं प्रबन्ध योग्य समूह के रूप में कार्य करती है।’’

अभ्यास प्रश्न 2

1 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है-

(अ) स्थायी समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव करबाती है।

(ब) स्थायी समिति संविधान की व्याख्या तथा क्रियान्वयन करती है।

(स) स्थायी समिति का कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समकक्ष होता है।

(द) स्थायी समिति की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निर्धारित की गई है।

2 रिक्त स्थान भरिए -

(अ) स्थायी समिति की बैठक ....द्वारा बुलायी जाती है।

(ब) स्थायी समिति का निर्वाचन ....करती है।

(स) राजदूतों के नामों का निर्णय ....करती है।

(द) व्यवहार में शासन के अन्य अंगों की तरह स्थायी समिति भी ....के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करती है।

18. 2.3 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की विशिष्ट समितियाँ

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में कुछ विशिष्ट समितियाँ भी गठित की जाती है। इनमें कुछ समितियाँ स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी अथवा तदर्थ।

स्थायी समितियाँ निम्न विषयों से संबंधित हैं - राष्ट्रीयता, विधि, वित्तीय एवं आर्थिक मामले, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विदेशी मामले, विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों से सम्बन्धि तमामले इत्यादि।इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विषयों पर भी स्थायी समितियाँ गठित की जा सकती है।

तदर्थ समितियाँ प्रायः जॉच समितियाँ होती हैं जो किसी विशेष मामले या मुद्दे के समाधान के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती हैं। इन विभिन्न विशिष्ट समितियों के सभापति के सभापति,उपसभापति और सदस्यों का नामांकन कांग्रेस सदस्यों में से प्रेसिडियम द्वारा किया जाता है। जन-कांग्रेस इनका विधिवत निर्वाचन करती है।

इन समितियों में कुछ विशेषज्ञ भी नियुक्त किये जा सकते हैं जो जन-कांग्रेस के सदस्य न हो। ये विशेषज्ञ पूर्णकालीन या अंशकालीन परामर्शदाता के रूप में कार्य करते है। ये समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा विचाराधीन विधेयकों और संकल्पों पर अपने प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं।

विशिष्ट समितियों द्वारा निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन किया जाता है-

1.राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा प्रेसिडियम द्वारा प्रेषित विधेयकों और प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना और उनका परीक्षण करना।

2.प्रेसिडियम अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के विचारार्थ विधेयकों एव प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करना।

3.राज्य परिषद (मंत्रिमण्डल),विभिन्न मंत्रालयों एवं समितियों द्वारा जारी प्रशासकीय विधियों,अधिनियमों, निर्णयों एवं आदेशों का परीक्षण कर उन पर रिर्पोट देना,प्रान्तीय स्तर की

इकाईयों की जन-कांग्रेस और उनकी स्थायी समितियों द्वारा पारित उन विधेयकों और निर्णयों का परीक्षण करना जो संविधान या राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल हों।

4.प्रेसिडियम और स्थायी समिति द्वारा प्रेषित मामलों की जॉच करना और उन व्यक्तियों या निकायों के प्रत्युत्तर पर विचार करना जिनके विरूद्ध ये मामले हों।

5.समितियों कि कार्य से संबंधित मुददों की जॉच पड़ताल करना और सुझाव या प्रस्ताव देना।

6.राष्ट्रीयता समिति उन प्रश्नों की जॉच पड़ताल कर अपने प्रस्ताव दे सकती है जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मध्य एकता को बल देने बाले हों।

7.विधि समिति राष्ट्रीय जन-कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति को प्रेषित सभी विधियों के प्रारूप का परीक्षण करती है। अन्य विशिष्ट समितियॉ भी विधियों के प्रारूपों पर अपने विचार विधि समिति को भेज सकती है।

प्रत्यय-पत्र समिति का कार्य राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना होता है। इस समिति की स्थापना स्थायी समिति करती है जिसमें एक सभापति,कुछ उपसभापति और सदस्य होते हैं जो सव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट स्थायी समिति को देती है जो सदस्यों के निर्वाचन की पुष्टि करती है। स्थायी समिति अन्त में निर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रीय जन-कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व विधिवत घोषित करती है।

अभ्यास प्रश्न 3

1 रिक्त स्थान भरिए-

(अ) तदर्थ समिति प्रायः ....होती है।

(ब) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−...............................समिति उन प्रश्नों की जॉच-पड़ताल करती है जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित हो।

(स) विशिष्ट समितियों में नियुक्त विशेषज्ञ जो जन-कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं,......................के

रूप में कार्य करते हैं।

(द) ....का कार्य राष्ट्रीय जन-कांग्रेस के लिए निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना होता है।

2 राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की विशिष्ट समितियों के चार प्रमुख कार्यो का उल्लेख कीजिए।

18.3 विधायन प्रक्रिया

राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समक्ष विधेयक जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों (क्मचनजपमे), कांग्रेस की प्रसिडियम,स्थायी समिति तथा अन्य समितियों, राज्य-परिषद तथा चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। किसी विधेयक के लिए सभी वाचनों या चरणों से होकर गुजरना आवश्यक नहीं है।

कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को इसके सत्र के दौरान वाद-विवाद के लिए प्रेसीडियम द्वारा सदन के पटल पर रखा जाता है अथवा किसी उपयुक्त समिति के पास भेजने उपरान्त कांग्रेस के सत्र के दौरान इस पर वाद-विवाद होता है। चूँकि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन अल्पकाल के लिए और वो भी वर्ष में एकबार होता है,सामान्यतया वाद-विवाद के तुरंत बाद विधेयक पर मतदान होता है। वाद-विवाद केवल साम्यवादी दल के दिशा-निर्देशन के अनुसार होता है क्योंकि चीन में शासन के सभी अंग ‘प्रजातांत्रिक केन्द्रवाद’ के सिद्धान्त के तहत कार्य करते है जिसमें पार्टी के उच्च स्तर पर लिये गए निर्णय का अनुपालन शासन के सभी अंगों के लिए अनिवार्य होता है।

जहॉं साधारण विधेयक राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होते हैं वही संविधान संशोधन विधेयक के पारित होन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। विधेयक गुप्त मतदान अथवा हाथ दिखाकर पारित किया जा सकता है। चीनी गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को लागू किया जाता है। उसे किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार नहीं है।

अभ्यास प्रश्न- 4

1 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है-

(अ) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में किसी विधेयक के लिए सभी वाचनों या चरणों से होकर गुजरना

आवश्यक है

(ब) विधेयक पर वाद-विवाद के तुरंत बाद मतदान होता है।

(स) विधेयक पर वाद-विवाद साम्यवादी दल के दिशा-निर्देशन के अनुसार होता है।

(द) विधेयक को किसी उपयुक्त समिति के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है।

2 रिक्त स्थान भरिए -

(अ) साधारण विधेयक राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के ....से पारित होता है।

(ब) संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के.....................बहुमत की आवश्यकता होती है।

18.4 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस संवैधानिक तौर पर चीनी राज्य-सत्ता का सर्वोच्च अंग है, लेकिन इसका अधिवेशन वर्ष में

सिर्फ एक बार और वो भी अल्पकाल के लिए होने के कारण इसकी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग इसकी स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। स्थायी समिति को 'लघु विधायिका' भी कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि चीन जैसे साम्यवादी देश में जो वैधानिक सत्य प्रतीत होता है, वह राजनीतिक असत्य होता है। स्थायी समिति को भी साम्यवादी दल के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करना होता है, अर्थात वास्तविक शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में है। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस विश्व की सबसे कमजोर व्यवस्थापिकों में से एक मानी जाती है। इस इकाई के अध्ययन के वाद आप जनवादी चीन की एकल सदनीय व्यवस्थापिका-राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना एवं संगठन, शक्तियों एवं कार्यो तथा उसकी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर सकेंगे । जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की रचना, संगठन, शक्तियों कार्यो एवं वास्तविक स्थिति को भी स्पष्ट कर सकेंगे। साथ ही जनवादी कांग्रेस की विशिष्ट समितियों की संरचना एवं कार्य तथा विधायन-प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला सकेंगे।

18.5 शब्दावली

विशेषाधिकार - वे विशिष्ट अधिकार जो कुछ विशेष पदधारकों को प्रदान किए जाते हैं,सामान्य नागरिकों को नहीं। अधिकांश देशों में राष्ट्राध्यक्षों,व्यवस्थापिका के सदस्यों मंत्रियों तथा कुछ अन्य उच्च पद धारकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने पद से सम्बन्धित दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से कर सके।

पोलिट ब्यूरो- भूतपर्व सोवियत संघ,चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की सर्वोच्च कार्यकारिणी जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा प्रमुख निर्णय लिये जाते हैं।

विधेयक- प्रस्तावित कानून

प्रजातांत्रिक केन्द्रवाद-साम्यवादी शासन व्यवस्था में प्रचलित सिद्धान्त जिसमें शासन के प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है,लेकिन शासन की निम्न इकाईयों को उच्च इकाईयों के नियंत्रण एवे निर्देशन में कार्य करना पड़ता है। सामान्यतया इसमें लोकतन्त्र पर कम और केन्द्रवाद पर अधिक बल दिया जाता है।

18.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1 (अ) एक (ब) स्थायी समिति (स) 18 (द) दो

अभ्यास प्रश्न 2

1.द 2 (अ) अध्यक्ष (ब) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (स)स्थायी समित (द) साम्यवादी दल

अभ्यास प्रश्न 3

1 (अ) जॉच समिति (ब) राष्ट्रीयता (स) परामर्शदाता (द) प्रत्यय-पत्र समिति

2 भाग 2.6 देखिए

अभ्यास प्रश्न 4

1.अ 2. (अ) सामान्य बहुमत (ब) दो-तिहाई बहुमत

18.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 पालेकर,एस0ए0 (2009):कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स एण्ड गवर्मेंट, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली,पृ0स0 241-248

2 भगवान विश्नू एवं भूषण विद्या (2009):वर्ल्ड कॉन्स्टिटयूसन्स, स्टर्लिंग प्रकाषन, नई दिल्ली,पृ0स0551-557

3 खन्ना, वी0 एन0 एवं आनन्द,उमा (2009): षासन एवं राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, आर0चन्द्रएण्ड कम्पनी,नई दिल्ली, पृ0सं0 536-545

18.8 सहायक/उपयोगी पाठय सामग्री

1 कपूर, अनूपचन्द एवं मिश्रा, के0 के0 (2006): सेलेक्ट कॉन्सिटटयूसन्स, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी,नई दिल्ली,पृ0सं0 616-622

2 जैन, हरिमोहन (2010): विष्व के प्रमुख संविधान, षारदा पुस्तक भवन,इलाहाबाद, पृ0 सं0 40-43

18.9 निबंधात्मक प्रश्न

1 चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना, कार्यो एवं स्थिति की समीक्षा कीजिए।

2 चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के संगठन, कार्यो एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए।

3 राष्ट्रीय जनवादी चीन की समिति व्यव्यस्था पर एक निबंध लिखिए।

4 जनवादी चीन की विधायन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।

इकाई-19: कार्यपालिका, न्यायपालिका (चीन का संविधान)

इकाई की संरचना

19.0 प्रस्तावना

19.1 उद्देश्य

19.2 जनवादी चीन की कार्यपालिका: राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति

19.3 राज्य - परिषद् एवं प्रधानमंत्री

19.4जनवादी चीन की न्यायपालिका: न्यायिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

19.4.1 जनवादी चीन की न्यायपालिका: न्यायिक संगठन

19.5 सारांश

19.6 शब्दावली

19.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

19.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

19.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

19.10 निबंधात्मक प्रश्न

19.0 प्रस्तावना

चीन के संविधान से संबंधित यह तीसरी इकाई है। पिछली दो इकाईयों के अध्ययन से आप इतना तो जान ही चुके हैं कि जनवादी चीन का संविधान अपने आप मे एक अनूठा संविधान हैं जिसमें शासन के प्रत्येक अंग की अपनी कुछ विशिष्टताए है। जिस प्रकार चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं से कई दृष्टियों से भिन्न है उसी प्रकार की भिन्नता एवं अनूठापन आप जनवादी चीन की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका मे भी पायेंगे।

जनवादी चीन में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्य परिषद् तथा प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संस्थाँओं द्वारा ही देश की कार्यकारी अथवा कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग किया जाता हं। इस इकाई मे कार्यपालिका से संबंधित इन सभी संस्थाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया हैं। इसके अतिरिक्त जनवादी चीन की न्यायिक व्यवस्था भी प्रजातांत्रिक देशों की न्यायिक व्यवस्था से भिन्न हैं। इस इकाई मे जनवादी चीन की न्यायिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं तथा न्यायिक संगठन से आपको अवगत कराया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जनवादी चीन की कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की विशिष्टताओं को समझा सकेगे तथा अन्य देशों की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से इनकी तुलना कर सकेंगे।

19.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढने के बाद आप-

1.जनवादी चीन की कार्यपालिका की संरचना को समझ सकेंगे।

2.जनवादी चीन के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्य-परिषद् एवं प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं कार्यो की समीक्षा कर सकेंगे।

3.जनवादी चीन की न्यायिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे।

4.जनवादी चीन के न्यायिक संगठन को स्पष्ट कर सकेंगे।

5.जनवादी चीन की कार्यपलिका एवं न्यायपालिका की तुलना अन्य देशों की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से कर सकेंगे।

19.2 जनवादी चीन की कार्यपालिका: राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति

जनवादी चीन गणतन्त्र के अध्यक्ष को राष्टपति कहा जाता है। 1954 के संविधान मे इसे ‘चेयरमैन‘ कहा जाता था। 1975 के संविधान द्वारा ‘चेयरमैन‘ एवं उप चेयरमैन का पद समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1982 के संविधान द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों की पुनर्स्थापना की गयी हैं तथा राष्ट्रपति को राज्य के प्रधान का दर्जा प्रदान किया गया है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्यकाल-

जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। चीन का कोई भी नागरिक जो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मताधिकार प्राप्त हो और निर्वाचन मे खडे हेाने के योग्य हो, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। 1982 के संविधान द्वारा यह प्रावधान किया गया हैं कि केाई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से अधिक के लिए राष्ट्रपति पद पर बना नहीं रह सकता।

यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाये तो उपराष्ट्रपति उसका पदभार ग्रहण करता है।

यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनेा का पद एक साथ रिक्त हो जाये तो स्थायी समिति का चेयरमैन कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है तथा राज्य के प्रधान के कर्तव्यो का निर्वाह तब तक करता है जब तक कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा नये राष्ट्रपति का निर्वाचन नही कर लिया जाता।

राष्ट्रपति की शक्तियॉं एवं कार्य-

राज्य का प्रधान हेाने की हैसियत से जनवादी चीन का राष्ट्रपति औपचारिक दायित्यो तथा उन कार्यो का सम्पादन करता है जो उसे संविधान द्वारा आवंटित किया गया है। उसके प्रमुख कार्य निम्नवत है-

1. वह राष्टीय जनवादी कांग्रेस एवं उसकी स्थायी समिति के निर्णयों का अनुपालन करते हुए विधियो को कानून का रूप प्रदान करता है। अर्थात् विधायिका द्वारा पारित विधियो पर हस्ताक्षर करके उन्हें लागू करता है।

2. प्रधानमंत्री पद के लिए वह एक व्यक्ति के नाम का सुझाव राष्टीय जनवादी कांग्रेस के पास भेजता है। जब कांग्रेस उस नाम को स्वीकृति प्रदान कर दें तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है।

3. राष्टीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसार वह उप प्रधानमंत्रियों, राज्य पार्षदों , आयोगेां तथा मंत्रालयेां के मंत्रियो, महालेखा परीक्षक तथा राज्य परिषद् के महासचिव की नियुक्ति करता हैं।

4. उसे अपने द्वारा नियुक्त सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति की संस्तुति के आधार पर पदच्युत करने का अधिकार है।

5. स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसार राष्ट्रपति राज्यगत सम्मान, पदक तथा प्रतिष्ठा की उपाधियॉ प्रदान करता हैं।

6. वह विशेष क्षमादान के आदेश जारी करता है।

7. सैनिक शासन की घोषणा करने , युद्धावस्था की घोषणा करने और सक्रिय सैनिक गतिविधि के आदेश जारी करने, के अधिकार भी राष्ट्रपति को है, परन्तु ये सब कार्य राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के निर्णयानुसार ही किये जा सकते है।

8. वह चीनी जनवादी गणतंत्र की तरफ से विदेशी राजदूतो तथा अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्र स्वीकार करता है तथा उनका स्वागत करता है।

9. उसे विदेशों में चीनी राजदूत तथा अन्य राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त करने तथा उन्हे वापस बुलाने का भी अधिकार है। इस कार्य का संपादन भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही किया जाता है।

10. वह विदेशी राज्यों के साथ की गयी संधियों का अनुसमर्थन करता हैं। उसे संधियों या समझौतो को भंग करने का भी अधिकार हैं।

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति-

चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति का पद सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा प्रभाव का है, सत्ता या शक्ति का नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह एक नाममात्र का प्रधान है जिसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा इसकी स्थायी समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य सम्पादन करना होता है। उसकी तुलना इंगलैंड के राजा या रानी अथवा भारत के राष्ट्रपति के साथ की जा सकती हैं। वह स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकता। उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व तथा दलीय पद सोपान में उसके स्थान पर निर्भर करता हैं।

व्यवहारतः राष्ट्रपति पद पर साम्यवादी दल के शीर्षस्थ नेता प्रतिष्ठित होते रहे हैं। 1954 से लेकर अब तक माओ-त्से-तुंग, ल्यु शाओ ची व जियांग जेमिन जैसे महानतम नेताओ के पदासीन होने से इस पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। लेकिन संवैधानिक प्रावधानो से बंधकर कार्य करने वाले राष्ट्रपति को स्वतंत्रतापूर्वक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के लिए किसी विभाग में शक्तियॉ या अधिकार नही दिये गये हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चीनी जनवादी गणराज्य का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रधान है जिसकी वास्तविक स्थिति संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित न होकर दलीय उच्च कमान मे उसके स्थान पर निर्भर करती हैं।

उप-राष्ट्रपति-

1954 के संविधान की तरह ही 1982 के संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। राष्ट्रपति की तरह उप राष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्टीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। इस पद के लिए भी वहीं योग्यताएँ निर्धारित की गयी है, जो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक मानी जाती है। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का है।

उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्टपति को उसके कार्यों के सम्पादन मे सहायता देना है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अक्षमता तथा अस्वस्थता की स्थिति में भी वह राष्टपति के समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार यदि राष्टपति अपने पद से त्यागपत्र दे दें तो उपराष्ट्रपति को राष्टपति पद की शपथ दिलायी जाती है। इस तरह उपराष्ट्रपति की संवैधानिक तथा संस्थागत स्थिति भी पाश्चात्य देशों की तरह ही है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. सत्य/असत्य बताइए अ. चीनी जनवादी गणतंत्र के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

ब. राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है

स. राष्ट्रपति पद का चुनाव लडने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष है

द. राष्ट्रपति द्वारा वास्तविक शक्तियो का प्रयोग किया जाता है।

2. रिक्त स्थान भरिये-

अ. जनवादी चीन का राष्टपति राज्य का..............................है

ब. राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित न होकर...............................में उसके स्थान पर निर्भर करती है।

स. प्रधानमंत्री पद के लिए एक नाम का सुझाव............................राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के पास भेजता है।

द. यदि राष्ट्रपति एवं उप राष्टपति का पद एक साथ रिक्त हो जाये तो..........................कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है।

19.3 राज्य - परिषद् एवं प्रधानमंत्री

जनवादी चीन की राज्य परिषद राज्य शक्ति के सर्वोच्च अंग (अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस) का कार्यकारिणी निकाय है। यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है। इसे केन्द्रीय जनवादी सरकार की भी संज्ञा दी जाती है। इसकी स्थिति संसदीय प्रजातंत्रों वाले देशों की मंत्रीमंडल के समान है, यद्यपि इनमे कई संस्थागत एवं कार्यात्मक भिन्नताएँ पायी जाती है। यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

राज्य परिषद की रचना एवं संगठन-

राज्य परिषद् में एक प्रधान मंत्री कुछ उप प्रधानमंत्री, राज्य परिषद, विभिन्न मंत्रालयो के मंत्री, आयोगो के अध्यक्ष, महालेखा परीक्षक, तथा एक महासचिव सम्मिलित होते है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्टीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति (यदि कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो) मंत्रालयो और आयेागो की संख्या बढा या घटा सकती है। मंत्रालय प्रभारी मात्र होता हैं और उसे सहायता देने के लिए कुछ उप मंत्री हेाते है। आवश्यकतानुसार कुछ अन्य सहायक मंत्री भी नियुक्त किये जा सकते है। विभिन्न विभागेां के कार्यो के निर्देशन मे प्रधानमंत्री की सहायता हेतु आवश्यकता पडने पर राज्य परिषद प्रशासनिक इकाईयो का गठन कर सकती है। राज्य परिषद् का एक सचिवालय होता है जिसका अध्यक्ष महासचिव होता है।

प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रपति के नामांकन पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। राज्य परिषद् के अन्य सदस्यो का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस प्रधानमंत्री के नामांकन पर करती है। प्रधानमंत्री तथा राज्य परिषद के सदस्येा को पदमुक्त करने का भी अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को ही है।

राज्य परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष का है। यदि राष्टीय जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल में वृद्धि की जाती है तो राज्य परिषद के कार्यकाल मे भी उसी अनुरूप वृद्धि की जाती है। प्रधानमंत्री उपप्रधानमंत्रियो तथा राज्य पार्षदो को लगातार दो बार से अधिक निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।

राज्य परिषद् की शक्तियाँ तथा कार्य-

1982 के संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद् (अथवा मंत्रीमंडल) को व्यापक शक्तियॉ प्राप्त है जो निम्नवत है-

1. प्रशासकीय कार्यकलापों का निर्माण करना निर्णयों तथा आज्ञाओं को जारी करना तथा संविधान के अनुसार उनके परिपालन को सुनिश्चित करना।

2. कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करना

3. मंत्रालयों आयेागों एवं समस्त देश के स्थानीय प्रशासकीय अंगेा के कार्यो का नेतृत्व करना एवं उनमें सामंजस्य स्थापित करना।

4. आयेागों एवं मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये आदेश व निर्देशो को संशोधित करना अथवा रद्द करना, यदि वे अनुपयुक्त या अवैध प्रतीत हो।

5. राष्ट्रीय आर्थिक योजनायें एवं राज्य के बजट के प्रावधानों को क्रियान्वित करना

6. वैदेशिक एवं आंतरिक व्यापार का नियन्त्रण करना

7. सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी तथा जन स्वास्थ्य के कार्यों का निर्देशन करना

8. राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित एवं विदेशों में बसे चीनियों से सम्बन्धित मामलो का प्रशासन करना।

9. राज्य के हितों की रक्षा करना, सार्वजनिक शांति बनाये रखना एवं नागरिकों की रक्षा करना।

10. विदेशी मामलों के संचालन का निर्देशन करना एवं प्रतिरक्षा सेना के निर्माण का मार्गदर्शन करना।

11. स्वायत्त शासन प्राप्त क्षेत्रों, स्वाधीन काउण्टियों तथा नगरपालिकाओं आदि की सीमाओं एवं उनकी स्थितियों को निश्चित करना।

12. कानून के अनुसार प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्त करना अथवा बर्खास्त करना।

13. उन अन्य शक्तियों तथा कार्यो का सम्पादन करना जो राष्टीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा समय-समय पर उसे सौपे जाये।

राज्य परिषद् का मूल्यांकन-

राज्य परिषद् की शक्तियो एवं कार्यो के अवलोकन से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि जनवादी चीन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, परन्तु वास्तव में ऐसा निष्कर्ष निकालना भ्रामक होगा।

इसमे कोई दो राय नही कि चीन की राज्य परिषद, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसके विश्राम काल मे उसकी स्थायी समिति द्वारा निर्वाचित होती है तथा उसी के प्रति उत्तरदायी भी है। राज्य परिषद् को अपना प्रतिवेदन विधान मण्डल के ही समक्ष प्रस्तुत करना हेाता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को राज्य परिषद् के मंत्रियों तथा आयेागों के अध्यक्षेां से प्रश्न पूछने का अधिकार है तथा इन मंत्रियों को प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कांग्रेस की स्थायी समिति को राज्य परिषद के निर्णयों व आदेशों को रद्द या संशोधित करने का अधिकार है यदि वे निर्णय एवं आदेश संविधान की विधि या आज्ञप्रियो के विरूद्ध हो। इस प्रकार सरकार के व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका अंग पारस्पारिक सामंजस्य से कार्य करते है तथा राष्ट्रीय परिषद् राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति वैधानिक रूप से उत्तरदायी है, किन्तु यह उत्तरदायित्व भारत अथवा ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की अपेक्षा बिल्कुल अलग प्रकार का हैं।

आप इतना तो जानते ही हैं कि जनवादी चीन में शासन के प्रत्येक अंग पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व हैं। राज्य परिषद्, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति समान रूप से साम्यवादी दल के नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और आयोगो के अध्यक्ष साम्यवादी दल के प्रमुख सदस्य होते हैं, अतः वे प्रायः इस स्थिति मे रहते हैं कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा नियन्त्रित हेाने की अपेक्षा स्वयं ही उसे नियंत्रित करें। राज्य परिषद अपना कार्य करने में एक टीम भावना का परिचय देती हैं। लेकिन एक पूर्ण निकाय के रूप में इसे पद त्याग करने के लिए विवश नही किया गया है और न ऐसा होना संभव ही प्रतीत हेाता है। अबतक का इतिहास बताता है कि व्यक्तिगत मंत्रियों को तो अप्रतिष्ठित किया गया हो या निकाला गया हो, लेकिन सम्पूर्ण राज्य परिषद् के प्रति ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी गौरतलब हैं कि चीन की साम्यवादी व्यवस्था में राज्य परिषद् को व्यवस्थापिका में किसी संगठित विरोधी दल का सामना नहीं करना पडता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का सिद्वान्त अर्थहीन बन जाता हैं।

प्रधानमंत्री-

प्रधानमंत्री राज्य परिषद का अध्यक्ष अर्थात कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हेाता है। 1982 के संविधान के अनुच्छेद 88 मे इस पद की व्यवस्था की गयी है तथा स्पष्ट किया गया है कि चीन का प्रधानमंत्री राज्य परिषद् का मार्गदर्शन करेगा। यह भी व्यवस्था की गयी है कि उप प्रधानमंत्री तथा स्टेट कौसिंलर प्रधानमंत्री को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता करेंगे।

जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रपति के नामांकन पर राष्टीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात राष्ट्रपति उसकी औपचारिक नियुक्ति करता है। उसे औपचारिक रूप से राज्य परिषद के कार्य का निर्देशन करने और उसकी बैठको में सभापतित्व करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि राज्य परिषद के अन्य सदस्यों के चयन में उसकी महत्वपूर्ण और संभवतः निर्णायक भूमिका होती है। लेकिन ऐसा होना सदैव अनिवार्य नहीं है। उसकी शक्ति तथा स्थिति बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। संसदात्मक शासन वाले देशों के प्रधान मंत्रियो की तरह चीनी प्रधानमंत्री शासक दल का सर्वोच्च नेता नही होता। राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति की स्थिति उससे कहीं अधिक उच्च होती है।

आप इस तथ्य से भी अवगत है कि प्रधानमंत्री सहित राज्य परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते है जो उन्हे कार्यो के प्रति उपेक्षा करने पर पदच्युत कर सकती हैं। प्रधानमंत्री को एक सीमित मंत्रिमंडल का निर्माण करने का अधिकार है जिसके द्वारा राज्य परिषद् द्वारा पारित होने वाले नियम प्रभावित होते हैं। राज्य परिषद् के निर्माण हेतु बनाये गये ऑरगेनिक लॉ में प्रधानमंत्री के अधीन एक छोटी आन्तरिक कैबिनेट की व्यवस्था की गयी हैं। इस नियम की धारा 4 के अनुसार परिषद् की स्थायी बैठक में प्रधानमंत्री एव महासचिव सम्मिलित होते हैं तथा मंत्रियों एवं आयोगो के अध्यक्षो की सम्मिलित बैठक में अंतर होता हैं।

इस प्रकार जनवादी चीन की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद हैं जिस पर देश के कई अति विशिष्ट नेता आसीन रहे है। चाऊ-एन-लाई, हुआ गुआ फेंग, झाओ जियॅाग, ली फंग, इत्यादि चीन के शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहे हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व तथा दलगत स्थिति पर निर्भर करती है।

अभ्यास प्रश्न-2

1. निम्नलिखित में से कौन राज्य परिषद् का सदस्य नहीं होता-

अ. प्रधानमंत्री ब. उप प्रधानमंत्री

स. राष्ट्रपति द. विभिन्न मंत्रालयो के मंत्री

2. सत्य/असत्य बताइये-

अ. राज्य परिषद् चीनी जनवादी गणराज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है।

ब. आयेागों के अध्यक्ष भी राज्य परिषद् के सदस्य होते है

स. राज्य परिषद् का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति मे बढाया नहीं जा सकता है।

द. राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थाई समिति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करना राज्य परिषद का एक प्रमुख कार्य है।

3. रिक्त स्थान भरिए-

अ. प्रधानमंत्री जनवादी चीन की कार्यपालिका का........................प्रधान होता है

ब. प्रधानमंत्री का निर्वाचन.........................के नामांकन पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है।

19.4जनवादी चीन की न्यायपालिका: न्यायिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

समाजवादी देशों में न्यायपालिका की भूमिका उदार लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होती है। सरकार के एक अंग के रूप में यह समाजवादी कानून पद्वति की रक्षा करती है तथा समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ करती है। जहॉ भारत तथा अमेरिका जैसे देशो में न्यायालयो का मुख्य कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विधि के शासन की रक्षा करना है वहॉ चीन जैसे साम्यवादी देश मे उसका मुख्य कार्य समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करना है। यह मान लिया गया है कि चीन में व्यक्ति एवं राज्य के मध्य केाई संघर्ष हो ही नही सकता है। व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के उच्च हितों के समक्ष अपने व्यक्तिगत हितो को बलिदान करने के लिए तैयार रहेगा। राज्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है और यह जानता है कि जनसाधारण के हित में क्या है। साम्यवादी दल जनसाधारण की आकांक्षाओं का प्रतीक और रक्षक हैं। अतः जो कुछ भी दल का निर्णय हेाता है वही राज्य का आदेश हेाता है। न्यायपालिका राज्य शक्ति का केवल एक अंग है। इसलिए यह दल के निर्णयो एवं राज्य के कार्यो को रद्द नहीं कर सकता।

जनवादी चीन की न्यायिक व्यवस्था की विशिष्टताएँ निम्नवत है-

1. न्यायपालिका का मुख्य कार्य समाजवादी कानून व्यवस्था को लागू करना, क्रान्ति विरोधी शक्तियों का दमन करना तथा समाजवाद को सुदृढ करना हैं।

2. न्यायपालिका शासन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती है नकि एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय के रूप में।

3. शासन के अन्य अंगो की तरह न्यायपालिका पर भी साम्यवादी दल का वर्चस्व है तथा इसे साम्यवादी दल के एक अधीनस्थ अंग की तरह कार्य करना पडता है।

4. न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के निर्णयो या आदेशों को रद्द नही कर सकती। यदि सरकार के कानून, आज्ञप्तियॉ और आदेश संविधान मे दिए गए किसी मूल अधिकार का भी अतिक्रमण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायपालिका लोंगों की कोई सहायता नहीं कर सकता।

5. न्यायपालिका का संगठन, पिरामिड के आकार का है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च जन न्यायालय, इसके बाद स्थानीय जन न्यायालय तथा सबसे नीचे विशिष्ट जन न्यायालय है।

6. सभी स्तरो पर न्यायाधीशो का निर्वाचन सम्बन्धित स्तरो की कांग्रेसो द्वारा किया जाता है।

7. कानून की दृष्टि मे सभी नागरिको को समान माना गया है। लिंग जाति राष्ट्रीयता और भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नही किया जा सकता है।

8. न्यायालय में सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था है तथा लोगो को अपनी पसन्द के कानूनी सलाहकार के माध्यम से सफाई देने का अधिकार हां।

9. चीन में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले वकील नहीं पाये जाते हैं। हर नगर व कस्बे मे वकीलो के पैनल मौजूद है, जिन्हें राज्य की ओर से वेतन मिलता हैं। नागरिक पैनल से किसी भी वकील की सेवायें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

10. न्यायाधीशों की सहायता के लिए जन मूल्यांककों की भी व्यवस्था की गयी हैं। कोई भी नागरिक जन मूल्यांकक के पद पर कार्य कर सकता हैं।

11. न्यायालयें में स्थानीय भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है, और यदि कोई इस भाषा को न समझे तो उसे दुभाषिये का सहारा लेने का अधिकार प्राप्त है।

12. राज्य सार्वजनिक सम्पत्ति के विरूद्ध तथा श्रम अनुशासन का अतिक्रमण करने वाले अपराधियो के विरूद्ध कडी से कडी कार्रवाई करता हैं।

13. शासन के विभिन्न स्तरों पर जनवादी न्यायवादियों की व्यवस्था हैं जो प्रशासनिक अंगो, पदाधिकारियों एवं सामान्य व्यक्तियों के आचरण पर निगरानी रखते हैं तथा उनके विरूद्ध यदि केोई शिकायत हो तो उसे अदालत में ले जाते हैं। इनका चुनाव सम्बन्धित स्तरों की जन कांग्रेसों , द्वारा किया जाता हैं। इस प्रकार जनवादी चीन की व्यवस्था, उदार लोकतांत्रिक देशो की न्यायिक व्यवस्था में मौलिक रूप से भिन्न है।

अभ्यास प्रश्न-3

1. जनवादी चीन की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ मे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है-

अ. न्यायपालिका का मुख्य कार्य समाजवादी कानून व्यवस्था की रक्षा करना है

ब. न्यायपालिका एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय के रूप में कार्य करती है

स. न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है

द. न्यायपालिका का संगठन पिरामिड के आकार का है।

2. रिक्त स्थान भरिए-

अ. जनवादी चीन की न्यायपालिका का मुख्य कार्य.........................शक्तियों का दमन करना है

ब. जनवादी चीन की न्यायपालिका शासन के....................अंग के रूप में कार्य करती है।

स. चीन में न्यायाधीशो का.......................किया जाता हैं।

द. चीन मे न्यायपालिका पर....................दल का वर्चस्व हैं।

19.4.1 जनवादी चीन की न्यायपालिका: न्यायिक संगठन

जनवादी चीन का न्यायिक संगठन सरल एवं पिरामिड के आकार का है। न्यायिक सोपान मे सबसे ऊपर सर्वोच्च जन न्यायालय, इसके बाद स्थानीय जन न्यायालय तथा सबसे नीचे विशिष्ट जन न्यायालय हैं। ये सभी न्यायालय अपने अपने स्तरो पर अपनी अपनी कांग्रेसो द्वारा निर्वाचित होते हैं और उन्ही के प्रति उत्तरदायी होते है। प्रत्येक स्तर के न्यायालय का एक अध्यक्ष होता हैं जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है।सभी जनवादी न्यायालयेा के संगठन की व्यवस्था कानून के द्वारा की जाती हैं।

सर्वोच्च जन न्यायालय-

सर्वोच्च जन न्यायालय चीन की न्यायपालिका का उच्चतम निकाय है। यह समाजवादी कानूनी व्यवस्था की गारंटी है। देखने में यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय जैसा प्रतीत होता है। परन्तु व्यवहार मे यह न तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भांति स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष।

देशभर के सभी न्यायाल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है और वह उन सबका संरक्षण करता है। संविधान में सर्वोच्च जन न्यायालय के बारे मे केाई निश्चित संगठन की व्यवस्था नही की गयी है। इसमे एक अध्यक्ष कुछ उपाध्यक्ष और अन्य न्यायाधीश होते है। अध्यक्ष राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसी के द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। उपाध्यक्ष एवं अन्य न्यायाधीश कांग्रेस की स्थाई समिति द्वारा ही नियुक्त किए जाते है और उसी के द्वारा हटाए जाते हैं।

संविधान मे सर्वोच्च जन न्यायालय की शक्तियो का वर्णन स्पष्ट रूप से नही किया गया है। केवल इतना कहा गया है कि सर्वोच्च जन न्यायालय स्थानीय तथा विशेष न्यायालयो के न्यायिक कार्यो की देखभाल करेगा। व्यवहार मे सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक एवं अपीलीय देानों प्रकार के क्षेत्राधिकार है। अपने मौलिक क्षेत्राधिकार मे यह राष्ट्रीय महत्व के मुकदमे सुनता है तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार मे प्रान्तो एवं स्वायत्त क्षेत्रो के उच्च न्यायालयो के निर्णयो के विरूद्ध अपीले सुनता है। चीन में किसी मुकदमे में केवल एक बार अपील की जा सकती है। न्यायालय के देा भाग है- एक दीवानी और दूसरा फौजदारी।

सर्वोच्च जन न्यायालय को राष्टीय जनवादी कांग्रेस के प्रति और इसके विश्राम काल में स्थाई समिति के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। यह कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चीन

मे सर्वोच्च जन न्यायालय को जनवादी कांग्रेस अथवा राज्य परिषद के किसी भी कानून, आदेश या आज्ञप्ति को अवैध घोषित करने का कोई अधिकार नही है। यह शक्ति स्थायी समिति में निहित है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की बजाय व्यवस्थापिका की अधीनस्थ शाखा बना दिया गया है। अन्य प्रजातांत्रिक देशो के विपरीत चीन का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता अथवा संरक्षक का कार्य नही करता है।

स्थानीय जन न्यायालय-

स्थानीय जन न्यायालयो को निचला न्यायालय भी कहा जाता है। इन न्यायालयो के तीन स्तर है- प्राथमिक जन न्यायालय, मध्यमवर्ती जन न्यायालय तथा उच्चतर जन न्यायालय।

प्राथमिक जन न्यायालय सबसे निचले स्तर पर काउण्टी अथवा इसके बराबर के स्तर पर कार्य करता है। उनके ऊपर मध्यमवर्ती न्यायालय है जो काउण्टी समूह अथवा स्वायत्त चाऊ के लिए कार्य करते है। इनके उपर और स्थानीय न्यायालयो मे सबसे उच्च स्तर पर उच्चतर न्यायालय है जो प्रान्तीय स्तर पर अथवा स्वायत्त क्षेत्रो मे अथवा केन्द्रशासित नगरपालिकाओ मे कार्य करते है। इन सभी न्यायालयेा के न्यायाधीश अपने अनुरूपी स्तर की कांग्रेस द्वारा चुने जाते है। न्यायाधीशो की कार्य अवधि 5 वर्ष है। सभी न्यायालय अपने अनुरूपी स्तर की कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है और उन्हे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। ये न्यायालय सर्वोच्च जन न्यायालय के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण मे कार्य करते है।

विशिष्ट जन न्यायालय-

उच्चतम जन न्यायालय तथा स्थानीय जन न्यायालयो के अतिरिक्त चीन में कुछ विशेष जन न्यायालय भी है जैसे- सैनिक न्यायालय, रेलवे न्यायालय, यातायात न्यायालय, जल यातायात न्यायालय इत्यादि। समय समय पर कुछ विशेष प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालयेा का गठन किया जाता है। इनके स्वरूप तथा प्रकृति का निर्णय राष्टीय जनवादी कांग्रेस करती है।

जनवादी न्यायवादी व्यवस्था-

चीन के जनवादी गणराज्य मे एक सुसंगठित न्यायवादियो की व्यवस्था है। न्यायवादी मंडल को वैधानिक निरीक्षण का एक अंग माना जाता है। देश भर मे विभिन्न स्तरो पर स्थानीय जनवादी

न्यायवादी होते है। इनके अतिरिक्त अनेक सैनिक न्यायवादी तथा विशेष न्यायवादी होते है। चीन के महा न्यायवादी की अध्यक्षता मे देश की उच्चतम न्यायवादी संस्था सर्वोच्च जनवादी न्यायवादी मण्डल है।

महान्यायवादी को चीन की राष्टीय जनवादी कांग्रेस निर्वाचित करती है तथा उसका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस की भांति 5 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायवादी मण्डल के अन्य सदस्य न्यायवादियो को राष्टीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति निर्वाचित करती है। स्थानीय स्तर के न्यायवादियो का निर्वाचन राज्य सत्ता के स्थानीय निकायो द्वारा किया जाता है।

न्यायवादियों का मुख्य कार्य यह है कि वे समाजवादी कानून व्यवस्था की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर आरोप लगाकर उन्हे न्यायालय में पेश करें और उन पर मुकदमा चलाएं। सर्वोच्च जनवादी न्यायवादी मण्डल केवल सरकार को कानूनी प्रश्नो पर परामर्श ही नहीं देता, वरन यह न्यायालयें में अभियेग लगाने वाले सरकारी वकीलो का कार्य भी करता है। यह राज्य के सभी विभागो, सरकारी कर्मचारियेा और गैर सरकारी नागरिको का पर्यवेक्षण करता है। यह राज्य परिषद के मंत्रियेा, राज्य के स्थानीय अंगों सरकारी कर्मचारियों और नागरिको के खिलाफ जॉच करके अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ कर सकता हैं। परन्तु व्यवहार में ये शक्तियॉ काल्पनिक है, क्योंकि यह पूर्णतः साम्यवादी दल के नियंत्रण में कार्य करता हैं।

अभ्यास प्रश्न-4

1. सत्य/असत्य बताइए-

अ. सर्वोच्च जन न्यायालय चीन की न्यायपालिका का उच्चतम निकाय है

ब. सर्वोच्च जन न्यायालय के पास केवल मौलिक क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार नही

स. सर्वोच्च जन न्यायालय नागरिको के मौलिक अधिकारो की संरक्षक है

द. सर्वोच्च जन न्यायालय राष्टीय जन कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हैं।

2. स्थानीय जन न्यायालयो के तीन प्रकारों के नाम लिखिए-

19.5 सारांश

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप यह जान चुके हैं कि जनवादी चीन की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका उदारवादी लोकतंत्रों की समकक्ष संस्थाओ से मौलिक रूप से भिन्न है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्य परिषद् तथा प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहॉ राष्टपति राज्य के औपचारिक प्रधान की भूमिका निभाता हैं। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य परिषद द्वारा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सभी संस्थाएं साम्यवादी दल के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। अतः इनकी प्रभावदायकता इस बात पर निर्भर करती हैं कि इनका प्रतिनिधित्व करने लोगो का पार्टी के पद सोपान मे क्या महत्व हैं। इसी प्रकार जनवादी चीन को न्यायपालिका भी उदारवादी लोकतंत्रो की न्यायपालिकाओं से इस दृष्टि से भिन्न हैं कि यह एक स्वतंत्र एव निष्पक्ष निकाय के रूप में कार्य करने के बजाय शासन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य दायित्व समाजवादी कानून व्यवस्था को लागू करना, क्रान्ति विरोधी शक्तियों का दमन करना तथा समाजवाद की रक्षा करना हैं न कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक या संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाना। न्यायिक संगठन एवं कार्यप्रणाली भी अपने आप में अनूठी हैं। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जनवादी चीन की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की विशिष्टताओ को रेखांकित कर सकेंगे तथा अन्य देशो की समकक्ष संस्थाओ से इनकी तुलना कर सकेंगे।

19.6 शब्दावली

क्षमादान- किसी अपराध में दोषी पाये गये व्यक्ति या व्यक्ति समूहो को क्षमा करना। यह अधिकार सामान्यतया राष्ट्राध्यक्षो को दिया जाता है तथा इसका निर्णय मानवीय आधार पर किया जाता है नकि वैधानिकता के आधार पर।

न्यायिक पुनरावलोकन- न्यायपालिका का वह अधिकार जिसके अंतर्गत वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये किसी कानून अथवा कार्यपालिका के किसी आदेश की समीक्षा कर सकती है तथा उन्हें रदद भी कर सकती हैं।

क्रान्ति विरोधी- जनवादी चीन जैसे साम्यवादी देशों में उन व्यक्तियों को क्रान्ति विरोधी माना जाता है जो साम्यवादी दल की विचारधारा में विश्वास नहीं करते।

19.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1.अ. असत्य ब. सत्य स. सत्य द. असत्य 2.अ. औपचारिक प्रधान ब. दलीय पद सोपान स. राष्टपति द. स्थायी समिति का चेयरमैन

अभ्यास प्रश्न- 2

1.स. राष्ट्रपति 2.अ. सत्य ब. सत्य स. असत्य द. सत्य 3.अ. वास्तविक ब. राष्ट्रपति

अभ्यास प्रश्न-3

1.ब. 2.अ. क्रान्ति विरोधी ब. अभिन्न स. निर्वाचन द. साम्यवादी

अभ्यास प्रश्न- 4

1.अ. सत्य ब. असत्य स. असत्य द. सत्य 2. सर्वोच्च न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय तथा विशिष्ट जन न्यायालय

19.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, प्रभुदत्त (1998): प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएँ,

कॉलेज बुक डिपो, जयपुर पृ.सं. 453-461

2. जैन, हरीमोहन (2010): विश्व के प्रमुख संविधान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृ0सं0 44-61

3. खन्ना, वी0एन एवं आनन्द उमा (2009): शासन एवं राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन,

आर चंद एण्ड कम्पनी नई दिल्ली पृ.सं. 545-558

19.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भगवान विश्नू एवं भूषण विधा (2009): वर्ल्ड कॉस्टिटयूसन्स, स्टर्लिग प्रकाशन, नई दिल्ली,

पृ. सं. 554-569

2. पालेकर एस.ए. (2009): कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स एण्ड गर्वमेन्ट, प्रेटिस हॉल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली पृ.सं. 276-291

19.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. जनवादी चीन के राष्ट्रपति के कार्यो एवं वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए।
2. चीन की राज्य परिषद की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्या उसकी वहीं स्थिति हैं जोकि संसदीय शासन प्रणाली मे मंत्रीपरिषद की होती हैं।
3. चीन के प्रधानमंत्री की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
4. चीन के न्यायिक संगठन का वर्णन कीजिए।
5. जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए।
6. चीन में न्यायवादियों की व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए।

इकाई 20 : चीन का साम्यवादी दल

इकाई की संरचना

20.0 प्रस्तावना

20.1 उद्देश्य

20.2 साम्यवादी दल का इतिहास

20.3 साम्यवादी दल की संरचना एवं संगठन

20.3.1 लोकतांत्रिक केन्द्रवाद

20.3.2 दल का संगठनात्मक ढॉचा

20.3.3 साम्यवादी दल की भूमिका

20.4 सारांश

20.5 शब्दावली

20.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

20.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

20.8 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

20.9 निबंधात्मक प्रश्न

20.0 प्रस्तावना

जनवादी चीन के संविधान से सम्बन्धित यह चतुर्थ एवं अन्तिम इकाई है। पिछली तीन इकाईयों के अध्ययन से आप इतना तो जान ही चुके हैं कि जनवादी चीन की संवैधानिक व्यवस्था में शासनस के सभी प्रमुख अंग- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी दल के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं।

वास्तव में चीन की राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे सबसे प्रभावशाली एवं शक्तिशाली कहा जा सकता है, तो निश्चितरूप से यह चीन का साम्यवादी दल है। चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना से लेकर अब तक इस दल द्वारा असीम शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव का प्रयोग किया जाता रहा है। प्रस्तुत इकाई में चीन के साम्यवादी दल के इतिहास, इसकी संरचना एवं संगठन तथा चीन की राजनीतिक व्यवस्था में इसकी भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप चीन के साम्यवादी दल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे और इसकी संरचना एवं संगठन पर प्रकाश डाल सकेगें तथा चीन की राजनीतिक व्यवस्था में इसकी भूमिका को स्पष्ठ कर सकेगें।

20.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

1.चीन के साम्यवादी दल के वर्तमान स्वरूप को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में समझा सकेगें।

2.बता सकेंगे कि दलीय संगठन किस प्रकार लोकतांत्रिक केन्द्रवादी के सिद्धान्त पर आधारित है और इसकी संरचना एक पिरामिड के समान है।

3.चीन की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।

20.2 साम्यवादी दल का इतिहास

चीन के साम्यवादी दल की स्थापना सन् 1921 में हुई थी। इसका उद्देश्य सामन्तवाद, साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष कर मार्क्सवादी-लेनिनवाद के अनुरूप सर्वहाराअधिनायकत्व की स्थापना करना था जहॉ उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व मान्य नहीं होगा तथा परश्रमजीवी वर्ग का अन्त हो जायेगा। माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल 1949 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। क्रान्ति और संघर्ष के इस दीर्घकाल में साम्यवादी दल के नेतृत्व में लेकतांत्रिक गुटों, जन-संगठनों, समाजवाद में आस्था रखनेवाले श्रमिकों और देशभक्तों का एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बन गया जिसका प्रतिनिधित्व 'चीनी जन राजनीतिक परामर्शकारी सम्मेलन' करता था। ये दोनों, संयुक्त मोर्चा और राजनीतिक परामर्शकारी सम्मेलन, साम्यवादी दल के ही वृहद् संस्करण हैं।

स्थापना के समय दल की स्थिति काफी कमजोर थी। इसके सदस्यों की संख्या प्रारम्भ में मात्र 13 थी। यद्यपि धीरे-धीरे सदस्य संख्या बढ़ने लगी, लेकिन इसके प्रारम्भिक काल के नेतृत्व की कमियों की वजह से दल का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पा रहा था। 1925-30 के काल में च्यांग – काई-शेक के कुओमितांग ने इस दल को कुचलने का प्रयत्न किया था, तथा 1935 तक दल का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर था।

लेकिन इसी समय माओ-त्से-तुंग साम्यवादी दल के नेता बने और उनके नेतृत्व में यह दल धीरे-धीरे सुदृढ़ होता गया। द्वीतीय विश्वयुद्ध के समय तक इस दल के लगभग 10 लाख सदस्य बन चुके थे। 1945 से 1949 तक दल की शक्ति बढ़ने का सबसे अच्छा समय था। इस काल में इसके सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ी कि 1949 में इसके लगभग 45 लाख सदस्य हो गये थे। सन् 1949 में साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीनी जनवादी गणतंत्र की स्थापना के बाद से साम्यवादी दल की सदस्य संख्या निरंतर बढ़ती रही है। दिसम्बर, 1998 में इसकी सदस्य संख्या छ: करोड़ दस लाख तक पहुँच चुकी थी। वर्तमान में तो यह संख्या और भी बढ़ गई है।

चीनी साम्यवादी पार्टी मार्क्सवाद-लेनिनवाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा मानती आयी है। 1945 में पार्टी की सातवीं कांग्रेस में यह निर्णयलिया गया कि माओ की विचारधारा को, जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त का चीनी क्रान्ति के व्यवहार से एकीकरण करता है, पार्टी की मार्गदर्शक विचारधारा में जोड़ दिया जाये।

1949 में जन क्रान्ति के सफल होने के पश्चात माओ चीन के राष्ट्रनायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे पार्टी की केन्द्रीय समिति के चेयरमैन थे और 1945 में राष्ट्रपति बन गये। 1959 में

उन्होंने 'ल्यू-शाओ-ची' को राष्ट्रपति पद दे दिया। ल्यू-शाओ-ची के राष्ट्रपति काल में माओ-त्से-तुंग तथा उसके समर्थकों का शासन ता साम्यवादी दल पर प्रभुत्व कम होने लगा। 1996 में ल्यू-शाओ-ची तथा माओ के समर्थकोंके बीच संघर्ष आरम्भ हो गया। दोनों ही पक्ष स्वयं को मार्क्सवाद तथा लेनिनवादी के कट्टर समर्थक बतलाते थै तथा एक-दूसरे को प्रतिक्रियावादी कहते थे। 1967 में माओ तथा उसके समर्थकों ने शासन पर अपना नियंत्रण स्थापितकर लिया। इस क्रान्ति को सांस्कृतिक क्रान्ति के नाम से पुकारा जाता है और इसके पश्चात क्रान्तिकारी समितियों की स्थापना आरम्भ हुई। क्रान्तिकारी समितियों की स्थापना ने माओ की स्थिति को अत्यधिक मजबूत कर दिया।

सांस्कृतिक क्रान्ति माओ के नाम पर युवकों द्वारा चीन की प्रत्येक शिक्षण संस्था, कार्यालय, कर्मशाला, प्रतिष्ठान का बलपूर्वक वैचारिक शुद्धीकरण करने का आन्दोलन था जो धीरे-धीरे-धीरे अराजकता में परिवर्तितहो गया। ये युवक लाल सिपाही कहलाते थे, जिन्हें माओ का संरक्षणप्राप्त था। इनकी गतिविधियों से देश में लाल आतंक व्याप्त हो गया।

सांस्कृतिक क्रान्ति के पश्चात अब माओ की नीति और दल की नीति में कोई अन्तर नहीं रहा। दल ने खुले रूप से चीनी समाज के समस्त क्षेत्र पर अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया। 1975 का चीन का संविधान साम्यवादी दल के अधिनायकत्व और माओवाद का संवैधानिक संस्करण है।

परन्तु 1976 में माओ के निधन के पश्चात 'डेंग शियाओ पिंगद्ध साम्यवादी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। यद्यपि वे पार्टी के उप-प्रधान बने, लेकिन पोलिसब्यूरों की स्थायी समिति का सदस्य और केन्द्रीय सैनिक आयोग का प्रधान होने के नाते उनकी स्थिति काफी सुदृढ थी। उनके नेतृत्व में माओ की विचारधारा को संशोधित करने का प्रत्यन्त किया गया।

1982 में हुई 12वीं पार्टी कांग्रेस में डेंग ने अपने भाषण में 'चीन के गुणों से युक्त समाजवादद्ध के निर्माण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इस कांग्रेस से सांस्कृतिक क्रांति के दुष्परिणामों का निराकरण करने पर भी विचार किया गया। इस प्रकार दिसम्बर 1982 के वर्तमान संविधान की भूमिका तैयार हो गई।

डेंग के चीनी गुणों से युक्त समाजवाद का अर्थ था चार मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहते हुए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना और विदेशों के लिए चीन के द्वारा खोलना। परन्तु चार मूलभूत सिद्धान्तों में से दो-मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रति निष्ठा और समाजवाद के मार्ग पर चलते रहना, आर्थिक उदारीकरण से निरस्त हो जाते हैं। शेष दो – साम्यवादी दल का नेतृत्व और जन लोकतांत्रिक अधिनायकत्व, वास्तव में साम्यवादीदल की राज्यसत्ता पर पकड़ बनाये रखने के पयार्यवाचीहैं। 'टायनामैन स्क्वैरद्ध (जून 1989) की घटना ने दलीय नियंत्रण को और अधिक कठोर बनाये जाने की अवश्यकता उजागर की। इस समय चीनी राज्य व्यवस्था में साम्यवादी दल के

अधिनायकत्व के अधीन बाजार –परक अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण पर बल है। कुछ लेखक यह मानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण आ गया है तो राजनीतिक उदारीकरण को कब तक रोके रखा जा सकेगा। यहीं वर्तमान चीनी राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर्विरोध है। अब तक की वस्तुस्थिति यही है कि भूमंडलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में भी चीन का साम्यवादी दल शासन व्यवस्था पर अपने अधिनायकत्व को बनाये रखने में सक्षम है।

➢ **अभ्यास प्रश्न - 1**

1. रिक्त स्थान भरिए –

(अ) चीन के साम्यवादी दल की स्थापना सन् .... में हुई थी।

(ब) स्थापना के समय साम्यवादी दल की सदस्य संख्या मात्र .... थी।

(स) 1949 की जन – क्रांति के समय साम्यवादी दल का नेतृत्व .... के हाथ में था।

(द) चीन का साम्यवादी दल .... को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा मानता है।

2. सत्य/ असत्य बताइए –

(अ) सांस्कृति क्रांति माओ के नेतृत्व में वैचारिक शुद्धीकरण का आन्दोलन था।

(ब) मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रति निष्ठा, समाजवाद के मार्ग पर चलते रहना, साम्यवादी दल का नेतृत्व एवं जन लोकतांत्रिक अधिनायकतत्व साम्यवादी दल के चार आधारभूत सिद्धांत है।

(स) वर्तमान में चीनी साम्यवादी दल भूमंडलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण का विरोध करती है।

20.3 साम्यवादी दल की संरचना एवं संगठन

जनवादी चीन का साम्यवादी दल एक विशाल संगठन है जिसकी सदस्य संख्या करोड़ो में है। यह एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित सिद्धांतों पर आधारित एकात्मक संगठन है जो 'पिरामिड' के आकार का है। इसके संगठनात्मक स्वरूप को निम्न परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है .

दल की सदस्यता :साम्यवादी दल की सदस्यता प्रत्येक चीनी नागरिक को नहीं दी जा सकती है .इसके लिए कुछ निश्चित मापदंड निर्धारित किये गए हैं. जो एस प्रकार हैं -----

- वह जनवादी चीन गणराज्य का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- वह व्यक्ति स्वंय काम करता हो और दूसरों की मेहनत का लाभ न उठाता हो।
- वह दल के संविधान और कार्यक्रम को स्वीकार करता हो तथा दल के निर्णयों को लागू करने में सहायक हो।
- वह मार्क्स, लेनिन तथा माओ-त्से-तुंग के सिद्धांतों तथा साम्यवादी दल के स्वरूप को समझता हो।
- उसे यह कसम लेनी पड़ती है कि वह जीवन भर दल की सेवा करेगा, कभी भी दल के साथ विश्वाघात नहीं करेगा, दलीय अनुशासन को मानेगा तथा मार्क्स, लेनिन एवं माओ-त्से-तुंग के विचारों का गहराई से अध्ययन करेगा।

उपरोक्त सभी योग्यताओं के होनेपर भी यह आवश्यक नहीं है कि किसी चीनी नागरिक को साम्यवादी दल की सदस्यता मिल ही जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए अपने प्रवेश पत्र पर दल के दो सदस्यों से नामांकन करवाना पड़ता है और फिर भी दल की शाखा द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है। फिर इस सदस्या के प्रवेश-पत्र को दल के सदस्यों के विचार के लिए रखा जाता है। प्रवेश-पत्र पर स्वीकृति मिल जानेपर दलीप शाखा उसे उच्च दलीय समिति के पास भेजती है जिसकी स्वीकृति मिल जाने पर ही दल की सदस्यता प्रदान कर दी जातीहै। इस प्रकार दल की सदस्यता प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं है।

किसी भी दल के सदस्य पर यदि दल के सिद्धान्तों और नीतियों को भंग करने का आरोप हो अथवा यदि उस पर दल विरोधी कार्रवाई तथा क्रांति विमुख कार्रवाई करने का सन्देह हो तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है।

20.3.1 लोकतांत्रिक केन्द्रवाद

भूतपूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी दल की भाँति ही जनवादी चीन के साम्यवादी दल के संगठन का आधार ‘ लोकतांत्रिक केन्द्रवाद’ है। चीन के प्रत्येक दलीय अंग का निर्वाचन उसके निम्न स्तर पर

स्थित अंग द्वारा होता है। समय-समय पर स्थानीय दलीय अंग, राष्ट्रीय दीलय कांग्रेस का निर्वाचन करते हैं, तथा राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस समिति को निर्वाचित करती है। अत: दल में लोकतंत्रात्क सिद्धांत को अपनाया गया है।

जहॉं साम्यवादी दल में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत को अपनाया गया है वहीं केन्द्रीयकरण को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। दल की केन्द्रीय समिति दल का उच्चतम वाद-विवाद स्थल है तथा दल की सभी प्रमुख नीतियों पर यही विचार-विनिमय होता है। इतना ही नहीं, साम्यवादी दल की निम्नस्तरीय अंगों द्वारा किए गये निर्णय उच्चस्तरीय अंगों द्वारा संशोधित, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जा सकते हैं। व्यवहार में उच्चस्तरीय अंगों द्वारा लिए गए निर्णय निम्न स्तरों द्वारा केवल कार्यान्वित ही किए जाते हैं। इस प्रकार उच्चस्तरीय अंगों द्वारा लिए नये निर्णय सभी के लिए बन्धनकारी हैं क्योकि वहाँ दल का कड़ा अनुशासन देखने को मिलता है।

लोकतांत्रिक केन्द्रवाद के अनुरूप ही निम्न स्तर की दलीय समितियों की अनुशासनत्मक कार्रवाईयों की भी उच्च स्तरीय दलीय समितियों द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था है। इस प्रकार यह अवधारणा साम्यवादी दल को कठोर, अनुशासनात्मक तथा एक सूत्र में बँधे हुए दल का रूप प्रदान करता है, अर्थात दल का ढ़ॉंचा केन्द्रीभूत स्वरूप लिए हुए है।

20.3.2 दल का संगठनात्क ढॉंचा

जनवादी चीन के साम्यवादी दल का ढ़ाँचा ‘पिरामिड’ के आकार का है, जहाँ शीर्ष पर ‘पोलिट ब्यूरों’ है तो प्रारंभित संगठन ‘सेल’ (Cell) है।

दल की प्राथमिक इकाई ‘सेल’ है जिसमें आम तौर पर लगभग 20 सदस्य होते हैं । ये सेल सम्पूर्ण चीन में किसी भी फार्म, फैक्टरी, स्कूल, मौहल्ले, सैनिक इकाईयों, दुकानों, दफ्तरों या खानों में स्थापित किए जा सकते हैं। दल के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार के किसी भी सेल का सदस्य होना आवश्यक है। सेल सतर के सदस्यों को दल की एकरूपता का संरक्षण तथा दलीय एकता को बनाए रखना होता है। सेल स्तर पर सदस्यों को मार्क्सवाद, लेनिनवादी तथा माओवाद के विचारों का न केवल प्रचार करना होता है, अपितु जनता के साथ सम्पर्क बनाकर उनकी माँगों तथा विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार भी जानने होते हैं।

इन प्राथमिक इकाईयों के ऊपर पहले क्षेत्रीय ब्यूरों हुआ करते थे। अब इनके स्थान पर नगर एवं जिला समितियाँ हुआ करती हैं। अत: अब साम्यवादी दल के संगठन का दूसरा स्तर शहरों, बड़े-

बड़े नगरों तथा नगरपालिकाओं में विद्यमान रहता है। इन समितियों का सम्मेलन साधारणतया: प्रति तीन वर्षो के बाद बुलाया जाता है। ये समितियाँ दिन-प्रतिदिन का करन करने के लिए अपनी स्थायी समितियों, सचिवों तथा उप-सचिवों का चुनाव करती है।

इन नगर तथा जिला समितियों के ऊपर क्षेत्रों, प्रदेशों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के संगठन आते हैं। श्रृंखलाबद्ध पद्धति के अनुसार ये सभी संगठन, दलीय केन्द्रीय समिति के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इन्हीं संगठनों के सदस्य दल के महत्वपूर्ण संगठन 'राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस' के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। इन संगठनों के अधिवेशन तीन वर्षों में एक बार बुलाए जाते हैं। दैनिक कार्यक्रम चलाने के लिए इन संगठनों की समितियों की रचना की जातीहै जो उच्च-स्तरीय संगठनों के आदेशों का पालन करती है। यही नहीं, क्षेत्रीय, प्रादेशिक तथा स्वायत्त क्षेत्रीय संगठन स्थानीय महत्व के प्रश्नों पर विचार करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्ताव पारित करके उच्च स्तरीय संगठनों को भेजते हैं।

साम्यवादी दल के शीर्षपर 'राष्ट्रीय दल कांग्रेस' की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय प्रादेशिक तथा स्वायत्त क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रीय दल कांग्रेस साम्यवादी दल की नीतियों को निर्धारित करती है तथा दलीय संविधान को परिवर्तित तथा संशोधित कर सकती है। यही नहीं इसके द्वारा दल के चेयरमैन वाईस चेयरमैनों तथा केन्द्रीय समिति के सदस्यों का भी निर्वाचन किया जाता है। दलीय कांग्रेस का अधिवेशन 5 वर्षों के बाद बुलाया जाता है।

साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति, दल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चूंकि राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस की सभा 5 वर्षो में एक बार होती है, अत: दल का प्रतिदिन का कार्य इसी केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता है। दलीय संविधान की धारा 6 में कहा गया है कि, "जब राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस की बैठक न हो रही हो तो सभी दलीय शक्तियों का उपभोग केन्द्रीय समिति द्वारा किया जायेगा।" केन्द्रीय समिति न केवल दल के कार्यो को ही करती है अपितु इसे राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस के साधारण तथा असाधारण अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय दलीय दलीय समिति के सदस्य केन्द्रीय समिति के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए करते हैं। केन्द्रीय समिति के सदस्यों की संख्या तथा कार्यावधि राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

केन्द्रीय दलीय समिति का आकार बड़ा होने के कारण यह जटिल तथा अवश्यक मामलों को शीघ्र नहीं निपटा सकती। अत: दल तथा राष्ट्र की कठिन एवं जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति की एक पोलिट ब्यूरो की व्यवस्था की गई है। दलीय संविधान की धारा 9 के अन्तर्गत पोलिट ब्यूरो के सदस्यों का निर्वाचन केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय समिति के अधिवेशन नियमित रूप से न होने के कारण साम्यवादी दल का कार्यकारिणी अंग, यह पोलिट ब्यूरो ही है। पोलिट ब्यूरों के सदस्यों की संख्या लगभग 16 है। इसमें साम्यवादी दल के महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली नेता सम्मिलित होते है। पोलिट ब्यूरों को यह अधिकार है कि वह केन्द्रीय समिति के अधिवेशनों को बुलाएगी किन्तु वर्ष में इसके कितने बुलाने अनिवार्य हैं इसकी चर्चा दलीय संविधान में नहीं की गई है।

पोलिट ब्यूरों से भी अधिक महत्वपूर्ण साम्यवादी दल का एक अन्य अंग है जिसे पोलिट ब्यूरों की स्थायी समिति कहा जाता है। स्थायी समित के सदस्यों का निर्वाचन भी राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 5 से 7 होती है। इसे साम्यवादी दल की नीति-निर्माण प्रिक्रया का केन्द्र कहा जा सकता हे।

स्थायी समिति के ऊपर दलीय अध्यक्ष का पद है। यह अध्यक्ष न केवल केन्द्रीय समिति का अध्यक्ष होता है अपितु पोलिट ब्यूरों की अध्यक्षता भी इसी के द्वारा की जाती है।

इस प्रकार, चीन के साम्यवादी दल का संगठन बहुत कुछ सोवियत संघ के साम्यवादी दल की भाँति एक श्रृंखलाबद्ध एवं सुव्यवस्थित संगठन है जो ‘लोकतांत्रिक केन्द्रवाद के सिद्धांत पर अधारित है।

अभ्यास प्रश्न - 2

1. जनवादी चीन के साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है-

   (अ) वह चीन गणराज्य का नागरिक हो।

   (ब) उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो।

   (स) उसके पास कम से कम स्नातक की उपाधि हो।

(द) वह दल के संविधान और कार्यक्रमको स्वीकार करता हो।

2. रिक्त स्थान भरिए-

(अ) किसी भी व्यक्ति को साम्यवादी दल का सदस्य बनने के लिए अपने प्रवेश पत्र पर दल के .... से नामांकन करवाना पड़ता है।

(ब) चीन को साम्यवादी दल का संगठन .... के सिद्धांत पर आधारित है।

(स) साम्यवादी दल की प्राथमिकइकाई 'सेल' हैं। जिसमें आमतौर पर लगभग .... सदस्य होते है।

(द) साम्यवादी दल के केन्द्रीय समिति की एक .... होती है।

20.3.3 साम्यवादी दल की भूमिका

जनवादी दल चीन की शासन व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाता है। यह राज्य तथा समाज द्वारा अपनाये जाने वाली सभी नीतियों के पीछे मार्गदर्शक शक्ति का कार्य करता है। अन्य सभी संगठन इसके इशारों पर नाचते हैं तथा इसके दिशा निर्देश का पालन करते हैं।

चीन का साम्यवाद दल जनवादी क्रांति का निर्माता एवं संरक्षक है। माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल द्वारा 1 अक्टूबर,1949 को चीनी जनवादी गणतन्त्र की स्थापना की गई। तब से लेकर अब तक साम्यवादी क्रांति को सुरक्षित रखने में साम्यवादी दल ने मुख्य भूमिका का निर्वाह किया है। साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही जनवादी चीन 'अफीमची चीन' से आज एक 'उभरती हुई महाशक्ति बन गया है।

साम्यवादी दल जनता के लोकतंत्रीय अधिनायकवाद को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। अन्य समाजवादी देशों की भॉति चीन में भी प्रशासनिक यंत्र द्वारा ही नियंत्रित है। यह न केवल नीतियों का निर्माण करता है अपितु इस बात में विश्वास करता है कि इसकी नीतियॉ समस्त देश में अक्षरशः लागू हो जाएं और यह संभवत

इसलिए हो पाता है क्योंकि दल के सभी प्रमुख नेता आर्थिक व्यवस्था और सरकार,उदयोग तथा कृषि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं।

भूतकालीन सोवियत संघ तथा चीन में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहॉ सोवियत संघ में दल की स्थिति सर्वोच्च थी किसी अन्य दल को संविधान द्वारा वर्जित किया गया था, इसके विपरीत चीन का साम्यवादी दल सोवियत संघा के दल से अधिक शक्तिशाली है किन्तु चीन का संविधान इस बात में विश्वास रखता है कि वहॉ की सरकारें दलों की सहयोगिता पर आधारित है। यह सत्य है कि चीन में भी शासन का वास्तविकता नियंत्रण साम्यवादी दल के हाथों में ही है।

एक अन्य अन्तर जो हमें भूतपूर्व सोवियत संघ तथा चीन के साम्यवादी दलों में नजर आता है, वह यह है कि जहॉ सोवियत-संघ का साम्यवादी दल मार्क्सवाद,लेनिनवाद के विचारों पर आधारित था, वहीं चीन का साम्यवाद दल स्वयं को इन विचार धाराओं के संलग्न करता हुआ इसे चीन के क्रांतिकारी संग्राम और माओ-त्से-तुंग के विचारों से जोड़ने की चेष्टा करता है। इसलिए दल और शासन प्रणाली के पारस्परिक सम्बन्ध तीन प्रमुख सिद्वांतो पर आधारित है। प्रथम,दल शासन प्रणाली के अंगो को विस्तृत और व्यापक निर्देश देता है कि जो भी कार्य किया जाना है उसका जन्म कैसे हुआ और उसकी प्रकृति कैसी है। दूसरे, दल अपनी नीतियों को लागू करने के लिए न केवल प्रशासकीय अंगों की सहायता लेता है अपितु लागू करने की प्रकिया पर नियंत्रण भी बनाए रखता है। तीसरे,इन दोनो सिद्वांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए दल शासन प्रणाली में प्रमुख स्थानों पर अपने सदस्यों को नियुक्त करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आन्तरिक और विदेश नीतियॉ दल के सर्वोच्च अंगों द्वारा विचारार्थ रखी जाती है उनके द्वारा लिए गए निर्णय समस्त प्रशासकीय ढॉचे- राष्ट्रीय,क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर लागू किये जाते हैं।

चीन के राजनीतिक ढ़ॉचे के अन्तर्गत वहॉ की राष्ट्रीय जनवादी,कांग्रेस,स्थायी समिति,राष्ट्रपति,राज्य परिषद् तथा सर्वोच्च जन न्यायालय जैसी सभी संस्थाओं में अधिकांश सदस्य साम्यवादी दल के ही होते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई तथा माओ-त्से-तुंग दल के प्रमुख नेता थे। यदि किसी विभाग का अध्यक्ष गैर-दलीय व्यक्ति होता है तो दल इस बात की पूरी चेष्टा करता है कि उसका निचला अधिकारी दल का वरिष्ठ

सदस्य ही हो ताकि वह अपने उच्च अधिकारी के निर्णय और नीतियों पर नजर रख सके। यह व्यवस्था केवल केन्द्रीय सरकार तक ही सीमित नहीं अपितु प्रांतीय,क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर भी इसे लागू किया जाता है।

साम्यवादी दल सर्वसाधारण की सर्वोच्च संस्था है, जो नागरिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन करते हुए अपने नेतृत्व का प्रयोग करती है। चीन में सर्वहारा वर्ग के अधिनायक वाद की स्थापना के लिए, पूँजीवाद के दोबारा पर्दापण को रोकने के लिए तथा समाजवादी समात की स्थापना के लिए साम्यवादी दल देश का सेना को भी नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय रक्षा परिषद् तथा रक्ष मंत्रालय साम्यवादी दल के अधीन है। चीन के जनवादी गणतंत्र का राष्ट्रपति तथा रक्षा परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। रक्षा-परिषद के उप-प्रधान और अधिकांश सदस्य साम्यवादी दल के ही हैं। चीन के जनमुक्ति सेना का प्रधान सेनापति एवं राज्य परिषद् में रक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष साम्यचादी दल की स्थाई समिति के सदस्य होते हैं। रक्षा मंत्रालय के सभी उप-मंत्री भी साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं। अधिकांश सैनिक यूनिटों में भी साम्यवादी दल की समितियॉ होती हैं जिनका नेतृत्व प्रत्येक यूनिट के महत्वपूर्ण दलीय सदस्यों के हाथ में होता है।

जनवादी चीन में विभिन्न सार्वजनिक संगठनों को कार्य करने की स्वतंत्रता है,जैसे ट्रेड -यूनियनों का अखिल चीनी संघ,जनवादी युवकों का अखिल चीनी संघ,सहकारी संस्थाओं का अखिल चीनी संघ,जनवादी महिलाओं को अखिल चीनी संघ,साहित्य एवं कला मण्ड़लों का अखिल चीनी संघ इत्यादि। ये सभी संगठल साम्यवादी दल के नेतृत्व तथा नियंत्रण में कार्य करते हैं। वास्तव में ये सगंठन साम्यवादी दल के वे यन्त्र हैं जिनकी सहायता से दल जनता में अपना प्रभाव स्थापित करता है और जन-सम्पर्क द्वारा दलीय नीतियों को लोकप्रिय बनाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जनवादी चीन का साम्यवादी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भूतपूर्व सोवियत संघ और जनवादी चीन के सैद्वान्तिक मतभेदों के कारण साम्यवादी शिविर में फूट पड़ गई तो चीन के साम्यवादी दल ने अपने देश के समर्थक राष्ट्रों-उत्तर कोरिया,अलवानिया और उत्तरी वियतनाम के साम्यवादी दलों के साथ तृतीय विश्व के साम्यवादी दलों और संगठनों के साथ भी घनिष्ठ सहयोग स्थापित किया। सोवियत संघ के

विघटन के बाद जनवादी चीन का साम्यवादी दल ही विश्व का एकमात्र प्रभावशाली साम्यवादी दल रह गया है। साम्यवादी दल एक प्रेरक शक्ति के रूप में भी कार्य करता है तथा जनता को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह जनता से इस बात की अपेक्षा करता है कि जनता व्यक्तिगत हितों का बलिदान देगी, अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करेगी तथा साम्राज्यवादी नीतियों का भरसक विरोध करेगी।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जनवादी चीन का साम्यवादी दल,चीनी जनवादी गणराज्य का वास्तविक शासक है। सिद्धांत में तो चीन की सरकार कानून बनाती, उन्हें कार्यान्वित करती,विदेशी सरकारों के साथ सम्बन्धों का निर्देशन करती है तो सैन्य बला को संगठित करती है,लेकिन व्यवहार में ये सभी कार्य साम्यवादी दल के द्वारा ही किए जाते हैं। यहॉ तक कि न्यायपालिका भी साम्यवादी दल की इच्छा का पालन करती है। संक्षेप में प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक साम्यवादी दल का ही आधिपत्य नजर आता है। यहॉ तक कि यदि चीन की सरकार में कोई व्यक्ति किसी प्रभावशाली पद पर नियुक्त है, तो यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उसे पद इस कारण प्राप्त हुआ कि साम्यवादी दल के संगठन में उनकी स्थिति महत्वपूर्ण हैं। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है कि चीन का साम्यवादी दल सरकार के अन्दर एक सरकार है जो कि जनवादी चीन गणराज्य में शक्ति का वास्तविक केन्द्र है।

अभ्यास प्रश्न-3

1. सत्य/असत्य बताइए-

(अ) चीन का साम्यवादी दल जनवादी क्रांति का निर्माता है,संरक्षक नहीं।

(ब) चीन का साम्यवादी दल शासन प्रणाली के अंगों को विस्तृत एवं व्यापक निर्देश देता है।

(स) चीन के साम्यवादी दल का सेना पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(द) चीन का न्यायापालिका साम्यवादी दल के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है।

2. रिक्त स्थान भरिए-

(अ) साम्यवादी दल जनता के .... अधिनायकवाद को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है।

(ब) चीन का संविधान इस बात में विश्वास रखता है कि वहॉ की सरकार दलों की.. पर आधारित है।

(स) जनवादी चीन का साम्यवादी दल चीनी जनवादी गणराज्य का .... शासक है।

20.4 सारांश

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप यह जान चुके हैं कि जनवादी चीन का साम्यवादी दल,चीन का राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली संस्था है जो शासन के सभी अंगो(व्यवस्थापिका,कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) तथा सभी स्तरों की प्रशासनिक इकाईयों (राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय) को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। यह न केवल लोगों के राजनीतिक जीवन, वरन् आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का भी पथ-प्रदर्शन करती है। यह एक सुव्यवस्थित तथा ‘पिरामिड’ के आकार में संगठित दल है जो ’लोकतांत्रिक केन्द्रवाद‘ के सिद्वांत पर आधारित है। यह मार्क्सवाद, लेनिनवाद एवं माओवाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा मानती है जिसमें हाल के वर्षो में भूमंडलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के सिद्वांतों को समावेश किया गया है। सैद्वांतिक या वैधानिक स्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन व्यवहार में जनवादी चीन का साम्यवादी दल चीनी जनवादी गणतंत्र का वास्तवकि

शासक है। इस इकाई को पढने के बाद आप जनवादी चीन के साम्यवादी दल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वर्णित कर सकेगें, दल के संगठनात्मक स्वरूप पर प्रकाश डाल सकेगें तथा चीन की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका का विश्लेषण कर सकेगें।

20.5 शब्दावली

राजनीतिक व्यवस्था:-उन उप-व्यवस्थाओं का समुच्य है जिसका सम्बन्ध शक्ति,सत्ता,प्रभाव एवं नियंत्रण से होता है।

पूँजीवाद:- ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को बढ़ावा मिलता है तथा बाजार में स्वतंत्र एवं मुक्त प्रतिस्पर्द्धा होती है। इस व्यवस्था का दोष यह माना जाता है कि इसमें आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिलता है।

समाजवाद:- यह विचारधारा जो **पूँजीवाद** का विरोध करती है तथा उत्पादन के साधानों पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था कर एक शोषणविहीन समाज का निर्माण करना चाहती है। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है,लेकिन सामान्यतया इसे साम्यवाद से पूर्व की अवस्था माना जाता है। चीन जैसे देश में समाजवाद एवं साम्यवाद को एक -दूसरे को पर्याय समझा जाता है।

20.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1. (अ) 1921 (ब) 13 (स) माओ-त्से-तुंग (द) मार्क्सवाद,लेनिनवाद एवं माओवाद

2. (अ) सत्य (ब) सत्य (स) असत्य (द)

अभ्यास प्रश्न-2

1. स

2. (अ) दो सदस्यों (ब) लोकतांत्रिक केन्द्रवाद (स) 20 (द) पोलिट ब्यूरो

अभ्यास प्रश्न-3

1. (अ) असत्य (ब) सत्य (स) असत्य (द) सत्य

2. (अ) लोकतांत्रिक (ब) सहयोगिता (स) वास्तविकता

20.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.जैन हरिमोहन (2010): विश्व के प्रमुख संविधान, शारदा पुस्तक भवन,इलाहाबाद, पृ0सं062-76

2.शर्मा,प्रभुदत्त (1998): प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएँ, कालेज बुक डिपो, जयपुर,पृ0सं0 462-467

3.खन्ना, वी0एन0एवं आनन्द,उमा (20009): शासन एवं राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, आर0चन्द एण्ड कम्पनी,नई दिल्ली,पृ0सं0 559-573

4.भगवान, विश्नू एवं भूषण, विद्या (2009): वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन्सह, स्टर्लिंग प्रकाशन, नई दिल्ली,पृ0सं0 580-595

20.8 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.पालेकर,एस0ए0 (2009): वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन्सह, स्टर्लिंग प्रकाशन, नई दिल्ली,पृ0सं0 261-266

2.कपूर,अनूप चन्द एवं मिश्रा, के0के0 (2006): सेलेक्ट कॉनिस्टट्यूशन्स, एस0 चान्द एण्ड कम्पनी लि0,नई दिल्ली, पृ0सं0 632-363

20.9 निबंधात्मक प्रश्न

1.चीनी जनवादी गणराज्य के साम्यवादी दल के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए।

2.जनवादी चीन में साम्यवादी दल की संरचना और उसकी भूमिका की विवेचन कीजिए।

3.चीन का साम्यवादी दल सरकार का चालन यन्त्र है। इस कथन की समीक्षा करते हुए साम्यवादी दल की भूमिका का उल्लेख करें।

4.चीन के प्रशासन में साम्यवादी दल के स्थान का वर्णन कीजिए।

ईकाई .21 रूस के संविधान की विशेषतायें

ईकाई की संरचना

21.0 प्रस्तावना

21.1 उद्देश्य

21.2 इतिहास एवं संवैधानिक विकास

21.3 विघटन के बाद रूस का 1992 का नया संविधान

21.4 रूस के संविधान की विशेषतायें

21.5 सोवियत एवं रूस के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन

21.6 भारत एवं विश्व के संविधानों से तुलना

21.6 सारांश

21.7 शब्दावली

21.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

21.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

21.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

21.11 निबंधात्मक प्रश्न

21.0 प्रस्तावना

रूस का सम्पूर्ण इतिहास परिवर्तन का रहा है। वर्तमान रूस का जन्म 12 जून 1990 को मनाया जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अनेक नये राज्य अस्तित्व में आये। रूस भी उन्हीं राज्यों में से एक था। 1922 की संधि से जन्मा सोवियत संघ द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनी द्वि धुरी विश्व व्यवस्था में एक महाशक्ति था जिसने लगभग पांच दशक तक अमेरिकी खेमे को राजनैतिक ,आर्थिक, वैज्ञानिक सभी मोर्चों पर चुनौती दी। सोवियत संघ अपने वैभव काल में साम्यवादी व्यवस्था का एक आदर्श था। ये अमेरिकी नेतृत्व वाले पूँजीवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। 5 सितम्बर 1991 के सोवियत विधायिका के प्रस्ताव के द्वारा विघटन को स्वीकार कर लिया गया। 21 दिसम्बर 1991 को बारह में से 11 नवोदित राज्यों ने ‘‘ अल्मा एटा’’ (कजाकिस्तान की राजधानी) में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर ‘‘कामनवेल्थ आफ इण्डिपडेंट स्टेट (सी0आई0एस0) का गठन किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्व सोवियत संघ का स्थान लिया। सोवियत विघ्टन के पीछे मुख्य रूप से आर्थिक,राजनैतिक तथा तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति गार्वाच्योव की ‘‘ग्लास्तनोव’’ की नीति थी। जिसका अर्थ था ‘‘खुलापन’’ , संवैधानिक सुधार।

1992-93 वोरिस येल्तसिन रूस के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1978 में बने तत्कालीन संविधान को वर्तमान हालात में अनुपयोगी पाया। बदले हालात में बदले संविधान की आवश्यकता थी जो रूस के राष्ट्रपति को अधिक शक्ति सम्पन्न, विश्व आर्थिक व्यवस्था में अधिक सहभागी और बाजार उन्मुख हो। बोरिस येल्तसिन ने सितम्बर 1993 में संसद को भंगकर एक संविधान सभा का गठन किया जिसने शीघ्र ही संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें राष्ट्रपति को अधिकाधिक कार्यपालकीय शक्ति प्रदान की गई। 12 दिसम्बर 1993 के जनमत संग्रह में 58.4 प्रतिशत मतों के साथ नया संविधान स्वीकृत हो गया। नवनिर्मित संविधान ने पूर्व सोवियत साम्यवादी अनावरण को छोड़कर रूस को लोकतन्त्रात्मक, गणराज्य बनाया। रूस में संधीय शासन को स्वीकार किया गया। नये संविधान में पूर्व की शक्तियों के केन्द्रीकरण के स्थान पर विधायिका,कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथककरण को स्वीकार किया गया। नये संविधान में बहुदलीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के प्रति प्रेम, नागरिक अधिकारों में विश्वास आदि को स्वीकार किया गया।

21.1 उद्देश्य

1. इस ईकाई में हम पूर्व सोवियत संघ की राजनैतिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगें।
2. सोवियत विघटन के बाद रूस के संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगें।
3. पूर्व सोवियत एवं वर्तमान रूस के संविधान का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगें।
4. वर्तमान रूस के संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन करेंगें।
5. रूस एवं विश्व की अन्य शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगें।
6. रूस के संविधान का मूल्यांकन करेंगें।

21.2 इतिहास एवं संवैधानिक विकास

सोवियत संघ का जन्म 1922 में तीन गणराज्यों ब्राइलो रूस , यूक्रेन तथा ट्रासकाकेशिया के एक साथ मिलने से हुआ। अखिल रूसी कांग्रेस और केन्द्रीय कार्यकारिणी में इन्हें प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से 1923 में सोवियत संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की। आयोग द्वारा निर्मित प्रारूप 31 जनवरी 1924 को द्वितीय सोवियत कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 1924 में उज्बेक,तुर्कमान तथा 1929 में ताजिक भी इसमें शामिल हो गये। 1935 आते-आते सोवियत संघ में समाजवाद भली-भांति स्थापित हो गया था और इसके 11 गणराज्य हो गये थे। 1935 में स्टालिन ने नये चुनौतियों के अनुरूप नये संविधान के निर्माण के लिये नये संवैधानिक आयोग का गठन किया जिसमें 35 सदस्य थे। तत्कालिन संवैधानिक आयोग द्वारा तैयार संविधान की 6 करोड़ से अधिक प्रतियां जनता में वितरित कर तथा अनेक सभायें कर जनता की राय ली गई। आम जनता के द्वारा एक लाख से अधिक संशोधन प्रस्तावित किये गये। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में 43 संशोधनों के साथ नये संविधान को जनवरी 1937 में स्वीकार कर लिया गया। इस नये संविधान में 13 अध्याय एवं 143 धारायें थी।

1957-58 तक खुरश्चेव की पकड़ सोवियत संघ पर मजबूत हो गई थी। सोवियत सामाजिक,आर्थिक व्यवस्था तथा विश्व राजनैतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आ गये थे, ऐसे में नये सवंधिान की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 1963 में 97 सदस्यों के संविधान आयोग का गठन किया । 1964 में ख्रुश्चेव के पतन के बाद ब्रेजनेव ने सत्ता की बागडोर संभाली। 1977 में नया संविधान राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के लिये प्रस्तुत किया गया। संशोधन के

लगभग 4 लाख प्रस्ताव आये। 4 अक्टूबर 1977 को सर्वोच्च सोवियत के सातवें अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1977 में लागू नया संविधान स्टालिन के 1936 के संविधान से अधिक व्यापक था। इसमें 21 अध्याय,174 अनुच्छेद है। यह मध्यमार्गी एवं कुछ हद तक उदार संविधान था। नये संविधान में सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़े राष्ट्र (क्षेत्र एवं जनसंख्या) के रूप में सामने आया।

शीतयुद्ध के दौरान नई विश्व राजनैतिक व्यवस्था के जन्म हुआ। कठोर साम्यवादी व्यवस्था में सोवियत संघ आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ने लगा। नई बदली विश्व व्यवस्था , संघ की ईकाईयों का असंतोष , संघ में रूस के दबदबे ने व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसी समय तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति गार्वाच्योव ने खुलेपन की नीति को अपनाया। संघीय इकाईयों ने अधिक स्वायत्ता की माँग की। इसी समय ईकाईयों में राष्ट्रवाद का उभार हुआ। लोकतान्त्रिक सुधार की माँग बलवती हुई। रूस में नई विधायिका (कांग्रेस आफ पीपुल डिपुटीज) के चुनाव 1990 में हुए। इस कांग्रेस ने ही बोरिस येल्तसिन को सुप्रीम सोवियत का अध्यक्ष चुना। अगले महीने ही कांग्रेस ने देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अपने सम्प्रभुता की घोषणा कर दी। रूस ने राष्ट्रपति के नये पद का सृजन 1991 में सोवियत राष्ट्रपति की तरह किया। येल्तसिन गार्वाच्योव के विरोध के बावजूद 57 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त कर विजयी हुए। येल्तसिन ने अपने कार्यकाल में रूसी राष्ट्रवाद,रूसी सम्प्रभुता को बढ़ावा दिया। 1991 में दक्षिणपंथियों के द्वारा गार्वाच्योव के विरूद्ध एक विद्रोह किया गया। ऐसे समय में येल्तसिन ने गार्वाच्योव को समर्थन दिया और तीन दिन के अन्दर गार्वाच्योव को पुनः स्थापित किया। गार्वाच्योव की वापसी के बाद वे पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रह गये। येल्तसिन का प्रभाव,पकड़ बढ़ती जा रही थी। कई संघ की इकाई अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर रही थी। गार्वाच्योव की सरकार ने इस्टोनिया,लटाविया, लिथुआनिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया। 1991 के अन्त तक बोरिस येल्तसिन ने गार्वाच्योव की सरकार के आर्थिक अधिकारों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। रूस ने अपनी स्वन्त्रता की घोषणा नहीं की। यूक्रेन के द्वारा स्वतन्त्रता की घोषणा के एक हफ्ते बाद येल्तसिन एवं यूक्रेन तथा बेलारूस नेताओं ने ''स्वतन्त्र राष्ट्रों के कामनवेल्थ'' की घोषणा की। आगे यह कामनवेल्थ (सी0आई0एस0) और विस्तारित हुआ। 25 दिसम्बर 1991 को गार्वाच्योव ने 1922 की संधि की समाप्ति तथा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। रूस को दुनिया के देशों की स्वीकृति मिल गई और वह सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ। दुनिया के अन्य संगठनों तथा क्षेत्रीय संगठनों में सोवियत उत्तराधिकारी के रूप में शामिल हुआ। इस प्रकार दुनिया के नक्शे पर सोवियत संघ के स्थान पर रूस का जन्म हुआ।

21.3 विघटन के बाद रूस का 1992 का नया संविधान

सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने 1992 में कहा कि नये हालात में पुराना संविधान अनुपयुक्त हो गया है अतः ऐसे हालात में रूस को नये संविधान की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रपति के पास ज्यादा कार्यपालकीय शक्तियां हो। 1991 के सोवियत विघटन के बाद येल्तसिन सुधारों को लागू करने के लिए अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। 1992 के आते-आते वे साम्यवादियों के निशाने पर आ गये और विधायिका के दोनों सदनों से उनका टकराव प्रारम्भ हो गया। पुराने 1978 के संविधान में विधायिका के पास महत्वपूर्ण शक्तियां थी। अप्रैल 1992 में कांग्रेस आफ पीपुल डिपूटीज (सी0पी0डी0) ने राष्ट्रपति के विशेष कार्यपालकीय शक्तियों में कटौती कर दी। सी0पी0डी0 ने राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी। प्रधानमंत्री के रूप में ''गाइडर'' की नियुक्ति का भी अनुमोदन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में विक्टर चरमोमिर्दिन को नियुक्त करना पड़ा। इसी टकराव के बीच विधायिका एवं राष्ट्रपति के बीच अधिकारों के बँटवारे को लेकर जनमतसंग्रह कराने की सहमति बन गई। मार्च 1993 में अचानक सी0पी0डी0 ने विशेष सत्र बुलाकर जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। ऐसे में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने देश को संबोधित कर अपने विशेष अधिकारों की घोषणा की। आगे जाकर संवैधानिक न्यायालय ने उक्त अधिकारों को अंसवैधानिक घोषित कर दिया। येल्तसिन को वापस हटना पड़ा। सी0पी0डी0 ने विशेष सत्र बुलाकर राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा जो निष्फल रहा। इसी विशेष सत्र में राष्ट्रपति की नीतियों, सुधार कार्यक्रमों पर जनमत संग्रह कराने पर सहमति हुई। 25 अप्रैल 1992 को हुए जनमत संग्रह में बहुसंख्यक मतदाताओं ने येल्तसिन के सुधार कार्यक्रमों विश्वास व्यक्त किया। नये विधायी चुनावों को स्वीकार किया गया। ऐसे हालात में टकराव और बढ़ गया। नये संविधान के मसौदे पर विधायिका और राष्ट्रपति में सहमति नहीं बन पा रही थी। राष्ट्रपति ने अतिवादी कदम उठाते हुए सेना को बुला लिया। सेना के टैंकों ने विधान भवन को 3 अक्टूबर 1993 को घेर लिया। बदले में सी0पी0डी0 ने विशेष सत्र बुलाकर राष्ट्रपति येल्तसिन के विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करते हुए उपराष्ट्रपति ''अलेक्जेडर रूतस्कोव'' को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। टकराव बढ़ा और सेना और विधायिका समर्थकों में हिंसक झड़पें हुई। यह समय रूस के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय था। इधर विगत कई वर्षों से नये संविधान के मसौदे पर सहमति नहीं होने के कारण सितम्बर 1993 में येल्तसिन ने विधायिका के निम्न सदन को भंग कर दिया। येल्तसिन ने विशेष कार्यपालकीय शक्ति का प्रयोग कर संविधान सभा का गठन किया जिसने शीघ्रतापूर्वक संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। उक्त मसौदों पर दिसम्बर 1993 में जनमत संग्रह कराया गया और 58.4 प्रतिशत लोगों ने नये संविधान को स्वीकृति दी। 1993 के नये संविधान से रूस एक लोकतान्त्रिक गणाज्य बना। रूस ने नये संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया। नये संविधान में सरकार के तीन अंगों विधायिका,

कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण को स्वीकार किया गया। नये संविधान में विचारों की विविधता एवं बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

21.4रूस के संविधान की विशेषतायें

रूसी गणराज्य मध्य एशिया में स्थित 6,592,849 वर्ग मील के क्षेत्रफल वाला देश है। यह क्षेत्र काफी घना बसा हुआ है। अप्रैल 2001 में यहाँ की जनसंख्या 146001176 थी। यहाँ पर अनेक प्रजातियों तथा अनेक भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते है। यहाँ की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक 81.5 प्रतिशत रूसी , 3.8 प्रतिशत तरतरस ,3 प्रतिशत यूक्रेनी ,1.2 प्रतिशत चुवास, 0.9 प्रतिशत बस्कीर, 0.8 प्रतिशत बेलारूसी, और 0.7 प्रतिशत माल्देवीय लोग है। रूसी भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। रूस की नई संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया है। ब्लादीमीर पुतिन 31 दिसम्बर 1999 को पहले राष्ट्रपति चुने गये थे। राष्ट्रपति को परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार किया गया है जिसकी नियुक्ति ड्यूमा के अनुमोदन से राष्ट्रपति करता है। नये संविधान में विधायिका के दो सदन निम्न सदन के रूप में डूमा तथा उच्च सदन के रूप में फडरेशन कौसिल (संघीय परिषद) को स्वीकार किया गया है। नये संविधान में स्थानीय स्वशासन को भी स्वीकार किया गया है। स्थानीय स्तर पर ईकाईयों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। नये संविधान में पूर्व सोवियत संविधान के विपरीत बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। 2003 में हुए चुनाव में 23 राजनीतिक दलों ने सहभागिता की थी। वर्तमान रूसी संविधान में रूस के बहुभाषीय , बहुजातीय समाज के अनुरूप बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। यहाँ का संविधान संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन का मिश्रण प्रतीक होता है। इसमें दोनों के गुण दिखाई पड़ते है। रूस के संविधान की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैः-

1- लिखित संविधानः- रूस का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों की तरह लिखित है। अमेरिका, भारत, फ्रांस,कनाडा, स्विटजरलैण्ड की तरह रूस का संविधान लिखित है। इस संविधान में 137 अनुच्छेद है। इस संविधान को संविधान सभा ने निर्मित किया तथा जनमत संग्रह ने देश की जनता ने स्वीकृति दी। रूस के संविधान में 137 अनुच्छेद है। यह संविधान संग्रह के उपरांत 12 दिसम्बर 1993 को लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 65 में 9 जनवरी 1996 में आंशिक परिवर्तन किये गये। यह एक छोटा संविधान है। भारत का संविधान भी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्मित किया। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो विश्व को सर्वाधिक विशाल संविधान है। रूस का संविधान भारत की तुलना में तो छोटा है परन्तु अमेरिका के संविधान की तुलना में बड़ा है।

2- सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना:- रूस का संविधान रूस को प्रभुतासम्पन्न लोकतन्त्रात्मक राज्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 3 और 5 इसे लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित करते है। इसी में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गई है। ऐसे नागारिक जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। जनमत संग्रह एवं निष्पक्ष चुनाव जनता को शक्तिशाली बनाते है। भारत एवं अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों में लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। भारत में सार्वभौग व्यस्क मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। भारत में एक संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

3- संघात्मक शासन व्यवस्था:-रूस में संघीय ढ़ाचे को स्वीकार किया गया। रूस के वर्तमान संविधान में रिपब्लिक, टेरीटरी, रीजन और स्वायत क्षेत्र जैसी इकाईयों की उपस्थिति संघीय स्वरूप को स्पष्ट करते है। रूस के संघीय ढांचे की समस्त शक्तियों का प्रयोग संघ एवं इकाईयों के द्वारा किया जाता है। रूस की संघीय व्यवस्था को संविधान के द्वारा सुनिश्यित कराया जाता है। संविधान के अनु0 4,5 इसके इंगित करते है। दुनिया संघीय शासन के आदर्श के रूप में अमेरिकी व्यवस्था को माना जाता है। अमेरिका में 1779 संविधान लागू होने के साथ संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। आज अमेरिका के संघ में पचास इकाईयां सम्मिलित है। भारत भी एक संघात्मक राज्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को ''राज्यों का एक संघ'' कहा गया है। इसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में केन्द्र एवं राज्य इकाइयों में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है।

4- गणराज्य की स्थापना:- रूस में राजतन्त्र का लम्बा इतिहास रहा है। वहाँ पर 14 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी तक जार शासकों का निरंकुश शासन स्थापित था। 1914 आते-आते वहाँ की सामाजिक,राजनैतिक आर्थिक हालात से असंतोष बहुत बढ़ गया। इसी समय जर्मन सेनाओं से पराजित होने के कारण जार शासक बेहद कमजोर हो गये। मार्च 1917 में ड्यूमा की मांग पर जार को सिहासंन छोड़ना पड़ा। क्रान्तिकारियों के द्वारा समस्त वंश का वध कर दिया गया। केरेन्सकी के हाथ में अस्थायी सरकार का नेतृत्व था। यह सरकार कमजोर थी। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने केरेन्सकी के सरकार को पदच्युत कर सरकार की बागडोर संभाली। 1917 से 1992 तक वामपंथी शासन रहा। रूस के वर्तमान संविधान ने भी राजतन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र की स्थापना की। रूस को एक गणराज्य बनाया गया है जिसमें सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव आम निर्वाचन से होता है। वहाँ पर वंशानुगत व्यवस्था को कोई अवशेष नहीं है।

5- अधिकारों का उल्लेख:- रूस के संविधान के पूर्व सोवियत संविधान में अधिकारों का उल्लेख था। इन अधिकारों में नागरिक अधिकार तो अधिक प्रभावी नहीं थे परन्तु आर्थिक अधिकार बहुत

प्रभावी थे। पूर्व की साम्यवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता पर अधिक जोर था। रूस के वर्तमान संविधान में उदारवादी व्यवस्था के अनुरूप सभी नागरिक अधिकारों को स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि ‘‘ मानव उनके अधिकार और स्वतन्त्रता सर्वोच्च मूल्य है।’’ रूस के वर्तमान में नागारिक अधिकारों पर बल दिया गया है। रूस के संविधान में दिये गये अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 17 से 56 तक अधिकरों का उल्लेख किया गया है। रूस के संविधान में प्रदत्त किये गये प्रमुख अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता,निजता का अधिकार, धार्मिक गतिविधियों को करने का अधिकार,विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, चुनने का राजनीतिक अधिकार, राज्य सेवाओं में समता का अधिकार, निजी संपत्ति रखने का अधिकार, काम पाने तथा न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, परिवार का अधिकार , घर का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक, कला, वैज्ञानिक एवं रचानात्मक गतिविधियों को करने का अधिकार , राज्य से हुए नुकसान के प्रतिकर अधिकार, आदि है। रूस के संविधान में अधिकारों का विस्तृत एवं प्रभावी विवरण दिया गया है। रूस के संविधान में इन अधिकारों को न केवल प्रदान किया गया है वरन इनको राज्य की उपेक्षा से बचाने की व्यवस्था भी की गई है। रूस के संविधान में नागरिक आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता की गारंटी दी गई है। भारत के संविधान में भी नागरिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में प्रारम्भ में सात मौलिक अधिकारों का उल्लेख था परन्तु 44 वें संविधान संशोधन के बाद अनु0 31 में वर्णित संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को छः प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये है।

6- मूल कर्तव्यों का उल्लेख:- रूस के वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 57 से 59 तक नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। रूस के संविधान में मुख्य रूप से नागरिकों से राज्य के करों का भुगतान, विभिन्न मदों के शुल्क का भुगतान, रक्षा एवं सैनिक सेवाओं करने की आशा की गई हैं। रूस के संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि यह कर्तव्य लोगों को कानून का पालन करने वाला तथा देशभक्त बनाता है।

1977 के सोवियत संघ के संविधान में भी नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख था। पूर्व सोवियत संविधान में काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार,भौतिक सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक एवं राजनीतिक सवतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। पूर्व सोवियत संविधान की यह उपलब्धि थी क्योंकि इसमें नागरिकों को काम पाने, विश्राम करने का अधिकार तथा भौतिक सुरक्षा संबंधी आर्थिक अधिकार प्रदान किये गये थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) में भी दस मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

7- अध्यक्षात्मक शासन:- रूस के वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति को अत्याधिक शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा सीधे किये जाने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये है। वहीं प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति का अनुमोदन वह ड्यूमा से लेने के लिये बाध्य होता है। वह केवल अस्वस्थता, राजद्रोह,महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। उसको हटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। वह ड्यूमा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वह रूस के संघीय सरकार की बैठकों की अध्यक्षता करता है। रूस का राष्ट्रपति देश की आन्तरिक एवं बाहय नीतियों को निर्देशित करता है। वह देश के बाहर रूस का प्रतिनिधित्व करता है। वह विधायिका के परामर्श से राजदूतों की नियुक्ति करता है। वह विदेशों से आने वाले राजदूतों का परिचय भी लेता है। वह विदेशों में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये संधि पर हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति के पास कई ऐसी शक्तियां है जो उसे विधायिका से अधिक शक्तिशाली बनाती है। राष्ट्रपति के पास आदेश जारी करने की तथा सरकार को निर्देश देने की महत्वपूर्ण शक्ति है। कुछ मामलों में संविधान उसे ड्यूमा को भंग करने का अधिकार भी प्रदान करता है। रूस के नये संविधान में राष्ट्रपति जनमत संग्रह भी करा सकता है। पहले यह अधिकार विधायिका के पास था। अमेरिका, भारत में भी राष्ट्रपति को हटाने के लिये संविधान के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित है। रूस के वर्तमान संविधान में यदि राष्ट्रपति गंभीर अपराध अथवा राजद्रोह करता है तो ड्यूमा उच्च सदन (संघीय परिषद) में महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के साथ राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। संघीय परिषद यदि तीन महीने तक प्रस्ताव पारित नहीं करती तो महाभियोग प्रक्रिया समाप्त मान ली जाती है। राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटने या गंभीर रूप से अस्वस्थ होने की दशा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। ऐसी दशा में तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के चुनाव कराने का प्रावधान है। रूस के संविधान मे उपराष्ट्रपति पद का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री सहित सरकार का गठन करता है। वह ड्यूमा के अनुमोदन से रूस के केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष, संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संघीय परिषद के अनुमोदन से करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संघीय जिला न्यायालयों के न्यायधीशों की भी नियुक्ति करता है।

8- द्विसदनात्मक विधायिका:- रूस की ‘‘फेडरल असेम्बली’’ ही वहां की विधायिका है। इसके दो सदन है निम्न सदन के रूप में ड्यूमा तथा उच्च सदन के रूप में संघीय परिषद है। रूस की विधायिका का निम्न सदन 450 सदस्यों से मिलकर बना है जिनका चुनाव सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा होता है। संघीय सभा की कुल सदस्य संख्या 628 है। इसमें निम्न सदन ड्यूमा की संख्या 450 तथा संघीय परिषद की संख्या 178 है। पहली संघीय सभा का चुनाव 1993 में विशेष परिस्थितियों में हुआ। इसका कार्यकाल केवल दो वर्ष था। पहले चुनाव में

चेचन्या, चेल्याबिक तथा टाटरस्टन जैसे कुछ रिपब्लिकों के बहिष्कार के कारण संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या 170 ही रह गई थी। 1994 के मध्य तक चेचन्या को छोड़कर सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चत कर लिया गया।

रूस के नये संविधान में विधायिका पूर्व सोवियत विधायिका की तरह केवल ''रबर स्टैम्प'' की तरह कार्य करने के लिये वर्ष में केवल कुछ दिन कार्य नहीं करती वरन वह स्थायी रूप से सक्रिय विधायिका के रूप में कार्य करती है। संविधान के द्वारा दोनों सदनों के अलग-अलग अधिवेशनों की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान किया गया है। ड्यूमा के सदस्य अन्य किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते और न ही वे सरकार में कोई पद धारण कर सकते है। 1995 के बाद लगभग 19 अधिकारियों को ड्यूमा के सदस्य बनने के बाद अपने पुराने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। दोनों सदनों में ड्यूमा अधिक शक्तिशाली प्रतीक होती है। दोनों से पारित किसी विधेयक को यदि राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तो दोनों सदन पुनः 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर दे तो राष्ट्रपति को सात दिन के अन्दर अपनी सहमति देनी पड़ती है।

9- सरकार का गठन:- रूस में मन्त्रिमण्डल सहित उसके अध्यक्ष की नियुक्ति में केवल राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होती वरन अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) तथा सरकार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति ड्यूमा यदि तीन बार अस्वीकार कर देती है तो राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग कर सकता है और नये चुनाव करा सकता है। इस प्रकार रूस के वर्तमान संविधान में सरकार के अंगों में परस्पर नियन्त्रण की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनु0 111 तथा 113 में उपर्युक्त प्रावधान किये गये है। रूस की विधायिका के निम्न सदन ड्यूमा के प्रति सरकार जबावदेह होती है। यदि ड्यूमा अविश्वास व्यक्त कर दे तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि वह उसे स्वीकार करे अथवा न करे। यदि तीन महीने के अन्दर पुनः अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाये तो राष्ट्रपति या तो सरकार का त्यागपत्र स्वीकार करता है या ड्यूमा को भंग कर सकता है। रूस के संविधान में की गई व्यवस्था कुल मिलाकर अंगों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया नजर आती है। यह लोकतन्त्र के लिये आवश्यक है। यह व्यवस्था भारत के संसदीय शासन तथा अमेरिका के '' अवरोध एवं संतुलन'' की व्यवस्था की तरह दिखाई पड़ती है।

10- निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन:- रूस में न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई हैं संविधान के अनुच्छेद 126 में सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी तथा प्रशासकीय मामलों में देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक मामलों के निपटारे के लिये ''सुप्रीम आरेबेटरी कोर्ट'' की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त एक 19 सदस्यीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना की गई है। यह मुख्य रूप से निम्न मामलों को देखती है:-

1. संविधान के प्रावधानों का पालन सुनिश्चत कराना।
2. संघीय कानूनों की व्याख्या करना।
3. रूस के राष्ट्रपति के आचरण व्यवहार से संबंधित मामले।
4. ड्यूमा संघीय परिषद तथा सरकारी पदाधिकारियों के आचरण एवं व्यवहार के मामले।
5. संविधान की व्याख्या सुनिश्चित करना।

संवैधानिक न्यायालय उक्त मामले संघीय परिषद के अध्यक्ष, ड्यूमा के अध्यक्ष की सलाह पर लेता हैं।

11- कठोर संविधान:- रूस का वर्तमान संविधान कठोर संविधान है। कठोर संविधान का अर्थ है कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। इसमें आसानी से बदलाव संभव नहीं है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रूस के राष्ट्रपति के द्वारा,ड्यूमा तथा संघीय परिषद के द्वारा लाये जा सकते है। संविधान के भाग 1,2 तथा 9 में संशोधन के लिये आवश्यक है कि उक्त प्रावधान संघीय परिषद तथा ड्यूमा में 3/5 सदस्यों के मतों से पास होना चाहिए। इसके बाद एक विशेष संवैधानिक सभा का गठन किया जायेगा। संविधान सभा के 2/3 सदस्यों के मत से पारित होने के साथ संशोधन पूर्ण हो जाता हैं। संविधान के भाग 3 से 8 में संशोधन संघीय संवैधानिक कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 65 में संशोधन का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 7 तथा 16 में संशोधन के उक्त कठोर प्रावधानों का उल्लेख है। उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट करते है कि संविधान में संशोधन आसानी से नहीं हो सकता। भारत में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में लचीला एवं जटिल दोनों तत्व दिखाई पड़ते है। भारत में मूल ढ़ाचें से संबंधित संशोधन प्रस्ताव के लिये संशोधन की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा की सहमति अनिवार्य की गई है। अमेरिका संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण है।

12- संविधान की सर्वोच्चता:- पूर्व के सोवियत संविधान में ‘‘ कम्युनिस्ट पार्टी’’ की सर्वोच्चता स्थापित थी। संविधान कम्युनिस्ट पार्टी एवं पोलित ब्यूरो और महासचिव के हाथ का खिलौना था। 1993 में रूस के नये संविधान से स्थितियां बदल गई। नये संविधान में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हुई। रूस के संविधान की सर्वोच्चता सम्पूर्ण रूसी भू भाग पर स्थापित है। रूस की सरकार,नागरिक ,स्थानीय सरकार सभी संविधान के अधीन है। कोई भी सरकारी प्रावधान संविधान के प्रतिकूल नहीं हो सकता है। रूस की विधायिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बनायेगी जो संविधान विरूद्ध हो। रूस के संविधान की सर्वोच्च वैधानिक स्थिति है। संविधान के अनु0 16 में सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया है। रूसी संघ में संविधान की यह सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान की सर्वोच्चता की ही तरह है।

13- लोक सम्प्रभुता:- रूस के संविधान के अनुच्छेद 3 में लोक सम्प्रभुता को स्पष्ट किया गया है। बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुधर्मी देश में लोकसम्प्रभुता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। रूस में नागारिक अपने अधिकारों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से, राज्य सरकारों के माध्यम से तथा स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के माध्यम से करते है। रूस के संविधान में जनमत संग्रह का प्रावधान भी रूसी नागारिकों की महती भूमिका को दर्शाता है। सरकार का गठन, विधायिका का चुनाव, कानून निर्माण के बाद जनता की रायशुमारी जनता की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाती हैं। उपरोक्त प्रावधान रूस की सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में नागरिकों को धुरी बनाते है। सरकार की सम्पूर्ण शक्ति का उद्गम स्थल लोक (नागरिक) है।

14- राज्य के सिद्धान्तों का उल्लेख:- रूस के संविधान में राज्य के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से नागरिकों के व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास पर जोर दिया गया है। इसके अन्तर्गत सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे ऐसी नीतियां बनायेंगे जिसमें नागरिक सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। इसमें नागरिकों की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिये विशेष व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 7 इस तरह के प्रावधानों का उल्लेख करता है।

15- बहुदलीय व्यवस्था:- पूर्व सोवियत संविधान में एकदलीय व्यवस्था स्थापित थी। सोवियत शासन व्यवस्था में कम्युनिस्ट दल की तानाशाही स्थापित थी। रूस के 1992 के संविधान में बहुदलीय व्यवस्था को स्थापित किया गया है। वर्तमान ड्यूमा में 4 दलों का प्रतिनिधित्व है। इनमें ''यूनाइटेड रशिया'' सत्तारूढ़ है। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फडरेशन, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ रशिया तथा ए जस्ट रशिया आदि प्रमुख है। कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी दल है।

21.5 सोवियत एवं रूस के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन

सोवियत संघ का संविधान 1924 में अस्तित्व में आया। आयोग द्वारा निर्मित यह संविधान 31 जनवरी 1924 को द्वितीय सोवियत कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। 1935 में स्टालिन ने नये चुनौतियों को देखते हुए नये संविधान का निर्माण प्रारम्भ किया गया जो 1937 में लागू हुआ। 1957-58 में खुश्चेव ने नये संविधान के निर्माण का इरादा दर्शाया जो 1977 में लागू हुआ। रूस के वर्तमान संविधान के लागू होने से पहले 1977 का सोवियत संविधान लागू था। यह मुख्य रूप से एक कम्युनिस्ट व्यवस्था को मजबूत करने वाला संविधान था। इसमें नागरिक अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर तथा स्वतन्त्रता की अपेक्षा समानता पर अधिक बल था। वर्तमान रूसी संविधान नये परिस्थितियों में निर्मित उदारवादी व्यवस्था पर आधारित संविधान है।

सोवियत संविधान में एक दलीय (कम्युनिस्ट) तानाशाही स्थापित थी वही वर्तमान संविधान में बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। सोवियत संविधान में संविधान एवं संसद की सर्वोच्चता का अभाव था परन्तु आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था के अनुरूप रूस के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। पूर्व के सोवियत संविधान में शक्तियों का केन्द्रियकरण दिखायी पड़ता है जबकि वर्तमान रूसी संविधान में सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) का पृथक्करण दिखाई पड़ता है। वर्तमान रूसी संविधान ‘‘ अवरोध एवं संतुलन’’ के सिद्धान्त पर कार्य करता है। पूर्व सोवियत संविधान बहुल कार्यपालिका के सिद्धान्त पर काम करता हुआ दिखायी पड़ता है। उसमें सम्पूर्ण शक्ति प्रेजीडियम (39 सदस्यीय) में निहित है जबकि वर्तमान रूसी संविधान में राष्ट्रपाति के पास (एकल कार्यपालिका) सम्पूर्ण कार्यपालकीय शक्तियां निहित है। सोवियत संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया था उसे प्रशासन का एक हिस्सा माना गया था। वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। आधुनिक रूसी संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है।

21.6 भारत एवं विश्व के संविधानों से तुलना

- 1992 में लागू रूस का वर्तमान संविधान एक आधुनिक संविधान है। इसमें विश्व के अनेक संविधानों की अच्छाईयां विद्यमान है। रूस के संविधान में अमेरिका,फ्रांस, भारत के संविधानों की विशेषतायें दिखायी पड़ती है। रूस का संविधान अमेरिका,भारत एवं फ्रांस की तरह सभा द्वारा निर्मित संविधान है। यह दुनिया के अन्य संविधानों की तरह एक लिखित संविधान है। जहां भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन को स्वीकार किया गया वहीं रूस में अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन को स्वीकार किया गया है। वहां राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। एक बार राष्ट्रपति की नियुक्ति होने के बाद सरकार के गठन का कार्य प्रारम्भ होता है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बाद में इसका अनुमोदन विधायिका के निम्न सदन ड्यूमा से लेता है। बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के परामर्श से अपनी मन्त्रिमण्डल बनाता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य किसी सदन या किसी अन्य पद पर नहीं हो सकते। यह प्रावधान भारत के विपरीत अमेरिका की तरह दिखता है जिसमें सरकार के सदस्य विधायिका का हिस्सा नहीं होते है।

राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करने की व्यवस्था भारत तथा अमेरिका की राजनैतिक व्यवस्था से अलग है। यह व्यवस्था फ्रांस के पंचम गणतन्त्र के संविधान से मिलती हुई दिखाई पड़ती है। फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।

भारत एवं अमेरिका की तरह रूस में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही चलती है। अमेरिका तथा भारत की ही तरह वहां पर संविधान का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। रूस में भी न्यायपालिका को उक्त कार्य हेतु स्वतन्त्र बनाया गया है। वहां पर न्यायपालिका के संवैधानिक न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। यह संघ एवं इकाईयों के विवादों का निपटारा करता है।

रूस का संविधान अमेरिका के संविधान के तरह एक कठोर संविधान है जिसमें परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है जिसके कारण आसानी से संशोधन नहीं हो पाते है।

रूस के संविधान में भारत के संविधान की तरह लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। वहां पर भारत की ही तरह बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। भारत के संविधान की तरह वहां पर संविधान का प्रारम्भ प्रस्तावना से किया गया है।

रूस के संविधान में फ्रांस एवं अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक संविधान को स्वीकार किया गया है। वहां पर मूल अधिकारों का उल्लेख भारत एवं अमेरिका के संविधानों की ही तरह है। वहां पर दुनिया की अन्य विधायिकाओं की तरह द्वि सदनीय व्यवस्थापिका को स्वीकार किया गया है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला निम्न सदन ड्यूमा तथा उच्च सदन के रूप में संघीय परिषद है जो भारत की लोक सभा ,राज्य सभा तथा अमेरिका की प्रतिनिधि सभा और सीनेट तथा ब्रिटेन की कामन सभा और लार्ड सभा के समान है।

अभ्यास प्रश्नः-

1. रूस का वर्तमान संविधान ....में लागू हुआ।
2. रूस में..........................व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
3. रूस में विधायिका के...................सदन है।
4. रूस में संविधान के सर्वोच्चता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। सत्य/असत्य
5. संविधान के अनुपालन की जिम्मेदारी संवैधानिक न्यायालय को प्रदान की गई है। सत्य/असत्य
6. रूस में.............शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है।
7. रूस की विधायिका के निम्न सदन को ....कहते है।
8. रूस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति ....करता है।

9. रूस में नागरिकों को व्यस्क मताधिकार दिया गया है। सत्य/असत्य

10. मतदान की आयु 21 वर्ष है। सत्य/असत्य

21.6 सारांश

रूस का वर्तमान संविधान 1992 में लागू हुआ। इसके पूर्व का इतिहास अत्यन्त गौरवशाली है। 1922 में तीन राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया था जिसमें रूस, बेलारूस तथा ट्रांस क्रोशिया शामिल थे। 1924 में इसमें उजबेक,तुर्कमान तथा 1929 में ताजिक शमिल हो गये। 1935 आते-आते इसमें 11 राज्य शमिल हो गये। 1935 में स्टालिन ने नया सोवियत संविधान बनाया जिसमें 146 अनुच्छेद तथा 13 अध्याय थे। स्टालिन के बाद खुश्चेव ने नये संविधान निर्माण का कार्य 1963 में प्रारम्भ कराया जो 1977 में लागू हुआ। यह संविधान 1936 के संविधान का वृहद रूप था जिसका उद्देश्य एक साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना था। इस संविधान में 9 खण्ड, 21 अध्याय तथा 174 अनुच्छेद थे। यह 1936 के संविधान की तुलना में व्यापक था। 1977 का संविधान 1990 तक चलता रहा परन्तु बदली अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों,तत्कालीन सोवियत आर्थिक संकट ,सोवियत इकाइयों का असन्तोष तथा सोवियत राष्ट्रपति गार्वाच्योव की खुलेपन (ग्लास्तनोव) की नीति 1991 में सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। सोवियत संघ 1991 में अनेक छोटी इकाईयों में विघटित हो गया। विश्व परिदृश्य से सोवियत संघ ओझल हो गया और अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उसकी जगह सोवियत संघ की सबसे बड़ी इकाई रूस ने लिया। रूस अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों में सोवियत संघ की जगह शमिल हुआ। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता हासिल की।

रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने विधायिका एवं देश की जनता से अधिक कार्यपालिका शक्तियों ,नये कार्यक्रमों नीति के निर्माण के लिये और समय तथा नये संविधान की मांग की। नये संविधान के निर्माण के लिये एक समिति का गठन किया गया। कुछ समय बाद येल्तसिन एवं विधायिका के बीच संबंध खराब होने प्रारम्भ हो गये। विधायिका के विशेष सत्र में उनकी विशेष अधिकारों एवं नये संविधान निर्माण की मांग को खारिज कर दिया। वही येल्तसिन ने राष्ट्र के सम्बोधन के द्वारा जन समर्थन की अपील की। टकराव बढ़ने पर येल्तसिन ने अतिवादी कदम उठाते हुए सैनिक कार्यवाही कर विधान भवन को टैंकों से घेरवा दिया अंततः संक्रमण के इस दौर में नया संविधान दिसम्बर 1992 में लागू हुआ। इस नये संविधान ने रूस को लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाया गया। रूस में संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। रूस का नया संविधान नागरिक अधिकारों, संविधान

की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। इस नये संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी सुनिश्चित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के प्रावधानों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। दुनिया के अन्य लोकतन्त्रात्मक देशों की तरह रूस में बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है।

वर्तमान रूस का संविधान एक आद्युनिक संविधान है। इसमें लगभग सभी उन्नत विश्व राजनैतिक व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। रूस के संविधान में अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार ,संघीय व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त आदि तत्व दिखाई पड़ते है। भारत की तरह वहां पर बहुदलीय व्यवस्था, संघात्मक शासन, मूल कर्तव्य आदि तत्व दिखाई पड़ते है। फ्रांस की तरह रूस की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री एवं मंत्रीमण्डल की नियुक्ति करता है। वर्तमान रूसी संविधान पूर्व सोवियत संविधान के विरूद्ध नागरिक स्वतन्त्रता,नागरिक गरिमा ,मुक्त अर्थव्यवस्था एवं बहुदलीय व्यवस्था को अपनाने वाला राष्ट्र है।

21.7 शब्दावली-

1. डूयूमाः- रूस की विधायिका का निम्न सदन जिसकी सदस्य संख्या 450 है। इसका चुनाव व्यस्क मताधिकार के द्वारा जनता करती है।

2. संघीय परिषदः- रूस की विधायिका का उच्च सदन है जो कि संघ की ईकाईयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्य संख्या 178 है।

3. ग्लास्तनोस्तः- खुलापन, परादर्शिता, जनता की आवाज, संवैधानिक सुधारों पर बल।

4. कामवेल्थ आफ इण्डिपेंडेट स्ट्रेटसः- सोवियत विघटन के बाद स्वतन्त्र हुये राज्यों का एक संगठन।

5. स्थाई सदस्यता (यू0एन0)- संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पांच महाशक्तियों को प्राप्त स्थान ही स्थाई सदस्यता है। इनके पास वीटो का अधिकार है।

6. साम्यवादः- समाजवाद का अगला पड़ाव साम्यवाद है। जिसमें समाज के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य करता है।

7. शक्ति पृथक्करणः- सरकार के तीन अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) को परस्पर एक -दूसरे से अलग-अलग कार्य करना।

8. अवरोध एवं संतुलनः- सरकार के अंगों का स्वतन्त्र रहते हुए दूसरे को नियन्त्रित करना ही अवरोध संतुलन है।

21.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

1. 12 दिसम्बर 1992 2. बहुदलीय 3. दो सदन 4. सत्य 5. सत्य 6. संघात्मक शासन

7. ड्यूमा 8. राष्ट्रपति 9. सत्य 10. सत्य

21.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भगवान विष्णु,विद्याभूषण, वर्ल्ड कान्स्टीट्यूशन,ए कम्परेटिव स्टडी, स्र्टलिंग पब्लिसर्श प्रा0लि0,नई दिल्ली।
2. मेनार्ड ,सरजान,रशिया इन फ्लक्स
3. मुनरो, दि गर्वनमेण्ट आफ यूरोप
4. जैन पुखराज विश्व के प्रमुख संविधान साहित्य भवन आगरा

21.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. कान्स्टीट्यूशन आफ रशिया

21.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. रूस के संविधान के विकास पर एक निबंध लिखिये।
2. रूस का संविधान एक आद्युनिक संविधान है, इस कथन की व्याख्या कीजिये।
3. रूस के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिये।
4. रूस के संविधान पर दुनिया के अन्य संविधानों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिये।

इकाई 22: रूस की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका

इकाई की संरचना

22.0 प्रस्तावना

22.1 उद्देश्य

22.2 रूस में विधायिका का इतिहास

22.3 1992 के रूस के संविधान में विधायिका

22.3.1 स्टेट ड्यूमा का गठन

22.3.2संघीय परिषद

22.4 भारत की संघीय विधायिका से तुलना

22.5 रूस की कार्यपालिका

22.6 विश्व की अन्य कार्यपालिकाओं से तुलना

22.7 सारांश

22.8 शब्दावली

22.9 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

22.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

22.3.11 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

22.3.12 निबंधात्मक प्रश्न

22.0 प्रस्तावना

आधुनिक शासन व्यवस्था में सरकार के तीन अंगों को स्वीकार किया जाता है। इन तीन अंगों को विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। इन तीन अंगों में विधायिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है क्योंकि विधायिका सरकार का वह अंग है जो विधि(कानून) बनाने का कार्य करती है। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है जिसका कार्य विधायिका के बनाये नीतियों, कार्यक्रमों को लागू करना होता है। विधायिका की सफलता कार्यपालिका की श्रेष्ठता पर ही निर्भर करती है। सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका का होता है। आधुनिक समय में न्यायपालिका का महत्व बढ़ता जा रहा है। न्यायपालिका ही वह अंग है जो संवैधानिक शासन को सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका ही कानून का शासन सुनिश्चित करवाती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा तथा संघीय शासन में इकाइयों के मध्य समरसता बनाने का महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका करती है। आधुनिक समय में सरकार के तीनों अंगों का महत्व अत्याधिक है। ये तीनों अंग परस्पर एक दूसरे को मदद करते है। इनके अभाव में हम सफल शासन की कल्पना भी नहीं कर सकते है।

सरकार के तीन अंगों का विभाजन आधुनिक संकल्पना है। प्राचीन समय में ऐसे विभाजन की संकल्पना नहीं थी। प्राचीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के पास ही सभी शक्तियां होती थी। वही कानून बनाने वाला वहीं कानून को लागू करने वाला तथा वही कानून तोड़ने वालों का दण्डित करने वाला था। कतिपय यही कारण था कि प्राचीन समय में निरंकुश शासन (तानाशाही) दिखाई पडते थे। मॉटेस्क्यू ने सर्वप्रथम तीन अंगों की कल्पना की। उसने सर्वप्रथम बताया कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता इन तीनों अंगों के अलग (पृथक्करण) पर निर्भर करता है। मॉटेस्क्यू की यह व्याख्या ही शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के रूप में सामने आई। विधायिका का आधुनिक संदर्भो में विकास पिछले 400 वर्षों में हुआ है। 18 वीं,19 वीं, शताब्दी में प्रतिनिधि सभाओं का विकास हुआ। यह सभायें धीरे-धीरे विधायिका के रूप में विकसित होती गई। विधायिका तीनों अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग थी परन्तु लोककल्याणकारी राज्य ने सरकारों के कार्यो में वृद्धि की और कार्यपालिका मजबूत हुई। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि विधायिका की शक्तियों में ह्: स का सूचक है। आधुनिक समय में कार्यपालिका की स्थिति मजबूत है। उसी का संबंध जनता के साथ रहता है। संसद या विधायिका के साथ जनता का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता है। ब्रिटेन के लिये तो यह कहा जाता है कि वहां मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित है। भारत सहित दुनिया के अन्य संसदीय व्यवस्था वाले देशों के संबंध में भी यह कहा जा सकता है। कार्यपालिका की मजबूत स्थिति विधायिका के प्रभावी ढ़ग से कार्य न करने तथा नई परिस्थितियों में जटिल कानून निर्माण ने

कार्यपालिका को मजबूत किया है। मजबूत होने के बावजूद वह नागारिक सक्रियता, स्वतन्त्र मीडिया तथा न्यायिक निर्णयों के द्वारा नियन्त्रित होती रहती है।

रूस के नवनिर्मित संविधान (1992) के द्वारा रूस को लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाया गया। वहां संघात्मक शासन को स्वीकार किया गया और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया। यह रूस का वास्तविक संदर्भों में आधुनिक संविधान था जिसमें नागरिक स्वतन्त्रता , संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अवसर प्रदान किया गया। यह पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी एक दलीय तानाशाही वाली व्यवस्था से एकदम अलग है। वर्तमान रूसी संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को परस्पर अलग रखते हुए शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही शासन के अंगों के बीच अवरोध एवं संतुलन के नियम को भी स्वीकार किया गया है। संक्षेप में हम कह सकते है कि रूस का वर्तमान संविधान आधुनिक शासन व्यवस्थाओं की कसौटी पर खरा ,मानव गरिमा को सुरक्षित रखने वाला, विधि के शासन को स्थापित करने वाला एक संविधान है।

22.1 उद्देश्य

1. रूस की विधायिका को जानने की कोशिश करेंगे।
2. रूस की वर्तमान विधायिका एवं पूर्व सोवियत विधायिका का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगें।
3. रूस की सरकार के गठन एवं कार्यो को जानने का प्रयास करेंगें।
4. विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन करेगें।
5. रूस के शासन में कार्यपालिका की भूमिका तथा उसकी शक्तियों का विश्लेषण करेंगें।

22.2 रूस में विधायिका का इतिहास

रूस का राजनैतिक इतिहास परिवर्तन का रहा है। रूस 1922 आते -आते राजतन्त्र से मुक्त सोवियत संघ के रूप में दुनिया के सबसे बड़े संघीय राज्य के रूप में स्थापित हुआ। वहः पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की गई। यह साम्यवादी व्यवस्था 1991 तक चली। 1991 से सोवियत संघ का विघटन हो गया और संघ की इकाईयां संघ से अलग हो स्वतन्त्रता की घोषणा कर रही थी। 1992 से विश्व रंगमंच पर सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया।

जहां तक रूस की विधायी व्यवस्था का प्रश्न है वह अलग-अलग समय पर अलग स्वरूप में दिखायी पड़ती है। रूस के इतिहास में निरंकुश राजतन्त्र का अस्तित्व रहा है। वहः पर 14 वीं शताब्दी से जार वंश का निरंकुश शासन चला आ रहा था। जारो के निरंकुश एवं अत्याचारी शासन, 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति ने जन जागरण को बढ़ाया। इसी समय नये मध्यम वर्ग ने अपनी नई जरूरत के लिये ‘‘ रूसी समाजवादी प्रजातन्त्रवादी दल ’’ का उदय हुआ। आगे जाकर यह दल दो भागों वोल्शेविक एवं मेन्शिवक में बँट गया। इसी समय (1904-05) एक अप्रत्याशित घटना ने रूसी सामाजिक,राजनैतिक व्यवस्था को झकझोर दिया। यह वह समय था जब रूस जापान के हाथों पराजित हुआ। इस घटना से रूस में राष्ट्रवाद का उभार आया। इसी समय जार शासन अत्याधिक अलोकप्रिय हो गया। इसी समय क्रान्तिकारी सक्रिय हो गये उन्हें एक अवसर मिल गया। चारों ओर से संवैधानिक शासन की मांग होने के कारण तत्कालीन शासन निकोलस द्वितीय को बाध्य होकर ‘‘ड्यूमा’’ की स्थापना करनी पड़ी । इसी समय जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धर्म,भाषा की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। सिद्धान्त में ड्यूमा राजा को नियन्त्रित करने के लिए किया गया था परन्तु व्यवहार में ड्यूमा राजा की कठपुतली बन कर रह गई थी। देश के हालात बेहद खराब थे इसी समय जार शासकों ने प्रथम विश्वयुद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इस युद्ध ने रूस के हालात और बिगाड़ दिये। जर्मनी के हाथों रूस की पराजय ने निराशा को और बढ़ा दिया। जार का शासन पर नियन्त्रण समाप्त हो गया और चारों ओर जार के निरंकुश शासन के विरूद्ध हड़ताल, बंद प्रारम्भ हो गया। अंततः मार्च 1917 में तत्कालीन राजा को पद छोड़ना पड़ा। करेन्सकी के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ।

अक्टूबर क्रान्तिः- मार्च 1917 में बनी सरकार एक निर्बल सरकार थी। यद्यपि इस सरकार का लक्ष्य एक उदारवादी लोकतन्त्र की स्थापना करना था। जनआकांक्षाओं की पूर्ति में असफल रहने का लाभ साम्यवादी नेता ‘‘लेनिन’’ ने उठाया। उसने साम्यवादी आन्दोलन को तेज किया। समाजवाद के नारे तथा नई समतामूलक व्यवस्था के सपने ने लोगों को समाजवाद के पक्ष में किया। अंततः अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में वोल्शेविको ने ‘‘करेन्सकी’’ की सरकार को

पदच्युत कर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस नई समाजवादी सरकार ने जनआकांक्षाओं के अनुरूप युद्ध रोकने , भूमि पर व्यैक्तिस्वामित्व समाप्त करने संबंधी महत्वपूर्ण फैसले लिये।

1917 से स्थापित समाजवाद 1991 तक स्टाः लिन,खुश्चेव, ब्रेझनेव से होते हुए अंत में गार्वाच्योव तक पहुँचा। इन 74 वर्ष के समाजवादी शासन में लोकतन्त्र वास्वत में कल्पना बन कर रह गया। विधायिका प्रभावहीन हो कर कम्युनिस्ट पार्टी के अधिपत्य में हो गई। एक नेता, एक दल का निरंकुश शासन था। यह ऐसा दौर था जहां पर नागरिक स्वतन्त्रता,विधि का शासन आदि का अभाव था। इस दौर में क्रमशः सभी राष्ट्राध्यक्षों ने नागरिक अधिकारों तथा विरोधियों को कुचला। लेनिन, स्टालिन ने अपने राजनैतिक विरोधियों को या तो समाप्त कर दिया या उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह दौर एक एक दल, एक नेता की तानाशाही का था। देश में किसी अन्य राजनैतिक दल को उभरने ही नहीं दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1922 में संघ बनाकर ‘‘सोवियत संघ’’ को जन्म दिया। इसी क्रम में 1924 में नया संविधान अस्तित्व में आया। 1924 के बाद 1936 में स्टालिन, 1977 में ब्रेझनेव ने नए संविधानों को जन्म दिया। 1991 में सोवियत विघटन के बाद दिसम्बर 1992 में रूस का उदारवादी लोकतन्त्र को स्थापित करने के लिये नया संविधान लागू किया गया। इस नये संविधान में अध्यक्षात्मक शासन को स्वीकार किया गया। रूस के शासन का इतिहास बेहद उतार-चढ़ाव भरा है। प्रारम्भ में राजतन्त्र होने के कारण शासन के सभी अंगों पर निरंकुश शासकों का अधिपत्य था। सभी शक्तियां राजा में निहित थी। जार शासक निकोलस द्वितीय के समय में ड्यूमा की स्थापना तो हुई परन्तु वह कठपुतली बन कर रह गई। 1917 में समाजवादी क्रान्ति के बाद विधायिका पर एक नेता एवं एक दल का नियन्त्रण स्थापित हो गया। यह भी एक प्रकार की तानाशाही थी। इस समय भी विधायिका आधुनिक मानकों की तरह कार्य नही कर पा रही थी। यह दलीय एवं नेतृत्व की तानाशाही का समय था।

1991 में संघ के आपसी असंतोष, नई विश्व व्यवस्था, आर्थिक संकट तथा गोर्वाच्योब की खुलेपन की नीति के परिणाम स्वरूप रूस का विघटन हो गया। बोरिस येल्तसिन ने नये संविधान को लागू किया जिसमें उदार लोकतान्त्रिक मूल्यों, खुली अर्थव्यवस्था, नागारिक अधिकार, विधि का शासन तथा संविधान की सर्वोच्चता पर बल दिया गया। इस नये 12 दिसम्बर 1992 में स्थापित संवधिान में विधायिका के दो सदन स्वीकार किये गये। इसमें निम्न सदन के रूप में ड्यूमा तथा उच्च सदन के रूप में संघीय परिषद को स्वीकार किया गया। रूस में पहली बार लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुरूप विधायिका अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। इसी समय तीनों अंगों (विधायिका,कार्यपालिका ,न्यायपालिका) अलग-अलग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इसी समय सरकार के उपर विधायिका के नियन्त्रण की व्यवस्था की गई। इस संविधान में कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई । राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री एवं मंत्रीमण्डल

की नियुक्ति करता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि 1992 के संविधान के बाद ही वास्तविक रूप से विधायिका,कार्यपालिक एवं न्यायपालिका ने पृथक रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया।

22.3 1992 के रूस के संविधान में विधायिका

नये बदले हालात में सोवियत विघटन के बाद रूस में लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान लागू किया गया। लम्बे समय बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था का छोड़कर उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था को स्थापित किया गया। इस नई व्यवस्था में दुनिया के अन्य लोकतान्त्रिक व्यस्थाओं की तरह रूस में भी द्विसदनीय व्सवस्था को स्वीकार किया गया। रूस में निम्न सदन के रूप में ड्यूमा को स्थापित किया गया जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च सदन को संघीय परिषद कहा गया जो ईकाईयों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुच्छेद 94 में कहा गया है -''संघीय सभा अर्थात रूसी संघ की संसद संघ की सर्वोच्च विधायी एवं प्रतिनिधिआत्मक संस्था है।'' यह दो सदनों ड्यूमा तथा संघीय परिषद से मिलकर बनेगी।

22.3.1 स्टेट ड्यूमा का गठन

स्टेट ड्यूमा 450 सदस्यों से मिलकर बनी है। उनका चुनाव दो तरह से होता है-

१. स्टेट आफ ड्यूमा के 225 सदस्यों का चुनाव सूची मतदान प्रणाली से होता है। इसके लिये वे दल ही अर्ह माने जाते है जो 5 प्रतिशत से अधिक मत आम निर्वाचन में प्राप्त करते है।

२. स्टेट ऑफ ड्यूमा के शेष 225 सदस्यों का चुनाव एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार का सिद्धान्त अपनाया जाता है। मतदान के लिये आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है वह चुनाव में भाग ले सकता है। वह 21 वर्ष का आयु प्राप्त करते ही सदन का सदस्य बनने की आयु संबंधी योग्यता पूरी कर लेता है। रूस के संविधान में स्पष्ट किया गया है कि एक साथ दोनों सदनों का सदस्य कोई नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्टेट ऑफ ड्यूमा और संघीय परिषद का सदस्य किसी अन्य राज्य ईकाई अथवा स्थानीय स्वशासन की इकाई का सदस्य नहीं हो सकता। ड्यूमा का सदस्य नौकरशाही का सदस्य नहीं हो सकता। वह किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे धनार्जन होता है। वह केवल शिक्षण और शोध संबंधी कार्यों में इस पांबदी से मुक्त है। 1995 के चुनाव के बाद 19 नौकरशाहों को अपने विधायी कार्यों के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी।

ड्यूमा के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार:- ड्यूमा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जो इस प्रकार हैः-

1. ड्यूमा का सदस्यों की आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में गिरफ्तार,छानबीन, घर की जांच नहीं की जा सकती।

2. लोगों की सुरक्षा के मामले को छोड़कर ड्यूमा के सदस्यों की व्यैक्तिगत जांच नहीं की जा सकती।

3. ड्यूमा के सदस्यों को उनके सम्पूर्ण कार्यकाल में उपरोक्त छूट प्राप्त होती है। उनको ड्यूमा के सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाली छूट को समाप्त करने का अधिकार प्रोस्क्यूटर जनरल की सिफारिश पर संबंन्धित सदन को है। संबंधित सदन ही उसको प्राप्त होने वाली विशेष सुविधायें समाप्त कर सकती है।

सत्र:- रूस का राष्ट्रपति 30 दिन के पूर्व सत्र बुलाता है। ड्यूमा के सत्र की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। रूस में ड्यूमा के सत्र खुले तथा विशेष अवसरों पर बंदसत्र भी होते है। संविधान के अनुच्छेद 99 एवं 100 में इसका उल्लेख किया गया है।

ड्यूमा के अधिकार एवं शक्तियां: रूस में ड्यूमा विधायिका का निम्न सदन है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। दुनिया के अन्य निम्न सदनों की तरह ही यह उच्च सदन संघीय परिषद से अधिक शक्तिशाली है। ड्यूमा की शक्तियों की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते है:-

1. कार्यपालकीय शक्तियां: ड्यूमा एक विधायी सदन है। वह कानून निर्माण के अतिरिक्त अनेक कार्यपालकीय कार्यों को करती है। उसके कार्यपालकीय कार्यों को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है:-

नियुक्ति संबंधी:- राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति सरकार के मुखिया (प्रधानमंत्री) की नियुक्ति करता है। ड्यूमा राष्ट्रपति द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण नियुक्ति का अनुमोदन करती है। ड्यूमा के अनुमोदन के बिना प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूर्ण नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एकाउटिंग चेम्बर के चैयरमैन की नियुक्ति एवं पदच्युति का दायित्व भी ड्यूमा के पास है। इसके अतिरिक्त ड्यूमा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह ही नियुक्ति एवं पदुच्यति के लिए जिम्मेदार है। ड्यूमा ही सरकार पर नियन्त्रण रखता है। सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर वह ही सरकार की आयु तय करती है।

राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग:- रूम में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। वह संविधान का उल्लघंन, राजद्रोह के मामले में महाभियोग की कार्यवाही कर पद से हटाया जा

सकता है। ड्यूमा में राष्ट्रपति के विरूद्ध लगे आरोपों की जांच की जाती है यदि वहां से 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो मामला संघीय परिषद में जाता है। यदि दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है, तो महाभियोग पूर्ण हो जाता है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है।

क्षमादान की शक्ति:- ड्यूमा के पास क्षमादान की महत्वपूर्ण शक्ति है। रूस की संसद में ड्यूमा ही क्षमादान की शक्ति है। वह इसका प्रयोग कर क्षमादान प्रदान करती है।

2. विधायी शक्तियां: रूस की विधायिका का निम्न सदन होने के कारण ड्यूमा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है। दुनिया के अन्य विधायिकाओं की तरह ड्यूमा भी इस कार्य को करती है। अनेक विधेयक प्रस्ताव ड्यूमा में ही प्रस्तुत किये जाते है। करों को समाप्त करने वाले कानून,राज्यों के वित्तीय देनदारीयों में परिवर्तन करने वाले, संघीय बजट से खर्च किये जाने वाले मामले में विधेयक ड्यूमा में ही प्रस्तुत किये जाते है। उक्त मामलों में ड्यूमा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित किये जाते है। ड्यूमा से पास होने के बाद पांच दिन के अन्दर विधेयक संघीय परिषद में भेजे जाते है। संघीय परिषद या तो अपने बहुमत से पास कर देती है या उसे अस्वीकार कर देती है। यदि संघीय परिषद चौदह दिन तक उस पर विचार नहीं करती तब वह बिल परिषद से पास मान लिया जाता है। संघीय परिषद से अस्वीकार होने के बाद विधेयक को एक समाधान आयोग के पास भेज दिया जाता है जहां पर दोनों सदनों के मतभेद कम करने के प्रयास किये जाते है। यहां से उक्त प्रयास के बाद विधेयक को पुनः ड्यूमा में भेज दिया जाता है। ड्यूमा यदि संघीय परिषद के प्रस्ताव से असहमत होती है और ड्यूमा के 2/3 सदस्य दूसरे मतदान में सहमति देते है तो विधेयक स्वीकृत मान लिया जायेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों सदनों में ड्यूमा की स्थिति अधिक मजबूत है। यह स्थिति दुनिया के सभी निम्न सदनों में दिखती है। भारत में लोक सभा , ब्रिटेन में कामन सभा आदि द्वितीय सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ड्यूमा के द्वारा संघीय बजट, संघीय कर, वित्त, कस्टम विभाग, वित्त संबंधी, अन्तर्राष्ट्रीय संधि को स्वीकार या अस्वीकार करने,रूस की सीमाओं की रक्षा तथा युद्ध और शंति संबंधी मामले यदि स्वीकार किये जाते है तो संघीय परिषद के द्वारा अनिचार्य रूप से स्वीकार होगें। संविधान के अनुच्छेद 106 में उक्त व्यवस्था की गई है।

22.3.2संघीय परिषद

रूस की द्वि सदनीय विधायिका में संघीय परिषद द्वितीय सदन है। संघीय परिषद की सदस्य संख्या 178 निर्धारित की गई है। इसमें संघ की प्रत्येक इकाई से दो सदस्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई हैं। दो प्रतिनिधियों में से एक राज्य प्रतिनिधि के रूप में तथा एक राज्यों की कार्यपालकीय

संस्थाओं से आते है। रूस के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है।

संघीय परिषद के सदस्य वहीं उन्मुक्तियां(छूट) प्राप्त करते है जो ड्यूमा के सदस्य प्राप्त करते हैं। उनको प्राप्त उन्मुक्तियां उनके सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान रहती है। उनको प्राप्त उन्मुक्तियां केवल प्रोसीक्यूटर जनरल की सिफारिश पर रोकी जा सकती है।

संघीय परिषद के अधिवेशनः- संघीय परिषद ड्यूमा से अलग बैठती है। इसके सत्र खुले होते है। संघीय परिषद बंद सत्र भी कर सकती है।

संयुक्त अधिवेशनः- रूस में संविधान में संयुक्त अधिवेशन की भी व्यवस्था की गई है। रूस के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन, संवैधानिक न्यायालयों के संबोधन के समय संयुक्त अधिवेशन बुलाये जाते है।

पदाधिकारीः- संघीय परिषद सदन के अन्दर अनुशासन, व्यवस्था बनाने के लिऐ अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा उसके सहायक चुनता है। ये पदाधिकारी सदन में अनुशासन तथा शन्तिपूर्ण निर्बाध कार्यवाही चलाने के लिए जिम्मेदार होते है। संविधान के अनुच्छेद 101 में उक्त प्रावधान किया गया है।

विभिन्न कमेटी एवं नियमः- शासन व्यवस्था की जरूरत के अनुरूप दोनों सदन विभिन्न आयोगों,कमेटीयों का निर्माण करते है। प्रत्येक सदन स्वयं अपने सदन के लिए नियम बनाता है तथा उसी से सदन का संचालन एवं अनुशासन सुनिश्चित करता है। संघीय बजट के ऊपर नियन्त्रण के लिए ''एकाउटिंग चेम्बर'' का निर्माण करते है।

संघीय परिषद के अधिकार एवं शक्तियांः संघीय परिषद रूस की विधायिका का उच्च सदन है। दुनिया की अन्य द्वितीय सदनों की तरह यह ड्यूमा की तुलना में कुछ कमजोर दिखाई पड़ती है। इसके बावजूद इसे लार्ड सभा की तरह निर्जीव सदन नहीं कह सकते है। यह रूसी शासन व्यवस्था में महत्वूपर्ण भूमिका अदा करती है। संघीय परिषद की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैः-

1: विधायी शक्तिया--विधायी मामलों में संघीय परिषद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां विद्यमान हैं। रूस के संविधान के संघीय ढाँचें में संघ एवं इकाईयों के बीच कार्य विभाजन में बदलाव का अधिकार संघीय परिषद के पास है। वह इकाइयों के विषय को संघ की सूची में शामिल करवा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाये जाने की स्थिति में भी संघीय परिषद का अनुमोदन

आवश्यक है। राज्यों में संकटकालीन अधिकार का उपयोग करने से पहले भी संघीय परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। राज्यों की सीमा रेखा का प्रस्ताव तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक संघीय परिषद अपने बहुमत से प्रस्ताव पास न कर दे। वह बजट,नये कर, युद्ध एवं शन्ति की घोषणा संबंधी बिलों की जांच भी करती है।

कार्यपालकीय शक्तियां -रूस की विधायिका का उच्च सदन होने के कारण संघीय परिषद कई महत्वपूर्ण कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग करती है। वह अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह प्रसीक्यूटर जनरल की नियुक्ति एवं उनकी पदच्युति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह संवैधानिक न्यायालयों के न्यायधीश,सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा होने के बाद अनुमोदन करती है। एकाउटिंग चेंबर के डिप्टी चेयरमैन की नियुक्ति करती है।

महाभियोग संबंधी शक्ति:- रूस के संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिये महाभियोग की व्यवस्था है। निम्न सदन ड्यूमा से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत उच्च सदन में आता है। यदि संघीय परिषद महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर देती है तो महाभियोग पूर्ण हो जाता है और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है।

ड्यूमा का विघटन:- संविधान के अनुच्छेद 109 में ड्यूमा के विघटन को उल्लेखित किया गया हैं रूस का राष्ट्रपति निम्न सदन ड्यूमा का विघटन कर सकता है। संविधान के अनु0 111 में स्पष्ट है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति सरकार के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) को ड्यूमा तीन बार अस्वीकार करती है तो राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग कर सकता है। संविधान के अनु0 117 में स्पष्ट है कि यदि ड्यूमा सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है , तथा अपने तीन महीने के अन्दर पुनः अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो राष्ट्रपति के पास गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार को भंग करने या ड्यूमा को भंग कर नये चुनाव कराने का विकल्प होता है।

सरकार का मुखिया (प्रधानमंत्री) भी ड्यूमा में विश्वासमत रख सकता है। यदि ड्यूमा अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो राष्ट्रपति को सात दिन के अन्दर या तो सरकार को भंग करना या ड्यूमा को भंग कर नये चुनाव की घोषणा करनी पड़ती है।

22.4 भारत की संघीय विधायिका से तुलना

भारत में ब्रिटेन से संसदीय शासन को अपनाया गया। भारत में संसद के दो सदन स्वीकार किये गये है। उच्च सदन के रूप में राज्य सभा तथा निम्न सदन अथवा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के रूप में लोकसभा है । उच्च सदन के रूप में भारत की राज्य सभा तथा रूस की संघीय

परिषद दोनों ही संघ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों ही अपने कार्यों के संदर्भ में निम्न सदन की तुलना में कुछ कमजोर है। परन्तु ऐसा नहीं है कि दोनों की भूमिका शासन में नहीं है। रूस की संघीय परिषद अनेक संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, न्यायधीशों की नियुक्ति करवाती है। रूस में कानून तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक परिषद सहमति न दे। दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में सहमति बनाने के लिए समिति के पास भेजे जाने की व्यवस्था है। भारत में भी कानून राज्य सभा की सहमति बिना पूर्ण नहीं होता। मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था यहां पर है। राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भी दोनों देशों की विधायिका की भूमिका एक जैसी दिखती है। भारत में बिना राज्य सभा तथा रूस में बिना संघीय परिषद के समर्थन से महाभियोग पारित नहीं हो सकता है। भारत में राज्य सभा के पास अनु0 249 में राज्यसूची के विषय को संघ सूची में शामिल करने की तथा 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का विशेष अधिकार है।

दोनों ही देशों में निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। भारत में सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। वह निम्न सदन में बहुमत होने तक अथवा अधिकतम 5 वर्ष तक सरकार में रहता है। रूस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परन्तु उसका अनुमोदन ड्यूमा करती है। ड्यूमा द्वारा 3 बार अनुमोदन निरस्त करने की स्थिति में राष्ट्रपति ड्यूमा को भंगकर नये चुनाव करा सकता है। भारत में मंत्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे संसद के सदस्य हो यदि नहीं है तो छः माह के अन्दर सदस्यता ग्रहण कर ले। यदि ऐसा नहीं होता तो उनको पद छोड़ना पड़ता है। रूस के संविधान में ऐसी बाध्यता नहीं है। भारत एवं रूस दोनों ही जगहों पर निम्न सदन अधिक शक्तिशाली दिखाई पड़ता है।

22.5 रूस की कार्यपालिका

रूस का राष्ट्रपति 1992 के नये संविधान में सर्वोच्च पदाधिकारी है। नये संविधान में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। उसका पद शासन में एक धुरी के समान है। वह सरकार का मुखिया है। वह संविधान का संरक्षक है। वह संघ की सम्प्रभुता को सुनिश्चत करता है। वह लोकतान्त्रिक तरीके से चुना जाता है। यही कारण है कि वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है।

योग्यतायें: राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए संविधान द्वारा निम्न योग्यतायें निर्धारित की गई हैः-

1: वह रूस का नागरिक होना चाहिए।

2: वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

3: वह पिछले 10 वर्ष से रूस में रह रहा हो।

चुनाव प्रक्रिया:- 1992 के रूसी संविधान में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नये संविधान में राष्ट्रपति के जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। रूस में राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य निर्वाचन में गुप्त मतदान के द्वारा होता है। चुनाव की प्रक्रिया संघीय कानून द्वारा निश्चित की जाती है। वोरिस येल्तसिन रूस के पहले राष्ट्रपति हुए। वह वर्ष 1999 तक राष्ट्रपति बने रहे। मार्च 2000 को ब्लादिमीर पुतिन 52.8 प्रतिशत मत प्राप्त कर रूस के राष्ट्रपति बने। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी जुगोनोव को पराजित किया जिसने 29.3 प्रतिशत मत प्राप्त किये। इसी चुनाव में तीसरे स्थान पर आये यावलोको पार्टी के यवेलेन्स्की आये जिन्होंने 5.8 प्रतिशत मत प्राप्त किये।

दिमित्री मेडवेडेव 7 मई 2008 को रूस के राष्ट्रपति बने। मेडवेडेव ने कम्युनिस्ट पार्टी के जिनेडी जेयानोव को पराजित किया। इस चुनाव में मेडवेडेव की भारी समर्थन मिला। उन्हें 70 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए। तीसरे नम्बर पर आये प्रत्याशी ब्लादीमिर जिथोनोवस्की को 9 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। दिसम्बर 2011 में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ब्लादिमीर पुतीन पुनः राष्ट्रपति चुने गये है। इस चुनाव में उनका प्राप्त मत पिछले चुनावों से कम हुए है।

कार्यकाल:- रूस के संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर रोक नहीं है।

शपथ:- दुनिया के अन्य देशों की तरह ही रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सार्वजनिक समारोह में ड्यूमा,संघीय परिषद के सदस्यों तथा संवैधानिक न्यायालयों के न्यायधीशों के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में राष्ट्रपति की शपथ को दर्शाया गया है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग:- दुनिया के अन्य लोकतान्त्रिक देशों की तरह रूस में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था की गई है। रूस में राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका तथा भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था से मिलती हुई दिखायी पड़ती है। रूस के राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। रूस के संविधान में यह स्पष्ट है कि राजद्रोह या अन्य गंभीर अपराध के आधार ड्यूमा में आरोप लगाये जाते है। ड्यूमा में आरोप पत्र तय होने के बाद दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के साथ राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। ड्यूमा में आरोप तय होने के लिये 1/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।

डूयूमा के 2/3 सदस्यों के मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव संघीय परिषद में भेजा जाता हैं। डूयूमा में आरोप तय होने के तीन महीने के अन्दर संघीय परिषद से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यदि तीन माह के अन्दर प्रस्ताव संघीय परिषद से पास नही होता महाभियोग का प्रस्ताव खारिज हो जायेगा। संविधान के अनु0 93 में महाभियोग के प्रस्ताव की विस्तृत व्याख्या की गई है।

इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के अन्य संविधानों की तरह रूस में भी महाभियोग की प्रक्रिया जटिल है। यह आसानी से पारित नहीं हो पाता है।

राष्ट्रपति की शक्तियां: रूस के राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां है। दुनिया के अन्य संविधानों की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास कार्यपालकीय, सैनिक, विधायी,वित्तीय और न्यायिक शक्तियां है। उसकी यह शक्तियां अमेरिकी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति के समकक्ष उसे स्थापित करती है। उसकी प्रमुख शक्तियों को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैः-

1. **कार्यपालकीय शक्तियां:** राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालकीय शक्तियां है। वह चेयरमैन ऑफ गर्वनमेट (प्रधानमंत्री) की नियुक्ति करता है। यद्यपि उसकी यह नियुक्ति डूयूमा के अनुमोदन पर निर्भर करती है। वह सरकार की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सेंटªल बैंक ऑफ रशियन फडरेशन की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव डूयूमा में भेजता है। वह डूयूमा में नियुक्ति ही नहीं पदच्युति का प्रस्ताव भी भेजता है। वह सभापति की सलाह पर संघीय सरकार के उपसभापति तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युत करता है। वह रूस की संघीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है। उसका पद संघीय कानूनों से मर्यादिता होता है। वह विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे लोगों का सम्मान करता है। रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे लोगों का उच्च सैनिक पद, मानद उपाधि आदि प्रदान करता है। वह राजनीतिक शरण के मामले में अंतिम निर्णय करता है। वह राजनीतिक शरण प्रदान करता है।

2. **सैनिक शक्ति**:- रूस का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। वह संघ की सेनाओं के सर्वोच्च कमाण्डरों की नियुक्त तथा पदच्युति करता है। रूस के सर्वोच्च सेनापाति होने के कारण वह रूस की सैनिक नीतियों का निर्धारण करता है। संघ के समक्ष खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में वह देश में मार्शल ला लगा सकता है। उसका नोटिफिकेशन डूयूमा और संघीय परिषद में किया जाता है। वह देश के किसी भाग में संघीय सभा की सहमति से आपातकाल लगा सकता है।

3. **वैदिशक संबंधों का संचालन**:- रूस के राष्ट्रपति के पास वैदेशिक मामलों में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह विदेशों से आने वाले राजदूतों का परिचय प्राप्त करता है। वह संघीय सभा के अनुमोदन से विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है तथा उन्हें वापस बुलाता है। वह देश की विदेश

नीति का संचालन करता है। वह देश के बाहर देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते पर हस्ताक्षर करता है।

4. **न्यायिक शक्तियां:** रूस के राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां है। वह संघीय परिषद के अनुमोदन से संवैधानिक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय,प्रोसीक्यूटर जनरल कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह प्रोसीक्यूटर जनरल की कार्यमुक्त करने की सिफारिश संघीय परिषद से करता है। वह अन्य संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। संविधान के अनु0 88 में उसे क्षमादान की भी शक्ति प्रदान की गई है। रूस का राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते, मानव अधिकार के उल्लघंन तथा रूस के संविधान के उल्लघंन की स्थिति में संघ के कार्यपालकीय कानूनों को निलम्बित कर सकता है। वह संघ एवं उसकी इकाईयों में विवादों का निपटारा करता है।

5. **विधायी शक्तियां:** रूस के राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां है। रूस में कोई विधेयक दोनों सदनों में स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बनता है। रूस की विधायिका के निम्न सदन ड्यूमा के चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। आवश्यकता होने पर वह ही जनमत संग्रह की घोषणा करता है। वह ड्यूमा में आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वह विधायिका में देश की अं: तरिक एवं वाहय स्थिति, विदेश एवं गृह नीति के संबंध में संदेश देता है। संविधान के अनुच्छेद 84 में इसको स्पष्ट किया गया है। संविधान के अनु0 90 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के सभी आदेश रूस के सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी के ऊपर बाध्यकारी होगें।

रूस के राष्ट्रपति की शक्तियों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वह देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उसकी सैनिक, कार्यपालकीय,वैदशिक शक्तियां उसकी स्थिति को बहुत मजबूत करती है। सरकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति ,सरकार का त्यागपत्र पर निर्णय लेना, सरकार की बैठकों की अध्यक्षता स्पष्ट रूप से उसकी महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाते है। वह संविधान का संरक्षक है। सरकार के अंगों के बीच मध्यस्थ है। वह रूस की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। वह संकट के समय मार्शल ला और इमरजेंसी लगा सकता है। संविधान के अनु0 91 में उसको अनेक प्रकार की उन्युक्तियां (छूट) प्राप्त है। इसके बाद भी वह तानाशाह नहीं बन सकता क्योंकि उसके विरूद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। रूस में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। ऐसी स्थिति में वह तानाशाह नहीं हो सकता। येल्तसिन को 92-94 तक कम्युनिस्ट पार्टी ने तगड़ी चुनौती दी थी। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति की रूस की शासन व्सवस्था में केन्द्रीय भूमिका है। वह शासन की धुरी है।

22.6 विश्व की अन्य कार्यपालिकाओं से तुलना

रूस की कार्यपालिका में राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्च है। निर्वाचन के बाद वह सरकार के सभापति(प्रधानमंत्री) की नियुक्ति करता है। वह बैंठकों की अध्यक्षता करता है। रूस के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था फ्रांस के पंचत गणतंत्र के संविधान में की गई व्यवस्था की तरह लगती है। वहः पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है। अतः संसदीय व्यवस्था के अनुरूप प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता है। प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जबावदेह रहता है। प्रधानमंत्री ही मन्त्रिमण्डल का गठन करता है। वह ही मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। भारत में राष्ट्रपति का पद शक्ति का नहीं वरन गरिमा का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की होती है। वह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। वह अध्यक्षात्मक शासन के अनुरूप स्वतन्त्र रूप से अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है। उसके सदस्य विधायिका के न तो सदस्य होते है और न ही विधायिका (कांग्रेस) के प्रति जबावदेह होते है। राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व केवल महाभियोग के द्वारा ही उसे पद से हटाया जा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति सभी कार्यपालकीय शक्तियों का स्वामी होता है। कुछ समीक्षक तो उसे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते है।

ब्रिटेन की व्यवस्था संसदीय शासन का आदर्श उदाहरण है। ब्रिटेन को संसदीय शासन की जननी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था के अनुरूप वहां पर संसद की सम्प्रभुता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता है। वह ही मन्त्रिमण्डल के गठन, विभागों के बंटवारें के केन्द्र में होता है। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राजा (क्राउन) नामक मात्र की शक्तियों का स्वामी होता है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि रूस की वर्तमान व्यवस्था न तो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था और न ही अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप है। रूस की शासन व्यवस्था बहुत हद तक फ्रांस की शासन व्यवस्था की तरह दिखाई पड़ती है। फा्रंस के पंचम गणतन्त्र की तरह ही रूस का राष्ट्रपति अपने निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सरकार का गठन करवाता है। वह सरकार की बैठकों की अध्यक्षता करता है।, वह सरकार पर नियन्त्रण रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर नये व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिये आमन्त्रित करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अनुमोदन उसे ड्यूमा से लेना पड़ता है।

रूस की संघीय सरकार:- (गठन और शक्तियां:रूस की संघीय सरकार ही कार्यपालकीय शक्तियों का उपयोग करती है। संघीय सरकार एक अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। यह संघीय सरकार कार्यपालिका संबंधी दायित्वों का निर्वहन करती है।

सरकार के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) की नियुक्तिः- रूसी गणराज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसका अनुमोदन ड्यूमा से लिया जाता है। रूस के संविधान में निम्नलिखित तत्वों को स्पष्ट किया गया हैः-

1. राष्ट्रपति के चुनाव के दो हफ्ते के अन्दर ड्यूमा के समर्थन से अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

2. रूस की सरकार के त्यागपत्र के बाद भी दो हफ्ते के अन्दर नये अध्यक्ष की नियुक्ति ड्यूमा के अनुमोदन से की जायेगी।

3. यदि ड्यूमा अध्यक्ष की नियुक्ति को अस्वीकार करती है तो एक हफ्ते के अन्दर नये सदस्य का नाम ड्यूमा को भेजा जायेगा।

4. ड्यूमा को अध्यक्ष के प्रस्ताव को एक हफ्ते के अंदर विचार करना होगा।

5. यदि ड्यूमा ने तीन बार लगातार सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया तो राष्ट्रपति एक अध्यक्ष को नियुक्त कर ड्यूमा को भंग कर सकता है। वह नये निर्वाचन की घोषणा कर सकता है।

रूस के संविधान के अनुच्छेद 111 में यह स्पष्ट किया गया है । रूस के संविधान में की गई उपरोक्त व्यवस्था विधायिका एवं कार्यपालिका में संतुलन बनाये रखने के लिए की गई। एक तरफ राष्ट्रपति मनमानी न कर सके इसलिए ड्यूमा का अनुमोदन आवश्यक किया गया है वही ड्यूमा राष्ट्रपति की अनदेखी करते हुए बार-बार उसके प्रस्ताव को न ठुकराए इसलिये राष्ट्रपति को तीन बार के बाद ड्यूमा को भंग कर नये चुनाव की व्यवस्था की गई है। सरकार अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष के लिये राष्ट्रपति को नाम सुझाता है। अध्यक्ष की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियांे की नियुक्ति करता है। रूस के संविधान में व्यवस्था है कि अध्यक्ष की नियुक्ति के एक हफ्ते के अन्दर वह अपने मन्त्रिमण्डल के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति देगा। अध्यक्ष और उसका मन्त्रिमण्डल संविधान एवं राष्ट्रपति के निर्देशानुसार अपनी कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग करते है।

सरकार का त्याग पत्र एवं पदच्युतिः

अध्यक्ष (अपने मन्त्रिमण्डल सहित) अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। रूस के संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति उस त्यागपत्र को स्वीकार करे अथवा नहीं। त्यागपत्र के अतिरिक्त ड्यूमा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरकार का जीवन समाप्त कर सकती है। रूस के नये संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि ड्यूमा सामान्य बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो और तीन माह के अन्दर पुनः अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को सरकार का इस्तीफा स्वीकार करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने की स्थिति में अध्यक्ष विश्वास का प्रस्ताव सदन में रख सकता है। राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव पास होने के सात दिन के अन्दर या तो सरकार का त्यागपत्र या ड्यूमा को भंग करना होता है। संविधान के अनु0 117 में स्पष्ट किया गया कि सरकार तब तक कार्य करती रहती है जब तक नये सरकार का गठन नहीं हो जाता है।

सरकार के अधिकार एवं शक्तियाँ: रूस के संविधान में सरकार को महत्वपूर्ण विधायी, कार्यपालकीय,वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। उनकी प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैः-

1. **कार्यपालकीय शक्तियाँ:** रूस की सरकार संविधान एवं राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुरूप कार्य करती है। सरकार देश की सुरक्षा, आंतरिक शांति और देश की विदेश नीति को सुनिश्चित करती है। सरकार देश के नागरिकों के अधिकार, विधि का शासन, संपति के अधिकार तथा कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। रूस की सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा राष्ट्रपति के आदेशों का क्रियान्वयन करती है। सरकार देश की संस्कृति,शिक्षा,विज्ञान, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा की नीतियों का क्रियान्वय करती है। रूस की सरकार देश की संघीय ढः चे को बनाये रखने की जिम्मेदारी रखती है। इस प्रकार से यह कहा जाता है रूस की सरकार संघीय ढांचे में संविधान अनुरूप जनकल्याण सुनिश्चित करती है।

2. **विधायी शक्तियां:** संविधान के अनुच्छेद 115 में स्पष्ट किया गया है कि रूस की सरकार संघ ,संघीय कानून, राष्ट्रपति के आदेशों का क्रियान्वयन करने के लिये आदेश जारी कर सकती है। ये कार्यपालकीय आदेश सम्पूर्ण संघीय ढांचे पर प्रभावी होगें। रूस के संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार के कार्यपालकीय आदेश संघीय ढांचे संविधान के विरूद्ध होगें तो राष्ट्रपति उसमें संशोधन कर सकता है।

3. **वित्तीय शक्तियां:** रूस के संविधान के अनुच्छेद 114 में वित्तीय शक्तियों की व्याख्या की गई है। सरकार संघ का बजट तैयार करती है और उसे ड्यूमा में प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही सरकार बजट के क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी ड्यूमा में प्रसतुत करती है। सरकार ही देश में समान आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन करती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि रूस के संविधान में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की स्थिति राष्ट्रपति एवं ड्यूमा के बीच मध्यस्थ सी लगती है। वह दोनों के आदेशों का क्रियान्वयन करते हुए लगती है।

अभ्यास प्रश्नः-

1. रूस की विधायिका ....सदनात्मक है।
2. रूस की विधायिका के निम्न सदन को ....कहते है।
3. रूस की विधायिका के उच्च सदन को ....कहते है।
4. रूस की कार्यपालिका का प्रधान..........................होता है।
5. रूस का राष्ट्रपति सरकार के अध्यक्ष(प्रधानमंत्री) की नियुक्ति करता है। सत्य/असत्य
6. रूस के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सत्य/असत्य
7. रूस के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। सत्य/असत्य

22.7 सारांश

12 दिसम्बर 1992 को रूस का नया संविधान लागू हुआ। नये संविधान में उदार ,लोकतान्त्रिक ,गणतन्त्रवादी व्यवस्था को लागू किया गया। इस नये संविधान में विधायिका के दो सदन स्वीकार किये गये। उच्च सदन के रूप में संघीय परिषद तथा निम्न सदन के रूप में ड्यूमा को स्वीकार किया गया। लम्बे कम्युनिस्ट शासन के बाद रूस में स्वतन्त्रता, विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता एवं नागरिक अधिकारों को नये संविधान में स्थान दिया गया। रूस की विधायिका में ड्यूमा जहां जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है जिसकी सदस्य संख्या 450 है। वहीं दूसरे सदन के रूप में संघीय परिषद है जो संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। रूस का राष्ट्रपति ही सरकार के अध्यक्ष को नियुक्त कर ड्यूमा से अनुमोदन प्राप्त करता है। बगैर अनुमोदन के नियुक्ति अपूर्ण रहती है। यदि तीन बार ड्यूमा अस्वीकार करती है तो राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग कर नये चुनाव कराता है। यह व्यवस्था राष्ट्रपति एवं ड्यूमा के मध्य संतुलन को दर्शाता है।

रूस के संविधान की व्यवस्था न तो पूर्णतः संसदीय व्यवस्था की तरह दिखाई पड़ती है और न ही अमेरिका की तरह पूर्णतः अध्यक्षात्मक शासन की तरह है। वहः पर एक तरफ शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। कतिपय यही कारण है कि विधायिका के चुनाव अलग होते है और राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते है। सरकार का गठन संसदीय शासन के अनुरूप संसद से नहीं होता है। सरकार का गठन अध्यक्षात्मक शासन की तरह राष्ट्रपति स्वयं सरकार का मुखिया (अध्यक्ष) नियुक्ति करता है। हलांकि इस नियुक्ति की निम्नसदन का अनुमोदन लिया जाता है। तीन बार यदि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष अस्वीकार किया जाता है तो राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग कर नये चुनाव करा सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के विरूद्ध विधायिका में महाभियोग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति का पद से हटा सकती है। उपरोक्त उदाहरण सरकार के अंगों के बीच अवरोध एवं संतुलन का एक उदाहरण है। यह सरकार एवं विधायिका दोनों के नियन्त्रण में प्रभावी भूमिका अदा करती है।

रूस के नये संविधान की उपरोक्त व्यवस्था कुछ अर्थों में फ्रांस के पंचम गणतन्त्र के संविधान की तरह लगती है। फ्रांस के पंचम गणतन्त्र में चर्तुथ गणतन्त्र की कमियों को दूर करते हुए अस्थाई सरकारों से बचने के लिए अध्यक्षात्मक शासन की तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिमण्डल के गठन की व्यवस्था की गई परन्तु संसदीय शासन के उत्तरदायित्व के गुण के लिये सरकार को विधायिका के प्रति जबावदेह बनाया गया।

22.8 शब्दावली

संघीय सभा:- रूस की विधायिका को (संसद) संघीय सभा कहा जाता है।

ड्यूमा:- रूस की विधयिका के निम्न सदन (लोकसभा, कामन सभा की तरह) को ड्यूमा कहा जाता है।

महाभियोग:- संवैधानिक पदाधिकारी को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति,न्यायाधीशों को,अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने की यही प्रक्रिया है।

कार्यपालिका:- सरकार वह अंग जो नीतियों, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार कार्यपालिका का अंग है।

उन्मुक्तियां(छूट):- विधायिका एवं कार्यपालिका के सदस्यों को जो विशेष छूट मिलती है जिससे वह अपने दायित्वों की पूर्ति ठीक ढंग से कर सके।

सरकार के अध्यक्ष:- रूस में राष्ट्रपति अपने निर्वाचन के बाद सरकार का अध्यक्ष (चेयरमैन ऑफ गर्वनमेंट) नियुक्त करता है और उसके परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की तरह है।

22.9 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

1. द्विसदनात्मक 2. ड्यूमा 3. संघीय परिषद 4. राष्ट्रपति 5. सत्य

6. सत्य 7. सत्य

22.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भगवान विष्णु, विद्या भूषण ,वर्ल्ड कान्स्टीट्यूसन,ए कम्परेटिव स्टडी,र्स्टलिंग पब्लिसर्श प्रा0लि0दिल्ली।

2. मेनार्ड,सरजान,रसिया इन फ्लक्स,पेप्न।

3. मुनरो,दि गर्वनमेंट ऑफ यूरोप।

22.3.11 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. रूस का संविधान

22.3.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. रूस में ड्यूमा का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या कीजिये।
2. रूस की शासन व्यवस्था न तो संसदीय है और न ही अध्यक्षात्मक व्याख्या कीजिये।
3. रूस के राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसके अधिकारों के व्याख्या कीजिये।
4. संघीय परिषद के गठन तथा उसके अधिकारों एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिये।
5. रूस के संविधान में विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंधों पर एक निबन्ध लिखिये।

ईकाई -23 रूस के राजनीतिक दल

ईकाई की संरचना

23.0 प्रस्तावना

23.1 इकाई के उद्देश्य

23.2 राजनीतिक दल का अर्थ एवं अभ्युदय

23.3 रूस में राजनीतिक दलों का अभ्युदय एवं इतिहास

23.3.1 रूस के प्रमुख राजनीतिक दल

23.4 दुनियाँ के अन्य लोकतन्त्रों में राजनीतिक दलों की भूमिका (कार्य)

23.5 सारांश

23.6 शब्दावली

23.7 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

23.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

23.9 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

23.10 निबंधात्मक प्रश्न

23.0 प्रस्तावना

रूस का नया संविधान 12 दिसम्बर 1992 को लागू हुआ। इस नये संविधान में पूर्व की साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर उदारवादी,लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। इस नये संविधान में संघीय ढांचे को अपनाया गया। 1922 में सोवियत संघ के गठन के बाद से अपनाई गई साम्यवादी सरकार के दौर में एक दलीय शासन था। उस समय साम्यवादी सरकार के द्वारा यह तर्क दिया जाता था कि समाजवादी क्रान्ति के परिणामस्वरूप सोवियत समाज में केवल सर्वहारा वर्ग शेष है। अतः वर्ग विहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना होने तक सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिये एक ही दल (साम्यवादी) की आवश्यकता है। साम्यवादी व्यवस्था के अन्त के साथ सोवियत विघटन के साथ उदारवादी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप यहां पर लोकतन्त्र के महत्व को समझा गया। और लोकतन्त्र के लिए ही वहां पर बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

दुनिया में दलीय आधार तीन तरह की शासन व्यवस्था दिखाई पड़ती है। साम्यवादी देश (वर्तमान में चीन) में एक दलीय,कुछ लोकतन्त्रात्मक देशों में बहुदलीय(अमेरिका) तथा कुछ देशों में बहुदलीय (ब्रिटेन,भारत) व्यवस्था दिखाई पड़ती है। लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व है। इनको लोकतन्त्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल ही है जो न केवल जनता को अभिव्यक्ति का अवसर उपलब्ध कराते है वरन सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के केन्द्र में रहते है। इनके अभाव में जन जागरूकता, चुनाव के संचालन,सरकार के विकल्प,सरकार पर नियन्त्रण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दुनिया के कुछ नवोदित देशों में जहां पर बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है वहं राजनीतिक परिपक्वता के अभाव में जाति,धर्म,भाषा, क्षेत्र के आधार पर न केवल दलों का विकास होता है। वरन मतदान के समय उपरोक्त आधार पर मतविभाजन होता है। उक्त मत विभाजन कई बार चुनाव परिणाम को प्रभावित कर देता है। चुनाव बाद किसी भी दल के पास बहुमत नहीं होता। भारत में पिछले कई दशकों से केन्द्र में ऐसी ही तस्वीर उभर रही है। उक्त हालात में सरकार बनाने के लिए खरीद-फरोख्त,जोड़-तोड़ बेमेल राजनीतिक गठबंधन बनाये जाते है जो कि अल्पकालीन होते। उक्त हालात न केवल सरकार के स्थायित्व के प्रभावित करते है वरन राजनीति में अनैतिक, अमर्यादित आचरण का सूत्रपात कराते है। अस्थाई सरकारें किसी भी लोकतन्त्र के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद नागरिक परिपक्वता के कारण प्रायः दो दल ही प्रभावी होते है। वहाँ पर नवोदित देशों की तरह मताविभाजन नहीं होता। यही कारण है कि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद स्थाई सरकारें बनती है। राजनीतिक दल ही लोकमत का निर्माण करते है। दुनिया में सबसे पहले राजनीतिक दलों का संकेत 14,15 वीं शताब्दी में ब्रिटेन में मिलता है। 1688 के बाद तो ब्रिटेन में हिग एंव टोरी दो राजनीतिक दलों का उदय हो गया। आज दुनिया में राजनीतिक दलों के बिना लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

23.1 उद्देश्य

1. राजनीतिक दलों के अभ्युदय एवं कार्यों को जानना।
2. रूस के विभिन्न राजनीतिक दलों के विषय में जानना।
3. विभिन्न राजनीतिक दलों के संगठन को जानना।
4. सोवियत साम्यवादी दल व्यवस्था एवं नए लोकतन्त्रवादी रूस में राजनीतिक दलों का तुलनात्मक विश्लेषण करेगें।
5. रूस के विभिन्न राजनीतिक दलों का वहां के शासन पर प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगें।

23.2 राजनीतिक दल का अर्थ एवं अभ्युदयः

लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों को अपरिहार्य माना जाता है। राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आधुनिक समय में राजनीतिक दलों का उदय ब्रिटेन में माना जाता है। वहाँ पर स्टुअर्ट काल में राजनीतिक दलों के उदय के प्रारम्भिक संकेत मिले।तत्कालीन हालात में जनता के दो वर्ग में एक राजा के साथ तथा एक वर्ग संसद के साथ था। राजा के समर्थक वहां पर कैविलियर्स तथा संसद के समर्थक राउण्डहेडेड कहलाये। इस प्रकार वहां पर दो गुट दिखायी पड़ें 1679 के बिल के समर्थक‘‘पीटिसनर्स’’ तथा विरोधी ‘‘एवोवरसर्स’’ कहलाये। विलियम द्वितीय के शासन काल में यही दो गुट क्रमशः हिग एवं टोरी कहलाये। हिग दल राजा की शक्तियों के नियन्त्रण तथा टोरी राजा की शक्तियों,महत्व को बनाये रखन के पक्ष में थे। बाद में यही उदार दल तथा अनुदार दल के रूप में जाने जा लगे। हिग दल राजा की शक्तियों के नियन्त्रण के पक्ष में थे वह राउण्डेहडेड परम्परा का समर्थन कर रहे थे। यही टोरी दल ‘‘कैवलयर्स’’ परम्परा के अनुरूप राजा की शक्तियों,परम्परा,सुविधाओं के पक्ष में थे। इस प्रकार राउण्डहडेड क्रमशः हिग, उदार दल के रूप में तथा दूसरी तरफ कैवियलर्स क्रमशः टोरी,अनुदार दल के रूप में सामने आये। यही विकास आधुनिक समय में लिबरल पार्टी (उदार दल) तथा कंजरेटिव (अनुदार दल) दल के रूप में दिखाई पड़ते है।

अमेरिका के संविधान निर्माता प्रारम्भ से ही दलीय व्यवस्था के विरूद्ध थे। उनकी मान्यता थी कि दलीय व्यवस्था केा उदय अमेरिका के नवजात लोकतन्त्र को वर्गीय द्वेष, भ्रष्टाचार अनैतिकता के दलदल में ढकेल देगें। मेडिसन ने राजनीतिक दलों की तीव्र भर्त्सना की थी। जार्ज वांशिगटन ने अपने भाषण में कहा कि ‘‘ दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई एवं हानि छिपी हुई है।’’ फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही दलीय व्यवस्था के बीज विद्यमान थे। उस सम्मेलन में दो गुट थे एक का नेता हेमिल्टन था जो केन्द्रीय शासन के पक्षधर था दूसरा गुट जैफरसन का था जो नागरिक स्वतन्त्रता का पक्षधर था। इन्हें फेडरलिस्ट एवं एंटी फेडरलिस्ट कहा गया। 1776 में में जैफरसन ने

वाशिगटन मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देकर अपनी सारी शक्ति एण्टी फेडरलिस्ट (डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन) को संगाठित करने में लगा दी। 1800 के निर्वाचन में पहली बार सत्ता एण्टी फेडरलिस्ट के हाथ में आ गई। कुछ समय बाद ‘‘फेडरलिस्ट’’ दल लुप्त हो गया। एक मात्र बचे दल डेमोक्रटिक रिपब्लिकन में फूट पड़ गई। इसी दल से हेनरी क्ले एवं डेनियल वेब्स्टर के नेतृत्व में एक नया दल संगठित हुआ जिसे अनुदार दल; या राष्ट्रीय गणतन्त्रवादी दल कहा गया। 1856 आते-आते इसका विघटन हो गया। 19वीं शताब्दी में दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। उसी समय से इन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटस नामक दो दल का उदय हुआ।

मानव एक विवेकशील प्राणी होता है। विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त करने और अपनी नीति को कार्यक्रम में परिणित करने के लिए प्रयत्नशील रहते है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करते है यही संगठन राजनीतिक दल कहे जाते है। एडमण्ड वर्क के शब्दों में ‘‘ राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो किसी सिद्धान्त के आधार पर जिस पर वे एक मत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते है।’’

एडमण्ड वर्क, गिलक्राइस्ट,मैकाइबर ने राजनीतिक दल की जो परिभाषा दी है उसके आधार पर राजनीतिक दलों के निम्न तत्व कहे जाते हैः-

1. संगठन
2. सामान्य सिद्वान्तों पर एकता
3. संवैधानिक साधनों पर विश्वास
4. शासन पर प्रभुत्व की इच्छा

ब्राइस ने अपनी पुस्तक‘‘ आधुनिक प्रजातन्त्र’’;डवकमतद क्मउवबतंबलद्ध में राजनीतिक दलों को लोकतन्त्र से अधिक प्राचीन माना है। ब्राइस का यह मानना है कि प्राचीन समय में स्थापित क्लब, राजनीतिक समाज, संसदीय गोष्ठियों को राजनीतिक दल मान लिया जाता है। आधुनिक समय में राजनीतिक दल वर्तमान युग की ही उपज है। आधुनिक राजनीतिक दलों वर्तमान युग की ही उपज है और आधुनिक राजनीतिक दलों का विकास जनतन्त्र और मताधिकार के साथ-साथ ही हुआ। राजनीतिक दलों के कार्यों के संबंध में प्रमुख रूप निम्न बातें कही जा सकती हैः-

1. लोकमत का निर्माण करनाः- वर्तमान समय में राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य बहुत व्यापक एवं जटिल हो गये है। सामान्य व्यक्ति के लिए उसे समझना बेहद कठिन है। जब विविध

राजनीतिक दल विभिन्न समस्याओं को समझ कर अपनी राय देते है तभी आमजन उस पर अपनी-अपनी राय बना सकते है। यही से लोकमत का निर्माण होता है।

2. **चुनाव का संचालन**:- प्रारम्भ में जनसंख्या कम थी, सीमित मताधिकार था अतः चुनाव स्वतन्त्र रूप से लड़े जा सकते थे परन्तु व्यस्क मताधिकार एवं बढ़ी जनसंख्या में स्वतन्त्र रूप से चुनाव को असम्भव हो गया। ऐसे में दल स्वतन्त्र रूप से प्रत्याशी खड़े करते और उनके पक्ष में प्रचार करते। दलों के अभाव में हम आम निर्वाचनों का संचालन कर ही नहीं सकते।

3. **सरकार का निर्माण**:- निर्वाचन के बाद सरकार का निर्माण किया जाता है। संसदात्मक शासन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है। उसका नेता ही प्रधानमंत्री बनकर सरकार का निर्माण करता है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाने केबाद अपने मन्त्रिमण्डल का गठन करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता हैं संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन दोनों में ही सरकार का गठन दलीय आधार पर ही होता है।

4. **शासन को नियन्त्रित करना**:- लोकतन्त्र में दो तरह के दल होते है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल होता है वही दूसरी तरफ अल्पसंख्यक दल या विरोधी दल होता है। बहुसंख्यक दल शासन सत्ता का संचालन करता है। वही अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करके शासन शक्ति को सीमित करने का प्रयास करते है। मजबूत विपक्ष के अभाव में सत्तारूढ़ दल निरकुंश हो सकता है।

5. **सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य**:- सरकार के विभिन्न विभागों में सामजस्य के अभाव में ठीक प्रकार से शासन नहीं किया जा सकता। संसदीय शासन में कानून निर्माण एवं प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। अध्यक्षात्मक शासन पृथक्करण के सिद्धान्त पर काम करता है। वहां पर विधायिका एवं कार्यपालिका अलग-अलग कार्य करते है। वहाँ पर विधायिका एवं सरकार में राजनीतिक दल के सदस्य ही एक कड़ी बनते है। अध्यक्षात्मक शासन में दल ही व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में सहयोग स्थापित करते है।

6. **राजनीतिक चेतना का प्रसार**:- राजनीतिक दल नागरिक चेतना एवं राजनीतिक चेतना के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं । सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किये गये निरन्तर प्रचार एवं वाद-विवाद से वह जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाते है। वे अपनी विचारधारा का प्रसार करते है। इसी के माध्यम से वे शासन सत्ता पर नियन्त्रण स्थापित करते है।

7. **जनता एवं शासन के बीच संबंध**:- प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धान्त जनता एवं शासन के बीच सम्पर्क बनाये रखना होता है। इस प्रकार सम्पर्क स्थापित करने का बड़ा साधन राजनीतिक दल है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य अपने सरकार की नीतियों का प्रचार जनता के बीच करते है। वे जनमत को सदैव अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते है। विपक्ष सदैव सरकार की खामियों को उजागर करते है और लोकमत को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करते है।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते है। प्रजातन्त्र के संचालन के लिए दल बेहद आवश्यक है। हूबर का कथन सत्य प्रतीक होता है- ''प्रजातन्त्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के समान है।''

23.3 रूस में राजनीतिक दलों का अभ्युदय एवं इतिहास

रूस का प्राचीन इतिहास प्रजातंत्र का है। 14वीं सदी से रूस में जार वंश का निरंकुश शासन चला आ रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति एवं अन्य कारणों से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसी कारण से 1895 में रूसी सामाजिक प्रजातन्त्रवादी दल का उदय हुआ। यह दल आगे जाकर वोल्शेविक एंव मैन्शेविक दो भागों में बंट गया। रूस की जापान के हाथों पराजय ने जार की लोकप्रियता को कम कर दिया। इसी समय जन आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया। यही वह समय था जब विरोधियों व असन्तुष्टों को अवसर मिल गया। वोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 1905 से 1917 तक ये दोनों दल प्रभुता पाने के लिए संघर्ष करते रहें। 1917 की क्रान्ति के समय अन्य दल भी थे। इनमें प्रमुख रूप से संवैधानिक जनतंत्रवादी तथा सामाजिक क्रान्तिकारी थें। क्रान्ति में सभी दलों द्वारा सहयोग किया गया। 1917 में वोल्शेविक दल के नेता ने लेनिन ने केरेन्सकी का तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1918 में रूसी सामाजिक जनतान्त्रिक श्रमिक दल की सातवीं कांग्रेस का अधिवेशन में इस दल का नाम बदलकर ''रूसी साम्यवादी दल'' कर दिया गयां 1925 में 14वीं कांग्रेस ने पुनः इसका नाम बदलकर सोवियत संघ का साम्यवादी दल कहा गया। 1936 में संविधान में प्रथम बार इसे मान्यता दी गयी। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य जारशाही का अंत कर ,पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। इस दल का अगला लक्ष्य साम्यवादी समाज की स्थापना करना था। 1988 के 19वें महासम्मेलन में इसके लक्ष्य को बढ़ाकर पुर्नसरंचना (पेरेस्त्रोइका) और खुलेपन(ग्लासनोस्त) को स्वीकार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य आम जनता को जोड़ना तथा खुलेपन की नीतियों को स्वीकार करना था।

शीतयुद्ध के दौरान नई विश्व राजनैतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। कठोर साम्यवादी व्यवस्था में रूस विकास की दौड़ में पिछड़ने लगा। नई बदली विश्व व्यवस्था संघ की इकाईयों असंतोष, संघ के इकाइयों के विकास में विषमता ने व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसी समय तत्कालीन

सोवियत राष्ट्रपति ने खुलेपन (ग्लास्तनोस्त) की नीति को अपनाया। इसी समय ईकाईयों में राष्ट्रवाद, लोकतान्त्रिक सुधार की मांग बलवती हुई। रूस की विधायिका (कांग्रेस आफ पीपुल डिपुटीज) के चुनाव 1990 में हुए। येल्तसिन को सुप्रीम सेावियत का अध्यक्ष चुना गया। अगले महीने कांग्रेस ने सभी प्राकृतिक संसाधनों पर रूसी सम्प्रभुता की घोषणा कर दी। 1991 में रूस में राष्ट्रपति से नये पद का सृजन हुआ। पहले राष्ट्रपति के रूप में येल्तसिन चुने गये। धीरे-धीरे सेवियत संघ में स्वतन्त्रता की मांग बढ़ने लगी। कई संघीय राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी समय इस्टोनिया, लताविया तथा लिथुआनिया की स्वतन्त्रता की घोषणा को सोवियत सरकार ने स्वीकार कर लिया। 1991 के अंत तक गार्वाच्योव की पकड़ शासन पर कमजोर तथा येल्तसिन की पकड़ मजबूत होती गयी। रूस ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा नहीं की। यूक्रेन के द्वारा आने को स्वतन्त्र घोषित किये जाने के बाद 21 दिसम्बर 1991 को रूस ,यूक्रेन एवं बेलारूस सहित 11 गणराज्यों ने स्वतन्त्र राज्यों के कामनवेल्थ (सी0आई0एस0) की घोषणा की। 25 दिसम्बर 1991 को सोवियत राष्ट्रपति गार्वाच्योव ने 1922 की संधि (जिससे सोवियत संघ का जन्म हुआ) को समाप्ति की घोषणा की और त्यागपत्र दे दिया।

12 जून 1990 को नया रूस अपना स्वतन्त्रता दिवस मानता है। यद्यपि उसे सोवियत संघ से 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली। नये रूसी गणराज्य का नया संविधान 12 दिसम्बर 1992 को लागू हुआ। नये रूसी गणराज्य की राजधानी ‘‘मास्को’’ बनी रही। रूस के नये संविधान में कम्युनिस्ट के विपरीत उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया। उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं संघ के निर्माण के अनुरूप पूर्व की एकदलीय व्यवस्था को छोड़ नये संविधान में बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। वर्तमान रूसी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अनेक देशों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। वर्तमान रूसी निम्न सदन (ड्यूमा) में वर्ष 2003 में 23 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। इसके अतिरिक्त अनेक निर्दल भी है। 2003 के चुनाव के आकड़ें दर्शाते है कि केवल 3 दलों ने 5 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किये। वर्तमान में रूस का यूनाइटेड रशिया पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सत्तारूढ़ हैं । इस दल के नेता ब्लादीमीर पुतीन है। इस दल ने 2003 में 36.84 प्रतिशत मत प्राप्त किये। दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने 12.7 प्रतिशत मत प्राप्त किये है। इस दल के नेता गेनेडी जुवानेव है। इस दल की विचारधारा साम्यवाद,मार्क्सवाद,लेनिनवाद से प्रभावित है। यह राष्ट्रवाद पर बल देते है। तीसरा प्रमुख दल के रूप में ‘‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ रशिया’’ है। इस दल का प्रमुख ब्लादिमीर झिरनोवस्की है। इस दल का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रवाद पर है। एक और प्रमुख दल ‘‘ए जस्ट रशिया’’ है। इस दल का जोर सामाजिक लोकतन्त्र तथा लोकतन्त्रात्मक समाजवाद है। इसके प्रमुख नेता ‘‘निकोलई लेवेचेव’’ है। इनके अतिरिक्त अनेक दल पंजीकृत है। इनमें प्रमुख रूप से पेट्रिआटस आफ रशिया,राईट काज, दि रशियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यावलोको है। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी आफ सोवियत यूनियन को राष्ट्र विरोधी

गतिविधियों के कारण बैन कर दिया गया है। जिन दलों की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है उनमें प्रमुख रूप से कान्स्टीटयूसनल डेमोक्रेटिक पार्टी,रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूसनरी पार्टी आदि है।

इसके अतिरिक्त अनेक दलों ने अपने को बड़े दलों में सम्मिलित कर लिया। इनमें प्रमुख रूप से यूनाइटेड रशिया पार्टी में यूनिटी पार्टी आफ रशिया, फादर लैण्ड आल रशिया,आवर होम-रशिया,अग्रेगियन पार्टी आफ रशिया आदि है। इसी प्रकार जस्ट रशिया में मुख्य रूप से पीपुल पार्टी आफ रशियन फेडरेशन का ,रशियन पार्टी आफ लाइफ,रशियन पेंशनर्स पार्टी ,युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी आफ रशिया ,रशियन सोशल जस्टिस पार्टी, रशियन इकोलिजकल पार्टी आदि का विलय हुआ। इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी आफ रशियन फेडरेशन में पीपुल यूनियन शामिल हो गई।

इसके अतिरिक्त रूस में वाम दलों ने मिलकर एक वामपंथी मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे में प्रमुख रूप से कम्युनिस्ट आफ रशिया,सोशलिस्ट रजिस्टेंस, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया, नेशनल वोल्शेविक पार्टी , हिज्ब-उल ताहिर शामिल है।

23.3 रूस में राजनीतिक दलों का अभ्युदय एवं इतिहास

रूस के प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रकार हैः-

1. **युनाइटेड रशिया**ः- युनाइटेड रशिया पार्टी का गठन दिसम्बर 2001 में हुआ। यह रूस की सत्तारूढ़ सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसके गठन के समय ही इसमें यूनिटी एवं फादरलैण्ड आल रशिया पार्टी का मर्जर हो गया था। विचारधारा के स्तर पर यह दल रूसी परम्पराओं पर बल देता है। इस दल के संस्थापक वर्तमान रूसी राष्ट्रपति पुतिन है। रूस की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सवांरने का श्रेय इस दल की लोकप्रियता का कारण है। यद्यपि हाल में (2011) में हुए ड्यूमा के चुनाव में प्राप्त मतों का प्रतिशत 2007 के स्तर 64.4 प्रतिशत से कम होकर 49.32 प्रतिशत तक आ गया है।

यूनाइटेड रशिया पार्टी के जन्म से पहले यूनिटी ब्लाक का गठन हुआ। वर्ष 1999 के ड्यूमा के चुनाव में फादरलैण्ड आल रशिया को रोकने के लिए यह यूनिटी गठबंधन हुआ। यूनिटी गठबंधन का नेता सर्गेइ सोक्यू को बनाया गया। इस समय येल्तसिन लोकप्रियता एकदम निचले स्तर पर थीं प्रधानमंत्री पुतिन भी लोकप्रिय नहीं थे। इसी समय पुतिन का चेचन विद्रोहियों के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही का निर्णय ने पुतिन की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। यूनिटी संघ का चुनावों में बेहतर परिणाम मिले। इस सफलता में लोकप्रिय प्रधानमंत्री पुतिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यूनिटी मोर्चा का प्रारम्भिक लक्ष्य 1999 का ड्यूमा चुनाव था। मोर्चा को मिली अप्रत्याशित सफलता ने इसके नेताओं को इस मोर्चो को स्थाई बनाने पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। इसी समय कई स्वतन्त्र सदस्यों ने इस मोर्चे के

सदस्या ग्रहण की। फादरलैण्ड आफ रशिया के अध्यक्ष लुझकाव ने भी इसकी सदस्यता ली। अंततः अप्रैल 2001 में फाडरलैण्ड दल एवं यूनिटी दल एकीकरण प्रारम्भ कर दिया और एक नया दल ''यूनियन आफ यूनिटी और फादरलैण्ड'' का उदय हुआ। दिसम्बर 2001 में यह दल ''आल रशिया पार्टी आफ यूनिटी और फादरलैण्ड बन गई। आगे जाकर संक्षिप्त रूप में यही ''यूनाइटेड रशिया'' कहलायी। पुतिन ने साम्यवाद एवं लोकतन्त्र के स्थान पर स्थायित्व एवं आर्थिक सुधार का नारा दिया। 13 जनवरी 2003 तक यूनाइटेड रशिया की सदस्यता दो लाख सतावन हजार लोगों ने ग्रहण कर ली थी।

अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर पुतिन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उन्होंने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल के पहले वर्ष में ही रूस की आर्थिक दशा बहुत सुधरी। यही कारण था कि 2003 के ड्यूमा के चुनाव में 232 सीट मिली और एक हफ्ते के अन्दर 78 सदस्यों ने दल में शामिल हो गये। इस प्रकार डृयूमा में इनकी सदस्य संख्या 310 हो गई। ड्यूमा में मजबूत स्थिति होने का लाभ दल को मिला। यूनाइटेड रशिया के सत्तारूढ़ होने के बाद से विधयिका में नये का कानून बनने की दर बहुत बढ़ गई। सुधार कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा। यूनाइटेड रशिया की सफलता में प्रशासकीय भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। कमजोर विपक्ष इसका बड़ा कारण था। राज्य नियन्त्रित मीडिया ने '' कम्युनिस्ट दल'' के विरूद्ध प्रचार अभियान चलाया। विपक्षी दलों के बीच चल रहा आपसी संघर्ष भी यूनाइटेड रशिया के पक्ष में गया। यावलोको एवं यूनियन आफ राइट फोर्स दल के बीच संघर्ष इसका प्रमाण था। यही कारण था कि विपक्ष की शक्ति ड्यूमा में निरन्तर घटती गई। 1999 में कम्युनिस्ट दल के पास 113 सदस्य थे , वो 2003 में घटकर 52 रह गये। यावलोको एवं यूनियन राइट फोर्स 5 प्रतिशत से अधिक मत नहीं प्राप्त कर सके। 2007 के ड्यूमा के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी को 64.3 प्रतिशत मत मिले। कम्युनिस्ट दल को 11.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

2004 में पुतिन पुनः 70 प्रतिशत मतों से राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए। वर्ष 2007 में पुतिन ने मेडवडेव को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। मेडवडेव ने 71 प्रतिशत मत प्राप्त कर विजय प्राप्त की। राष्ट्रपति के रूप में मेडवडेव ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। स्टेट ऑफ ड्यूमा में दल को वर्ष 1999 में 23.3 प्रतिशत मत तथा 73 सीट, 2003 में 37.6 प्रतिशत मत तथा 225 सीट , 2007 में 64.3 प्रतिशत तथा 315 सीट , 2011 में 49.3 प्रतिशत मत और 238 सीट प्राप्त हुई। वही राष्ट्रपति के चुनाव में पुतिन 2000, 2004 में राष्ट्रपति ,2008 में मेडवडेव तथा पुनः 2012 में पुतिन पुनः राष्ट्रपति चुने गये है।

दल का एजेण्डा:- दल के घोषणा पत्र ''दि पाथ आफ नेशनल सक्सेस'' ने स्पष्ट किया है कि दल का उद्देश्य -

1. देश की जिम्मेदार राजनीतिक शक्तियों को एकजुट कर गरीब अमीर की दूरी,जवान एवं वृद्ध की दूरी को कम करना।

2. देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित होगी इसमें स्वतन्त्रता एवं नियन्त्रण की व्यवस्था होगी।

3. देश वामपंथ एवं दक्षिण पंथ की विचारधारा को खारिज करता है। यह समाज के सभी वर्गों को एकजुट कर मुख्य धारा में जोड़ता चाहता है।

4. देश की परम्पराओं एवं रीतियों में भरोसा करती है।

5. देश समस्याओं को व्यवहारिक ढंग से हल करने पर भरोसा करती है। यह किसी भी प्रकार के विचारधारा आधारित हल पर भरोसा नहीं करती।

6. यह दल अपने को ''काम करने वाले दल'' के रूप में स्थापित करती है।

संक्षेप में हम कह सकते है कि यह दल अर्थव्यवस्था में मजबूती, कम्युनिस्ट विचारधारा का विरोध, पश्चिमी अर्थव्यवस्था का अनुसरण,उग्रवादी अलगाववादी गतिविधियों के दमन पर बल देता है। इस दल को 64 प्रतिशत महिलाओं का समर्थन प्राप्त है। राज्य के कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा देश की युवाओं का समर्थन प्राप्त है।

दलीय ढांचा:- अप्रैल 2008 में यूनाइटेड रशिया पार्टी ने अपने दल के संविधान की धारा 7 में परिवर्तन कर दल के अध्यक्ष को चेयरमैन आफ पार्टी और चेयरमैन आफ सुप्रीम कौंसिल कर दिया। सुप्रीम कौसिंल पार्टी के विकास के लिये कार्य करती है।

दल की सामान्य सभा में 152 सदस्य है। यह देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच का कार्य करती है। सामान्य सभा का प्रजीडियम होता है जिसकी सदस्य संख्या 23 होती है। सचिव इसकी अध्यक्षता करता है। यूनाइटेड रशिया पार्टी सम्पूर्ण संघ (देश) के स्तर पर स्थानीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय संचालित करता है। 20 सितम्बर 2005 तक दल के पास 2,600 स्थानीय एवं 29856 प्राथमिक कार्यालय थे।

आंतरिक समूह:- यूनाइटेड रशिया पार्टी एक वृहद विविधतापूर्ण पार्टी है। यह दल मुख्य रूप से चार आंतरिक समूहों मे विभक्त है जिसका लक्ष्य नीति निर्माण से पहले आंतरिक बहस कर सही निर्णय पर पहुंचना। ये समूह मुख्य रूप से लिबरल कंजरेटिव,सोशल कजरेटिव,स्टेट पैट्रिओटिक क्लब तथा कजरेटिव लिबरल प्रमुख है।

2. कम्युनिस्ट पार्टी आफ रशियन फेडरेशनः- यह रूस में सोवियत संघ की उत्तराधिकारी राजनीतिक दल है। 14 फरवरी 1993 में इसकी द्वितीय असाधारण कांग्रेस ने अपने को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी आफ रशियन फेडरेशन की स्थापना 1993 में यगोर लिगाचेव, एंटाली लुकानाव एवं गेनेडी जुगानाव ने की। सोवियत संघ के पतन के बाद से कई देशभक्त आदोलन के लोग इससे जुड़ गये। 7 अगस्त 1996 से एक गठबंधन आंदोलन प्रारम्भ हुआ। इस आंदोलन को ‘‘पीपुल्स पैट्रियाटिक यूनियन आफ रशिया’’ कहा गया। इस आंदोलन में 30 वामपंथ के और दक्षिण पंथ के देशभक्त आंदोलन के लोग शमित हुए। इस दल से अनेक समूह महत्वपूर्ण व्यक्ति समय-समय पर जुड़ते रहे है। उदाहरण के लिये वर्ष 2000 के भैतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता जोरेएस एल्फानाव, बुद्धिजीवी अलेक्जेडर जिनोनाव ने समर्थन दिया। जुलाई 2004 में एक अलग हुए धड़े ने ब्लादिमीन तिखानोव की अध्यक्ष चुना और आल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आफ दी फ्यूचर बनाई। बाद में यह दल जुवानोव के दल से जुड़ गया। वर्तमान समय में गेनेडी जुगानाव इसके अध्यक्ष है और 2012 का राष्ट्रपति का चुनाव पुतिन के विरूद्ध लड़ा है। इस दल की लोकप्रियता निरन्तर गिर रही है।

विचारधाराः- इस दल की अधिकारिक विचारधारा मार्क्सवादी,लेनिनवादी ,साम्यवाद है। यह राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति पर बल देते है। यह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरणा ग्रहण करते है। वे जोजेफ स्टालिन के सिद्धान्तों से प्रेरणा ग्रहण करते है। वे नये रूस में मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल देते है। वे उदारवादी विचारधारा का खुलकर विरोध करते है।

कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रोग्रामः- कम्युनिस्ट दल के प्रमुख योजनायें इस प्रकार हैः-

1. बड़े परिवारों को समर्थन देना। सार्वजनिक बालगृहों का निर्माण करना। युवा परिवारों को घर देना।

2. रूस के प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना। संसाधनों का प्रयोग जनहित में करना।

3. चुनावी धाँधली (व्यस्क मताधिकार आधारित) को रोकना।

4. न्यायपालिका की पूर्ण स्वतन्त्रता पर बल देना।

5. जरूरी वस्तुओं के मूल्य को नियन्त्रित करना। गरीबी से संघर्ष करना।

6. रिटायरमेंट की आयु को न बढ़ाना।

7. राज्य द्वारा घर एवं अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिये आवश्यक फीस आय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. विद्वान के लिए अधिक अनुदान एवं वैज्ञानिकों के लिए अधिक वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11. खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बड़े सामूहिक खेती पर बल दिया जाना चाहिए।

12. नया कर ढांचा विकसित किया जाना चाहिए जिसमें कमजोर आय वर्ग को मुक्त रखा जाना चाहिए।

13. प्रशासन की क्षमता बढ़ायी जानी चाहिए। व्यापारिक संघों की स्वतन्त्रता को बहाल रखा जाना चाहिए।

14. रूस की संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए। संस्कृति के व्यवसायिकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए।

15. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जाने चाहिए।

16. देश की एकता अखण्डता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

17. विदेश नीति राष्ट्रीय हितों एवं परस्पर सहयोग पर आधारित होनी चाहिए।

रूसी चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्वः-

रूसी संसद के 1993 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने 12.4 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 1995 में यह 22 प्रतिशत ,1999 में 24 प्रतिशत ,2003 में तेज गिरावट के साथ 13 प्रतिशत ,2007 के चुनाव में 11.6 प्रतिशत मत प्राप्त किये। इन चुनावों में तम्वान ओवालस्ट में 14.17 प्रतिशत ,आरोल ओवलस्ट में 17.5 प्रतिशत , ब्रायनस्क ओवलस्ट में 17.09 प्रतिशत मत प्राप्त किये। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूसी फेडरेशन का प्रमुख प्रभाव क्षेत्र शहरों ,औद्योगिक क्षेत्र तथा मास्को के नजदीक छोटे शहरों में है। कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य समर्थक पेशनर्स, औद्योगिक कामगार है। पिछले कुछ

वर्षों में इसका आधार युवा वामपंथियों में बढ़ा है। हाल में गैर वामपंथी वोट भी विरोध स्परूप इन्हें मिले है। यह सत्तारूढ़ दल के विकल्प की तलाश के रूप में हो रहा है।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशियाः- यह दल 1991 में अस्तित्व में आया। इस दल का नेतृत्व बलादीमिर झिरिनोवस्की द्वारा किया जा रहा है। यह दो मुख्य दलों की विचारधारा का एक मध्य मार्ग है। एक तरफ यह उग्र पूंजीवादी व्यवस्था को नकारता है वही दूसरी तरफ साम्यवाद को भी खारिज करता है। 1993 के चुनाव में ड्यूमा में इन्होंने 40 सीटें प्राप्त की। हाल के चुनाव में (2011) इन्होंने 11.4 प्रतिशत मत प्राप्त किये है। लिबरल डेमोक्रेटिक शीर्षक होने के बावजूद यह दल अपने को न तो लिबरल और न ही डेमोक्रेटिक मानता है। यह दल अपने को दक्षिणपंथी मानता है । ये अपने को सुधारवादी भी मानते है। ये अतिराष्ट्रवादी के रूप में अपने को पेश करते है। ये इनके नेता झिरिनोवस्की का विचार है। ये एक नये वृहद रूसी साम्राज्य का विचार रखते है।

सोवियत संघ में गार्वाच्योव के सुधारों के परिणामस्वरूप अप्रैल 1991 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरी पंजीकृत पार्टी के रूप में उभरी। कुछ आलोचकों का मत है कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और के0जी0वी0 का एक संयुक्त प्रयास था। यह एक छद्मी दल के रूप में स्थापित की गई। इसको के0जी0वी0 के नियन्त्रण में कुछ निश्चित सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के रूप में उभरा गया। 1991 के राष्ट्रपति चुनाव में इस दल ने 8 प्रतिशत मत प्राप्त किये। 1991 में गार्वाच्योव के विरूद्ध सैनिक विद्रोह का इस दल ने समर्थन किया था। 1993 के ड्यूमा के चुनाव में येल्तसिन का दल ने 15 प्रतिशत मत प्राप्त किये। कम्युनिस्ट पार्टी आफ रशियन फेडरेशन ने 12.4 प्रतिशत मत प्राप्त किये। इस समय इस दल का तेजी के साथ फैलाव हुआ। झिरिनोवस्की ने असंन्तुष्ट जनता को अपने पक्ष में किया। उन्होनें जनता की समस्याओं को न केवल समझा वरन उसके सरल हल भी प्रस्तुत किये। झिरिनोवस्की ने चेचन विद्रोहियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की। उसने संगठित अपराधियों के नेताओं को गोली मारने का सुझाव दिया। झिरिनोवस्की ने रूस के विस्तार की भी बात की।

ड्यूमा के 1993 के चुनाव में इस दल को भारी सफलता मिली। परन्तु 1995 के चुनाव में मत प्रतिशत आधा रह गया और इन्हें केवल 11.2 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। 1999 के चुनाव में इन्हें 6 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। 2003 के चुनाव में इनकी वापसी हुई और इन्होनें 11.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। 2007 के चुनाव में इन्हें 8.14 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इनको 40 सीटें प्राप्त हुई।

प्रमुख विचार:- लिबरल डेमोक्रेटिक दल रूस का पुनः महाशक्ति के रूप में वापसी चाहता है। यह न तो कम्युनिस्ट विचारधारा को स्वीकार करते है और न ही उग्र पूंजीवाद को स्वीकार करते हैं। ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को बल देते है। ये व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार करते है परन्तु राज्य का

कठोर पर्यवेक्षण भी चाहते है। ये अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रूस के हितों की वृद्धि चाहते है। रूस के साथ पूर्व सोवियत इकाइयों को जोड़कर एक महाशक्ति का सपना देखते है। ये अमेरिका तथा पाश्चात्य सभ्यता को रूस का प्रतिद्वन्दी मानते है। ये रूस के दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के साथ भेदभाव को अस्वीकार करते है। प्रो0हेनरी ने शब्दों में-''इनका प्रमुख जोर कानून और व्यवस्था और राष्ट्रवाद पर है।'' यह दल पूर्णतः अपने नेता पर आश्रित है। इसका आंतरिक ढा़चा केन्द्रिकृत है। इस दल का देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दलों के साथ समझौता है। एक सर्वे के अनुसार देश के 4 प्रतिशत लोगों का समर्थन इनको प्राप्त है।

ए जस्ट रशियाः- जस्ट रशिया रूस का महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। इसका गठन 28 अक्टूबर 2006 को हुआ। यह समाजवादी लोकतन्त्रात्मक राजनीतिक दल है। वर्तमान समय में इसके पास ड्यूमा में 64 सीटें है। यह रोडीना दि रशियन पार्टी ऑफ लाइफ और रशियन पेशनर्स पार्टी से मिलकर बना है। बाद में इसमें 6 और छोटे दल शामिल हो गये। यह दल मुख्य रूप से स्वतन्त्रता और एकजुटता पर आधारित है। इस दल की मांग है कि 21वीं सदी में नये समाजवाद की आवश्यकता है। ये ऐसे समाजवाद की मांग करते है जो अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की मांग पर आधारित हो। वर्ष 2011 में निकोलई लेवचेव को दल का अध्यक्ष बनाया गया।

जस्ट रशिया का जन्म छोटे दलों के विलय से हुआ। इन दलों में रोडनिया सबसे बड़ा दल था जिसे 2003 के ड्यूमा चुनावों में 37 सीटें प्राप्त हुई थी। पार्टी आफ पेशनर्स ने 3 प्रतिशत प्राप्त किये थे। यह दल नेतृत्व के संघर्ष में भी कमजोर हुआ। रोडीना के पास ही ड्यूमा में सीट है। अतः नये दल के निर्माण में रोडीना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मास्को में तीनों दलों ने अपनी बैठक कर नये दल जस्ट पार्टी का गठन किया। इसी बैठक में मिरिनाव इस नये दल के अध्यक्ष चुने गये। रोडीना पार्टी के अध्यक्ष अलक्जेडर वाराकोव प्रजीडियम के सचिव चुने गये। पेशनर्स पार्टी के नेता इगोर जोटोव राजनीतिक परिषद के सचिव चुने गये। 2007 में जस्ट पार्टी में तीन नये दल शमिल हो गये। इनमें प्रमुख रूप से पीपुल्स पार्टी,पार्टी आफ इटरप्रोन्योरशिप डेवलपमेण्ट और पार्टी आफ कास्टीट्यूसनल डेमोक्रेटस थे। इस दल ने राजनीतिक व्यवस्था पर एक दल का अधिपत्य को रूस के लिए हितकर नहीं माना। यह देश के राजनीतिक ,आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए अच्छा नहीं है। प्रथम अध्यक्ष ने अपने वामपंथी राजनीतिक शक्ति कहा। सत्तारूढ़ दल को शक्ति का राजनीतिक दल बताया तथा स्वयं को लोगों को मजबूत एवं एकजुट करने के लिए अस्तित्व में आया है। इस दल का प्रमुख उद्देश्य न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज की स्थापना करना है।

दलीय विचारधारा:- जस्ट रशिया दल एकजुटता एवं स्वतन्त्रता में विश्वास करता है। यह ऐसे लोककल्याणकारी राज्य की कल्पना करते है जिसमें सभी समान हो, अमीर-गरीब की दूरी कम हो,नागरिक अधिकार सुरक्षित हो। राज्य नागरिकों की बेहतरी के लिए जिम्मेदार होगा। जस्ट रशिया

अपने विचार को 21वीं सदी का नया समाजवाद कहा। इसके साथ दल ने यह भी जोड़ा कि इस समाजवाद में सोवियत समाजवाद की कोई जगह नहीं है। इस नये समाजवाद नागरिक केन्द्र में है।

नागरिक की सामाजिक,आर्थिक दशा के सुधारना जस्ट रशिया का प्राथमिक दायित्व है। ड्यूमा में यह दल रचनात्मक विरोध का पक्षधर है। शासन में व्यापत उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार का यह विरोध करती है। राजनीतिक व्यवस्था का और अधिक लोकतान्त्रिककरण की पक्षधर है। वर्ष 2007-11 तक इस दल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुतिन सरकार का ड्यूमा में विरोध किया। वर्ष 2010,2011 में सरकारी बजट के विरूद्ध मतदान किया।

इस दल का मानना है कि रूस का 13 प्रतिशत सीधे आयकर के स्थान पर नई व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। पार्टी की उक्त नीतियां पार्टी को लोकतन्त्रवादी सामाजिक व्यवस्था के नजदीक ला देते है। यह दल रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। जस्ट रशिया सोशलिस्ट इण्टरनेशनल का सदस्य है, यह पार्टी आफ यूरोपियन सोशिलिस्ट आदि का सदस्य भी है।

पैट्रिआट्स आफ रशिया:- वर्ष 2005 में गेनेडेव समीगिन ने पैट्रिआट्स आफ रशिया नामक दल गठित किया। वर्ष 2006 में इस दल ने रोडीना दल में विलय कर लिया। वर्ष 2007 में इन्होनें पुनः स्वतन्त्र दल के रूप में अस्तित्व में आया।

पैट्रिआट्स आफ रशिया एक वामपंथी राजनीतिक दल है। वैदेशिक मामलों में यह दल ‘‘नाटो तथा अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का विरोध करता है। वर्ष 2007 में 0.89 प्रतिशत ,2011 में 0.97 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। ड्यूमा में इस दल को स्थान नहीं मिला है।

राइट काज:- इस दल का गठन 18 फरवरी 2009 को हुआ। इसके नेता एन्ड्रूय डूनाव है। यह दल उदारवाद,लोकतन्त्र,परम्परावादी है। इस दल का गठन यूनियन आफ राइट फोर्स, सिविलियन पावर, डेमोक्रेटिव पार्टी आफ रशिया से मिलकर हुआ। यह दल मुक्त बाजार व्यवस्था पर बल देता है। यह मध्यम वर्ग के हितों की सुरक्षा पर बल देता है। राइट काज पार्टी ने पहला चुनाव मास्को सिटी ड्यूमा चुनाव लड़ा। दल ने 5 से 8 प्रतिशत मत को प्राप्त करने का भरोसा दिलाया। एक प्रत्याशी मैदान में उतरा जो पराजित हुआ। वर्तमान में दल को कई शहरों में प्रतिनिधित्व है परन्तु क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं है। राइट काज पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। यह दल करिश्माई नेता का अभाव महसूस कर रहा है।

23.4 दुनियाँ के अन्य लोकतन्त्रों में राजनीतिक दलों की भूमिका (कार्य)

लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वे लोकतन्त्र की प्राणवायु के समान है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य शासन सत्ता की प्राप्ति करना होता है। कतिपय यही कारण है कि वे सदैव जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए सक्रिय रहते है। वर्तमान समय बड़े राष्ट्रीय राज्यों के उदय एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बिना राजनीतिक दलों के सहयोग के आम निर्वाचन ,सरकार निर्माण, जन सहभागिता की कल्पना नहीं की जा सकती । ये राजनीतिक दल ही है जो विभिन्न नागरिकों एवं समूहों को राजनीतिक शिक्षा देते है। वे उन्हें मतदान करने, मतदान प्रक्रिया आदि के विषय में अवगत कराते है। मतदान की अधिकता सुनिश्चित कराने में भी इनकी महती भूमिका हो सकती है। राजनीतिक दल चुनाव बाद जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल लोकतन्त्र के केन्द्र में है। उनके अभाव में हम लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते है। राजनीतिक दल ही है जो लोगों को सरकार का विकल्प उपलब्ध कराते है।

अभ्यास प्रश्नः-

1. रूस में ....राजनीतिक व्यवस्था है।
2. पूर्व सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था थी। सत्य/असत्य
3. रूस का सबसे बड़ा दल ....है।
4. वर्तमान समय रूस का राष्ट्रपति.................................है।
5. रूस यूनाइटेड रशिया की लोकप्रियता में पुतिन का हाथ है। सत्य/असत्य
6. रूस के संविधान के लागू होने से वर्तमान समय तक ....दल का शासन है।
7. यूनाइटेड रशिया पार्टी के संस्थापक मेडवडेव है। सत्य/असत्य
8. वर्ष 2003 के ड्यूमा के चुनाव में तेइस दलों ने भाग लिया। सत्य/असत्य

9. वर्तमान समय में ड्यूमा में चार दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सत्य /असत्य

23.5 सारांश-

रूस में सोवियत विघटन के बाद सोवियत व्यवस्था के विरूद्ध बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया। रूस की दलीय व्यवस्था में सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व है। एक तरफ ''यूनाइटेड रशिया''जैसा उदारवादी दल है वहीं दूसरी तरफ ''कम्युनिस्ट पार्टी आफ रशिया'' जैसा वामपंथी दल भी है। रूस में बहुदलीय व्यवस्था को व्यापक विचार विमर्श के बाद स्वीकार की गई। रूस के संविधान निर्माता संविधान व्यवस्था के विपरीत व्यापक प्रतिनिधित्व के लिये बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया।

राजनीतिक दलों का इतिहास बहुत प्राचीन है। कुछ विद्वान राजनीतिक दलों को लोकतन्त्र से भी प्राचीन मानते है। लोकतन्त्र की कल्पना भी राजनीतिक दलों के अभाव में नहीं की जा सकती है। ये ही प्रतिनिधित्व का आधार (विकल्प) प्रस्तुत करते है। कतिपय यही कारण है कि एकदलीय व्यवस्था वाली व्यवस्था को लोकतन्त्रीय नहीं माना जाता है। दुनिया में सबसे पहले आधुनिक राजनीतिक दलों के प्रथम संकेत ब्रिटेन में मिलते है जहां पर राउण्डहेडेड तथा कैवलयर्स के रूप में दो समूह दिखाई दिये। समय के साथ इनके नाम बदलते रहे और आज वे किसी न किसी रूप में कंजरेटिव दल और उदारदल के रूप में विद्यमान है।

राजनीतिक दल जनजागरण का कार्य करते है। वे न केवल राजनीतिक शिक्षा देते है वरन चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाते है। चुनाव के बाद सरकार के निर्माण तथा सरकार निर्माण के बाद आम जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते है। वे विपक्षी दल होकर भी सत्तापक्ष पर पर्याप्त अंकुश लगाते है। इस प्रकार हम कह सकते है कि लोकतन्त्र में राजनीतिक दल एक धुरी के समान है।

रूस की बहुदलीय व्यवस्था में एक दल का(यूनाइटेड रशिया) प्रभुत्व स्थापित हो गया है। ब्लादिमीन पुतिन के द्वारा संगठित यह दल रूस की आजादी के बाद से आज तक सत्तारूढ़ है। यूनाइटेड रशिया का ड्यूमा में सदैव से बहुतम रहा है। वहां ड्यूमा में केवल चार दलों का प्रतिनिधित्व है। यूनाइटेड रशिया के अलावा किसी अन्य दल की प्रभावी भूमिका नहीं है।

23.6 शब्दावली-

1. ड्यूमाः- रूस की विधायिका का निम्न सदन।

2. बहुदलीय व्यवस्थाः- जहां पर संविधान द्वारा दो से अधिक दलों को मान्यता दी जाती है उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते है।

3. राष्ट्रपति:- कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहते है ।

23.7 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर

1. बहुदलीय 2. सत्य 3. यूनाइटेड रशिया 4. ब्लादिमीन पुतिन 5. सत्य

6. यूनाइटेड रशिया 7. असत्य 8. सत्य 9. सत्य

23.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भगवान विष्णु, विद्या भूषण ,वर्ल्ड कान्स्टीट्यूसन,ए कम्परेटिव स्टडी,र्स्टलिंग पब्लिसर्श प्रा0लि0दिल्ली।

2. मेनार्ड,सरजान,रसिया इन फ्लक्स,पेप्न।

3. मुनरो,दि गर्वनमेंट ऑफ यूरोप।

23.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. रूस का संविधान।

23.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. रूस की दलीय व्यवस्था पर निबंध लिखिये।

2. राजनीतिक दल का अर्थ एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिये।

3. राजनीतिक दलों के कार्य बताइये।

4. यूनाइटेड रशिया पार्टी के संगठन एवं बढ़ती लोकप्रियता के कारणों को स्पष्ट कीजिये।

5. राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिये।